दशम माला, खंड 13, अंक 1

बुधवार, 8 जुलाई, 1992
17 आषाढ़, 1914 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद
का
हिन्दी संस्करण

चौथा सत्र
(दसवीं लोक सभा)

(खंड 13 में अंक 1 से 10 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : चार रुपये

[अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जायेगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जायेगा।]

विषय-सूची

दशम माला, खंड 13, चौथा सत्र, 1992, 1914 (शक)

अंक 1, बुधवार, 8 जुलाई, 1992/17 आषाढ़, 1914 (शक)

विषय	पृष्ठ
सदस्यों द्वारा शपथ ग्रहण	1
मंत्रियों का परिचय	1
निधन संबंधी उल्लेख	1-2
कुम्हेर (राजस्थान) में हुई हत्याओं की घटना के बारे में	3-10
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	11-17
*तारांकित प्रश्न संख्या: 1	
प्रश्नों के लिखित उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या: 2 से 13 और 15 से 20	18-34
अतारांकित प्रश्न संख्या: 1 से 12, 14 से 18, 20 से 166 और 168 से 209	35-215
मंत्रिपरिषद् में अविश्वास के प्रस्ताव के बारे में घोषणा	216
उर्वरक मूल्य निर्धारण संबंधी समिति का कार्यकाल बढ़ाए जाने के बारे में घोषणा	217
मंत्री द्वारा वक्तव्य	218-251 278-278
(एक) कुम्हेर (राजस्थान) में हुई हत्याओं की घटना श्री एम० एम० जैकब	218-244
(दो) बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थाओं में अनियमितताएं और कपटपूर्ण लेन देन श्री मनमोहन सिंह	245-251
(तीन) राम जन्म भूमि-बाबरी मस्जिद का मामला श्री एस० बी० चव्हाण	275-278
सभा पटल पर रखे गए पत्र	252-254
अविलंबनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यानाकर्षण	255-270
राष्ट्रीय परिवहन हड़ताल से उत्पन्न स्थिति	
श्रीमती गीता मुखर्जी	255
श्री जगदीश टाईटलर	255
श्री चित्त बसु	257

*किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उस ही सदस्य ने पूछा था।

विषय	पृष्ठ
श्री मदन लाल खुराना	260
मेजर जनरल (रिटायर्ड) भुवन चन्द्र खंडूरी	262
श्री राम विलास पासवान	264
जम्मू-कश्मीर राज्य विधान-मंडल (शक्तियों का प्रत्यायोजन) विधेयक— पुरःस्थापित	271
नियम 377 के अधीन मामले	271-275
(एक) देश के सामरिक महत्व के क्षेत्रों को सी०आई०ए० द्वारा कथित निगरानी से बचाने के लिए पर्याप्त कदम उठाए जाने की आवश्यकता	271
श्री विजय कृष्ण हान्डिक	
(दो) क्षेत्रीय पारपत्र कार्यालयों की आपात पारपत्र जारी करने की शक्ति बहाल किए जाने की आवश्यकता	272
श्री वी० एस० विजयराघवन	
(तीन) गांवों को सुरक्षित पेयजल प्रदान करने के लिए राज्य सरकारों को पर्याप्त धनराशि आवंटित किए जाने की आवश्यकता	272
श्री अंकुशराव टोपे	
(चार) अखिल भारतीय केन्द्रीय विद्यालय शिक्षक संघ की मांगों पर ध्यान दिए जाने की आवश्यकता	273
डा० लक्ष्मी नारायण पाण्डेय	
(पांच) उत्तर प्रदेश में आगरा में यमुना नदी पर बैराज का शीघ्र निर्माण कराए जाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार को वित्तीय सहायता प्रदान किए जाने की आवश्यकता	273
श्री भगवान शंकर रावत	
(छः) पश्चिम बंगाल में जलपाईगुड़ी और कूचबिहार में कतिपय रेल सुविधाएं बहाल किए जाने की आवश्यकता	274
श्री जितेन्द्र नाथ दास	
(सात) बिहार के नवादा, जहानाबाद और ओरंगाबाद जिलों में आतंकवाद के बढ़ते प्रकोप को रोकने के लिए इन क्षेत्रों का संतुलित विकास करने हेतु कदम उठाए जाने की आवश्यकता	274
श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह	
(आठ) देश में भूमि सुधार करने और अनुसूचित जातियों को आबंटित भूमि पर उन्हीं को कब्जा दिलाया जाना सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता	275
श्री राम बदन	
विदेशी व्यापार (विकास और विनियमन) अध्यादेश का निरनुमोदन किए जाने के बारे में सांविधिक संकल्प	279-280
डा० लक्ष्मी नारायण पाण्डेय	279

दसवीं लोक सभा के सदस्यों की वर्णानुक्रमानुसार सूची

अ

अंजलोज, श्री थाइल जाॅन (अलप्पी)
अंसारी, श्री मुमताज (कोडरमा)
अकबर पाशा, श्री बी॰ (वेल्लोर)
अग्निहोत्री, श्री राजेन्द्र (झांसी)
अजित सिंह, श्री (बागपत)
अडईकलराज, श्री एल॰ (तिरुचिरापल्ली)
अन्तुले, श्री ए॰ आर॰ (कोलाबा)
अबारासु इरा, श्री (मद्रास मध्य)
अबदुल गफूर, श्री (गोपालगंज)
अयूब खां, श्री (झुंझुनु)
अय्यर, श्री मणि शंकर (मईलादुतुराई)
अरुणाचलम, श्री एम॰ (टेन्कासी)
अवैद्य नाथ, महन्त (गोरखपुर)
अशोकराज, श्री ए॰ (पैरम्बलूर)
अर्स, श्रीमती चन्द्रप्रभा (मैसूर)
अहमद, श्री ई॰ (मंजेरी)
अहमद, श्री कमालुद्दीन (हनमकोण्डा)
अहिरवार, श्री आनन्द (सागर)

आ

आचार्य, श्री बसुदेव (बांकुरा)
आजम, डा॰ फैयाजुल (बेतिया)
आडवाणी, श्री लाल कृष्ण (गांधीनगर)
आदित्यन, श्री आर॰ धनुषकोडी (तिरूचेन्दूर)

इ

इन्द्र जीत, श्री (दार्जिलिंग)
इम्चालम्बा, श्री (नागालैंड)
इस्लाम, श्री नुरूल (धूबरी)

उ

उन्नीकृष्णन, श्री के॰ पी॰ (बडागरा)
उपाध्याय, श्री स्वरूप (तेजपुर)
उमा भारती, कुमारी (खजुराहो)
उम्बे, श्री लाईता (अरुणाचल पूर्वी)
उम्मारेड्डी वेंकटस्वरलु, प्रो॰ (तेनाली)
उरांव, श्री ललित (लोहरदगा)

ए

एन्थनी, श्री फ्रैंक (नाम निर्देशित आंग्ल भारतीय)

ओ

ओडियार, श्री चनैया (दावणगेरे)
ओवेसी, श्री सुलतान सलाउद्दीन (हैदराबाद)

क

कटियार, श्री विनय (फैजाबाद)
कठेरिया, श्री प्रभु दयाल (फिरोजाबाद)
कनोजिया, डा॰ जी॰ एल॰ (खीरी)
कनोडिया, श्री महेश (पाटन)
कमल नाथ, श्री (छिन्दवाड़ा)
कमल, श्री श्याम लाल (बस्ती)
करेंद्दुला, श्रीमती कमला कुमारी (भद्राचलम)
कहांडोले, श्री जेड॰ एम॰ (मालेगांव)
कांशीराम, श्री (इटावा)
कापसे, श्री राम (ठाणे)
कामत, श्री गुरुदास (मुम्बई-उत्तर पूर्व)
कामसन, प्रो॰ एम॰ (बाह्य मणिपुर)
काम्बले, श्री अरविन्द तुलशीराम (उस्मानाबाद)
कालकादास, श्री (करोलबाग)
कालियापेरूमल, श्री पी॰ पी॰ (कुड्डालोर)
काले, श्री शंकर राव दे (कोपरगांव)
कास्वा, श्री राम सिंह (चुरू)
कासु, श्री वेंकट कृष्ण रेड्डी (नरसारावपेट)
कुड्डुमुला, कुमारी पद्म श्री (नेल्लोर)
कुन्जी लाल, श्री (सवाई माधोपुर)
कुप्पुस्वामी, श्री सी॰ के॰ (कोयम्बटूर)
कुमार, श्री नीतीश (बाढ़)
कुमार, श्री वी॰ धनंजय (मंगलौर)
कुमारमंगलम, श्री रंगराजन (सलेम)
कुरियन, प्रो॰ पी॰ जे॰ (मवेलीकारा)
कुली, श्री बालिन (लखीमपुर)
कुसमरिया, श्री रामकृष्ण (दमोह)
कृष्ण कुमार, श्री एस॰ (क्विलोन)
कृष्ण स्वामी, श्री एम॰ (वन्डिवाशी)
कृष्णेन्द्र कौर (दीपा) श्रीमती (भरतपुर)

केवल सिंह, श्री (भटिंडा)
केशरी लाल, श्री (घाटमपुर)
कैनिथी, डा० विश्वानाथम (श्रीकाकुलम)
कैरों, श्री सुरेन्द्र सिंह (तरणतारण)
कोंताला, श्री रामकृष्ण (अनकापल्ली)
कोरी, श्री गया प्रसाद (जालौन)
कोली, श्री गंगा राम (बयाना)
कौल, श्रीमती शीला (राय बरेली)
क्षीरसागर, श्रीमती केसरबाई सोनाजी (बीड)

ख

खण्डेलवाल, श्री ताराचन्द्र (चांदनी चौक)
खन्ना, श्री राजेश (नई दिल्ली)
खनोरिया, मेजर डी० डी० (कांगड़ा)
खन्डूरी, मेजर जनरल (रिटायर्ड) भुवन चन्द्र (गढ़वाल)
खां, श्री असलम शेर (बेतुल)
खां, श्री गुलाम मौहम्मद (मुरादाबाद)
खां, श्री सुखेन्दु (बिशनुपुर)
खुराना, श्री मदन लाल (दक्षिण दिल्ली)
खुर्शीद, श्री सलमान (फर्रूखाबाद)

ग

गंगवार, डा० परशुराम (पीलीभीत)
गंगवार, श्री संतोष कुमार (बरेली)
गगोई, श्री तरुण (कलियाबोर)
गजपति, श्री गोपी नाथ (बरहामपुर)
गहलौत, श्री अशोक (जोधपुर)
गामीत, श्री छीतूभाई (माण्डवी)
गायकवाड, श्री उदयसिंह राव (कोल्हापुर)
गालिब, श्री गुर चरण सिंह (लुधियाना)
गावीत, श्री माणिकराव होडल्या (नन्दरबार)
गिरि, श्री सुधीर (कोन्टाई)
गिरिजा देवी, श्रीमती (महाराजगंज)
गिरियप्पा, श्री सी० पी० मुदाल (चित्रदुर्ग)
गूंडेवार, श्री विलासराव नागनाथराव (हिंगोली)
गुडाडिन्नी, श्री बी० के० (बीजापुर)
गुप्त, श्री इन्द्रजीत (मिदनापुर)
गोपालन, श्रीमती सुशीला (चिरांचिकिल)
गोमांगो, श्री गिरिधर (कोरापुट)
गोहिल, डा० महावीर सिंह हरिसिंहजी (भावनगर)
गौड, प्रो० के० वेंकटगिरि (बंगलौर दक्षिण)
गौतम, श्रीमति शीला (अलीगढ़)

घ

घंगारे, श्री रामचन्द्र मरोतराव (वर्धा)
घाटोवार, श्री पबन सिंह (डिब्रूगढ़)

च

चक्रवर्ती, प्रो॰ सुशान्त (हावड़ा)
चटर्जी, श्री निर्मल कान्ति (दमदम)
चटर्जी, श्री सोमनाथ (बोलपुर)
चन्द्रशेखर, श्री (बलिया)
चन्द्रशेखर, श्रीमती मारगथम (श्री पेरूम्बुडूर)
चन्द्राकर, श्री चदूलाल (दुर्ग)
चव्हाण, श्री पृथ्वीराज डी॰ (कराड)
चाको, श्री पी॰ सी॰ (त्रिचूर)
चार्ल्स, श्री ए॰ (त्रिवेन्द्रम)
चालिहा, श्री किरिप (गुवाहाटी)
चावड़ा, श्री ईश्वरभाई खोडाभाई (आनन्द)
चावडा, श्री हरिसिंह (बनासकांठा)
चिखलिया, श्रीमती भावना (जूनागढ़)
चिदम्बरम, श्री पी॰ (शिवगंगा)
चिन्ता मोहन, डा॰ (तिरूपति)
चेनित्तला, श्री रमेश (कोट्टायम)
चौधरी, श्री ए॰बी॰ए॰ गनी खां (माल्दा)
चौधरी, श्री कमल (होशियारपुर)
चौधरी, डा॰ के॰ वी॰ आर (राजामुन्दरी)
चौधरी, श्री नारायण सिंह (हिसार)
चौधरी, श्री पंकज (महाराजगंज)
चौधरी,श्री राम टहल (रांची)
चौधरी, श्री राम प्रकाश (अंबाला)
चौधरी, श्री रूद्रसेन
चौधरी, श्री लोकनाथ (जगतसिंहपुर)
चौधरी, श्री संतोष (फिल्लौर)
चौधरी, श्री सैफुद्दीन (कटवा)
चौरे, श्री बापू हरि (धूले)
चौहान, श्री चेतन पी॰ एस॰ (अमरोहा)
चौहान, श्री शिवराज सिंह (विदिशा)

छ

छटवाल, श्री सरताज सिंह (होशंगाबाद)
छोटे लाल, श्री (मोहनलाल गंज)

ज

जंगबीर सिंह, श्री (भिवानी)
जटिया, श्री सत्यनारायण (उज्जैन)
जनार्दन, श्री एम॰ आर॰ कादम्बूर (तिरूनेलवेली)
जय प्रकाश, श्री (हरदोई)
जयमोहन, श्री ए॰ (तिरूपत्तूर)
जसवंत सिंह, श्री (चित्तौड़गढ़)
जांगड़, श्री खेलन राम (बिलासपुर)
जाखड़, श्री बलराम (सीकर)
जाटव, श्री बारे लाल (मुरेना)
जाफर शरीफ, श्री सी॰ के॰ (बंगलौर उत्तर)
जावाली, श्री बीत जी॰ (गुलबर्गा)
जायनल अबेदिन, श्री (जंगीपुर)
जीवरत्नम, श्री आर॰ (अकोनिम)
जेना श्री श्रीकान्त (कटक)
जैस्वाणी, डा॰ खशीराम डुंगरोमल (खेड़ा)
जोशी, श्री अन्ना (पुणे)
जोशी, श्री दाऊ दयाल (कोटा)

झ

झा, श्री भोगेन्द्र (मधुबनी)
झिकराम, श्री मोहनलाल (मांडला)

ट

टंडेल, श्री डी॰ जे॰ (दमन और दीव)
टाईटलर, श्री जगदीश (दिल्ली सदर)
टिंडिवनाम, श्री के॰ राममूर्ति (टिंडिवनाम)
टोपीवाला, श्रीमती दीपिका एच॰ (बड़ौदा)
टोपे, श्री अंकुशराव (जालना)

ठ

ठाकुर, श्री ग्ग्रभाजी मंगाजी (कपड़बंज)
ठाकुर, श्री महेन्द्र कुमार सिंह (खंडवा)

ड

डामोर, श्री सोमजीभाई (दोहद)
डेनिस, श्री एन॰ (नागरकोइल)
डेका, श्री प्रबीन (मंगलदाई)
डेलकर, श्री मोहन एस॰ (दादरा और नगर हवेली)
डोम, डा॰ राम चन्द्र (बीरभुम)

त

तंगकाबालू, श्री के० वी० (धर्मपुरी)
तारा सिंह, श्री (कुरुक्षेत्र)
तीरकी, श्री पीयूष (अलीपुरद्वारस)
तेजनारायण सिंह, श्री (बक्सर)
तोपदार, श्री तरित बरण (बैरकपुर)
तोपनो, कुमारी फ्रिडा (सुन्दरगढ़)
तोमर, डा० रमेश चन्दर (हापुड़)
त्रिपाठी, श्री प्रकाश नारायण (बांदा)
त्रिपाठी, श्री ब्रज किशोर (पुरी)
त्रिपाठी, श्री लक्ष्मीनारायण मणि (कैसरगंज)
त्रिवेदी, श्री अरविन्द (साबरकंठा)

थ

थामस, प्रो० के० वी० (एरणाकुलम)
थामस, श्री पी० सी० (मुवत्तुपुजा)
थुंगन, श्री पी० के० (अरुणाचल पश्चिम)
थोरात, श्री संदीपन भगवान (पंढरपुर)

द

दत्त, श्री अमल (डायमंड हार्बर)
दत्त, श्री सुनील (मुम्बई-उत्तर पश्चिम)
दलबीर सिंह, श्री (शहडोल)
दादाहूर, श्री गुरूचरण सिंह (संगरूर)
दास, श्री अनादि चरण (जाजपुर)
दास, श्री जितेन्द्र नाथ (जलपाईगुड़ी)
दास, श्री द्वारकानाथ (करीमगंज)
दास, श्री राम सुन्दर (हाजीपुर)
दिग्विजय सिंह, श्री (राजगढ़)
दिघे, श्री शरद (मुम्बई-उत्तर मध्य)
दीक्षित, श्री श्रीश चन्द्र (वाराणसी)
दीवान, श्री पवन (महासमुन्द)
दुबे, श्रीमती सरोज (इलाहाबाद)
देव, श्री संतोष मोहन (त्रिपुरा-पश्चिम)
देवगौड़ा, श्री एच० डी० (हसन)
देवड़ा, श्री मुरली (मुम्बई, दक्षिण)
देवराजन, श्री बी० (रासिपुरम)

देवी, श्रीमती विभू कुमारी (त्रिपुरा-पूर्व)
देशमुख, श्री अनन्तराव (वाशिम)
देशमुख, श्री अशोक आनन्दराव (परभनी)
देशमुख, श्री चन्दूभाई (भड़ौच)
द्रोण, श्री जगत बीर सिंह (कानपुर)

ध

धर्मभिक्षम, श्री (नाल गोंडा)
धूमल, प्रो॰ प्रेम (हमीरपुर)

न

नंदी, श्री येल्लैया (सिद्दीपेट)
नवले, श्री विदुरा विठोबा (खेड़)
नाईक, श्री राम (मुम्बई उत्तर)
नायक, श्री ए॰ वेंकटेश (रायचूर)
नायक, श्री जी॰ देवराय (कनारा)
नायक, श्री मृत्युंजय (फूलबनी)
नायक, श्री सुबास चन्द्र (कालाहांडी)
नायकर, श्री डी॰ के॰ (धारवाड़ उत्तर)
नाराषणन, श्री के॰ आर॰ (ओट्टापलम)
नारायणन, श्री पी॰ ज़ी॰ (गोबिचेट्टिपालयम)
निकाम, श्री गोविन्दराव (रत्नागिरी)
नेताम, श्री अरविन्द (काकेर)
न्यामगौड़, श्री सिद्दप्पा भीमप्पा (बागलकोट)

प

पंडियन, श्री डी॰ (मद्रास-उत्तर)
पंवार, श्री हरपाल (कैराना)
पटनायक, श्री शरत चन्द्र (बोलंगीर)
पटनायक, श्री शिवाजी (भुवनेश्वर)
पटेल, डा॰ अमृत लाल कालिदास (मेहसाना)
पटेल, श्री उत्तमभाई हारजीभाई (बलसाड़ा)
पटेल, श्री चन्द्रेश (जामनगर)
पटेल, श्री प्रफुल (भंडारा)
पटेल, श्री बृशिण (सीवान)
पटेल, श्री भीमसिंह (रीवा)
पटेल, श्री रामपूजन (फूलपुर)
पटेल, श्री श्रवण कुमार (जबलपुर)
पटेल, श्री सोमाभाई (सुरेन्द्र नगर)
पटेल, श्री हरिभाई (पोरबन्दर)

पटेल, श्री हरिलाल ननजी (कच्छ)
डा० (श्रीमती) पद्मा (नागापट्टीनम)
पवार, श्री डा० बसंत (नासिक)
पवार, श्री शरद (बारामती)
पांजा, श्री अजित (कलकत्ता उत्तर-पूर्व)
पाटिल, श्री यशवंतराव (अहमद नगर)
पाटिल, श्री शिवराज वी० (लातूर)
पाटीदार, श्री रामेश्वर (खारगोन)
पाटील, श्री अवरी बसवराज (कोप्पल)
पाटील, श्री उत्तमराव देवराव (यवतमाल)
पाटील, श्री प्रकाश वी० (सांगली)
पाटील, श्रीमती प्रतिभा देवीसिंह (अमरावती)
पाटील, श्री विजय एन० (इरूदोल)
पाटील, श्रीमती सूर्यकान्ता (नान्देड़)
पाठक, श्री सुरेन्द्र पाल (शाहबाद)
पाठक, श्री हरिन (अहमदाबाद)
पाणिग्रही, श्री श्रीबल्लभ (देवगढ़)
पाण्डेय, डा० लक्ष्मी नारायण (मंदसौर)
पात्र, डा० कार्तिकेश्वर (बालासौर)
पायलट, श्री राजेश (दौसा)
पाल, डा० देवी प्रसाद (कलकत्ता उत्तर-पश्चिम)
पाल, श्री रूपचन्द (हुगली)
पालाचोला, श्री वी० आर० नायडू (खम्माम)
पासवान, श्री छेदी (सासाराम)
पासवान, श्री राम विलास (रोसैड़ा)
पासवान, श्री सुकदेव (अररिया)
पासी, श्री बलराज (नैनीताल)
पुरकायस्थ, श्री कबीन्द्र (सिल्वर)
पूसापति, श्री आनन्दगजपति राजू (बोब्बिली)
पेरूमान, डा० पी० वल्लल (चिदम्बरम)
पोतदुखे, श्री शांताराम (चन्द्रपुर)
प्रकाश, श्री शशि (चैल)
प्रधानी, श्री के० (नवरंगपुर)
प्रभु, श्री आर० (नीलगिरिस)
प्रभुझांट्ये, श्री हरीश नारायण (पणजी)
प्रमाणिक, श्री राधिका रंजन (मथुरापुर)
प्रसाद, श्री वी० श्रीनिवास (चामराज नगर)
प्रसाद, श्री हरि केवल (सलेमपुर)
प्रेम, श्री बी० एल० शर्मा (पूर्व दिल्ली)
प्रेमी, श्री मंगलराम (बिजनौर)

फ

फर्नान्डीज, श्री ओस्कार (उदीपी)
फर्नान्डीज, श्री जार्ज (मुजफ्फरपुर)
फातमी, श्री मोहम्मद अली अशरफ (दरभंगा)
फारूक, श्री एम॰ ओ॰ एच॰ (पांडिचेरी)
फुंडकर, श्री पांडुरंग पुंडलिक (अकोला)
फैलीरो, श्री एडुआर्डो (मारमागाओ)

ब

बंडारू, श्री दत्तात्रेय (सिकन्दराबाद)
बंसल, श्री पवन कुमार (चंडीगढ़)
बनर्जी, कुमारी ममता (कलकत्ता-दक्षिण)
बरार, श्री जगमीत सिंह (फरीदकोट)
बर्मन, श्री उद्धव (बारपेटा)
बर्मन, श्री पलास (बलूरघाट)
बसु, श्री अनिल (आरामबाग)
बसु, श्री चित्त (बारसाट)
बाला, डा॰ असीम (नवद्वीप)
बालयोगी, श्री जी॰ एम॰ सी॰ (अमालापुरम)
बालियान, श्री नरेश कुमार (मुजफ्फरनगर)
बीरबल, श्री (गंगानगर)
बूटासिंह, श्री (जालौर)
बैरवा, श्री राम नारायण (टोंक)
बैठा, श्री महेन्दर (बगहा)
ब्रह्मो चौधरी, श्री सत्येन्द्रनाथ (कोकराझार)

भ

भक्त, श्री मनोरंजन (अंडमान और निकोबार द्वीप समूह)
भगत, श्री विश्वेश्वर (बालाघाट)
भट्टाचार्य, श्री नानी (बरहामपुर)
भट्टाचार्य, श्रीमती मालिनी (जादवपुर)
भडाना, श्री अवतार सिंह (फरीदाबाद)
भण्डारी, श्रीमती दिल कुमारी (सिक्किम)
भाग्ये गोबर्धन, श्री (मयूरभंज)
भाटिया, श्री रघुनन्दन लाल (अमृतसर)
भारद्वाज, श्री परसराम (सारगढ़)
भार्गव, श्री गिरधारी लाल (जयपुर)
भूरिया, श्री दिलीप सिंह (झाबुआ)
भौंसले, श्री तेजसिंह राव (रामटेक)
भौंसले, श्री प्रतापराव बी॰ (सतारा)
भोई, डा॰ कृपासिन्धु (सम्बलपुर)

म

मंजय लाल, श्री (समस्तीपुर)
मंडल, श्री ब्रह्मानन्द (मुंगेर)
मंडल, श्री सनत कुमार (जयनगर)
मंडल, श्री सूरज (गोड्डा)
मधुकर, श्री कमला मिश्र (मोतिहारी)
मनफूल सिंह, श्री (बीकानेर)
मरबनिआंग, श्री पीटर जी० (शिलांग)
मरान्डी, श्री कृष्ण (सिंहभूम)
मराण्डी, श्री साईमन (राजमहल)
मलिक, श्री धर्मपाल सिंह (सोनीपत)
मलिक, श्री पूर्ण चन्द्र (दुर्गापुर)
मल्लिकार्जुन, श्री (महबूबनगर)
मल्लिकारजुनय्या, श्री एस० (तुमकुर)
मल्लू, डा० आर० (नगर कुरनूल)
मसूद, श्री रशीद (सहारनपुर)
महतो, श्री बीर सिंह (पुरूलिया)
महतो, श्री राजकिशोर (गिरिडीह)
महतो, श्री शैलेन्द्र (जमशेदपुर)
महाजन, श्रीमती सुमित्रा (इन्दोर)
महेन्द्र, कुमारी, श्रीमती (अलवर)
माडे गौडा, श्री जी० (माण्डया)
माणे, श्री राजाराम शंकरराव (इचलकरांजी)
माथुर, श्री शिव चरण (भीलवाड़ा)
मिर्धा, श्री नाथूराम (नागौर)
मिर्धा, श्री रामनिवास (बाड़मेर)
मिश्र, श्री जनार्दन (सीतापुर)
मिश्र, श्री राम नगीना (पडरौना)
मिश्र, श्री श्याम बिहारी (बिलहोर)
मिश्र, श्री सत्यगोपाल (तामलुक)
मीणा, श्री भेरू लाल (सलूम्बर)
मुखर्जी, श्रीमती गीता (पंसकुरा)
मुखर्जी, श्री सुब्रत (रायगंज)
मुखोपाध्याय, श्री अजय (कृशनगर)
मुजाहिद, श्री बी०एम० (धारवाड-दक्षिण)
मुण्डा, श्री कड़िया (खूंटी)
मुत्तेमवार, श्री विलास (चिमूर)
मुनियप्पा, श्री के०एच० (कोलार)
मुन्डा, श्री गोविन्द्र चन्द्र (क्योंझर)
मुरलीधरन, श्री के० (कालीकट)

मुरूगेसन, डा॰ एन॰ (करूर)
मुरूमु, श्री रूप चंद (झाड़ग्राम)
मूर्ति, श्री एम॰वी॰ चन्द्रशेखर (कनकपुरा)
मूर्ति, श्री एम॰वी॰वी॰एस॰ (विशाखापटनम)
मेघे, श्री दत्ता (नागपुर)
मेहता, श्री भुवनेश्वर प्रसाद (हजारीबाग)
मैथ्यू, श्री पाला के॰एम॰ (इदुक्की)
मोहल्लाह, श्री हन्नान (उलुबेरिया)
मोहन सिंह, श्री (फिरोजपुर)
मौर्य, श्री आनन्द रत्न (चंदौली)

य

यादव, श्री अर्जुन सिंह (जौनपुर)
यादव, श्री चन्द्रजीत (आजमगढ़)
यादव, श्री चुन चुन प्रसाद (भागलपुर)
यादव, श्री छोटे सिंह (कन्नौज)
यादव, श्री देवेन्दर प्रसाद (झंझारपुर)
यादव, श्री राम लखन सिंह (आरा)
यादव, श्री राम शरण (खगरिया)
यादव, श्री विजय कुमार (नालन्दा)
यादव, डा॰ एस॰पी॰ सिंह (सम्भल)
यादव, श्री सत्यपाल सिंह (शाहजहांपुर)
यादव, श्री सूर्यनारायण (सहरसा)
यादव, श्री शरद (मधेपुरा)
युमनाम, श्री याइमा सिंह (आंतरिक मणिपुर)

र

रंगपी, डा॰ जयन्त (स्वशासी जिला)
रथ, श्री रामचन्द्र (आसका)
राजनारायण, श्री (बासगांव)
राजरविवर्मा, श्री बी॰ (पोल्लाची)
राजुलु, डा॰ आर॰के॰जी॰ (शिवकासी)
राजू, श्री भू॰ विजयकुमार (नरसापुर)
राजे, श्रीमती वसुन्धरा (झालावाड़)
राजेन्द्रकुमार, श्री एस॰एस॰आर॰ (चिंगलपट्टू)
राजेश कुमार, श्री (गया)
राजेश्वरण, डा॰ वी॰ (रामनाथपुरम)
राजेश्वरी, श्रीमती बासवा (बेल्लारी)
राठवा, श्री एन॰ जे॰ (छोटा उदयपुर)
राणा, श्री काशीराम (सूरत)
राम अवध, श्री (अकबरपुर)

राम, श्री प्रेमचन्द (नवादा)
रामचन्द्रन, श्री मुल्लापल्ली (कन्नानोर)
रामदेव राम, श्री (पलामू)
राम बदन, श्री (लालगंज)
राम बाबू, श्री ए० जी० एस० (मदुरै)
राममूर्ति, श्री के० (कृष्णागिरि)
राम सागर, श्री (बाराबंकी)
राम सिंह, श्री (हरिद्वार)
रामासामी, श्री राजगोपाल नायडू (पेरियाकुलम)
रामय्या, श्री बोल्ला बुली (एलरू)
राय, श्री एम० रमन्ना (कासरगौड़)
राय, श्री कल्पनाथ (घोसी)
राय, श्री नवल किशोर (सीतामढ़ी)
राय, श्री रवि (केन्द्रपारा)
राय, श्री रामनिहोर (राबर्ट्सगंज)
राय, श्री लाल बाबू (छपरा)
राय, डा० सुधीर (बर्दवान)
राय, श्री हाराधन (आसनसोल)
रायचौधरी, श्री सुदर्शन (सीरमपुर)
रायप्रधान, श्री अमर (कूचबिहार)
राव, श्री डी० वेंकटेश्वर (बापूतला)
राव, श्री जे० चोक्का (करीमनगर)
राव, श्री पी०वी० नरसिंह (नन्दयाल)
राव, राम सिंह कर्नल (महेन्द्रगढ़)
राव, श्री वी० कृष्ण (चिक्बल्लापुर)
रावत, श्री प्रभु लाल (बांसवाडा)
रावत, श्री भगवान शंकर (आगरा)
रावत, प्रो० रासा सिंह (अजमेर)
रावल, डा० लाल बहादुर) (हाथरस)
रावले, श्री मोहन (मुम्बई-दक्षिण मध्य)
राही, श्री राम लाल (मिश्रिख)
रेड्डय्या यादव, श्री के० पी० (मछलीपटनम)
रेड्डी, श्री आर० सुरेन्द्र (वारंगल)
रेड्डी, श्री ए० इन्द्रकरन (आदिलाबाद)
रेड्डी, श्री ए० वेंकट (अनन्तपुर)
रेड्डी, श्री एम० बागा (मेडक)
रेड्डी, श्री जी० गंगा (निज़ामाबाद)
रेड्डी, श्री मगुन्टा सुब्बारामा (ओंगोले)
रेड्डी, श्री एम० जी० (चित्तूर)

रेड्डी, श्री बी॰ एन॰ (मिरयालगुडा)
रेड्डी, श्री के॰ विजय भास्कर (करनूल)
रेड्डी, श्री वाई॰ एस॰ राजशेखर (कुडप्पा)
रोशन लाल, श्री (खुर्जा)

ल

लक्ष्मणन, प्रो॰ सावित्री (मुकुन्दपुरम)
लालजान बाशा, श्री एस॰ एम॰ (गुन्टूर)
लोढा, श्री गुमान मल (पाली)

व

वर्मा, श्री उपेन्द्र नाथ (चतरा)
वर्मा, श्री फूलचन्द (शाजापुर)
वर्मा, श्री भवानीलाल (जांजगीर)
वर्मा, श्री रतिलाल (धन्धुका)
वर्मा, प्रो॰ रीता (धनबाद)
वर्मा, कु॰ विमला (सिवनी)
वर्मा, श्री शिव शरण (मछलीशहर)
वर्मा, श्री सुशील चन्द्र (भोपाल)
वाजपेयी, श्री अटल बिहारी (लखनऊ)
वाघेला, श्री शंकर सिंह (गोधरा)
वाड्डे, श्री शोभनाद्रीश्वर राव (विजयवाड़ा)
वान्डायार, श्री के॰ बुलसिएया (थंजावुर)
वासनिक, श्री मुकुल बालकृष्ण (बुलढाना)
विजयराघवन, श्री वी॰ एस॰ (पालघाट)
विलियम्स, मेजर जनरल आर॰जी॰ (नाम निर्देशित आंग्ल भारतीय)
वीरप्पा, श्री रामचन्द्र (बीदर)
वीरेन्द्र सिंह, श्री (मिर्जापुर)
वेकारिया, श्री शिवलाल नागजी भाई (राजकोट)
व्यास, डा॰ गिरिजा (उदयपुर)

श

शंकरानन्द, श्री बी॰ (चिकोडी)
शर्मा, कैप्टन सतीश कुमार (अमेठी)
शर्मा, श्री चिरंजी लाल (करनाल)
शर्मा, श्री जीवन (अल्मोडा)
शर्मा, श्री राजेन्द्र कुमार (रामपुर)
शर्मा, श्री विश्वनाथ (हमीरपुर)
शाक्य, डा॰ महादीपक सिंह (एटा)
शास्त्री, आचार्य विश्वनाथ दास (सुल्तानपुर)
शास्त्री, श्री राजनाथ सोनकर (सैदपुर)

शास्त्री, श्री विश्वनाथ (गाजीपुर)
शाह, श्री मानवेन्द्र (टिहरी-गढ़वाल)
शिगडा, श्री डी० बी० (दहानू)
शिवप्पा, श्री के० जी० (शिमोगा)
शुक्ल, श्री अष्टभुजा प्रसाद (खलीलाबाद)
शुक्ल, श्री विद्याचरण (रायपुर)
शैलजा, कुमारी (सिरसा)
श्रीधरण, डा० राजगोपालन (मद्रास दक्षिण)
श्रीनिवासन, श्री सी० (डिण्डिगुल)

स

संगमा, श्री पूर्णो ए० (तुरा)
संघानी, श्री दिलीप भाई (अमरेली)
सईद, श्री पी० एम० (लक्षद्वीप)
सज्जन कुमार, श्री (बाह्य दिल्ली)
सत्रुचार्ला, श्री विजयराम राजू (पार्वतीपुरम)
सरस्वती, श्री योगानन्द (भिंड)
सरोदे, डा० गुणवन्त रामभाऊ (जलगांव)
सलीम, श्री मुहम्मद यूनुस (कटिहार)
साक्षी, जी; डा० (मथुरा)
सादुल, श्री धर्मण्णा मोडय्या (शोलापुर)
सानीपल्ली, श्री गंगाधरा (हिन्दुपुर)
साय, श्री ए० प्रताप (राजकोट)
सावन्त, श्री सुधीर (राजापुर)
सावे, श्री मोरेश्वर (औरंगाबाद)
साही, श्रीमती कृष्णा (बेगूसराय)
सिंगला, श्री संतराम (पटियाला)
सिंधिया, श्रीमती विजयराजे (गुना)
सिंधिया, श्री माधवराव (ग्वालियर)
सिदनाल, श्री एस० बी० (बेलगांव)
सिद्धार्थ, श्रीमती डी० के० तारादेवी (चिकमग़लूर)
सिलवेरा, डा० सी० (मिजोरम)
सिंह, श्री अभय प्रताप (प्रतापगढ़)
सिंह, श्री अर्जुन (सतना)
सिंह, श्री उदय प्रताप (मैनपुरी)
सिंह, श्री खेलसाय (सरगुजा)
सिंह, डा०, छत्रपाल (बुलन्दशहर)
सिंह, श्री देवी बक्स (उन्नाव)
सिंह, कु० पुष्पा देवी (रायगढ़)

सिंह, श्री प्रातप (बांका)
सिंह, श्री बृजभूषण शरण (गोण्डा)
सिंह, श्री मोतीलाल (सीधी)
सिंह, श्री मोहन (देवरिया)
सिंह, श्री राजवीर (आंवला)
सिंह, श्री रामनरेश (औरंगाबाद)
सिंह, श्री रामपाल (डुमरियागंज)
सिंह, श्री राम प्रसाद (विक्रमगंज)
सिंह, श्री रामाश्रय प्रसाद (जहानाबाद)
सिंह, श्री विश्वनाथ प्रताप (फतेहपुर)
सिंह, श्री शिवशरण (वैशाली)
सिंह, श्री शिवेन्द्र बहादुर (राजनंदगांव)
सिंह, श्री सत्यदेव (बलरामपुर)
सिंह, श्री सूर्य नारायण (बलिया)
सिंह, श्री हरि किशोर (शिवहर)
सिंह देव, श्री के० पी० (देकानाल)
सुखराम, श्री (मंडी)
सुखबंस कौर, श्रीमती (गुरूदासपुर)
सुन्दरराज, श्री एन० (पुडुक्कोट्टाई)
सुब्बाराव, श्री थोटा (काकिनाडा)
सुर, श्री मनोरंजन (बसीरहाट)
सुरेश, श्री कोड्डीकुनील (अडूर)
सुल्तानपुरी, श्री कृष्ण दत्त (शिमला)
सेट, श्री इब्राहिम सुलेमान (पोन्नानी)
सेठी, श्री अर्जुन चरण (भद्रक)
सैकिया, श्री मुहीराम (नोगोंग)
सैयद, श्री शाहाबुद्दीन (किशनगंज)
सोडी, श्री ननकूराम (बस्तर)
सोरेन, श्री शिबू (दुमका)
सोलंकी, श्री सूरजभानु (धार)
सौन्द्रम, डा० (श्रीमती) के० एस० (तिरूचेंगौड़)
स्वामी, श्री चिन्मयानन्द (बदायूं)
स्वामी, श्री जी० वेंकट (पेड्डापल्ली)
स्वामी, श्री सुरेशानन्द (जलेसर)

ह

हरचन्द सिंह, श्री (रोपड़)
हूड्डा, श्री भूपेन्द्र सिंह (रोहतक)
हान्डिक, श्री विजय कृष्ण (जोरहाट)
हुसैन, श्री सैयद मसूदल (मुर्शिदाबाद)

लोक सभा

अध्यक्ष

श्री शिवराज वी॰ पाटिल

उपाध्यक्ष

श्री एस॰ मल्लिकारजुनय्या

सभापति तालिका

श्री शरद दिघे
श्री रशीद मसूद
श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य
श्री पी॰ एम॰ सईद
श्री राम नाईक

महासचिव

श्री सी॰ के॰ जैन

भारत सरकार

मंत्रिमण्डल के सदस्य

प्रधानमंत्री तथा कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन; विज्ञान और प्रौद्योगिकी, महासागर विकास; इलैक्ट्रानिकी; परमाणु ऊर्जा; अंतरिक्ष; रसायन और उर्वरक; ग्रामीण विकास; नागरिक पूर्ति और सार्वजनिक वितरण; अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालयों/विभागों के प्रभारी तथा उद्योग मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार तथा अन्य उन विषयों के प्रभारी, जो मंत्रिमण्डल स्तर के किसी अन्य मंत्री अथवा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) को नहीं दिए गए हैं।	श्री पी॰ वी॰ नरसिंह राव
मानव संसाधन विकास मंत्री	श्री अर्जुन सिंह
कृषि मंत्री	श्री बलराम जाखड़
गृह मंत्री	श्री एस॰ बी॰ चव्हाण
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री	श्री एम॰ एल॰ फोतेदार
संसदीय कार्य मंत्री	श्री गुलाम नबी आजाद
रेल मंत्री	श्री सी॰ के॰ जाफर शरीफ
शहरी विकास मंत्री	श्रीमती शीला कौल
कल्याण मंत्री	श्री सीताराम केसरी
विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री	श्री के॰ विजय भास्कर रेड्डी
नागर विमानन और पर्यटन मंत्री	श्री माधवराव सिंधिया
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री	श्री बी॰ शंकरानन्द
जल संसाधन मंत्री	श्री विद्याचरण शुक्ल
वित्त मंत्री	श्री मनमोहन सिंह
रक्षा मंत्री	श्री शरद पवार

राज्य मंत्री

(स्वतंत्र प्रभार)

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री	श्री पी॰ चिदम्बरम
योजना एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्री सुख राम
इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री	श्री संतोष मोहन देव
वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री	श्री अशोक गहलोत
खाद्य मंत्रालय के राज्य मंत्री	श्री तरूण गगोई
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री	श्री गिरिधर गोमांगो
पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री	श्री कमल नाथ
सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री	श्री अजित पांजा
संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री	श्री राजेश पायलट
विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री	श्री कल्प नाथ राय
कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री	श्री पी॰ ए॰ संगमा
जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री	श्री जगदीश टाईटलर
खान मंत्रालय के राज्य मंत्री	श्री बलराम सिंह यादव

राज्य मंत्री

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्री कमालुद्दीन अहमद
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्रीमती मार्गरेट अल्वा
शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्री एम॰ अरूणाचलम
मानव संसाधन विकास मंत्रालय (युवा कार्य और खेलकूद विभाग तथा महिला और बाल विकास विभाग) में राज्य मंत्री	कुमारी ममता बनर्जी
विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्री एडुआर्डो फैलीरो
नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय (नागर विमानन विभाग) में राज्य मंत्री	श्री एम॰ ओ॰ एच॰ फारूक
संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्री एम॰ एम॰ जैकब
विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्री एच॰ आर॰ भारद्वाज
उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) में राज्य मंत्री	श्रीमती कृष्णा साही
नागर विमानन एवं पर्यटन मंत्रालय (पर्यटन विभाग) में राज्य मंत्री	श्रीमती सुखबंस कौर
संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय (इलेक्ट्रानिकी तथा महासागर विकास विभाग) में राज्य मंत्री	श्री रंगराजन कुमारमंगलम
पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्री एस॰ कृष्ण कुमार

उद्योग मंत्रालय (लघु उद्योग तथा कृषि एवं ग्रामीण उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री	प्रो॰ पी॰ जे॰ कुरियन
कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्री के॰ सी॰ लेंका
रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्री मल्लिकार्जुन
रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री	डा॰ चिन्ता मोहन
ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री	श्री उत्तमभाई एच॰ पटेल
वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्री शांताराम पोतदुखे
कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन
वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्री दलबीर सिंह
ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री	श्री जी॰ वेंकट स्वामी
उद्योग मंत्रालय (भारी उद्योग विभाग एवं सार्वजनिक उद्यम विभाग) में राज्य मंत्री	श्री पी॰ के॰ थुगन
वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्री रामेश्वर ठाकुर
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्रीमती डी॰ के॰ तारादेवी सिद्धार्थ
विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्री आर॰ एल॰ भाटिया
ग्रामीण विकास मंत्रालय (बंजर भूमि विकास विभाग) में राज्य मंत्री	कर्नल राम सिंह

उप-मंत्री

श्रम मंत्रालय में उप मंत्री	श्री पवन सिंह घाटोवार
कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री	श्रीमती के॰ कमला कुमारी
वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री	श्री सलमान खुर्शीद
संचार मंत्रालय में उप मंत्री	श्री पी॰ वी॰ रंगय्या नायडू
गृह मंत्रालय में उप मंत्री	श्री राम लाल राही
सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री	कुमारी गिरिजा व्यास
कोयला मंत्रालय में उप मंत्री	श्री एस॰ बी॰ न्यामगौड
मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उप मंत्री	कुमारी शैलजा

लोक सभा वाद-विवाद (हिन्दी संस्करण)

लोक सभा

बुधवार, 8 जुलाई, 1992/17 आषाढ़, 1914 (शक)

लोक सभा 11 बजे म० पू० पर समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: आप सभी का स्वागत है।

सदस्यों द्वारा शपथ ग्रहण

श्री राज किशोर महतो (गिरिडीह)
श्री राजेश खन्ना (नई दिल्ली)

11-03 म० पू०

मंत्रियों का परिचय

अध्यक्ष महोदय: मेरा विचार है कि माननीय प्रधानमंत्री जी नये मंत्रियों का सभा में परिचय करवाना चाहेंगे।

प्रधानमंत्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव): महोदय, मैं अपने उन साथियों का परिचय करवाना चाहूंगा जिन्हें हाल ही में मंत्री परिषद में शामिल किया गया है।

श्री सुख राम	: योजना एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री रघुनंदन लाल भाटिया	: विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री राव राम सिंह	: ग्रामीण विकास मंत्रालय (बंजर भूमि विकास विभाग) में राज्य मंत्री
श्रीमती कृष्णा साही	: उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) में राज्य मंत्री
श्रीमती सुखबंस कौर	: नागर विमानन एवं पर्यटन मंत्रालय (पर्यटन विभाग) में राज्य मंत्री
कुमारी शैलजा	: मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उपमंत्री

11-05 म०पू०

निधन संबंधी उल्लेख

अध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्यगण, चूंकि आज हम एक माह से अधिक समय के अन्तराल के बाद एकत्रित हुए हैं, तो मेरा यह दुखद कर्त्तव्य बनता है कि वर्तमान सदस्य श्री यश के दुखद निधन की सूचना सभा में दी जाए। आज हम अपने तीन भूतपूर्व साथियों सर्वश्री सी० एम० केदारिया, हाकम सिंह तथा सचिन्द्र चौधरी के निधन पर भी शोक प्रकट करते हैं।

श्री यश एक प्रतिष्ठित सांसद, एक प्रसिद्ध पत्रकार और एक कुशल प्रशासक थे। श्री यश वर्तमान में पंजाब के जालन्धर निर्वाचन क्षेत्र का सभा में प्रतिनिधित्व कर रहे थे।

इस सभा में आने से पूर्व श्री यश ने अपने गृह राज्य पंजाब में उल्लेखनीय योगदान दिया। वह 1952 और 1956 में दो बार पंजाब विधान परिषद के लिये निर्वाचित हुए और 1962, 1972 तथा 1980 में तीन बार पंजाब विधान सभा के लिए निर्वाचित हुए। पंजाब में एक मंत्री के रूप में श्री यश ने विभिन्न पदों पर कार्य किया।

श्री यश एक प्रसिद्ध स्वतन्त्रता सेनानी थे, जो अनेकों वर्ष तक जेल में रहे। वह एक निर्भिक पत्रकार थे और देश के लिये उन्होंने अमूल्य योगदान दिया। पंजाब से प्रकाशित होने वाले समाचार-पत्रों के मिलाप ग्रुप के माध्यम से प्रकाशन माध्यमों को दिये गये उनके योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। उनके साहसी और नवीनतम पत्रकारिक उपलब्धियों के लिये अनेक राज्यों ने उन्हें सम्मान दिया।

उन्होंने खूब भ्रमण किया और 1972 में संयुक्त राष्ट्र संघ में वह भारत के प्रतिनिधि थे। उनमें अध्ययन करने की गहन अभिलाषा थी और वह एक प्रभूत लेखक थे। श्री यश ने अनेक प्रसिद्ध साहित्यिक रचनायें लिखी।

श्री यश का निधन 73 वर्ष की आयु में 2 जून, 1992 को जालन्धर में हुआ।

उनके निधन से देश ने एक सच्चा राष्ट्रवादी, एक सक्रिय सांसद और एक विख्यात पत्रकार खो दिया है।

श्री सी० एम० केदारिया ने गुजरात राज्य के मंदावी निर्वाचन क्षेत्र का 1957—70 की अवधि में लगातार तीन बार दूसरी, तीसरी तथा चौथी लोक सभा के लिये प्रतिनिधित्व किया।

श्री केदारिया एक कृषक और एक सक्रिय सामाजिक तथा राजनैतिक कार्यकर्ता थे। उन्होंने गुजरात राज्य के नियोजित विकास के लिये बढ़चढ़ कर कार्य किया। वह राज्य योजना बोर्ड और औद्योगिक सलाहकार समिति से भी संबद्ध रहे।

श्री केदारिया ने आदिवासियों और समाज के दूसरे कमजोर वर्गों के कल्याण के क्रियाकलापों में भाग लिया और इनमें गहरी रुचि दिखाई।

उन्होंने अपने राज्य के सर्वोदय कार्यक्रम और भू-दान आन्दोलन में भी भाग लिया।

वह एक योग्य सांसद थे और उन्होंने इस सभा की प्रक्रियाओं में अमूल्य योगदान दिया। अपने लम्बे सांसदीय जीवन के दौरान वह प्राक्कलन समिति के दो बार सदस्य रहे।

श्री सी०एम० केदारिया का निधन 79 वर्ष की आयु में 7 मई, 1992 को हुआ।

श्री हाकम सिंह पंजाब राज्य के भटिण्डा निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हुए 1980-84 के दौरान सातवीं लोक सभा के सदस्य रहे।

श्री सिंह कृषि व्यवसाय से जुड़े थे। वह एक सुप्रसिद्ध राजनैतिक और सामाजिक कार्यकर्ता थे।

श्री सिंह एक सक्रिय सांसद थे जो कि पंचायत स्तर से इस उच्चतम संसदीय स्तर तक पहुंचे और उन्होंने गरीब लोगों और किसानों के कल्याण के लिये कार्य किया। उन्होंने समाज के कमजोर और दलित वर्गों की समस्याओं पर इस सभा का ध्यान आकर्षित करने का एक भी अवसर हाथ से जाने नहीं दिया।

श्री हाकम सिंह का निधन 49 वर्ष की आयु में 29 मई, 1992 को गोली लगने के कारण हुआ।

श्री सचिन्द्र चौधरी पश्चिम बंगाल के घटल निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हुए 1962-67 के दौरान तीसरी लोक सभा के सदस्य रहे।

श्री चौधरी विविध दिलचस्पी के व्यक्ति थे। उन्होंने विधि के क्षेत्र में व्यवसाय अपनाया और कलकत्ता उच्च न्यायालय में वकालत शुरू की और लगभग 37 वर्षों तक इसी व्यवसाय से संबंद्ध रहे। अपने इस लम्बे व्यावसायिक जीवन में उन्होंने न केवल भारत में, बल्कि इग्लैण्ड के हाऊस आफ लार्ड्स में भी कई मुकदमें लड़े।

श्री चौधरी ने खूब भ्रमण किया और उन्होंने 1949, में और फिर 1951 में संयुक्त राष्ट्र महा-सभा में देश का दो बार प्रतिनिधित्व किया। उन्होंने 1959-61 की अवधि के बीच विधि आयोग को भी सेवादान दिया।

केन्द्रीय मंत्री परिषद के सदस्य के नाते श्री चौधरी ने 1966-67 के बीच दो बार वित्त विभाग संभाला।

श्री चौधरी की खेलों और क्रीडाओं में तथा अन्य सामाजिक और सांस्कृतिक क्रियाक्लापों में गहरी रुचि थी और वह विभिन्न स्तरों पर विविध संगठनों से जुड़े रहे।

श्री सचिन्द्र का का निधन 89 वर्ष की आयु में 12 जून 1992 को एक लम्बी बीमारी के कारण हुआ।

उनके निधन से देश ने एक विख्यात सार्वजनिक व्यक्तित्व और एक प्रतिष्ठित विधि-विज्ञ खो दिया है।

हम अपने इन साथियों के निधन पर गहरा शोक व्यक्त करते हैं और मुझे शोकाकुल परिवार के प्रति सांत्वना व्यक्त करने की घड़ी में यह सभा भी मेरे साथ है।

अब सदस्यगण दिवंगत आत्माओं के सम्मान में थोड़ी देर के लिए मौन खड़े रहें।

11.10 म० पू०

तत्पश्चात् सदस्यगण दो मिनट तक मौन खड़े रहे।

(व्यवधान)

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी (दमदम): महोदय, हमने स्थगन प्रस्ताव और प्रश्न-काल के स्थगन की सूचना दे रखी है। **(व्यवधान)**

11-11 म०पू०

कुम्हेर (राजस्थान) में हुई हत्याओं के बारे में

[हिन्दी]

श्री रामविलास पासवान (रोसेड़ा): अध्यक्ष जी, मैंने नियम 388 के तहत नोटिस दिया है जो कुम्हेर में घटना हुई है उसके बारे में और जिस तरह से वहां बच्चों को तथा दलितों को घेर कर मारा गया है और नर-बलि दी गई है, वह सर्वविदित है। वहां सभी पार्टियों के लोग होकर आए हैं। बूटा सिंह जी यहां मौजूद हैं, बी०जे०पी० के लोग भी यहां मौजूद हैं, वे भी गए हैं। जाखड़ साहब बैठे हैं, वे पता नहीं क्यों चुप हैं। नटवरसिंह जी गए थे। सबने अपनी आंखों से वहां का हाल देखा है। जिस तरह से वहां जघन्य घटना घटी है, मैं समझता हूं कि आज तक के भारत के इतिहास में ऐसा नरसंहार नहीं हुआ जैसा कुम्हेर में हुआ है। **(व्यवधान)**

श्री मदन लाल खुराना: (दक्षिण दिल्ली) अध्यक्ष जी, बिहार में क्या होता है?..**(व्यवधान)**

श्री दाऊ दयाल जोशी (कोटा): अध्यक्ष जी, नर-बलि की बात सत्य नहीं है। इन्हीं की पार्टी के लोगों ने स्वयं इस बात का खण्डन किया है। ... **(व्यवधान)**

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मैं आपकी भावनाओं को समझ सकता हूं। अभी प्रश्न-काल है। आपको बाद में समय दिया जायेगा। अभी हम प्रश्न-काल जारी रखते हैं। यदि आप चाहेंगें तो हम इस मुद्दे को बाद में ले सकते हैं।

(व्यवधान)

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी: हम यह चाहते हैं कि वित्त मंत्री को आकर बैंक घोटाले पर अपना वक्तव्य देना चाहिये ...**(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री चन्दूलाल चन्द्राकर (दुर्ग): अध्यक्ष महोदय, मजदूरों की निर्मम हत्या हुई है ... न2(व्यवधान)

श्री राम विलास पासवानः अध्यक्ष जी, यहां विरोधी दल के नेता बैठे हैं, वे कुछ कहें। **(व्यवधान)**

श्री कृष्ण दत्त सुल्तानपुरी (शिमला): अध्यक्ष महोदय, जिस तरह से कत्लेआम हुआ है, **(व्यवधान)**

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: आज अभी पहला ही दिन है और यह इस सत्र का पहला घन्टा ही है। हमारे लिये यह आवश्यक नहीं कि सभा की कार्यवाही हम रोपपूर्ण मुद्रा में आरम्भ करें। हम उचित समय पर इस मामले पर चर्चा कर सकते हैं।

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान: अध्यक्ष महोदय, प्रधान मंत्री यहां बैठे हुए हैं। जो घटना घटी है, इस पर वे कुछ बोलें। **(व्यवधान)**

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: हम इस मुद्दे को उचित समय पर ले लेंगे। इस पर प्रश्न उठाये जा सकते हैं और उत्तर दिये जा सकते हैं। श्री जसवंत सिंह जी, यदि आवश्यक हुआ तो मैं आपको बाद में अनुमति दूंगा।

(व्यवधान)

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी: हमे यह उम्मीद थी कि आज की कार्यवाही सूची में कोई दूसरा विपय शामिल होगा.......**(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री जसवन्त सिंह (चित्तौड़गढ़): अध्यक्ष जी, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि चाहे आंध्र प्रदेश हो, चाहे बिहार हो और चाहे राजस्थान हो, जहां भी ऐसी घटना होती है, यह दुखद घटना है। इसका कोई स्वागत नहीं करता। जब राजस्थान को लेकर यह विपय उठाया जाता है**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदयः आप इस विषय को बाद में उठा सकते हैं।

[हिन्दी]

श्री जसवन्त सिंहः हम स्वयं चाहते हैं, जो रामविलास जी की पीड़ा है वह हमारी पीड़ा भी है। हम चाहते हैं कि सही ढंग की चर्चा हो क्योंकि राजस्थान सरकार ने इस घटना के 24 घंटे के भीतर सी०बी०आई० की इन्क्वारी की मांग कर दी है और 24 घंटे के अन्दर जूडीशियल इन्क्वारी का आर्डर भी कर दिया है। जितने भी पीड़ित हैं उनको एक-एक लाख रुपया दे दिया गया है **(व्यवधान)**

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदयः हमें यह समझना चाहिये कि कुछ ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दे भी हम सभी को विदित हैं, जिनपर हमें चर्चा करनी है और मुझे बताया गया है कि सभा का कोई भी सदस्य इन बातों पर चर्चा करने को तैयार नहीं है। वे सभी इस बात के लिये तैयार है कि सभी तथ्य सभा के विचारार्थ प्रस्तुत किये जायें। इसलिये यह आवश्यक नहीं है कि इन मामलों को केवल प्रश्न काल में ही उठाया जाये, जोकि सदस्यों द्वारा अपनी बात कहने का समय है। प्रश्न-काल में आप सरकार से आवश्यक सूचना प्राप्त कर सकते हैं और यदि आप इस तरह के अन्य मामले उठाते हैं, तो उस दशा में वह अवसर आप को नहीं मिलता।

अतः मेरा आपसे यही अनुरोध है कि मैं आपकी भावनाओं को समझता हूं और आपके दिलों में जो रोष भरा है, मैं इस को भी समझता हूं इसलिये हम इन बातों पर प्रश्न-काल के तुरन्त बाद चर्चा कर लेंगे। इस समय उग्र रुख अपनाना ठीक नहीं है। बूटा सिंह जी, मैं आपको भी बाद में बोलने की अनुमति दूंगा।

[हिन्दी]

श्री गुमान मल लोढा (पाली): अध्यक्ष महोदय, पश्चिम बंगाल में तीन बीघा जमीन में सात लोगों की हत्या कर दी गई है। मैंने श्रीमान् को नोटिस दिया है।....**(व्यवधान)**

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (लखनऊ): स्पीकर साहब ने अच्छी सलाह दी है। प्रश्नकाल सदस्यों का काल है। हम सरकार से जबाबतलब कर सकते हैं, मंत्रियों को कटघरे में खड़ा कर सकते हैं। इसके बाद जो भी प्रश्न उठाना हो वह उठाया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि क्वश्चन आवर को सस्पैंड करने की मांग हम नहीं कर सकते। हम भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि क्वश्चन आवर न चले, इसके लिए हम संघर्ष नहीं कर सकते। हम भी संघर्ष कर सकते हैं। लेकिन सदन की मर्यादा और संसदीय प्रक्रिया का आदर है कि प्रश्नकाल हो जाने दें और फिर जीरो आवर में जो भी मन चाहे आप करें, हम भी करेंगे।

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्यः (बांकुरा): महोदय, हम प्रश्नकाल के इस घंटे को बहुत ही महत्वपूर्ण समझते है।

[हिन्दी]

श्री बूटा सिंह (जालौर): जो मसला उठाया गया है कुम्हेर की घटना को लेकर, दुर्ग की घटना को लेकर, इस सदन को इन घटनाओं को रूटीन में नहीं लेना चाहिए। ...(**व्यवधान**) मैं आपकी आज्ञा से बोल रहा हूं। इस घटना को रूटीन न मानकर हम चाहेंगे कि सदन की परम्परा को न तोड़ा जाए। स्टेट में हर प्रान्त में घटनाएं हो रही हैं। आज प्रश्न बी॰जे॰पी॰ की सरकार का नहीं है। दुर्ग में हुआ है जहां अनफौरचुनेटली बी॰जे॰पी॰ की सरकार है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: बूटा सिंह जी, आप इसी बात को बाद में कह सकते हैं।

[हिन्दी]

श्री बूटा सिंह: बी॰जे॰पी॰ के सदस्यों को इसपर तिलमिलाहट नहीं होनी चाहिए। वाजपेयी जी ने कहा कि तुम भी कर लो हम भी कर लें, यह प्रश्न एक-दूसरे के साथ लड़ने का नहीं है, यह एक राष्ट्रीय प्रश्न है। राष्ट्र के अन्दर दलितों की हत्या कीड़े-मकौड़ों की तरह से हो रही है। उसके उपर इस सदन में विचार नहीं करेंगे तो हमारे लोग क्या सोचेंगे—(**व्यवधान**)— इसलिये प्रश्नकाल स्थगित कर इस पर चर्चा होनी चाहिये ताकि देश के लोग इस बात को महसूस करें कि सदन ने इसको प्रॉयरिटी दी। यह किसी पार्टी विशेष का प्रश्न नहीं है। हम लोग कुम्हेर गये थे। —(**व्यवधान**)—बी॰जे॰पी॰ के सदस्य थे, जनता दल के सदस्य थे, कांग्रेस के सदस्य थे, सभी पार्टियों के सदस्य वहां गये थे। सभी पार्टियों के सदस्यों ने मिलकर यह फैसला किया है कि आज प्रश्न काल छोड़कर इस पर अभी चर्चा हो जाये ताकि देश के लोगों को यह कह सकें कि दलितों के उपर ...(**व्यवधान**)...

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: बूटा सिंह जी, एक बरिष्ठ सदस्य के नाते जब मैं बोल रहा हूं तो आप कृपया बैठ जाइए।

[हिन्दी]

श्री बूटा सिंह: आपने इसको रूटीन में डाल दिया है। हम इसे रूटीन में नहीं रखना चाहते हैं। इसे प्रॉयरिटी दी जाये ...(**व्यवधान**)...

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: बूटा सिंह जी, यह बात ठीक नहीं है

[हिन्दी]

श्री बूटा सिंह: कई प्रान्तों में दलितों की हत्या हुई है। इसलिये हम मांग करते हैं कि क्वश्चन आवर को सस्पैंड करके इसके ऊपर पहले चर्चा होनी चाहिये। ...(**व्यवधान**)...

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह (फतेहपुर): अध्यक्ष जी मैं घटना और——(**व्यवधान**)

श्री दाऊ दयाल जोशी: अध्यक्ष जी, इन्होंने जयपुर में गलत स्टेटमेंट दिया है और गलत बोल रहे है——(**व्यवधान**)

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह: अध्यक्ष जी, मैं घटना और वाकयात में नहीं जाउंगा क्योंकि आपने कह दिया है कि आप इस पर अवसर देंगे। गहराई से इस घटना पर विचार हो सकता है। इसलिये मैं घटना के अन्य पक्षों

में नहीं जाना चाहता हूं। केवल आपसे यह निवेदन करता हूं कि प्रश्न काल को स्थगित करके क्यों इस समस्या को लेना उचित होगा, उसके सम्बन्ध में ही कुछ कहना चाहूंगा मान्यवर, यह बहुत हृदय विदारक घटना है ...**(व्यवधान)...** पूरा सदन इससे दुखी है, लेकिन इस दुख को यह सुनना नहीं चाहते हैं। देश के सामने यह साबित हो रहा है कि यह उनकी वेदना सुनना नहीं चाहते हैं। जो कोई कुम्हेर की घटना के बारे में आवाज उठाता है, उनको ये दबाना चाहते है। मैं यह कहना चाहता हूं कि यह भी दुखी हैं और इधर के लोग भी दुखी हैं। मान्यवर, मानसून अधिवेशन का आज पहला दिन है। इसलिये पूरे राष्ट्र में यह जायें और राष्ट्र को यह बोध हो कि सदन में सबसे पहला प्रश्न कुम्हेर का है, दूसरा कोई प्रश्न नहीं है। इससे उनको सन्तोष होगा और वे महसूस करेंगे कि सबसे बड़े सदन में इस पर चर्चा हुई। दलितों की वेदना और उन पर अत्याचार यही सबसे बड़ा प्रश्न है। इसलिये प्रश्नकाल स्थगित होकर इस पर चर्चा होनी चाहिये। हम तो इस सदन में प्रश्न ही उठाते हैं, चाहे वह कुम्हेर का हो, चाहे भिलाई का हो या दूसरा कोई हो। हम प्रश्न उठाते है लेकिन उनका उत्तर नहीं मिलता है। प्रश्न उठाना ही अगर बंद हो जायेगा तो लोकतंत्र ही खत्म हो जायेगा। इसलिये मेरा आपसे निवेदन है कि घटना में न जा कर तत्काल प्रश्नकाल स्थगित कर सबसे पहले कुम्हेर की समस्या को लिया जाये।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी (गांधी नगर): अध्यक्ष जी, पूर्व प्रधान मंत्री श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह जी ने जो बात कही है, मैं उसके साथ पूरी तरह से सहमत हूं। **(व्यवधान)**

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री (सैदपुर): अध्यक्ष महोदय, मैं विरोधी दल के नेता से यह पूछना चाहता हूं कि इनके लोग क्या कुम्हेर की घटना का जिक्र नहीं करवाना चाहते हैं। ये ऐसे शोर कर रहे हैं कि उससे लगता है कि वे इस पर चर्चा नहीं करवाना चाहते हैं ...**(व्यवधान)**

श्री कालका दास: (करोलबाग): चर्चा हम चाहते हैं।

अध्यक्ष महोदय: आप बैठ जायें। मैंने उनको बुलाया है। **(व्यवधान)**

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री: जब भी कोई बात उठती है तो ये सारे के सारे लोग एक स्वर से चिल्लाना शुरु कर देते हैं। चाहे वह हरिजनों का मामला हो, चाहे कोई भी मामला हो तो आप इनसे कहलवाइये कि क्या ये तैयार हैं...

अध्यक्ष महोदय: आप बैठ जाइये, पहले।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी: पूर्व प्रधान मंत्री श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह जी ने जो बात कही है, मैं समझता हूं कि सदन में कोई भी उनसे असहमत नहीं होगा कि कुम्हेर में जैसी हृदयविदारक घटना हुई, वह सब को चिन्तित करने वाली है, सब के मन में उसके कारण वेदना है, व्यथा है और उसकी अभिव्यक्ति अगर संसद् में नहीं होगी तो कहां होगी। इसीलिए संसद् में उसपर चर्चा हो, इस पर मैं नहीं समझता हूं कि किसी के भी दो मत हो सकते हैं...**(व्यवधान)** ...अध्यक्ष जी, आपको स्मरण होगा कि एक बार पूर्व में भी श्रीमान् वाजपेयी जी ने इस बात का जिक्र किया था, दूसरे संदर्भ में कि प्रश्नोत्तर काल स्थगित करने की मांग किस संदर्भ में करनी चाहिए, किस संदर्भ में नहीं करनी चाहिए। मेरा निवेदन है, मुझे कोई आपत्ति नहीं, अगर आप अनुमति दें कि प्रश्नोत्तर काल स्थगित हो और अभी चर्चा हो तो हमको कोई आपत्ति नहीं है, हम उसको करने को तैयार हैं लेकिन....**(व्यवधान)**

श्री चन्दूलाल चन्द्राकर: भिलाई नगर में मजदूरों की हत्या हुई...**(व्यवधान)**

श्री लाल कृष्ण आडवाणी: अध्यक्ष जी, आपकी अनुमति के बिना इस सवाल को उठाकर राजस्थान

सरकार के ऊपर आरोप लगाना, मैं इसपर आपत्ति उठाता हूं। मैं समझता हूं, राजस्थान सरकार ने जितनी फुर्ती से काम किया, चुस्ती से काम किया, तुरन्त कार्रवाई की, सी०बी०आई० की जांच करवाई, ज्यूडिशियल इन्क्वायरी आर्डर की...(व्यवधान)...अध्यक्ष जी, मैं आन्ध्र का सवाल या हरियाणा में पुलिस के लोगों ने दलितों की अभी कुछ दिन पहले हत्या की, उसका जिक्र नहीं करना चाहता हूं लेकिन इतना जरूर निवेदन करूंगा कि संसद् का दुरूपयोग अगर विधान सभाओं के और प्रदेश की सरकारों के खिलाफ विषवमन करने के लिए होगा तो वह संसद् के लिए भी अच्छा नहीं होगा और देश के संविधान के भी हित में नहीं होगा। मैं आपसे निवेदन करता हूं, अगर आप अनुमति देते हैं, प्रश्नोत्तर काल स्थगित करने की तो मेरी पार्टी अभी चर्चा करने को तैयार है लेकिन अगर आप अनुमति नहीं देते हैं तो मैं यह भी आपसे निवेदन करूंगा कि...(व्यवधान)...अध्यक्ष जी, मेरा सुझाव है कि एक बैठक, प्रश्नोत्तर काल कब स्थगित होना चाहिए, क्योंकि, प्रश्नोत्तर काल को स्थगित करने का प्रस्ताव रखने के लिए भी आपकी कसेण्ट चाहिए, आपकी कसेण्ट के बिना यह प्रस्ताव भी नहीं रह सकता। उसमें सरकार का दृष्टिकोण क्या है, यह भी हमको पता लगना चाहिए। अगर इस विषय में आप एक बैठक बुलायें, सभी पार्टी के सदस्यों की और एक परम्परा स्थापित करें कि अगर किसी व्यक्ति को, किसी दल को, किसी सांसद को मन की व्यथा व्यक्त करनी है तो वह यह सोचता है कि 12 बजे तक इन्तजार करूंगा तो शायद मैं न्याय नहीं करूंगा इसलिए 11 बजे ही इसको उठाना चाहिए, मैं समझता हूं कि कोई एक परम्परा बननी चाहिए, कोई एक सर्वसम्मत निर्णय होना चाहिए, जिसमें सरकार भी सहभागी हो। जहां तक यह कुम्हेर का सवाल है, कुम्हेर की मुझे पूरी जानकारी है, उसके आधार पर मैं कहता हूं कि अगर आप प्रश्नोत्तर काल स्थगित करके अभी चर्चा करते हैं तो मुझे कोई आपत्ति नहीं, मेरे दल को कोई आपत्ति नहीं।

श्री राम विलास पासवान: हम लोग तैयार हैं।

श्री चन्द्रजीत यादव (आजमगढ़): बारां के सवाल को लेकर इन्होंने तीन दिन क्वश्चन ऑवर नहीं चलने दिया। **(व्यवधान)**

श्री बूटा सिंह : इससे क्या वहां नरसंहार वाजिब हो गया? आपने बड़े अच्छे ढंग से वहां की सरकार को सर्टिफिकेट भी दे दिया।...**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: संसदीय कार्य मंत्री इसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे।

(व्यवधान)

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री तथा विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रंगराजन कुमार मंगलम): यह एक ऐसी घटना है जिसके बारे में हम सभी चिन्तित है। यह बहुत ही गंभीर मामला है और हम सभी किसी भी समय इस पर चर्चा करने के लिये तैयार है। जहां तक प्रश्न-काल के स्थगन का संबंध है, यह आपके क्षेत्राधिकार की बात है। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय: बसुदेव आचार्यजी, आप पहले मेरी सुनिये।

श्री बसुदेव आचार्य: आप पहले हमारी बात को सुनिये।

अध्यक्ष महोदय: मैं आपकी मदद करूंगा। वसुदेव आचार्य जी, आप कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए। मैं समझता हूं कि पूरी सभा में केवल श्री अटल बिहारी वाजपेयी और अध्यक्ष स्वयं ही ऐसे व्यक्ति

है जो यह चाहते है कि प्रश्न-काल जारी रहना चाहिये। अन्य सभी यह कह रहे है कि आप निर्णय करें, आप निर्णय करें जैसेकि आप लोगों की इसके बारे में कोई भी राय न रह गई हो।

मुझे प्रश्नकाल को स्थगित करने के लिए एक नहीं, अनेक सूचनाएं मिली है जोकि अलग अलग मुद्दों को लेकर हैं। एक तो भिलाई के बारे में है, दूसरी बैंक मामले से संबंधित है और तीसरी कुम्हेर की घटनाओं से जुड़ी है। मान लीजिये कि अगर इनमें से एक बात पर चर्चा के लिये अनुमति दी जाती है तो दूसरी बातों से संबंधित सदस्य भी इसी तरह से खड़े हो जायेंगे और यही कहेंगे कि दूसरी बात पर चर्चा की जाये। इसलिये, यह इस तरह से नही हो सकता और कोई भी यह नहीं कह रहा है कि आप इस बात पर चर्चा न करें। हम तो यह कह रहे है, आइये समय निर्धारित कर लेते है और तदनुसार इन पर चर्चा कर लेंगे। अब आपने स्वयं ही देख लिया है। आप इस बात पर चर्चा करना चाहते थे लेकिन आप इस विषय पर केन्द्रित नहीं रह सके जिस पर आप केन्द्रित रहना चाहते थे। इसलिये यदि आप उचित ढंग से इन्हें नहीं लेते तो, इनका असली प्रयोजन सिद्ध नहीं हो सकता। इसी बजह से मैं सदस्यों से यह अनुरोध कर रहा हूं कि जब तक प्रश्न-काल समाप्त नहीं हो जाता, तब तक प्रतीक्षा कीजिये और इसके बाद हम इन बातों पर चर्चा कर लेंगे।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान: अध्यक्षजी, क्यों? इसी सदन में सात-आठ अगस्त को माधवराव सिंधिया जी के एक ब्यान पर दो तीन दिन तक की कार्यवाही को सस्पैंड रखा गया। क्वैश्चन-आवर को भी सस्पैंड रखा गया.....**(व्यवधान)**....

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मैं बसुदेव आचार्य जी को बोलने की अनुमति दे रहा हूं। आप मुझे उनकी बात सुनने दें।

श्री बसुदेव आचार्य: महोदय, हमने प्रश्न काल को स्थगित करने के लिये सूचनायें दे रखी हैं। हम इस समय को बहुत ही महत्वपूर्ण मानते हैं। यह हमारा अपना समय है। लेकिन जब कुहेर और भिलाई जैसे मुद्दे उठाये जाते हैं अथवा प्रतिभूति घोटाला जैसे मुद्दे उठाये जाते है, तो वे तो बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे होते है। जब दलितों की हत्या हो रही है, जब भिलाई में पुलिस द्वारा गोली में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन-जाति के लोग मारे जा रहे है, तो हम इन मुद्दों को प्रश्न-काल से भी अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं। किस तरह से कुम्हेर में दलितों की हत्या हो रही है? यह बहुत ही महत्वपूर्ण मामले हैं। मैं नहीं समझता कि भारतीय जनता पार्टी के सदस्य चुप्पी क्यों साधे हुए हैं। हम यहां पर राज्य सरकार की आलोचना नहीं कर रहे हैं। यो तो मध्य-प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है। लेकिन समूची सभा को कुम्हेर में हुई घटना की आलोचना करनी चाहिये। समूची सभा को इस घटना की आलोचना करनी चाहिये जिसमें 25 आदिवासी मजदूरों की हत्या की गई है। श्री जसवंत सिंह ने केन्द्रीय जांच व्यूरो की जांच का हवाला दिया है। मध्यप्रदेश सरकार द्वारा भी एक जांच कार्रवाई गई थी लेकिन एक भी दोषी व्यक्ति गिरफ्तार नहीं किया गया है।

अध्यक्ष महोदय: अब मैं सदस्यों को प्रश्नों को पूछेंगे के लिये कह रहा हूं।

श्री बसुदेव आचार्य: राजस्थान में आदिवासियों की हत्या हुई है।

अध्यक्ष महोदय: आचार्य जी, अब काफी हो चुका है। आप बहुत कुछ कह चुके है। कृपया बैठ जाइये।

(व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य: इसलिये हम यह चाहते हैं कि प्रश्न-काल तत्काल ही स्थगित कर दिया जाना चाहिये। और राजस्थान में कुम्हेर में जो घटना हुई है, उस घटना को यहां उठाया जाना चाहिये।

[हिन्दी]

श्री रशीद मसूद (सहारनपुर): स्पीकर साहब, कुम्हेर का मामला हो, भिलाई का मामला हो या बिहार का मामला हो....(**व्यवधान**)...जितने मामले हैं, सीरीयस हैं।...(**व्यवधान**)...इस देश को जो लोग धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर बांटने का काम कर रहे हैं, उनको सबसे ज्यादा कन्डैम किया जाना चाहिए।...(**व्यवधान**)...स्टेटमेंट चाहे, बीजेपी का हो, जनतादल का हो या कांग्रेस का हो, लिहाजा इस देश को बांटने वाले लोगों से होशियार होने की सबसे ज्यादा जरूरत है। मैं चाहता हूं कि क्वैश्चन आवर सस्पैंड किया जाना चाहिए। दूसरे भी सवाल है और सदन की एक मर्यादा है, उस मर्यादा को खत्म न किया जाए। क्वैश्चन आवर को खत्म करने के बाद इन मामलों को लिया जाए। सिर्फ कुम्हेर का ही नहीं, बल्कि दूसरी जगहों पर, हरिजनों पर, माइनोरिटीज पर या दूसरी जगहों पर जो अत्याचार हुए हैं, इन सारे मामलों को एक साथ लिया जाना चाहिए।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: कृपया आप इसे समझिए। सभी मामलों को सभा के समक्ष उचित ढंग से प्रस्तुत किये बिना एक ही साथ, एक ही समय उठाना संभव नहीं है। यदि आप यह चाहते है कि एक मामले को उठाया जाये तो ऐसे सदस्य भी है जो यह चाहेंगे कि अन्य मामले उठाये जाने चाहियें।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: मैं आपको उत्तर नहीं दे रहा हूं। मैं तो सभा की प्रक्रियाओं संबंधी दिशानिर्देश देने की कोशिश कर रहा हूं। अब जो इतना कुछ हो चुका है, वह काफी है। अब हमें प्रश्न-काल जारी रखना चाहिये। मैं श्री विजयराघवन को आमंत्रित करता हूं।

(व्यवधान)

श्री अन्बारासु इरा: (मद्रास मध्य): महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रशन है।

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न-काल में व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठाया जा सकता।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री रामविलास पासवान: अध्यक्ष महोदय, जब कुम्हेर की घटना के बारे में नेता, विरोधी दल चर्चा के लिए तैयार हैं, कांग्रेस के माननीय सदस्य भी तैयार हैं तो फिर चेयर को क्या आपत्ति है? (**व्यवधान**)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: हम इस बात को बाद में लेंगे। आधे घन्टे तक की चर्चा के बाद सहयोग देने के लिये आपका अति धन्यवाद।

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर): महोदय, कृपया इस बात के लिये उचित समय निर्धारित करें।

अध्यक्ष महोदय: श्री विजयराघवन।

11.36 म०पू०

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

[अनुवाद]

सिविल सेवा (प्रारंभिक) परीक्षा, 1992

*1. श्री वी० एस० **विजयराघवनः
श्री रामनरेश सिंहः

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या ऐसे आरोप लगाए गए हैं कि सिविल सेवा (प्रारंभिक) परीक्षा, 1992 के एक प्रश्न पत्र का परीक्षा से पहले ही पता लग गया था;

(ख) यदि हां, तो इस मामले के तथ्य क्या हैं;

(ग) इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है;

(घ) क्या इससे पहले भी प्रश्न पत्रों का परीक्षा से पहले पता लग जाने की घटनाएं हुई हैं; और

(ङ) यदि हां, तो भविष्य मे ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए क्या उपचारात्मक उपाय किए गए हैं/करने का विचार है?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मार्गरेट अल्वा): (क) से (ङ) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

संघ लोक सेवा आयोग को संयुक्त कार्यवाही समिति नाम के एक संगठन से, जो विभिन्न विश्वविद्यालयों के विद्यार्थियों का प्रतिनिधित्व करने का दावा कर रहा है, 17 जून, 1992 को एक ज्ञापन प्राप्त हुआ है। इस ज्ञापन में 7 जून, 1992 को हुई सिविल सेवा (प्रारंभिक) परीक्षा को इस आधार पर रद्द करने की मांग की गई है कि इलाहाबाद में सामान्य ज्ञान का पर्चा परीक्षा से पहले ही लीक हो गया था।

2. मामले के तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रारंभिक परीक्षा 7 जून, 1992 को हुई थी तथा सभी उम्मीदवारों के लिए सामान्य ज्ञान का समान पर्चा दोपहर 2.30 बजे प्रारम्भ हुआ तथा सायं 4.30 बजे समाप्त हो गया। परीक्षा शुरू होने के बाद इलाहाबाद के केन्द्रों में से एक केन्द्र पर एक पर्यवेक्षक को सामान्य ज्ञान के प्रश्न पत्र (सी०एण्ड० डी० सिरीज) की फोटो प्रतियां करवाते पाया गया था। मामले की सूचना पुलिस को दी गई थी तथा कर्मचारी को गिरफ्तार किया गया था। मूल प्रश्न पत्र पुस्तिका तथा फोटो प्रति पुलिस द्वारा 3.00 बजे जब्त की गई थी। प्रश्न पत्र पुस्तिका की फोटो प्रति उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के परीक्षा नियंत्रक के कहने पर की गई थी, और परीक्षा नियंत्रक ने यह स्वीकार किया कि उसने ही राज्य लोक सेवा आयोग के प्रश्न पत्र बैंक में इज़ाफा करने के लिये पर्यवेक्षक को प्रश्न पत्र पुस्तिका की फोटो प्रति करवाने के लिए कहा था। पुलिस ने परीक्षा नियंत्रक को भी, जो कि परीक्षा केन्द्र का सुपरवाइजर भी था, गिरफ्तार कर लिया है।

3. सूचना प्राप्त होने के तत्काल पश्चात् संघ लोक सेवा आयोग ने जांच करने के लिये एक वरिष्ठ अधिकारी को इलाहाबाद भेजा। जांच के निष्कर्षों से यह पता चलता है कि प्रश्न पत्र पुस्तिकायें दिनांक

7.6.1992 को दोपहर 1.30 बजे से 1.40 बजे के बीच परीक्षा केन्द्र पर पहुंची थी। निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार, सील बंद प्रश्न पत्र पुस्तिका बाक्स दोपहर 2.00 बजे खोला गया था। पुलिस द्वारा दर्ज फर्द बरामदगी के अनुसार प्रश्न पत्र पुस्तिकाओं तथा इनकी फोटो प्रतियों के अभीगृहीत करने का समय 3.00 बजे अपराह्न अर्थात परीक्षा शुरु होने के बाद का था। अतः संघ लोक सेवा आयोग इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि ऐसे विश्वास का कोई कारण नहीं है कि परीक्षा शुरू होने से पहले प्रश्न पत्र लीक हो गया था और इनकी गोपनीयता पर कोई आंच आई हो। अतः संघ लोक सेवा आयोग द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि इस परीक्षा को रद्द न किया जाए।

4. केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो से इस मामले पर आगे जांच जारी रखने के लिए कहा गया है और उत्तर प्रदेश सरकार से यह अनुरोध किया गया है कि वह इस मामले के जांच-कार्य को केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो को सौंप दें। केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो की जांच उन व्यक्तियों के आपराधिक दायित्व के संबंध में होगी जो इसके लिए जिम्मेदार होंगे और यदि कोई प्रथम दृष्टया आपराधिक मामला बनता है तो उस स्थिति में इसके लिए जिम्मेदार लोगों पर अभियोजन चलाया जाएगा। ऐसा विश्वास किया जाता है कि जून, 1991 में हुई सिविल सेवा (प्रारंभिक) परीक्षा का एक प्रश्न पत्र परीक्षा शुरू होने से पहले ही लीक हो गया था, अतः संघ लोक सेवा आयोग ने इस परीक्षा को रद्द कर दिया था और बाद की किसी तारीख को यह परीक्षा फिर से आयोजित की थी। इस मामले को भी जांच के लिए केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो को सौंप दिया गया था।

5. संघ लोक सेवा आयोग परीक्षा पद्धति की विश्वसनीयता को और मजबूती प्रदान करने के विभिन्न उपायों पर विचार कर रहा है।

श्री वी० एस० विजयराघवन: महोदय, विवरण यह दर्शाता है कि फोटो कापी परीक्षा आरंभ होने के बाद की गई थी। इससे यह दिखाई देता है कि प्रश्न-पत्र लीक नहीं हुआ। तब यह मामला जांच के लिए केन्द्रीय जांच ब्यूरो को किस लिये दिया गया है।

अध्यक्ष महोदय: यदि आपने इनके प्रश्न को समझ लिया है, तो आप उत्तर दीजिये। वरन् यह अपने प्रश्न को दोबारा कह सकते हैं।

श्रीमती मार्ग रेट अल्वा: माननीय सदस्य यह जानना चाहते हैं कि यदि हम यह समझते हैं कि प्रश्न-पत्र लीक नहीं हुआ था, तो यह मामला केन्द्रीय जांच ब्यूरो को क्यों सौंपा गया। मैं यह कहना चाहूंगी कि 7 जून, 1992 को रात्रि को 8.30 बजे विद्यार्थियों द्वारा एक प्राथमिकी दर्ज करायी गयी थी जिसमें यह कहा गया था कि सायंकाल का सामान्य ज्ञान की परीक्षा का प्रश्न-पत्र लीक हुआ है। महोदय, इसकी तुरन्त जांच करवायी गई। परीक्षा सायं 2.30 से 4.30 बजे तक निर्धारित थी, और इसी बीच पुलिस ने भी पुलिस स्टेशन में एक पत्र जब्त करने संबंधी एक ज्ञापन दर्ज किया जिसमें यह कहा गया था कि एक व्यक्ति इलाहाबाद परीक्षा केन्द्र के निकट एक फोटो-कापी की दुकान में सायंकाल की सामान्य ज्ञान की परीक्षा के प्रश्न-पत्र की फोटो कापी निकालता हुआ पकड़ा गया है। विद्यार्थियों ने प्राथमिकी दर्ज करवायी थी और हमने एक आन्तरिक जांच करवायी और सारे घटनाक्रम से यह पाया गया है कि जब प्रश्न-पत्र वितरित कर दिये गये थे, तो परीक्षा नियंत्रक, जोकि पर्यवेक्षक भी थे, ने अपने ही एक पर्यवेक्षक को एक प्रश्न-पत्र दिया और इसकी एक प्रतिलिपि निकलवाने को कहा क्योंकि उनके कथनानुसार वह यह चाहते थे कि अन्य परीक्षाओं के लिये उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के प्रश्न-बैंक को इससे सम्पन्न बनाया जा सकेगा। परीक्षा सायं 2-30 पर आरंभ हुई थी और प्रश्न-पत्र को 3-00 बजे जब्त किया गया, जैसा कि पुलिस की रिपोर्ट में कहा गया है। पर चूंकि विद्यार्थियों ने प्राथमिकी दर्ज करायी थी और चूंकि हमने भी इस पूरे मामले को स्पष्ट करना चाहा, तो हमने अगले ही दिन इस पूरी घटना की

केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा जांच करवाने के लिये उत्तर प्रदेश सरकार से अनुमति देने के लिये अनुरोध किया। हमें जांच कराने के आश्य की अनुमति अभी कल ही प्राप्त हुई है, यानि 7 जुलाई को। और इसलिये जांच शुरू हो चुकी है और हम यह चाहेंगे कि इस घटना की स्वतन्त्र जांच होनी चाहिये।

श्री वी॰ एस॰ विजयराघवन: सिविल सेवा परीक्षा में प्रश्न-पत्रों के लीक होने की आम शिकायतें मिली हैं। आज के **"टाइम्स आफ इण्डिया"** में भी प्रश्न-पत्र के लीक होने के बारे में रिपोर्ट प्रकाशित हुई है। ऐसी स्थिति में यह सुनिश्चित करने के लिये कि परीक्षा की गरिमा अक्षुण रहे, कौन-कौन से कदम उठाये जा रहे हैं?

श्रीमती मार्ग्रेट अल्वा: महोदय, परीक्षा की गरिमा को अक्षुण रखने के लिये संघ लोक सेवा आयोग द्वारा हर संभव कोशिश की जा रही है। मैं विस्तार में भी बता देती हूं। प्राथमिक परीक्षा में, 3,50,000 अभ्यर्थी बैठे थे। अब मैं इस प्राथमिक परीक्षा के लिये जितने परीक्षा केन्द्र बनाये गये थे, उनके बारे में भी उल्लेख कर देती हूं। कुल 41 केन्द्र और 849 उप-केन्द्र बनाये गये थे। परीक्षा संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की जाती है। परन्तु हम विभिन्न राज्यों में तो राज्य के लोक सेवा आयोग और संघ-प्रशासित क्षेत्र में वहां के स्थानीय प्रशासन के जरिये परीक्षाएं आयोजित करवाया करते हैं। प्रश्न-पत्र तो शुरू से ही सील किये हुए पैकेटों में भेजे जाते हैं। ये परीक्षा केन्द्र पर परीक्षा आरंभ होने से केवल एक घंटा पूर्व ही पहुंचते हैं और इन्हें पर्यवेक्षकों और वहां पर उपस्थित विद्यार्थियों की उपस्थिति में केवल आधा घंटा पहले ही खोला जाता है। ऐसा तो संभव है। और इन मामलों में हमने यही ही देखा है । प्राथमिक परीक्षा के पेपर में 48 पृष्ठ होते हैं। परीक्षा समाप्ति पर यह देखा जाता है कि क्या विद्यार्थियों द्वारा उत्तरों पर ठीक निशान लगाये गये हैं। नये माडल प्रश्न वस्तुपरक किस्म के होते है जिनके मामले में सामने के पृष्ठ पर निशान लगाना होता है। लेकिन नियमों के अनुसार तो सभी प्रश्न-पत्र परीक्षा की समाप्ति पर वापिस करने होते हैं क्योंकि संघ लोक सेवा आयोग यह नहीं चाहता कि प्रश्नों संबंधी जानकारी हर किसी को उपलब्ध हो सके। इसलिये यद्यपि प्रश्न-पत्र के सभी पृष्ठ वापिस करने होते हैं तथापि विद्यार्थी एक अथवा दो पृष्ठ उसमें से फाड़ लेते हैं और अपनी जेबों में छिपाकर बाहर ले जाते हैं। यह तो संभव हो सकता है कि 3 लाख 50 हजार विद्यार्थियों में से किसी द्वारा एक या दो पृष्ठ परीक्षा केन्द्र के बाहर लाये गये हों। इस परीक्षा को मिलाकर इस तरह की सात परीक्षाएं सम्पन्न हो चुकी है। आज प्रश्न-पत्र का आधा पृष्ठ समाचार पत्र में प्रकाशित हुआ है और हमें यह बताया गया है कि यह परीक्षा आरंभ होने से पूर्व लीक हुआ था। इसलिये हमारे लिये यह कहना वास्तव में बहुत ही मुश्किल है कि प्रश्न-पत्र लीक किया गया है क्योंकि कोई भी उम्मीदवार परीक्षा के बाद एक या दो पृष्ठ फाड़कर उन्हें अपनी जेब में छिपाकर ला सकता है। हर वर्ष इसी तरह की घटनायें हो रही है; एक पृष्ठ प्रस्तुत कर दिया जाता है और हमें यह कहा जाता है कि प्रश्न-पत्र लीक हुआ है। हमें पूरा विश्वास है कि कोई पत्र लीक नहीं हुआ है। पर चूंकि प्रश्न उठाया गया है केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा जांच आरंभ हो चुकी है और विद्यार्थियों ने जो प्राथमिकी दर्ज करवायी थी, उत्तर प्रदेश का आसूचना विभाग भी उसकी जांच कर रहा है।

[हिन्दी]

श्री राम नरेश सिंह: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि सी॰ बी॰ आई॰ ने जो पिछले वर्ष जांच की थी उसका क्या परिणाम निकला? क्या कमीशन के अन्दरूनी कार्यकलापों की कोई जांच हुई, पदाधिकारियों के बारे में कोई जांच हुई?

[अनुवाद]

श्रीमती मार्गरेट अल्वा: यह सर्वविदित तथ्य है कि पिछली बार यह देखा गया था कि प्रश्न-पत्र लीक हो

गया था। इस वजह से, छात्रों को एक और मौका दिया गया था, और केन्द्रीय जांच ब्यूरो की जांच के बाद उस वर्ष के लिये दो बार परीक्षा ली गई। (व्यवधान) पिछली बार केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा जांच कराई गई थी और उस मामले में यह देखा गया था, कि डाकखाने और मुद्रणालय के कर्मचारी मिले हुए थे और रांची प्रैस से प्रश्न-पत्र चुराये गये थे और चूंकि रिपोर्ट में प्रश्न-पत्र के लीक होने की खबर थी, परीक्षा को दुबारा लिया गया था और जिन्होंने परीक्षा दी थी, उनको एक साल की छूट दी गई ताकि वह दोबारा परीक्षा दे सके। अतः गत वर्ष हमने यह मान लिया था कि प्रश्न-पत्र लीक हुआ था। इस साल इस बात पर विश्वास करने का कोई कारण नहीं कि प्रश्न-पत्र लीक हुआ है। परन्तु केन्द्रीय जांच ब्यूरो को समूचे मामले की जांच करने के लिए कहा गया है।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी: प्रश्न पत्रों के लीक होने की समस्या अत्यन्त गंभीर हो चुकी है। जब इसका प्रभाव सामान्य परीक्षाओं पर होता है तो भी उसके भयानक परिणाम होते हैं। परन्तु जहां तक संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं का संबंध है, इससे समूची परीक्षा प्रणाली की विश्वसनीयता ही समाप्त हो जाती है।

मुझे याद है कि ऐसा पहली बार नहीं हुआ। पिछले साल भी यही हुआ था। जो कुछ 1991 में हुआ, मैं दोहराना नहीं चाहता परन्तु प्रधान मंत्री ने इस बारे में एक स्पष्ट वक्तव्य दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि वह यह सुनिश्चित करेंगे कि संघ लोक सेवा आयोग की सभी परीक्षाएं केन्द्र के तत्वाधान में हों और इलैक्ट्रानिक गज़ट की सहायता से आयोजित इन केन्द्रीयकृत परीक्षाओं से प्रश्न पत्रों के एक साथ मुद्रित कराने तथा सारे देश में परीक्षार्थियों को बांटने में सहायता मिलेगी। उन्होंने कहा कि इससे प्रश्न पत्रों के लीक होने की संभावना भी समाप्त होगी। पिछले साल प्रश्न पत्र लीक होने के तुरन्त बाद प्रधान मंत्री ने यह आश्वासन दिया था। तब से एक साल बीत चुका है और आज हम एक और परिस्थिति का सामना कर रहे हैं, जिसमें यह आरोप लगाया गया है कि प्रश्न पत्र लीक हुआ। माननीय मंत्री महोदय कहते हैं कि 'नहीं, कुछ नहीं' कोई लीक नहीं हुआ, और सिर्फ एक तकनीकी गलती हुई है, हालांकि यह नोट करने योग्य बात है कि परीक्षा नियंत्रक को गिरफ्तार किया गया है। परीक्षा नियंत्रक, जो कि परीक्षा केन्द्र का पर्यवेक्षक भी था, को पुलिस ने गिरफ्तार किया। कुछ गलत काम हुआ है। वास्तव में वह गलत काम क्या है? आप का कहना है कि केन्द्रीय जांच ब्यूरो इसकी जांच करेगा, परन्तु जिन उम्मीदवारों ने यह परीक्षा दी है, उनका हल क्या होगा? वे महसूस करते हैं कि उनके साथ धोखा हुआ है, और इस वज़ह से उनका कहना है कि जब परीक्षा नियंत्रक की गिरफ्तारी के लिए पथम दृष्टाया सबूत है तो आप इस परीक्षा को रद्द करके दूसरी परीक्षा आयोजित क्यों नहीं करते? अन्यथा, इस समस्या से निबटने के लिये केन्द्रीय जांच ब्यूरो की जांच बिठा कर यह सोच लेना कि मामला समाप्त हो गया है, मेरे विचार में यह छात्रों के साथ अन्याय है। इस परीक्षा को रद्ध करने की छात्रों की मांग न्याय उचित है। इस विषय पर सरकार की प्रतिक्रिया क्यः है?

श्रीमती मागरिट अल्वा: महोदय, मैं कहना चाहूंगी कि फिलहाल हम इस परीक्षा को रद्द करने पर विचार नहीं कर रहे। जांच का आदेश दिया गया है, और मुझे इस बात पर यकीन है, कि आप मुझसे सहमत होंगे कि हमारी चर्चा का विषय साढे तीन लाख छात्र हैं, और चूंकि एक केन्द्र में कोई यह कहता है कि कुछ गड़बड़ हुई है, जब तक यह साबित न हो पाए, कि यह परीक्षा आरम्भ होने से पहले हुआ है, परीक्षा रद्द नहीं हो पाएगी।

परीक्षा नियंत्रक की गिरफ्तारी इस वज़ह से हुई थी कि इस सम्बन्ध में दिए गये दिशा निर्देशों का घोर उल्लंधन किया गया...(**व्यवधान**)...

अध्यक्ष महोदय: आप को उनके व्यवधान का उत्तर देने की जरूरत नहीं है।

श्रीमती मार्गरेट अल्वा: विषय यह है कि दिशा-निर्देशों का उल्लंघन किया गया और एक प्राथमिकी दर्ज की गई। अपराध संबंधी एक शिकायत के आधार पर उन्हें गिरफ्तार किया गया और तुरन्त जमानत पर रिहा किया गया। प्रश्न यह है कि अगर प्रश्न-पत्र लीक हुआ तो क्या यह इम्तेहान के शुरू होने से पहले हुआ। रिपोर्ट के मुताबिक ऐसा दोपहर तीन बजे हुआ, जबकि परीक्षा 2.30 पर शुरू हुई थी और सभी 8 पर्यवेक्षकों ने यह माना है कि पैकेट को उनकी मौजूदगी में परीक्षा केन्द्र में खोला गया। जिस वक्त पैकट खोला गया सब पर्यवेक्षकों ने ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए कि जब पैकेट खुला और प्रश्न-पत्र बंटे, तो, वे मौजूद थे उन्होंने कहा कि प्रश्न-पत्र बंटने के बाद, 2.35 के बाद, उन्होंने पर्यवेक्षक को प्रश्न पत्र दिया और कहा कि एक विशेष 'सी' और 'डी' सीरीस की दो प्रतियां बनाई जाएं ताकि उत्तर प्रदेश प्रश्न बैंक को भावी परीक्षाओं के लिये मजबूत बनाया जा सके। हमने अपनी स्थिति स्पष्ट करने के लिए हमने उत्तर प्रदेश सरकार से अनुमति मांगी ताकि केन्द्रीय जांच ब्यूरो की जांच तुरन्त शुरू की जा सके। शुरू में उन्होंने इन्कार कर दिया, परन्तु कल वह मान गये हैं, कि वह हमें जांच शुरू करने के लिए अनुमति दे देंगे और जांच शुरू हो गयी है। मेरा विचार है कि यह उचित होगा कि शिकायत को ध्यान में रखते हुए हम स्वतंत्र जांच करवाएं। और फिर कहें कि क्या कुछ गलत बात हुई है। हमने इलैक्ट्रोनिक परीक्षाओं के बारे में हमने कार्यवाही की है। समूची कार्य योजन....**(व्यवधान)**। इलैक्ट्रानिक पद्धति के लिये कार्य योजना तैयार है। प्रश्न तार्किकता का है— उपकरण तथा आवश्यक मूलभूत ढांचा तैयार करना होगा। मुझे विश्वास है कि प्रधान मंत्री इस संबंध में कोई घोषणा करेंगे।

श्री चन्द्रशेखर: अध्यक्ष महोदय, श्री आडवाणी का यह सीधा प्रश्न था कि परीक्षा नियंत्रक को गिरफ्तार किया गया। किन आरोपों के तहत उक्त परीक्षा नियंत्रक को गिरफ्तार किया गया। मंत्री महोदया ने केवल इतना ही कहा है कि उसके विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। अतः क्या आप किसी भी व्यक्ति को किसी भी कारण से गिरफ्तार कर सकते हैं? उसे बिना किसी कारण के गिरफ्तार किया गया। अतः वह बताएँ कि उसे किस आधार पर गिरफ्तार किया गया। मार्ग निर्देशों का उल्लंघन करने पर किसी को गिरफ्तार नहीं किया जाता। यदि मार्गनिर्देशों का उल्लंघन करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को सरकार गिरफ्तार करती है तो मेरे विचार में वित्त मंत्रालय के अधिकांश लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया जाता। इसलिये मार्गनिर्देशों का उल्लंघन करने पर इस देश में किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं किया जाता है। किसी को आपराधिक अभियोग में गिरफ्तार किया जाता है। यदि आप मार्गनिर्देशों का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों को गिरफ्तार करते हैं तो वित्त मंत्रालय के सभी लोग तिहाड़ जेल में होते क्योंकि आपने यह कहा है कि सभी मार्गनिर्देशों का उल्लंघन किया गया है। अतः आप ऐसा उत्तर न दें जिससे और भी भ्रम पैदा हो। मुख्य रूप से यह बताएँ कि परीक्षा नियंत्रक के विरूद्ध क्या-क्या अभियोग थे।

श्रीमती मार्गरेट अल्वा: मैं इसे स्पष्ट करना चाहती हूं। हमने उन्हें गिरफ्तार करने के लिये नहीं कहा है। उन्हें उत्तर प्रदेश की स्थानीय पुलिस स्टेशन द्वारा गिरफ्तार किया गया। वहां पर एक प्राथमिकी दर्ज थी...**(व्यवधान)**

कुछ माननीय सदस्य: क्यों?

श्रीमती मार्गरेट अल्वा: मुझे उत्तर देने दें। यदि आप मेरी बात सुनना चाहते हैं तो सुनें। महोदय एक प्राथमिकी दर्ज की गई थी जिसमें यह आरोप था कि प्रश्न पत्र परीक्षा भवन से बाहर पाया गया और एक

निरीक्षक द्वारा इसे जब्त किया गया जब उसकी फोटो कॉपी कराई जा रही थी। यही आपराधिक अभियोग था कि प्रश्न पत्र लीक हो गया। यही प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। इसलिये स्थानीय पुलिस ने उन लोगों को गिरफ्तार किया जिन्होंने यह स्वीकार कर लिया था कि यह कार्य उन्होंने ही किया था और उनके बयान लेने के बाद उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया गया। इस बारे में आंदोलन भी हुआ। छात्रों द्वारा पुलिस स्टेशन का घेराव किया गया। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि जो उत्तरदायी हैं उन्हें गिरफ्तार किया जाए। उन्हें पुलिस स्टेशन लाया गया। उनके बयान दर्ज किये गए और तब उन्हें जमानत पर छोड़ दिया गया। **(व्यवधान)**

श्री हरिकिशोर सिंह: महोदय, माननीय मंत्री जो कुछ भी कह रहे हैं वह सब *(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय: यह कार्यवाही वृतांत में शामिल नहीं किया जा रहा है।

(व्यवधान)

श्री हरिकिशोर सिंह: मैं अपनी टिप्पणी वापस लेता हूं और इसके लिये क्षमा चाहता हूं। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय: आपको अपने शब्दों के बारे में सावधानी बरतनी चाहिये।

(व्यवधान)

श्री हरिकिशोर सिंह: महोदय, मंत्री जी का यह कहना है कि समाचार पत्र में प्रश्न पत्र का एक पन्ना छपा था। मेरे पास पूरा बंडल है। प्रश्न पत्र 2.45 बजे मध्यान्ह पश्चात् पर लीक हुआ था।

एक माननीय सदस्य: कृपया उसे सभा पटल पर रखें।

श्री हरिकिशोर सिंह: अध्यक्ष महोदय की अनुमति से इसे सभा पटल पर रख सकता हूं। आपके द्वारा एक उचित जांच होनी चाहिये। मैं निवेदन करता हूं कि आप सारी शिकायतों की जांच करें।

अध्यक्ष महोदय: आपका प्रश्न क्या है?

श्री हरिकिशोर सिंह: मैं श्री आडवाणी के इस बात से सहमत हूं कि परीक्षा रद्द की जानी चाहिये।

अध्यक्ष महोदय: यह आपका प्रश्न होना चाहिये था न कि आडवाणी जी का।

श्री हरिकिशोर सिंह: मैं उसका समर्थन करता हूं। मैं यह जानना चाहता हूं कि सरकार सभी प्रश्न पत्रों को आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहती है और क्या सरकार परीक्षा को निरस्त करने के लिये तैयार है।

श्रीमती मार्गरेट अल्वा: महोदय, माननीय सदस्य ने स्वयं ही यह स्वीकार किया है कि प्रश्न पत्र 2.45 म० प० बजे लीक हुआ। मैं भी यह कह रही थी। **(व्यवधान)** परीक्षा 2.30 बजे शुरू हुई। परीक्षा भवन में प्रश्न पत्र बांटे गए और जब छात्रों ने परीक्षा देना शुरू कर दिया तो एक अलग प्रति परीक्षा नियंत्रक द्वारा उसकी प्रतियां तैयार करने के लिये बाहर भेज दी गई। मैं यह स्वीकार करती हूं। मुद्दा यह है कि परीक्षा 2.30 बजे शुरू हुई। परीक्षार्थी परीक्षा कक्ष में थे और उसके बाद मार्ग निर्देशों की अवहेलना करते हुए पर्चे बाहर भेज दिये गये। उन्हें प्राथमिकी में दर्ज कार्यालय गोपनीयता अधिनियम और विश्वासघात के अपराध के तहत गिरफ्तार किया गया है। उन्हें इन दो अभियोगों के तहत गिरफ्तार किया गया। **(व्यवधान)**

श्री सैफुद्दीन चौधरी: महोदय, मंत्री जी के द्वारा ऐसा कहना कि प्रश्न पत्र लीक नहीं हुआ है जबकि जांच चल रहा है, उचित नहीं है। मुद्दा यह है कि पहले भी जब ऐसे ही मुद्दे उठाए गए थे तो सरकार द्वारा या संघ

*कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

लोक सेवा आयोग द्वारा भी ऐसी ही प्रतिक्रिया व्यक्त की गई थी। बाद में यह प्रमाणित हुआ कि आरोप सही है। परीक्षा को रद्द करना पड़ा था। जब वर्तमान मंत्री महोदया मंत्री नहीं थी तो उन्होंने किसी और स्थान पर परीक्षा रद्द करने के लिये मांग की थी। तत्कालीन प्रधान मंत्री ने भी उसे स्वीकार कर लिया था।

विभिन्न विश्वविद्यालयों के छात्र संगठन की संयुक्त कार्य समिति के सदस्यों ने स्पष्ट आरोप लगाए हैं। वे उसकी न्यायिक जांच करवाने की मांग कर रहे हैं। उन्हें सं०लो०से०आ० के अधिकारियों पर विश्वास नहीं है। प्रश्न पत्रों को लीक करना बड़ी कमाई वाला धंधा है। यह हमारे देश की प्रशासनिक व्यवस्था को ध्वस्त कर देगा। मैं आप से निवेदन करता हूं कि इसे आप गंभीरता से ले और इस बारे में सत्य का पता लगाएं तथा इसके पूर्व यह न कहें कि प्रश्न-पत्र लीक नहीं हुआ है।

प्रधान मंत्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव): महोदय, हमारे साथी संसद को वही बता रहे हैं जो सं०लो०से०आ० ने बताया है। अब इस बारे में दो बातें हैं। एक बात जो प्रथमिकी में दर्ज है उसके अनुसार फोटो कापी का कार्य 1.30 बजे हो रहा था। यदि 1.30 बजे की यह घटना है तो स्पष्ट रूप से प्रश्न पत्र लीक हुए हैं। यदि यह घटना 3.00 बजे की है तो यह लीक की घटना हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है लेकिन इस स्थिति में यह परीक्षा के लिये घातक नहीं है। इस निष्कर्ष पर हम किसी जांच के बिना नहीं पहुंच सकते और यह जांच केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा की जा रही है। अतः मैं सभा को यह बताना चाहता हूं कि उन्होंने जो कुछ भी कहा है वह सं०लो०से०आ० द्वारा दी गई सूचनाओं पर आधारित है। यही स्थिति है। इसका मतलब हम यह न माने की उन्होंने अपने उपर उत्तरदायित्व ले लिया है या मैंने अपने उपर उत्तर दायित्व ले लिया है। यदि ऐसा होता, तो कोई जांच नहीं होती। यही वर्तमान स्थिति है और आडवाणी जी द्वारा उठाए गए मुद्दे के संबंध में मैं अब भी यह महसूस करता हूं कि इस समस्या का सामना करने का एक मात्र प्रभावी तरीका है इलैक्ट्रॉनिक पद्धति। मैंने इस मामले को व्यक्तिगत रूप से उठाया है, हमने विशेषज्ञों के साथ कई बैठकें की, उन्होंने कुछ माडल प्रस्तुत किये, उनकी जांच की गई और प्रायः उन्हें ठीक पाया गया, लेकिन मुद्दा यह है कि इसमें थोड़ा और धन और संगठन की आवश्यकता है। मूलभूत ढांचे में थोड़ा अधिक समय लग रहा है। मैं यह पूरी तरह आशा और विश्वास व्यक्त करता हूं कि विगत पद्यति के अनुसार यह अंतिम परीक्षा होगी और मैं स्वयं यह प्रयास करूंगा कि इलैक्ट्रानिक पद्यति को लागू किया जाए चाहे उसमें थोड़ा अधिक पैसा लगाना पड़े और संगठन का कार्य करना पड़े यह परिवर्तन मैं स्वयं सुनिश्चित करूंगा।

डा० कार्तिकेश्वर पात्र: महोदय, माननीय प्रधान मंत्री ने स्पष्ट रूप से यह बताया है कि प्रश्न पत्र 1.30 बजे लीक हुए होंगें इसकी फोटो-प्रति 2.45 या 3.30 बजे की गई होगी। यह सारी बातें हो रहीं हैं और छात्र अत्यधिक उत्तेजित हैं। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या दोषी व्यक्ति की जांच के बाद सजा मिलेगी? मैं यह भी जानना चाहता हूं कि क्या परीक्षा रद्द करने के बारे में कोई निर्णय लिया जाएगा?

अध्यक्ष महोदय: इसका उत्तर दिया जा चुका है।

श्री राम कापसे: अध्यक्ष महोदय, बोर्ड परीक्षाओं में भी यह परम्परा रही है कि परीक्षा शुरू होने के आधे घंटे तक पर्चे बाहर नहीं आ सकते यहां तक कि परीक्षा में भाग लेने वाले छात्र भी नहीं ला सकते। माननीय मंत्री जी को यह पता होगा ही। ज्ञात हुआ है कि तीन बजे फोटो-प्रतियां भी उपलब्ध हो गई थी। अतः इस पर गंभीरता पूर्वक विचार होना चाहिए और ऐसी घटनाओं की पुनरावृति नहीं होनी चाहिए। अतः मैं माननीय मंत्री से यह निवेदन करता हूं वह इस मामले पर गंभीरता से विचार करें और जहां तक सी०बी० आई० का संबंध है, जल्द से जल्द परीक्षा में शामिल होने वाले छात्रों के हित में कोई निर्णय लिया जाना चाहिए।

श्रीमती मार्गरेट अल्वा: क्योंकि हमने इसे गंभीरता से लिया इसलिये हमने उत्तर प्रदेश सरकार से 9 जून

को ही अनुमति देने का आग्रह किया था। लेकिन दूर्भाग्यवश उन्होंने अनुमति देने से इंकार कर दिया और 6 जुलाई की शाम को यानि 7 जुलाई को हमें यह अनुमति मिली कि हम जांच शुरू करें और हमने इस पर ध्यान देना शुरू किया।

श्री चेतन पी॰ एस॰ चौहान: महोदय, माननीय मंत्री ने जो कुछ भी कहा है मुझे यह कहते हुए खेद है कि उनका कथन अंशतः सही है। सच यह है कि प्रश्न पत्र 2.45 में नहीं बल्कि 2.00 बजे से पहले लीक हुआ था क्योंकि मुझे जो रिपोर्ट मिली है उसके अनुसार इलाहाबाद में उस दिन उस समय बिजली नहीं थी। वह व्यक्ति जिसने फोटो कॉपी की थी वह सातवें फोटो कापी करने वाली व्यक्ति के पास गया और तब जाकर फोटो कॉपी हो सकी।

अध्यक्ष महोदय: कृपया यह समझें कि सरकार इसकी जांच कर रही है।

श्री चेतन पी॰ एस॰ चौहान: मंत्री जी ने कहा है एक दो पृष्ठ की ही फोटो कॉपी की गई हैं। मेरे पास सितम्बर 1991 का पूरा प्रश्न पत्र है जो 38 पृष्ठों का है। अतः क्या मंत्री जी सभी तथ्यों को ध्यान में रखते हुए जिन्हें सामने रखा गया है उस आधार पर परीक्षा रद्द करे? छात्र वास्तव में उतेजित है और हजारों छात्र बोट क्लब पर बैठे हैं और प्रदर्शन करने वाले हैं। यह मुद्दा उन योग्य छात्रों का है जिन्हें परीक्षा में पास होना है और संघ लोक सेवा आयोग की विश्वसनीयता का प्रश्न है।

अध्यक्ष महोदय: उस प्रश्न का उत्तर दिया जा चुका है।

श्री चेतन पी॰ एस॰ चौहान: मैं मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि क्या वह अब भी परीक्षा रद्द करने के बारे में विचार कर रही हैं।

अध्यक्ष महोदय: इसके लिये उन्होंने 'नहीं' कहा है और प्रश्न के प्रथम भाग के संबंध में 'हां' कहा है।

श्री पी॰ वी॰ नरसिंह राव: माननीय सदस्य ने जो महत्वपूर्ण साक्ष्य प्रस्तुत किया उसके लिये मैं उनके प्रति आभारी हूं। मैं कन्द्रीय जांच ब्यूरों को कहूंगा कि वह उनसे सम्पर्क करे और उनसे अधिकाधिक जानकारी प्राप्त करे जिससे जांच कार्य सरल हो सके। **(व्यवधान)**

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[अनुवाद]

वदेशी नौसैनिक जहाज

*2. **श्री बलराज पासी:**

श्रीमती कृष्णेन्द्र कौर (दीपा):

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान भारतीय बंदरगाहों पर आए विदेशी नौसैनिक जहाजों की संख्या का वर्षवार और देशवार ब्यौरा क्या है;

(ख) ऐसे प्रत्येक जहाज के आने का उद्देश्य क्या था;

(ग) क्या विदेशी नौसैनिक जहाजों को अनुमति देने संबंधी नीति में कोई परिवर्तन किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर० एल० भाटिया): (क) और (ख) सदन की मेज पर एक विवरण रख दिया गया है।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

1989—91 के दौरान भारत आए विदेशी नौ-सेना के जहाजों की देश-वार संख्या।

क्रम सं०	देश	1989	1990	1991	1992—30.6.1992 तक
1.	आस्ट्रेलिया	2	1	2	—
2.	बंगलादेश	2	—	—	—
3.	ब्राजील	1	—	—	—
4.	मिस्र	—	—	—	1
5.	फ्रांस	7	5	6	4
6.	इण्डोनेशिया	2	2	3	—
7.	ईरान	—	1	2	—
8.	इटली	—	1	—	—
9.	जापान	—	—	3	—
10.	मलेशिया	2	—	4	—
11.	मैक्सिको	—	1	—	—
12.	न्यूजीलैण्ड	—	—	2	—
13.	ओमान	3	2	3	1
14.	पुर्तगाल	—	1	—	—
15.	कोरिया गणराज्य	2	—	—	—
16.	सिंगापुर	—	—	1	—
17.	स्वीडन	1	—	—	—
18.	थाईलैण्ड	3	—	—	—
19.	टर्की	—	1	—	—

क्रम सं०	देश	1989	1990	1991	1992—30.6.1992 तक
20.	यू०के०	1	4	—	2
21.	संयुत राज्य	6	—	1	3
22.	अमरीका	—	—	—	—
23.	सोवियत समाजवादी गणतन्त्र संघ	13	3	2*	—
	योग	45	22	29	11

* सोवियत नौ-सेना के एक जहाज "स्मीदोनोव" को छोड़कर, जिसके बम्बई की औपचारिक यात्रा की थी, अन्य सभी जहाजों की यात्राएं नेमी थी।

औषध नीति

***3. डा० असीम बाला:**
श्री मोहन रावले:

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने नई औपध नीति लागू कर दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं और इसकी घोषणा कब तक किए जाने की संभावना है; और

(घ) स्वदेशी औपध उद्योग के हितों की रक्षा के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० चिन्ता मोहन): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) औषध नीति की समीक्षा अग्रिम अवस्था में है और इसकी घोपणा शीघ्र ही हो सकती है।

(घ) उपर्युक्त समीक्षा में ये पहलू भी शामिल हैं।

भारत और पाकिस्तान के प्रधान मंत्रियों की बैठक

***4. श्री जार्ज फर्नान्डीज:**
श्री अन्बारासु इरा:

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल की रियो-डी-जेनिरो की यात्रा के दौरान भारत के प्रधान मंत्री और पाकिस्तान के प्रधान मंत्री के बीच कोई बैठक हुई थी;

(ख) यदि हां, तो इस बैठक में किन-किन द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा हुई और इसके क्या निष्कर्ष निकले; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या अनुवर्ती कार्यवाही की गई है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर० एल० भाटिया): (क) जी हां।

(ख) इस बैठक में गंभीर विचार-विमर्श हुआ जिसमें सभी तरह के द्विपक्षीय संबंधों पर बातचीत की गई। दोनों पक्षों की ओर से यह मत व्यक्त किया गया कि गतिरोध के बावजूद हमारी द्विपक्षीय बातचीत जारी रहनी चाहिए।

(ग) विदेश सचिव स्तर की वार्ता जो हाल ही में स्थगित कर दी गई थी, तथा अनसुलझे मसलों पर बातचीत पुनः शुरू करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। राजनयिक सूत्रों के माध्यम से तारीखें तय की जाएंगी।

कोयला खदानों में लगी आग

*5. **प्रो॰ रीता वर्मा:**
डा॰ लक्ष्मीनारायण पाण्डेय:

क्या **कोयला** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) कोयला खदानों में लगी भूमिगत आग के कारण प्रतिवर्ष अनुमानतः कितने मूल्य का कितना कोयला नष्ट हो जाता है;

(ख) इस कारण प्रतिवर्ष कितने लोग बेघर हो जाते हैं; और

(ग) केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाये गये हैं/उठाये जाने का विचार है?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी॰ए॰ संगमा): (क) से (ग) आगों से संबंधित समस्या मुख्यतः भारत कोकिंग कोल लि॰ के झरिया कोयला क्षेत्र में विद्यमान है। इन आगों के कारण कोयले के भंडारों में हुई हानि का ठीक से अनुमान लगाया जाना बहुत कठिन है। किन्तु कोयला कंपनी ने यह अनुमान लगाया है कि इन आगों के कारण लगभग 37 मि.टन. की सीमा तक कोयले के भंडारों की हानि हुई है। इन आगों से कोयले के भंडारों को हुई क्षति का सांकेतिक मूल्य 1000 करोड़ रु॰ होगा।

भारत कोकिंग कोल लि॰ द्वारा यह अनुमान लगाया गया है कि झरिया कोयला क्षेत्र में आगों के कारण लगभग 15,900 आवास/परिवार प्रभावित हुए हैं। इनमें से लगभग 2550 आवास/परिवारों को सुरक्षित स्थानों को स्थानान्तरित कर दिया गया है और लगभग 13,350 आवास आग के कारण खतरनाक स्थिति में हैं और उन्हें स्थानांतरित किया जाना अपेक्षित है।

वर्ष 1971 में कोकिंग कोयला खानों का राष्ट्रीयकरण किए जाने के बाद भारत कोकिंग कोल लि॰ ने झरिया कोयला क्षेत्र में बड़ी आगों से निपटने के लिए 22 योजनाएं निष्पादित की हैं। इन योजनाओं के लिए कुल 114.57 करोड़ रु॰ की राशि स्वीकृत की गई है। इन प्रयासों के परिणामस्वरूप 5 आगों को पूर्णतः बुझा लिया गया है। इसके अलावा 3 स्थलों पर आगों से निपटने के लिए अपेक्षित सुरक्षात्मक उपायों को पूरा कर लिया गया है और इन आगों को पूर्णतः बुझाए जाने में कुछ और समय लगेगा। 13 अन्य स्थलों पर भी आगों पर रोक लगा दी गई है और इन आगों को पूर्णतः बुझाए जाने संबंधी आगे की कार्यवाही प्रगति पर है। आग परियोजनाओं के आग संबंधी क्रियाकलापों के नियंत्रण की प्रभावकारिता में सुधार किए जाने के लिए कार्य की प्रगति पर प्रभावी रूप में निगरानी रखी जा रही है।

भारत और रूस के बीच राकेट सौदा

*6. **श्री हरि किशोर सिंह:**
श्री शरद यादव:

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को हाल ही के ऐसे समाचारों की जानकारी है कि अमरीका अन्य देशों को भी, जो "मिसाइल टेक्नालोजी कन्ट्रोल रजीम" के सदस्य हैं, कह रहा है कि वे भारत और रूस के बीच हुए राकेट सौदे के कारण भारतीय अन्तरिक्ष अनुसंधान संगठन के विरुद्ध प्रतिबन्ध लगाएं; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर० एल० भाटिया): (क) सरकार को ऐसी रिपोर्टों की जानकारी है जिनमें अमरीका की सरकार ने यह दावा किया है कि "इसरो" के विरुद्ध प्रतिबन्ध लागू करने के उसके निर्णय का प्रक्षेपास्त्र प्रौद्योगिकी नियंत्रण प्रणाली के अन्य सभी सदस्यों ने समर्थन किया है। "इसरो" पर प्रतिबन्ध लागू करने के लिए प्रक्षेपास्त्र प्रौद्योगिकी नियंत्रण प्रणाली के अन्य सदस्य देशों द्वारा लिए गए किसी निर्णय की सरकार को कोई जानकारी नहीं है।

(ख) सरकार को अमरीका की सरकार के निर्णय पर खेद है, विशेषकर इसलिए कि हमारा अन्तरिक्ष कार्यक्रम पूरी तरह से शान्तिपूर्ण है और इसका उद्देश्य हमारे आर्थिक विकास के लिए आधारभूत संरचना तैयार करना है। रूस द्वारा दिए जा रहे क्रायोजैनिक राकेटों और सम्बद्ध प्रौद्योगिकी का कोई सैन्य उपयोग नहीं है।

सौर-प्रणाली

*7. **श्रीमती दिल कुमारी भण्डारी:** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सेन्ट्रल इलेक्ट्रानिक्स लिमिटेड द्वारा विकसित "सौर प्रणाली" से दूर-दराज के क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को लाभ मिल रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सेन्ट्रल इलेक्ट्रानिक्स लिमिटेड का विचार ग्रामीण क्षेत्रों में यह प्रणाली सस्ते दामों पर उपलब्ध कराने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय (इलैक्ट्रोनिकी तथा महासागर विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री रंगराजन कुमार मंगलम): (क) और (ख) जी हां। सौर प्रकाश-वोल्टीय (एसपीवी) प्रोद्योगिकी द्वारा सीधे सूर्य प्रकाश को बिजली में रूपान्तरित (परिवर्तित) किया जा सकता है। सेन्ट्रल इलेक्ट्रानिक्स लिमिटेड (सी. ई. एल.) जो विकासशील देशों में सौर सेल्स/मोडयूल्स का सबसे बड़ा और विश्व में यह सबसे बड़ा पांचवा निर्माणकर्ता है। सी. ई. एल. ने एस. पी. वी पावर प्रणाली की बहुत सी किस्मों का विकास, निर्माण और आपूर्ति की है। जिनमें से अधिकांश ग्रामीण और सदूर क्षेत्रों में अनुप्रयोग करने के लिए हैं और इससे पहले ही ग्रामीण क्षेत्रों की जनता को लाभ हुआ है।

आज तक सी.ई.एल. ने 26,000 से अधिक एस. पी.वी. प्रणालियों की आपूर्ति की है जिनमें से अधिकांश

ग्रामीण अनुप्रयोगों के लिए है। इनमें से बहुत सी प्रणालियों ने ग्रामीण विकास जैसे प्रौढ़ शिक्षा, पेय जल, ग्रामीण दूरसंचार प्रतिरक्षीकरण (इम्यूनाइजेशन) के लिए विभिन्न राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी मिशनों की आवश्यकता पूर्ति की है।

सी.ई.एल. ने प्रकाश के लिए 1400 से अधिक एस.पी.वी. की पावर पेक्स का उत्पादन, आपूर्ति और स्थापना की है और जिसमें राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय के टर्न-की आदेशों के अनुसार 14 राज्यों के परौढ़ शिक्षा केन्द्रों में उच्च सौर शक्ति (ल्यूमोनोसिटी) का पी एल-9 लैम्पस का प्रयोग किया है। क्षेत्रीय प्रतिपुष्टि (फील्ड-बैक) के अनुसार, ये प्रणालियां आज तक संतोषजनक ढंग से कार्य कर रही हैं। इसके अतिरिक्त, दूरदर्शन के आदेशानुसार लगभग 100 एस॰पी॰वी॰ पॉवर सोर्स (स्रोत) अति निम्न शक्ति के टी॰वी॰ ट्रांसमीटरों (वी॰एल॰पी॰टी॰) में विद्युत शक्ति प्रदान करने के लिए सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित किए गए हैं। लगभग 1250 (एस॰पी॰वी॰) पॉवर सोर्स अति उच्च क्षमता (वी॰एच॰एफ॰) और डायरेक्ट रिसेप्शन (डी॰आर॰एस॰) टी॰वी॰ सैटों के लिए भी आपूर्ति किए गए हैं। जिससे सुदूर और ग्रामीण क्षेत्रों के टी॰वी॰ कवरेज में मदद मिली है।

पेय जल के लिए राष्ट्रीय मिशन के अन्तर्गत ग्रामीण विकास विभाग (डी॰आर॰ डी॰) के आदेशानुसार तेरह राज्यों में 90 एस॰पी॰वी॰ शक्ति के डीप वैल वाटर पंपिंग सिस्टमों की आपूर्ति और स्थापना की गई है। सबमर्सीबिल (अवगाहन क्षम) पम्पों का प्रयोग कर, इन पम्पों में 120 मीटर की कुल ऊंचाई तक पानी चढ़ाये जाने की क्षमता है।

डीप वैल वाटर पंपिंग सिस्टमों के अतिरिक्त, सिंचाई और पेय जल दोनों के लिए (10 से 15 मीटर) नीचे के हैड से पानी की पंपिग करने के लिए सी॰ई॰एल॰ ने 1000 से अधिक एस॰पी॰वी॰ पॉवर्ड शैलों वैल वाटर पंपिंग सिस्टमों की भी आपूर्ति की है। सी॰ई॰एल॰ ने गांवों के लिए अब तक 10,000 से अधिक एस॰पी॰वी॰ पॉवर्ड स्टैंड एलोन पथ प्रकाशों की भी आपूर्ति की है। ग्रामीण अनुप्रयोगों के लिए एस॰पी॰वी॰ आधारित पंपिंग और प्रकाश प्रणाली की भी बहुत ही किफायती मूल्यों पर स्वैच्छिक संगठनों के माध्यम से आपूर्ति की है।

दूरसंचार विभाग (डी॰ओ॰टी॰) के ग्रामीण दूरसंचार नेटवर्क के लिए ग्रामीण स्तरीय वी॰एच॰एफ॰ रेडियो टेलीफोन और मल्टी एक्सेस रेडियो टेलीफोन उपस्कर हेतु सी॰ई॰एल॰ एसपीवी पॉवर सोर्स का अग्रणी आपूर्तिकर्ता है। वर्ष 1988-89 में 750 संख्या के आदेश से प्रारम्भ कर, सी॰ई॰एल॰ ने 10,000 से अधिक ऐसे पॉवर सोर्स मार्च, 1992 तक आपूर्ति किए हैं, जिनमें से 8000 सिस्टम्स केवल वर्ष 1991-92 के दौरान आपूर्ति किए गए थे। अगस्त 1992 तक दूसरे 5000 सिस्टम्स आपूर्ति किए जा रहे हैं।

राष्ट्रीय प्रतिरक्षीकरण (इम्यूनाइजेशन) मिशन के अन्तर्गत 20 एस॰पी॰वी॰ पॉवर्ड रेफ्रीजिरेटर/फ्रीजरस उत्तर प्रदेश में चयनित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में वैक्सीन्स, जीवन रक्षक औषधियों आदि के भंडारण के लिए लगाये गए थे।

उत्तर प्रदेश में कुछ सुदूर गांवों में एकीकृत विद्युत आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए उत्तर प्रदेश के नोन-कनवैंशनल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी (एन॰ई॰डी॰ए॰) हेतु सी॰ ई॰ एल॰ ने लगभग 5 किलोवाट क्षमता के छोटे एस॰पी॰वी॰ विद्युत संयंत्र पहले ही प्रतिष्ठापित किए थे। वर्तमान में सी॰ई॰ एल॰ उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ और मऊ जिलों में 2×100 किलोवाट के एस॰पी॰वी॰ विद्युत संयंत्र लगा रहा है।

(ग) से (ङ) जी हां। सी॰ई॰एल में सोलर फोटोवोलटैईक (एस॰पी॰वी॰) विद्युतशक्ति के अनुप्रयोग की मांग में प्रत्याशित वृद्धि और पहले से ही तेजी से हो रहे प्रौद्योगिकीय उन्नयन के साथ, कम्पनी को अपने सोलर

सेल्स, मोड्यूल्स और सिस्टमस की कीमतों में आने वाले वर्षों में पर्याप्त कमी होने की आशा है। एस पी॰वी॰ पॉवर सिस्टम की कीमत सिलीकोन वेफर कच्ची समाग्री के महंगे निवेश से नियंत्रित की जाती है, जिसका आयात अंशतः इसकी मांग को पूरा करने और देश में उपलब्ध न होने वाली कतिपय अन्य सामग्रियों के लिए किया जाता है। इसके आयातित सिलीकोन वेफर की आपूति के लिए सस्ते साधनों का पता लगाने उत्पादित सोलर सेल्स/मोडयूल्स की उत्पति और कार्यक्षमता में सुधार और बनाये गए एस॰पी॰वी॰ सिस्टमसं की डिजाईनों में भी अनुकूलता के माध्यम से एस॰पी॰वी॰ सिस्टमस की उत्पादन लागत घटाने के लिए सी॰ई॰एल॰ लगातार प्रयास कर रही है। इस संबंध में पहले ही पर्याप्त प्रगति की जा चुकी है।

औद्योगिक विकास दर

*8. **श्री सैयद शाहाबुद्दीनः**
श्री श्रवण कुमार पटेलः

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) वर्ष 1991-92 के दौरान औद्योगिक विकास की समग्र दर कितनी रही;

(ख) किन-किन औद्योगिक क्षेत्रों अथवा उप-क्षेत्रों में विकास दर अधिक रही;

(ग) किन-किन क्षेत्रों/उप-क्षेत्रों में विकास दर कम रही;

(घ) किन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में विकास दर कम रही; और

(ङ) सरकार द्वारा उन क्षेत्रों/उप-क्षेत्रों तथा राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में औद्योगिक विकास दर बढ़ाने हेतु क्या उपाय किये गये हैं जहां विकास दर राष्ट्रीय औसत से कम रही है?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही): (क) केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन द्वारा संकलित पूरे देश के औद्योगिक उत्पादन सूचकांक के अनुसार 1990-91 की तुलना में 1991-92 के दौरान कुल औद्योगिक विकास की दर (—) 0.1% थी।

(ख) और (ग) एक विवरण संलग्न है।

(घ) केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन औद्योगिक उत्पादन सूचकांक के राज्यवार ब्यौरे संकलित नहीं करता है।

(ङ) निम्नलिखित उपाय किये गये हैं:

(1) औद्योगिक क्षेत्र को पर्याप्त रूप से नियंत्रण मुक्त करना।

(2) कुछ तकनीक वाले क्षेत्रों में विदेशी निवेश को बढ़ावा देना।

(3) 1992-93 के केन्द्रीय बजट और 1992-97 की नयी निर्यात-आयात नीति में पहल की गई है।

विवरण

औद्योगिक उत्पादन सूचकांक की विकास दरें

(आधार: 1980-81=100)

कोड ग्रुप	औद्योगिक समूह	भार	विकास दर % अप्रैल-जनवरी 1991-92 अप्रैल-जनवरी 1990-91
20-21	खाद्य उत्पाद	5.327	1.9
22	बिवरेज, तम्बाकू और उत्पाद	1.571	5.0
23	सूती कपड़ा	12.309	1.4
25	जूट, हैम्प और मेस्टा कपड़ा	1.999	0.1
26	कपड़ा उत्पाद	0.817	-3.6
27	लकड़ी और लकड़ी उत्पाद और फर्नीचर तथा फिक्सचर	0.448	-4.8
28	कागज और कागज उत्पाद	3.235	4.3
29	चमड़ा और फर उत्पाद	0.489	-6.1
30	रबड़, प्लास्टिक, पेट्रोलियम और कोयला	4.000	-1.9
31	रसायन और रसायन उत्पाद	12.513	1.7
32	गैर-धात्विक खनिज	2.999	6.3
33	मूल धातु और मिश्र धातु उद्योग	9.802	16.6
34	धातु उत्पाद और हिस्से पुर्जे	2.288	-7.1
35	मशीनरी, मशीनी औजार और हिस्से पुर्जे	6.240	-2.4
36.	वैद्युत मशीनरी	5.779	-15.7
37	परिवहन उपकरण और हिस्से-पुर्जे	6.386	-3.7
38	अन्य विनिर्माणकारी उद्योग	0.905	-18.0
प्रभाग 2-3	विनिर्माणकारी	77.107	-2.4
प्रभाग 1	खनन और उत्खनन	11.464	1.0
प्रभाग 4	बिजली	11.429	8.5
	कुल सूचकांक	100.000	-0.8

भारत-अमरीका वार्ता

*9. **श्री पवन कुमार बंसलः**
श्री धर्मण्णा मोन्डय्या सादुलः

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या भारत और अमरीका के अधिकारियों ने परमाणु अप्रसार संधि, दक्षिण एशिया में परमाणु हथियार मुक्त क्षेत्र और "मिसाइल टैक्नोलोजी कंट्रोल रजीम" जैसे विभिन्न द्विपक्षीय और बहुपक्षीय मामलों पर हाल ही में नई दिलली में परस्पर बातचीत की थी; और

(ख) यदि हां, तो जिन विषयों पर विचार किया गया उनमें से प्रत्येक के बारे में निकले निष्कर्ष का ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर० एल० भाटिया): (क) और (ख) जी हां। भारत-अमरीकी द्विपक्षीय वार्ता 18 और 19 जून को हुई थी। इस वार्ता में सार्वभौमिक निशस्त्रीकरण की प्रवृत्ति और क्षेत्रीय मुद्दों को शामिल किया गया था। नाभिकीय अप्रसार संधि और प्रक्षेपास्त्र प्रौद्योगिकी नियंत्रण प्रणाली पर बातचीत तो हुई थी परन्तु ये मुद्दे बातचीत का केंद्र नहीं थे। दक्षिण एशिया को नाभिकीय हथियारों से मुक्त करने के प्रश्न पर खुलकर बातचीत नहीं हुई।

सार्वभौमिक और क्षेत्रीय सुरक्षा के मसलों पर भारत-अमरीका द्विपक्षीय बातचीत का पहला दौर विचारों के प्रारम्भिक अन्वेषणात्मक आदान-प्रदान से संबद्ध था जिससे शस्त्र अप्रसार और सुरक्षा से संबंधित मसलों पर एक-दूसरे की विस्तृत स्थिति को और अधिक समझने-बूझने का मार्ग प्रशस्त हुआ।

[हिन्दी]

रूग्ण एककों को बन्द करना

*10. **श्रीमती शीला गौतमः**
श्री राजेश कुमारः

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) सरकारी नियंत्रण में लिए गये ऐसे रुग्ण औद्योगिक एककों का ब्यौरा क्या है जिन्हें गत तीन वर्षों के दौरान, उनके विस्तार तथा आधुनिकीकरण के पश्चात् उनकी क्षमता की व्यवहार्यता की विस्तृत जांच किए बिना ही बन्द कर दिया गया है; और

(ख) ऐसे एककों के नाम क्या है जहां विस्तृत जांच की गई थी?

उद्योग मंत्रालय (भारी उद्योग विभाग एवं सार्वजनिक उद्यम विभाग) में राज्य मंत्री (श्री पी० के० थुंगन): (क) और (ख) सरकारी क्षेत्र के किसी अधिगृहीत रुग्ण उद्यम को अब तक बन्द नहीं किया गया है। बहरहाल, केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के 47 अधिगृहीत उद्यमों में से 29 उद्यमों के नवीकरण/पुनर्स्थापन की उपयुक्त योजनाएं बनाने हेतु उन्हें औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्गठन मण्डल को सौंपा जाना है जिनमें 16 उद्यमों को औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्गठन मण्डल को सौंपा जा चुका है। तत्संबंधी विवरण सभापटल पर रख दिया गया है।

विवरण

सरकारी क्षेत्र के ऐसे अधिगृहीत रुग्ण उद्यमों की सूची जिन्हें औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्गठन बोर्ड को सौंपा गया है

1. भारत रिफ्रेक्ट्रीज लिमिटेड
2. मण्डया नेशनल पेपर मिल्स लिमिटेड
3. रिचर्डसन एण्ड क्रूडास (1972) लिमिटेड
4. भारतीय राष्ट्रीय बाइसिकल निगम लिमिटेड
5. टेनरी एण्ड फुटवीयर निगम
6. ब्रिटिश इण्डिया कारपोरेशन
7. कानपुर टेक्सटाइल्स लिमिटेड
8. एगिन मिल्स लिमिटेड
9. स्मिथ टेनिस्ट्रीट एण्ड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड
10. भारत प्रोसेस एण्ड मेकेनिकल्स इंजीनियर्स लिमिटेड
11. ब्रेथवेट एण्ड कंपनी लिमिटेड
12. भारत ब्रेक्स एण्ड वाल्व्स लिमिटेड
13. बीको लारी लिमिटेड
14. भारतीय साइकिल निगम लिमिटेड
15. भारतीय टायर निगम लिमिटेड
16. बेबर्ड इंडिया लिमिटेड

[अनुवाद]

अफगानिस्तान में भारतीय मूल के लोगों पर हमले

*11. श्री बी० श्रीनिवास प्रसाद:
श्री मोहन सिंह (देवरिया):

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को हाल ही में अफगानिस्तान में भारतीय मूल के लोगों पर हुए हमलों की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो इनमें कितने लोगों की जानें गई तथा कितनी सम्पत्ति का नुकसान हुआ;

(ग) क्या सरकार का विचार इस मामले पर उस देश के साथ बात करने का है; और यदि हां, तो कब तक;

(घ) उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए है/उठाने का विचार है; और

(ङ) अफगानिस्तान में नई सरकार बनने के पश्चात् भारतीय मूल के कितने व्यक्ति वहां से भारत वापस आये हैं?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर०एल० भाटिया): (क) जी हां।

(ख) से (ङ) सदन की मेज पर एक वक्तव्य रख दिया गया है।

विवरण

(ख) सरकार ने सात दुर्घटनाओं की रिपोटों की पुष्टि की है। काबुल की अव्यवस्थित और अशान्त मौजूदा परिस्थितियों में फिलहाल यह अनुमान लगाना सम्भव नहीं है कि वहां भारतीय मूल के व्यक्तियों की सम्पत्ति को कितनी हानि पहुंची है।

(ग) और (घ) सरकार इस मामले पर अफगानिस्तान की सरकार के साथ चर्चा कर चुकी है। अफगानिस्तान के अधिकारियों ने भारतीय मूल के अफगानी राष्ट्रिकों के जीवन और सम्पत्तियों की सुरक्षा के लिए हर संभव उपाय करने की अपनी दृढ़ इच्छा अभिव्यक्त की है।

(ङ) अनुमान है कि मई, 1992 से भारतीय मूल के 150-200 अफगानी प्रति सप्ताह वायु-मार्ग से काबुल से दिल्ली आ रहे हैं। कुछ अन्य थल मार्ग से भी आए हैं।

[हिन्दी]

प्रधान मंत्री की विदेश यात्राएं

*12. **श्री छेदी पासवान:**
श्री आर॰ सुरेन्द्र रेड्डी:

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन महीनों के दौरान प्रधान मंत्री ने किन-किन देशों की यात्रा की है; और

(ख) प्रत्येक देश की यात्रा किस-किस उद्देश्य से की गई और उसके क्या परिणाम निकले?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर॰एल॰ भाटिया): (क) और (ख) प्रधान मंत्री ने 11 से 14 जून, 1992 तक रियो-दि-जेनेरियो, ब्राजील की यात्रा की। वे संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण एवं विकास सम्मेलन के शिखर स्तरीय खंड को संबोधित करने वाले 104 राष्ट्राध्यक्षों/शासनाध्यक्षों में सर्वप्रथम थे। इस सम्मेलन में सम्पन्न कई अंतर्राष्ट्रीय करारों से सम्बद्ध कार्यवाही में भारत ने सक्रिय हिस्सा लिया जैसे "कार्यसूची 21" का स्वीकार किया जाना (पर्यावरण और अर्थव्यवस्था के आपसी सम्बन्धों पर दुष्प्रभाव डालने वाले सभी प्रमुख क्षेत्रों में सक्रिय कार्यवाही का एक विस्तृत कार्यक्रम) पर्यावरण एवं विकास पर रियो घोषणा का स्वीकार किया जाना, सभी तरह के वनों के प्रबन्ध, संरक्षण और दीर्घकालीन विकास पर एक सार्वभौम सहमति के सिद्धान्तों के विषय में एक गैर कानूनी बाध्यकारी अधिकारात्मक वक्तव्य का स्वीकार किया जाना, मौसम परिवर्तन विषयक एक प्रारूप अभिसमय और जैविक विविधता विषयक अभिसमय, दीर्घकालीन विकास संबंधी एक उच्च स्तरीय आयोग की स्थापना संबंधी समझौता, रेगिस्तान को रोकने के विषय में एक अभिसमय के संबंध में बातचीत शुरु करने के बारे में एक समझौता।

रियो में प्रधान मंत्री ने ब्राजील, एस्टोनिया, लात्विया, लिथुानिया, इन्डोनेशिया, मोजाम्बिक तथा मैक्सिको के राष्ट्रपतियों से; चीन, नेपाल और पाकिस्तान के प्रधान मंत्रियों से और जर्मनी के चांसलर हेल्मट कोह्ल से मुलाकात की। इन मुलाकातों में द्विपक्षीय और महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय मामलों पर विचार-विमर्श हुआ जिनमें पर्यावरण और विकास के बारे में भी विचार-विमर्श किया गया।

10-11 जून, 1992 को अपनी स्पेन यात्रा के दौरान प्रधान मंत्री स्पेन के कार्यकारी प्रधान मंत्री से मिले

तथा दोनों देशों को बीच आर्थिक एवं वाणिज्यिक सहयोग के मजबूत करने के बारे में, यूरोप के एकीकरण, दक्षिण एशिया तथा आतंकवाद का मुकाबला करने की सभी की इच्छा के संबंध में बातचीत हुई।

15 जून, 1992 को पुर्तगाल की यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति मारयो सोरेस से मुलाकात की। इस मुलाकात में युगोस्लाविया, ईसी की पुर्तगाली अध्यक्षता, संयुक्त राष्ट्र तथा गोवा में पुर्तगाली कोंसलावास और सांस्कृतिक केन्द्र की स्थापना के बारे में विचार-विमर्श किया गया।

प्रधान मंत्री ने 22 से 26 जून, 1992 तक जापान की यात्रा की। इस यात्रा से जापान से ठोस राजनीतिक और आर्थिक बातचीत करने का सुअवसर मिला। जापानी प्रतिक्रिया सकारात्मक रही और प्रधान मंत्री मियांजावा ने भारत के आर्थिक सुधारों में समर्थन देने की जापान की वचनबद्धता दोहराई तथा 112 बिलियन येन (लगभग 850 मिलियन अमरीकी डालर) के बराबर आधिकारिक विकास सहायता 1992-93 के लिए देने का वचन दिया। प्रधानमंत्री ने सार्वभौम एवं भेद-भाव रहित अप्रसार के प्रति भारत की वचनबद्धता पुनः दोहराई। भारत और जापान बाद में इस विषय पर औपचारिक द्विपक्षीय विचार-विमर्श करेंगे।

[अनुवाद]

कारों तथा जीपों का निर्माण

*13. **श्री एन॰ डेनिसः** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) गैर-सरकारी क्षेत्र की ऐसी फर्मों के नाम क्या हैं जिन्हें कारों तथा जीपों का निर्माण करने हेतु लाइसेंस जारी किये गये हैं; और

(ख) इन वाहनों के निर्माण के लिए उनकी लाइसेंस प्राप्त क्षमता का ब्यौरा क्या है?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही): (क) और (ख) सरकारी क्षेत्र के निम्नलिखित एककों को कार और जीप का विनिर्माण करने के लिए लाइसेंस दिये गये हैं:—

क्र॰सं॰	एकक का नाम	लाइसेंसी क्षमता (नग प्रति वर्ष)	अधिष्ठापित क्षमता (नग प्रति वर्ष)
कार			
1.	मै॰ हिन्दुस्तान मोटर्स	80,000	60,000
2.	मै॰ प्रीमियर आटोमोबील्स	50,000	54,000
3.	मै॰ सिपानी आटोमोबील्स	3,000	3,000
4.	मै॰ स्टैन्डर्ड मोटर्स	15,000	7,500
जीप			
1.	मै॰ महिन्द्रा एंड महिन्द्रा	52,000	37,000
		(वाणिज्यिक वाहनों सहित)	

सार्वजनिक निवेश बोर्ड द्वारा मंजूर किया गया निवेश

*15. **डा॰ डी॰ वेंकटेश्वर राव:** क्या योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सार्वजनिक निवेश बोर्ड ने अप्रैल और मई 1992 के प्रथम सप्ताह में 14295.15 करोड़ रुपये के नए निवेश की मंजूरी दी है;

(ख) क्या निकट भविष्य में कुछ और परियोजनाओं को भी शुरू किए जाने की संभावना है;

(ग) यदि हां, तो ये परियोजनाएं किन क्षेत्रों में कार्य कर रही हैं;

(घ) क्या विद्युत परियोजनाओं के लिए पर्याप्त धनराशि निर्धारित नहीं की गई है;

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) इस बारे में क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने हैं?

योजना एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्यमंत्री तथा अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुखराम): (क) से (च), अप्रैल 1992 के दौरान सार्वजनिक निवेश बोर्ड ने 9215.19 करोड़ रुपए का कुल निवेश (नये एवं संशोधित अनुमान) स्वीकृत किया। मई 1992 के प्रथम सप्ताह में सार्वजनिक निवेश बोर्ड की बैठक कोई नहीं हुई। 30 जून, 1992 के अनुसार सार्वजनिक निवेश बोर्ड के पास 18 परियोजनाएं विचारार्थ एवं 4 परियोजनाएं पुनर्विचारार्थ लम्बित थीं। ये परियोजनाएं कोयला, विद्युत, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस, रसायन एवं पैट्रो-रसायन, इस्पात, खान, जल भूतल परिवहन एवं उर्वरक क्षेत्रकों में हैं। विद्युत परियोजनाओं सहित विभिन्न परियोजनाओं के लिए निधियां प्रायोजक मंत्रालय द्वारा मूल्यांकन के अनुसार उनकी आवश्यकताओं और संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर मुहैया कराई जाती हैं। यह सच नहीं है कि विद्युत परियोजनाओं के लिए पर्याप्त निधियां मुहैया नहीं कराई गई हैं।

[हिन्दी]

परियोजनाओं की स्वीकृति

*16. **डा॰ लाल बहादुर रावल:**
श्री राजवीर सिंह:

क्या योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा केन्द्रीय सरकार की स्वीकृति के लिए भेजी गई सिंचाई, बिजली और परिवहन परियोजनाओं के नाम क्या हैं,

(ख) इनमें से कितने प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान की गई है; और

(ग) शेष परियोजनाओं की स्वीकृति कब तक दी जाएगी?

योजना एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्यमंत्री तथा अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुखराम): (क) इस क्षेत्रक में परियोजनाएं राज्य सरकारों द्वारा सीधे ही संबंधित प्रशासनिक मंत्रालयों को प्रस्तुत की जाती हैं। परियोजनाओं की तकनीकी आर्थिक उपादेयता

की जांच करने तथा उनको स्वीकार्य पाये जाने के उपरांत परियोजनाओं की सिफारिश निवेश स्वीकृति के लिए योजना आयोग को की जाती है।

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान निम्न परियोजनाओं के लिए निवेश अनुमोदित किया गया है:

(i) ज्ञानपुर पम्प कैनाल, तथा

(ii) राजघाट पन विद्युत (3×15 मे॰वा॰)

(iii) हरियाणा-उत्तर रदेश सीमा से मथुरा तक दिल्ली मथुरा रोड (एन एच-2) का चार लेन बनाना।

(ग) प्रश्न नहीं उठता क्योंकि योजना आयोग में निवेश स्वीकृति के लिए कोई परियोजना लंबित नहीं है।

असम सरकारी क्षेत्र के उपक्रम

*17. **श्री प्रबीन डेका:**

श्री उद्धव बर्मन:

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) असम स्थित सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में 31 मार्च 1992 तक कुल कितनी धनराशि लगी थी;

(ख) इनमें से प्रत्येक उपक्रम का वार्षिक उत्पादन हानि/लाभ क्या है और प्रत्येक में कार्यरत कर्मचारियों की संख्या क्या है;

(ग) असम स्थित ऐसी केन्द्रीय परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है जिनमें केन्द्रीय सरकार का और निवेश करने का विचार है; और

(घ) कार्यान्वित की जा रही केन्द्रीय परियोजनाओं के नाम क्या हैं और इनके कब तक पूरी हो जाने की संभावना है?

उद्योग मंत्रालय (भारी उद्योग विभाग एवं सार्वजनिक उद्यम विभाग) में राज्य मंत्री (श्री पी॰ के॰ थुंगन): (क) केवल 31.3.1991 तक की ही जानकारी उपलब्ध है और उसके अनुसार असम राज्य में स्थित केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों में सकल परिसम्पत्ति के रूप में कुल पूंजीनिवेश 5460.49 करोड़ रुपये था।

(ख) ब्यौरा इस प्रकार है:—

	सरकारी क्षेत्र के उद्यम	उत्पादन का मूल्य करोड़ रुपयों में (1990-91)	लाभ(+)/हानि(-) करोड़ रुपयों में (1990-91)	31.3.1991 तक कर्मचारियों की संख्या
1.	असम अशोक होटल निगम लि॰	0.84	- 0.05	89
2.	बोंगाईगांव रिफाइनरी एण्ड पैट्रोकेमिकल्स लि॰	380.69	48.50	1789
3.	उत्तर-पूर्वी क्षेत्रीय कृषि विपणन निगम लि॰	1.14	- 1.98	112
4.	आॅयल इण्डिया लि॰	433.22	68.11	10591

(ग) केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों में पूंजीनिवेश, परियोजना की तनकीनी-आर्थिक व्यवहार्यता के साथ-साथ समग्र संतुलित क्षेत्रीय विकास को, ध्यान में रखकर किया जाता है।

(घ) वांछित जानकारी 5 मार्च, 1992 को संसद के समक्ष प्रस्तुत किए गए लोक उद्यम सर्वेक्षण, 1990-91 के खण्ड-I की पृष्ठ संख्या 55 से 63 तक पर उपलब्ध है।

आवश्यक वस्तुओं के मूल्य

*18. **श्री ई० अहमद:** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सामान्य बजट पेश किये जाने के बाद आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में कोई वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो अप्रैल, मई और जून, 1992 में हुई मूल्य वृद्धि का पृथक-पृथक ब्यौरा क्या है; और

(ग) सार्वजनिक वितरण प्रणाली को बेहतर बनाने के लिए क्या उपाय किये गये हैं और मूल्य नियंत्रण पर इसका क्या प्रभाव पड़ा है?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद): (क) और (ख) अप्रैल, मई और जून (20.6.1992 तक) के महीनों के दौरान चुनी हुई 29 आवश्यक वस्तुओं के थोक मूल्य सूचकाकों में आए उतार-चढ़ाव दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

(ग) सार्वजनिक वितरण प्रणाली को मजबूत तथा सुप्रवाही बनाने का कार्य एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है और इस प्रणाली के निर्बाध कार्यकरण में आने वाली रुकावटों को हटाने के लिए राज्य सरकारों के साथ नियमित रूप से चर्चाएं की जाती हैं। सार्वजनिक वितरण प्रणाली संबंधी परामर्शदात्री परिपद की अगस्त, 1991 में हुई 13वीं बैठक तथा बाद में अक्तूबर, 1991 में मुख्यमंत्रियों तथा राज्य खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्रियों की बैठक में की गई सिफ़ारिशों पर अनुवर्ती कार्रवाई के रूप में सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सम्पुष्ट किया जा रहा है। केंन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकारों के साथ परामर्श करके विभिन्न क्षेत्र विशिष्ट कार्यक्रमों, जैसे सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम, मरुस्थल विकास कार्यक्रम, समेकित आदिवासी विकास परियोंजना तथा निर्दिष्ट पर्वतीय क्षेत्रों के तहत आने वाले लगभग 1700 ब्लाकों की पहचान की है, ताकि इन क्षेत्रों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली की वस्तुएं बेहतर तरीके से पहुंच सकें। राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों से अनुरोध किया गया है कि वे उन क्षेत्रों में अतिरिक्त उचित दर दुकानें खोलें जहां इस प्रणाली की सुविधा नहीं है अथवा कम सुविधा है, अब तक इस प्रणाली के अन्तर्गत न लाई गई आबादी को अतिरिक्त राशन कार्ड जारी करें, जाली राशन कार्डों को समाप्त करें, सार्वजनिक वितरण प्रणाली की वस्तुएं उचित दर दुकानों तक पहुंचाएं और इन क्षेत्रों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली में सुधार लाने के लिए अतिरिक्त भण्डारण क्षमता सृजित करें। प्रधान मंत्री महोदय ने 1.1.1992 को राजस्थान में बाड़मेर में इस कार्यक्रम का औपचारिक शुभारंभ किया। सम्पुष्ट सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा सूचित की गई प्रगति संतोपजनक है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में खाद्यान्नों की उपलभ्यता में और सुधार लाने के लिए केंद्रीय सरकार ने सम्पुष्ट सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत जून और जुलाई, 1992 के लिए प्रतिमाह लगभग 1.67 लाख मी० टन खाद्यान्नों का विशेप अतिरिक्त आवंटन किया है। ये अतिरिक्त आवंटन उन सामान्य आवंटनों के अतिरिक्त होंगे जो राज्य सरकारें इन क्षेत्रों के लिए विगत में करती रही हैं। यह भी निर्णय लिया गया है कि सम्पुष्ट सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत

चुने गए क्षेत्रों को खाद्यान्न की आपूर्ति विशेष राजसहायता प्राप्त दरों पर की जाएगी, जैसा कि समेकित आदिवासी विकास परियोजना क्षेत्रों में किया जाता है। राज्य सरकारों को यह सुनिश्चित करने का प्रयास करना चाहिए कि चुने गए क्षेत्रों में बसे परिवारों को कम से कम 20 कि॰ ग्रा॰ खाद्यान्न प्रतिमाह उपलब्ध हो। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत केंद्रीय निर्गम मूल्य बाजार मूल्य से कम होते हैं। अतः यह खुले बाजार में इन वस्तुओं के मूयों में वृद्धि के रुख को संयत करने में रुख-निर्धारक का कार्य करती है।

विवरण

अप्रैल, 92, मई, 92 और जून, 92 (20.6.1992 तक) महीनों के दौरान चुनी आवश्यक वस्तुओं के थोक मूल्य सूचकांकों का रुख

	प्रतिशत उतार-चढ़ाव		
वस्तु	अप्रैल, 92	मई, 92	जून, 92 (20.6.1992 तक)
चावल	- 0.9	+ 1.7	- 0.3
गेहूं	- 5.3	- 4.8	+ 1.4
ज्वार	+ 6.4	+ 3.2	- 0.8
बाजरा	+ 9.7	+ 0.5	- 1.7
चना	+ 4.1	- 3.3	- 0.5
अरहर	- 2.8	+ 0.7	+ 0.6
मूंग	+ 5.0	+ 2.3	+ 8.6
मसूर	- 1.9	- 0.2	+ 2.1
उड़द	+ 2.0	+ 2.3	- 1.4
आलू	- 3.9	+ 11.5	+ 1.4
प्याज	- 2.5	+ 14.3	+ 19.1
दूध	+ 1.1	+ 0.6	स्थिर
मछली	- 5.6	+ 6.6	स्थिर
गोश्त	+ 1.4	+ 1.7	+ 1.7
लाल मिर्च	+ 3.2	+ 10.2	+ 0.4
चाय	+ 3.3	+ 4.9	+ 1.6
कोक	स्थिर	स्थिर	स्थिर
मिट्टी का तेल	स्थिर	स्थिर	स्थिर
आटा	+ 3.0	- 1.3	+ 3.5
चीनी	- 0.3	+ 2.8	- 0.6
गुड़	+ 2.0	+ 7.9	+ 5.4
नमक	- 2.1	- 2.5	- 2.4
वनस्पति	+ 1.5	स्थिर	- 0.2

प्रतिशत उतार-चढ़ाव

वस्तु	अप्रैल, 92	मई, 92	जून, 92 (20.6.1992 तक)
सरसों का तेल	- 2.0	- 0.8	- 5.5
नारियल का तेल	- 0.6	- 0.6	+ 0.5
मूंगफली का तेल	- 0.2	- 2.3	- 0.8
सूती कपड़ा (मिल का)	+ 0.9	+ 0.8	स्थिर
कपड़े धोने का साबुन	स्थिर	+ 0.9	स्थिर
दियासलाई	+ 0.4	+ 0.9	स्थिर
समग्र वस्तुएं	+ 0.9	+ 0.8	+ 0.4

इंडियन रेअर अर्थ्स लिमिटेड

*19. **श्री गोपीनाथ गजपति:** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उड़ीसा के गंजम जिले में छत्रपुर के निकट स्थित इण्डियन रेअर अर्थ्स लिमिटेड भारी घाटे में चल रहा है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) इण्डियन रेअर अर्थ्स लिमिटेड को अब तक कुल कितना घाटा हुआ है; और

(घ) उक्त एकक को प्रभावी ढंग से चलाने के लिए सरकार ने क्या उपचारात्मक कदम उठाये हैं ताकि वह घाटे में न चले?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय (इलैक्ट्रानिकी तथा महासागर विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम): (क) और (ख) उड़ीसा में छत्रपुर स्थित इंडियन रेअर अर्थ्स की ऑस्काम यूनिट विभिन्न कारणों से घाटे में चली। सिंथेटिक रूटाइल जो कि एक मूल्यवर्धक उत्पाद है, का उत्पादन करने में संयंत्र में तकनीकी कठिनाइयां आईं जिससे उत्पादन क्षमता सीमित हो गई और उत्पादन लागत बढ़ गई। सिंथेटिक रूटाइल के उत्पादन के लिए आवश्यक निवेश की ऊंची लागत ने उत्पादित सिंथेटिक रूटाइल के आर्थिक दृष्टि से व्यवहार्य होने को भी प्रभावित किया। विश्व बाजार में इल्मेनाइट के व्यापार में काफी अधिक मंदी आ जाने के परिणामस्वरूप मांग कम हो गई और निर्यात किए जाने वाले माल का स्टाक जमा हो गया।

(ग) इंडियन रेअर अर्थ्स की छत्रपुर यूनिट में लगातार घाटा हो रहा है जो अन्य यूनिटों में होने वाले लाभ के कारण काफी कम हो गया है। वर्ष 1991-92 के लेखे को अभी अन्तिम रूप दिया जाना है।

(घ) जहां प्रौद्योगिकी में संशोधन के प्रयास किए जा रहे हैं, वहीं विदेशों में इस उत्पाद की मांग बनाए रखना सुनिश्चित करने के लिए विदेशी क्रेताओं से बातचीत की जा रही है।

[हिन्दी]

मारुति उद्योग लिमिटेड

*20. **श्री विलास मुत्तेमवार:**
श्री मृत्युंजय नायक:

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या केन्द्रीय जांच ब्यूरो की सिफारिश पर सरकार मारुति उद्योग लिमिटेड के चेयरमैन तथा प्रबन्धकों द्वारा की गई कथित अनियमितताओं के बारे में जांच कराने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) जांच कराने में देरी के क्या कारण हैं और जांच कार्य कब तक शुरू हो जाने की संभावना है?

उद्योग मंत्रालय (भारी उद्योग विभाग एवं सार्वजनिक उद्यम विभाग) में राज्य मंत्री (श्री पी० के० थुंगन): (क) से (ग) केन्द्रीय जांच ब्यूरो से कुछ संदर्भ प्राप्त हुए हैं जो विचाराधीन हैं।

दिल्ली में पंजीकृत बेरोजगार

*1. **श्री मदन लाल खुराना:** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) इस समय संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली में पंजीकृत विभिन्न श्रेणियों के बेरोजगार व्यक्तियों की संख्या कितनी है;

(ख) पंजीकृत बेरोजगार व्यक्तियों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए सरकार/दिल्ली प्रशासन की क्या-क्या योजनाएं हैं; और

(ग) पंजीकृत बेरोजगार व्यक्तियों को कब तक रोजगार दे दिए जाने की संभावना है?

श्रम मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पवन सिंह घाटोवार): (क) दिसम्बर, 1991 की स्थिति के अनुसार संघ शासित प्रदेश दिल्ली में रोज़गार कार्यालयों के चालू रजिस्टर पर नौकरी चाहने वालों, यह अनिवार्य नहीं कि वे सभी बेरोज़गार हों, की विभिन्न श्रेणियों की संख्या निम्न प्रकार हैः—

		संख्या (हजारों में)
	योग...........	890.9
(क)	पुरुष...........	711.1
(ख)	महिला..........	179.7
	श्रेणी वार ब्यौराः	
	सामान्य...........	754.6
	अनुसूचित जाति	123.0
	अनुसूचित जनजाति	13.3

उपर्युक्त आंकड़ों में 11,514 भूतपूर्व सैनिक एवं 5007 विकलांग व्यक्ति शामिल हैं।

(ख) और (ग) दिल्ली में बेरोजगार व्यक्तियों को रोज़गार प्रदान करने की कोई विशेष योजना नही है।

तथापि रोज़गार आठवीं योजना का महत्वपूर्ण क्षेत्र है और आठवीं योजना (1992-97) में परिकल्पित किये गये विभिन्न क्षेत्रों में विकास कार्यक्रमों से पर्याप्त रोज़गार अवसर सृजित किये जाने की संभावना है जिससे दिल्ली में पंजीकृत बेरोज़गार व्यक्तियों के भी लाभान्वित होने की आशा है। देश में एक दशक की अवधि में लगभग पूर्ण रोज़गार की स्थिति सृजित करने का लक्ष्य है।

स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड का उत्पादन

*2. **श्री एम॰ वी॰ चन्द्रशेखर मूर्ति:** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड द्वारा वर्ष 1992-93 तथा 1993-94 के लिए तैयार की गई उत्पादन योजना का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड के दुपहिया तथा तिपहिया वाहनों की मांग बढ़ती जा रही है;

(ग) स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड द्वारा वर्ष 1992-93 तथा 1990-91 के दौरान किये गये उत्पादन का उत्पादन वार तथा मूल्यवार ब्यौरा क्या है और इन दोनों वर्षों के विक्रय आंकड़े क्या हैं;

(घ) क्या स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड दक्षिण भारत में अपने उत्पादनों की बढ़ती मांग होने के बावजूद उस क्षेत्र में अपने उत्पादों का विपणन नहीं कर रहा है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य तथा ब्यौरा क्या है?

उद्योग मंत्रालय (भारी उद्योग विभाग एवं सार्वजनिक उद्यम विभाग) में राज्य मंत्री (श्री पी॰ के॰ थुंगन): (क) स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड के वर्ष 1992-93 और 1993-94 के लिये उत्पादन लक्ष्य के ब्यौरे निम्न प्रकार हैं:—

उत्पाद	1992-93	1993-94
दुपहिये (संख्या)	12,000	20,400
तिपहिये (संख्या)	4,800	6,900
पंखे (संख्या)	60,000	1,20,000
मूल्य (लाख रुपयों मे)	4,687	8,820

(ख) जी, हां।

(ग) ब्यौरे संलग्न विवरण में दर्शाए गए हैं।

(घ) और (ङ) स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड अपने उत्पादों का दक्षिण भारत में विपणन कर रहा है। जिसके ब्यौरे नीचे दिए गए हैं।

उत्पाद	1991-92		1990-91	
	भौतिक संख्या	वित्तीय (लाखों रुपये)	भौतिक संख्या	वित्तीय (लाख रुपयों में)
दुपहिये	516	63	303	33
तिपहिये	14	9	14	8
पंखे	10243	53	4969	21

(ग) वर्ष 1991-92 और 1990-91 के लिए उत्पादन और बिक्री के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं:—

(1) उत्पादन उत्पाद मिश्र	1991-92 भौतिक (संख्या में)	 वित्तीय (लाख रुपयों में)	1990-91 भौतिक (संख्या में)	 वित्तीय (लाख रुपयों में)
दुपहिये (संख्या)	1712	201	650	72
तिपहिये (संख्या)	2994	1656	1616	749
पंखे (संख्या)	95168	476	40884	199
कुल पुर्जे (लाख रुपयों में)	—	112	—	100
(2) बिक्री				
दुपहिये	1700	200	604	66
तिपहिये	2958	1606	1603	741
पंखे	93238	466	40585	190
कुल पुर्जे	—	112	—	98
निर्यात	—	321	—	129

गुजरात में ग्रामीण विकास कार्यक्रमों पर व्यय

3. **श्री काशीराम राणा:** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 1991-92 के दौरान गुजरात में विभिन्न ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के लिए कितनी धनराशि आवंटित की गई;

(ख) इसमें से शिक्षा तथा स्वास्थ्य पर कितनी धनराशि खर्च की गई;

(ग) क्या गुजरात सरकार ने इस अवधि के दौरान आवंटित सम्पूर्ण धनराशि का उपयोग कर लिया है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री उत्तमभाई एच॰ पटेल): (क) वर्ष 1991-92 के दौरान गुजरात में विभिन्न ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के लिए निधियों के आवंटन के ब्यौरे संलग्न अनुबन्ध-1 में दिए गए हैं।

(ख) गुजरात राज्य में स्वास्थ्य पर व्यय की गयी धनराशि इस प्रकार है:—

योजना	(लाख रुपए में)
1. राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम	362.64
2. राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम	53.50
3. राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम	108.00
4. राष्ट्रीय अंधता नियंत्रण कार्यक्रम	54.70

आपरेशन ब्लैक बोर्ड के तहत प्राथमिक पाठशालाओं में कमरों के निर्माण के लिए शिक्षा शीर्ष के तहत 492.96 लाख रुपए खर्च किए गए थे।

(ग) जी हां। निधियों के उपयोग के ब्यौरे संलगन विवरण में दिए गए हैं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

(रुपए लाख में)

कार्यक्रम का शीर्षक	रिलीज की धनराशि (केन्द्रीय अंश)	किया गया उपयोग
1. समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम	2132.11	2770.44
2. ग्रामीण युवा स्वरोजगार प्रशिक्षण (ट्राइसेम)	4[illegible]	462.45
3. ग्रामीण क्षेत्रों में महिला तथा शिशु विकास योजना (डवाकरा)	74.51	66.80
4. जवाहर रोजगार योजना	8090.69	10039.31*
5. सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम	746.00	736.37
6. मरुभूमि विकास कार्यक्रम	225.00	280.47

*आपरेशन ब्लैक बोर्ड पर किया गया व्यय सहित।

आयल पाम की खेती

4. **श्रीमती वसुन्धरा राजे:** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार आयल पाम की खेती का व्यवसायीकरण करने के लिये एक प्रायोगिक परियोजना आरम्भ करने का है:

(ख) यदि हां, तो इन प्रायोगिक परियोजनाओं को किन-किन राज्यों में शुरू किये जाने का प्रस्ताव है:

(ग) क्या वर्ष 1988-89 के दौरान कुछ राज्यों में कुछ ऐसी परियोजनाएं आरम्भ की गई थी, और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इसकी क्या उपलब्धियां रहीं?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय (इलैक्ट्रोनिकी तथा महासागर विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम्): (क) और (ख) भारत सरकार का फिलहाल तेलताड़ की खेती के व्यवसायीकरण की प्रायोगिक परियोजना स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। किन्तु, कृषि एवं सहकारिता विभाग (तिलहन एवं दलहन सम्बन्धी प्रौद्योगिकी मिशन) ने 1990-91 और 1991-92 के दौरान छांटे गये राज्यों में तेलताड़ कृषि संवर्धन के लिये अनेक योजनाबद्ध कार्यक्रम मंजूर किये हैं, उदाहरणतः तीन बीज उद्यान (आन्ध्र प्रदेश, कर्नाटक तथा केरल में एक-एक), ग्यारह तेलताड़ पौधशालाएं (आन्ध्र प्रदेश तथा कर्नाटक में तीन-तीन, गुजरात तथा तमिलनाडु में दो-दो तथा त्रिपुरा में एक पौधशाला), कर्नाटक में तेलताड़ की खेती के लिये कृषक स्तरीय प्रदर्शन सम्बन्धी एक परियोजना, आंध्र प्रदेश तथा गोवा में क्षेत्र-विस्तार कार्यक्रम हेतु तेलताड़ नवोद्भिदों का वितरण, आंध्र प्रदेश में संसाधन एकक संबंधी प्रदर्शन, केन्द्रीय रोपण फसल अनुसंधान संस्थान (भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद्), पालोड स्थित बीज अंकुरक (सीड जर्मिनेटर) की क्षमता का विस्तार तथा केन्द्रीय रोपण फसल अनुसंधान संस्थान (भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद्), पालोड में तेलताड़ हेतु व्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम।

(ग) और (घ) भारत सरकार ने बायोटेक्नोलाॅजी विभाग के माध्यम से महाराष्ट्र, कर्नाटक तथा आंध्रप्रदेश की राज्य सरकारों के साथ संयुक्त रूप से लगभग एक-एक हजार हेक्टेयर से अधिक सिंचित क्षेत्र में तेलताड़ कृषि की व्यवहार्यता प्रदर्शित करने हेतु तेलताड़ प्रदर्शन परियोजनाएं (ओ॰डी॰पी॰) आरम्भ की है। तेलताड़ प्रदर्शन परियोजना क्षेत्रों में शामिल हैं: महाराष्ट्र में सिंधु दुर्ग जिला (कोंकण क्षेत्र), कर्नाटक में शिमोगा जिला तथा आंध्र प्रदेश में कृष्णा, पश्चिम गोदावरी तथा पूर्वी गोदावरी जिले। आयातित तथा स्वदेशी, दोनों क्षेत्रों से प्राप्त श्रेष्ठ, अधिक पैदावार वाले संकर पूर्व-अंकुरित बीजों से पोलीथीन की थैलियों में पौध तैयार की गई है। रोपण मौसम के दौरान अब तक आंध्र प्रदेश में लगभ 1050 हेक्टेयर, कर्नाटक में लगभग 1114 हेक्टेयर तथा महाराष्ट्र में लगभग 1000 हेक्टेयर क्षेत्र में 12 से 18 माह तक के पौधे खेतों में लगाये गये। खेत में लगाये जाने के 24 से 36 माह के पश्चात् फल लगना शुरू होने की आशा है। प्रत्येक राज्य में आधुनिक ताड़ तेल संसाधन संयंत्र स्थापित किये जाने के प्रयास शुरू किये गये हैं। आशा है कि 1993 के मध्य तक इन राज्यों के फल गुच्छों की पहली फसल प्राप्त होने तक ये बनकर तैयार हो जायेंगे।

तेंदू पत्ता श्रमिकों का कल्याण

5. **कुमारी पुष्पा देवी सिंह:** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने मध्य प्रदेश के तेंदू पत्ता श्रमिकों के कल्याण हेतु कुछ उपाय किये हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन उपायों को कब से लागू किया गया है?

श्रम मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पवन सिंह घाटोवार): (क) से (ग) मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने तेंदू पत्ता कर्मकारों के लिए मृत्यु होने पर 3000/रु० की एक निःशुल्क सामाजिक सुरक्षा समूह बीमा योजना शुरू की है। यह योजना 1 अप्रैल, 1991 से शुरू की गयी है और मध्य प्रदेश राज्य लघु वनोपज व्यापार एवं विकास सहकारी संघ के माध्यम से कार्यान्वित की जा रही है।

"फायर कोल" का उत्पादन

6. **श्री ललित उरांव:** क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार बिहार में "कच्चा" कोयला जलाकर "फायर कोल" का उत्पादन करने की किसी योजना पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार आवासीय तथा औद्योगिक क्षेत्रों को "कच्चा" कोयला जलाने से उत्पन्न प्रदूषण से मुक्त रखने के उद्देश्य से इस योजना को गैर-आवासीय क्षेत्रों में कार्यान्वित करने का है; और

(घ) यदि हां, तो इस प्रयोजनार्थ क्या मानदण्ड अपनाया गया है?

कोयला मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एस० बी० न्यामगौड): (क) से (घ) जी, नहीं। बिहार में कच्चे कोयले के जलावन द्वारा घरेलू ईंधन का उत्पादन किए जाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। कोयला कंपनियों द्वारा साफ्ट कोक का उत्पादन किए जाने की अंगीकृत ऐसी ही प्रक्रिया पर राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा आपत्ति लगा दी गई है। किन्तु केन्द्रीय खान आयोजन एवं डिजाइन संस्थान, रांची ने विशेष धुंआरहित ईंधन (एस०एस०एफ०) का उत्पादन किए जाने के लिए एक प्रक्रिया विकसित की है। धुंआरहित घरेलू ईंधन का उत्पादन किए जाने की इस प्रक्रिया को अंगीकृत किए जाने के लिए निजी उद्यमियों को प्रोत्साहित किया जा रहा है।

बिहार में ग्रामीण बेरोजगारी

7. **श्री विजय कुमार यादव:** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) चालू वित्त वर्ष में ग्रामीण विकास के लिए बिहार सरकार को कुल कितनी धनराशि आवंटित की गई है और इसमें से कितनी धनराशि राज्य में ग्रामीण बेरोजगारी को दूर करने के लिए नियत की गयी है; और

(ख) इसके फलस्वरूप अनुमानतः कितने लोगों को रोजगार मिलने की सम्भावना है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री जी० वैंकटस्वामी): (क) और (ख) चालू वित्तीय वर्ष अर्थात 1992-93 के अन्तर्गत बिहार को चार प्रमुख ग्रामीण विकास कार्यक्रमों अर्थात जवाहर रोजगार योजना (जे०आर०वाई०), समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम (आई०आर०डी०पी०), त्वरित

ग्रामीण जल सप्लाई कार्यक्रम (ए०आर०डब्ल्यू०एस०पी०) और सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम (डी०पी०ए०पी०) के अन्तर्गत आवंटित केन्द्रीय निधियां नीचे दर्शाई गई हैं।

(लाख रु० में)

क्रमांक	कार्यक्रम का नाम	आवंटित केन्द्रीय निधियां
1.	जवाहर रोजगार योजना	30013.98
2.	समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम	4889.00
3.	त्वरित ग्रामीण जल सप्लाई कार्यक्रम	299.00
4.	सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम	828.00

जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत आवंटित निधियों का आशय योजना के अन्तर्गत रोजगार का प्रत्यक्ष सृजन करना है। यह अनुमान लगाया गया है कि चालू वित्तीय वर्ष अर्थात 1992-93 में जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत बिहार में रोजगार के 937.94 लाख श्रमदिनों का सृजन किया जाएगा।

भारतीय उर्वरक निगम लिमिटेड में राजभाषा नीति का कार्यान्वयन

8. **श्री तारा चन्द खंडेलवाल:** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय उर्वरक निगम लिमिटेड में राजभाषा नीति का अनुपालन हो रहा है,

(ख) यदि नहीं, तो इसके विशेष रूप से "क" क्षेत्र में स्थित कार्यालयों में पाई गई कमियों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) वहां उक्त नीति का उचित कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाये जाने का विचार है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० चिन्ता मोहन): (क) से (ग) राजभाषा नीति के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए एफ सी आई द्वारा सभी सम्भव प्रयास किये गये हैं। कम्पनी में नीति के कार्यान्वयन में अनेक कमियां हैं। कमियों की प्रकृति में विशेष रूप से "क" क्षेत्र में निम्नलिखित शामिल हैः—

अनेक क्षेत्रों में निर्धारित लक्ष्य अभी पूरे नहीं हुए हैः जैसे हिन्दी टाइपराइटरों और द्विभाषी इलैक्ट्रानिक कार्यालय उपस्करों की अपेक्षित संख्या में खरीद, हिन्दी टंककों/आशुलिपिकों की अपेक्षित संख्या, हिन्दी में पत्रों को जारी करना, राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) का कार्यान्वयन, पर्याप्त संख्या में हिन्दी पुस्तकों की खरीद, हिन्दी में काम करने वाले अनुभागों की पर्याप्त संख्या आदि। राजभाषा नीति के सम्यक अनुपालन हेतु कम्पनी द्वारा सभी प्रयास किये जा रहे हैं। कर्मचारियों को हिन्दी टंकण में प्रशिक्षित किया जा रहा है। हिन्दी के और अधिक टाइपराइटर खरीदे जाने के प्रयास किये जाएंगे। हिन्दी आशुलिपि में प्रशिक्षण कार्यक्रम की परिकल्पना की गई है। राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) के कार्यान्वयन के लिए अपेक्षाकृत अधिक जांच बिन्दु बनाने का विचार किया गया है। कर्मचारियों को विभिन्न प्रोत्साहन योजनाओं में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। हिन्दी के प्रयोग में की गयी प्रगति की समीक्षा के लिए तिमाही समीक्षा बैठकें आयोजित की जाती हैं।

सिविल सेवा के अधिकारियों को गैर-सरकारी क्षेत्र में लगाना

9. **श्री वी० शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे:** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार सिविल सेवा के अधिकारियों को गैर-सरकारी क्षेत्र में लगाने हेतु भारतीय उद्योग परिसंघ द्वारा तैयार किए गए प्रस्ताव पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रस्ताव पर विचार करने की मौजूदा स्थिति क्या है;

(ग) इस प्रस्ताव पर सिविल सेवा के अधिकारियों की क्या प्रतिक्रिया है;

(घ) क्या सरकार ने ब्रिटेन में चल रहे "ब्रिज प्रोग्राम" का भी अध्ययन किया है;

(ङ) सरकार द्वारा इस विषय पर कब तक निर्णय लिए जाने की सम्भावना है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मार्गरेट अल्वा): (क) से (ङ) भारतीय उद्योग परिसंघ से सिविल सेवा के अधिकारियों को गैर-सरकारी क्षेत्र में लगाये जाने का एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। प्रस्ताव की जांच की जा रही है।

(च) प्रश्न नही उठता

ग्रामीण विकास के लिए धनराशि का आवंटन

10. **श्री गंगाधरा सानीपल्ली:** क्या योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) आठवीं पंचवर्षीय योजना में प्रत्येक ग्रामीण विकास योजना के लिए वर्ष-वार, कितनी धनराशि आवंटित की गई है;

(ख) क्या सातवीं पंचवर्षीय योजना में आवंटित की गई धनराशि की तुलना में कम धनराशि आवंटित की गई है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

योजना एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्यमंत्री तथा अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुखराम): (क) से (ग) ग्रामीण विकास की विभिन्न स्कीमों के संबंध में सातवीं पंचवर्षीय योजना के लिए केन्द्र द्वारा अनुमोदित परिव्यय और आठवीं पंचवर्षीय योजना के लिए अंनतिम परिव्यय की स्थिति दर्शाते हुए एक विवरण, संलग्न विवरण-I में दिया गया है। ग्रामीण विकास की स्कीमों के लिए सातवीं पंचवर्षीय योजना में किए गए परिव्यय की तुलना में आठवीं पंचवर्षीय योजना में अधिक परिव्यय किया गया है। आठवीं पंचवर्षीय योजना के लिए विभिन्न स्कीमों का वर्षवार आवंटन वार्षिक योजनाओं को अंतिम रूप देते समय निर्धारित किया जाएगा। बहरहाल वर्ष 1992-93 के लिए स्कीमवार आवंटन संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

विवरण-I

ग्रामीण विकास कार्यक्रमों/स्कीमों के लिए आठवीं योजना (1992—97) और सातवीं योजना (1985—90) का अनुमोदित परिव्यय दर्शाने वाला विवरण

(करोड़ रुपए में)

क्र०सं०	कार्यक्रम/स्कीमें	आवंटन	
		सातवीं योजना (1985-90)	आठवीं योजना (1992-97) अनंतिम
1.	**ग्रामीण विकास के लिए विशेष कार्यक्रम**		
	(1) आई आर डी पी तथा सम्बद्ध कार्यक्रम	1,207,09	3,800,00
	(2) सूखा प्रभावित क्षेत्र कार्यक्रम (डीपीएपी)	237.00	500.00
	(3) रेगिस्तान विकास कार्यक्रम (डीडीपी)	245.00	500.00
2.	**ग्रामीण रोजगार***		
	(1) राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम (एनआरईपी)	1,250.81	—
	(2) ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम	1,743.78	—
	(3) जवाहर रोजगार योजना (जेआरवाई)	2,100.00	18,400.00
3.	जन कार्य और ग्रामीण प्रौद्योगिकी उन्नयन के लिए परिषद (सीएपीएआरटी)	20.00	100.00
4.	प्रशिक्षण कार्यक्रम	28.00	50.00
5.	भूमि सुधार स्कीमें	36.71	240.00
6.	पंचायत विकास और प्रशिक्षण	—	10.00
7.	विशेष दुर्गम क्षेत्रों में सड़कें	—	20.00
8.	जनजातीय क्षेत्रों में सड़कें	14.00** (नई सहित)	स्कीमों
9.	अन्य आर०डी०कार्यक्रम	50.50	400.00
10.	ग्रामीण जल आपूर्ति और स्वच्छता	1,286.32	5,480.00
11.	कृषि विपणन	60.00	150.00
12.	ग्रामीण आवास	—	350.00
	कुल जोड़	8,279.21	30,000.00

*एनआरईपी और आरएलईजीपी के स्थान पर 1.4.1989 से जवाहर रोजगार योजना लागू की गई।

**स्कीम को रोक दिया गया।

विवरण-II

ग्रामीण विकास कार्यक्रमों/स्कीमों के लिए 1992-93 का अनुमोदित परिव्यय दर्शाने वाला विवरण

(करोड़ रुपए में)

क्र.सं.	कार्यक्रम/स्कीमें	अनुमोदित परिव्यय 1992-93
1.	ग्रामीण विकास के लिए विशेष कार्यक्रम	
(1)	आईआरडीपी तथा संबद्ध कार्यक्रम	411.20
(2)	सूखा प्रभावित क्षेत्र कार्यक्रम (डीपीएपी)	51.26
(3)	रेगिस्तान विकास कार्यक्रम (डीडीपी)	50.00
2.	ग्रामीण रोजगार	
(1)	जवाहर रोजगार योजना (जेआरवाई)	2,046.00
3.	जन कार्य और ग्रामीण प्रौद्योगिकी उन्नयन के लिए परिषद (सीएपीएआरटी)	5.00
4.	प्रशिक्षण कार्यक्रम	4.75
5.	भूमि सुधार स्कीमें	25.02
6.	पंचायत विकास और प्रशिक्षण	1.00
7.	विशेष दुर्गम क्षेत्रों में सड़कें	2.00
8.	अन्य आर.डी. कार्यक्रम	6.75
9.	ग्रामीण जलापूर्ति और स्वच्छता	480.00
10.	कृषि विपणन	7.02
11.	ग्रामीण आवास	10.00
	कुल जोड़	3,100.00

[हिन्दी]

भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र में हड़ताल

II. श्री एन॰जे॰ राठवा: क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र, मुम्बई के कर्मचारी जून, 1992 के दौरान हड़ताल पर थे;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और उक्त हड़ताल में कितने कर्मचारियों ने भाग लिया था;

(ग) इस हड़ताल से कितने परमाणु रिएक्टर प्रभावित हुए थे;

(घ) भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र के कर्मचारियों की हड़ताल से उत्पन्न स्थिति से निपटने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये थे; और

(ङ) परमाणु रिएक्टरों की सुरक्षा हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय (इलैक्ट्रानिकी विभाग तथा महासागर विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम) : (क) और (ख) भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र में काम करने वाले 13,800 से अधिक कर्मचारियों में से, ध्रुव और साइरस अनुसंधान रिएक्टरों में काम करने वाले 136 ट्रेड्समैनों ने, जिनका पदनाम संयंत्र प्रचालक है, "बी ए आर सी हाई फ्लक्स रिएक्टर आपरेटर्स एसोसिएशन" नामक तथाकथित संस्था को मान्यता देने की मांग की थी। चूंकि भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र में ज्वाइंट कन्सलटेटिव मशीनरी स्कीम के अन्तर्गत वर्ग ग और घ के कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करने वाली एक मान्यता प्राप्त यूनियन पहले ही से है, प्रचालकों को यह सूचित कर दिया गया था कि किसी और एसोशिएसन को जो इतने थोड़े व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व करती हो, मान्यता देना संभव नहीं होगा। ये प्रचालक 11.6.1992 से अनधिकृत रूप से ड्यूटी से अनुपस्थित रहे।

(ग) इन प्रचालकों के अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के कारण ध्रुव और साइरस अनुसंधान रिएक्टरों का परिचालन अस्थायी रूप से प्रभावित हुआ। तथापि, सुरक्षा संबंधी सभी आवश्यकताएं यथावत् पूरी कर ली गई थीं।

(घ) हड़ताल शुरू होने के समय, साइरस रिएक्टर अनुरक्षण संबंधी प्रयोजनों के लिए निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार बंद था। ध्रुव रिएक्टर को, जो कि काम कर रहा था, हड़ताल होने के बाद एहतियाती तौर पर बंद कर दिया गया। साइरस और ध्रुव के संयंत्र के सभी क्षेत्रों में रिएक्टरों की परिचालन, अनुरक्षण और तकनीकी सेवाएं संबंधी शाखाओं के ऐसे अनुभवी अभियंताओं और पर्यवेक्षकों को, जिन्हें इन रिएक्टरों के बारे में पर्याप्त ज्ञान और जानकारी है, तुरन्त भेजने की व्यवस्था की गई। तत्पश्चात्, नियामक संबंधी प्राधिकारियों से अनुमति मिलने के बाद, ध्रुव रिएक्टर को पर्याप्त संख्या में अभियंताओं और पर्यवेक्षकों की सहायता से 17 जून, 1992 को फिर से चालू कर दिया गया। संयंत्र प्रचालकों को काम पर वापिस लौटने के लिए समझाया जाता रहा और अन्त में वे 26 जून, 1992 को काम पर वापिस लौट आए।

(ड़) संयंत्र प्रचालकों द्वारा की गई हड़ताल की अवधि के दौरान, पर्याप्त संख्या में ऐसे अभियंताओं और पर्यवेक्षकों को, जो सुप्रशिक्षित हैं और जिन्हें इन रिएक्टर संयंत्रों के बारे में पर्याप्त रूप से जानकारी है, संयंत्र के सभी क्षेत्रों में तुरन्त तैनात कर दिया गया और सुरक्षा संबंधी सभी आवश्यकताएं ठीक तरह से पूरी की गई। इस प्रकार, भविष्य में ऐसी ही कोई परिस्थिति पैदा होने पर, जिसके होने की बहुत ही कम संभावना हो, रिएक्टरों को इस प्रकार की समरूपी व्यवस्था द्वारा पर्याप्त रूप से सुरक्षित रखा जा सकता है। इसके अतिरिक्त, इन रिएक्टरों के डिजायन में सुरक्षा संबंधी अनेक स्वचालित विशेषताएं इस तरह से समाविष्ट की गई हैं कि उनकी वजह से रिएक्टर, संयंत्र के कार्मिकों अथवा जनता की सुरक्षा के संबंध में चिंता की कोई जरूरत नहीं।

कोटद्वार, उत्तर प्रदेश में विकास केन्द्र

12. **मेजर जनरल (रिटायर्ड) भुवन चन्द्र खंडूरी**: क्या प्रधान मंत्री 4.9.1991 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5692 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को उत्तर प्रदेश में कोटद्वार में विकास केन्द्र के संबंध में राज्य सरकार द्वारा भेजी गई रिपोर्ट प्राप्त हो गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस केन्द्र को शीघ्र चालू करने हेतु सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही): (क) से (ग) विकास केन्द्र योजना के तहत पौड़ी गढ़वाल जिले को एक विकास केन्द्र आवंटित किया गया है। इस विकास केन्द्र की स्थापना शिवराजपुर-पदमपुर में की जाएगी जो कोटद्वार से लगभग 6 कि० मी० दूरी पर है। शिवराजपुर-पदमपुर विकास केन्द्र के लिए राज्य सरकार द्वारा भेजी गयी परियोजना रिपोर्ट का शीर्ष अभिकरणों द्वारा मूल्यांकन किया जा रहा है। इस केन्द्र को 50 लाख रुपये की केन्द्रीय सहायता अंततिम रूप से दे दी गयी है।

[अनुवाद]

खादी और ग्रामोद्योग के लिए कार्यकारी दल

14. **श्री धर्मभिक्षम:** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने श्री बलवंत राय मेहता की अध्यक्षता में खादी और ग्रामोद्योग के लिए एक कार्यकारी दल नियुक्त किया था;

(ख) यदि हां, तो इस दल की नियुक्ति कब की गई थी; और

(ग) इस दल की रिपोर्ट की मुख्य विशेपताएं क्या हैं तथा इसमें दिये गये सुझावों को लागू करने हेतु सरकार द्वारा क्या उपाय किये गये हैं?

उद्योग मंत्रालय (लघु उद्योग तथा कृषि एवं ग्रामीण उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (प्रो० पी० जे० कुरियन): (क) जी, हां।

(ख) कार्य-दल का गठन अगस्त, 1963 में किया गया था।

(ग) इस समिति के व्याप्त प्रवृत्तियों और उपलब्ध आंकड़ों को ध्यान में रखते हुए तीसरी पंचवर्षीय योजनावधि के दौरान खादी एवं ग्रामोद्योग कार्यक्रमों और योजनाओं की प्रगति की आलोचनात्मक समीक्षा की तथा चौथी पंचवर्षीय योजना के लिए प्रप्रस्तस्ताव तैयार किये। खादी एंव ग्रामोद्योग क्षेत्र के चौथी पंचवर्षीय योजना प्रस्ताव तैयार करते समय इस समिति की सिफारिशों पर विचार किया गया था।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को बेचना

15. **श्री राम नाईक:** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को बेचने के दो दौर हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक बार कुल कितनी धनराशि प्राप्त हुई;

(ग) सरकारी क्षेत्र के जिन उपक्रमों को बेचा गया उनका ब्यौरा क्या है और प्रत्येक क्रेता द्वारा अलग-अलग दो दौरों के लिए किये गये भुगतान का ब्यौरा क्या है; और

(घ) बेचे गए शेयरों के बढ़ते भावों का निर्णय करने के लिए क्या मानक और तरीके अपनाये गये हैं?

उद्योग मंत्रालय (भारी उद्योग विभाग एवं सार्वजनिक उद्यम विभाग) में राज्य मंत्री (श्री पी०के०थुंगन): (क) जी हां।

(ख) प्रथम तथा द्वितीय चक्र में प्राप्त कुल धनराशि क्रमशः 1427,41,10,610 रुपये तथा 1610,68,31,300 रुपये थी।

(ग) और (घ) सरकारी क्षेत्र के जिन उपक्रमों के शेयर बेचे गए हैं उनका ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है तथा प्रत्येक क्रेता द्वारा दोनों चक्रों में भुगतान की गई राशि का पृथक-पृथक ब्यौरा संलग्न

विवरण-II में दिया गया है। बेचे गए शेयरों के मूल्य के निर्णय हेतु अपनाए गए मानक एवं तरीके पूंजी निर्गम नियंत्रक के मार्गनिर्देशों के प्राचलों के अंतर्गत थे।

विवरण I

सरकारी क्षेत्र के उन उपक्रमों के नाम जिनके शेयर बेचे गए हैं

क्रम०सं०	सरकारी उद्यम का नाम	बेचे गए शेयरों का प्रतिशत
1.	हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपो० लि०	20.00
2.	इंडियन रेलवे कंस्ट्रक्शन कंपनी लि०	0.27
3.	खनिज एवं धातु व्यापार निगम लि०	0.67
4.	भारत पेट्रोलियम कारपो० लि०	20.00
5.	भारत अर्थमूवर्स लि०	20.00
6.	विदेश संचार निगम लि०	20.00
7.	राज्य व्यापार निगम लि०	7.98
8.	भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लि०	20.00
9.	भारतीय नौवहन निगम	20.00
10.	इंडियन पेट्रोकैमिकल्स निगम लि०	20.00
11.	एचएमटी लि०	5.43
12.	ड्रेजिंग कारपो० आफ इंडिया लि०	1.44
13.	भारत इलेक्ट्रोनिक्स लि०	20.00
14.	कोचीन रिफाइनरीज लि०	10.01
15.	इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज	20.00
16.	एण्ड्रयू युले	13.57
17.	हिन्दुस्तान आर्गेनिक कैमिकल्स लि०	20.00
18.	हिन्दुस्तान केब्ल्स लि०	3.64
19.	मद्रास रिफाइनरीज लि०	20.00
20.	महानगर टेलीफोन निगम लि०	20.00
21.	राष्ट्रीय कैमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लि०	5.64
22.	भारतीय इस्पात प्राधिकरण लि०	5.00
23.	नेवेली लिग्नाईट कारपो०	5.00
24.	नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लि०	2.72
25.	हिन्दुस्तान जिंक लि०	20.00
26.	बोंगाईगांव रिफाइनरीज एंड पेट्रोकैमिकल्स लि०	20.00
27.	नेशनल फर्टिलाइजर लि०	2.28
28.	फर्टिलाइजर्स एंड कैमिकल्स (त्रावणकोर) लि०	1.54

क्रम०सं०	सरकारी उद्यम का नाम	बेचे गए शेयरों का प्रतिशत
29.	हिन्दुस्तान फोटोफिल्म मैन्यू० कंपनी लि०	16.05
30.	सीएमसी लि०	16.69

विवरण II

क्रम० संख्या	संस्थान का नाम	1991-92 के दौरान बेचे गए शेयरों की राशि का ब्यौरा	
		पहली बार बेचे गए शेयरों की राशि	दूसरी बार बेचे गये शेयरों की राशि
1	2	3	4
1.	यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया	775,75,93,500	1331,50,00,000
2.	कैनबैंक सांझा कोष	131,22,00,000	—
3.	साधारण बीमा निगम	211,96,69,110	—
4.	जीवन बीमा निगम	184,30,29,000	—
5.	जीवन बीमा निगम सांझा कोष	27,37,19,000	—
6.	पंजाब नेशनल बैंक सांझा कोष	3,60,00,000	—
7.	भारतीय स्टेट बैंक सांझा कोष	93,19,00,000	13,00,00,000
8.	भारतीय स्टेट बैंक पूंजी बाजार	—	39,62,00,000
9.	इंडियन बैंक सांझा कोष	—	13,32,72,600
10.	बैंक ऑफ बड़ौदा	—	99,30,00,000
11.	इलाहाबाद बैंक	—	26,02,00,000
12.	कारपोरेशन बैंक	—	33,85,00,000
13.	कैनबैंक वित्तीय सेवायें	—	13,03,58,700
14.	बैंक ऑफ इंडिया सांझा कोष	—	41,03,00,000
	जोड़	1427,41,10,610	1610,68,31,300

कोल इंडिया लिमिटेड की विक्रय नीति

16. **श्री अशोकराव आनन्दराव देशमुख:** क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कोल इंडिया लिमिटेड ने अधिक कार्यकुशलता प्राप्त करने और उपभोक्ताओं को अधिकाधिक संतुष्ट करने के उद्देश्य से एक व्यापक विक्रय नीति बनाई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कोयला मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एस० बी० न्यामगौड): (क) और (ख) कोल इंडिया लि० द्वारा एक मसौदा बिक्री मैनुअल तैयार किया गया है। इस मैनुअल का उद्देश्य, सभी उपभोक्ताओं को कोयले के वितरण की प्रक्रिया को और अधिक कार्यकुशल, खुला और साफ-सुथरा बनाने के लिए कोयले के विपणन, वितरण और संकलन संबंधी नीति और प्रक्रिया में सुधार तथा सुदृढ़ करना है।

जवाहर रोजगार योजना के अंतर्गत धनराशि का आवंटन

17. **प्रो० प्रेम धूमल:** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वित्त वर्ष 1992-93 के दौरान जवाहर रोजगार योजना के अंतर्गत राज्यवार कितनी धनराशि आवंटित की गई और कितने रोजगार अवसर पैदा करने का प्रस्ताव है;

(ख) क्या हिमाचल प्रदेश जैसे पहाड़ी और पिछड़े राज्यों, जो विशेष श्रेणी के राज्यों में आते हैं, को कोई प्राथमिकता दी गई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री जी० वेंकटस्वामी): (क) जवाहर रोजगार योजना के अंतर्गत वर्ष 1992-93 के लिए 2556.22 करोड़ रुपये की राशि (राज्य अंश सहित) आवंटित की गई है और 7965.84 लाख श्रम दिनों के रोजगार का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। राज्यवार ब्यौरे विवरण-I में दिये गए हैं।

(ख) जी हां।

(ग) जवाहर रोजगार योजना के अंतर्गत राज्यों में संसाधनों का आवंटन देश में कुल ग्रामीण गरीबों की तुलना में राज्यों में ग्रामीण गरीबों के अनुपात के आधार पर किया जाता है। तथापि, पर्वतीय, मरुस्थली और पिछड़े जिलों की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए और कुछ छोटे राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों की सहायता करने के उद्देश्य से 1989-90 के दौरान जवाहर रोजगार योजना के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश, जम्मू व कश्मीर, मणिपुर, राजस्थान, गोआ, अण्डमान निकोबार द्वीप समूह, दादर व नगर हवेली, लक्षद्वीप और पांडिचेरी को अतिरिक्त निधियां दी गई थीं। चूंकि जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत बाद के वर्षों में भी निधियां उसी अनुपात में आवंटित की गई हैं, इन राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को चालू वर्ष में भी अतिरिक्त सहायता दी जा रही है। अतिरिक्त निधियों के बारे में राज्य-वार ब्यौरे विवरण-II में दिये गये हैं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण-I

क्रमांक	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	निधियों का आबंटन (लाख रु० में)			रोजगार लक्ष्य (लाख श्रम दिन)
		केन्द्रीय	राज्य	कुल	
1.	आन्ध्र प्रदेश	14954.56	3738.64	18693.20	659.76
2.	अरुणाचल प्रदेश	258.01	64.50	322.51	12.09
3.	असम	3990.69	997.67	4988.36	119.72
4.	बिहार	30013.98	7503.50	37517.48	937.94
5.	गोआ	278.77	69.69	348.46	8.36
6.	गुजरात	6312.84	1578.21	7891.05	315.64
7.	हरियाणा	1503.42	375.86	1879.28	33.71
8.	हिमाचल प्रदेश	885.81	221.45	1107.26	29.77
9.	जम्मू व कश्मीर	1257.39	314.35	1571.74	62.87
10.	कर्नाटक	9409.67	2352.42	11762.09	441.08
11.	केरल	4990.67	1247.67	6238.34	138.63
12.	मध्य प्रदेश	20600.74	5150.19	25750.93	762.24
13.	महाराष्ट्र	15936.64	3984.16	19920.80	838.77
14.	मणिपुर	330.69	82.67	413.36	9.84
15.	मेघालय	386.94	96.74	483.68	11.61
16.	मिजोरम	163.00	40.75	203.75	4.37
17.	नागालैंड	414.77	103.69	518.46	20.74
18.	उड़ीसा	10217.41	2554.35	12771.76	306.52
19.	पंजाब	1307.44	326.86	1634.30	26.50
20.	राजस्थान	9991.41	2497.85	12489.26	340.62
21.	सिक्किम	151.01	37.75	188.76	6.66
22.	तमिलनाडु	13438.89	3359.72	16798.61	671.94
23.	त्रिपुरा	429.52	107.38	536.90	20.13
24.	उत्तर प्रदेश	39865.89	9966.47	49832.36	1613.57
25.	पश्चिम बंगाल	16999.41	4249.85	21249.26	557.24
26.	अण्डमान व निको० द्वीप समूह	152.70	0.00	152.70	4.47

क्रमांक	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	निधियों का आबंटन (लाख रु० में) केन्द्रीय	राज्य	कुल	रोजगार लक्ष्य (लाख श्रम दिन)
27.	दादर व नगर हवेली	82.89	0.00	82.89	3.55
28.	दमन व दीव	48.83	0.00	48.83	1.63
29.	लक्षय द्वीप	76.55	0.00	76.55	2.55
30.	पांडिचेरी	149.47	0.00	149.47	3.32
	योगः	204600.00	51022.39	255622.39	7965.84

विवरण-II

(लाख रुपये में)

क्रमांक	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	मानदंड के अनुसार केन्द्रीय आबंटन (इंदिरा आवास योजना को छोड़ कर)	वास्तविक केन्द्रीय आबंटन (इंदिरा आवास योजना को छोड़कर)	अतिरिक्त केन्द्रीय आबंटन
1.	गोआ	250.39	277.81	27.42
2.	हिमाचल प्रदेश	504.63	846.06	341.43
3.	जम्मू व कश्मीर	704.94	1234.24	529.30
4.	मणिपुर	113.64	323.99	210.35
5.	राजस्थान	9129.57	9237.54	107.97
6.	अंडमान और निको० द्वीप समूह	52.00	150.70	98.70
7.	दादर और नगर हवेली	34.67	75.01	40.64
8.	दमन और दीव	26.96	47.4	20.88
9.	लक्षद्वीप	9.63	74.55	64.92
10.	पंडिचेरी	113.64	143.48	29.84

द्वीपों का संरक्षण

18. **श्री सनत कुमार मंडल:** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) यदि विनाशकारी भूमि कटाव को नहीं रोका गया तो क्या सागर द्वीप का अधिकांश भाग निकट भविष्य में बंगाल की खाड़ी में डूब जाएगा;

(ख) क्या सागर द्वीप के अतिरिक्त बहुत से अन्य छोटे द्वीपों को भी यही खतरा है; और

(ग) यदि हां, तो इन द्वीपों को समुद्र में डूबने से बचाने के लिए क्या कदम उठाए जाने का विचार है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय (इलैक्ट्रोनिकी तथा महासागर विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम): (क) नहीं श्रीमान।

(ख) भूमि कटाव की समस्या घोरामारा द्वीप में भी पायी गई है, लेकिन यह इतनी नहीं है कि द्वीप बंगाल की खाड़ी में डूब जाएगा।

(ग) जल संसाधन मंत्रालय, केन्द्रीय जल आयोग, कलकत्ता पोर्ट ट्रस्ट तथा गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग के विशेपज्ञों के एक दल ने इस क्षेत्र का दौरा करने के बाद समस्या का अध्ययन किया तथा भूमि कटाव की समस्या को नियंत्रित करने के लिए निम्नलिखित सुझाव दिए:

(1) कटाव को नियंत्रित करने के लिए घोरामारा तथा सागर द्वीपों से गहरे जलप्रवाह की धारा को हुगली नदी में स्थानान्तरित करना तथा आवश्यक नमूना अध्ययन के लिए इस समस्या की ओर केन्द्रीय जल तथा विद्युत अनुसंधान केन्द्र का ध्यान दिलाना।

(2) घोरामारा तथा सागर द्वीपों के प्रभावित क्षेत्रों के साथ-साथ प्राथमिकता के आधार पर संरक्षण कार्य।

(3) पश्चिम बंगाल के वन विभाग द्वारा सागर तथा घोरामारा द्वीपों में मैंग्रोव वृक्ष लगाना; तथा,

(4) सिंचाई और जलपथ विभाग तथा कलकत्ता पोर्ट ट्रस्ट के बीच उचित समन्वय के लिए यांत्रिकी की स्थापना करना, ताकि प्रत्येक को उनके द्वारा प्रस्तावित निर्माण कार्यों के प्रभाव की जानकारी मिले तथा ऐसी योजनाएं बनाने में सहायक हों जिससे दोनों के हितों की रक्षा हो सके।

उपर्युक्त सिफारिशों की पश्चिम बंगाल सरकार तथा कलकत्ता पोर्ट ट्रस्ट द्वारा जांच की जा रही है।

शिकायत कक्ष

20. **डा० सी० सिलवेरा**: क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय सरकार के प्रत्येक कार्यालय और दिल्ली प्रशासन में शिकायत कक्ष खोला गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या शिकायतों के तुरन्त निवारण के लिए पीड़ित व्यक्तियों की व्यक्तिगत रूप से सुनवाई की अनुमति दी जा रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या इन कक्षों के लिए शिकायतों का अन्तिम रूप से निपटान करने हेतु कोई समय सीमा निर्धारित की गई है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती मार्गेट अल्वा): (क) और (ख) भारत सरकार के मन्त्रालयों/विभागों और अन्य मुख्य संगठनों में लोक शिकायत निवारण एकक गठित किए गए हैं। प्रत्येक ऐसे एकक का प्रमुख उप सचिव अथवा निदेशक के पद का

अधिकारी होता है जिसे प्रायः शिकायत निदेशालय के रूप में पदनामित किया जाता है। वह समूचे संबंधित संगठन के शिकायत निवारण कार्य की देखभाल करता है।

दिल्ली प्रशासन के सचिवालय में भी एक शिकायत निवारण कक्ष है जो एक सचिव के सीधे पर्यवेक्षण में कार्य करता है। दिल्ली प्रशासन के अन्य मुख्य कार्यालयों में वरिष्ठ अधिकारियों को शिकायत निवारण अधिकारी के रूप में नामित किया गया है।

(ग) और (घ) भारत सरकार के मन्त्रालय/विभाग तथा अन्य मुख्य संगठन सप्ताह के एक विनिर्दिष्ट दिन को बैठक विहीन दिवस रखते हैं उस दिन उप सचिव तथा उससे ऊपर के स्तर के सभी अधिकारी 10.00 बजे से 13.00 बजे तक अपने अपने स्थान पर उपलब्ध रहते हैं तथा उन लोगों की शिकायतों को प्राप्त करते हैं तथा उनको सुनते हैं, जो इस प्रयोजन के लिए आते हैं। यह कार्य उस शिकायत निवारण कार्य के अतिरिक्त होता है जो कार्यालयों में, अन्य कार्य-दिवसों में नेमी कार्य करने के दौरान किया जाता है।

(ङ) और (च) शिकायतों का तीव्रगति से निपटान करने के लिए सरकार द्वारा स्थायी अनुदेश जारी किए गए हैं। समय समय पर इनकी पुनरावृत्ति की जाती है। किसी से भी शिकायत प्राप्त होने पर उसे पन्द्रह दिन के भीतर उत्तर दिया जाना होता है। यदि जिस मामले में यथेष्ट कार्रवाई किए जाने में अधिक समय लगना अपेक्षित होता है तो उस व्यक्ति को उपयुक्त सूचना भेजी जानी होती है एवं उसमें लगने वाले संभाव्य समय का भी यथासंभव संकेत दिया जाना होता है।

केरल को आवश्यक वस्तुओं का आवंटन

21. **प्रो० के० वी० थामस:** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) केरल को जनवरी, 1992 से चावल, गेहूं, चीनी तथा पाम-आयल कितनी-कितनी मात्रा का आवंटन किया गया है;

(ख) केरल को उपर्युक्त वस्तुएं कुल कितनी मात्रा में दी गई हैं;

(ग) क्या केरल ने अपरिष्कृत चावल के बजाय सेला चावल देने का अनुरोध किया है; और

(घ) यदि हां, तो केरल को जनवरी, 1992 से अब तक उबले चावल की कितनी मात्रा में सप्लाई की गयी है?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद): (क) और (ख) जनवरी, 1992 से करेल को चावल, गेहूं, लेवी चीनी और पाम आॅयल का आबंटन और उनके द्वारा उठाई गई मात्रा संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) और (घ) सेला चावल की उपलभ्यता सीमित है। फिर भी केन्द्रीय सरकार केरल को यथा-संभव चावल उपलब्ध कराती है। केरल को जनवरी, 92 से सप्लाई किए गए सेला चावल की मात्रा निम्नवत है:

माह	मात्रा (मी० टन में)	आबंटन के प्रति प्रतिशत
जनवरी, 92	70,300	46.8
फरवरी, 92	1,06,100	70.7

माह	मात्रा (मी० टन में)	आबंटन के प्रति प्रतिशत
मार्च, 92. . .	79,300	52.8
अप्रैल, 92 .	1,04,100	69.4
मई, 92 . .	1,13,100	75.4
जून, 92 .	1,04,000	69.3

विवरण

जनवरी, 92 से केरल को चावल, गेहूं, लेवी चीना और पाम आयल का आवंटन और उसके द्वारा उठाई गई मात्रा

(मात्रा मी० टन में)

माह	चावल		गेहूं		लेवी चावल		खाद्य तेल	
	आवंटन	उठाई गई मात्रा	आवंटन	उठाई गई मात्रा	आवंटन	उठाई गई मात्रा	आवंटन	उठाई गई मात्रा
जनवरी, 92. .	1,50,000	1,46,000	27,000	26,600	12,551	*	शून्य	शून्य
फरवरी, 92. .	1,50,000	1,64,800	30,000	21,500	12,551	*	शून्य	शून्य
मार्च, 92. . .	1,50,000	1,29,100	30,000	22,200	12,551	*	शून्य	245
अप्रैल, 92 . .	1,50,000	153,300	25,000	15,000	12,551	*	1000	शून्य
मई, 92 . . .	1,50,000	1,56,300	25,000	13,200	12,551	*	शून्य	शून्य
जून, 92 . . .	1,50,000	उ०न०	25,000	उ०न०	12,551	*	शून्य	शून्य

*सामान्यतः चीनी की शत-प्रतिशत मात्रा उठा ली जाती है।

उ०न० = उपलब्ध नहीं।

विस्थापित व्यक्तियों का पुनर्वास

*22. **कुमारी फ्रिडा तोपनोः** क्या कोयला मंत्री 19 दिसम्बर, 1991 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4612 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) वसुंधरा ईस्ट ओपन गोपालपुर कोयला खानों की खुदाई के परिणामस्वरूप पहले चरण में रिकलीपाड़ा, कुलापाड़ा और सुरदेजा के विस्थापित 68 परिवारों के पुनर्वास का ब्यौरा क्या है;

(ख) उनके पुनर्वास के लिए प्रस्तावित किए गए स्थानों के क्या नाम हैं और उनके निवास पर खर्च की जाने वाली प्रस्तावित धनराशि कितनी है;

(ग) इस प्रकार विस्थापित हुए कितने लोगों को अब तक रोजगार दिया जा चुका है;

(घ) कितने व्यक्तियों को विस्थापित प्रमाणपत्र दिए गए हैं और कितनो को अभी दिए जाने बाकी हैं; और

(ङ) सभी विस्थापितों को कब तक रोजगार दे दिया जाएगा?

कोयला मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एस० बी० न्यामगौड): (क) टिकलीपाड़ा, कुलापाड़ा और सुरदेजा में परिवारों का विस्थापन नहीं किया गया है, चूंकि खनन कार्यकलापों का अभी वन संबंधी अनुमोदन प्राप्त करने की प्रतीक्षा की जा रही है।

(ख) टिकलीपाड़ा गांव में एक स्थल पर पुर्नवास का कार्य किए जाने का प्रस्ताव है और इसके विकास के लिए 29 लाख रु० की राशि खर्च किए जाने का प्रस्ताव है।

(ग) और (घ) उपरोक्त (क) को देखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता।

(ङ) खनन के लिए भूमि दिए जाने के बाद ही भू-वंचितों को रोजगार दिए जाने की कार्रवाई शुरू की जाएगी।

दिल्ली में राशन कार्ड जारी करना

23. **श्री गोविन्द चन्द्र मुन्डाः** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली प्रशासन के खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग के खाद्य निरीक्षक राशन कार्ड धारकों को काफी पहले नये राशन कार्डों की जांच के बावजूद नये राशन कार्ड जारी नहीं कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में प्राप्त शिकायतों का क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) से (ग) दिल्ली प्रशासन ने सूचित किया है कि उन्हें ऐसी कोई शिकायतें प्राप्त नहीं हुई हैं।

बेरोजगार व्यक्ति

24. **श्री अरविन्द त्रिवेदी**
श्री जनार्दन मिश्र
श्री पंकज चौधरी

कया प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश के विभिन्न भागों में बेरोजगार व्यक्तियों की संख्या में निरन्तर वृद्धि हो रही है;

(ख) यदि हां, तो इनकी संख्या में पिछले वर्ष कितनी वृद्धि हुई;

(ग) क्या सरकार इस संख्या में निरन्तर हो रही वृद्धि को रोकने हेतु कोई उपाय कर रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

श्रम मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पवन सिंह घाटोवार): (क) देश में बेरोजगार व्यक्तियों की संख्या संबंधी आकड़े वर्षानुवर्ष आधार पर उपलब्ध नहीं हैं। तथापि, देश के रोज़गार कार्यालयों में पंजीकृत नौकरी चाहने वालों, यह अनिवार्य नहीं है कि वे सभी बेरोज़गार हों, की संख्या में निरन्तर वृद्धि हुई है।

(ख) दिसम्बर, 1991 की स्थिति के अनुसार, रोज़गार कार्यालयों में पंजीकृत नौकरी चाहने वालों की संख्या में दिसम्बर, 1990 की तुलना में 4.8% की वृद्धि हुई है।

(ग) से (ङ) बेरोजगारी की समस्या का हल करने के लिए विशेष रोज़गार सृजन कार्यक्रम, जैसे एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम (आई आर डी पी), जवाहर रोजगार योजना (जे आर वाई), नेहरू रोज़गार योजना, शिक्षित बेरोजगार युवाओं को स्वरोज़गार उपलब्ध कराने की योजना आदि, हैं। रोज़गार, आठवीं पंचवर्षीय योजना का केन्द्रीय उद्देश्य भी है और प्रति वर्ष औसत आधार पर 80 से 90 लाख अतिरिक्त रोज़गार अवसर सृजित किये जाने की आशा है।

गोवा में विकास केन्द्र

25. **श्री हरीश नारायण प्रभु झांट्ये:** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गोवा में वारना में विकास केन्द्र कब स्वीकृत किया गया है और इसके लिए कितनी धनराशि स्वीकृत की गई है; और

(ख) अब तक कितने उद्योग लगाए गए हैं और उनमें कितने व्यक्तियों को रोजगार दिया गया है?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही): (क) और (ख) गोवा में वारना विकास केन्द्र की परियोजना रिपोर्ट का शीर्ष अभिकरण द्वारा मूल्यांकन किया जा रहा है। मार्च, 1992 में 50 लाख रु० की केन्द्रीय सहायता अनंतिम रूप से दे दी गयी है।

[अनुवाद]

प्रधान मंत्री की रियो-डि-जेनेरो में विश्व नेताओं के साथ मुलाकात

26. **श्री शरद दिघे:** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उन्होंने अपनी रिओ-दि-जेनेरो की यात्रा के दौरान विभिन्न देशों के राष्ट्राध्यक्षों और शासनाध्यक्षों से मुलाकात की थी;

(ख) यदि हां, तो उनमें से प्रत्येक के साथ किन मुद्दों पर चर्चा की गई और उस चर्चा का क्या निष्कर्ष निकला;

(ग) क्या अमरीका के राष्ट्रपति के साथ उनकी वार्ता में भारतीय अन्तरिक्ष अनुसंधान संगठन पर लगाये गए प्रतिबन्ध के मुद्दे पर भी बातचीत हुई; और

(घ) यदि हां, तो उसका निष्कर्ष क्या रहा?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो): (क) और (ख) जी हां। रियो में प्रधान मंत्री ने ब्राजील, एस्तोनिया, लात्विया, इण्डोनेशिया, मोजाम्बिक और मैक्सिको के राष्ट्रपतियों, चीन, नेपाल और पाकिस्तान के प्रधान मंत्रियों और जर्मनी के चांसलर हेल्मट कोह्ल के साथ मुलाकात की। इन बैठकों में द्विपक्षीय मसलों तथा महत्वपूर्ण अन्तर्राष्ट्रीय मसलों, जिनमें पर्यावरण और विकास शामिल हैं, पर चर्चा हुई।

(ग) और (घ) प्रधान मंत्री रियो द जेनेरियो में अमरीका के राष्ट्रपति से नहीं मिले थे।

निर्माण मजदूरों के कल्याण के लिए कानून बनाना

27. **श्री हन्नान मोल्लाहः**
श्री जनार्दन मिश्रः
श्री बी॰ एन॰ रेड्डीः

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या निर्माण-मजदूरों के हितों की रक्षा करने के लिए कानून बनाये जाने के लिए मांग की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस संबंध में कोई कार्रवाई की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण है?

श्रम मंत्रालय में उप मंत्रीः (श्री पवन सिंह घाटोवार): (क) से (घ) निर्माण कर्मकारों के लिये एक केन्द्रीय विधान के लिये मांग उठायी जाती रही है और यह मामला विचाराधीन है।

[हिन्दी]

समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत लाभार्थी

28. **श्री गया प्रसाद कोरीः** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) वर्ष 1992-93 के दौरान, समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत कितने परिवारों को लाभ प्राप्त होगा तथा इनमें अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लाभार्थियों की, राज्य-वार अलग-अलग संख्या कितनी है; और

(ख) इसके लिए राज्य-वार कितनी धनराशि आबंटित की गई है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री उत्तमभाई एच॰ पटेल): (क) और (ख) 1992-93 में समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अंतर्गत 662.22 करोड़ रुपये के कुल आबंटन (केन्द्र+राज्य सरकार) से कुल 18.75 लाख परिवारों को सहायता देने का प्रस्ताव है। राज्यवार आबंटन विवरण में दर्शाया गया है।

समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम की मार्गदर्शिकाओं में यह निर्धारित किया गया है कि राज्य स्तर पर सहायता प्राप्त करने वाले परिवारों में कम से कम 50 प्रतिशत परिवार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति से लिये जाने चाहिएं।

विवरण

समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत आबंटन तथा भौतिक लक्ष्य 1992-93 (अनन्तिम)

(लाख रुपये में)

राज्य/केन्द्रशासित क्षेत्र	केन्द्रीय अंश	राज्य अंश	कुल आबंटन	भौतिक लक्ष्य (संख्या)
1	2	3	4	5
आन्ध्र प्रदेश	2440.00	2440.00	4880.00	138079
अरुणाचल प्रदेश	208.00	208.00	416.00	12519
असम	666.0	666.0	1332.00	37711
बिहार	4889.00	4889.00	9778.00	276337
गोवा	43.00	43.00	86.00	2608
गुजरात	1005.00	1005.00	2010.00	56861
हरियाणा	240.00	240.00	480.00	13606
हिमाचल प्रदेश	86.00	86.00	172.00	4871
जम्मू और काश्मीर	120.00	120.00	240.00	6803
कर्नाटक	1527.00	1527.00	3054.00	86425
केरल	830.00	830.00	1660.00	46950
मध्य प्रदेश	3236.00	3236.00	6472.00	183097
महाराष्ट्र	2614.00	2614.00	5228.00	147906
मणीपुर	19.00	19.00	38.00	1092
मेघालय	58.00	58.00	116.00	3275
मिजोरम	87.00	87.00	174.00	5216
नगालैंड	91.00	91.00	182.00	5477
उड़ीसा	1599.00	1599.00	3198.00	90457
पंजाब	203.00	203.00	406.00	11507
राजस्थान	1559.00	1559.00	3118.00	88189
सिक्किम	17.00	17.00	34.00	1043

1	2	3	4	5
तमिलनाडु	2191.00	2191.00	4382.00	123969
त्रिपुरा	68.00	68.00	136.00	3863
उत्तर प्रदेश	6531.00	6531.00	13062.00	369554
पश्चिम बंगाल	2730.00	2730.00	5460.00	154457
अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	43.00	—	43.00	1304
दादरा व नगर हवेली	9.00	—	9.00	261
दमन और द्वीप	17.00	—	17.00	522
लक्ष्यद्वीप	4.00	—	4.00	133
पांडेचरी	35.00	—	35.00	1043
अखिल भारतीय	33165.00	33057.00	66222.00	1875135

विदेशी पूंजी निवेश में वृद्धि

29. **श्री सत्यदेव सिंह:**
श्री बृजभूषण शरण सिंह:

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार की नई आर्थिक नीति के परिणामस्वरूप विदेशी पूंजी निवेश की संभावनाओं में कई गुना वृद्धि हुई है;

(ख) सरकार को किन-किन देशों से पूंजी निवेश के प्रस्ताव मिले हैं;

(ग) पूंजी निवेश की शर्तों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने अब तक किसी देश को पूंजी निवेश की अनुमति प्रदान की है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) में राज्यमंत्री (श्रीमती कृष्णा साही): (क) से (ङ) जी हां। जुलाई, 1991 में घोषित नई औद्योगिक नीति से लेकर 31 मई, 1992 के अंत तक कुल 1298 विदेशी सहयोग प्रस्तावों को स्वीकृत दी गई है। इनमें से 462 अनुमोदनों में 40 देशों की कंपनियों द्वारा 15281.8 मिलियन रु० के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की परिकल्पना की गई है। इन देशों की सूची संबंधी विवरण संलग्न है। ये अनुमोदन इस शर्त के अधीन हैं कि निर्यात दे

होने वाली आय को विदेशी इक्विटी पर लाभांश द्वारा संतुलित किया जाएगा। उपभोक्ता वस्तु क्षेत्र में उद्योगों के अलावा लाभांश संतुलन की यह शर्त हटा ली गई है। ये अनुमोदन भारतीय कानूनों के अनुसार होंगे।

विवरण

1. फ्रांस
2. जर्मनी
3. इटली
4. जापान
5. कोरिया (दक्षिण)
6. स्विटजरलैंड
7. यू.के.
8. यू.एस.ए.
9. आस्ट्रेलिया
10. आस्ट्रिया
11. बहरीन
12. बेल्जियम
13. ब्राजील
14. बेरमुडा
15. कनाडा
16. चीन
17. चेकोस्लोवाकिया
18. डेनमार्क
19. दुबई
20. फिनलैंड
21. हांगकांग
22. इंडोनेशिया
23. कोरिया (उत्तर)
24. मलेशिया
25. नीदरलैंड
26. न्यूजीलैंड
27. नार्वे
28. पुर्तगाल
29. पौलैंड
30. कतार
31. सिंगापुर
32. स्पेन
33. स्वीडन
34. ताइवान
35. रशिया
36. यू.ए.ई.
37. यूक्रेन
38. मोन्टोविदियो
39. मैक्सिको
40. विरगिन द्वीप आइलैंड्स

[अनुवाद]

अन्टाकर्टिका अभियान

30. **श्री महेश कनोडिया:**
श्री दत्तात्रेय बंडारू:

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) अन्टार्कटिका में यदि कोई खोज की जा रही है तो वह किस तरह की है;

(ख) क्या निकट भविष्य में अन्टार्टिका के लिए कोई दूसरे अभियान की योजना बनाई गई है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय (इलैक्ट्रोनिकी तथा महासागर विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम): (क) अंटार्कटिका

में भूमि विज्ञान, समुद्र विज्ञान, वायुमण्डलीय विज्ञान, मौसम विज्ञान, जीवविज्ञान और पर्यावरणीय शरीरक्रिया विज्ञान के क्षेत्रों में वैज्ञानिक अनुसंधान किए जा रहे हैं।

(ख) और (ग) जी हां, श्रीमान्। अंटार्कटिका को भेजा जाने वाला भारत का 12वां वैज्ञानिक अभियान नवम्बर-दिसम्बर, 1992 के दौरान भेजे जाने का प्रस्ताव है।

[हिन्दी]

अफगानिस्तान के साथ द्विपक्षीय संबंध

31. **श्री साईमन मरान्डी:** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि अफगानिस्तान में नई सरकार के गठन के पश्चात उसके साथ द्विपक्षीय संबंधों को और सुदृढ़ बनाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो): 30 अप्रैल, 1992 को सरकार ने अधिकृत तौर पर अफगानिस्तान की नव गठित अन्तरिम सरकार को मान्यता प्रदान की। तब से हम अफगानिस्तान की सरकार के साथ उच्चतम स्तर पर संपर्क बनाए हुए हैं और हमने अफगानिस्तान के नेताओं को अफगानिस्तान के साथ मित्रता और सहयोग बनाए रखने तथा उसे पुष्ट करने में अपनी दृढ़ अभिरूचि अभिव्यक्त की है। हमने उस देश की जनता के जीवन को बेहतर बनाने के लिए अफगान सरकार के कार्यक्रमों में सहायता करने में अपनी तत्परता भी व्यक्त की है।

15 मई, 1992 को सरकार ने काबुल को 160 लाख रुपए मूल्य की मानवीय सहायता और चिकित्सा आपूर्ति भेजने के अपने निर्णय की घोषणा की। इन्हें वायु-मार्ग से भेजने का कार्य चल रहा है। हम अफगानिस्तान की सरकार को अनुदान के आधार पर लगभग 44,000 टन गेहूं की आपूर्ति भी कर रहे हैं।

अपने आर्थिक सहयोग कार्यक्रम को पुनः आरंभ करने तथा आपसी हित के सभी क्षेत्रों में नियमित रूप से द्विपक्षीय परामर्श तथा आदान-प्रदान जारी रखने के लिए सरकार और सहायता देने पर विचार करने को तैयार है।

अफगानिस्तान के अधिकारियों ने इन निर्णयों की प्रशंसा की है।

भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद द्वारा किये गये सांस्कृतिक कार्यक्रम

32. **श्रीमती दीपिका एच॰ टोपीवाला:**
श्री चेतन पी॰ एस॰ चौहान:

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद में गत तीन महीनों के दौरान राज्यवार और देशवार कितने सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए; और

(ख) इन सांस्कृतिक कार्यक्रमों के आयोजन में कुल कितना धन खर्च हुआ?

विदेश राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो): (क) और (ख) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

कार्यक्रमों का विवरण	स्थान/राज्य जहां कार्यक्रमों का आयोजन किया गया	व्यय
हंगरी से आए 10 सदस्यीय समूह गायकों द्वारा अप्रैल 1992 में कार्यक्रम	दिल्ली इम्फाल (मणिपुर) कलकत्ता (पं० बंगाल) बंगलौर (कर्नाटक) बम्बई (महाराष्ट्र)	4,96,777.82 (रुपये में)
थाईलैंड के राजकुमार के सम्मान में विशेष रूप से कथकली अंतर्राष्ट्रीय केन्द्र द्वारा अप्रैल 92 में अलरामर वल्ली द्वारा भरतनाटयम और कथकली का कार्यक्रम	दिल्ली	42,709.88 (रुपये में)
ब्रिटेन मे आए सेंचुरी थियेटर के 22 सदस्यीय दल द्वारा मई 92 में कार्यक्रम	दिल्ली बम्बई (महाराष्ट्र) कलकत्ता (पं० बंगाल) मद्रास (तमिलनाडु)	11,72,271.00 (रुपये में)
अफ्रीका डे पर भारत में पढ़ रहे तंजानिया, युंगाडा कीनिया इत्यादि के अफ्रीकी छात्रों और गुजरात के सिद्धी समूह द्वारा मई 1992 में कार्यक्रम	दिल्ली	1,19,931.00 (रुपये में)

(II) जबकि भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद कलाकारों और सामग्री को विदेशों में कार्यक्रम करने के लिए भेजना इन कार्यक्रमों का आयोजन विदेशों में स्थानीय संगठनों द्वारा किया जाता है।

[अनुवाद]

केरल में सार्वजनिक वितरण प्रणाली हेतु वित्तीय सहायता

33. **श्री बाइल जॉन अंजलोज:** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को केरल से सार्वजनिक वितरण प्रणाली हेतु वित्तीय सहायता देने के लिए कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर क्या कार्यवाही की गई है?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद): (क) से (ग) केरल सरकार ने वर्ष 1992-93 के दौरान वित्तीय सहायता की एक योजना स्कीम के तहत 30 मोबाइल वैन क्रय करने के लिए वित्तीय सहायता हेतु एक प्रस्ताव भेजा है। उनके प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है।

राज्यों को आवश्यक वस्तुओं का आवंटन

34. **श्री के. पी. सिंह देव:**
प्रो. प्रेम धूमल:
श्री हरिन पाठक:
श्री थाइल जॉन अंजलोज:

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) जनवरी, 1992 से जून, 1992 तक प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र को माह-वार कुल कितनी मात्रा में गेहूं, चावल, चीनी, पामोलीन, मिट्टी का तेल आदि आवंटित किया गया;

(ख) क्या कुछ राज्यों ने अपना कोटा बढ़ाने का अनुरोध किया है;

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस पर क्या कार्यवाही की गई;

(घ) क्या सरकार का विचार इन्हें 1991 की जनगणना के आधार पर आवंटित करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद): (क) जनवरी से जून, 1992 तक चावल, गेहूं, लेवी चीनी, आयातित खाद्य तेल तथा मिट्टी के तेल का राज्यवार और महीनावार आवंटन दर्शाने वाले विवरण, विवरण 1 से 5 पर दिए गए हैं।

(ख) से (ङ) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से सार्वजनिक वितरण प्रणाली की वस्तुओं के अतिरिक्त आवंटन के अनुरोध समय-समय पर प्राप्त होते रहते हैं। केन्द्रीय सरकार ने संपुष्ट सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत अभिज्ञात क्षेत्रों/ब्लाकों में वितरण हेतु जून तथा जुलाई, 92 के महीनों के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को खाद्यान्नों का विशिष्ट अतिरिक्त आवंटन किया है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली की मदों का आवंटन आमतौर पर केन्द्रीय पूल में उपलब्ध स्टाक, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की परस्पर आवश्यकताओं तथा अन्य संबंधित बातों को ध्यान में रखते हुए मासिक आधार पर किया जाता है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के आवंटन अनुपूरक स्वरूप के होते हैं और उनका प्रयोजन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की समूची मांग को पूरा करना नहीं होता है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को 1991 की आबादी के आधार पर सार्वजनिक वितरण प्रणाली की वस्तुओं का आवंटन करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

विवरण 1

जनवरी, 1992 से चावल का राज्यवार और माहवार आवंटन

(मात्रा मी. टन में)

केन्द्र	जनवरी	फरवरी	मार्च	अप्रैल	मई	जून
आंध्र प्रदेश	170000	160000	50000	90000	160000	168250
अरुणाचल प्रदेश	8000	8000	12000	12000	8000	8000

केन्द्र	जनवरी	फरवरी	मार्च	अप्रैल	मई	जुन
असम	35300	35000	35000	35000	42000	43420
बिहार	15000	15000	15000	15000	15000	24580
गोवा	4500	5000	5000	5000	5000	4540
गुजरात	28000	28000	28000	28000	28000	28000
हरियाणा	3000	3000	3000	3000	3000	3000
हिमाचल प्रदेश	6500	6500	6500	6500	6500	6500
जम्मू व कश्मीर	35000	35000	35000	35000	35000	36170
कर्नाटक	50000	48000	63000	63000	60000	68500
केरल	150000	150000	150000	150000	150000	150000
मध्य प्रदेश	23000	30000	30000	30000	30000	40920
महाराष्ट्र	82000	80000	105000	50000	50000	52000
मणिपुर	7000	7000	7000	7000	7000	7670
मेघालय	10000	9500	13000	9500	9500	9500
मिजोरम	6000	7500	9500	9500	9500	9500
नागालैंड	9250	9000	9000	9000	9000	9000
उड़ीसा	25000	25000	25000	25000	25000	38750
पंजाब	1500	1500	1500	1500	1500	1500
राजस्थान	3000	4000	4000	4000	4000	4000
सिक्किम	4500	4500	4500	4500	4500	4500
तमिलनाडु	81000	60000	68000	68000	70000	70830
त्रिपुरा	16850	16000	16000	16000	16000	16000
उत्तर प्रदेश	28000	30000	30000	30000	30000	37830
पश्चिम बंगाल	69000	70000	70000	70000	70000	80580
अंडमान व निकोबार	4500	0	0	6000	1000	0
चंडीगढ़	500	300	300	300	300	300
दादरा व नगर हवेली	500	500	500	500	500	500
दमन व दीव	500	500	500	500	500	500
दिल्ली	20000	20000	20000	20000	20000	20000
लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0
पांडिचेरी	2000	2000	2000	2000	2000	2000

विवरण 2

जनवरी, 1992 से गेहूं का राज्यवार और माहवार आवंटन

(मात्रा मी. टन में)

केन्द्र	जनवरी	फरवरी	मार्च	अप्रैल	मई	जून
1	2	3	4	5	6	7
आंध्र प्रदेश	18000	20000	20000	15000	15000	11300
अरुणाचल प्रदेश	720	700	700	700	700	700
असम	25000	30000	30000	30000	20000	20000
बिहार	42300	50000	50000	42000	42000	51580
गोवा	3150	3500	3500	3500	3500	3100
गुजरात	60300	70000	70000	60000	65000	65000
हरियाणा	27000	40000	40000	10000	10000	10250
हिमाचल प्रदेश	10000	10000	10000	10000	10000	10000
जम्मू व कश्मीर	18000	20000	20000	20000	20000	20000
कर्नाटक	36000	40000	25000	25000	25000	25000
केरल	27000	30000	30000	25000	25000	25000
मध्य प्रदेश	31500	35000	35000	35000	42500	46000
महाराष्ट्र	121000	125000	85000	75000	85000	92000
मणिपुर	2700	2000	3000	3000	2000	3000
मेघालय	2250	2000	2000	2000	2000	2000
मिजोरम	1250	1000	1000	1000	1000	1000
नागालैंड	6000	4000	4000	2000	2000	2000
उड़ीसा	22500	25000	25000	25000	20000	20000
पंजाब	22500	25000	25000	5000	5000	5000
राजस्थान	72500	75000	75000	75000	75000	101500
सिक्किम	540	600	600	600	600	600
तमिलनाडु	27000	30000	30000	30000	30000	20000
त्रिपुरा	2250	2000	2000	2000	2000	2000
उत्तर प्रदेश	54000	75000	75000	50000	50000	57830
पश्चिम बंगाल	81000	90000	90000	90000	90000	80000
अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	2100	0	0	2100	0	0
चंडीगढ़	1600	1800	1800	1800	1800	1800
दादरा व नगर हवेली	180	200	200	200	200	200
दमन व दीव	130	150	150	150	100	100
दिल्ली	64800	72000	72000	72000	72000	72000

केन्द्र	जनवरी	फरवरी	मार्च	अप्रैल	मई	जून
लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0
पांडिचेरी	670	750	750	750	800	750

विवरण 3

जनवरी, 1992 से लेवी चीनी का राज्यवार और माहवार आवंटन

(मात्रा मी. टन में)

केन्द्र	जनवरी	फरवरी	मार्च	अप्रैल	मई	जून
आंध्र प्रदेश	26545	26545	26545	26545	26545	26545
अरुणाचल प्रदेश	330	330	330	330	330	330
असम	10098	10098	10098	10098	10098	10098
बिहार	35132	35132	35132	35132	35132	35132
गोवा	525	525	525	525	525	525
गुजरात	17004	17004	17004	17004	17004	17004
हरियाणा	6705	6705	6705	6705	6705	6705
हिमाचल प्रदेश	2120	2120	2120	2120	2120	2120
जम्मू व कश्मीर	3028	3028	3028	3028	3028	3028
कर्नाटक	18657	18657	18657	18657	18657	18657
केरल	12551	12551	12551	12551	12551	12551
मध्य प्रदेश	26283	26283	26283	26283	26283	26283
महाराष्ट्र	31435	31435	31435	31435	31435	31435
मणिपुर	729	729	729	729	729	729
मेघालय	695	695	695	695	695	695
मिजोरम	274	274	274	274	274	274
नागालैंड	447	447	447	447	447	447
उड़ीसा	13013	13013	13013	13013	13013	13013
पंजाब	8342	8342	8342	8342	8342	8342
राजस्थान	17760	17760	17760	17760	17760	17760
सिक्किम	173	173	173	173	173	173
तमिलनाडु	23674	23674	23674	23674	23674	23674
त्रिपुरा	1051	1051	1051	1051	1051	1051
उत्तर प्रदेश	55572	55572	55572	55572	55572	55572
पश्चिम बंगाल	27182	27182	27182	27182	27182	27182
अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	259	259	259	259	259	259
चंडीगढ़	391	391	391	391	391	391
दादरा व नगर हवेली	54	54	54	54	54	54

केन्द्र	जनवरी	फरवरी	मार्च	अप्रैल	मई	जून
दमन व दीव	41	41	41	41	41	41
दिल्ली	9157	9157	9157	9157	9157	9157
लक्षद्वीप	75	75	75	75	75	75
पांडिचेरी	420	420	420	420	420	420

विवरण 4

जनवरी, 1992 से आयातित खाद्य तेल का राज्यवार और माहवार आवंटन

(मात्रा मी. टन में)

केन्द्र	जनवरी	फरवरी	मार्च	अप्रैल	मई	जून
आंध्र प्रदेश	1500	1500	—	2000	—	—
अरुणाचल प्रदेश	50	50	—	150	—	—
असम	200	200	—	200	—	—
बिहार	1500	1500	—	1500	—	—
गोवा	300	300	—	300	—	—
गुजरात	1500	1500	—	1500	—	—
हरियाणा	600	600	—	600	—	—
हिमाचल प्रदेश	500	500	—	500	—	—
जम्मू व कश्मीर	500	500	—	500	—	—
कर्नाटक	1200	1200	2000	4000	—	—
केरल	—	—	—	1000	—	—
मध्य प्रदेश	1200	1200	—	2200	—	—
महाराष्ट्र	4000	2000	—	2000	—	—
मणिपुर	200	200	—	200	—	—
मेघालय	200	200	—	200	—	—
मिजोरम	200	200	—	200	—	—
नागालैंड	200	200	200	200	200	—
उड़ीसा	1000	1000	1500	1000	—	—
पंजाब	700	700	—	700	—	—
राजस्थान	700	1200	—	700	—	—
सिक्किम	150	150	—	150	—	—
तमिलनाडु	—	—	—	1500	—	—
त्रिपुरा	200	200	—	200	—	—
उत्तर प्रदेश	1500	1500	—	1500	—	—
पश्चिम बंगाल	1500	1500	—	—	—	—

न्द्र	जनवरी	फरवरी	मार्च	अप्रैल	मई	जून
ंडमान तथा निकोबार ीपसमूह	100	100	—	100	100	—
ंडीगढ़	100	100	—	100	—	—
ादरा व नगर हवेली	50	50	—	50	—	—
मन व दीव	100	100	—	100	—	—
िल्ली	1500	1500	—	1500	—	—
क्षद्वीप	50	25	100	100	—	—
ांडिचेरी	300	250	50	200	200	—
समग्र भारत (योग)	21800	20225	3850	25150	500	—

विवरण 5

जनवरी, 1992 से मिट्टी के तेल का राज्यवार और माहवार आवंटन

(मात्रा मी. टन में)

न्द्र	जनवरी	फरवरी	मार्च	अप्रैल	मई	जून
ांध्र प्रदेश	48790	48790	48790	48790	48790	48790
रुणाचल प्रदेश	775	775	775	775	775	775
ासम	20558	20558	20558	20558	20558	20558
िहार	40123	40123	37906	37906	37906	37906
ोवा	2261	2511	2511	2261	2261	2261
ुजरात	71452	71452	62208	62208	62208	62208
रियाणा	13341	13341	12017	12017	12017	12017
िमाचल प्रदेश	3049	3549	3549	3049	3049	3049
म्मू व कश्मीर	6585	6585	4373	4373	4373	4373
र्नाटक	36975	43475	43475	36975	36975	36975
ेरल	22084	22084	22084	22084	22084	22084
ध्य प्रदेश	34548	34548	31205	31464	31465	31205
हाराष्ट्र	133302	133302	115231	115231	115231	115231
णिपुर	1722	1722	1722	1722	1722	1722
ेघालय	1384	1384	1169	1169	1169	1169
िज़ोरम	503	783	783	503	503	503
ागालैंड	837	837	837	837	837	837
ड़ीसा	12956	14456	14456	12956	12956	12956
ंजाब	27317	27317	25251	25251	25251	25251

केन्द्र	जनवरी	फरवरी	मार्च	अप्रैल	मई	जून
राजस्थान	24545	24645	20521	20521	20521	20521
सिक्किम	617	617	617	617	617	617
तमिलनाडु	54612	55112	55112	54612	54612	54612
त्रिपुरा	1731	1731	1731	1731	1731	1731
उत्तर प्रदेश	77880	78180	73187	73487	72487	72487
पश्चिम बंगाल	61147	61147	61147	61147	61147	61147
अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	310	310	259	259	259	259
चंडीगढ़	1744	1744	1744	1744	1744	1744
दादरा व नगर हवेली	259	259	259	259	259	259
दमन व दीव	254	254	243	243	243	243
दिल्ली	22596	22596	18260	18260	18260	18260
लक्षद्वीप	67	67	81	81	81	81
पांडिचेरी	1215	1315	1315	1215	1215	1215
समग्र भारत (योग)	725639	735569	683376	674305	673306	673046

उर्वरकों पर राजसहायता को समाप्त करने का प्रभाव

35. **श्री विजय नवल पाटील:** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने उर्वरकों के उत्पादन में प्रयुक्त होने वाले डाई अमोनियम सल्फेट और नाइट्रोजन के आयात पर राज सहायता को समाप्त करने के प्रभावों की जांच की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को खाद्यान्नों के उत्पादन पर इसके प्रतिकूल प्रभावों के संबंध में किसानों से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में कौन-से सुधारात्मक उपाय करने का विचार है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० चिन्ता मोहन): (क) और (ख) डाई अमोनियम सल्फेट का कोई आयात नहीं किया जाता। नाइट्रोजन का आयात अमोनिया के रूप में मध्यवर्तियों और डी ए पी तथा यूरिया के रूप में तैयार उर्वरकों में किया जाता है। आयात मूल्यों में परिवर्तन के बावजूद किसानों के लिए उर्वरकों का बिक्री मूल्य निर्धारित किया जाता है।

(ग) और (घ): प्रश्न नहीं उठता।

इलाहाबाद के ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल की कमी

36. श्री शशि प्रकाश: क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उत्तर प्रदेश में विशेष रूप से इलाहाबाद के ग्रामीण क्षेत्रों में पता लगाए गए उन समस्याग्रस्त गांवों का ब्यौरा क्या है जहां पेय जल सुविधाएं अभी भी उपलब्ध नहीं हैं; और

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार का चालू वर्ष के दौरान उक्त क्षेत्र में पेयजल सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए उत्तर प्रदेश को दी जाने वाली केनदरीय सहायता में वृद्धि करने का विचार है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री उत्तमभाई एच० पटेल): (क) 1.4.1985 की स्थिति के अनुसार उत्तर प्रदेश में पता लगाए गए 43906 समस्याग्रस्त गांवों में से पहाड़ी क्षेत्रों में "बिना जल स्रोत" वाले 262 समस्याग्रस्त गांवों को छोड़कर 31.3.1992 तक 43644 समस्याग्रस्त गांवों को आंशिक रूप से अथवा पूर्ण रूप से स्वच्छ पेयजल की सुविधाओं के तहत कवर कर लिया गया था। शेष बचे गांवों को 1992-93 में कवर कर लिए जाने की संभावना है। जहां तक इलाहाबाद का संबंध है, 1.4.92 तक 1863 गांव आंशिक रूप से कवर कर लिए गए थे।

(ख) "बिना जल स्रोत" वाले शेष गांवों की कवरेज के लिए केन्द्रीय सरकार ने चालू वित्तीय वर्ष के दौरान विशेष अतिरिक्त सहायता के रूप में पहले ही 7.81 करोड़ रूपए रिलीज कर दिए हैं। यह 1992-93 के लिए उत्तर प्रदेश हेतु त्वरित ग्रामीण जल सप्लाई कार्यक्रम के 47.24 करोड रूपए के सामान्य आवंटन के अतिरिक्त है जिसमें से 14.396 करोड़ रूपए रिलीज किए जा चुके हैं।

सार्वजनिक क्षेत्र की रूग्ण इकाइयों को अर्थक्षम बनाने की योजनाएं

37. श्री तरित बरन तोपदार: क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र की रूग्ण इकाइयों को इन इकाइयों के अर्थक्षम बनाने के लिए लाभप्रद योजनाएं प्रस्तुत करने को कहा है;

(ख) यदि हां, तो अब तक ऐसी कितनी इकाइयों ने अपनी पुनरुद्धार योजनाएं प्रस्तुत की हैं; और

(ग) केन्द्रीय सरकार ने इन योजनाओं के बारे में क्या कार्रवाई की है?

उद्योग मंत्रालय (भारी उद्योग विभाग एवं सार्वजनिक उद्यम विभाग) में राज्य मंत्री (श्री पी० के० थुंगन): (क) से (ग) औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्गठन मण्डल को भेजे जाने वाले सरकारी क्षेत्र के रुग्ण उपक्रमों द्वारा, उनके बारे में आगामी कार्रवाई करने के लिए उपयुक्त पैकेज तैयार करने के लिये अपने पुनरुद्धार सम्बन्धी योजनाएं, यदि कोई हों, औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्गठन मण्डल को प्रस्तुत किये जाने अपेक्षित हैं। सम्बद्ध प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग या तो स्वतः अथवा सरकारी क्षेत्र के उपक्रम के अनुरोध पर उनकी पुनरुद्धार सम्बन्धी योजनाओं की जांच भी कर सकता है। अब तक सरकारी क्षेत्र 31 एककों को औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्गठन मण्डल के पास भेज दिया गया है।

नागार्जुन सागर परियोजना

38. श्री के० पी० रेड्डय्या यादव:

श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे: क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार नागार्जुन सागर परमाणु ऊर्जा परियोजना स्थापित करने का है;

(ख) यदि नहीं, तो क्या सरकार ने आन्ध्र प्रदेश में नागार्जुन सागर में 500 मेगावाट के 4 परमाणु ऊर्जा केन्द्रों की स्थापना रद्द करने का निर्णय किया है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार आन्ध्र प्रदेश में परमाणु ऊर्जा केन्द्रों की स्थापना रद्द करने अथवा इसमें विलम्ब करने को ध्यान में रखते हुए और सुपर ताप केन्द्रों की स्थापना करने पर विचार कर रही है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय (इलैक्ट्रोनिकी तथा महासागर विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम): (क) से (ग) आठवीं पंचवर्षीय योजनावधि के दौरान नागार्जुन सागर में परमाणु विद्युत संयंत्र लगाने के संबंध में काम शुरू करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, स्थलों की जांच करने संबंधी किए जा रहे कार्यों के एक भाग के रूप में, परमाणु ऊर्जा विभाग द्वारा गठित स्थल चयन समिति आन्ध्र प्रदेश और केरल में की गई स्थल संबंधी जांच, जिसमें आन्ध्र प्रदेश स्थित नागार्जुन सागर स्थल भी शामिल है, की समीक्षा कर रही है। परमाणु विद्युत संयंत्र की स्थापना हेतु स्थलों के चयन के लिए यह अपेक्षित है कि परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड तथा केन्द्रीय पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा स्थल संबंधी विशिष्टताओं की विस्तार से समीक्षा की जाए और इस संबंध में वे अपनी अनुमति प्रदान करें। इसके अतिरिक्त, किसी परियोजना की स्थापना धनराशि की उपलब्धता पर भी निर्भर करती है।

(घ) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर प्रस्तुत कर दी जाएगी।

[हिन्दी]

खाड़ी से लौटने वाले व्यक्तियों द्वारा मुआवजा दावे

39. **श्री ग्यारे लाल जाटव:** क्या **प्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने खाड़ी युद्ध के दौरान कुवैत में भारतीयों द्वारा छोड़ी गई सम्पत्तियों के मुआवजा दावों को एकत्रित किया है;

(ख) यदि हां, तो उनके द्वारा पीछे छोड़ी गयी सम्पत्तियों को कितनी क्षति हुई है और सरकार ने इस मामले में क्या कदम उठाये हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो): (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) संयुक्त राष्ट्र प्रतिकार आयोग द्वारा तैयार किए गए प्रपत्र सभी प्रभावित व्यक्तियों को परिचालित किए जा रहे हैं। उम्मीद है कि इस वर्ष के अन्त अथवा कुछ समय बाद तक जानकारी एकत्र कर ली जाएगी।

[अनुवाद]

फालतू सीरा

40. **श्री मुकुल बालकृष्ण वासनिक:** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 22 जून, 1992 के "इंडियन एक्सप्रैस" में "रूपीज 34 करोर मोलासेस इम्पाइन्ड टु राॅट" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है;

(ग) चालू वर्ष के दौरान कितना सीरा फालतू होने का अनुमान है; और

(घ) गत वर्ष की इसी अवधि की तुलना में चालू वर्ष के दौरान कितनी मात्रा में सीरे का निर्यात किया गया और इससे कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गई?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० चिन्ता मोहन): (क) और (ख) जी, हां।

(ग) चालू वर्ष में 2 लाख टन सीरा फालतू होने का अनुमान है।

(घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जायेगी।

[हिन्दी]

इस्लामी देशों के संगठन का कश्मीर के संबंध में रुख

41. **श्री भगवान शंकर रावत:** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस्लामिक देशों के संगठन द्वारा टर्की में हाल की उनकी बैठक में कश्मीर के संबंध में अपनाए गए रुख की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) सरकार द्वारा इस मामले में क्या कदम उठाये गए हैं/उठाए जाने का विचार है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो): (क) जी हां।

(ख) 19 जून, 1992 के सरकारी वक्तव्य में इस्लामिक देशों के संगठन द्वारा लिए गए निर्णय को एकतरफा, अस्वीकार्य, दुर्भाग्यपूर्ण तथा असंगत करार दिया गया था।

(ग) बैठक में भाग लेने वाले सभी देशों को भारत सरकार के विचारों से भलीभांति अवगत करा दिया गया है।

उर्वरकों का आयात

42. **श्री हरिकेवल प्रसाद:** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) चालू वित्तीय वर्ष के प्रथम छः महीनों में प्रत्येक प्रकार के उर्वरक का कितनी-कितनी मात्रा में आयात किया गया;

(ख) इस पर कुल कितनी विदेशी मुद्रा खर्च की गई; और

(ग) चालू वर्ष की शेष अवधि के दौरान कितनी मात्रा में उर्वरकों का आयात किया जायेगा तथा इस पर कितनी धन-राशि खर्च की जायेगी?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा॰ चिन्ता मोहन): (क) और (ख) खनिज एवं धातु व्यापार निगम (एम॰एम॰टी॰सी॰) जो तैयार उर्वरकों के लिए सरणीबद्ध अभिकरण है, ने 30 जून तक 728 मिलीयन अमेरिकी डालर के कुल लागत एवं भाड़ा मूल्य पर लगभग 15 लाख टन डी ए पी, 14 लाख टन एम ओ पी, 12 लाख टन यूरिया और 1.3 लाख टन एन पी के का ठेका किया है। ठेका की गयी मात्रा में से लगभग 6.8 लाख टन डी ए पी 6.6 लाख टन एम ओ पी और 2.3 लाख टन यूरिया पहले ही आ चुका है।

(ग) चालू वित्त वर्ष की शेष अवधि के दौरान आयात की जाने वाली मात्रा अनेक कारणों पर निर्भर करेगी जिसमें मानसून का प्रतिरूप एवं प्रगति तथा विदेशी मुद्रा की उपलब्धता शामिल है।

[अनुवाद]

ज्वारीय तरंग ऊर्जा परियोजनायें

43. श्री आर॰ धनुषकोडी आदित्यन: क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आठवीं पंचवर्षीय योजना में कितनी ज्वारीय तरंग ऊर्जा परियोजनाओं का प्रावधान किया गया है;

(ख) इस कार्य के लिए कितना धन आवंटित किया गया है;

(ग) क्या सरकार ने ज्वारीय तरंग ऊर्जा परियोजनाओं के लिए स्थानों का पता लगा लिया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय (इलैक्ट्रानिकी तथा महासागर विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम): (क) अक्तूबर, 1991 में, त्रिवेन्द्रम के निकट विझिंजम में 150 किलोवाट तरंग ऊर्जा के एक मात्र प्रायोगिक संयंत्र से विद्युत उत्पादन का सफल प्रदर्शन करने के बाद आठवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि में दो तरंगरोध एकीकृत तरंग ऊर्जा संयंत्रों को लगाने का विचार है।

(ख) आठवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि के दौरान इन परियोजनाओं के लिए 30 करोड़ रुपये की राशि की मांग की गई है।

(ग) और (घ) जी हां, श्रीमान। निर्धारित स्थान है— (1) केरल में थंगासेरी और (2) कार निकोबार द्वीपसमूह में मस पाइंट।

खनन श्रमिकों हेतु कल्याण कोष

44. श्री राम देव राम: क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने राज्य सरकारों से मालवीय समिति की सिफारिश के अनुरूप खनन कार्य में लगे श्रमिकों के लिए कल्याण कोष स्थापित करने के लिए कहा है;

(ख) क्या लौह अयस्क, मैंगनीज, चूना-पत्थर, डोलामाइट खनिजों आदि की खानों में कार्यरत श्रमिकों के लिए कल्याण कोष स्थापित कर दिये गये थे जबकि बैक्साइट, चायना-क्ले, ब्लैक-स्टोन, ग्रेनाईट आदि खनिजों के खनन में कार्यरत श्रमिकों के लिए कल्याण कोषों की स्थापना अभी की जानी है;

(ग) यदि हां, तो कब तक ये कोष स्थापित किए जाने की सम्भावना है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

श्रम मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पवन सिंह घाटोवार): (क) से (घ) लौह अयस्क, मैंगनीज, क्रोम, चूना-पत्थर तथा डोलोमाइट और अभ्रक खानों में कार्यरत कर्मकारों के लिए कल्याण निधियों का पहले ही गठन किया जा चुका है। अन्य गैर कोयला खानों के लिए कल्याण निधियों के गठन के विषय पर पहले विचार-विमर्श किया गया था। यह पाया गया था कि तेल-क्षेत्रों, तांबा, सीसा, जिंक तथा सोना-खानों में कार्यरत कर्मकारों के लिए कल्याण उपायों की देख-भाल सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों द्वारा की जा रही थी। इसी प्रकार, बॉक्साइट खानों में कार्यरत कर्मकारों की देख-भाल बाल्को तथा नैलको जैसी बड़ी औद्योगिक इकाइयों द्वारा की जा रही थी। अतः इन कर्मकारों के लिए कल्याण निधि गठित करने की कोई आश्यकता नहीं थी, उन खान कर्मकारों के बारे में जिनके संबंध में अन्य सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों/निजी औद्योगिक इकाईयों/राज्य सरकारों द्वारा देखभाल की जा रही है को ध्यान में रखते हुए यह देखा गया था कि इस प्रकार गैर-कोयला खान कर्मकारों की एक थोड़ी संख्या रह जाती है जो किसी पर्याप्त सघनता के बगैर पूरे देश में फैली हुई है, इसलिए, इन कर्मकारों के लिए एक सामूहिक कल्याण निधि की व्यवस्था करके आवास, स्वास्थ्य, जलापूर्ति, मनोरंजन जैसी कल्याण सुविधाएं प्रभावी रूप से उपलब्ध करा पाना सम्भव नहीं होगा। गौण खनिजों में कार्यरत कर्मकारों के बारे में राज्य के अन्तर्गत, जहां कहीं सम्भव है, पहले से गठित श्रमिक कल्याण निधियों के अधीन इन कर्मकारों को शामिल करने के लिए राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया था।

[हिन्दी]

बिहार में लघु एवं कुटीर उद्योगों का विकास

45. श्री लाल बाबू राय: क्या **प्रधान मंत्री यह** बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बिहार में लघु एवं कुटीर उद्योगों का आशा के अनुरूप विकास नहीं हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान बिहार में लघु एवं कुटीर उद्योगों द्वारा कितनी मात्रा में सामान का उत्पादन किया गया तथा इसमें कितने व्यक्तियों को रोजगार प्रदान किया गया; और

(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान, बिहार में लघु एवं कुटीर उद्योगों के विकास के लिए क्या प्रयास किए गए तथा कितनी धन-राशि आवंटित की गई?

उद्योग मंत्रालय (लघु उद्योग तथा कृषि एवं ग्रामीण उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्री पी॰ जे॰ कुरियन): (क) और (ख) उद्योग निदेशक, बिहार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार 1987-88 से 1990-91 के दौरान बिहार में स्थापित किए गए ग्राम्य और लघु एककों की संख्या नीचे दी गई है:—

	87-88	88-89	89-90	90-91
के दौरान ग्राम्य और लघु एककों की संख्या	11330	11546	11615	13176

(ग) पिछले 3 वर्षों के दौरान बिहार में लघु और कुटीर उद्योगों में मूल्य (रु॰ करोड़ में) की दृष्टि से निर्मित सामान की मात्रा और इनमें जितने व्यक्तियों को रोजगार दिया गया उनकी संख्या नीचे दी गई है:—

	88-89	89-90	90-91*
उत्पादन का मूल्य (रु० करोड़ में)	76.24	91.92	उपलब्ध नहीं
रोजगार (व्यक्तियों की संख्या)	40702	39230	41805

(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान बिहार में ग्राम और लघु उद्योग एककों को बैंकों द्वारा दिए गए ऋण और बिहार में लघु और कुटीर उद्योगों के विकास के लिए जिला उद्योग केन्द्र कार्यक्रमों के अधीन दी गई केन्द्रीय सहायता नीचे दी गई है:—

	88-89	89-90	90-91*
बिहार में ग्राम्य और लघु उद्योग एककों को बैंकों द्वारा ऋण (रु० करोड़ में)	36.76	27.53	26.61
जिला उद्योग केन्द्र सहायता कार्यक्रमों के लिए जारी की गई केन्द्रीय सहायता (रु० करोड़ में)	191.95	186.25	199.50

[अनुवाद]

परमाणु ऊर्जा निगम द्वारा परमाणु ऊर्जा लक्ष्य की प्राप्ति

46. श्री अन्ना जोशी: क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या परमाणु ऊर्जा निगम ने सातवीं पंचवर्षीय योजना में विद्युत उत्पादन संबंधी निर्धारित लक्ष्य प्राप्त कर लिया है; और

(ख) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और औद्योगिकी मंत्रालय (इलैक्ट्रोनिकी तथा महासागर विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री पी० रंगराजन कुमारमंगलम): (क) तथा (ख) इस समय काम कर रहे तारापुर परमाणु बिजलीघर 1 तथा 2, राजस्थान परमाणु बिजलीघर 1 तथा 2 और मद्रास परमाणु बिजलीघर 1 तथा 2 यूनिटों ने सातवीं पंचवर्षीय योजनावधि में विद्युत उत्पादन के कुल 28,106 मिलियन यूनिट के लक्ष्य की तुलना में 25,583 मिलियन यूनिट बिजली का सकल उत्पादन किया। बिजली के उत्पादन में गिरावट के मुख्य कारण कुछ यूनिटों को उनके उपस्करों में खराबी आ जाने की वजह से, अनुरक्षण संबंधी कार्यों के लिए लम्बे समय तक मजबूरन बन्द रखना है।

[हिन्दी]

अध्यक्ष व प्रबन्ध-निदेशकों के विरूद्ध शिकायतें

47. श्री राम लखन सिंह यादव: क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान कितने अध्यक्ष व प्रबन्ध-निदेशकों के विरूद्ध कार्यवाही की गई है तथा उनके उपक्रमों के नाम क्या हैं और उन्हें क्या दण्ड दिया गया है;

(ख) सरकार को कितने अध्यक्ष व प्रबन्ध निदेशकों के विरूद्ध संसद सदस्यों से शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और

(ग) उन पर क्या कार्यवाही की गई है?

*1990-91 के आंकड़े अनंतिम है।

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मार्गरेट अल्वा): (क) से (ग) यह सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

स्वदेशी प्रौद्योगिकी का विकास

48. श्री पी॰ सी॰ थामस: क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अमरीका द्वारा अब भी प्रौद्योगिकी हस्तांतरण को हतोत्साहित किया जाता है;

(ख) यदि हां, तो इसका भारत पर किस सीमा तक प्रभाव पड़ा है;

(ग) क्या सरकार ने स्वदेशी प्रौद्योगिकी के विकास को प्रोत्साहन देने के लिए देश के विभिन्न भागों में अनुसंधान एकक स्थापित करने का विचार किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, (इलेक्ट्रांनिकी तथा महासागर विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम): (क) जी, हां, मिसाइल अथवा आण्विक हथियारों से सम्बद्ध प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण को हतोत्साहित किया जाता है।

(ख) सामान्यतः मिसाइल प्रौद्योगिकी से सम्बद्ध उत्पादों/मदों को प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण की अनुमति प्रदान नहीं की जाती है। प्रारंभिक अवस्था से ही इस कठिनाई पर विचार करते हुए, भारत ने प्रमोचक राकेट कार्यक्रम के लिए सभी क्रान्तिक प्रौद्योगिकियों के स्वदेशी विकास की शुरूआत की है। अतः भारत के प्रमोचक राकेट कार्यक्रम पर इस तरह के निरूत्साहन का प्रभाव सार्थक नहीं है।

(ग) भारतीय अन्तरिक्ष अनुसंधान संगठन के विविध केन्द्र/यूनिटें तथा प्रयोगशालाएं महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों जैसे प्रणोदक ईंधन, नियंत्रण और मार्गदर्शन प्रणालियां, पाइरोतकनीक युक्तियां इत्यादि के स्वदेशी विकास के कार्य में लगी हुई हैं। अन्य अनुसंधान तथा विकास संगठनों का भी उपयोग किया जा रहा है, जहां कहीं भी विशेषज्ञता विद्यमान है। फिलहाल कोई नई अनुसंधान यूनिट की स्थापना का प्रस्ताव नहीं है।

(घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

[हिन्दी]

बिहार में कोयला खानें

49. श्री उपेन्द्र नाथ वर्मा: क्या **कोयला** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) बिहार राज्य के हाल ही में गठित चतरा और पलामू जिले में कुल कितनी कोयला खानें हैं;

(ख) इस क्षेत्र में वर्ष 1990-91 और 1991-92 में कितने नये स्थानों पर खनन कार्य आरम्भ कर दिया गया था;

(ग) वर्ष 1992-93 के दौरान किन-किन स्थानों पर खनन कार्य आरंभ किये जाने का प्रस्ताव है;

(घ) उक्त कोयला खानों में कुल कितने श्रमिक कार्यरत हैं; और

(ङ) क्या मशीनों के और अधिक उपयोग के परिणामस्वरूप श्रमिकों की संख्या घटी है?

कोयला मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एस॰ बी॰ न्यामगौड): (क) से (ग) कोल इंडिया लि॰ द्वारा प्रस्तुत सूचना के अनुसार, बंद पड़ी जगलदज़ा खान को छोड़कर, बिहार के छतरा और पलामु जिलों में वर्तमान में 5 कोयला खानें हैं, इनमें से तीन पुरानी बंद पड़ी खाने हैं, उनके नाम निम्नलिखित हैः—सेंट्रल कोलफील्ड्स लि॰

की राजहारा और हुत्तर तथा बिहार राज्य खनिज विकास कार्पोरेशन की सिकनी इसके अतिरिक्त दो नई कोयला खानें अर्थात् छतरा जिले में टिडारी खोर और मगध विकास के अधीन हैं।

(घ) पालामऊ जिले के राजहारा क्षेत्र और छतरा जिले के तहत एन० के० क्षेत्र की कुछ यूनिटों में से 31.5.1992 को कुल श्रमिक क्षमता 1609 होने की सूचना मिली है जिसमें से 569 आकस्मिक/सह-तकनीकी कर्मचारी हैं।

(ङ) कोल इंडिया लि० ने सूचित किया है कि मशीनरी के अधिक प्रयोग के कारण श्रमिकों की संख्या मे कमी नहीं की गई है। तथापि, कुछ फालतू कामगारों को, श्रमशक्ति के बेहतर उपयोग के लिए राजहारा क्षेत्र से कठारा क्षेत्र में स्थानान्तरित कर दिया गया है।

एच० एफ० सी० में घाटा

50. **श्री सूर्य नारायण सिंहः** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) 1988 से अब तक हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर्स कार्पोरेशन्स के प्रत्येक एकक को कितना-कितना घाटा हुआ है।

(ख) क्या सरकार ने घाटे के कारणों की जांच कराई है,

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है,

(घ) क्या सरकार का विचार किसी भी एकक को बन्द करने का है, और

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इन एककों को ठीक प्रकार चलाने हेतु क्या कदम उठाने का विचार है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० चिन्ता मोहन): (क) 1988 से हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कार्पोरेशन लि० (एच० एफ० सी०) की एकक-वार लाभ (+)/हानि (-) नीचे दी गयी है:—

(रु०/लाख)

	1987-88	1988-89	1989-90	1990-91	1991-92 (अनंतिम)
नामरूप-I और II	(-) 1979	(-)3743	(-)4029	(-)5140	(-)5872
नामरूप-III	(-) 857	(-)1795	(-)555	(-)3794	(-)3350
दुर्गापुर	(-) 4523	(-)5467	(-)6295	(-)6964	(-)7257
बरौनी	(-)3132	(-)4498	(-)6272	(-)7286	(-)7636
व्यापारिक कार्यकलाप	(+) 7	(-) 135	(+) 172	(+) 39	(+) 84
योग	(-)10484	(-)15638	(-)16979	(-)23145	(-)24031

(ख) और (ग) सरकार ने हानियों के कारणों की जांच की है और पाया है कि हानियां मुख्यतः

डिजाइन कमियों, उपस्कर की बारम्बार खराबी, पावर तथा श्रमिक समस्याओं आदि के कारण संयंत्रों की निम्न क्षमता उपयोगिता के कारण हुई।

(घ) अभी तक ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

(ङ) कम्पनी द्वारा एच एफ सी का मामला बी आई एफ आर को भेजा गया है और एच एफ सी के भविष्य का निर्णय इस मामले पर बी आई एफ आर द्वारा विचार, रसायन उद्योग सम्बन्धी त्रिपक्षीय समिति के विचार-विमर्श तथा बजटीय सरोतों के माध्यम से निधियों की उपलब्धि पर निर्भर करेगा।

गांवों में पेयजल समस्या

51. **श्री फूल चन्द वर्मा:** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गांवों में अभी भी पेयजल की समस्या है जिसके परिणामस्वरूप ग्रामवासियों को कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार राज्यों को इस समस्या से निपटने के लिए और अधिक धनराशि देने का है; और

(ग) इस प्रयोजनार्थ जुलाई, 1992 तक प्रत्येक राज्य को दी गई धनराशि का ब्यौरा क्या है और 1992-93 के दौरान कितनी धनराशि उपलब्ध कराए जाने की सम्भावना है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री उत्तमभाई एच० पटेल): (क) 1.6.1992 की स्थिति के अनुसार असम, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मेघालय, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, त्रिपुरा तथा उत्तर प्रदेश राज्यों के "बिना पेय जल स्त्रोत" वाले 2862 समस्याग्रस्त गांवों में पेयजल की समस्या थी। इन राज्यों के उन. सभी गांवों और अन्य राज्यों/केन्द्र शासित क्षेत्रों के सभी गांवों में आंशिक अथवा पूर्ण रूप से पेयजल सुविधायें मुहैया करवा दी गई है।

(ख) जी हां।

(ग) "बिन पेयजल स्त्रोत" वाले शेष समस्याग्रस्त गांवों में न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम, त्वरित ग्रामीण जल सप्लाई कार्यक्रम की निधियों को इस्तेमाल करके तथा कुछ राज्यों को विशेष रूप से आवंटित/दी गई सहायता से स्वच्छ पेयजल सुविधायें मुहैया कराई जानी है। भाग (क) में उल्लिखित राज्यों को उपलब्ध कराई गई निधियों तथा 1992-93 में उपलब्ध कराई जाने वाली संभावित निधियों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दर्शाया गया है।

विवरण

(करोड़ रूपये में)

क्रमांक	राज्य	त्वरित ग्रामीण जल सप्लाई कार्यक्रम के अंतर्गत			"बिना पेयजल स्रोत" वाले समस्याग्रस्त गांवों की कवरेज हेतु अतिरित सहायता	
		आबंटन 1992-93	7.7.92 तक रिलीज की गई धनराशि	1992-93 में रिलीज की जाने वाली संभावित शेष धनराशि	रिलीज की गई धनराशि	1992-93 में शेष भाग के लिये रिलीज की जाने वाली संभावित धनराशि
1.	असम	13.70	5.480	8.220	0.990	0.000
2.	गुजरात	16.33	8.165	8.165	—	—
3.	हिमाचल प्रदेश	6.42	2.568	3.852	33.000	4.000
4.	जम्मू व कश्मीर	19.16	6.600	12.560	15.000	10.000
5.	मध्य प्रदेश	28.19	13.935	14.255	—	—
6.	महाराष्ट्र	33.90	16.950	16.950	—	—
7.	मेघालय	4.20	1.680	2.520	4.900	4.900
8.	उड़ीसा	13.35	5.340	8.010	12.810	0.000
9.	पंजाब	4.24	1.696	2.544	28.110	8.100
10.	राजस्थान	41.83	20.915	20.915	25.140	0.000
11.	त्रिपुरा	3.50	1.400	2.100	—	—
12.	उत्तर प्रदेश	47.24	14.396	32.844	36.480	0.000
	योग	232.06	99.125	132.935	156.430	27.000

नोटः आंशिक रूप से कवर किये गये गांवों में पूर्ण रूप से पेयजल सुविधायें मुहैया करवाने के लिए अन्य राज्यों को भी त्वरित ग्रामीण जल सप्लाई कार्यक्रम के अंतर्गत सहायता रिलीज की गई है।

बीड़ी श्रमिक कल्याण निधि से अस्पताल का निर्माण

52. श्री आनन्द अहिरवारः क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने बीड़ी श्रमिक कल्याण निधि से सागर स्थित वर्तमान 10 बिस्तर वाले अस्पताल की क्षमता बढ़ाकर इसे 50 बिस्तर वाले अस्पताल बनाने संबंधी प्रस्ताव की जांच कर ली है;

(ख) यदि हां, तो सरकार इस संबंध में क्या कदम उठा रही है; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या कारण है?

श्रम मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पवन सिंह घटोवार): (क) से (ग) इस समय सागर में बीड़ी श्रमिकों के लिये 10 बिस्तरों वाला कोई अस्पताल नहीं है। अतः इसकी क्षमता को 50 बिस्तरों वाले अस्पताल में बढ़ाने का प्रश्न ही नहीं उठता।

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों की बस्तियों में जल आपूर्ति

53. **श्री बापू हरि चौरे:** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) जल आपूर्ति वृद्धि कार्यक्रम और राष्ट्रीय पेयजल मिशन के अन्तर्गत वर्ष 1991 और 1992 में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों की कितनी बस्तियों का चयन किया गया था; और;

(ख) राज्य-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री उत्तमभाई एच॰ पटेल): (क) अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों की कालोनियों/बस्तियों/बसावटों का चयन राज्यों द्वारा किया जाता है। यह सूचना केन्द्र सरकार के स्तर पर नहीं रखी जाती है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता

आटोमोबाइल नीति

54. **श्री प्रतापराव बी॰ भोसले:** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगें कि:

(क) क्या सरकार को कार निर्माताओं से नई आटोमोबाइल नीति बनाने के लिए कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

उद्योग मंत्रालय औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही): (क) 24 जुलाई, 1991 को नयी औद्योगिक नीति की घोषणा के बाद आटोमोबाइल विनिर्माताओं से नयी आटोमोबाइल नीति हेतु कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के भूतपूर्व कर्मचारियों को ग्रेच्युटी

55. **श्री रवि राय:** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या लोक उद्यम विभाग ने सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के भूतपूर्व कर्मचारियों को ग्रेच्युटी का भुगतान करने संबंधी नियमों में संशोधन करते हुए एक आदेश जारी किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) नियमों का संशोधन करने में हुए विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(घ) इस प्रकार का विलम्ब न होने देने के लिए क्या तन्त्र गठित करने का सरकार का विचार है?

उद्योग मंत्रालय (भारी उद्योग विभाग एवं सार्वजनिक उद्यम विभाग) में राज्य मंत्री (श्री पी॰के॰ थुंगन): (क) से (घ) सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के भूतपूर्व कर्मचारियों के उपदान के भुगतान के सम्बन्ध में सरकारी उद्यम विभाग द्वारा हाल ही में कोई नया मार्गनिर्देश जारी नहीं किया गया है। बहरहाल, उपद्रवी एवं अनियमित व्यवहार के आधार पर किसी कर्मचारी की सेवा की समाप्ति के सम्बन्ध में उच्चतम न्यायालय द्वारा की गई व्याख्या को ध्यान में रखते हुए 27 मई, 1992 को स्पष्टकारी आदेश जारी किए गए थे।

[हिन्दी]

उद्योगों की स्थापना

56. **श्री कुमारी उमा भारती:** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) नई औद्योगिक नीति की घोषणा किये जाने के बाद से 31 मई, 1992 तक हमारे देश में उद्योगों की स्थापना करने हेतु कितने देश तैयार हो गये हैं;

(ख) इन उद्योगों से कितने व्यक्तियों को रोजगार मिलने की सम्भावना है; और

(ग) इन उद्योगों पर नियंत्रण रखने हेतु सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही): (क) नयी औद्योगिक नीति की घोषणा के बाद मई 1992 के अंत तक 40 देशों की विदेशी कंपनियों के साथ सहयोगों के लिए अनुमोदन किये गये हैं।

(ख) इन परियोजनाओं के कार्यान्वयन से देश में रोजगार के नये अवसर उत्पन्न होंगे। किन्तु इन उद्योगों से कितने लोगों को रोजगार मिलने की संभावना है इस संबंध में ब्यौरे केन्द्र सरकार द्वारा नहीं रखे जाते।

(ग) अन्य उद्योगों की भांति इन उद्योगों पर भी भारतीय कानून लागू होंगे।

[अनुवाद]

केन्द्रीय निवेश सहायता योजना को फिर से शुरू करना

57. **श्री बी० एन० रेड्डी:** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने केन्द्रीय निवेश सहायता योजना को फिर से शुरू करने के राज्य सरकारों के आग्रह को अस्वीकार कर दिया है जैसा कि दिनांक 29 मई, 1992 के आवज़र्वर ऑफ बिजनेस एण्ड पालिटिक्स में प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) केन्द्रीय सरकार ने इस संबंध में यदि किन्ही वैकल्पिक योजनाओं का प्रस्ताव रखा है तो वह क्या है?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही): (क) से (ग) केन्द्रीय निवेश राजसहायता योजना, 1971, जो 30.9.1988 को समाप्त हो गई थी, की अवधि नहीं बढ़ायी गयी है क्योंकि पिछड़े क्षेत्रों का औद्योगीकरण विकास केन्द्रों का विकास करके करना होता है। तथापि, केन्द्र सरकार ने चुनिंदा पर्वतीय / दुर्गम क्षेत्रों के औद्योगीकरण को बढ़ावा देने के लिए परिवहन राजसहायता योजना जारी रखी है।

कर्नाटक में विकास केन्द्र

58. **श्री एच० डी० देवगौडा:** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) कर्नाटक राज्य के लिए स्वीकृत विकास केन्द्रों का ब्यौरा क्या है;

(ख) प्रत्येक विकास केन्द्र पर अब तक कितना धन खर्च किया जा चुका है;

(ग) प्रत्येक विकास केन्द्र पर कितना धन खर्च किये जाने की संभावना है; और

(घ) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान आवश्यक धन उपलब्ध कराकर इन विकास केन्द्रों के कार्य को पूरा कराने के लिए क्या कदम उठाये गए हैं?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही): (क) से (घ) 1988 में घोषित विकास केन्द्र योजना के अंतर्गत कर्नाटक को तीन विकास केन्द्र आवंटित किए गए हैं जो हसन, धारवाड़ तथा रायचूर में जिलों में प्रत्येक में एक-एक है। पिछले वित्तीय वर्ष के अंत तक प्रत्येक केन्द्र को 2 करोड़ रु० की केन्द्रीय सहायता जारी की गई थी। पता लगाए गए प्रत्येक विकास केन्द्र का विकास 25 से 30 करोड़ रु० की लागत से किया जाएगा जिसके लिए वित्त की व्यवस्था केन्द्र सरकार, राज्य सरकारों तथा वित्तीय संस्थानों द्वारा संयुक्त रूप से की जाएगी। योजना के आठवीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक पूरा हो जाने की संभावना है।

महाराष्ट्र में सीमेंट कारखाने

59. **श्री विलासराव नागनाथराव गुंडेवार**: क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) महाराष्ट्र के किन-किन जिलों में सीमेंट उद्योग / कारखाने स्थापित किए जाने का विचार है;

(ख) क्या परभनी और नांदेड़ जिलों में भी कोई सीमेंट उद्योग स्थापित किया आयेगा;

(ग) यदि हां, तो इस पर कितनी धन-राशि खर्च होने का अनुमान है; और

(घ) इन उद्योगों में कितने टन सीमेंट का उत्पादन होने का अनुमान है तथा तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उद्योग मंत्रालय औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही): (क) चंद्रपुर, यवतमाल तथा सांगली।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

लघु प्लास्टिक एककों को बन्द करना

60. **श्री अरविन्द तलशीराम काम्बले**: क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि आयातित प्लास्टिक कच्चे माल की कीमतों में 1992-93 के बजट के पश्चात तीस प्रतिशत से अधिक की वृद्धि हुई है;

(ख) क्या प्रसंस्करण उद्योग का उत्पादन लगभग तीस प्रतिशत कम हो गया है तथा इसके परिणामस्वरूप अनेक लघु एककों को बन्द कर दिया गया है;

(ग) क्या सरकार का प्रभावित एककों को राहत देने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० चिन्ता मोहन): (क) केन्द्रीय बजट 1992-93 के

बाद विदेशी मुद्रा की उदारीकृत विनिमय दर प्रबन्ध प्रणाली (एलईआरएमएस) के अंतर्गत आयात की अनुमति दी जाती है। इससे प्लास्टिक के आयातित कच्चे माल की कीमतों पर प्रभाव पड़ा है।

(ख) से (घ) यद्यपि प्लास्टिक प्रोसेसिंग उद्योग को इससे कुछ कठिनाईयां हुई है लेकिन यूनिटों के बन्द होने की जानकारी इस मंत्रालय को नहीं है। प्रोसेसिंग उद्योग के कार्यकरण पर विभिन्न बातों जैसे अंतिम उत्पादों की मांग-पूर्ति, कच्चे माल की कीमतों और उपलब्धता तथा मुद्रा बाजार आदि का प्रभाव पड़ता है और सरकार समय-समय पर इस उद्योग की समस्या के बारे में उपर्युक्त उपाय करती है।

महाराष्ट्र के लिए खाद्य तेलों का कोटा

61. **श्री अंकुशराव टोपे:** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) महाराष्ट्र की खाद्य तेलों की कुल आवश्यकता कितनी है;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान वास्तव में कितना कोटा दिया गया;

(ग) क्या सरकार का विचार त्यौहारों के समय महाराष्ट्र के खाद्य तेलों के कोटे में वृद्धि करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागरिक पूर्ति उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद): (क) राज्य सरकार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार सार्वजनिक वितरण प्रणाली के ज़रिए वितरण हेतु खाद्य तेलों की मासिक आवश्यकता 15,000 मी॰ टन की है।

(ख)	1989-90 (तेल वर्ष नवम्बर-अक्तूबर)		—	1,42,000 मी॰ टन
	1990-91	,, ,,	—	22,600 मी॰ टन
	1991-92 (मई, 1992 तक)	,, ,,	—	10,000 मी॰ टन

इसके अतिरिक्त राज्य सरकार को 1991-92 के दौरान 8,000 मी॰ टन तेल का सीधे आयात करने की अनुमति दी गई है।

(ग) और (घ) राज्य सरकार से अनुरोध प्राप्त होने पर, आयातित तेल की समग्र उपलभ्ता को ध्यान में रखते हुए त्यौहार मौसम के दौरान अतिरिक्त तेल का आवंटन किया जाता है। महाराष्ट्र सरकार से ऐसा कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है।

वाराणसी में सिविल सेवा परीक्षा केन्द्र

62. **श्री आनन्द रत्न मौर्य:** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सिविल सेवा (प्रारम्भिक और मुख्य) परीक्षाओं के केन्द्र राज्य की राजधानियों के अलावा अन्य स्थानों में बनाने के संबंध में निर्णय लेने के लिए संघ लोक सेवा आयोग के नियम क्या है;

(ख) क्या सरकार का विचार उत्तर प्रदेश में वाराणसी में परीक्षा केन्द्र खोलने का है;

(ग) यदि हां, तो इसे कब तक खोले जाने की संभावना है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मार्ग्रेट आल्वा): (क) संघ

लोक सेवा आयोग की यह प्रथा रही है कि वह अपने द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं के लिए, जिसमें सिविल सेवा परीक्षा शामिल है, केवल सभी संगत पहलुओं को ध्यान में रखने के पश्चात् ही नए केन्द्र खोलने का निर्णय करता है, जिसमें आधार-भूत सुविधाओं की उपलब्धता परीक्षा में बैठने वाले उम्मीदवारों की संभावित संख्या तथा वह अभिकरण शामिल है जिसे प्रश्न पत्रों उत्तर-पुस्तिकाओं आदि के अभिरक्षण सहित परीक्षा के आयोजन की वास्तविक कार्यभार सौंपा जा सकता है। ध्यान में रखने योग्य मुख्य महत्वपूर्ण बातें गोपनीयता बनाए रखना तथा परीक्षाओं का निर्बाध आयोजन करना है।

(ख) से (घ) संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित परीक्षाओं के लिए उत्तर प्रदेश राज्य में लखनऊ, इलाहाबाद तथा बरेली में तीन नियमित केन्द्र पहले से ही कार्य कर रहे हैं। इस समय उत्तर प्रदेश राज्य के शहर वाराणसी में कोई अन्य केन्द्र खोलने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

जापान द्वारा आधुनिक औद्योगिक नगरों की स्थापना

63. **श्री मनोरंजन भक्तः** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या प्रमुख जापानी कंपनियों ने भारत में निर्यातोन्मुखी औद्योगिक नगरों की स्थापना का प्रस्ताव किया है;

(ख) यदि हां, तो अब तक प्राप्त प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) ऐसे नगरों की स्थापना कब तक करने का विचार है?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही): (क) भारत में निर्यातोन्मुख औद्योगिक मॉडल नगर की स्थापना करने हेतु जापान की प्रमुख या अन्य कंपनियों से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

मध्य प्रदेश में राजभाषा कार्यान्वयन समिति

64. **श्री महेन्द्र कुमार सिंह ठाकुरः** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) मध्य प्रदेश में केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के ऐसे विभिन्न उपक्रमों की संख्या कितनी है जहां अधिकारियों तथा कर्मचारियों की संख्या 25 से अधिक है;

(ख) इनमें से कितने कार्यालयों में राजभाषा कार्यान्वयन समिति गठित की गई है और उसकी तिमाही बैठकें नियमित रुप से आयोजित की जाती हैं; और

(ग) इनमें से कितने कार्यालयों का यह पता लगाने के लिए निरीक्षण किया गया है कि वहां सरकारी कामकाज में राजभाषा का प्रयोग और राजभाषा नीति का अनुपालन किया जा रहा है अथवा नहीं?

उद्योग मंत्रालय भारी उद्योग विभाग एवं सार्वजनिक उद्यम विभाग में राज्य मंत्री (श्री पी॰ के॰ थुंगन): (क) से (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

खाड़ी देशों की जेलों में बन्द भारतीय नागरिक

65. **श्री रमेश चेन्नित्तला:** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) खाड़ी के विभिन्न देशों की जेलों में बन्द पड़े भारतीय नागरिकों की देशवार संख्या कितनी है; और

(ख) सरकार ने उनकी शीघ्र रिहाई के लिए क्या कदम उठाये हैं?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो): (क) और (ख) सूचना एकत्र करके सदन की मेज पर रख दी जाएगी।

भारतीय प्रशासनिक सेवा में राज्य सिविल सेवाओं का कोटा

66. **श्री गिरधारी लाल भार्गव:** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का प्रशासनिक, तकनीकी एवम् अन्य सेवाओं के लिये राज्यों से भारतीय प्रशासनिक सेवा के नामांकित अधिकारियों के पदों के लिए पृथक कोटा निर्धारित करने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मार्गरेट अल्वा): (क) और (ख) ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है। तथापि वर्तमान नियमों में यह व्यवस्था है कि भारतीय प्रशासनिक सेवा के राज्य संवर्गों में 33 1/3 प्रतिशत पद राज्य सिविल सेवाओं में से पदोन्नति द्वारा भरे जाने होंगे। इस पदोन्नति कोटे में से, 15 प्रतिशत पद, राज्य सरकार की सिफारिशों के आधार पर प्रशासनिक योग्यता रखने वाले, ऐसे अधिकारियों द्वारा भरे जाएंगे जो राज्य सिविल सेवा से संबंधित नहीं हैं।

बेरोजगार व्यक्ति

67. **श्री जी॰ माडे गौड़ा:** क्या योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 1987-88 के राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के अनुसार बेरोजगार व्यक्तियों की राज्यवार संख्या कितनी है; और

(ख) इन बेरोजगार व्यक्तियों को रोजगार मुहैया कराने के लिए सरकार ने देश में रोज़गार के अवसर पैदा करने के लिए क्या कदम उठाए हैं?

योजना एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुख राम): (क) 1987-88 के राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण के परिणामों के आधार पर अनुमानित राज्यवार बेरोजगार व्यक्तियों की संख्या दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

(ख) विकास कार्यक्रमों तथा विशेष रोजगार कार्यक्रमों के जरिए उत्पादनकारी रोजगार अवसरों का सृजन उत्तरोत्तर योजनाओं का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य रहा है। रोजगार आठवीं पंचवर्षीय योजना एक जोर दिया जाने वाला क्षेत्र है। योजना में क्षेत्रक, उपक्षेत्रक तथा वे क्षेत्र जिनमें रोजगार सृजन की गति बढ़ाने की अपेक्षाकृत उच्च रोजगार संभावनाएं हैं, उनके त्वरित विकास के साथ आर्थिक विकास की उच्च दर की आवश्यकता पर जोर दिया गया है। भौगोलिक तथा फसलवार विविधीकृत कृषि विकास परतीभूमि विकास तथा वानिकी, ग्रामीण

गैर-कृषि क्षेत्रक तथा ग्रामीण आधारिक संरचना का विकास, लघु तथा विकेन्द्रीकृत विनिर्माण का तेजी से विकास, आवास का विकास योजना में परिकल्पित रोजगारोन्मुखी संवृद्धि कार्यनीति का मुख्य तत्व है। योजना में औसतन प्रति वर्ष 8 से 9 मिलियन अतिरिक्त रोजगार अवसरों के जुटाए जाने की आशा है।

विवरण

मौजूदा साप्ताहिक स्थिति (1987-88) के आधार पर बेरोजगार व्यक्तियों का राज्यवार अनुमान

राज्य/सं०रा० क्षेत्र	अनुमानित संखया (हजारों में) बेरोजगार
1. आंध्र प्रदेश	1490
2. असम	282
3. बिहार	942
4. गुजरात	563
5. हरियाणा	349
6. हिमाचल प्रदेश	64
7. जम्मू व कश्मीर	125
8. कर्नाटक	569
9. केरल	1718
10. मध्य प्रदेश	648
11. महाराष्ट्र	1091
12. मणिपुर	9
13. मेघालय	2
14. नागालैण्ड	2
15. उड़ीसा	614
16. पंजाब	293
17. राजस्थान	709
18. सिक्किम	3
19. तमिलनाडु	1974
20. त्रिपुरा	32
21. उत्तर प्रदेश	1218
22. पश्चिमी बंगाल	1430
23. अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	4
24. अरूणाचल प्रदेश	1
25. चंडीगढ़	20

राज्य/सं०रा० क्षेत्र	अनुमानित संख्या (हजारों में) बेरोजगार
26. दादर व नगर हवेली	नगण्य
27. दिल्ली	120
28. गोआ, दमन व दीव	39
29. लक्षद्वीप	3
30. मिजोरम	0
31. पांडिचेरी	40
अखिल भारत	14354

टिप्पणी:—

1. साप्ताहिक स्थिति के अवधारणा के अनुसार बेरोजगार वह है जो कार्य के लिए उपलब्ध होने पर भी संदर्भ सप्ताह में एक घंटे के लिए भी काम नहीं प्राप्त करता है।
2. 1981 तथा 1991 की जनगणना आंकड़ों का प्रयोग करते हुए 1 जनवरी, 1988 को अनुमानित जनसंख्या के अनुसार राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण 43वें दौर (साप्ताहिक स्थिति) की दरों का प्रयोग करते हुए बेरोजगार व्यक्तियों की संख्या का अनुमान लगाया गया है।
3. 1987-88 का राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण जम्मू एवं कश्मीर के लद्दाख तथा कार्गिल जिलों तथा नागालैण्ड के ग्रामीण क्षेत्रों को सम्मिलित नहीं करता है।

भारत-रूस वैज्ञानिक परियोजनाएं

68. **श्री के० बी० तंग्काबालु:** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत-रूस वैज्ञानिक सहयोग संबंधी समूचे क्षेत्र की पुनरीक्षा की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या कई वैज्ञानिक परियोजनाओं को बंद किए जाने की संभावना है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय (इलैक्ट्रोनिकी तथा महासागर विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम): (क) से (ग) रूस और भारत के बीच विज्ञान और प्रौद्योगिकी में एकीकृत दीर्घावधि सहयोग कार्यक्रम के लिए संयुक्त परिषद् की बैठक 17-18 अप्रैल, 1992 को मास्को में हुई थी। इसमें इस बात पर जोर दिया गया था कि हमारे सहयोग का मुख्य उद्देश्य नई प्रौद्योगिकियों के विकास संबंधी वैज्ञानिक संकल्पनाओं को साकार करना तथा दोनों देशों की अर्थव्यवस्था के विकास के लिए अपेक्षित नये उपस्कर, तकनीकों तथा उन्नत सामग्री को तैयार करना रहेगा। वित्तीय कठिनाइयों को देखते हुए भारत और रूस के बीच संयुक्त रूप से चलाई जाने वाली जो परियोजनाएं पहले ही निश्चित की जा चुकी हैं उनकी प्राथमिकता निर्धारित की जाएगी तथा दोनों देशों के संस्थानों को शामिल करते हुए भारत-रूस सहयोग को व्यापक आधार दिया जाएगा। मौलिक विज्ञान के क्षेत्रों में संयुक्त कार्य को बढ़ावा देने के लिए इंडियन नेशनल साइंस अकादमी और एशियन अकादमी आफ साइंसेज के बीच सहयोग के मौजूदा तंत्र का उपयोग किया जाता रहेगा।

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के लिए महंगाई भत्ते पर त्रिपक्षीय समिति

69. **श्री प्रकाश बी॰ पाटिल:** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के लिये महंगाई भत्ते पर गठित त्रिपक्षीय समिति का कार्यकाल बढ़ा दिया है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

श्रम मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पवन सिंह घाटोवार): (क) जी हां, समिति की कार्यावधि 31 जुलाई, 1992 तक के लिए बढ़ा दी गयी है।

(ख) समुचित महंगाई भत्ता फार्मूले पर अभी तक मतैक्य नहीं हो पाया है।

लघु औद्योगिक क्षेत्र से राज सहायता को वापस लेना

70. **श्री एम॰वी॰वी॰एस॰ मूर्ति:** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या लघु औद्योगिक क्षेत्र को अब तक दी जा रही राज सहायता को वापस लिए जाने का इस क्षेत्र पर कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है; और

(ख) यदि हां, तो लघु औद्योगिक क्षेत्र की यूनिटों को संरक्षण प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा क्या वैकल्पिक कदम उठाए गए हैं?

उद्योग मंत्रालय (लघु उद्योग तथा कृषि एवं ग्रामीण उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (प्रो॰ पी॰जे॰ कुरियन): (क) और (ख) पिछड़े क्षेत्रों में उद्योग (बड़े, मझोले और लघु) स्थापित करने के लिए उद्यमियों को प्रोत्साहन देने हेतु केन्द्रीय निवेश राजसहायता योजना 1971 में शुरू की गई थी जिसे 30.9.1988 से बंद कर दिया गया।

लघु, अति लघु एवं ग्राम्य उद्यमों को प्रोत्साहन देने तथा सुदृढ़ बनाने हेतु 6 अगस्त, 1991 को घोषित नीति संबंधी उपायों में ग्रामीण/पिछड़े क्षेत्रों में लघु उद्योगों के लिए एक एकीकृत बुनियादी विकास (प्रौद्योगिकीय बैक-अप सेवाओं सहित) योजना का प्रारूप तैयार किया गया है और 8वीं पंचवर्षीय योजना (1992-97) प्रस्तावों में शामिल कर लिया गया है।

सुपर बाजार खोलना

71. **श्री कमल चौधरी:** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पॉकेट "ए" सुखदेव विहार, नई दिल्ली में सुपर बाजार खोलने की मांग की गई है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस संबंध में कोई निर्णय किया है; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में कितनी प्रगति हुई है और वहां पर सुपर बाजार कब तक खुल जायेगा तथा कार्य करने लगेगा?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद): (क) जी हां।

(ख) और (ग) सुपर बाजार ने सूचित किया है कि उन्होंने जून, 1986 में दिल्ली विकास प्राधिकरण से उपयुक्त स्थान आवंटित करने का अनुरोध किया था, ताकि वे सुखदेव विहार, नई दिल्ली में अपनी शाखा खोल सकें। दिल्ली विकास प्राधिकरण से उचित दरों पर स्थान उपलब्ध न होने के कारण प्रस्तावित शाखा नहीं खोली जा सकी है। सुपर बाजार ने यह भी कहा है कि जब कभी उन्हें उचित दरों पर स्थान आवंटित किया जाएगा वे सुखदेव विहार, नई दिल्ली में अपनी शाखा खोलेंगे।

कोयले की चोरी

72. **श्री सूर्य नारायण यादव:** क्या **कोयला** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि शहडोल में कोयला खानों से कोयला बड़ी मात्रा में चोरी-छिपे बेचा जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो इस चोरी को रोकने के लिए सरकार द्वारा किये गये उपायों का ब्यौरा क्या है?

कोयला मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एस० बी० न्यामगौड): (क) कोल कंपनी द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना के अनुसार शहडोल कोयला खानों से चोरी से कोयले की बिक्री किए जाने के संबंध में कोई मामला नोटिस में नहीं आया है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

गरीबी हटाओ संबंधी आर्थिक कार्यक्रम

73. **प्रो० उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु:** क्या **प्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सातवीं योजना-अवधि के दौरान चलाए गए गरीबी हटाओ संबंधी आर्थिक कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है;

(ख) प्रत्येक कार्यक्रम के अंतर्गत, राज्यवार, कुल कितनी धनराशि खर्च की गई; और

(ग) सातवीं योजना-अवधि के दौरान, राज्यवार, कुल कितने लाभ पाने वालों को गरीबी की रेखा से ऊपर लाया गया?

ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री उत्तमभाई एच० पटेल): (क) प्रमुख गरीबी निवारण आर्थिक कार्यक्रमों जो सातवीं योजना के दौरान चल रहे थे, का ब्यौरा नीचे दिया गया है:—

1. समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम (आई०आर०डी०पी०) जिसमें ग्रामीण महिला एवं शिशु विकास योजना (डवाकरा) और ग्रामीण युवा स्वरोजगार प्रशिक्षण योजना (ट्राईसेम) शामिल हैं।

2. जवाहर रोजगार योजना (जे०आर०वाई०)

3. **भूमि सुधार**

   (1) अधिकतम सीमा से फालतू भूमि के आवंटितियों को वित्तीय सहायता देने की केन्द्रीय प्रायोजित योजनाएं, और

(2) भूदान भूमि/सरकारी परती भूमि, बंजर भूमि के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के आबंटिती और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के वे लोग जिन्हें उनकी हस्तानान्तरित की गई भूमि बहाल की गई थी।

4. सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम (डी॰पी॰ए॰पी॰)।

5. मरूभूमि विकास कार्यक्रम (डी॰डी॰पी॰)।

(ख) उपरोक्त कार्यक्रमों के तहत राज्यवार कुल खर्च की गई धनराशि संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत मूल्यांकन रिपोर्टों से पता चला है कि इस योजना के अन्तर्गत सहायता प्राप्त लाभार्थियों में से 28 प्रतिशत लाभार्थियों ने गरीबी की रेखा को पार कर लिया है।

विवरण

क्रम सं॰ राज्य/केन्द्र शासित क्षेत्र	समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम (ड्वाकरा और ट्राइसेम सहित)	जवाहर रोजगार योजना	भूमि सुधार	सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम	मरूभूमि विकास कार्यक्रम
1. आन्ध्र परदेश	26727.91	69384.36	275.00	5734.07	
2. अरूणाचल प्रदेश	1433.61	460.22			
3. असम	9209.26	12915.12	25.00		
4. बिहार	42200.27	107032.74	851.48	4329.28	
5. गोआ	372.77	831.57			
6. गुजरात	12560.51	27803.05	52.20	3609.53	1007.24
7. हरियाणा	5116.16	7285.02	79.68	680.12	1725.01
8. हिमाचल प्रदेश	3098.96	3894.64			820.36
9. जम्मू व कश्मीर	3270.90	8238.80		·986.14	1204.74
10. कर्नाटक	13715.78	37536.75	41.36	4695.26	
11. केरल	9725.65	27843.25	29.40		
12. मध्य प्रदेश	32841.50	64850.69	42.29	3567.41	
13. महाराष्ट्र	2489.76	54305.47	303.74	5893.98	
14. मणिपुर	844.62	1042.89			
15. मेघालय	1200.24	648.70			
16. मिजोरम	1179.97	748.64			
17. नागालैंड	1211.25	1273.59			
18. उड़ीसा	16440.98	33439.81	173.18	2637.88	
19. पंजाब	5939.51	7581.59	9.00		
20. राजस्थान	15275.60	39553.04		2371.85	14648.10
21. सिक्किम	220.75	686.18			

क्रम सं० राज्य/केन्द्र शासित क्षेत्र	समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम (डवाकरा और ट्राइसेम सहित)	जवाहर रोजगार योजना	भूमि सुधार	सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम	मरूभूमि विकास कार्यक्रम
22. तमिलनाडु	23750.12	66539.36	56.82	2847.19	
23. त्रिपुरा	2274.94	2346.19	1.80		
24. उत्तर प्रदेश	64198.14	153618.49	296.31	6629.19	
25. पश्चिम बंगाल	26467.39	49218.61		2216.59	
26. अंद० निको० द्वीपसमूह	200.67	448.04			
27. चंडीगढ़	2.49	93.25			
28. दादर व नगर हवेली	57.61	276.80	15.50		
29. दमन व दीव	250.36	36.35			
30. दिल्ली	308.60	260.06			
31. लक्षद्वीप	101.79	241.92			
32. पांडिचेरी	298.68	605.09	0.51		
अखिल भारत	345181.75	781040.28	2253.27	46198.49	19405.45

अंतरिक्ष अनुसंधान की समस्याएं

74. **श्री चित्त बसु:** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन को काली सूची में डाले जाने के फलस्वरूप अंतरिक्ष अनुसंधान की समस्याओं का अध्ययन करने हेतु एक आठ सदस्यीय समिति का गठन किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त समिति ने इस बीच अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है;

(ग) यदि हां, तो समिति ने क्या-क्या सिफारिशें की हैं; और

(घ) उन पर क्या कार्यवाही की गई है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय (इलेक्ट्रानिकी तथा महासागर विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम): (क) जी, नहीं। फिर भी, संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा भारतीय अन्तरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) पर लगाए गए प्रतिबंध के फलस्वरूप, इसरो की विविध यूनिटों ने सभी संभव आकस्मिकताओं की पूर्ति हेतु, अपने-अपने ढंग से कार्य योजना बनाई है।

(ख) से (घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

जीवन रक्षक औषधियों का आयात

75. **श्री आर॰ सुरेन्द्र रेड्डी:** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जीवन रक्षक औषधियों का आयात सरकारी विनिमय दर पर करने का विचार है जबकि दूसरी औषधियों का आयात बाजार मूल्य पर किया जाता है;

(ख) यदि हां; तो क्या सरकार ने जीवन रक्षक औषधियों की सूची तैयार की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा॰ चिन्ता मोहन): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) जीवन रक्षक औषधों की श्रेणी के अन्तर्गत उन सूत्रयोगों की एक सूची, जिनका सरकारी विनिमय दर पर आयात करने की अनुमति दी गई है, वाणिज्य मंत्रालय द्वारा तारीख 14.5.92 के असाधारण राजपत्र में पहले ही अधिसूचित कर दी गई है।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

सिविल सेवा परीक्षा द्वारा रिक्तियों का भरा जाना

76. **श्री राम नरेश सिंह:** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान सिविल सेवा परीक्षा के आधार पर भरी गई रिक्तियों का सेवा-वार ब्यौरा क्या है; और

(ख) 1991 में ली गई परीक्षा के आधार पर भरी जाने वाली रिक्तियों का सेवा-वार ब्यौरा क्या है?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मार्गरेट अल्वा): (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान सिविल सेवा परीक्षाओं के आधार पर भारतीय प्रशासनिक सेवा में नियुक्त उम्मीदवारों की संख्या नीचे दी जाती है:

1988	1989	1990
109	106	106

अन्य समूह "क" सेवाओं के संबंध में यह सूचना तत्काल उपलब्ध नहीं है क्योंकि कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय उनके नियोक्ता प्राधिकारी नहीं है।

(ख) यह सूचना संलग्न में दी जाती है।

विवरण

	सेवा	1991 के लिए प्रस्तावित रिक्तियों की संख्या
1.	आई॰ए॰एस॰	80
2.	आई॰एफ॰एस॰	13

	सेवा	1991 के लिए प्रस्तावित रिक्तियों की संख्या
3.	आई॰पी॰एस॰	80
4.	पी॰ एण्ड टी॰एफ॰ए॰एस॰	25
5.	आई॰ए॰ए॰एस॰	32
6.	आई॰सी॰ एण्ड सी॰ई॰एस॰	100
7.	आई॰डी॰ए॰एस॰	16
8.	आई॰आर॰एस॰	100
9.	आई॰ओ॰एफ॰एस॰	20
10.	आई॰पोस्टल	17
11.	आई॰सी॰ए॰एस॰	3
12.	आई॰आर॰टी॰एस॰	35
13.	आई॰आर॰ए॰एस॰	19
14.	आई॰आर॰पी॰एस॰	15
15.	आर॰पी॰एफ॰	7
16.	आई॰डी॰ई॰एस॰	3
17.	आई॰आई॰एस॰	11
18.	सी॰टी॰एस॰	—
19.	सी॰आई॰एस॰एफ॰	72
समूह "ख" सेवा		
20.	सी॰एस॰एस॰	51
21.	आर॰बी॰एस॰एस॰	4
22.	ए॰एफ॰एच॰क्यू॰	93
23.	सी॰ए॰एस॰	75
24.	डी॰ए॰एन॰आई॰ (सिविल)	20
25.	डी॰ए॰एन॰आई॰ (पुलिस)	15
26.	पांडी (सिविल)	—
27.	पांडी (पुलिस)	2
28.	सी॰बी॰आई॰	—

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में पूंजी निवेश कम करना

77. **श्री एम०वी० चन्द्रशेखर मूर्ति:** क्या प्रधान मंत्री 25 मार्च, 1992 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4486 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) कंपनियों में शेयरों के उन आवंटितियों का ब्यौरा क्या है; जिनके नाम सरकार द्वारा शेयरों के पूंजी निवेश को कम करने के परिणामस्वरूप उत्तर के अनुबंध में दिए गए हैं तथा वसूल किए गए मूल्य का भारतीय तथा विदेशी दोनों मुद्राओं में ब्यौरा क्या है;

(ख) पूंजीनिवेश कम करने के फलस्वरूप उक्त कम्पनियों के विद्यमान कम्पनियों के निदेशक मंडल के सदस्यों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) कम्पनियों के उन सरकारी शेयरों का ब्यौरा क्या है जिनके पूंजी निवेश को कम करके सरकार द्वारा उन्हें उसके कर्मचारियों को हस्तांतरित करने के लिए चुना गया है और यह भाग इस प्रकार की प्रत्येक कम्पनी की कुल पूंजी का कितने प्रतिशत है?

उद्योग मंत्रालय (भारी उद्योग विभाग एवं सार्वजनिक उद्यम विभाग) में राज्य मंत्री (श्री पी०के० थुंगन): (क) वर्ष 1991-92 के दौरान भारत सरकार द्वारा बेचे गये सरकारी क्षेत्र के एककों के शेयरों के लिए प्रत्येक संस्थान द्वारा भारतीय मुद्रा में अदा की गई राशि के साथ-साथ संस्थानों के नामों को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है। विदेशी मुद्रा में कोई राशि अदा नहीं की गई थी।

(ख) पूंजी निकाले जाने के परिणामस्वरूप अब तक सरकारी क्षेत्र की कंपनियों के निदेशक मण्डलों के गठन में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।

(ग) सरकारी क्षेत्र की कम्पनियों में से सरकारी शेयरों के भाग को उनके कर्मचारियों के पक्ष में निकालने के लिये ब्यौरा तैयार किया जा रहा है।

विवरण

क्रम संख्या	संस्थान का नाम	1991-92 के दौरान बेचे गये शेयरों की राशि का ब्यौरा	
		पहली बार बेचे गये शेयरों की राशि	दूसरी बार बेचे गये शेयरों की राशि
1	2	3	4
1.	यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया	775,75,93,500	1331,50,00,000
2.	कैनबैंक सांझा कोष	131,22,00,000	—
3.	साधारण बीमा निगम	211,96,69,110	—

1	2	3	4
4.	जीवन बीमा निगम	184,30,29,000	—
5.	जीवन बीमा निगम सांझा	27,37,19,000	—
6.	पंजाब नेशनल बैंक सांझा कोष	3,60,00,000	—
7.	भारतीय स्टेट बैंक सांझा कोष	93,19,00,000	13,00,00,000
8.	भारतीय स्टेट बैंक पूंजी बाजार	—	39,62,00,000
9.	इंडियन बैंक सांझा कोष	—	13,32,72,600
10.	बैंक ऑफ बड़ौदा	—	99,30,00,000
11.	इलाहाबाद बैंक	—	26,02,00,000
12.	कारपोरेशन बैंक	—	33,85,00,000
13.	कैनबैंक वित्तीय सेवायें	—	13,03,58,700
14.	बैंक ऑफ इंडिया सांझा कोष	—	41,03,00,000
	जोड़:	1427,41,10,610	1610,68,31,300

सार्वजनिक क्षेत्र का मौके पर अध्ययन हेतु समिति

78. **श्री वी० श्रीनिवास प्रसाद:** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या किसी समिति ने हाल ही में देश विभिन्न भागों में कुछ सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों का मौके पर अध्ययन किया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस समिति ने अपनी अध्ययन रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

श्रम मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पवन सिंह घाटोवार): (क) से (घ) श्रम मंत्रालय की परामर्शदात्री समिति की उप-समिति ने हाल ही में देश के कुछ रुग्ण सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों का दौरा किया जिसका उद्देश्य इन उपक्रमों को पुनरुज्जीवित करने के लिए नीतिगत दिशानिर्देशों का सुझाव देना था। सार्वजनिक क्षेत्र की रूग्ण इकाइयां जिनका दौरा किया गया वे निम्न पश्चिम बंगाल की माइनिंग एण्ड एलाइड मशीनरी कारपोरेशन, भारत आप्थेलमिक ग्लास लि०, इंडियन आइरन एण्ड स्टील कं० लि०, ब्रैथवेट एण्ड कंपनी लि० और स्मिथ स्टानिस्ट्रीट फार्मास्यूटीकल्स लि०, बिहार की हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन, रांची, उत्तर प्रदेश की स्कूटर इंडिया लि०, ब्रिटिश इंडिया कारपोरेशन लि०, और टैनरी एण्ड

फुटवीयर कारपोरेशन, कमानी ट्यूब्स लि०, बम्बई और केरल की कोचीन शिपयार्ड लि०। उप-समिति को अपनी रिपोर्ट अभी प्रस्तुत करनी है।

भारत भारी उद्योग लिमिटेड और भारत यंत्र निगम लिमिटेड

79. **श्रीमती दिल कुमारी भंडारी:** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत भारी उद्योग लिमिटेड और भारत यंत्र निगम लिमिटेड की स्थापना किन्हीं विशेष उद्देश्यों से की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या अब तक उक्त उद्देश्यों को प्राप्त कर लिया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उद्योग मंत्रालय (भारी उद्योग विभाग एवं सार्वजनिक उद्यम विभाग) में राज्य मंत्री (श्री पी॰के॰ थुंगन): (क) और (ख) क्या धारक कम्पनियों, यथा भारत भारी उद्योग निगम लिमिटेड (बीबीयूएनएल) और भारत यंत्र निगम लिमिटेड (बीवायएनएल) की स्थापना के मुख्य उद्देश्य, अन्य बातों के साथ-साथ, इस प्रकार थे:—

(क) क्षमता बढ़ाना;

(ख) संघटक सहायिकाओं के बीच अंतर-एकक समन्वय प्रभावी बनाना;

(ग) उत्पाद-मिश्र का युक्तिकरण;

(घ) अंतर-एकक पूरकों के उपयोग द्वारा तकनीकी, वित्तीय और प्रबन्धन प्रभाव क्षमता को बढ़ाना;

(ङ) पूंजीगत परिसम्पत्तियों की बेहतर उपयोगिता;

(च) डिज़ाइन, ड्राइंग, अनुसंधान और विकास क्रियाकलापों के लिए अधिक सुविधाएं;

(छ) उपकरण और प्रणालियों के डिज़ाइन में, ताप अंतरण और फ्लूइड हैण्डलिंग उपकरण/प्रणालियों के निर्माण, स्थापना और उन्हें चालू करने में और विभिन्न प्रक्रिया उद्योगों यथा रसायन, उर्वरक, पेट्रोलियम, शोधकों इत्यादि के अनुसंगी क्षेत्रों में प्रमुख स्थान प्राप्त करना।

(ग) और (घ) धारक कम्पनियों के लिए निर्धारित उद्देश्यों को पूरा करने के लिए उन्होंने अनेक उपाय किये हैं, जिनमें निम्नलिखित शामिल है:—

(1) जनशक्ति और उत्पाद-मिश्र का युक्तिकरण;

(2) विभिन्न सहायिकाओं के बीच बेहतर अन्तक्रिया;

(3) क्षमता उपयोगिता को उच्चतम स्तर तक बढ़ाना;

(4) एक परामर्शी-खण्ड की स्थापना;

(5) प्रचालनों के सम्बद्ध क्षेत्रों में अनुसंधान और विकास; और

(6) प्रणालियों और प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करना इत्यादि।

भारतीय वैज्ञानिक प्रतिनिधिमंडल का मास्को दौरा

80. **श्री एन० डेनिसः** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मास्को में सत्ता परिवर्तन के बाद किसी भारतीय वैज्ञानिक प्रतिनिधिमंडल ने वहां का दौरा किया है;

(ख) यदि हां, तो दो देशों के बीच हुई बातचीत का क्या परिणाम निकला;

(ग) क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में दो देशों के बीच नए सिरे से समेकित दीर्घकालिक कार्यक्रम तैयार करने की कोई योजना है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय और (इलेक्ट्रानिकी तथा महासागर विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम): (क) जी हां।

(ख) से (घ) रूस और भारत के बीच विज्ञान और प्रौद्योगिकी में एकीकृत दीर्घावधि सहयोग कार्यक्रम के लिए संयुक्त परिषद की बैठक 17-18 अप्रैल, 1992 को मास्को में आयोजित की गई थी। बैठक में इस बात की पुष्टि की गई कि भूतपूर्व सोवियत संघ के साथ चलाए जाने वाला एकीकृत दीर्घावधि सहयोग कार्यक्रम अब भारत और रूस के बीच चलाया जाएगा। हमारे सहयोग का मुख्य उद्देश्य नई प्रौद्योगिकियों के विकास संबंधी वैज्ञानिक संकल्पनाओं को साकार करना तथा दोनों देशों की अर्थव्यवस्था के विकास के लिए अपेक्षित नए उपस्कर और तकनीकों के साथ-साथ उन्नत सामग्री को तैयार करना रहेगा। भारत-रूस सहयोग को दोनों देशों के संस्थानों को शामिल करते हुए व्यापक आधार दिया जाएगा। भारत और रूस के विभिन्न वैज्ञानिक संगठनों और संस्थानों, जिनमें शैक्षिक अनुसंधान और विकास तथा उत्पादन केन्द्र शामिल हैं, के बीच संयुक्त सहकारी अनुसंधान और परियोजनाओं को आयोजित करने का विचार है।

वनस्पति संयंत्र

81. **श्रीमती वसुन्धरा राजेः** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का कुछ राज्यों में कुछ वनस्पति संयंत्र स्थापित करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो वनस्पति संयंत्र स्थापित करने के प्रस्ताव किन-किन राज्यों से प्राप्त हुए हैं;

(ग) अब तक कितने प्रस्ताव मंजूर किए गए हैं; और

(घ) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद): (क) जी नहीं।

(ख) इस मंत्रालय में ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठता।

घाटे में चल रही सरकारी क्षेत्र की कागज मिलें

82. **कुमारी पुष्पा देवी सिंह:** या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में घाटे में चलने वाली सरकारी क्षेत्र की कागज मिलों का पता लगा लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इन एककों में घाटे के क्या कारण हैं;

(घ) घाटे में चलने वाले एककों में से कुछ एककों के निजीकरण हेतु क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ङ) किन कागज मिलों के निजीकरण किये जाने की संभावना है?

उद्योग मंत्रालय (भारी उद्योग विभाग एव सार्वजनिक उद्यम विभाग) में राज्य मंत्री (श्री पी०के० थुंगन): (क) और (ख) केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र की कागज मिलों में से, निम्नलिखित का घाटे में चलने वाली इकाइयों के रूप में पता लगाया गया है:—

1. कछार पेपर मिल्स | हिन्दुस्तान पेपर कारपोरेशन लिमिटेड की।

2. नौगांव पेपर मिल्स |

3. माण्डया नेशनल पेपर मिल्स लिमिटेड

4. नागालैण्ड पल्प एण्ड पेपर मिल्स लिमिटेड

(ग). उनके घाटे के सामान्य कारणों में अलाभकर क्षमता, पर्याप्त आधार संरचनात्मक सुविधाओं, कुशल जन शक्ति और औद्योगिक वातावरण का अभाव, अवस्थापना संबंधी नुकसान और कच्चे माल की अपर्याप्त उपलब्धता, कम क्षमता उपयोग आदि शामिल हैं।

(घ) और (ङ) सरकार इन इकाइयों के कार्यों में सुधार लाने के लिए विभिन्न संभावनाओं का पता लगा रही है।

कोल इंडिया लिमिटेड को लाभ/हानि

83. **श्री ललित उरांव:**

प्रो॰ अशोक आनन्दराव देशमुख: क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 1989-90, 1990-91 और 1991-92 के दौरान कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा अर्जित लाभ/वहन की गई हानि का वर्षवार ब्यौरा क्या है;

(ख) ऐसे संस्थानों/उपक्रमों का ब्यौरा क्या है जिन पर कोल इंडिया लिमिटेड की राशि बकाया है और इन पर कितनी-कितनी राशि बकाया है; और

(ग) इस उपक्रम को लाभप्रद बनाने के लिए सरकार द्वारा अपनाये जाने वाले प्रस्तावित उपायों का ब्यौरा क्या है?

कोयला मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एस॰ बी॰ न्यामगौड): (क) वर्ष 1989-90 और 90-91 के दौरान कोल इंडिया लि॰ द्वारा कमाया गया लाभ/उठाए गए घाटे का वर्षवार ब्यौरा नीचे दिया गया है:—

वर्ष	(करोड़ रु॰ में) लाभ (+)/हानि (-)
1989-90	(+) 80.13
1990-91	(-)253.17

वर्ष 1991-92 के लेखों को अंतिम रूप नहीं दिया गया है और इसलिए वर्ष 1991-92 के संबंध में स्थिति को निर्दिष्ट नहीं किया जा सकता है।

(ख) उन संस्थानों आदि के नाम तथा उक्त संस्थानों की ओर देय बकाया राशि के संबंध में कोल इंडिया लि॰ के द्वारा प्रस्तुत सूचना के संबंध में प्रस्तुत ब्यौरा विवरण में दिया गया है।

(ग) कोयला कंपनियों के वित्तीय कार्य-निष्पादन और उक्त कंपनियों के उत्पादन में सुधार किए जाने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए जा रहे हैं:—

(1) श्रमशक्ति आयोजन में सुधार जिसमें फालतू कामगारों का नियोजन शामिल है और प्राकृतिक व्यर्थता के कारण रिक्त पदों के पैकेज में नए कामगारों की भर्ती पर रोक।

(2) स्वैच्छिक सेवा निवृत्त योजना के जरिए श्रम शक्ति की वृद्धि पर रोक।

(3) "आल मैन — आल जाब" की संकल्पना का प्रायोगिक आधार पर प्रयोग किया जा रहा है।

(4) पर्याप्त वर्कशाप सपोर्ट, अतिरिक्त कलपुर्जों के प्रबंधन में सुधार और समय पर उपकरणों को मुहैया करके उपकरणों के प्रयोग तथा उपलब्धता में सुधार।

(5) भूमिगत खानों पर विशेष बल देते हुए उत्पादन तथा उत्पादकता में वृद्धि।

(6) क्रियाकलापों की कार्यकुशलता में सुधार लाए जाने के लिए कई प्रणालियों में सुधार तथा प्रबंधन उपायों को अंगीकृत किया गया है।

(7) लागत नियंत्रण उपायों की प्रणाली की समीक्षा।

(8) उपभोक्ताओं, विशेषकर राज्य विद्युत बोर्डों से कोयला बिक्री देयताओं से समय पर वसूली।

(9) आदानों के मूल्यों में वृद्धि को संराशिकृत किए जाने के लिए कोयले के मूल्यों को आवधिक रूप में अद्यतन करना।

(10) उदारीकृत बिक्री योजना के अंतर्गत बिक्री के लिए बड़ी मात्रा में स्टाक मुहैया करके पिट-हैड स्टाक में कमी करना।

विवरण

क. विद्युत क्षेत्र

राज्य	यूनिट	देय बकाया राशि (रु० करोड़ में)
बिहार	बिहार राज्य विद्युत बोर्ड	23.15
उत्तर प्रदेश	उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड	420.78
उड़ीसा	उड़ीसा राज्य विद्युत बोर्ड	5.73
पंजाब	पंजाब राज्य विद्युत बोर्ड	97.93
तमिलनाडु	तमिलनाडु विद्युत बोर्ड	56.93
हरियाणा	हरियाणा राज्य विद्युत बोर्ड	102.21
राजस्थान	राजस्थान राज्य विद्युत बोर्ड	16.02
महाराष्ट्र	महाराष्ट्र राज्य विद्युत बोर्ड	286.02
मध्य प्रदेश	मध्य प्रदेश विद्युत बोर्ड	43.61
गुजरात	गुजरात विद्युत बोर्ड	118.59
आंध्र प्रदेश	आंध्र प्रदेश विद्युत बोर्ड	7.47
कर्नाटक	कर्नाटक विद्युत कारपोरेशन	23.70
दिल्ली	दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान	37.67
पश्चिम बंगाल	पश्चिम बंगाल राज्य विद्युत बोर्ड	36.89
	पश्चिम बंगाल विद्युत विकास निगम	48.54
	दुर्गापुर परियोजना लिमिटेड	14.28
	जोड़:	1339.52

ख. केन्द्रीय सरकार के उपक्रम

सेक्टर	यूनिट	देय बकाया राशि
विद्युत	दामोदर घाटी निगम	257.92
	बदरपुर ताप विद्युत गृह	108.56
	राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम	127.15

सेक्टर	यूनिट	देय बकाया राशि
इस्पात	भारतीय इस्पात प्राधिकरण लि०	202.67
	इस्को	35.97
	विजाग टील	(-) 9.51
		56.00
रलवे		
इंजीनियरिंग	भारी इंजीनियरी निगम	1.09
	दिल्ली राज्य औद्योगिक विकास निगम	0.51
	खनिज और धातु व्यापार निगम	6.99
एल्युमिनियम	भारत एल्युमिनियम कं०	0.49
	राष्ट्रीय अल्युमिनियम कं०	3.37
सीमेंट		1.05
उर्वरक	भारतीय उर्वरक निगम	41.08
	हिन्दुस्तान उर्वरक निगम	0.27
कागज		2.37
रक्षा		5.10
अन्य	रक्षा लेखा नियंत्रक	1.10
	सरकारी विभाग	0.44
	और अन्य	1.37
योग		843.99
ग० अन्य निजी संगठन		
	कलकत्ता विद्युत आपर्ति निगम	2.31
	अहमदाबाद विद्युत निगम	28.52
	टिस्को	4.28
	अन्य	10.71
	जोड़:	45.83
कुल जोड़ (क+ख+ग) -		2229.33

[अनुवाद]

गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम

84. **श्री श्रवण कुमार पटेल:** क्या योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रोजगार सृजन और गरीबी हटाओं कार्यक्रमों को आठवीं पंचवर्षीय योजना में शामिल किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) केन्द्रीय तथा राज्य क्षेत्रों में प्रत्येक योजना एवं कार्यक्रमों हेतु प्रस्तावित परिव्यय कितना है?

योजना एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री: (श्री सुखराम): (क) और (ख) जी, हां। केन्द्रीय रोजगार सृजन और गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों जैसे जवाहर रोजगार योजना (जे० आर० वाई०), एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम (आई आर डी पी), नेहरू रोजगार योजना (एन आर वाई), शहरी आधारिक सेवाएं कार्यक्रम (यू बी एस पी), शिक्षित बेरोजगार युवाओं को स्वरोजगार उपलब्ध कराने की स्कीम (एस ई ई यू वाई) तथा राज्य रोजगार कार्यक्रमों जैसे महाराष्ट्र में रोजगार गारंटी स्कीम को आठवीं योजना में शामिल किया गया है।

(ग) केन्द्रीय तथा राज्य क्षेत्रों में प्रत्येक स्कीम तथा कार्यक्रम के लिए उपलब्ध प्रस्तावित परिव्यय के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

(करोड़ रु० में)

क्र०सं०	कार्यक्रम/स्कीम	प्रस्तावित परिव्यय		
		केन्द्रीय क्षेत्र	राज्य क्षेत्र	जोड़
I	**ग्रामीण रोजगार**	18,400	3,532	21,932
	(क) जवाहर रोजगार योजना (जे० आर० वाई०)			
	(ख) अन्य रोजगार कार्यक्रम (ई० जी० एस० आदि)	—	1,714	1,714
II	**ग्रामीण गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम**			
	(क) आई आर डी पी एवं संबद्ध कार्यक्रम	3,800	3,775	7,575
III	**शहरी गरीबी उन्मूलन/रोजगार सृजन कार्यक्रम**			
	(क) नेहरू रोजगार योजना (एन आई वाई)	227	एन०एफ०	227
	(ख) शहरी आधारिक सेवाएं कार्यक्रम (यूबीएसपी)	100	एन०एफ०	100
	शिक्षित युवा बेरोजगारों के लिए स्वरोजगार उपलब्ध कराने की स्कीम (एसईईयूवाई)	45	—	45 (1992-93)

एन०एफ० = अभी निर्धारित नहीं।

[हिन्दी]

बीड़ी मजदूरों की स्थिति

85. **श्री विजय कुमार यादव:** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने बीड़ी मजदूरों की दयनीय वित्तीय स्थिति को सुधारने के लिए कोई देशव्यापी योजना बनाई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

श्रम मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पवन सिंह घाटोवार): (क) और (ख) बीड़ी कर्मकार कल्याण निधि के अन्तर्गत, बीड़ी मजदूरों तथा उनके परिवारों को आवासीय, चिकित्सीय, शैक्षिक तथा मनोरंजन संबंधी सुविधाएं प्रदान करने के लिए अनेक कल्याणकारी योजनाएं तैयार की गयी हैं। हाल ही में, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामाजिक सुरक्षा योजना के अन्तर्गत 1.4.1993 से एक समूह बीमा योजना शुरु की गयी है जिसमें स्वाभाविक मृत्यु होने पर 3,000/रू० के बीमे तथा दुर्घटना से मृत्यु होने पर 6,000/रू० के बीमे की व्यवस्था है।

[अनुवाद]

सरकारी क्षेत्र के एककों का अधिग्रहण

86. **श्री मोहन रावले:** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने भारतीय अथवा बहुराष्ट्रीय कम्पनियों द्वारा "बेमानी शेयरों" के माध्यम से सरकारी क्षेत्र के एककों के संभावित अधिग्रहण को रोकने के लिए सुरक्षोपाय किये हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उद्योग मंत्रालय (भारी उद्योग विभाग एवं सार्वजनिक उद्यम विभाग) में राज्य मंत्री (श्री पी०के० थुंगन): (क) और (ख) शेयरों की अधिप्राप्ति के जरिए भारतीय या बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा वर्तमान कम्पनियों के अधिग्रहण की संभावना से बचने के लिए मौजूदा कानूनों के तहत पर्याप्त सुरक्षात्मक उपाय पहले से ही उपलब्ध हैं। वही प्रावधान सरकारी क्षेत्र के एककों के लिए भी लागू हैं।

इन्दिरा आवास योजना का लक्ष्य व उपलब्धि

87. **श्री सैयद शहाबुद्दीन:** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 1991-92 में इन्दिरा आवास योजना पर कुल कितना व्यय किया गया और वर्ष 1992-93 के लिए इस प्रयोजनार्थ राज्यवार कुल कितना-कितना आवंटन किया गया;

(ख) वर्ष 1991-92 के लिए निर्धारित लक्ष्य क्या थे और क्या उपलब्धि प्राप्त की गई और निर्मित एककों (आवासों) की संख्या के रूप में वर्ष 1992-93 के लिए राज्यवार क्या लक्ष्य निर्धारित किये गये; और

(ग) क्या प्रत्येक गांव में गरीबी की रेखा से नीचे रह रहे सभी परिवारों को इन्दिरा आवास योजना में शामिल करने के लिए योजना के कार्यक्षेत्र में विस्तार करने का प्रस्ताव है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री जी० वेंकटस्वामी):

(क) प्राप्त सूचना के अनुसार वर्ष 1991-92 में इन्दिरा आवास योजना पर कुल 25286.34 लाख रुपए खर्च हुए है। राज्य वार ब्यौरा विवरण-1 में दिया गया है।

वर्ष 1992-93 के लिए इन्दिरा आवास योजना के अन्तर्गत 15340.36 लाख रुपए की राशि आवंटित की गई है। राज्य वार ब्यौरा विवरण-2 में दिया गया है।

(ख) निर्मित एककों (आवासों) की संख्या के रूप में वर्ष 1991-92 के लिए लक्ष्यों और उपलब्धियों तथा 1992-93 के लिए लक्ष्यों को विवरण-3 में दर्शाया गया है।

(ग) जी नहीं।

विवरण-1

वर्ष 1991-92 में इन्दिरा आवास योजना पर कुल खर्च

क्रमांक	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	1991-92 (खर्च लाख रुपए में)
1.	आन्ध्र प्रदेश	1411.43
2.	अरुणाचल प्रदेश	31.22
3.	असम	282.93
4.	बिहार	2643.82
5.	गोआ	2.12
6.	गुजरात	795.07
7.	हरियाणा	132.92
8.	हिमाचल प्रदेश	50.09
9.	जम्मू व कश्मीर	35.15
10.	कर्नाटक	858.93
11.	केरल	488.75
12.	मध्य प्रदेश	3379.37
13.	महाराष्ट्र	1372.30
14.	मणिपुर	11.42
15.	मेघालय	57.51
16.	मिजोरम	34.86
17.	नागालैंड	229.25
18.	उड़ीसा	2099.51

क्रमांक	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	1991-92 (खर्च लाख रुपए में)
19.	पंजाब	242.06
20.	राजस्थान	1064.16
21.	सिक्किम	26.00
22.	तमिलनाडु	7758.73
23.	त्रिपुरा	50.18
24.	उत्तर प्रदेश	1168.82
25.	पश्चिम बंगाल	1041.35
26.	अंडमान और नीकोबार द्वीप समूह	2.44
27.	दादरा और नगर हवेली	3.86
28.	दमन और दीव	2.33
29.	लक्षद्वीप	0.00
30.	पांडिचेरी	9.76
	योगः	25286.34

विवरण-2

वर्ष 1992-93 के लिए इन्दिरा आवास योजना के अन्तर्गत कुल आबंटन

क्रमांक	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	1991-92 (खर्च लाख रूपए में)
1.	आन्ध्र प्रदेश	980.25
2.	अरुणाचल प्रदेश	40.90
3.	असम	148.44
4.	बिहार	2024.73
5.	गोआ	1.19
6.	गुजरात	597.76

क्रमांक	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	1991-92 (खर्च लाख रुपए में)
7.	हरियाणा	116.52
8.	हिमाचल प्रदेश	49.68
9.	जम्मू व कश्मीर	28.93
10.	कर्नाटक	674.18
11.	केरल	214.69
12.	मध्य प्रदेश	2262.57
13.	महाराष्ट्र	947.72
14.	मणिपुर	8.38
15.	मेघालय	63.64
16.	मिजोरम	31.92
17.	नागालैंड	55.47
18.	उड़ीसा	1168.40
19.	पंजाब	159.41
20.	राजस्थान	942.33
21.	सिक्किम	7.39
22.	तमिलनाडु	894.65
23.	त्रिपुरा	40.50
24.	उत्तर प्रदेश	2425.97
25.	पश्चिम बंगाल	1436.15
26.	अंडमान और नीकोबार द्वीप समूह	2.00
27.	चंडीगढ़	0.00
28.	दादरा और नगर हवेली	7.58
29.	दमन और दीव	0.99
30.	दिल्ली	0.00
31.	लक्षद्वीप	2.00

क्रमांक	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	1991-92 (खर्च लाख रुपए में)
32.	पांडिचेरी	5.99
	योग:	15340.36

विवरण-3

इन्दिरा आवास योजना के अन्तर्गत वर्ष 1991-92 के लिए लक्ष्य और उपलब्धियां और 1992-93 के लिए लक्ष्य

क्रमांक	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	1991-92		1992-93
		लक्ष्य (संख्या)	निर्मित आवासों की संख्या	लक्ष्य (संख्या)
1.	आन्ध्र प्रदेश	7913	10876	7719
2.	अरुणाचल प्रदेश	289	233	282
3.	असम	1119	1764	1901
4.	बिहार	16346	22540	15943
5.	गोआ	10	52	9
6.	गुजरात	4661	4939	4546
7.	हरियाणा	941	1004	917
8.	हिमाचल प्रदेश	351	366	343
9.	जम्मू व कश्मीर	205	495	200
10.	कर्नाटक	5443	6092	5309
11.	केरल	1733	5172	1690
12.	मध्य प्रदेश	18266	40644	17816
13.	महाराष्ट्र	7651	9927	7482
14.	मणिपुर	59	140	58
15.	मेघालय	450	373	439

16.	मिजोरम	226	256	220
17.	नागालैंड	392	1581	383
18.	उड़ीसा	9110	17028	8885
19.	पंजाब	1287	1191	1255
20.	राजस्थान	7347	13479	7166
21.	सिक्किम	52	166	51
22.	तमिलनाडु	7222	40725	7044
23.	त्रिपुरा	286	472	279
24.	उत्तर प्रदेश	18914	11911	18448
25.	पश्चिम बंगाल	11594	7401	11308
26.	अंडमान और नीकोबार द्वीप समूह	16	9	16
27.	चंडीगढ़	5	0	0
28.	दादरा और नगर हवेली	61	15	60
29.	दमन और दीव	8	26	8
30.	दिल्ली	79	0	0
31.	लक्षद्वीप	16	0	16
32.	पांडिचेरी	48	22	47
	योग:	122100	198899	119010

"क्षार" क्षेत्रों का विकास

88. **श्री उद्धव बर्मन: क्या योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन** मंत्री यह बतानें की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या असम सरकार ने गत तीन वर्षों के दौरान असम के "क्षार" क्षेत्रों के विकास की परियोजनाएं भेजी हैं; और

(ख) यदि हां, तो इन परियोजनाओं की वर्तमान स्थिति क्या है?

योजना एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुखराम): (क) और (ख) किसी क्षेत्र के विकास के लिए योजना बनाना और इस उद्देश्य के लिए निधियां आवंटित करने की जिम्मेवारी मुख्यतः राज्य सरकार की है। असम सरकार ने पिछले तीन वर्षों की अपनी वार्षिक योजना मे "क्षार" क्षेत्रों के लिए कई स्कमी में शामिल की हैं। असम राज्य सरकार द्वारा योजना आयोग को उपलब्ध कराए गए आठवीं पंचवर्षीय योजना प्रारूप 1992—97 और वार्षिक योजना 1992-93 दस्तावेज से पता चलता है कि 35 चालू और नई स्कीमें हैं।

असम के क्षार क्षेत्रों के विकास के लिए पिछले तीन वर्षों का वर्षवार आबंटन नीचे दिया गया है:

वर्ष	आबंटन (लाख रु० में)
1989-90	83.00
1990-91	96.00
1991-92	110.00

[हिन्दी]

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के सम्बन्ध में मुख्य मंत्रियों का सम्मेलन

89. **श्री एन० जे० राठवा:** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नई सार्वजनिक वितरण प्रणाली तैयार करने और इसे अपेक्षाकृत अधिक प्रभावी बनाने के लिए सभी मुख्य मंत्रियों का एक सम्मेलन आयोजित करने का सरकार का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागरिक पूर्ति उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद): (क) और (ख) नई सार्वजनिक वितरण प्रणाली का मूल्यांकन करने के लिए मुख्य मंत्रियों का सम्मेलन बुलाने का इस समय कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में हुई प्रगति की परिवीक्षा नियमित रूप से की जा रही है।

[अनुवाद]

केन्द्रीय भण्डार की शाखाएं खोलने हेतु मापदंड

90. **मेजर जनरल (रिटायर्ड) भुवन चन्द्र खंडूरी:** क्या प्रधान मंत्री 6 मई, 1992 के अतारांकित प्रश्न संख्या 9177 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) केन्द्रीय भण्डार की शाखाएं खोलने हेतु क्या मानदंड हैं;

(ख) क्या सरकार पर्वतीय क्षेत्रों को कोई वरीयता या प्राथमिकता देती है; यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या सरकार का विचार उत्तर प्रदेश के पौड़ी और गोपेश्वर कस्बों में इन भण्डारों को खोलने का है?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मार्गरेट अल्वा): (क) केन्द्रीय भण्डार की शाखाएं अधिकांशतः ऐसे क्षेत्रों में खोली जाती है जिनमें केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों का बाहुल्य होता है। इस संबंध में जिन अन्य बातों को ध्यान में लिया जाता है वे विपणन सुविधाओं की उपलब्धता नए भण्डार की आर्थिक रूप से लाभप्रदता तथा 1/- रुपये प्रतिमाह के नाममात्र किराए पर उपयुक्त तथा पर्याप्त स्थान की उपलब्धता है।

(ख) उपरोक्त मानदण्डों तथा धन राशि उपलब्ध होने पर सभी क्षेत्रों पर एक समान विचार किया जाता है।

(ग) इस समय उत्तर प्रदेश के पौड़ी तथा गोपेश्वर कस्बों में केन्द्रीय भण्डार की शाखाएं खोलने का कोई प्रस्ताव नहीं हैं।

उद्योग स्थापित करने की प्रक्रिया

91. **श्री विलास मुत्तेमवार:** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पर्यावरणीय मंजूरी की आवश्यकता के कारण पर्याप्त संख्या में उद्योग स्थापित नहीं किए जा सके और औद्योगिक लाइसेंसिंग व्यवस्था को समाप्त करने के बावजूद विदेशी पूंजी को आकर्शित नहीं किया जा सका;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतियक्रिया है; और

(ग) इस बारे में सरकार का क्या उपाचारात्मक कार्रवाई करने का विचार है?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही): (क) जी नहीं।

(ख) अगस्त, 91—मई, 92 की अवधि के दौरान विदेशी सहयोग अनुमोदनों की संख्या बढ़कर 1298 हो गई जबकि 1990-91 की इसी अवधि में इनकी संख्या 457 थी। इस अवधि (अगस्त, 91—मई, 92) के दौरान मंजूर किए गए विदेशी निवेश अनुमोदनों का मूल्य 1528.18 करोड़ रु० था जबकि 1990-91 की इस अवधि के दौरान इनका मूल्य 129.77 करोड़ रु० था। गैर-सरकारी क्षेत्र में उद्योग लगाने के लिए प्राप्त हुए ज्ञापनों सहित औद्योगिक अनुमोदनों की संख्या 1991-92 (अगस्त—मई) में बढ़कर 5594 हो गई है जबकि 1990-91 की अवधि में इनकी संख्या 3629 थी)

(ग) उपर्युक्त (क) तथा (ख) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

राष्ट्रीय सूचना केन्द्र द्वारा भारतीय इलेक्ट्रानिकी निगम को अपने हाथ में लिया जाना

92. **श्री गुरुदास कामत:** क्या **योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय सूचना केन्द्र का विचार भारतीय इलेक्ट्रानिकी निगम को अपने हाथ में लेने का है, और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

योजना एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुखराम): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

हिमाचल प्रदेश को धन का आवंटन

93. **प्रो० प्रेम धूमल:** क्या **योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आठवीं पंचवर्षीय योजना के लिए धन का नियतन करते समय हिमाचल प्रदेश जैसे विशेष दर्जे वाले राज्यों का ध्यान रखा गया है; और

(ख) यदि हां, तो आठवीं योजना में विशेष दर्जे वाले विभिन्न राज्यों को कितनी-कितनी धनराशि का नियतन किया गया है?

योजना एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा अपारंपारिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुखराम): (क) आठवीं योजना 1992-97 के दौरान हिमाचल प्रदेश सहित विशेष श्रेणी राज्यों की विकास आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एकमुश्त राशि अलग रखी गई है। आठवीं योजना के लिए हिमाचल प्रदेश सहित सभी विशेष श्रेणी राज्यों के बीच केन्द्रीय सहायता

का वितरण हिमाचल प्रदेश सहित प्रमुख राज्यों के मुख्य मंत्रियों के साथ उपाध्यक्ष योजना आयोग द्वारा विचार-विमर्श किए जाने के बाद उन राज्यों की विशेष समस्याओं और विकास आवश्यकताओं के आधार पर किया गया है।

(ख) आठवीं योजना के लिए विभिन्न विशेष श्रेणी राज्यों को आवंटित्त राशियों को संलग्न विवरण में दर्शाया गया है।

विवरण

विशेष श्रेणी राज्यों को आठवीं योजना 1992—97 के लिए केन्द्रीय सहायता (समग्र) का आवंटन

(करोड़ रुपयों में 1991-92 के मूल्यों पर)

राज्यों	राशि
1. आंध्र प्रदेश	1150.00
2. असम	3726.31
3. हिमाचल प्रदेश	1299.33
4. जम्मू व कश्मीर	3554.39
5. मणिपुर	950.16
6. मेघालय	865.04
7. मिजोरम	760.00
8. नागालैंड	814.25
9. सिक्किम	437.05
10. त्रिपुरा	968.30
जोड़	14524.83

टिप्पणी: बाह्य सहायता परियोजना का आवंटन अलग से है।

[हिन्दी]

उड़ीसा में सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में पूंजीनिवेश

94. श्री श्रीकान्त जेना: क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 30 अप्रैल, 1992 की स्थिति के अनुसार उड़ीसा में सरकारी क्षेत्र के विभिन्न उपक्रमों में कुल कितना पूंजीनिवेश किया गया था;

(ख) इन उपक्रमों के वार्षिक उत्पादन और लाभ/हानि का ब्यौरा क्या है और प्रत्येक उपक्रम में कार्यरत कर्मचारियों की संख्या कितनी है; और

(ग) उड़ीसा की उन केन्द्रीय परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है जिनमें केन्द्रीय सरकार का और अधिक पूंजीनिवेश करने का विचार है और ऐसी कार्यान्वयनाधीन केन्द्रीय परियोजनाओं के नाम क्या हैं और इन्हें कब तक पूरा किया जायेगा?

उद्योग मंत्रालय (भारी उद्योग विभाग एवं सार्वजनिक उद्यम विभाग) में राज्य मंत्री (श्री पी०के० थुंगन): (क) 31.3.1991 तक, केवल जिस अवधि की जानकारी उपलब्ध है, उड़ीसा राज्य में स्थित केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में सकल परिसम्पत्ति के रूप में कुल 6898.72 करोड़ रुपये का पूंजी निवेश किया गया था।

(ख) वर्ष 1990-91 के दौरान केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के इन उपक्रमों में उत्पादन मूल्य, शुद्ध लाभ/हानि तथा कर्मचारियों की संख्या नीचे दी गई है:

क्रम सं०	सरकारी क्षेत्र के उद्यम का नाम	उत्पादन/प्रदत्त सेवाओं का मूल्य	शुद्ध लाभ/हानि (लाख रुपयों में)	कर्मचारियों की संख्या
1.	नेशनल एल्युमिनियम कंपनी	77285	7194	5144
2.	नीलाचल इस्पात निगम लि०	—	निर्माणाधीन—	
3.	उड़ीसा ड्रग्स एंड कैमिकल्स लि०	99	(-)58	87
4.	पारादीप फास्फेट्स लि०	31125	(-)4725	870
5.	उत्कल अशोक होटल कारपो० लि०	34	(-)7	54

(ग) नई परियोजनाओं में पूंजी निवेश अथवा मौजूदा परियोजनाओं का विस्तार/आधुनिकीकरण तकनीकी आर्थिक व्यवहार्यता तथा संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर किया जाता है। केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के अधीन निर्माणाधीन/कार्यान्वयनाधीन प्रमुख परियोजनाओं का ब्यौरा लोक उद्यम सर्वेक्षण 1990-91 के खण्ड-II (पृष्ठ 55 से 63 तक) दिया गया है, जिसे 5.3.92 को संसद मे प्रस्तुत किया गया था।

[अनुवाद]

लघु और कुटीर उद्योगों के लिए आरक्षित वस्तुएं

95. **डा० सी० सिलवेरा**: क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या लघु और कुटीर उद्योगों द्वारा बनाए जाने हेतु कुछ वस्तुओं को आरक्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो 30 जून, 1992 के प्रत्येक क्षेत्र द्वारा बनाई जाने वाली इन वस्तुओं के नाम क्या हैं;

(ग) क्या कुछ वस्तुओं को मध्यम तथा बड़े उद्योगों द्वारा बनाए जाने हेतु भी आरक्षित किया गया है;

(घ) यदि हां, तो 30 जून, 1992 को प्रत्येक क्षेत्र द्वारा बनाई जाने वाली इन वस्तुओं के नाम क्या हैं;

(ङ) क्या प्रत्येक क्षेत्र के लिए वस्तुओं के आरक्षण हेतु कोई मानदण्ड रखे गए हैं;

(च) क्या प्रत्येक क्षेत्र को कुछ सुविधाएं दी गई हैं; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं?

उद्योग मंत्रालय (लघु उद्योग तथा कृषि एवं ग्रामीण उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (प्रो॰ पी॰ जे॰ कुरियन): (क) और (ख) 30.6.1992 की स्थिति के अनुसार, केवल लघु क्षेत्र में विनिर्माण के लिए 836 मदें आरक्षित की गई हैं। इन 836 मदों के नाम 25.7.1991 की गजट अधिसूचना सं॰ का॰ आ॰ 477(अ) की अनुसूची-3 में दिये गये हैं। केवल कुटीर उद्योग क्षेत्र में उत्पादन के लिए आरक्षित मदों की कोई पृथक सूची नहीं है। किन्तु इस क्षेत्र में 95 मदों का पता लगाया गया है जिनके लिए खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग द्वारा वित्त व्यवस्था करनी है।

(ग) और (घ) नई औद्योगिक नीति के तहत, 25.7.91 की अधिसूचना की अनुसूची-I में शामिल उद्योगों को छोड़कर सभी उद्योग निजी क्षेत्र में मझौले तथा बड़े उद्योगों के लिए खुले हैं। सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित उद्योगों में बड़े तथा मझौले उद्योगों के प्रवेश के लिए चयन के आधार पर अनुमति दी जाती है। उपर्युक्त अधिसूचना की अनुसूची-2 में शामिल उद्योग, जिनके लिए लाइसेंस लेना अनिवार्य है, सरकार द्वारा विनियमित किये जाते हैं और उद्यमी को इन उद्योगों में प्रवेश करने से पूर्व औद्योगिक लाइसेंस प्राप्त करना जरूरी है। अन्य भी लाइसेंस मुक्त उद्योगों के लिए एस॰ आई॰ ए॰ में एक ज्ञापन दर्ज करना होता है। बड़े तथा मझौले क्षेत्र के उद्यमी लघु क्षेत्र के लिए आरक्षित मदों का भी उत्पादन इस शर्त पर कर सकते हैं, यदि वे नये अथवा अतिरिक्त उत्पादन का कम से कम 75% भाग निर्यात करने के लिए प्रतिबद्ध हों।

(ङ) उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधियिनम, 1951 में यथानिर्धारित केवल लघु क्षेत्र में विनिर्माण के लिए मदों का आरक्षण करने हेतु निर्धारित नियम इस प्रकार हैं:

(क) किसी मद का स्वरूप अथवा किसी मद की श्रेणी जिसका सहायक अथवा लघु में उत्पादन कर सके,

(ख) सहायक अथवा लघु औद्योगिक उपक्रमों द्वारा ऐसी मद अथवा मदों की श्रेणी के उत्पादन से संभावित रोजगार सृजन का स्तर,

(ग) उद्योग में उद्यमिता प्रोत्साहन तथा प्रसार की संभावना।

(घ) सामान्य क्षति के लिए आर्थिक सत्ता के केन्द्रीयकरण का निवारण।

(च) और (छ) लघु, अति लघु और ग्राम्य उद्यमों को प्रोत्साहन देने तथा सुदृढ़ बनाने के लिए 6.8.1991 को संसद के समक्ष रखे गये नीतिगत उपायों का मुख्य उद्देश्य लघु उद्योगों को अधिक सक्षम बनाना और उनका तेजी से विकास करना है ताकि वे उत्पादन वृद्धि, रोजगार और निर्यात के रूप में अर्थव्यवस्था में अपना पूर्ण योगदान दे सकें। सरकार ने लघु उद्योगों को बढ़ावा देने हेतु कई उपाय किये हैं जैसे—संस्थागत सहायता तथा प्रोत्साहन पैकेज और रिहायती वित्त, उत्पादन शुल्क संबंधी लाभ, विपणन सहायता, तकनीकी परामर्शदायी सेवाएं, परीक्षण सुविधाएं इत्यादि जैसी रियायतें।

पाकिस्तान में भारतीय राजनयिकों पर हमले

96. श्री वी० एस० विजयराघवनः
श्री मोहन रावले
श्री एन० डेनिस
श्रीमति सरोज दूबे
कुमारी पुष्पा देवी सिंह
श्री शरद दिघे
श्री बी० देवराजन
श्री शरद यादव
श्री मोहन सिंह (देवरिया)
श्रीमती गिरिजा देवी
श्री अटल बिहारी वाजपेयी
श्री माणिकराव होडल्यागावीत
श्री सन्तोष कुमार गंगवार
श्री ललित उरांव
श्री फूल चन्द वर्मा
श्री आनन्द अहीरवार
श्री मदन लाल खुराना
श्री बापू हरि चौरे
श्री चन्द्रजीत यादव
श्री रवि राय
कुमारी उमा भारती
श्री ताराचन्द खण्डेलवाल
श्री परसराम भारद्वाज
श्री एम० वी० चन्द्र शेखरमूर्ति
श्री शंकर सिंह वघेला
श्री गया प्रसाद कोरी
श्री रमेश चेन्नितला
श्री बीर सिंह महतो
श्री सनत कुमार मण्डलः

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) गत छः महीनों के दौरान पाकिस्तान में भारतीय राजनयिकों पर हुए हमलों संबंधी घटनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) ऐसी घटनाओं पर विरोध प्रकट करने तथा भविष्य में इनकी पुनरावृत्ति रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाने का विचार है;

(ग) क्या सरकार ने इस मामले को संयुक्त राष्ट्र में अथवा किसी अन्य अन्तर्राष्ट्रीय मंच पर उठाया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(च) क्या पाकिस्तान ने राजनयिकों के लिए आचार-संहिता का सुझाव दिया है;

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ज) क्या राजनयिकों पर इस प्रकार के हमलों की घटनाओं से दोनों देशों के बीच चल रही बातचीत में बाधा आई है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर० एल० भाटिया): (क) पाकिस्तान में हमारे राजनयिकों को परेशान किए जाने की घटनाएं तो अक्सर होती रही हैं लेकिन इस अवधि में निम्नलिखित बड़ी घटनाएं घटीं:

(i) 24 मई, 1992 को इस्लामाबाद में हमारे हाई कमीशन में परामर्शदाता, श्री राजेश मित्तल को पाकिस्तानी आसूचना कार्मिकों द्वारा जबरदस्ती उठा कर ले जाया गया तथा उन्हें मारा पीटा गया।

(ii) 7 जून को और फिर 16 जून को कुछ अज्ञात लोगों ने कराची स्थित भारत के कोंसलावास में कोंसल, श्री डी० बी० श्रीवास्तव की कार रोकी जिसे वह खुद चला रहे थे तथा उसका सामने का शीशा तोड़ने की कोशिश की और पिस्तौल दिखा कर जबरदस्ती कार का दरवाजा खुलवाने की कोशिश की।

(ख) इन वारदातों के खिलाफ सरकार ने पाकिस्तान की सरकार से सख्त विरोध व्यक्त किया है। हमने यह मांग की है कि मित्तल के मामले के लिए जिम्मेदार अपराधियों को सजा मिलनी चाहिए ताकि दूसरों को इस प्रकार की हिंसात्मक कार्यवाही और अमानवीय व्यवहार करने की हिम्मत न हो। इसी तरह हमने यह भी मांग की है कि कोंसल, श्रीवास्तव की कार पर आक्रमण की कोशिश करने वालों का भी पता लगाया जाना चाहिए।

(ग) से (ङ) जी नहीं। सरकार के विरोध और सरकार की चिन्ता से सीधे पाकिस्तान सरकार को अवगत कराया गया है और उन्हें इस बात की याद दिलाई गई है कि अंतर्राष्ट्रीय कानून के अन्तर्गत उनकी क्या जिम्मेदारियां हैं ताकि इस बात का सुनिश्चय हो सके कि उनके अधिकारी राजनयिक विशेषाधिकार और उन्मुक्तियों से सम्बद्ध संगत अंतर्राष्ट्रीय अभिसमयों का पूरी तरह पालन करें।

(च) और (छ) जी हां। राजनयिकों के लिए आचार संहिता के बारे में पाकिस्तान का प्रस्ताव जून, 1992 में मिल गया है और इस पर हम अपनी प्रतिक्रिया से उन्हें शीघ्र अवगत करा देंगे।

(ज) जी हां। हमने पाकिस्तान की सरकार को यह बता दिया है कि इस प्रकार की घटनाएं ऐसे वातावरण का सृजन करने में सहायक नहीं होती जिसमें कोई ठोस बातचीत की जा सकती हो।

जानकारी पर आधारित कम्प्यूटर प्रणाली

97. **श्री बलराज पासी:**
श्रीमती कृष्णेन्द्र कौर (दीपा):

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने वर्ष 1986 में पांचवर्षीय जानकारी पर आधारित कम्प्यूटर प्रणाली विकास कार्यक्रम शुरू किया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में अब तक कितनी प्रगति हुई है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय (इलेक्ट्रॉनिकी विभाग तथा महासागर विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम): (क) जी, हां। इलेक्ट्रॉनिकी विभाग, भारत सरकार ने ज्ञान पर आधारित कम्प्यूटर प्रणाली/पांचवीं पीढ़ी की कम्प्यूटर प्रणाली (के बी सी एस/एफ जी सी एस) का एक पंचवर्षीय कार्यक्रम वर्ष 1986 में शुरू किया था।

(ख) संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की आंशिक सहायता से इलेक्ट्रानिकी विभाग द्वारा शुरू किए गए के बी सी एस/एफ जी सी एस कार्यक्रम का उद्देश्य सांस्थानिक मूलसंरचनात्मक सुविधाएं तैयार करना, वैज्ञानिक जनशक्ति को प्रशिक्षण देना तथा के बी सी एस प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करते हुए देश की कुछ आर्थिक एवं सामाजिक समस्याओं के समाधान के लिए अनुसंधान तथा विकास के कार्यकलाप शुरू करना है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत विभिन्न क्षेत्रों में अनुसंधान तथा विकास कार्यों के लिए 7 नोडल केन्द्र स्थापित किए गए हैं। लगभग 60 वैज्ञानिकों/इंजीनियरों को विदेशों में प्रशिक्षित किया गया है।

(ग) के बी सी एस प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करते हुए विभिन्न अनुप्रयोगों के लिए लगभग 20 प्रदर्शन प्रणालियों का विकास किया जा चुका है। इनमें से कुछ इस प्रकार हैं:—

1. साधन-स्रोत निर्धारण प्रणालियां;
2. बुद्धिपरक शिक्षण प्रणालियां;
3. सूचना भण्डारण तथा पुनर्प्राप्ति प्रणालियां;
4. प्रतिबिम्ब संसाधन प्रणालियां;
5. वाक् पहचान/संश्लेषण प्रणालियां;
6. चिकित्सा निदान/केस हिस्ट्री टेकर प्रणालियां;
7. कानूनी तर्क प्रणालियां।

इन प्रणालियों के विकास के दौरान विकसित प्रौद्योगिकियों का एकीकरण के बी सी एस/एफ जी सी एस कार्यक्रम के दूसरे चरण में किया जा रहा है, जो अप्रैल, 1992 में शुरू हुआ है।

पूर्वी क्षेत्र की वृद्धि दर

98. **डा० असीम बाला:** क्या **योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में देश के अन्य भागों की तुलना में पूर्वी क्षेत्र में वृद्धि दर कितनी-कितनी रही; और

(ख) देश के विभिन्न भागों में, विशेष तौर पर पूर्वी क्षेत्र के संदर्भ में, वृद्धि दर में विषमता को कम करने हेतु योजना आयोग के विचाराधीन कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है?

योजना एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुख राम): (क) 1980-81 के मूल्यों, आंकड़ों तथा क्षेत्रों एवं क्षेत्रकों द्वारा वर्गीकृत निवल राज्य घरेलू उत्पाद (एन०एस०डी०पी०) का प्रयोग करते हुए परिकलित की गई वृद्धि दरें संलग्न विवरण में दी गई हैं।

अर्थव्यवस्था तथा लोगों के आय स्तर के विभिन्न क्षेत्रकों की उत्पादकता में वृद्धि करने के लिए विकास योजनाएं/कार्यक्रम राज्य सरकार द्वारा कार्यान्वित किए जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त, क्षेत्रीय विषमताओं की

समस्याओं का समाधान करने के लिए आठवीं योजना में जल संसाधनों की बेहतर उपयोगिता विशेषकर पूर्वी क्षेत्र में चावल उत्पादन के क्षेत्रों में उच्च प्रौद्योगिकी को अपनाने, कृषिक कार्यकलापों का विविधिकरण, शुष्क भूमि खेती, बीच निकास, बागवानी, पशुपालन और मुर्गीपालन आदि के विकास पर बल दिया गया है। आठवीं योजना के दौरान औद्योगिक वृद्धि केन्द्रों की स्थापना करते हुए औद्योगिक उत्पादकता में वृद्धि, कृषि-उद्योगों में निवेश के लिए अच्छी सुविधाएं प्रदान करते हुए आधारिक संरचना कार्यकलापों का विकास, विशेषकर अच्छे रोजगार योजना (जे०आर०वाई०), एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम, (आई०आर०डी०पी०); पहाड़ी क्षेत्र विकास कार्यक्रम, विशेष क्षेत्र कार्यक्रम आदि के प्रभावी कार्यान्वयन पर भी महत्व दिया जा रहा है।

विवरण

(मिश्रित प्रतिशत प्रतिवर्ष)

	क्षेत्र/राज्य	कृषि व संबद्ध कार्यकलाप	खनन विनिर्माण व निर्माण	विद्युत, गैस व जल आपूर्ति	परिवहन, वाणिज्य तथा भंडारण	व्यापार, होटल, बैंक, वास्त० सम्पदा	लोक प्रशासन तथा अन्य सेवाएं	नेट राज्य घरेलू उत्पाद
	1	2	3	4	5	6	7	8
I.	उत्तरी क्षेत्र							
	हरियाणा	16.80	3.19	18.69	10.29	7.39	5.55	10.77
	हिमाचल प्रदेश	10.91	4.96	26.76	(-)8.48	3.56	6.60	7.51
	जम्मू व कश्मीर	(-)0.66	(-)2.35	17.96	21.43	3.85	17.81	2.13
	पंजाब	4.86	8.88	15.67	5.08	2.70	8.14	5.67
	राजस्थान	28.03	4.70	4.39	5.38	10.27	7.67	15.79
II.	उत्तर-पूर्वी क्षेत्र							
	असम	4.76	6.08	17.10	10.75	5.82	11.50	6.21
	मणिपुर	2.46	7.70	(-)0.82	0.85	3.80	5.16	4.18
	मेघालय	2.35	4.80	—	18.58	4.66	7.72	5.43
	नागालैंड	5.14	18.53	17.52	16.63	4.66	7.58	9.70
	त्रिपुरा (2)	6.37	(-)1.45	(-)6.55	11.62	8.94	8.86	7.35
	अरुणाचल प्रदेश	5.55	(-)1.41	7.22	5.92	4.49	6.23	4.21
	सिक्किम (3)	22.46	20.27	0.82	26.93	17.76	6.95	19.29
III.	पूर्वी क्षेत्र							
	बिहार	7.07	8.70	9.64	(-)0.94	7.23	8.93	7.52
	उड़ीसा	9.23	14.49	4.00	6.92	(-)8.43	10.63	7.37
	प० बंगाल (2)	5.69	2.47	3.49	7.94	3.35	3.07	4.09

1	2	3	4	5	6	7	8
IV. केन्द्रीय क्षेत्र							
मध्य प्रदेश (1)	5.92	8.46	9.99	5.33	6.98	10.58	7.59
उत्तर प्रदेश	4.83	5.10	15.56	5.49	6.41	10.14	6.02
V. पश्चिमी क्षेत्र							
गुजरात (4)	6.22	6.45	15.52	11.32	7.64	4.86	7.36
महाराष्ट्र	6.38	11.21	10.76	5.80	9.66	15.42	9.48
गोवा	8.22	10.00	(-)1.86	4.51	9.29	2.02	7.79
VI. दक्षिणी क्षेत्र							
आंध्र प्रदेश	6.75	5.94	(-)12.01	16.08	8.40	7.96	7.60
कर्नाटक	1.07	6.03	14.41	5.77	5.98	4.41	4.21
केरल	7.41	10.19	(-)12.04	5.43	0.59	5.35	6.02
तमिलनाडु (2)	(-)4.70	3.71	39.72	5.03	6.19	10.56	3.49

*1987-88 से 1990-91 तक की अवधि से संबंधित संवृद्धि दर पर 1980-81 की कीमतों को छोड़कर राज्य संबंधी चिन्ह नीचे दिए है:

(1) मध्य प्रदेश के लिए आंकड़े 1970-71 से सतत मूल्यों पर उपलब्ध थे।

(2) 1986-87 से 1989-90 तक की अवधि से संबंधी संवृद्धि दर।

(3) 1985-86 से 1987-88 तक की अवधि से संबंधी संवृद्धि दर।

(4) 1986-87 से 1990-91 तक की अवधि से संबंधी संवृद्धि दर।

खाद्यान्नों की कीमतें

99. **श्री जार्ज फर्नांडीज:**
श्री मनोरंजन भक्त:

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या प्रधान मंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद का यह मत है कि खाद्यान्नों की कीमतें बहुत ऊंची हैं;

(ख) क्या परिषद ने इस सम्बन्ध में प्रधान मंत्री को कोई सुझाव दिए हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद): (क) जी नहीं, सरकार को इस मामले में आर्थिक सलाहकार परिषद से कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

राज्यों को सीरे का आवंटन

100. **प्रो॰ रीता वर्मा:**
श्री चेतन पी॰ एस॰ चौहान:
श्री दत्तात्रेय बंडारू:
श्रीमती भावना चिखलिया:

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) अल्कोहल, वर्ष 1989-90 के दौरान राज्य-वार सीरे की कितनी मात्रा फालतू घोषित की गई;

(ख) अल्कोहल वर्ष 1990-91 के दौरान प्रत्येक राज्य को कुल कितनी-कितनी मात्रा में सीरे की सप्लाई की गई;

(ग) क्या कुछ राज्यों ने सीरे के आवंटन में वृद्धि करने की मांग की है; और

(घ) यदि हां, तो अल्कोहल वर्ष 1991-92 के दौरान सीरे के आवंटन में वृद्धि करने हेतु क्या कदम उठाए गए?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा॰ चिन्ता मोहन): (क) विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा भेजे गए उपलब्धता और खपत के आंकड़ों के आधार पर अल्कोहल वर्ष 1989-90 के दौरान राज्यवार फालतु शीरे की मात्रा संलग्न विवरण-I में दी जाती है।

(ख) अल्कोहल वर्ष 1990-91 के दौरान अंतर-राज्य आवंटन के माध्यम से सप्लाई किए गए शीरे की मात्रा विवरण-II में दी जाती है।

(ग) जी, हां।

(घ) अल्कोहल वर्ष 1991-92 के दौरान शीरे का अन्तर-राज्य आवंटन संबंधित राज्य सरकारों के परामर्श से किया गया है।

विवरण-I

1989-90 के दौरान राज्यों द्वारा घोषित फालतू शीरा

(आंकड़े टनों में)

राज्य का नाम	मात्रा
असम	6,900
बिहार	22,900
गुजरात	10,900
कर्नाटक	84,000
महाराष्ट्र	2,84,000

राज्य का नाम	मात्रा
उड़ीसा	1,000
पंजाब	17,300
पाण्डीचेरी	7,500
तमिलनाडु	97,000
गोवा	200
उत्तर प्रदेश	1,12,000

विवरण-II

1990-91 के दौरान अन्तरराज्यीय आवंटन

(आंकड़े टनों में)

राज्य का नाम	मात्रा
आन्ध्र प्रदेश	70,000
हिमाचल प्रदेश	9,800
असम	100
जे॰ एण्ड के॰	12,300
केरल	34,000
उड़ीसा	20,000
पंजाब	45,500
राजस्थान	33,500
दिल्ली	1,750
चण्डीगढ़	860
पश्चिम बंगाल	65,000
दादर और नगर हवेली	230
दमन	13,000
त्रिपुरा	75
मेघालय	1,025
मध्य प्रदेश	2,32,500

औद्योगिक हड़ताल

101. **श्री हरि किशोर सिंह:**
श्री विलास मुत्तेमवार:
श्री शरद यादव:
श्रीमती गिरिजा देवी:
श्री के०पी० रेड्डय्या यादव:
श्री भगवान शंकर रावत:
श्री चन्द्रजीत यादव:
श्री रवि राय:

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 16 जून, 1992 को राष्ट्रव्यापी औद्योगिक हड़ताल में कितनी यूनियनों ने भाग लिया और इस हड़ताल से अर्थव्यवस्था के कौन-कौन से मुख्य क्षेत्र प्रभावित हुए;

(ख) इस हड़ताल के परिणामस्वरूप अनुमानतः कितनी क्षति हुई;

(ग) कर्मचारियों ने मुख्यतः किन मुद्दों पर हड़ताल की; और

(घ) हड़ताल को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए?

श्रम मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पवन सिंह घाटोवार): (क) और (ख) इंटक और बी०एम०एस० के अलावा केन्द्रीय व्यवसाय संघ से संबद्ध अधिकांश संघों ने 16 जून, 1992 की औद्योगिक हड़ताल में भाग लिया। बैंकिंग और बीमा उद्योग तथा कुछ रक्षा उपक्रम अर्थव्यवस्था के उन बड़े क्षेत्रों में से हैं जिनपर हड़ताल का प्रभाव पड़ा।

(ग) हड़ताल का आह्वान मुख्यतया नयी आर्थिक और औद्योगिक नीति के विरोध में किया गया था।

(घ) सरकार ने ट्रेड यूनियनों और कर्मकारों पर हड़ताल न करने के लिए जोर दिया था, क्योंकि यह आश्वासन दिया गया था कि नयी औद्योगिक / आर्थिक नीति को लागू करते समय उनके हितों की रक्षा की जायेगी। सार्वजनिक उपयोग की सेवाओं में प्राप्त हड़ताल नोटिसों पर संराधन अधिकारियों ने भी हस्तक्षेप किया था और हड़ताल टालने का प्रयास किया था।

यूरेनियम का उत्पादन

102. **श्री वी० श्रीनिवास प्रसाद:**
श्री एम०वी० चन्द्रशेखर मूर्ति:

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यूरेनियम उत्पादन में भारी कटौती होने से आठवीं योजना अवधि के दौरान नाभिकीय क्षेत्र में देश की प्रगति को नुकसान पहुंचने की सम्भावना है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने यूरेनियम उत्पादन बढ़ाने के लिये कोई कदम उठाने पर विचार किया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय (इलैक्ट्रोनिकी तथा महासागर विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम): (क) यूरेनियम का जितना उत्पादन हो रहा है और इस समय स्टाक में उसका जितना भंडार उपलब्ध है, वह परमाणु बिजली के योजनाबद्ध कार्यक्रम के लिए अगले दस वर्षों तक यूरेनियम की आवश्यकताओं को पूरा करने के वास्ते पर्याप्त है।

(ख) और (ग) सरकार किफायत से यूरेनियम की प्राप्ति के लिए उसके नए स्रोतों के अन्वेषण और उनकी शिनाख्त करने के लगातार प्रयास कर रही है। मेघालय में डोमियासियात नामक स्थल पर एक नए स्रोत का पता लगाया गया है और इस स्रोत की वाणिज्यिक दृष्टि से व्यवहार्यता सिद्ध करने के लिए अन्वेपणात्मक खनन कार्य किया जा रहा है।

कृषि श्रमिकों के लिए एक समान नीति

103. **कुमारी फ्रिडा तोपनो**: क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार कृषि श्रमिकों के लिए एक समान नीति हेतु एक विधेयक प्रस्तुत करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

श्रम मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पवन सिंह घाटोवार): (क) और (ख) कृषि कर्मकारों को कल्याण सुविधायें उपलब्ध कराने के लिए उनका नियोजन तथा सेवा शर्तों का नियमन करने के लिए एक विधेयक सरकार के विचाराधीन है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

चीन द्वारा भूमिगत परमाणु परीक्षण

104. **डा० डी० वेंकटेश्वर राव**:
श्री शरद यादव:
श्रीमती गिरिजा देवी:
श्री चन्द्रजीत यादव:

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या चीन ने हाल ही में कोई भूमिगत परमाणु परीक्षण किया था;

(ख) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या इस परीक्षण से भारत की सुरक्षा को कोई खतरा पैदा हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाने पर विचार किया जा रहा है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एदुआर्डो फैलीरो): (क) जी हां।

(ख) भारत ने नाभिकीय अस्त्रों के परीक्षण पर व्यापक प्रतिबन्ध लगाने के मामले की हमेशा ही वकालत की है। हम अब भी ईमानदारी से यही आशा करते हैं कि सभी राज्य चाहे वे नाभिकीय अस्त्रों वाले राज्य हों अथवा वे राज्य जिनके पास नाभिकीय हथियार नहीं हैं, यथाशीघ्र मिल कर इस प्रकार का प्रतिबन्ध लगाने के लिए संधि करेंगे।

(ग) और (घ) भारत की सुरक्षा को प्रभावित करने वाली सभी घटनाओं पर सरकार बराबर निगाह

रखती है। चीन सरकार की इस स्थिति पर सरकार ने गौर किया है कि वह कभी भी और किन्ही भी परिस्थितियों में नाभिकीय हथियारों का प्रयोग करने में पहल नहीं करेगी।

[हिन्दी]

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति-आयु

105. **डा॰ लाल बहादुर रावलः**
श्री राजवीर सिंहः

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के कर्मचारियों की वर्तमान सेवानिवृत्ति-आयु को घटाने पर विचार कर रही हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

उद्योग मंत्रालय (भारी उद्योग विभाग एवं सार्वजनिक उद्यम विभाग) में राज्य मंत्री (श्री पी॰के॰ थुंगन): (क) जी, नहीं। सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु को 58 वर्ष से घटाने संबंधी कोई प्रस्ताव फिलहाल सरकार के विचाराधीन नहीं है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

[अनुवाद]

गरीबी रेखा की अवधारणा

106. **श्री गया प्रसाद कोरीः** क्या **योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में प्रतिमाह परिवार की आमदनी तथा सदस्यों की संख्या के बारे में गरीबी रेखा की नवीनतम अवधारणा क्या है;

(ख) क्या किसी परिवार अथवा व्यक्ति को गरीबी की रेखा से ऊपर लाने के लिए उपयुक्त सफाई सुविधाओं के साथ आवास की उपलब्धता आवश्यक सुविधा मानी गयी है;

(ग) 1991 की जनगणना सर्वेक्षण के अनुसार राज्यवार कितने प्रतिशत लोग गरीबी की रेखा से नीचे रहते है और उसमें ग्रामीण तथा शहरी जनसंख्या कितनी है; और

(घ) आठवीं योजना के अंत तक राज्यवार प्राप्त किए जाने वाले संगत लक्ष्यों का ब्यौरा क्या है?

योजना एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुखराम): (क) गरीबी की रेखा से नीचे के लोगों का निर्धारण करने के लिए प्रयुक्त गरीबी की रेखा की संकल्पना "न्यूनतम आवश्यकता एवं प्रभावी खपत मांग" संबंधी कृतिक बल की सिफारिश पर आधारित है। कृतिक बल ने अपनी रिपोर्ट वर्ष 1979 में प्रस्तुत की थी। इस रिपोर्ट के अनुसार गरीबी की रेखा को 1973-74 की कीमतों पर ग्रामीण क्षेत्रों एवं शहरी क्षेत्रों में क्रमशः 2400 एवं 2100 कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रति दिन की आवश्यकता के अनुरूप ग्रामीण क्षेत्रों में 49.09 रू॰ के प्रति व्यक्ति मासिक व्यय के अनुसार तथा शहरी क्षेत्रों में 56.64 रूपए प्रति व्यक्ति मासिक व्यय के अनुसार परिभाषित किया गया है।

(ख) उपर्युक्त परिभाषित गरीबी रेखा में संदर्भगत वर्ष में भोजन पर व्यय एवं गैर-भोजन संबंधी मदों (जैसे कि आवास, स्वास्थ्य, शिक्षा, ईंधन, वस्त्र और सामाजिक सेवाएं) पर हुआ व्यय शामिल है।

(ग) वर्ष 1991 के लिए गरीबी रेखा से नीचे की कुल जनसंख्या और प्रतिशत के अनुमान उपलब्ध नहीं है। तथापि 1987-1988 (उपलब्ध अद्यतन वर्ष) के अनुमान संलग्न विवरण में दर्शाए गए हैं।

(घ) आठवीं योजना में गरीबी उन्मूलन के लिए कोई राज्यवार लक्ष्य निश्चित नहीं किए गए हैं।

विवरण

गरीबी रेखा से नीचे रहने वाली जनसंख्या की संख्या और प्रतिशत को ग्रामीण नगर और संयुक्त क्षेत्र 1987-88 (अनंतिम) के लिए राज्यवार अलग-अलग दर्शाया है

क्र॰ सं॰	राज्य / सं॰रा॰ क्षेत्र	ग्रामीण		शहरी		संयुक्त	
		लोगों की सं॰	लोगों का %	लोगों की सं॰	लोगों का %	लोगों की सं॰	लोगों का %
1.	आंध्र प्रदेश	153.1	33.8	42.6	26.1	195.20	31.7
2.	असम	50.4	24.5	2.5	9.4	52.89	22.8
3.	बिहार	300.3	42.7	36.1	30.0	336.54	40.8
4.	गुजरात	56.2	21.2	17.1	12.9	73.25	18.4
5.	हरियाणा	13.5	11.7	4.7	11.7	18.15	11.6
6.	हिमाचल प्रदेश	4.4	9.7	0.1	2.4	4.52	9.2
7.	जम्मू व कश्मीर	8.4	15.5	1.4	8.4	9.79	13.9
8.	कर्नाटक	102.8	35.9	33.7	24.2	136.46	32.1
9.	केरल	32.4	16.4	11.6	19.3	48.98	17.0
10.	मध्य प्रदेश	194.0	41.5	30.9	21.3	224.97	36.7
11.	महाराष्ट्र	166.9	36.7	42.2	17.0	214.10	29.2
12.	उड़ीसा	124.2	49.3	10.9	24.1	135.12	44.7
13.	पंजाब	9.6	7.2	4.3	7.2	13.88	7.2
14.	राजस्थान	80.6	26.0	19.0	19.4	99.54	24.4
15.	तमिलनाडु	138.4	39.5	38.5	20.5	176.85	32.8
16.	उत्तर प्रदेश	373.1	37.2	75.2	27.2	448.34	35.1
17.	पश्चिमी बंगाल	137.2	30.3	36.3	20.7	173.45	27.6
18.	लघु राज्य और सं॰रा॰ क्षेत्र	9.3	11.8	4.9	4.7	14.2	7.7
19.	अखिल भारत	1950.7	33.4	417.0	20.1	2376.7	29.9

मंत्री की खाड़ी देशों की यात्रा

107. **श्री ई॰ अहमद:** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विदेश राज्य मंत्री हाल में खाड़ी देशों की यात्रा पर गए थे;

(ख) यदि हां, तो इनमें से प्रत्येक देश की यात्रा का क्या उद्देश्य था और इसके क्या परिणाम निकले;

(ग) क्या उन्होंने कुवैत के साथ पुनर्निर्माण गतिविधियों में भारत की सहभागिता के संबंध में कोई बातचीत की थी;

(घ) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फ़ैलीरो): (क) जी हां। विदेश राज्य मंत्री, श्री एडुआर्डो फ़ैलीरो बहरीन, ओमान और कतर गए थे।

(ख) इस यात्रा का उद्देश्य भारत और इन देशों के बीच के घनिष्ठ और मधुर संबंधों को मजबूत करना था। इन संबंधों को राजनैतिक और आर्थिक क्षेत्रों में मजबूती प्रदान की गई और भारतीय समुदाय के कल्याण को प्रभावित करने वाले मामलों को उठाया गया।

(ग) विदेश राज्य मंत्री कुवैत नहीं गए थे।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

क्लाउड सीडिंग सेन्टर

108. **श्री गोपी नाथ गजपतिः** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्लाउड सीडिंग सेन्टर की स्थापना करने के लिए सातवीं योजना में कितनी धनराशि का नियत किया गया था;

(ख) क्या सेन्टर की स्थापना वर्षा में वृद्धि करने के उद्देश्य से की जानी थी;

(ग) क्या सेन्टर की स्थापना हेतु किसी उपयुक्त स्थान का चयन कर लिया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं तो, उसके क्या कारण हैं?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय और (इलैक्ट्रानिकी तथा महासागर विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम): (क) सातवीं पंचवर्षीय योजना में मेघ बीजन केन्द्र के लिए कोई विशेष नियतन नहीं किया गया है।

(ख) से (ङ) भारतीय उष्णदेशीय मौसम-विज्ञान संस्थान, पुणे देश में मेघ बीजन संबंधी कार्यों को करने वाला संगठन है। ये कार्य भारतीय उष्णदेशीय मौसम-विज्ञान संस्थान के कार्यक्रम का हिस्सा हैं। जो भी राज्य सरकार बीजन परीक्षण करने का प्रस्ताव करती है, उसे भारतीय उष्णदेशीय मौसम विज्ञान संस्थान निरंतर तकनीकी मार्गदर्शन प्रदान करता रहा है।

भारत पाकिस्तान विदेश सचिव स्तर की वार्ता

109. **श्री शरद दिघेः**
श्री मदन लाल खुरानाः

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या हाल ही में भारत-पाकिस्तान सचिव स्तर की वार्ता स्थगित करनी पड़ी थी;

(ख) यदि हां, तो इस पर पाकिस्तान की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या सरकार ने वार्ता पुनरांभ करने के संबंध में कोई निर्णय लिया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(च) क्या उनके और पाकिस्तान के प्रधान मंत्री के बीच हुई हाल की बैठक में इस मामले पर चर्चा हुई थी; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फ्लीरो) (क) जी हां। इस्लामाबाद में एक वरिष्ठ भारतीय राजनयज्ञ के अपहरण और उसे यातना देने की घटना के बाद, जिसकी वजह से वातावरण दूषित हुआ और रचनात्मक बातचीत में मुश्किलें आई, सरकार ने इस बातचीत को स्थगित करने का फैसला किया।

(ख) 26 मई, 1992 को पाकिस्तान के विदेश कार्यालय के प्रवक्ता ने बातचीत स्थगित किए जाने पर आश्चर्य तथा खेद व्यक्त किया।

(ग) से (छ) भारत और पाकिस्तान के प्रधान मंत्रियों ने 14 जून, 1992 को रियो में हुई अपनी बैठक में द्विपक्षीय बातचीत पुनः शुरू करने पर सहमति व्यक्त की। विदेश सचिव स्तर की वार्ता के अगले दौर के संबंध में राजनयिक माध्यम से निर्णय लिया जाएगा।

गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम का मूल्यांकन

110. **श्री हन्नान मोल्लाहः क्या योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन** मंत्री बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या हाल ही में गरीबी उन्मूलन संबंधी विभिन्न कार्यक्रमों का कोई मूल्यांकन किया गया है।

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों की सफलता के बारे में उक्त मूल्यांकन का क्या निष्कर्ष निकला?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुखराम): (क) से (ग) मुख्य गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम, एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम (आई.आर.डी.पी.) और जवाहर रोजगार योजना (जे.आर.वाई.) है जो देश के ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यान्वित किये जा रहे हैं तथा नेहरू रोजगार योजना (एन.आर.वाई.) और शहरी ग़रीबों के लिये स्वतः रोजगार कार्यक्रम (एस.ई.पी.यू.पी.) है जो देश के शहरी क्षेत्रों में कार्यान्वित किये जा रहे हैं। नेहरू रोजगार योजना और शहरी गरीबों के लिये स्वतः रोजगार कार्यक्रम का कोई मूल्यांकन नहीं किया गया है। जहां तक एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम का संबंध है जनवरी—दिसम्बर, 1989 के दौरान समवर्ती मूल्यांकन के तीसरे दौर का आयोजन किया गया था ताकि कार्यक्रम के प्रभाव का मूल्यांकन किया जा सके। इस मूल्यांकन के महत्वपूर्ण निष्कर्षों से पता चला था कि एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत ही सफल रहा। महत्वपूर्ण निष्कर्षों से पता चला था कि (i) कार्यक्रम के अंतर्गत 65% लाभग्राहियों का चयन ग्राम सभाओं की बैठकों में किया गया था। (ii)लाभग्राहियों की राय में 80% मामलों में उन्हें दी गई सम्पदा अच्छी गुणवत्ता की थी, (iii)(कार्यक्रम के दौरान सहायता प्राप्त लाभग्राही परिवारों में से (क) 9% परिवार निर्धारित वर्गों से संबंधित थे। (1-2265 रु०), 38% परिवार बहुत ही गरीब वर्गों से (2266-3500 रु०), 38% परिवार बहुत गरीब वर्ग से (3501-4800 रु०) तथा 10% परिवार गरीब वर्ग से (4801-6400 रु०), (iv)अनुसूचित जातियों / अनुसूचित जनजातियों का कवरेज राष्ट्रीय स्तर पर 30% के निर्धारित लक्ष्य की तुलना में बहुत अधिक था, (v) राष्ट्रीय स्तर पर 94% लाभग्राहियों ने परिसम्पति के अर्जन के बाद प्राइवेट स्रोतों से किसी भी प्रकार की धनराशि उधार नहीं ली, (vi) लाभग्राहियों की कुल वार्षिक परिवार

आय 73% मामलों में उन की आरम्भिक आय से 50% से अधिक बढ़ गई तथा (vii) पुराने लाभग्राहियों ने 78% मामलों में 3500 रु० की गरीबी रेखा को पार कर लिया और राष्ट्रीय स्तर पर 21% मामलों में 6400 रू० की गरीबी रेखा को संशोधित कर दिया।

जहां तक जवाहर रोजगार योजना का संबंध है जनवरी, 1992 से शुरू होने वाले एक वर्ष से अधिक अवधि में विभिन्न राज्यों / केन्द्र शासित प्रदेशों में समवर्ती मूल्यांकन नहीं किया गया है। पहली तिमाही अर्थात जनवरी / मार्च, 1992 पर आधारित यह प्रस्ताव है कि इस कार्यक्रम के प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिये शीघ्र अध्ययन किया जाए। फिर भी, योजना आयोग की पहल पर 1991-92 के उत्तरार्द्ध के दौरान योजना मूल्यांकन संगठन (पी.ई.ओ.) द्वारा जवाहर रोजगार योजना का एक शीघ्र अध्ययन किया गया था। इस अध्ययन का एक उद्देश्य यह मूल्यांकन करना था कि इस कार्यक्रम के अंतर्गत लक्षित वर्ग के व्यक्तियों को किस सीमा तक रोजगार प्राप्त हुआ था। अध्ययन से पता चला है कि राज्य, जिला और ग्राम पंचायत स्तरों पर 1989-90 और 1990-91 के दौरान उपलब्ध विधियों की प्रतिशतता उपयोगिता की तुलना में रोजगार सृजन के कार्य दिवसों के संदर्भ में प्रतिशतता उपलब्धियां अधिक थी।

कोयला खानों में सुरक्षा उपाय

111. **श्री गया प्रसाद कोरी:** क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कोयला खान मजदूरों के लिए किये गए सुरक्षोपायों में कोई खामियां नहीं हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार कोयला खानों के मजदूरों को कारगर सुरक्षा प्रदान कराने का है और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) कोयला खानों में काम करने वाले मजदूरों की चिकित्सा संबंधी जांच कितने अन्तराल के बाद की जानी अपेक्षित है?

कोयला मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एस०बी० न्यामगौड): (क) से (ग) कोल इंडिया लि० ग्रुप की खानों के अंतर्गत उत्खनन कार्य खान अधिनियम, 1952 तथा कोयला खान विनियमन, 1952 में दिए गए सुरक्षा संबंधी प्रावधानों के अनुपालन में किया जाता है। कामगारों को पर्याप्त सुरक्षा उपाय उपलब्ध कराये जाते हैं। प्रत्येक कामगार को सुरक्षा गियर जैसे सुरक्षा हैलमेट, सुरक्षा जूते, धूल मास्क, स्व-बचाव आदि जैसे उपकरण उपलब्ध किए जाते हैं। उन्हें व्यवसायिक प्रशिक्षण केन्द्रों में मूल तथा पुनश्चर्या प्रशिक्षण दिया जाता है। भूमिगत खानों में जहरीली गैसों की उपस्थिति को निरन्तर गैस पता लगाने वाले उपकरणों द्वारा जांच की जाती है। सुरक्षा स्थिति का विभिन्न स्तरों पर निरंतर समीक्षा तथा निगरानी रखी जाती है। कोयला प्रभारी मंत्री की अध्यक्षता में कोयला खानों में सुरक्षा पर स्थायी संयोजन समिति द्वारा कोयला खानों की सुरक्षात्मक स्थिति की निरन्तर समीक्षा करती है तथा कोयला खानों में सुरक्षात्मक स्तर में और अधिक सुधार लाये जाने के लिए अल्प अवधि तथा दीर्घ-अवधि उपायों की सिफारिश करती है।

(घ) आरंभिक रूप में कामगार की नियुक्ति करते समय प्रत्येक कामगार के स्वास्थ्य की पूरी परीक्षा की जाती है। इसके बाद प्रत्येक 5 वर्ष की ब्लाक अवधि में सामयिक रूप में कामगार के स्वास्थ्य का परीक्षण किया जाता है।

भोपाल गैस पीड़ितों के लिए अस्पताल

112. **डा० लक्ष्मीनारायण पाण्डेय:**
डा० ए० के० पटेल:

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को यूनियन कार्बाइड द्वारा भोपाल में एम आई सी गैस रिसाव दुर्घटना के पीड़ितों के लिए 50 करोड़ रुपए की लागत के एक अस्पताल के निर्माण के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों का घोर उल्लंघन किए जाने की जानकारी है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या उपचारात्मक कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है और इसमें अब तक क्या प्रगति हुई है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० चिन्ता मोहन): (क) और (ख) यूनियन कारबाइड कारपोरेशन (यूसीसी) लगभग 50 करोड़ रुपए की लागत से 500 बिस्तरों वाले एक अस्पताल के निर्माण हेतु वित्त व्यवस्था करने के लिए सहमत हो गया है।

विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के लिए सरकार ने हॉस्पीटल सर्विसिज कंसल्टेंसी कारपोरेशन इंडिया लि० को अनुबंधित किया है। परियोजना रिपोर्ट पहले ही दे दी गई है और यह अनुमान है कि आवर्ती और अनावर्ती दोनों ही खर्च को मिलाकर अस्पताल पर 98 करोड़ रुपए से 106 करोड़ रुपए तक खर्च होंगे। अतिरिक्त धनराशि के लिए इस मामले को यूनियन कारबाइड कारपोरेशन के साथ उठाया गया है।

बिहार के सन्थाल परगना के लिए विकास परियोजनाएं

113. **श्री साईमन मराण्डी:** क्या **योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत दस वर्ष के दौरान दक्षिण बिहार में संथाल परगना और छोटा नागपुर प्रमण्डल (कमिश्नरी) में कोई भी विकास परियोजना पूरी नहीं की गई; और

(ख) योजना आयोग ने गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान इस क्षेत्र की विभिन्न विकास परियोजनाओं के लिए कितनी धनराशि मुहैया की और इन परियोजनाओं के कार्यान्वयन का ब्यौरा क्या है?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुखराम): (क) और (ख) केन्द्र तथा राज्य सरकारी क्षेत्रों में आरंभ की गई अनेक परियोजनाएं क्षेत्र में कार्य कर रही हैं। कुल मिलाकर योजना आयोग राज्य योजना के लिए परिव्यय अनुमोदित करता है। क्षेत्र तथा जिला स्तर पर आगे और आवंटन, संबंधित राज्य सरकार द्वारा किया जाता है।

एल.पी.जी. सिलेंडरों का अनधिकृत निर्माण करने वाले कारखाने

114. **श्री गोविन्द चन्द्र मुंडा:** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान एल.पी.जी. सिलेंडरों तथा रेग्यूलेटरों का निर्माण करने वाले कुल कितने अनधिकृत कारखानों का पता लगाया गया है और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ख) इस कार्य को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है अथवा किए जाने का विचार है?

उद्योग मंत्रालय, (औद्योगिक विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही): (क) और (ख) एल.पी.जी. सिलेंडरों और रेग्यूलेटरों के निर्माण को लाइसेंस मुक्त कर दिया गया है। उद्योग मंत्रालय, औद्योगिक विकास विभाग में तकनीकी विकास महानिदेशालय, जो पहले मौजूदा एककों को सहायता देने तथा नये एकक स्थापित करने के बारे में प्रस्तावों से संबंधित था, ने इस बात की पुष्टि की है उसे एल.पी.जी. सिलेंडरों और रेग्यूलेटरों के निर्माण के लिए अनधिकृत एकक स्थापित करने के संबंध में कोई शिकायत नहीं मिली है।

[अनुवाद]

केरल के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में विकास कार्य

115. **श्री थाइल जान अंजलोज:** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान केरल में विभिन्न सार्वजनिक क्षेत्र के एककों में किए गए प्रमुख विकास कार्यों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान केरल में सार्वजनिक क्षेत्र में नए एकक स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है?

उद्योग मंत्रालय भारी उद्योग विभाग एवं सार्वजनिक उद्यम विभाग में राज्य मंत्री (श्री पी०के० थुंगन): (क) से (घ) विभिन्न सरकारी उपक्रमों द्वारा उद्यम-विशेष की आवश्यकता के अनुसार विकासात्मक कार्य किए जा रहे हैं। बहरहाल, केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के ऐसे सभी उद्यमों, जिनके पंजीकृत कार्यालय केरल राज्य में स्थित हैं, में विगत तीन वर्ष के दौरान विस्तार, विकास, प्रतिस्थापन आदि पर किए गए पूंजीगत व्यय का ब्यौरा इस प्रकार है:

(लाख रुपयों में)

क्र०सं०	सरकारी क्षेत्र के उद्यम का नाम	1990-91	1989-90	1988-89
1.	कोचीन रिफाइनरीज लि०	5933	3966	4590
2.	कोचीन शिपयार्ड लि०	636	690	367
3.	फर्टिलाइजर एंड कैमिकल्स (त्रावणकोर) लि०	2613	6920	9782
4.	हिन्दुस्तान लेटेक्स लि०	191	146	195
5.	हिन्दुस्तान न्यूजप्रिंट लि०	743	232	2182

केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र में नई परियोजनाओं की स्थापना अथवा मौजूदा परियोजनाओं के विस्तार का निर्णय परियोजना की तकनीकी-आर्थिक व्यवहार्यता तथा साधनों की उपलब्धता के साथ-साथ राष्ट्र के संतुलित क्षेत्रीय विकास को ध्यान में रखकर किया जाता है। आठवीं पंचवर्षीय योजना को अभी संसद द्वारा अनुमोदित किया जाना है।

कोयला खानों का निजीकरण

116. **श्री के॰ पी॰ सिंह देवः**
श्री गोपीनाथ गजपतिः

क्या **कोयला** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार के पास चालू वित्त वर्ष के दौरान कुछ कोयला खानों का निजीकरण करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो उक्त प्रयोजनार्थ राज्य-वार चुनी गई कोयला खानों का ब्यौरा क्या है?

कोयला मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एस॰बी॰ न्यामगौड): (क) और (ख) वर्तमान में कोयला खानों के निजीकरण करने का सरकार के विचाराधीन कोई प्रस्ताव नहीं है। किन्तु अप्रयुक्त खनन क्षेत्रों में कोयला खनन क्रियाकलापों में निजी क्षेत्र की भागीदारी को सरकार ने स्वीकृति देने का निर्णय ग्रहीत उपभोग के प्रयोजन से लिया है ताकि विद्युत उत्पादन और अन्य अंतिम रूप में उपभोग के लिए तथा साथ ही साथ कोयला वाशरियां भी स्थापित की जा सकें।

सरकार के उपर्युक्त निर्णय को क्रियान्वित करने के लिए कोयला खान (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1973 में संशोधन करने के लिए संसद के चालू सत्र के दौरान एक विधेयक प्रस्तुत करने के संबंध में कदम उठाए जा रहे है।

आईपीसीएल, महाराष्ट्र में विस्फोट की जांच

117. **श्री मुकुल बालकृष्ण वासनिकः** क्या **प्रधान मंत्री** बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने इस बीच नवम्बर, 1990 में इंडियन पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड के नागोधाने संयंत्र में हुए विस्फोट के संबंध में गठित की गई जांच समिति द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट की जांच कर ली है,

(ख) यदि हां, तो इसके निष्कर्षों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) उस पर क्या कार्यवाही की गई है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा॰ चिन्ता मोहन): (क) जांच समिति द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्ट की जांच की जा रही है।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

[हिन्दी]

उचित दर दुकानों द्वारा वितरित की जाने वाली वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि

118. **श्री हरिकेवल प्रसादः** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने उचित दर दुकानों द्वारा वितरित की जाने वाली वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है; और

(ग) ऐसी वस्तुओं के नाम क्या हैं?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद): (क) जी नहीं

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

गुजरात को विकास परियोजनाओं के लिए सहायता

119. **श्री काशी राम राणा:** क्या योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार गुजरात में विकास योजनाओं/कार्यक्रमों परियोजनाओं के लिए कोई सहायता प्रदान करती है; और

(ख) यदि हां, तो पिछले दो वर्षों के दौरान कितनी सहायता राशि प्रदान की गई?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्यमंत्री तथा अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुखराम): (क) और (ख) राष्ट्रीय विकास परिषद् द्वारा अनुमोदित फार्मूले के अनुसार केन्द्रीय सरकार गुजरात सहित राज्यों को उनकी योजनाओं के लिए ब्लाक प्लान सहायता प्रदान कर रही है, और इस प्रकार केन्द्रीय सहायता का आवंटन स्कीमों/कार्यक्रमों/परियोजनाओं के अनुसार नहीं किया जाता।

[अनुवाद]

कोयले की चोरी

120. **श्री अन्ना जोशी:** क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कोयला/कोक उपभोक्ता एसोसिएशन के कार्यदल ने कोयले की चोरी, जिसके कारण कोयले की सप्लाई कम हो गई है, के संबंध में सरकार को शिकायत की है; और

(ख) यदि हां, तो इस चोरी को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

कोयला मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एस.बी. न्यामगौड): (क) जी, हां। कोयले की कार्यकारी दल/कोक उपभोक्ता संघ द्वारा, जोकि एक निजी संस्था है, रेलवे वैगनों द्वारा संचालित कोयले का कम वजन होने के संबंध में एक अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया है।

(ख) कोयला कंपनियां मार्ग के दौरान कोयले की चोरी को रोकने की स्थिति में नहीं है, जिसके परिणामस्वरूप उपभोक्ताओं को कम मात्रा में कोयला पहुंचता है। किन्तु वे कोयले का लदान किए जाने के समय भार संबंधी व्यवस्था को अधिक सुदृढ़ बना रही हैं। कोयला कंपनियों द्वारा वे-ब्रिजों की सेवाओं का अधिकतम प्रयोग किए जाने का, और उपलब्ध वे-ब्रिजों के प्रयोग/पूर्ण प्रयोग किए जाने का सभी रूप में प्रयास कर रही है ताकि रेल द्वारा संचालित कोयले का यथासंभव अधिक से अधिक मात्रा में वजन किया जा सके। उपभोक्ता भी लदान/भार स्थल पर कोयले के लदान तथा भार संबंधी कार्य का निरीक्षण करने के लिए अपने प्रतिनिधि तैनात कर सकते हैं।

[हिन्दी]

प्रशासनिक सुधार

121. **श्री राम लखन सिंह यादव:** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार भ्रष्टाचार और लाल फीताशाही रोकने के लिए प्रशासनिक सुधार करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण है?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मार्गरेट अल्वा): (क) से (ग) 1985 से अनुसरण किए जा रहे उत्तरदायी प्रशासन कार्यक्रम के अधीन बड़ी संख्या में उपाय किए गए हैं, उनमें निम्नलिखित शामिल हैं:

— कार्यविधियों का सरलीकरण तथा यौक्तिीकरण:

— मन्त्रालयों/विभागों द्वारा समयबद्ध कार्य-योजनाओं का तैयार किया जाना और किए गए कार्य का नियमित और प्रबोधन:

— निर्णय लेने की प्रक्रिया में तेजी लाने और बेहतर जवाबदेही सुनिश्चित करने के उद्देश्य से मन्त्रालयों/विभागों द्वारा विभिन्न श्रेणियों के मामले पर निर्णय लिए जाने के लिए स्तरों का निर्धारण:

— नाडल मन्त्रालयों द्वारा प्रशासनिक मन्त्रालयों को तथा प्रशासनिक मंत्रालयों द्वारा अपने निम्नतर फारमेशनों को शक्तियों का प्रत्यायोजन।

ये उपाय लाल फीताशाही तथा भ्रष्टाचार के अवसरों को कम करने के उद्देश्य से किए गए हैं।

2. भ्रष्टाचार की रोकथाम करने के लिए, निवारक, निगरानी और सुरागसानी की त्रि-सूत्री योजना अपनाई गई है। इसमें भ्रष्ट व्यक्तियों के विरुद्ध निवारक तथा दण्डात्मक कार्रवाई किए जाने की भी व्यवस्था है। भ्रष्टाचार को रोकने के अन्य उपायों में विभागीय सतर्कता तथा भ्रष्टाचार को रोकने के अन्य उपायों. में विभागीय सतर्कता तथा भ्रष्टाचार निरोधक तन्त्र को मजबूत बनाना, अनुशासनिक मामलों का शीघ्र निपटान तथा मूल नियम 56 (जे) के अधीन सरकारी कर्मचारियों को समयपूर्व सेवा निवृत्त करने की शक्तियों का आश्रय लेना शामिल है।

पिछड़ेपन की समस्या से निपटने के लिए राज्यों को धनराशि

122. **श्री फूल चन्द वर्मा:** क्या योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय सरकार पिछड़ेपन तथा बेरोजगारी की समस्याओं से निपटने के लिए राज्य सरकारों को धनराशि उपलब्ध कराती है; और

(ख) यदि हां, तो वित्त वर्ष 1992-93 के दौरान प्रत्येक राज्य को राज्यवार कितनी-कितनी धनराशि उपलब्ध करायी गई?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुखराम): (क) और (ख) किसी क्षेत्र के विकास के लिए आयोजना और इस उद्देश्य के लिए निधियों का आवंटन करना प्राथमिक तौर पर संबद्ध राज्य सरकार को जिम्मेवारी है। इसमें, केन्द्र सरकार

राज्यों की सहायता "गाडगिल फार्मूला", विशेष क्षेत्र कार्यक्रमों के अंतर्गत संसाधनों के अंतरण की विधि तथा वित्त आयोग द्वारा गैर-योजना संसाधनों के हस्तांतरण के माध्यम से करती है।

बेरोजगारी की समस्या के संबंध में स्व रोजगार के लिए एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम (आईआरडीपी) तथा विभिन्न राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के ग्रामीण क्षेत्रों में मजदूरी रोजगार के लिए जवाहर रोजगार योजना (जेआरवाई) तथा शहरी क्षेत्रों में नेहरू रोजगार योजना (एनआरवाई) जैसी गरीबी उन्मूलन की केन्द्र प्रायोजित स्कीमों के अंतर्गत राज्यों को केन्द्रीय सहायता दी जाती है। विभिन्न राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के संबंध में वर्ष 1992-93 के लिए एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम तथा जवाहर रोजगार योजना के तहत किए गए आवंटनों को दर्शाने वाले विवरण क्रमशः विवरण I तथा II में दिए गए हैं। विभिन्न राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के संबंध में वर्ष 1992-93 के लिए नेहरू रोजगार योजना के अंतर्गत आबंटनों को अभी अंतिम रूप नहीं दिया गया है।

विवरण-1

वर्ष 1992-93 के लिए एकीकृत ग्रामीण विकास योजना के अंतर्गत राज्यवार आवंटन

(अनंतिम)

(लाख रु॰ में)

क्र॰सं॰	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	आवंटन
1.	आंध्र प्रदेश	2440
2.	अरुणाचल प्रदेश	208
3.	असम	666
4.	बिहार	4889
5.	गोवा	43
6.	गुजरात	1005
7.	हरियाणा	240
8.	हिमाचल प्रदेश	86
9.	जम्मू व कश्मीर	120
10.	कर्नाटक	1527
11.	केरल	830
12.	मध्य प्रदेश	3236
13.	महाराष्ट्र	2614
14.	मणिपुर	19
15.	मेघालय	58
16.	मिजोरम	87
17.	नागालैंड	91
18.	उड़ीसा	1599
19.	पंजाब	203
20.	राजस्थान	1559
21.	सिक्किम	[illegible]7
22.	तमिलनाडु	2191
23.	त्रिपुरा	68
24.	उत्तर प्रदेश	6531

क्र०सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	आवंटन
25.	पश्चिमी बंगाल	2730
26.	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	43
27.	चंडीगढ़	निरंक
28.	दादर व नगर हवेली	9
29.	दिल्ली	निरंक
30.	दमन व दीव	17
31.	लक्षद्वीप	4
32.	पांडिचेरी	35
	जोड़:	33,165

विवरण-2

वर्ष 1992-93 के लिए जवाहर रोजगार योजना के अंतर्गत राज्यवार आवंटन

(अनंतिम)
(लाख रु० में)

क्र०सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	आवंटन
1.	आंध्र प्रदेश	14,954.56
2.	अरूणाचल प्रदेश	258.01
3.	असम	3,990.69
4.	बिहार	30,013.98
5.	गोवा	278.77
6.	गुजरात	6,312.84
7.	हरियाणा	1,503.42
8.	हिमाचल प्रदेश	885.81
9.	जम्मू व कश्मीर	1,257.39
10.	कर्नाटक	9,409.67
11.	केरल	4,990.67
12.	मध्य प्रदेश	20,600.74
13.	महाराष्ट्र	15,936.64
14.	मणिपुर	330.69
15	मेघालय	386.94
16.	मिजोरम	163.00
17.	नागालैंड	414.77
18.	उड़ीसा	10,217.41
19.	पंजाब	1,307.44
20.	राजस्थान	9,991.41
21.	सिक्किम	151.01

क्र०सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	आबंटन
22.	तमिलनाडु	15,438.89
23.	त्रिपुरा	429.52
24.	उत्तर प्रदेश	39,865.88
25.	पश्चिमी बंगाल	16,999.41
26.	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	152.70
27.	चंडीगढ़	निरंक
28.	दादर व नगर हवेली	82.89
29.	दिल्ली	निरंक
30.	दमन व दीव	48.83
31.	लक्षद्वीप	76.55
32.	पांडिचेरी	149.47
	जोड़:	2,04,600.00

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986

123. **श्री मृत्युन्जय नायक:** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद की बैठक में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 पर चर्चा की गई;

(ख) यदि हां, तो क्या परिषद ने सरकार को अपनी सिफारिशें भेज दी हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा उस पर क्या कार्यवाही की जा रही है?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद): (क) से (ग) उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 की विषय वस्तु पर केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद की सभी बैठकों में विचार-विमर्श किया गया है। परिषद ने 31.3.92 को हुई अपनी 11वीं बैठक में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 में उपयुक्त संशोधन सुझाने हेतु गठित किए गए उच्च शक्ति प्राप्त कार्य दल की रिपोर्ट पर विचार किया था। परिषद ने सामान्य तौर पर सभी सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है। कुछ मुख्य सिफारिशें इस प्रकार हैं:-

(1) "उपभोक्ता तथा शिकायत" की परिभाषाओं का विस्तार करना, ताकि स्वरोजगार हेतु माल खरीदने वाले व्यक्तियों और उपभोक्ताओं को होने वाली संभावित हानि/क्षति से संबंधित मामलों को इसके तहत लाया जा सके;

(2) सरकार और स्थानीय निकायों द्वारा संचालित अस्पतालों में दी जाने वाली सेवाओं और स्थानीय निकायों द्वारा दी जाने वाली आवश्यक सेवाओं को इस अधिनियम की परिधि के भीतर लाना:

(3) उपभोक्ताओं की ओर से उपभोक्ता संगठनों को शिकायत दर्ज कराने की अनुमति देना;

(4) तीन स्तरीय प्रतितोष अभिकरणों को "सीज एंड डैसिस्ट" आदेश जारी करने, दोषपूर्ण और असुरक्षित माल को वापस मंगाने आदि जैसी अतिरिक्त शक्तियां देना;

(5) राज्य आयोगों और जिला मंचों का धनराशि संबंधी न्यायक्षेत्र बढ़ाना;

(6) राज्य आयोग और जिला मंच गठित करने के लिए केंद्रीय सरकार को पूर्व अनुमति लेने की प्रक्रिया को समाप्त करना;

(7) अधिनियम में उपभोक्ताओं के अधिकारों पर एक अलग अध्याय जोड़ना;

(8) तीन स्तरीय प्रतितोष अभिकरणों में वकीलों की भूमिका नियंत्रित करना:

(9) राष्ट्रीय आयोग/राज्य आयोगों/जिला मंचों के निर्णयों को संविधान के अनुच्छेद 323ख की परिधि में लाना, ताकि उन पर उच्च न्यायालय का रिट न्यायाधिकार लागू न हो; और

(10) तीन स्तरीय प्रतितोष अभिकरणों के गैर-सरकारी सदस्यों को नियुक्त करने की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित बनाना आदि।

उपर्युक्त सुझाव केंद्रीय सरकार के विचाराधीन हैं।

[अनुवाद]

उत्तर प्रदेश को कोयला उपलब्ध न कराना

124. **श्री मदन लाल खुराना:** क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पर्यापत मात्रा में कोयला उपलब्ध न होने के कारण उत्तर परदेश में विद्युत उत्पादन पर बुरा प्रभाव पड़ा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं तथा प्राथमिकता के आधार पर वहां पर्याप्त मात्रा में कोयला उपलब्ध कराने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) उत्तर प्रदेश में ओबरा, अनपारा, परिक्षना, टांडा, हरदुआगंज, पनकी आदि ताप विद्युत स्टेशनों को गत तीन वर्षों की तुलना में वर्प 1990-91 और 1991-92 के दौरानन सप्लाई किए गए कोयले की मात्रा का ब्यौरा क्या है?

कोयला मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एस॰ बी॰ न्यामगौड): (क) से (ग) केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण ने विद्युत का उत्पादन किए जाने के लिए कोयले की आपूर्ति आवश्यकता के अनुसार न किए जाने के कारण उत्तर प्रदेश में स्थित कुछ तापीय विद्युत गृहों में विद्युत के उत्पादन में हानि होने की सूचना मिली है। उत्तर प्रदेश के विद्युत गृहों को कोयले की आपूर्ति में वर्ष 1991-92 को छोड़कर, धीरे-धीरे वृद्धि हो रही है, जो कि नीचे की सारणी में दर्शायी गई है और जिसमें तापीय विद्युत गृहों को आपूर्ति किए गए कोयले को दर्शाया गया है:—

(000 टन में)

विद्युत गृह का नाम	91-92	90-91	89-90	88-89	87-88
ओबरा	5350	6394	5549	5600	5305
अनपारा	3367	3043	2838	1918	1240
परीछा	580	429	809	868	601
टांडा	508	402	67	18	3
हरदुआगंज	600	1072	930	1549	1713
पनकी	450	645	834	858	374
जोड़	10855	11985	11027	10811	9236

विद्युत गृहों को कोयले की आपूर्ति पर निकटतम निगरानी रखी जाती है और सुधारात्मक कार्यवाही, जहां भी अपेक्षित होती है, की जाती है ताकि कोयले की आपूर्ति में वृद्धि की जा सके। किन्तु "केश एंड कैरी" स्कीम को दिनांक 1-10-91 से शुरू किए जाने के बाद से कोयले की आपूर्ति का, कोयला कंपनियों द्वारा विनियमन प्राप्त अदायगी के अनुसार किया जाता है।

जीवन रक्षक मशीनें

125. **श्री प्रतापराव बी० भोंसले:** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड द्वारा चिकित्सा उद्देश्यों के लिए जीवन रक्षक मशीनें बनाए जाने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इन मशीनों की मुख्य विशेषताएं क्या हैं;

(ग) क्या इन मशीनों के निर्माण हेतु कोई वार्षिक लक्ष्य निर्धारित किया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) ऐसी प्रत्येक मशीन की निर्माण लागत कितनी है; और

(च) इस मशीन के विपणन हेतु क्या प्रबन्ध किए गए हैं?

उद्योग मंत्रालय (भारी उद्योग विभाग एवं सार्वजनिक उद्यम विभाग) में राज्य मंत्री (श्री पी० के० थुंगन): (क) और (ख) जी, हां। कैंसर के इलाज के लिए बी० एच० ई० एल० का लीनियर एक्सिलरेटर मशीन (लीनेक) बनाने का प्रस्ताव है। इस मशीन के निर्माण की प्रौद्योगिकी सेन्ट्रल साईटिफिक इन्स्ट्रुमेंट ऑरगेनाइजेशन, चंडीगढ़ (सी० एस० आई० ओ०) और सोसाइटी फार अप्लाइड माइक्रोवेव इलेक्ट्रानिक्स इंजीनियरिंग एण्ड रिसर्च (एस० ए० एम० ई० ई० आर०) बम्बई द्वारा संयुक्त रूप से स्वदेश में ही विकसित की गई है। मशीन कैंसर के कीटाणुओं को नष्ट करने के लिए एक्स-रे विकिरण की नवीनतम तकनीक का प्रयोग करती है। प्रवेश की बृहतर गहराई उच्च मात्रा दर तथा अपावरण के सीमित क्षेत्र के साथ यह मशीन चालू आयातित कोबाल्ट मशीनों, जिनमें रेडियो सक्रिय स्राव होता है, द्वारा उपलब्ध कराए गए इलाज की तुलना में सस्ता और सुरक्षित उपचार उपलब्ध कराएगी।

(ग) और (घ) इस समय बी० एच० ई० एल० दो मशीनों के लिए गैन्ट्री प्रणाली की आपूर्ति का विकासात्मक क्रयादेश निष्पादित कर रहा है। विकासात्मक क्रयादेश को सफलतापूर्वक पूरा करने के पश्चात, दो वर्षों में 20 मशीनों का निर्माण किए जाने के प्रस्ताव है

(ङ) मशीन की निर्माण लागत बताना बी० एच० ई० एल० के वाणिज्यिक हित में नहीं होगा।

(च) इन मशीनों का विपणन बी० एच० ई० एल० स्वयं करेगा।

महाराष्ट्र के परभनी और नानदेड़ जिलों का औद्योगिक विकास

126. **श्री विलासराव नागनाथराव गुंडेवार:** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) महाराष्ट्र के परभनी और नानदेड़ जिलों के औद्योगिक विकास हेतु क्या कदम उठाये गये हैं;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार ने महाराष्ट्र के परभनी और नानदेड़ जिलों में अभी तक किसी उद्योग की स्थापना नहीं की है;

(ग) क्या महाराष्ट्र में विशेषतः परभनी और नानदेड़ जिलों के आसपास उद्योगों की स्थापना करने संबंधी प्रस्ताव केन्द्रीय सरकार के पास लंबित हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इन प्रस्तावों पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही): (क) से (घ) किसी जिले/क्षेत्र के औद्योगिकीकरण का प्राथमिक उत्तरदायित्व संबंध राज्य सरकारों का है। जहां कही संभव होता है केन्द्र सरकार इनके प्रयासों में मदद करती है। उद्योगों का छितराव करने के उद्देश्य से केन्द्र सरकार ने विकास केन्द्र योजना के अंतर्गत नालंदा में एक विकास केन्द्र को मंजूरी दी है, इसकी परियोजना रिपोर्ट का मूल्यांकन किया जा रहा है। इस विकास केन्द्र को सभी बुनियादी सुविधायें प्रदान की जायेगी।

जनवरी 1989 से मई 1992 की अवधि के दौरान परभनी जिले के लिए 8 और नांदेड़ के लिए 11 आशय पत्र जारी किये गये थे। 31.5.1992 की स्थिति के अनुसार परभनी जिले के संबंध में 10 औद्योगिक लाइसेंस आवेदन और नानदेड़ जिले के संबंधी में 14 आवेदन केन्द्र सरकार के पास विचाराधीन हैं।

राष्ट्रीय विकास परिषद् द्वारा आठवीं योजना के मसौदे को मंजूरी देना

127. **श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे:** क्या योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या राष्ट्रीय विकास परिषद् ने योजना आयोग द्वारा तैयार किए गए आठवीं पंचवर्षीय योजना के मसौदे को मंजूरी दे दी है; और

(ख) विभिन्न क्षेत्रों के लिए निर्धारित परिव्ययों का ब्यौरा क्या है?

योजना एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुखराम): (क) जी, हां।

(ख) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

विकास के मुख्य शीर्षों द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र परिव्यय-आठवीं योजना (1992—97): केन्द्र, राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र

(1991-92 की कीमतों पर, करोड़ रु०)

क्र०सं०	विकास के शीर्ष	केन्द्र			राज्य	सं०रा० क्षे०	जोड़
		बजट सहायता	आईईबीआर	जोड़			
1.	कृषि तथा संबद्ध कार्यकलाप (सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण सहित)	12394.00	224.00	12618.00	42135.35	239.15	54992.50
2.	ग्रामीण विकास	24170.00	0.00	24170.00	10213.26	42.10	34425.36
3.	विशेष क्षेत्र कार्यक्रम	0.00	0.00	0.00	6750.16	0.00	6750.16
4.	ऊर्जा	13138.00	53659.00	68795.00	47291.58	1474.51	*115561.09
5.	उद्योग और खनिज	9166.00	28353.00	37539.00	9284.89	97.66	46921.75
6.	परिवहन	8636.00	32341.00	40977.00	13786.58	1181.99	55925.57
7.	संचार	715.00	24382.00	25097.00	12.50	0.48	25109.98
8.	विज्ञान और प्रौद्योगिकी	3739.00	200.00	3939.00	188.72	3.99	4131.71
9.	पारिस्थितिकी तथा पर्यावरण	1200.00	0.00	1200.00	3654.16	55.82	4909.98
10.	सामान्य आर्थिक तथा सामान्य सेवाएं	1040.55	44.00	1084.55	5079.04	198.41	6360.00
11.	सामाजिक सेवाएं	29508.45	4937.00	34445.45	41588.76	2977.69	79011.90
	कुल जोड़	103725.00	144140.00	247865.00	179985.00	6250.00	434100.00

* : एकीकृत ग्रामीण ऊर्जा आयोजना कार्यक्रम के लिए आवंटन शामिल है।

महाराष्ट्र में समस्याग्रस्त गांव

128. **श्री धर्मण्णा मोंडय्या सादुल:** क्या प्रधान मंत्री 4 मार्च, 1992 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1377 उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) महाराष्ट्र में पता लगाए गए पेयजल समस्याग्रस्त 51 गांवों का ब्यौरा क्या है;

(ख) उन गांवों का ब्यौरा क्या है जिनमें चालू वित्त वर्ष के दौरान पेयजल उपलब्ध कराए जाने की सम्भावना और

(ग) इस संबंध में राज्य सरकार को कितनी वित्तीय/तकनीकी सहायता दिए जाने की सम्भावना है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री उत्तमभाई एच॰ पेटल): (क) 1.1.92 की स्थिति के अनुसार महाराष्ट्र में पेयजल सप्लाई हेतु पता लगाए गए "बिना जल स्रोत" वाले समस्याग्रस्त गांवों के नाम संलग्न विवरण दिए गए हैं।

(ख) उपरोक्त 51 समस्याग्रस्त गांवों में से 12 गांवों में 31.3.92 तक पेयजल सुविधाएं उपलब्ध करा दी गई हैं। शेष 39 गांवों में चालू वित्त वर्ष के दौरान पेयजल मुहैया करवा दिए जाने की संभावना है।

(ग) उपरोक्त गांवों को राज्य क्षेत्र के न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम की निधियां इतेमाल करके तथा 1992-93 के लिए त्वरित ग्रामीण जल सप्लाई कार्यक्रम के तहत आवंटित 33.90 करोड़ रुपये की केन्द्रीय सहायता से कवर किया जायेगा। 1992-93 में 16.95 करोड़ रुपये पहले ही रिलीज कर दिए गए हैं। राज्य सरकार को सभी आवश्यक तकनीकी सहायता जो भी मांगी जायेगी, उपलब्ध कराई जायेगी।

विवरण

क्र॰सं॰	जिला	तालुका	गांव का नाम
1.	ठाणे	शाहपुर	दपोर
2.	ठाणे	शाहपुर	वाशाला (केएच)
3.	ठाणे	मोखाडे	सावर्दे
4.	ठाणे	मोखाडे	असे (लिरोथन)
5.	रायगड	पनवेल	वेगाबिट तालोज
6.	रायगड	पेन	करमाबोली क्लाटीज
7.	रायगड	रोहा	करवारे
8.	रायगड	महशाला	भालगांव
9.	रायगड	महशाला	निड्डीफैनी नागोथाने
10.×	रायगड	महाड	वीर
11.	रायगड	पेन	वाशीवडी
12.	रायगड	पेन	वरसाने
13.	रायगड	पेन	वाकेन
14.	रायगड	रोह	बिलसाई
15.	रायगड	रोह	नेहरूनगर
16.	रायगड	सुधागड	वाली
17.*	रत्नागिरी	संगमेश्वर	पिधाम्बे
18.*	रत्नागिरी	दपोली	जलगांव
19.	रत्नागिरी	खेड	धमानी
20.	रत्नागिरी	खेड	घेरा पालगढ

क्र०सं०	जिला	तालुका	गांव का नाम
21.	रत्नगिरी	संगमेश्वर	सादुवाली
22.*	रत्नगिरी	रत्नगिरी	कोलाम्बे
23.	रत्नगिरी	राजापुर	रायपतन
24.	सिंधुदुर्ग	सावन्तवाडी	कोनस
25.*	जलगांव	तइरोनडोल	करेसाडा
26.*	पुणे	मुलशी	चौंदोली
27.	पुणे	हवेली	खरडी
28.	पुणे	हवेली	कुरावन्डे
29.	अहमदनगर	अकोला	बिटाके
30.*	अहमदनगर	अकोला	येशरथेर
31.	अहमदनगर	कोपरगांव	राजाजानगांव
32.*	अहमदनगर	निवासा	तशालकुंडगांव
33.*	अहमदनगर	पथारडी	खरवनवाड़ी
34.	अहमदनगर	संगमनर	गुंजालवाड़ी
35.	अहमदनगर	संगमनर	वीवरगांव पवासा
36.	कोल्हापुर	राधानगरी	चेरवाडी
37.	कोल्हापुर	साहूवाडी	विशालगड
38.	कोल्हापुर	अजारा	भेरवाडी
39.	सांगली	कान्हापुर	घाटी बीके
40.	सांगली	कवथे महानकल	सियाजीवन
41.	बुल्धाना	मलकापुर	दियोदवावे
42.	अकोला	वशीम	हिवारे रोहिले
43.	बन्दारा	गोन्दया	फुलचेर
44.*	वर्धा	करान्जा	ककडा
45.	गेडचिरोली	चमोरसी	घेट
46.*	बीड	अम्बाजोगिया	सैगांव
47.	बीड	ग्योराई	मडलमोही
48.*	बीड	ग्योराई	शेखता
49.	बीड	कैज	वाहबाबुलगांव
50.	बीड	माजलगांव	आनन्दगांव
51.	बीदर	उदगीर	लोनी

नोट: क्रम संख्या 10, 17, 18, 22, 25, 26, 30, 32, 33, 44, 46 और 48 में दिए गए समस्याग्रस्त गांवों को 31.3.92 तक कवर कर लिया गया था।

[हिन्दी]

आठवीं योजना के दौरान नए उर्वरक एकक

129. **श्री महेन्द्र सिंह ठाकुर:**
श्री सूर्यनारायण यादव:

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार आठवीं योजना के दौरान देश में कुछ नए उर्वरक एकक थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो ये एकक राज्यवार कहां-कहां स्थापित किए जाएंगे; और

(ग) उनके लिए पृथक-पृथक कितनी धनराशि आवंटित की गई है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा॰ चिन्ता मोहन): (क) और (ख) आठवीं योजना के दौरान प्राकृतिक गैस तथा अन्य फीड-स्टाकों की उपलब्धि के अध्यधीन तथा निजी क्षेत्र में कुछ एककों द्वारा किए जाने वाले कुछ रेट्रोफिटिंग उपायों से भी लगभग 33.50 लाख टन नाइट्रोजन तथा लगभग 9.50 लाख टन फोस्फेट की अतिरिक्त उर्वरक उत्पादन क्षमता सृजित करने का अस्थायी तौर पर प्रस्ताव है। इसमें से, बबराला (उत्तर प्रदेश), शाहजहांपुर (उत्तर प्रदेश), गडेपन (राजस्थान) तथा काकीनाडा (आन्ध्र प्रदेश) में एक-एक अमोनिया-यूरिया संयंत्र, कुल मिलाकर 12.3 लाख टन नाइट्रोजन, इस समय कार्यान्वयनाधीन हैं और उनके लिए गैस का आवंटन पहले ही कर दिया गया है। इसके अलावा, आंवला (उत्तरप्रदेश) स्थित इफको के अमोनिया-यूरिया संयंत्र के विस्तार, विजयपुर (म॰प्र॰) स्थित एन एफ एल के अमोनिया यूरिया संयंत्र के विस्तार और कृष्णा-गोदावरी बेसिन (आंध्रप्रदेश) में मध्यम आकार का एक अमोनिया/यूरिया संयंत्र, कुल मिलकर 7.7 लाख टन नाइट्रोजन के लिए भी गैस के आवंटन का संकेत दिया गया है। अन्य संयंत्रों का स्थान-निर्धारण मुख्यतः प्राकृतिक गैस की उपलब्धि और उसके स्रोत तथा अन्य कच्चे माल तथा मध्यवर्तियों की उपलब्धि पर निर्भर करेगा।

(ग) निधियों की अपेक्षा का पता विस्तृत परियोजना रिपोर्टों के तैयार किए जाने के बाद ही चलेगा।

[अनुवाद]

आवश्यक वस्तु अधिनियम के अंतर्गत वस्तुओं की सूची में वृद्धि

130. **श्री गिरधारी लाल भार्गव:** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार आवश्यक वस्तु अधिनियम के अंतर्गत वस्तुओं की सूची में वृद्धि करने का है;

(ख) इन समय आवश्यक वस्तुओं की सूची में कौन-कौन सी वस्तुएं है और उसमें किन-किन वस्तुओं को शमिल करने का विचार है;

(ग) क्या सरकार का आवश्यक वस्तु अधिनियम में शमिल वस्तुओं की उत्पादन लागत प्रकाशित करने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद): (क) और (ख) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत वस्तुओं के 66 वर्गों को अब तक "आवश्यक" घोषित किया गया है। यह मंत्रालय इस अधिनियम के तहत आवश्यक घोषित की गई वस्तुओं से प्रशासकीय तौर पर संबंधित मंत्रालयों/विभागों के परामर्श से, समय-समय पर पुनरीक्षा करता है। सूची में आवश्यक वस्तुओं को जोड़ने/हटाने का निर्णय ऐसी पुनरीक्षाओं अथवा संबंधित मंत्रालयों के विशिष्ट प्रस्तावों के आधार पर किया जाता है। आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत "आवश्यक वस्तुओं" के रूप में घोषित वस्तुओं का एक विवरण संलग्न है।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत आवश्यक घोषित वस्तुओं की सूची अधिनियम की धारा 2 के खण्ड (क) के तहत घोषित

1. पशुओं का चारा, जिसके अंतर्गत खली और अन्य सारकृत चारे भी हैं;
2. कोयला जिसके अंतर्गत कोक और अन्य व्युत्पतियां भी हैं;
3. मोटरगाड़ियों के संघटक भाग और उपसाधन;
4. सूती और ऊनी वस्त्र;
5. औषधि;
6. खाद्य पदार्थ, जिसके अंतर्गत खाद्य तिलहन और तेल भी है;
7. लोहा और इस्पात जिनके अंतर्गत लोहे और इस्पात के विनिर्मित उत्पाद भी हैं;
8. कागज, जिसके अंतर्गत अखबारी कागज, पेपर बोर्ड और गत्ता भी है;
9. पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद;
10. कच्ची कपास चाहे ओटी हुई हो या ओटी हुई न हो, और बिनौला;
11. कच्चा पटसन।

अधिनियम की धारा 2 के खण्ड (क) के उपखंड (xi) के तहत घोषित

12. पटसन के वस्त्र;
13. उर्वरक, चाहे व अकार्बनिक, कार्बनिक या मिश्रित हो;
14. अलौह धातुएं;
15. कार्बनिक भारी रसायन;
16. अकार्बनिक भारी रसायन;
17. सिनेमा फिल्म्स (कच्ची)
18. प्रेस मड;
19. सीमेंट;
20. अलौह धातुओं का विनिर्माण व अर्ध-निर्माण

21. साबुन;

22. सिनेमा कार्बन;

23. कपड़ा मशीनरी;

(1) ब्लो रूम मशीनरी

(2) कार्डिंग इंजन

(3) ड्रा फ्रेम्स

(4) स्पीड फ्रेम्स

(5) रिंग फ्रेम्स

(6) वाइडिंग मशीनें

(7) डबलिंग मशीनें

(8) रीलिंग मशीनें

(9) बंडलिंग मशीनें

(10) पावर लूम्स (विद्युत करघे)

(11) बेलिंग मशीनें

(12) पावर लूम (विद्युत करघा) के साइड फ्रेम्स)

(13) पावर लूम तथा रिग फ्रेमों के अतिरिक्त पुर्जे

(14) वूलकौम्बिंग मशीनरी

(15) वूलन

(i) रैग वाशिंग मशीनें

(ii) रैग टियरिंग मशीनें

(iii) रैग कटिंग मशीनें

(iv) गारनेटिंग मशीनें

(16) वार्प निटिंग मशीनें, जिसमें बिजली से चलने वाली रशेल निटिंग मशीनें शमिल हैं।

(17) कढ़ाई की मशीनें, जिनमें सिलाई किस्म की कढ़ाई की मशीनें शमिल नहीं हैं, जो बिजली से चला‍ई जाती है तथा जिनका प्रयोग सुइयों की सहायता से किसी भी प्रकार के धागे द्वारा बनाए ग‍ए डिजाइनों से कपड़े के वस्त्रों को सजाने के लिए किया जाता है।

(18) लेस बनाने वाली मशीनें जो बिजली से चलती है तथा जिनका प्रयोग धागों की क्रासिंग और इंटरट्विस्टिंग द्वारा तैयार की जाने वाली खुला जाली अथवा जाल के वस्त्रों के उत्पादन के लिए किया जाता है; और

(19) बिजली से चलने वाली मशीनें तथा जिनका इस्तेमाल उत्कीर्णन रोलरों अथवा स्क्रीन्स द्वारा कपड़े की छपाई के लिए किया जाता है।

24. सिल्क से बने कपड़े;

25. पूरी तरह अथवा आंशिक रूप से मानव निर्मित सेलूलाजिक तथा गैर सेलूलाजिक कते रेशों द्वारा बने कपड़े;

26. सेलूला`जिक तथा गैर-सेलूला`जिक फिलामेंट धागे से पूरी तरह अथवा आंशिक रूप से बने कपड़े;
27. दियासलाइयां;
28. फेरो सिलीकोन;
29. सिलीको मैंगनीज;
30. फेरो क्रोम;
31. फेरो मोलिब्डेनम;
32. फेरो टंगस्टन;
33. फेरो मैंगनीज;
34. फेरो वैनाडियम;
35. फेरो फास्फोरेस
36. फेरो टाइटेंडियम;
37. फेरस स्क्रैम/जिसमें निम्नलिखित से अधिक मात्रा हो:
    (1) 0.50 प्रतिशत निकल, या
    (2) 0.20 प्रतिशत मोलिब्डेनम, या
    (3) 1.00 प्रतिशत टंगस्टन, या
    (4) 0.20 प्रतिशत बेनाडियम, या
    (5) 1.00 प्रतिशत कोबाल्ट।
38. जनरल लाइटिंग सर्विस लैम्प्स;
39. सोडा राख;
40. टार्चों के लिए शुष्क सैल;
41. हरीकेन लालटेनें;
42. बिजली के घरेलू उपकरण, जैसे बिजली की इस्तरी, हीटर तथा समान वस्तुएं;
43. कृत्रिम रबड़;
44. कार्बन ब्लेक;
45. पोलाईविनाइल क्लोराइड (पीवीसी) रेजिन्स एण्ड कम्पाउंड्स;
46. पॉलास्टाइरेंस एण्ड पॉलिस्टाइरीन मोल्डिंग पावडर;
47. पालिथिलीन एण्ड पालीएथिलीन मोल्डिंग पावडर;
48. नारियल जटा (कच्ची अथवा गली हुई);
49. बसों तथा ट्रकों के टायर व टयूबें;
50. ट्रांजिस्टर रेडियो के शुष्क सैल तथा बैटरियां;
51. जानवरों द्वारा खीचे जाने वाले वाहनों के टायर व ट्यूबें;
52. बिजली के केबिल व तार;

53. मानव निर्मित सेलूलाॅजिक तथा गैर-सेलूलाॅजिक रेशेदार धागे;

54. कच्चा तेल;

55. निम्नांकित सामग्री में से किसी के द्वारा पूरी तरह से अथवा आंशिक रूप से बना धागाः— (1) सूत (2) ऊन (3) मानव निर्मित सेलूलाॅजिक कता धागा (4) मानव निर्मित गैर-सेलूलाजिक कता धागा (5) सिल्क।

56. (1) मानव निर्मित सेलूलाॅजिक तथा गैर-सेलूलाजिक फिमेंट धागा (2) नाइलोन टायर/कोर्ड/फैब्रिक।

57. कापियां;

58. नारियल जटा से निकाला गया काॅयर फाइबर;

59. कीटनाशी, फफूंदनाशी, घासपातनाशी तथा ऐसे अन्य;

60. चाय;

61. पावर थ्रेशर्स;

62. (1) खाद्य फसलों के बीच तथा फलों व सब्जियों के बीज (2) पशुचारे के बीज तथा (3) पटसन बीज बुआई अथवा रोपाई के इस्तेमाल के लिए।
(इसमें पौध तथा कंद बल्ब, प्रकंद, जड़ें, कलमें तथा सभी प्रकार के प्रांट व खाद्य फसलों अथवा पशु चारे की वानस्पतिक तौर पर प्रजनित सामग्री शामिल है।)

63. सर्जीकल इंप्लांट्स;

64. प्राकृतिक गैस;

65. हाइड्रोलिक ब्रेक फ्लूड;

66. (1) घरेलू तथा इसी प्रकार के प्रयोजनों के लिए स्विच;
(2) 2 एम्प॰ स्विच;
(3) 3 पिन प्लग व साकेट आउट लेट्स।

उपभोक्ता संरक्षा अधिनियम और एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम में संशोधन

131. श्री राम नाईकः क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या केन्द्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम और एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम में उपयुक्त संशोधनों के सुझाव देने के लिए एक कार्य दल का गठन किया है;

(ख) कार्यदल की रिपोर्ट कब प्राप्त हुई थी;

(ग) क्या केंन्द्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद को कुछ प्रस्तावित संशोधनों के विरुद्ध अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद): (क) जी हां।

(ख) कार्यदल ने सरकार को 6.1.92 को रिपोर्ट प्रस्तुत की थी।

(ग) और (घ) उक्त रिपोर्ट पर 31.3.92 को हुई केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद की 11 वीं बैठक में चर्चा की गई थी। प्रस्तावित संशोधनों के विरुद्ध रेल मंत्रालय और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन से दो अभ्यावेदन प्रापत हुए थे। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन से दो अभ्यावेदन प्राप्त हुए थे। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने चिकित्सा के पेशे को अधिनियम की परिधि में शामिल करने का विरोध किया है। रेल मंत्रालय ने इस आधार पर उन मामलों को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 की परिधि में लाने का विरोध किया है जिनके लिए अन्य कानूनों में विशेष उपचार का प्रावधान है कि इससे अधिनियम में परिकल्पित तीन स्तरीय प्रतितोष तंत्र पर काम का बोझ बढ़ जाएगा।

बाजारी शक्तियों के माध्यम से सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के शेयर बेचना

132. **श्री आर० धनुषकोडी आदित्यन:** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के शेयर बेचने के संबंध में सरकार की क्या नीति है;

(ख) सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के शेयर केवल म्यूचुअल फण्ड के माध्यम से ही बेचने के क्या कारण हैं; और

(ग) सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के शेयर बाजारी शक्तियों के माध्यम से न बेचने के क्या कारण हैं?

उद्योग मंत्रालय (भारी उद्योग विभाग एवं सार्वजनिक उद्यम विभाग में राज्य मंत्री (श्री पी० के० थुंगन): (क) सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के शेयरों को बेचने के सम्बंध में सरकार की नीति की स्पष्ट घोषणा 1991 के औद्योगिक नीति वक्तव्य तथा 1991-92 के बजट भाषण में की जा चुकी है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ यह कहा गया है कि संसाधनों में वृद्धि करने, जनता की व्यापक भागीदारी को प्रोत्साहित करने तथा उत्तरदायित्व को अधिकाधिक बढ़ाने के लिए सरकारी क्षेत्र के चुनिंदा उपक्रमों के सरकारी शेयरों का एक भाग पारस्परिक निधियों (म्यूचुअल फण्डों) तथा सरकारी क्षेत्र की पूंजीनिवेश सम्बंधी संस्थाओं के साथ-साथ कामगारों को दिया जाएगा।

(ख) और (ग) वर्ष 1991-92 में सरकारी शेयरों को बेचने की प्रक्रिया के प्रथम चरण को बाधारहित, अविवादास्पद तथा राजकोष के साथ-साथ निवेशकों के लिए भी उचित बनाया जाना था। कम्पनीवार आधार पर शेयरों की आम जनता में बिक्री पर इसलिए विचार नहीं किया गया ताकि अधिमूल्यन या अवमूल्यन के खतरे से बचा जा सके क्योंकि सरकारी क्षेत्र की अधिसंख्या कम्पनियां पूंजीनिवेश बाजार से सर्वथा अपरिचित थीं। इसके अतिरिक्त सरकारी शेयरों की बड़े पैमाने पर बिक्री वर्तमान कम्पनियों के शेयर मूल्यों को प्रतिकूल ढंग से प्रभावित कर सकती थी। इस प्रकार, शेयरों को पारस्परिक निधियों तथा संस्थागत पूंजीनिवेशकों को देने का निर्णय इसलिए किया गया था ताकि वे सरकार एवं शेयर बाजार के बीच प्रतिरोधक का कार्य कर सकें। उक्त संस्थाएं धीरे-धीरे इन शेयरों को खुले बाजार में लाएंगी ताकि अंतिम तौर पर इन शेयरों के स्वामित्व की व्यापकता सुनिश्चित की जा सके।

सड़क परिवहन उद्योग के संबंध में राष्ट्रीय औद्योगिकी समिति

133. **श्री के॰ वी॰ तंग्काबालू:** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने सड़क परिवहन उद्योग से सम्बद्ध श्रमिकों पर नई औद्योगिक नीति के प्रभाव की जांच करने के लिए इस उद्योग के संबंध में एक राष्ट्रीय औद्योगिक समिति गठित की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

श्रम मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पवन सिंह घाटोवार): (क) जी, हां।

(ख) समिति में नियोजकों तथा कर्मकारों प्रत्येक के सात-सात प्रतिनिधि, केन्द्रीय सरकार के दो प्रतिनिधि तथा राज्य सरकारों के छः प्रतिनिधि शमिल हैं।

कोल इंडिया लि॰ के ढांचे में परिवर्तन

134. **प्रो॰ अशोक आनन्दराव देशमुख:** क्या **कोयला** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार कोल इंडिया लि॰ के वर्तमान ढांचे में परिवर्तन करने का है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस प्रयोजनार्थ अनेक समितियां गठित की गई हैं;

(ग) यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इन पर कुल कितनी धनराशि खर्च की गई है;

(घ) क्या इन समितियों ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार ने उस पर क्या-क्या कार्रवाई की है?

कोयला मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एस॰ बी॰ न्यामगौड): (क) से (ङ) श्री मोहम्मद फजल, सदस्य, योजना आयोग की अध्यक्षता में अगस्त 1980 में, सार्वजनिक क्षेत्र की उपक्रमों के वास्तविक तथा वित्तीय कार्य निष्पादन की जांच करने के लिए तथा उत्पादन को बेहतर बनाने और आंतरिक संसाधनों के उत्पादन के लिए उपयुक्त उपाय सुझाने के लिए एक विशेपज्ञ समिति गठित की गई थी। अन्य बातों के अलावा समिति ने नवम्बर, 1980 में सिफारिश की कि धारक कंपनी के रूप में कोल इंडिया लि॰ का परिसमापन कर दिया जाए और सहायक कंपनियां स्वतंत्र कंपनियों के रूप में कार्य करें। समिति की सिफारिश को सरकार द्वारा स्वीकार नहीं किया गया।

सितम्बर, 1984 में वित्त मंत्रालय ने डा॰ अर्जुन सेनगुप्ता की अध्यक्षता में अन्य वस्तुओं के बीच वैकल्पिक संगठनात्मक ढांचे की जांच करने और अन्य परिवर्तनों को सुझाने के लिए एक समिति गठित की थी ताकि सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों के प्रबंधन को अधिक स्वायत्ता और जिम्मेदारी दी जा सके। समिति ने दिसम्बर, 1984 में प्रस्तुत की गई अपनी रिपोर्ट में सिफारिश की कि धारक कंपनी के ढांचे में सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के लिए संगठनात्मक ढांचे के संबंध में एक उपयुक्त रूपरेखा की व्यवस्था है।

दिसम्बर, 1986 में भारतीय प्रशासनिक स्टाफ कालेज (ए॰एस॰सी॰आई॰), हैदराबाद ने कोल इंडिया लि॰ और इसकी सहायक कंपनियों की विद्यमान भूमि का तथा जिम्मेदारी की समीक्षा किए जाने के संबंध में एक अध्ययन शुरू किया था। भारतीय प्रशासनिक स्टाफ कालेज अप्रैल, 1987 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। भारतीय प्रशासनिक स्टाफ कालेज ने कोल इंडिया लि॰ का एक धारक कंपनी के रूप में परिसमापन करने की सिफारिश की थी।

सचिवों की समिति ने इस मामले पर विचार किया और उसने सिफारिश की कि कोल इंडिया लि॰ को धारक कंपनी के रूप में जारी रखना ही सुविधाजनक है।

भारतीय प्रशासनिक स्टाफ कालेज को इस अध्ययन के लिए 1,35,000/-रु॰ की राशि दी गई थी। श्री फजल की अध्यक्षता में विशेषज्ञ समिति और वित्त मंत्रालय द्वारा डा॰ सेनगुप्ता की अध्यक्षता में गठित समिति ने कई सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के क्रियाकलापों की जांच की थी, जिसमें कोल इंडिया लि॰ भी शमिल था। अतः मद के अंतर्गत, कोयला क्षेत्र के लिए अलग से किए गए व्यय को, अलग रूप में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है।

मेगा ग्रोथ सेन्टर

135. **श्री एम॰ वी॰ एस॰ मूर्तिः** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) विभिन्न राज्यों में खोले गए मेगा ग्रोथ सेन्टर्स का ब्यौरा क्या है और इनकी वर्तमान स्थिति क्या है,

(ख) क्या "मेगा ग्रोथ सेन्टर" संबंधी नीति में संशोधन करने का कोई प्रस्ताव है, और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उद्योग मंत्रालय औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही): (क) विकास केन्द्र योजना के तहत उद्योगों के छितराव के लिए देश में 70 विकास केन्द्रों का विकास करने का प्रस्ताव है। इनमें से अब तक 64 केन्द्रों के स्थापना-स्थलों का पता लगा लिया गया है और घोषणा कर दी गयी है, जिनके ब्यौरे संलग्न विवरण में शामिल हैं। चुने गए 22 केन्द्रों की परियोजना रिपोर्टों का अनुमोदन पहले ही कर दिया गया है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

आवंटित विकास केन्द्रों की सं॰—70
चयनित विकास केन्द्रों की सं॰ — 64

विकास	केन्द्र का नाम	जिला
आंध्र प्रदेश (4)		
1.	हिंदपुर	अनंतपुर
2.	खम्मम (वेमसूर मंडल)	खम्मम
3.	अंगोले	प्रकासम
4.	विजयानगरम बोबिली	विजयानगरम
असम (2)		
5.	जखलाबंद	नगाँव
6.	रंगजूली	गोलपाडा
बिहार (6)		
7.	भागलपुर	भागलपुर
8.	हजारीबाग	हजारीबाग
9.	जासोरिया	औरंगाबाद
10	मुजफ्फुरपुर	मुजफ्फरपुर
11.	पूर्णिया कस्बा	पूर्णिया
गोवा (1)		
12.	इलेक्ट्रोनिकसिटी	वरना प्लेटियू
गुजरात (3)		
13.	गांधी धाम	कच्छ
14.	पालनपुर	बनासकंठा
15.	वागरा	भडौच
हरियाणा (2)		
16.	बावल	रिवाड़ी
17.	जुलाना	जींद
हिमाचल प्रदेश (1)		
18.	कांगड़ा	कांगड़ा
जम्मू और कश्मीर (2)		
19.	गंदेरबाल	श्रीनगर
20.	सम्भा	जम्मू
कर्नाटक (3)		
21.	धारवाड़	धारवाड़

विकास	केन्द्र का नाम	जिला
22.	गिल्लेसूगर	रायचूर
23.	हसन	हसन
केरल (2)		
24.	एल्लेपी-पाथनमथिट्टा	एल्लेपी पाथनमथिट्टा
25.	कन्नूर-कोझीकोड मालापुरम	कन्नूर कोझीकोड मालापुरम
मध्य प्रदेश (6)		
26.	बौराई	दुर्ग
27.	चैनपुरा	गुना
28.	घिरौंगी	भिण्ड
29.	खेड़ा	धार
30.	सतलापुर	रायसेन
31.	सिलतारा	रायपुर
महाराष्ट्र (5)		
32.	अकोला	अकोला
33.	चन्द्रपुर	चन्द्रपुर
34	धुले	धुले
35.	रत्नागिरी	रत्नागिरी
36.	नांदेड़	नांदेड़
मणिपुर (1)		
37.	कंगलाटोंगबि	सेनापति
नागालैंड (1)		
38.	दीमापुर	कोहिमा
उड़ीसा (4)		
39.	छत्रपुर	गंजाम
40.	चिपलिमा	सम्बलपुर
41.	चौधवाड़	कटक
पॉण्डिचेरी (1)		
42.	करायकल	पांडिचेरी
पंजाब (2)		
43.	भटिंडा	भटिंडा
44.	पठानकोट	गुरदासपुर
राजस्थान (5)		
45.	अबु रोड	सिरोही
46.	भीलवाड़ा	भीलवाड़ा

विकास	केन्द्र का नाम	जिला
47.	बीकानेर	बीकानेर
48.	झालावार	झालावार
49.	धौलपुर	धौलपुर
तमिलनाडु (3)		
50.	इरोड़	परियार
51.	माइलादुथुराइ पूम्पुहार	तंजावुर
52.	तिरूनेल्वेली (गंगाईकोन्डन नानूर ब्लाक)	तिरूनेल्वेलि-कट्टाबामन
त्रिपुरा (1)		
53.	चम्पामुरा-जोगिन्द्रनगर मुले नगर	पश्चिम त्रिपुरा
उत्तर प्रदेश (8)		
54.	बचौली बजुर्ग	झांसी
55.	बनथारा	शाहजहांपुर
56.	चौधरपुर	मुरादाबाद
57.	दिबियापुर	इटावा
58.	खुर्जा	बुलन्दशहर
59.	मुंगर-सथारिया	जौनपुर
60.	सहजनवा	गोरखपुर
61.	शिवराजपुर-पदमपुर	पौड़ी गढ़वाल
पश्चिम बंगाल (3)		
62.	दबराजपुर	बीरभूम
63.	जलपायगुड़ी	जलपायगुड़ी
64.	मालदा	मालदा

प्रत्येक राज्य के सामने दर्शाये गये कोष्टकों में आंकड़े उस राज्य के लिए आवंटित विकास केन्द्रों की संख्या बताते हैं।

पंजाब में परियोजनाओं का क्रियान्वयन

136. **श्री कमल चौधरी**: क्या योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने गत तीन वर्षों के दौरान निर्माण के विभिन्न चरणों में स्थित विभिन्न सिंचाई, विद्युत, कोयला, उर्वरक और इस्पात परियोजनाओं की समीक्षा और निगरानी की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन परियोजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी लाने के लिए क्या कदम उठाए गए है या उठाए जाने का विचार है?

योजना एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुख राम): (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

फर्टिलाइजर्स एण्ड केमिकल्स ट्रावनकोर लिमिटेड के लिए अमोनिया संयंत्र की स्वीकृति

137. **प्रो॰ के॰ वी॰ थामस**: क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने फर्टिलाइजर्स एण्ड केमिकल्स ट्रावनकोर लिमिटेड के लिये अमोनिया संयंत्र की स्वीकृति दे दी है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस परियोजना की अनुमानित लागत कितनी है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा॰ चिन्ता मोहन): (क) से (ग) मैसर्स फैक्ट का उद्योगमण्डल, केरल में रू॰ 618.32 करोड़ की अनमुमानित लागत से 900 टन प्रतिदिन अमोनिया और 10,800 एन एच-3 प्रति घंटा हाईड्रोजन संयंत्र स्थापित करने का प्रस्ताव है। प्रस्ताव पर सरकार द्वारा कार्यवाही की जा रही है।

[हिंदी]

खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग के क्षेत्रीय केन्द्रों को अनुदान

138. **श्री छेदी पासवान:**
श्री काशीराम राणा:

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक राज्य/संघ राज्यक्षेत्र में खादी तथा ग्रमोद्योग आयोग के विभिन्न क्षेत्रीय केन्द्रों को केन्द्रीय सरकार द्वारा कितनी अनुदान-राशि दी गई,

(ख) क्या वर्ष 1992-93 के दौरान इस अनुदान-राशि में वृद्धि करने का सरकार का विचार है; और

(ग) प्रत्येक राज्य/संघ राज्यक्षेत्र में खादी को लोकप्रिय बनाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उद्योग मंत्रालय (लघु उद्योग तथा कृषि एवं ग्रामीण उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (प्रो॰ पी॰ जे॰ कुरियन): (क) केन्द्र सरकार देश में खादी तथा ग्रामोद्योग क्षेत्र के विकास एवं संवर्धन के लिए खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग (के॰वी॰आई॰सी॰) को ऋणों तथा अनुदानों के रूप में निधियां उपलब्ध कराती हैं। इनकी एवज़ में के॰वी॰आई॰सी॰ भिन्न-भिन्न राज्य/संघ शासित क्षेत्र के वी॰आई॰ बोर्डों तथा सीधे सहायता प्राप्त संस्थानों को निधियां उपलब्ध कराता है। पिछले तीन वर्षों के दौरान के॰वी॰आई॰ सी॰ द्वारा विभिन्न राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को उपलब्ध कराये गये अनुदान संलग्न विवरणी में दिए गए हैं।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रत्येक राज्य/संघशासित क्षेत्र में खादी को लोक प्रिय बनाने के लिए किए जा रहे उपाय इस प्रकार हैं:—

(i) उत्पाद शुल्क व सीमा शुल्क से छूट।

(ii) खादी की बिक्री पर छूट देने की व्यवस्था।

(iii) खादी की खरीददारी को वरीयता देना।

(iv) उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बेहतर डिजाइन आरंभ करना।

(v) के०वी०आई०सी० के जरिए माल बेचने में सहायता देना।

विवरण

अनुदान की राशि (लाखों में)

क्र०सं०	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	1988-89	1989-90	1990-91
1.	आन्ध्र प्रदेश	139.29	169.77	184.39
2.	अरुणाचल प्रदेश	—	—	—
3.	असम	50.70	42.26	30.10
4.	बिहार	518.57	506.24	483.52
5.	गोवा	3.72	3.99	0.24
6.	गुजरात	552.23	585.70	587.14
7.	हरियाणा	160.12	159.84	141.26
8.	हिमाचल प्रदेश	92.01	125.23	120.90
9.	जम्मु और कशमीर	18.76	36.27	26.86
10.	कर्नाटक	218.23	283.17	238.62
11.	केरला	206.99	268.67	175.44
12.	मध्य प्रदेश	169.65	169.85	85.14
13.	महाराष्ट्र	203.46	301.60	342.23
14.	मणीपुर	37.72	—	58.23
15.	मेघालय	3.93	11.61	16.99
16.	मिजोरम	18.21	56.89	43.73
17.	नागालैंड	12.86	14.15	20.40
18.	उड़ीसा	49.40	88.92	43.99
19.	पंजाब	204.41	223.96	242.02
20.	राजस्थान	379.48	568.09	441.82
21.	सिक्किम	2.73	5.70	15.79

क्र० सं०	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	1988-89	1989-90	1990-91
22.	तमिलनाडु	811.62	652.82	897.22
23.	त्रिपुरा	16.77	1.66	2.37
24.	उत्तर प्रदेश	1544.43	1627.81	1779.80
25.	पश्चिमी बंगाल	158.62	199.86	113.86
26.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	—	2.84	3.09
27.	चंडीगढ़	—	—	0.02
28.	दादरा और नगर हवेली	—	—	—
29.	दिल्ली	191.58	197.56	137.63
30.	दमन और दीव	—	—	—
31.	पांडिचेरी	1.34	1.39	0.30
32.	विभागीय	254.06	1175.61	1386.94
33.	अन्य योजनाएं	236.86	365.41	311.04
	कुल	6257.75	7846.87	8031.08

जापान द्वारा भारत में संयुक्त उद्यमों की स्थापना का प्रस्ताव

139. **श्री सत्यदेव सिंह:** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जापान के कुछ उद्योगपतियों ने भारत में संयुक्त उद्यमों की स्थापना करने का प्रस्ताव किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) इस संबंध में उनके द्वारा तथा केन्द्रीय सरकार द्वारा रखी गयी शर्तें क्या हैं;

(घ) उन स्थानों के नाम क्या हैं जहां संयुक्त उद्यम स्थापना किये जाने का विचार है; और

(ङ) प्रत्येक परियोजना में केन्द्रीय सरकार तथा जापान के उद्योगपतियों का हिस्सा कितना-कितना है?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही): (क) जी, हां।

(ख) वर्ष 1991 और 1992 (मई तक) के लिए जापानी कंपनियों के संबंध में विदेशी पूंजी निवेश अनुमोदनों के ब्यौरे विवरण संलग्न हैं।

(ग) इन अनुमोदनों में निर्यात आय और विदेशी इक्विटी पर लाभांश के बीच संतुलन रखने की शर्त है।

अब लाभांश संतुलन की इस शर्त को उपभोक्ता सामान क्षेत्र में आने वाले उद्योगों को छोड़कर शेष उद्योगों के लिए वापिस ले लिया गया है। उक्त अनुमोदन भारतीय कानूनों के अनुसार होते हैं।

(घ) विदेशी सहयोग के अनुमोदनों में प्रायः अनुमोदन के तहत स्थापित की जाने वाली परियोजनाओं के स्थापना-स्थल का उल्लेख नहीं होता है।

(ङ) संयुक्त उद्यम परियोजना की अंशधारिता सहित शर्तें आदि विदेशी सहयोगकर्ता तथा भारतीय कंपनी के बीच समझौते के विषय हैं।

विवरण

क्र० सं०	भारतीय कंपनी का नाम	विदेशी सहयोगकर्ता का नाम	विनिर्माण की मद
1.	आदिसन ज्यूलर्स प्रा० लि०, बंबई	मै० सुवा बोकी काबुशिकी केशा, मै० कावुशिकी एडं केशा कामात्सु, टोकियो	कटे व पालिश किए हीरे प्लेन एडं स्टडिड
2.	मै० पुष्पसंस फाइब्रोल प्रा० लि०, नई दिल्ली	मै० टेकमीटो आयल एडं फैट कं० लि०, मै निशो आई कार्पोरेशन	कोनिंग आयल, कार्डिंग आयल स्पिन फिनिशिंज
3.	मै० विनय डी देशपांडे मै० एनकोर टैक्नोलोजी प्रा० लि०, बंगलौर	मै० प्रोसाइड कार्पोरेशन	कम्प्यूटर सिस्टम्स तथा कम्प्यूटर आधारित उत्पादों का विकास
4.	मै० भिवानी सिंथेटिक लि०, हरियाणा	मै० टोयोटा टुशो कोर्पो०	काटन ड्रिल पापलीन्श शैटिंग इंडिगो डेनिम
5.	मै० रसिक लाल हीरालाल एंड कं०, बंबई	मै० सानो ट्रेडिंग कं०	कटे व पालिश किए हीरे
6.	मै० बाजालोनी ग्रुप लि०, असम	मै० टोहटो कसई	इपोक्सी रेजिन
7.	मै० हाई टैम्प फरनेसिस प्रा० लि०, बंबई	मै० टोक्यो हीट ट्रीटिंग कं० लि०	हीट ट्रीटमेंट फरनेसिस तथा एलाइड हीट इक्युपमैंट
8.	मै० इन्डो सोवियत फेराइटस लि०, मद्रास	मै० फुजी इक्ट्रो कैमिक थ्रू मित्सुइ	सोफ्ट एडं हार्ड फेराइंटस
9.	मै० एस ए बिल्डर्स लि०, चंडीगढ़	मै रेकन टांजो लि०	प्रिसिजन फोर्जिंग
10.	मै० फोइनिक्स लैम्प इंडिया लि०, गाजियाबाद	मै० फोइनिक्स इलैक्ट्रिक कं०	हैलोजन लैम्प कम्पैक्ट फ्लोरेसेंट लैप एडं पार्ट्स

क्र० सं०	भारतीय कंपनी का नाम	विदेशी सहयोगकर्ता का नाम	विनिर्माण की मद
11.	मै० एप्लाइड न्युमैटिक्स प्रा० लि०, पुणे	मै० फुफी एअर कं० लि०	एअर टूल्स
12.	मै० चेट्टिनाड एम बी-एफ-एच आई सिलिका, मद्रास	मै० मोरिमुरा ब्रदर्स इन्का	हाई प्युरिटी सिलिका पाउडर
13.	मै० सिल्वर कोर प्रा० लि०, बड़ौदा	मै० मियासुका सिकोको लि०	"आर" कोर ट्रांसफारमर
14.	मै० बरेजा हारनैस सिस्टम्स प्रा० लि०, दिल्ली	मै० तैया हारनैस इंजी० कार्पो०	इन्टिग्रेटिड वायरिंग हारनैस
15.	मै० पंजाब स्टेट इलैक्ट्रोनिक्स कार्पो० डेव० एंड प्रोड० कार्पो० लि० चंडीगढ़	मै० फुलुत्सु लि०	डिजिटल इलैक्ट्रोनिक स्विचिंग सिस्टम
1.	मारुति उद्योग लिमिटेड, नई दिल्ली	सुजुकी मोटर कार्पोरेशन, जापान	यात्री कारें
2.	मायोनीर मियागी कैमिकल्स प्रा० लि०, मुदरै	1) मियागी कैमिकल इन्डस्ट्रियल कं० लि० 2) ओकुरा हाइड एंड प्रोटीन इन्का०	ओसीन एंड डिकैलशियम फास्फेट
3.	टम्बापर्नि डाइज एंड टूल्स लि०, मद्रास	ओसाका डायमंड इन्ड० कं० लि०	वायर ड्राइंग उद्योग के लिए डायमंड डाइज
4.	सोना स्टियरिंग सिस्टम लि०, हरियाणा	कियो सीको कं० लि०	स्टीयरिंग गीअर एसैम्बलीज
5.	फानुका लि०, जापान	कियो सीको कं० लि०, जापान	ए सी सर्वो मोटर्स एंड ए सी स्पिंडल मोटर्स
6.	राजस्थान एक्स एल ओ सांवा मिडलैंड लि०, राजस्थान।	निशिउमि इन्ट० इन्का०	एअर कन्नेक एक्युएशन सिस्टम्स
7.	राजीव बाजोरिया, नई दिल्ली।	सांकी मोटर कं० लि० सुजुकी मोटर कं० निशो इकाई कार्पो०	प्लास्टिक कम्पोनेन्ट

क्र० सं०	भारतीय कंपनी का नाम	विदेशी सहयोगकर्ता का नाम	विनिर्माण की मद
8.	केसी कट्टी-मा ग्रेनाइट्स प्रा० लि०, मद्रास	केसे-शोजी-केशा लि०	ग्रेनाइट मोनुमैन्ट्स
9.	वाई० एस० पोरसीलेन ट्यूब्स मैनु० कं० लि०, जापान	वाई०एस० पोरसीलेन ट्यूब्स मैनु० कं० लि०	सिरेमिक कोर्स
10.	चेट्टीनाद एम बी-एफ एच आई सिलिका प्रा० लि०, मद्रास	—	हाई प्युरिटी सिलिका, सिलिका पाउडर
11.	मनाली पैट्रो कैमिकल्स लि०, मद्रास	मित्सुइ ठोट्सु कैमिकल इन्का०	मिथेन डाइ-इसोसाइनेट टोलून डाइ-इसोसाइनेट
12.	सर हेनिंग लि०, बंगलौर	इनोमोटो, जापान	चिप/बैल्ट कन्वेयर्स
13.	गोको कामेरा (आई) प्रा० लि०, मापुसा	गोको कामेरा कं० लि०	ट्रेडिंग कंपनी
14.	बायोलिंक हैल्थकेअर (प्रा०) लि०, बंबई	बायोलिंक कार्पोरेशन, जापान	जिमनेमा एक्सट्रेक्ट
15.	ए०सी०सी० निहोन कास्टिंग्स लि०, बंबई।	निहोन सीमेंट कं० लि०	कास्टिंग एंड फोर्जिंग
16.	रिलायंस पैट्रो प्रोडक्ट्स लि०, बंबई	मित्सुबिशी, जापान एंड बास्फ ए०टी०के०, जर्मनी	पोलीमर्स आफ पोलीप्रोपाइलीन
17.	क्रिस्ट इलैक्ट्रोनिक्स लि०, नई दिल्ली	एन०ई०सी० कार्पो० एंड सुनिटोमो	इलैक्ट्रोनिक स्विचिंग
18.	रिलायंस पोलीओलीफिन, बंबई	सी० इटोह एंड कं० जापान	पोलीथीलीन

[अनुवाद]

बाली में गुटनिरपेक्ष देशों के समन्वय ब्यूरो की बैठक

140. **श्री चित्त बसु:** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) हाल ही में बाली (इंडोनेशिया) में गुटनिरपेक्ष देशों के विदेश मंत्रियों के समन्वय ब्यूरो की बैठक में किन विषयों पर चर्चा की गयी और इस चर्चा के क्या परिणाम निकले;

(ख) क्या भारत ने बैठक में भाग लिया था; और

(ग) यदि हां, तो भारत ने इसमें क्या भूमिका अदा की और भारतीय शिष्टमंडल की क्या उपलब्धि रही?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो): बाली में आयोजित मंत्री स्तरीय बैठक में अनेक प्रकार के विषयों पर विचार-विमर्श हुआ था जिनमें अन्तर्राष्ट्रीय, राजनैतिक एवं आर्थिक स्थिति, 'नाम' की भूमिका और उसकी सार्थकता, संयुक्त राष्ट्र का रूप परिवर्तन, व्यापार एवं विकास पर्यावरण, मानवाधिकार तथा दक्षिण-दक्षिण सहयोग के विषय शामिल थे। यह विचार-विमर्श आगामी जकार्ता शिखर सम्मेलन की तैयारी के रूप में किया गया था।

(ख) जी हां।

(ग) 'नाम' की सतत् सार्थक भूमिका को पुनः प्रतिष्ठित करने में तथा इसकी भावी दिशा तय करने में भारत ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

परम सुपर कम्प्यूटर की व्यावसायिक उपलब्धता

141. **श्री राम नरेश सिंह:** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार ने पुणे स्थित 'सेंटर फार डेवलपमेंट आफ एडवांस्ड कम्प्यूटिंग' द्वारा विकसित परम सुपर कम्प्यूटर की प्रौद्योगिकी के व्यावसायीकरण के लिए क्या कदम उठाये हैं; और

(ख) भारत में निर्मित उक्त सुपर कम्प्यूटर के कब तक व्यावसायिक रूप से उपलब्ध होने की संभावना है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय (इलेक्ट्रानिकी तथा महासागर विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम): (क) उन्नत अभिकलन विकास केन्द्र (सी-डैक), जो इलेक्ट्रानिकी विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत एक स्वायत्त पंजीकृत संस्था है, ने 'परम' सुपर कम्प्यूटर की प्रौद्योगिकी से संबंधित तकनीकी जानकारी चार(4) संगठनों अर्थात् सार्वजनिक क्षेत्र में दो और निजी क्षेत्र में दो संगठनों को अंतरित कर दी है।

इसके अतिरिक्त, सी-डैक ने अपने ही द्वारा विकसित हाई एंड 'परम' तथा अन्य उत्पादों की प्रौद्योगिकी का सीधे ही व्यासायीकरण करने के लिये कदम उठाए हैं, जिसमें एक प्रौद्योगिक उत्पादन संयंत्र तथा व्यापार प्रभाग की स्थापना किया जाना शामिल है। सी-डैक भारत में तथा विदेशों में कई शैक्षणिक तथा अनुसंधान संस्थानों से सम्पर्क स्थापित कर रहा है। सी-डैक ने व्यावसायीकरण की दृष्टि से समानान्तर अभिकलन/उच्च-कार्य-निष्पादन अभिकलन के क्षेत्र में भारत तथा विदेशों में कई प्रमुख सम्मेलनों तथा कार्यशालाओं में भाग लिया। 'परम' तथा इससे संबंध उत्पादों की क्षमताओं तथा उनकी उपलब्धता के बारे में समाचार पत्रों के माध्यम से व्यापक प्रचार-प्रसार किया गया है।

(ख) सी-डैक द्वारा विकसित समानान्तर सुपर कम्प्यूटर पहले ही व्यावसायिक स्तर पर उपलब्ध है तथा इस समय इनका इस्तेमाल छह संस्थानों में किया जा रहा है। कई शैक्षणिक तथा अनुसंधान संस्थानों में लगभग पचास छोटी प्रणालियां भी प्रतिष्ठापित की गयी हैं।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को अर्थक्षम बनाना

142. **श्री वी० श्रीनिवास प्रसाद:** क्या प्रधान मंत्री 25 मार्च, 1992 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4466 के उत्तर के सम्बंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को घाटे में चल रहे सरकारी क्षेत्र के ऐसे उपक्रमों को अर्थक्षम बनाने के संबंध में कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उद्योग मंत्रालय (भारी उद्योग विभाग एवं सार्वजनिक उद्यम विभाग) में राज्य मंत्री (श्री पी॰ के॰ थुंगन) (क) और (ख) केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के घाटा उठा रहे उद्यमों के कार्य-निष्पादन को बेहतर बनाने संबंधी प्रस्तावों की सम्बद्ध प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग द्वारा समीक्षा की जाती है और उद्यम विशेष के बारे में उपलब्ध संसाधनों के भीतर कार्रवाई की जाती है। केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के 48 उद्यमों में से 28 औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्गठन बोर्ड को भेजे जाने योग्य है जो उनके अर्थक्षम संबंधी प्रस्तावों की जांच करेगा। इनमें से सरकारी क्षेत्र के 16 उद्यम पहले ही भेजे जा चुके हैं।

बागान श्रम अधिनियम में संशोधन

143. **श्रीमती दिल कुमारी भंडारी:** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार बागान श्रम अधिनियम में संशोधन करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

श्रम मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पवन सिंह घाटोवार): (क) जी, हां। बागान श्रम (संशोधन) विधेयक, 1992 7 मई, 1992 को राज्य सभा में प्रस्तुत किया गया था।

(ख) संशोधन विधेयक में अन्य बातों के साथ-साथ, कर्मकारों की सुरक्षा तथा बागानों में कार्य करने से उत्पन्न होने वाली व्यावसायिक स्वास्थ्य समस्याओं "परिवार" परिभाषा में पहला कार्मकारों के आश्रितों को भी शामिल करने के संशोधन तथा "कर्मकारों" की परिभाषा में ठेका श्रमिकों को शामिल करने के संशोधन से संबंधित प्रावधानों के प्रस्ताव शामिल हैं। अधिनियम के क्रियान्वयन में किसी चूक के लिए जिम्मेदारी निर्धारित करने के उद्देश्य से "नियोक्ता" की परिभाषा में बागान कार्यों के प्रबन्धन के लिए नियुक्त सरकारी अधिकारियों सहित निदेशकों, साझेदारों इत्यादि को शामिल करने की विधेयक में अपेक्षा की गयी है। विधेयक में, अधिनियम के प्रावधानों का कार्यान्वयन न किए जाने के लिए अधिक निवारक दण्डात्मक प्रावधान भी किए गये हैं।

नई औद्योगिक नीति का प्रभाव

144. **श्रीमती वसुंधरा राजे:** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने अगस्त, 1991 में लागू औद्योगिक नीति और नई उदार औद्योगिक नीतियों के प्रभाव का पता लगाया है, और

(ख) यदि हां, तो विशेषकर अनिवासी भारतीयों और निजी क्षेत्र पर इसके प्रभावों का ब्यौरा क्या है?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही): (क) जी, हां।

(ख) औद्योगिक नीति के उदारीकरण के हाल के परिणाम उत्साहवर्द्धक रहे हैं। 1991-92 (अगस्त से मई) की नीति घोषणा के बाद की अवधि के दौरान 1990-91 की इसी अवधि के 457 की तुलना में विदेशी सहयोग अनुमोदनों की कुल सं॰ 1298 हो गई है। इसी अवधि के दौरान अनुमोदित विदेशी पूंजी निवेश 1990-91 की

इसी अवधि के दौरान अनुमोदित 129.77 करोड़ रु० की तुलना में लगभग 12 गुना बढ़ गया है जो 1528.18 करोड़ रु० है। सरकारी क्षेत्र में उद्योग स्थापित करने हेतु प्राप्त ज्ञापनों सहित औद्योगिक अनुमोदनों की संख्या 1991-92 (अगस्त से मई) में 5954 हो गयी है जबकि 1990-91 की इसी अवधि के दौरान यह संख्या 3629 थी। 24.7.1991 को नयी औद्योगिक नीति की घोषणा के फलस्वरूप अब तक कुल 74 अनिवासी भारतीय प्रताव (आशय पत्र, विदेशी सहयोग तथा पूंजीगत माल के आयात सहित) जिनमें 273 करोड़ रु० का कुल नियत पूंजी निवेश अन्तर्ग्रस्त है, जारी किये गये हैं।

मुक्त किए गए बन्धुआ मजदूर

145. **सैयद शाहाबुद्दीन:** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 1 अप्रैल, 1992 तक राज्यवार कुल कितने बन्धुआ मजदूरों को मुक्ति दिलाई गई;

(ख) ऐसे बन्धुआ मजदूरों को कुल राज्यवार संख्या कितनी है जिन्हें मुक्त तो किया गया किन्तु जिनका पुनर्वास नहीं किया गया;

(ग) वर्ष 1991-92 के दौरान मुक्त किये गये बन्धुआ मजदूरों की राज्यवार संख्या कितनी है;

(घ) वर्ष 1991-92 के दौरान राज्यवार कुल कितने बन्धुआ मजदूरों का पुनर्वास किया गया; और

(ङ) 1 अप्रैल, 1992 तक शेष बचे बन्धुआ मजदूरों की राज्यवार संख्या कितनी है?

श्रम मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पवन सिंह घाटोवार): (क) से (ङ) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

राज्य का नाम	पता लगाए गए बंधुआ श्रमिकों[7] की संख्या			पुनर्वासित किए गए बंधुआ श्रमिकों की संख्या [7]			पुनर्वास के लिए अनुपलब्ध बंधुआ श्रमिक [7]	31.3.92 को पुनर्वास के लिए
	31.3.91 को	1991-92 के दौरान	31.3.92 को	31.3.91 को	1991-92 के दौरान	31.3.92 को		उपलब्ध शेष बंधुआ श्रमिक[7]
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. आन्ध्र प्रदेश	35810	124	35934	25397	356	25753	—	10181
2. बिहार	12525	—	12525	11378	30	11408	1116	1
3. कर्नाटक	62708	—	62708	53835	243	54078	6180	2450
4. मध्य प्रदेश	12535	80	12615	11236	421	11657	936	22
5. महाराष्ट्र	1382	—	1382	1300	—	1300	+82	—
6. उड़ीसा	49913	55	49968	46654	82	46736	3206	26
7. राजस्थान	7300	56	7356	5513	60	5573	1543	240
8. तमिल नाडु	38347	456	38803	38015	281	38296	—	507

[7]राज्य सरकारों द्वारा उपलब्ध करवाई गई अद्यतन सूचना

1	2	3	4	5	6	7	8	9
9. उत्तर प्रदेश	27489	—	27489	27048	351	27399	—	90
10. केरल	823	—	823	823	—	823	—	—
11. हरियाणा	544	—	544	21	—	21	523	—
12. गुजरात	64	—	64	64	—	64	—	—
जोड़	2,49,440	771	8,50,211	22,12,84	1824	2,23,108	13,586	13,517

कोयला खान अधिनियम में संशोधन

146. **श्री एन०जे० राठवा:** क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा कोयला खान (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम में कब तक संशोधन किए जाने की संभावना है;

(ख) प्रस्तावित संशोधनों की रूप रेखा क्या है; और

(ग) उक्त अधिनियम में संशोधन किए जाने में हो रहे विलंब के क्या कारण हैं?

कोयला मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एस०बी० न्यामगौड़): (क) सरकार ने विद्युत उत्पादन के लिए ग्रहीत उपभोग तथा अन्य अंतिम रूप में उपभोग करने तथा अन्य अंतिम रूप में उपभोग करने और कोयला वाशरियां स्थापित करने के उद्देश्य से कोयला खनन में निजी क्षेत्री की भागीदारी को मई, 1992 में स्वीकृति किए जाने का निर्णय लिया। कोयला खान (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1973 में इस तरह की निजी क्षेत्र की भागीदारी को स्वीकृति दिए जाने संबंध संशोधन किया जाना अपेक्षित है। संसद के चालू सत्र के दौरान संसद में संशोधन विधेयक प्रस्तुत करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं।

उत्तर प्रदेश में कच्चे माल पर आधारित उद्योग

147. **मेजर जनरल (रिटायर्ड) भवनचन्द्र खण्डूरी:** क्या प्रधान मंत्री 25 मार्च, 1992 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4483 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उस प्रश्न में मांगी गई जानकारी इस बीच एकत्र कर ली गयी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो अपेक्षित जानकारी प्राप्त करने में विलम्ब के क्या कारण हैं?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही): (क) जी, नहीं,।

(ख) और (ग) : सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

वर्ष 1992-93 को योजना अवकाश वर्ष के रूप में घोषित करना

148. **श्री गुरुदास कामत:** क्या योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या योजना आयोग का विचार वर्ष 1992-93 को योजना अवकाश वर्ष के रूप में घोषित करने का है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं, और

(ग) वर्ष 1992-93 में योजनागत निवेश में कितने प्रतिशत की कमी आने की सम्भावना है?

योजना एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुखराम): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) 1992-93 के लिए सरकारी क्षेत्र योजना परिव्यय 79,698 करोड़ रुपए है जब कि 1991-92 के लिए योजना परिव्यय 71,074 करोड़ रुपए था।

डाक्टरों के लिए रोजगार के अवसर

149. **श्री बलराज पासी:**

श्री महेश कुमार कनोडिया:

श्री नरेश कुमार बालियान:

डा० रमेश चन्द्र तोमर:

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में रोजगार केन्द्रों के वर्तमान रजिस्टरों में दर्ज चिकित्सा स्नातकों व स्नातकोत्तरों की राज्यवार संख्या क्या है; और

(ख) डाक्टरों के लिए रोजगार के अवसरों में वृद्धि करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं अथवा उठाये जाने का प्रस्ताव है?

श्रम मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पवन सिंह घाटोवार): (क) दिसम्बर, 1990 की स्थिति के अनुसार अद्यतन उपलब्ध सूचना देने वाला एक विवरण संलग्न है।

(ख) सेवानिवृत्ति, विदेश में प्रवास से उत्पन्न सामान्य रिक्तियों या सरकारी संगठनों में समय-समय पर पदों में सामान्य वृद्धि को छोड़कर योग्य चिकित्सकों को रोजगार उपलब्ध कराने की केन्द्र सरकार की कोई विशेष योजना नहीं है। आगे यह विचार किया जाता है कि चिकित्सकों में बेरोजगारी कोई वास्तविक समस्या नहीं है क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार के अत्यधिक अवसर हैं। रोजगार कार्यालयों में पंजीकरण सामान्यतः सरकारी नौकरियां या बेहतर स्थानों में नौकरियां प्राप्त करने के लिए किया जाता है।

विवरण

31.12.1990 के अन्त में देश के रोजगार कार्यालयों के चालू रजिस्टर पर चिकित्सा स्नातकों और स्नातकोत्तरों की संख्या

क्र०सं०	राज्य/संघ शासित प्रदेश	31.12.1990 की स्थिति के अनुसार चालू रजिस्टर पर संख्या	
		स्नातक	स्नातकोत्तर
1.	आन्ध्र प्रदेश	2794	6
2.	अरुणाचल प्रदेश	—	—
3.	असम	—	201
4.	बिहार	1463	30
5.	गोवा	216	18

क्र०सं०	राज्य/संघ शासित प्रदेश	31.12.1990 की स्थिति के अनुसार चालू रजिस्टर पर संख्या	
		स्नातक	स्नातकोत्तर
6.	गुजरात	642	1
7.	हरियाणा	732	40
8.	हिमाचल प्रदेश	175	2
9.	जम्मू और कश्मीर	17	—
10.	कर्नाटक	869	50
11.	केरल	2190	62
12.	मध्य प्रदेश	667	102
13.	महाराष्ट्र	3574	288
14.	मणिपुर	61	—
15.	मेघालय	4	—
16.	मिजोरम	2	—
17.	नागालैंड	2	—
18.	उड़ीसा	1381	37
19.	पंजाब	476	108
20.	राजस्थान	2072	161
21.	सिक्किम*		
22.	तमिलनाडु	3722	7
23.	त्रिपुरा	11	—
24.	उत्तर प्रदेश	1374	164
25.	पश्चिम बंगाल	3538	76
	संघ शासित प्रदेश		
26.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	5	—
27.	चंडीगढ़	735	25
28.	दादर और नगर हवेली	7	—
29.	दिल्ली	1834	1342
30.	दमन और दीव**		
31.	लक्षद्वीप	6	1
32.	पांडिचेरी	419	22
	योग	28988	2743

टिप्पणी:- 1. *इस राज्य में कोई रोजगार कार्यालय कार्य नहीं कर रहा है।
2.**आंकड़े नहीं रखे जाते है।

समेकित ग्रामीण ऊर्जा योजना प्रशिक्षण केन्द्र

150. **डा. असीम बाला:** क्या योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) किन-किन स्थानों पर समेकित ग्रामीण ऊर्जा योजना प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित किए गए हैं/किए जा रहे हैं;

(ख) इन केन्द्रों के उद्देश्य क्या हैं;

(ग) ये उद्देशय कहां तक प्राप्त हुए हैं; और

(घ) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान समेकित ग्रामीण ऊर्जा योजना हेतु रखे गए प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है?

योजना एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुखराम): (क) योजना आयोग की तकनीकी और वित्तीय सहायता से केन्द्र शासित प्रदेश दिल्ली में दिल्ली प्रशासन द्वारा एकीकृत ग्रामीण ऊर्जा योजना केन्द्र (सी०आई०आर०ई०पी०) की स्थापना की गई है। एकीकृत ग्रामीण ऊर्जा कार्यक्रम के अंतर्गत योजना आयोग की तकनीकी और वित्तीय सहायता से चार और प्रशिक्षण एवं अनुसंधान तथा विकास केन्द्रों की स्थापना बंगलौर (कर्नाटक), शिलांग (मेघालय), लखनऊ (उत्तर प्रदेश) तथा खेड़ा (गुजरात) में की जा रही है।

(ख) इन प्रशिक्षण एवं अनुसंधान तथा विकास एकीकृत ग्रामीण ऊर्जा योजना केन्द्रों के उद्देश्यों में प्रशिक्षण देना और एकीकृत ग्रामीण ऊर्जा कार्यक्रम की योजना तथा कार्यान्वयन के लिये हार्डवेयर और साफ्टवेयर संबंधी अनुसंधान एवं विकास कार्यकलापों का आयोजना शामिल है।

(ग) दिल्ली के बकोली गांव में स्थापित किये गये एकीकृत ग्रामीण ऊर्जा केन्द्र ने मार्च, 1990 से कार्य करना शुरू कर दिया है। जून, 1992 तक केन्द्र में 47 प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों, सेमिनारों तथा कार्यशालाओं का आयोजन किया जा चुका है। लखनऊ में स्थित एकीकृत ग्रामीण ऊर्जा योजना केन्द्र ने भी कार्य करना शुरू कर दिया है और विभिन्न प्रशिक्षण तथा अनुसंधान एवं विकास कार्यक्रमों तथा संबंधित कार्यकलापों का आयोजन करना शुरू कर दिया है। दूसरे केन्द्र पूरे होने के विभिन्न चरणों में हैं।

(घ) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान एकीकृत ग्रामीण ऊर्जा कार्यक्रम का विस्तार कम से कम 100 ब्लॉक प्रति वर्ष की दर से किया जा रहा है। राज्य, जिला और निम्न स्तरों पर एकीकृत ग्रामीण ऊर्जा कार्यक्रम के आयोजन तथा कार्यान्वयन के लिये संस्थागत क्षमताओं के विकास के वर्तमान केन्द्रीय प्रायोजित घटक के अतिरिक्त आठवीं पंचवर्षीय योजना में एकीकृत ग्रामीण ऊर्जा योजना कार्यक्रम के अंतर्गत गरीबी की रेखा से नीचे रह रहे ग्रामीण परिवारों को खाना पकाने तथा रोशनी की न्यूनतम घरेलू ऊर्जा आवश्यकताएं प्रदान करने हेतु एक नया घटक जोड़ने का प्रस्ताव है। इस नये घटक सहित कार्यक्रम के ब्यौरे तैयार किया जा रहे हैं।

जवाहर रोजगार योजना का मूल्यांकन

151. **श्री जार्ज फर्नान्डीज:**

श्री विलास मुत्तेमवार:

श्री विजय नवल पाटील:

श्री सैयद शाहाबुद्दीन:

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे, कि:

(क) क्या हाल ही में जवाहर रोजगार योजना की उपलब्धियों का मूल्यांकन करने हेतु कोई अध्ययन कराया गया है;

(ख) यदि हां, तो उसका क्या निष्कर्ष निकला;

(ग) जवाहर रोजगार योजना के आरम्भ की तिथि से अब तक इस योजना की राज्यवार तथा वर्षवार वित्तीय और वास्तविक उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है और इसके लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए थे; और

(घ) ग्रामीण गरीबी उन्मूलन के लिए जवाहर रोजगार योजना की धनराशि का बेहतर उपयोग सुनिश्चित करने हेतु क्या कदम उठाने का विचार है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री जी॰ वेंकट स्वामी): (क) योजना आयोग के कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन द्वारा देश के 10 मुख्य राज्यों की 40 पंचायतों में जवाहर रोजगार योजना के कार्यान्वयन के संबंध में तत्काल अध्ययन आरम्भ किया था।

(ख) इस तत्काल अध्ययन के मुख्य निष्कर्ष विवरण-1 में दिए गए हैं।

(ग) जवाहर रोजगार योजना दो चल रहे कार्यक्रमों अर्थात् राष्ट्रीय ग्रमीण रोजगार कार्यक्रम तथा ग्रमीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम के विलय होने से 1.4.1989 से आरम्भ की गई थी। जवाहर रोजगार योजना के अंतर्गत निर्धारित भौतिक लक्ष्यों के साथ-साथ 1989-90 से 1991-92 तक की राज्यवार और वर्षवार भौतिक तथा वित्तीय उपलब्धियां विवरण-2 पर दिए गए विवरण में दर्शाई गई हैं।

(घ) जवाहर रोजगार योजना मजदूरी रोजगार की चल रही प्लान योजना है। जवाहर रोजगार योजना निधियों का बेहतर उपयोग सुनिश्चित करने के लिए, केन्द्र तथा राज्य सरकारों द्वारा योजना की निरन्तर समीक्षा की जाती है। राज्य-सरकारों से प्राप्त मासिक, तिमाही तथा वार्षिक प्रगति रिपोर्टों द्वारा कार्यक्रम की समीक्षा की जाती है। इसके अलावा, कार्यक्रम के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए भारत सरकार की पहल पर कार्यक्रम के गुणात्मक/परिमाणात्मक पहलुओं की समीक्षा करने के लिए राज्यों द्वारा राज्य/जिला/खंड स्तर पर प्रत्येक पर्यवेक्षी स्तर के कार्यकर्ताओं के लिए निरीक्षण की एक अनुसूची तैयार की गई है। भारत सरकार द्वारा राज्य सरकारों के साथ कार्यान्वयन की गुणवत्ता में सुधार लाने के विचार से कार्यक्रम की समीक्षा करने के लिए समय-समय पर बैठकें आयोजित की जाती हैं। भारत सरकार द्वारा जवाहर रोजगार योजना के कार्यान्वयन में आने वाली समस्याओं के बारे में विचार-विमर्श करने के लिए जिला ग्रमीण विकास एजेंसियों/जिला परिषदों के परियोजना निदेशकों के लिए कार्यशालाएं भी आयोजित की जाती हैं ताकि जब भी आवश्यक हो, उपचारी उपाय किए जा सकें।

विवरण-1

1. अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन-जातियों के रोजगार के श्रम दिनों का अनुपात सृजित रोजगार के कुल श्रम दिनों का 50 प्रतिशत से अधिक था।

2. जिला स्तर तक रोजगार सृजन में महिलाओं का अंश 22 से 25 प्रतिशत था। तथापि, चयनित ग्राम पंचायत स्तर पर यह केवल 15 से 18 प्रतिशत था।

3. उपलब्ध निधियों के 50 प्रतिशत से भी अधिक का उपयोग केवल अंतिम तिमाही के दौरान किया जाता है और मुख्य कार्य अंतिम तिमाही के दौरान आरम्भ किए जाते हैं जो जवाहर रोजगार योजना की परिकल्पना के अनुकूल नहीं है।

4. चयनित 40 ग्राम पंचायतों में से 1989-90 में 2 तथा 1990-91 में 6 पंचायतों द्वारा निधियों का

बिल्कुल भी उपयोग नहीं किया गया। 1991-92 की पहली छमाही में 19 ग्राम पंचायतों द्वारा निधियों के उपयोग की सूचना नहीं दी गई।

5. जिन ग्राम पंचायतों द्वारा निधियों का उपयोग किया गया, वे किसी व्यक्ति को क्रमशः 1989-90 तथा 1990-91 के दौरान औसतन केवल 11.40 तथा 15.68 दिनों का रोजगार उपलब्ध करा सकी हैं।

6. 56 प्रतिशत ग्राम पंचायतों में सृजित परिसम्पत्तियों की गुणवत्ता लक्ष्य के अनुसार नहीं थी।

7. चयनित लाभार्थियों में से 89 प्रतिशत ने यह बताया कि सृजित परिसम्पतियां लाभकर थीं।

8. चयनित राज्यों/जिलों तथा ग्राम पंचायतों द्वारा परिसम्पत्तियों के रख-रखाव के लिए पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया था।

9. केवल कुछेक ग्राम पंचायतों में परिसम्पत्तियों के रख-रखाव की गुणवत्ता को सही पाया गया था।

10. प्रत्येक चयनित राज्यों के 30 प्रतिशत ने सूचित किया कि पक्के कार्यों के संबंध में निर्धारित मजदूरी सामग्री अनुपात सही नहीं था और पर्यवेक्षण तथा निगरानी पर्याप्त नहीं थी।

11. 40 प्रतिशत चयनित राज्यों द्वारा खंड स्तर पर तकनीकी स्टाफ की कमी की समस्या का सामना किया गया है।

कश्मीर और पंजाब के विध्वंसकारी तत्वों को पाकिस्तान की सहायता

152. **डा० डी० वेंकटेश्वर राव:** क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को यू० एस० स्टेट डिपार्टमेंट की "विश्व आतंकवाद के तरीके, 1991" संबंधी वार्षिक रिपोर्ट में कश्मीर और पंजाब में सक्रिय विध्वंसकारी तत्वों को पाकिस्तान की सहायता के बारे में किये गए उल्लेख की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस रिपोर्ट की जांच कर ली थी;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या अमरीका और इंग्लैंड मे इस मामले के बारे में पाकिस्तान से बात की थी/बात करने के लिए सहमत हो गए थे; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो): (क) जी हां।

(ख) इस रिपोर्ट में दूसरी बातों के साथ-साथ यह भी कहा गया है कि "1991 में बराबर इस बात की विश्वसनीय रिपोर्टें मिलती रहीं कि भारत के नियंत्रण वाले कश्मीर में आतंकवाद की गतिविधियों में संलग्न कश्मीर उग्रवादी दलों को पाकिस्तान से आधिकारिक समर्थन प्राप्त होता रहा तथा भारत के पंजाब में आतंकवाद की कार्यवाहियां करने वाले सिख उग्रवादी दलों को भी समर्थन प्राप्त होता रहा। बताया जाता है कि इस सहायता में हथियारों तथा प्रशिक्षणों का प्रावधान भी शामिल है"।

(ग) जी हां।

(घ) यह रिपोर्ट एक वैधानिक अपेक्षा के अन्तर्गत विदेश विभाग को प्रतिवर्ष अमरीकी कांग्रेस के समक्ष

विवरण 2

जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत निष्पादन

क्र०सं०	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	वित्तीय उपलब्धि (लाख रुपए में)					
		1989-90		1990-91		1991-92	
		रिलीज की गई निधियां (राज्य अंश सहित)	उपयोग की गई निधियां	रिलीज की गई निधियां (राज्य अंश सहित)	उपयोग की गई निधियां	रिलीज की गई निधियां (राज्य अंश सहित)	उपयोग की गई निधियां
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आन्ध्र प्रदेश	19319.51	18415.55	19947.28	19317.09	19443.76	19076.09
2.	अरुणाचल प्रदेश	314.33	165.40	319.31	223.75	33.81	222.58
3.	असम**	38713.67	31690.69	36463.43	43733.76	35537.23	34102.07
4.	बिहार	378.75	325.42	214.36	277.12	353.49	364.56
5.	गोआ	8753.00	8076.28	7416.84	7513.03	8188.77	10039.31
6.	गुजरात	2068.66	1970.95	2034.48	2085.43	2568.78	2318.97
7.	हरियाणा	1153.50	987.48	1078.51	1270.68	1205.18	1133.31
8.	हिमाचल प्रदेश	1735.91	1770.50	2000.00	1636.30	2491.13	2046.64
9.	जम्मू व कश्मीर	12655.90	10942.81	10842.00	10892.31	11651.86	11505.99
10.	कर्नाटक	6569.99	6587.35	6076.38	6819.92	6312.18	7274.76
11.	केरल	25618.78	20562.93	23164.06	24234.17	21399.39	31196.43
12.	मध्य प्रदेश	20993.45	21059.06	19624.19	19254.92	16219.58	18124.11
13.	महाराष्ट्र	439.81	440.01	463.98	490.06	141.28	206.77
14.	मणिपुर	715.92	172.29	245.23	339.35	612.24	481.47
15.	मेघालय	187.41	188.07	833.66	833.41	228.43	258.32

1	2	3	4	5	6	7	8
16.	मिजोरम	504.99	504.99	617.46	617.46	723.55	802.80
17.	नागालैंड**	5598.59	4801.66	4760.00	5648.57	4334.35	4996.03
18.	उड़ीसा	12767.26	10445.27	12739.07	12845.26	10450.60	14033.59
19.	पंजाब	1675.59	1720.68	1602.37	1222.55	1643.03	1053.97
20.	राजस्थान	12788.50	10648.94	13150.40	17087.49	9475.53	13206.41
21.	सिक्किम	197.76	155.85	155.96	197.78	336.96	328.62
22.	तमिलनाडु	19844.74	20162.77	20066.11	19661.60	15064.41	21131.70
23.	त्रिपुरा	575.94	542.26	509.76	525.40	563.99	602.99
24.	उत्तर प्रदेश	53452.72	52950.57	48538.62	45773.98	44547.01	48146.91
25.	पश्चिम बंगाल	21610.16	19975.36	19821.15	17019.09	13267.21	19106.19
26.	अंडमान और नि॰ द्विप समूह	163.14	95.59	78.29	102.02	52.16	81.12
27.	चंडीगढ़	41.07	27.00	28.14	12.29	0.00	0.00
28.	दादरा और नगर हवेली	86.52	89.01	80.74	66.53	78.50	103.58
29.	दमन और दीव	52.18	32.28	25.04	15.46	4.38	27.23
30.	दिल्ली	187.42	90.39	92.09	56.84	0.00	0.00
31.	लक्षद्वीप	82.47	62.15	92.67	64.72	25.83	47.78
32.	पांडिचेरी	181.58	194.20	241.40	164.48	80.36	196.66
	योग:	269429.22	245853.76	253122.98	260002.82	227034.94	262216.96

क्र॰सं॰	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	पौधिक निष्पादन (लाख श्रम दिन)					
		1989-90		1990-91		1991-92	
		लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि
1	2	9	10	11	12	13	14
1.	आन्ध्र प्रदेश	772.78	727.43	919.98	810.66	698.88	728.54
2.	अरुणाचल प्रदेश	9.60	7.25	12.40	8.44	12.47	6.57
3.	असम	155.26	122.51	122.75	126.02	100.94	124.02
4.	बिहार	944.19	907.31	1125.86	1130.05	893.77	836.73
5.	गोआ	10.52	8.62	11.91	8.88	10.96	9.56
6.	गुजरात	198.87	202.93	242.72	188.82	244.25	254.13
7.	हरियाणा	34.12	34.13	37.60	35.03	37.67	36.03
8.	हिमाचल प्रदेश	32.04	37.86	33.68	35.86	30.47	34.16
9.	जम्मू व कश्मीर	54.86	52.19	61.68	54.27	95.88	55.13
10.	कर्नाटक	490.11	407.56	570.87	486.56	418.36	401.64
11.	केरल	214.18	231.79	244.83	180.96	138.98	177.08
12.	मध्य प्रदेश	1129.83	932.24	1156.31	958.57	812.43	945.39
13.	महाराष्ट्र	749.60	795.93	859.99	850.22	654.72	771.64
14.	मणिपुर	10.84	20.50	9.83	12.16	3.87	5.11
15.	मेघालय	15.27	4.02	18.98	7.88	23.07	12.02
16.	मिजोरम	3.35	4.79	4.48	19.69	3.71	5.94
17.	नागालैंड	16.83	20.29	21.26	18.98	21.71	31.76
18.	उड़ीसा	612.13	517.63	324.61	341.97	300.09	348.86
19.	पंजाब	28.88	34.23	31.72	21.81	29.42	17.96
20.	राजस्थान	439.21	443.77	392.43	506.01	242.64	387.63

1	2	9	10	11	12	13	14
21.	सिक्किम	7.07	6.28	7.91	8.80	9.58	13.62
22.	तमिलनाडु	776.39	910.81	688.95	755.21	521.03	831.74
23.	त्रिपुरा	18.88	19.53	19.81	19.06	19.02	20.71
24.	उत्तर प्रदेश	1436.28	1624.93	1703.11	1628.27	1472.69	1562.14
25.	पश्चिम बंगाल	572.15	558.81	643.16	516.85	544.08	477.01
26.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	4.37	3.08	4.44	2.97	2.68	2.18
27.	चंडीगढ़	0.94	0.42	1.08	0.11	0.00	0.00
28.	दादरा और नगर हवेली	3.70	3.04	3.47	2.84	3.51	3.94
29.	दमन और द्वीव	1.43	1.08	1.61	0.63	1.45	0.88
30.	दिल्ली	4.34	2.30	5.12	0.89	0.00	0.00
31.	लक्षद्वीप	2.27	2.53	2.62	2.23	2.64	2.11
32.	पांडिचेरी	6.96	8.08	5.87	4.89	3.37	5.71
	योग:	8757.25	8643.87	9291.04	8745.59	7354.35	8109.94

प्रस्तुत करनी होती है। इस रिपोर्ट में उन देशों का विस्तृत आंकलन रहता है जहां बड़े पैमाने पर आतंकवादी कार्यवाहियां हुई हों तथा इसमें आतंकवादियों और आतंकवादी वर्गों की कार्यवाहियों का उल्लेख रहता है खासतौर पर उन वर्गों की जिनके बारे में यह ज्ञात हो कि उन्हें उन देशों से वित्तीय सहायता प्राप्त हो रही है जिनके नाम अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद को समर्थन देने वाले राज्यों की सूची में आते हों।

(ङ) जी हां।

(च) यूनाइटिड किंगडम की सरकार ने पाकिस्तान को सलाह दी है कि वह पंजाब तथा कश्मीर के आतंकवादियों को सहायता देना बंद कर दे। जून, 1992 में पाकिस्तान के प्रधान मंत्री की यूनाइटिड किंगडम की यात्रा के समय भी प्रधान मंत्री जान मेजर ने यह बात कही थी। अमरीकी सरकार ने भी इस मामले को पाकिस्तान के साथ उठाया है। बताया जाता है कि मई, 1992 में अमरीका के विदेश मंत्री जेम्स बेकर ने प्रधान मंत्री नवाज शरीफ को पत्र लिखा है जिसमें उन्होंने भारत में आतंकवाद को समर्थन देने में पाकिस्तान की भूमिका पर पुनः चिन्ता व्यक्त की है।

औषधों के मूल्य

153. **श्री ई० अहमदः**
श्रीमती दीपिका एच० टोपीवालाः
श्रीमती महेन्द्र कुमारीः

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को देश में हाल ही में औषध तथा भेषज निर्माण सामग्री के मूल्यों में हुई अत्यधिक वृद्धि की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो कीमतों में 1990 और 1991 की तुलना में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है;

(ग) इन वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि के क्या कारण हैं; और

(घ) कीमतों में होने वाली वृद्धि पर नियंत्रण रखने हेतु क्या उपाय करने का विचार है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्यमंत्री (डा० चिन्ता मोहन): (क) और (ग) देश में विभिन्न कारणों के औषध और भेषज सामग्रियों की कीमतों में हाल ही में कुछ वृद्धि हुई है। अर्थव्यवस्था में आम मुद्रा स्फीतिकारी रुखे के कारण जिनसे विभिन्न प्रकार की अन्तर्वस्तुओं की लागतें जैसे कच्चे माल की लागत, उपयोगिता लागत, परिवर्तन लागत पैकिंग लागत आदि में बढ़ोतरी हुई है, इन वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि प्रमुख विदेशी मुद्रा की तुलना में रुपए की विनिमय दर में समायोजन नई एक्जिम नीति की घोषणा जिसके अन्तर्गत औषध और भेषज सामग्री के आयात की अनुमति केवल बाजार निर्धारित दर पर उपलब्ध विदेशी मुद्रा पर दी जाती है आदि के कारण हुई है।

(ख) प्रत्येक वस्तु के लिए 1990 और 1991 की तुलना में 1992 में दर्ज की गई मूल्य वृद्धि की प्रतिशतता में वृद्धि की मात्राओं को बताना कठिन है क्योंकि उनकी संख्या हजारों में है और इस कार्य में लगने वाला प्रयास और समय प्राप्य परिणामों के अनुरूप नहीं होगा।

(घ) बाजार में उपलब्ध लगभग 70 प्रतिशत दवाइयों का मूल्य नियंत्रण के अधीन है। इनकी राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम के लिए अपेक्षित और जमता की स्वास्थ्य संबंधी आवश्यकताओं के लिए आवश्यकता समझी

औषधें शामिल हैं। इन औषधों की कीमतें डीपीसीओ, 1987 के उपबन्धों के अनुसार बीआईसीपी के साथ विचार-विमर्श करके और सावधानी से जांच के बाद निर्धारित की जाती है जो कि औद्योगिक लागत और मूल्य निर्धारण का एक विशेषज्ञ निकाय है। इस प्रणाली से यह सुनिश्चित होता है कि मूल्यों में वृद्धि वास्तव में अन्तर्वस्तुओं की लागत में वृद्धि से सीधी संबंधित है। इसके अलावा मूल्य वृद्धि को रोकने के लिए सरकार ने हाल में अनेक औषधों और मध्यवर्तियों के लिए सीमा शुल्क में छूट की घोषणा की है।

गोवा में पुर्तगाल का वाणिज्य दूतावास

154. **श्री शरद दिघे:** क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गोवा में एक पुर्तगाली वाणिज्य दूतावास तथा सांस्कृतिक केन्द्र की स्थापना का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या प्रगति हुई है?

विदेश मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री आर॰ एल॰ भाटिया): (क) जी हां।

(ख) सांस्कृतिक केन्द्र की स्थापना का अनुमोदन सरकार ने सितम्बर, 1990 में कर दिया है और कोंसलावास खोलने का अनुमोदन सिद्धांत रूप में कर दिया गया है।

औद्योगिक क्षेत्र के लिए परिस्थिति की अनुकूल प्रोद्योगिकियां

155. **श्री श्रवण कुमार पटेल:** क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने उद्योग के विभिन्न क्षेत्रों में पारिस्थितिकी अनुकूल, प्रोद्योगिकियां अपनाने पर आने वाले व्यय के बारे में कोई मूल्यांकन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसमें विदेशी मुद्रा की मात्रा कितनी है; और

(ग) आठवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान ऐसी प्रौद्योगिकियां अपनाने हेतु क्या कदम उठाने का विचार किया गया है?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) पर्यावरण तथा वन मंत्रालय ने पर्यावरण अनुकूल प्रोद्योगिकी की शुरूआत करने सहित पर्यावरण से संबद्ध योजनाओं व कार्यक्रमों के विकास के लिए विभिन्न मंत्रालयों—जैसे उद्योग, रसायन एवं उर्वरक, शहरी विकास, बिजली, पेट्रोलियम तथा कोयला के संसाधनों के 10% का आबंटन करने के लिए एक प्रस्ताव किया है।

बंगलादेश के प्रधान मंत्री का दौरा

156. **श्री हन्नान मोल्लाह:**
डा॰ ए॰ के॰ पटेल:
श्री चन्द्रजीत यादव:
श्री रूपचन्द पाल:
श्री लाल कृष्ण आडवाणी:
श्री सैयद शाहाबुद्दीन:
श्री अमर राय प्रधान:
श्री चित्त बसु:

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बंगलादेश के प्रधान मंत्री ने हाल ही में भारत का दौरा किया था;

(ख) यदि हां, तो भारतीय नेताओं के साथ उनकी किन-किन द्विपक्षीय विषयों पर बातचीत हुई और उसके क्या परिणाम प्राप्त हुए;

(ग) उसके परिणामस्वरूप सरकार ने क्या अनुवर्ती कार्रवाई की है अथवा करने वाली है;

(घ) क्या वार्ता में बंगलादेश में स्थिति अल्फा प्रशिक्षण केन्द्रों के मुद्दे को भी उठाया गया था; औ

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले?

विदेश मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो): (क) जी हां।

(ख) और (ग) इस यात्रा के दौरान जिन द्विपक्षीय और बहुपक्षीय मसलों पर विचार-विमर्श किया गया उनमें अन्य विषयों के साथ-साथ ये विषय भी शामिल थे—नदी जल बंटवारे से संबद्ध समस्याएं, गैर-कानूनी आप्रवासन, आर्थिक और सांस्कृतिक क्षेत्रों में सहयोग तथा ''नाम'' और ''सार्क'' की भावी भूमिका। दोनों देशों ने पारस्परिक लाभ के लिए द्विपक्षीय और बहुपक्षीय क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाना स्वीकार किया। अलग-अलग मामलों में द्विपक्षीय स्तर पर तथा राजनयिक सूत्रों के माध्यम से आधिकारिक और तकनीकी विचार-विमर्श के जरिए अनुवर्ती कार्यवाही की जा रही है।

(घ) और (ङ) सीमा के आर-पार होने वाली गड़बड़ी की समस्या पर सामान्य रूप से विचार-विमर्श हुआ था तथा दोनों पक्षों ने एक संयुक्त विज्ञप्ति में निहित बयान के माध्यम से यह फैसला किया था कि सीमा पर सभी जगह शांति बनाए रखने के लिए कारगर कदम उठाए जाएंगे तथा अमैत्री की कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी।

मानसून की स्थिति का अध्ययन करने के लिए हिन्द महासागर में विदेशी जहाज

157. **डा॰ लक्ष्मीनारायण पांडेय:**
श्रीमती दीपिका एच॰ टोपीवाला:
श्री दत्तात्रेय बंडारू:

क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि अनेक देशों ने भारत में मानसून की स्थिति का अध्ययन करने के लिए हिन्द महासागर में अपने जहाज तैनात कर रखे हैं;

(ख) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि यदि ये देश भारतीय जलवायु को नियंत्रित कर लेते हैं, तो भारत की अर्थव्यवस्था पर इसका क्या प्रभाव पड़ने की संभावना है; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं/उठाने का विचार है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय और (इलैक्ट्रानिकी तथा महासागर विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम): (क) जी हां।

(ख) भारतीय अर्थव्यवस्था पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है क्योंकि जहाजों को तैनात करके भारतीय जलवायु को नियंत्रित नहीं किया जा सकता।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

कोयला नियंत्रण अधिनियम

158. **श्री साइमन मरान्डी:** क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार कोयला नियंत्रण अधिनियम में संशोधन करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसे कब तक प्रभावी बना दिया जाएगा और उसके परिणामस्वरूप होने वाले लाभ/हानि का ब्यौरा क्या है?

कोयला मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एस॰ बी॰ न्यामगौड): (क) से (ग) इस संबंध में माननीय सदस्य शायद कोलियरी नियंत्रण आदेश के संशोधनों के संबंध में संदर्भ दे रहे हैं। कोयला मंत्रालय ने हाल ही में उक्त कोलियरी नियंत्रण आदेश से संबद्ध तीन आदेश/अधिसूचनाएं जारी की हैं जहां तक कोयला उपयोगकर्ताओं का संबंध है, कोयला प्राप्त करने के लिए प्रक्रिया में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है किन्तु यदि उन्होंने वास्तविक उपभोगकर्ता के रूप में कोयला प्राप्त किया है तो उन्हें कोयले की पुनः बिक्री करने अथवा स्थानान्तरित करने के लिए कोयला नियंत्रक की पूर्व अनुमति प्राप्त करनी पड़ेगी। कोलियरी नियंत्रण आदेश के उपबंधों का उल्लंघन करना आवश्यक वस्तु अधिनियम के अंतर्गत दंडनीय है।

इन अधिसूचनाओं/आदेशों के अंतर्गत, बिना वास्तविक उपभोगकर्ता परिस्थिति में उदारीकृत बिक्री योजना के अंतर्गत बेचा गया कोयला और अकोककर तथा ऐसा कोककर कोयला जोकि धातुकर्मी प्रयोजन के लिए अपेक्षित नहीं है, जिसका उत्पादन असम और मेघालय में किया जाता है, का अभिग्रहण, प्रेषण तथा अंतरण

आदि के संबंध में नियंत्रणों से छूट दी गई है। किन्तु यह छूट कोल इंडिया लि० अथवा इसकी किसी सहायक कंपनी की किसी खान में उत्पादित कोयले पर यद्यपि वे खानें इन दो राज्यों में स्थित हों, लागू नही होगी।

कोयला नियंत्रक भारत सरकार को कोयले का आबंटन किए जाने के लिए सक्षम प्राधिकारी बनाया गया है। किन्तु यदि आवंटन नहीं किए गए हैं अथवा प्राप्त हुए हैं अथवा किए गए आवंटन समाप्त हो गए है, अथवा कोयले की आर्पूत लंबित आवंटनों के एवज़ में नहीं की जा सकती है तो आवंटन प्राप्त होने तक, कोयले का वितरण किए जाने की शक्ति कोलियरी स्वामी में अथवा उसके द्वारा इस संबंध में लिखित रूप में प्राधिकृत किसी अधिकारी में निहित रहेगी। इस तरह से वितरित किए गए कोयले को कोलियरी नियंत्रण आदेश के अंतर्गत विनिर्दिष्ट प्रयोजन के लिए व्यक्तियों की श्रेणी अथवा संबद्ध व्यक्तियों को बाद में किये गए आवंटनों के एवज में समाहित किया जाएगा। इस संबंध में संपूर्ण पद्धति 1.7.1992 से प्रभावी हो गई है। ग्रहीत उपभोग के लिए निजी कोयला खानों में उत्पादित कोयले को आवंटन की इस प्रक्रिया से छूट दी गई है।

दिल्ली प्रशासन के निरीक्षकों के विरूद्ध शिकायतें

159. **श्री गोविन्द चन्द्र मुन्डा:** क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान दिल्ली प्रशासन के खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग के निरीक्षकों के विरुद्ध कितनी शिकायतें प्राप्त हुई;

(ख) प्रत्येक शिकायत का ब्यौरा क्या है और कितनी शिकायतों पर कार्यवाही की गई है या की जानी है;

(ग) लम्बित मामलों को कब तक निपटाए जाने की संभावना है;

(घ) क्या सरकार का विचार मामलों की जांच करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो कब तक और इसके क्या कारण है?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद): (क) दिल्ली प्रशासन ने सूचित किया है कि 116 शिकायतें प्राप्त हुई हैं।

(ख) से (ङ) ये शिकायतें गैर-कानूनी अनुतोष की मांग (47), परेशान करने (28) तथा विभागीय अनुदेशों का उल्लंघन (41) से संबंधित हैं। जांच करने पर 62 शिकायतों की पुष्टि नहीं हुई। 14 मामलों में अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू की गई है तथा 40 मामलों की इस समय जांच की जा रही है। दिल्ली प्रशासन द्वारा जांच के आधार पर प्रत्येक मामले में उपयुक्त कार्यवाही की जाती है।

[अनुवाद]

चालू वार्षिक योजना का आकार

160. **श्री आर० सुरेन्द्र रेड्डी: क्या योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन** राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या योजना आयोग ने चालू वार्षिक योजना के आकार में नाम मात्र की शर्तों पर 10 प्रतिशत की वृद्धि करने की परियोजना बनाई है;

(ख) यदि हां, तो चालू वित्त वर्ष के लिए केन्द्रीय क्षेत्र और राज्य क्षेत्र में कितना-कितना परिव्यय किया जाएगा;

(ग) क्या आठवीं योजना अवधि में सरकारी क्षेत्र में पूंजी निवेश में 10 प्रतिशत वृद्धि करने संबंधी आयोग के सुझाव को स्वीकार कर लिया गया है;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस संबंध में योजना आयोग की सभी सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

योजना एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री(श्री सुख राम): (क) जी, नहीं।

(ख) 1992-93

	(करोड़ रु०)
केन्द्र	48407.08
राज्य	31074.23
सं. रा. क्षेत्र	1290.65
कुल जोड़	80771.96

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों की रिक्तियों का बकाया

161. **श्री मुकुल बालकृष्ण वासनिक:** क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नई दिल्ली में 4 और 5 अक्तूबर, 1991 को हुए मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन में सेवाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की रिक्तियों के बकाया को 31 मार्च, 1992 तक भरने का निर्णय किया गया था;

(ख) यदि हां, तो अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की बकाया रिक्तियों को भरने के लिए अक्तूबर, 1991 से मार्च, 1992 की अवधि के बीच कितनी रिक्तियां भरी गयीं; और

(ग) केन्द्रीय सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों और निगमों में अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों की रिक्तियों के बकाया की अद्यतन स्थिति क्या है?

कार्मिक लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मार्गरेट अल्वा): (क) मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन में यह निर्णय किया गया कि अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के आरक्षित पदों पर न भरी गई रिक्तियों का कोटा शीघ्र तथा 31 मार्च, 1992 तक हर हालत में भरा जाना चाहिए।

(ख) केन्द्रीय सरकार के मंत्रालयों/विभागों में 31-3-91 की स्थिति के अनुसार अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित बकाया रिक्तियों को भरने के लिये एक विशेष भर्ती अभियान चलाया गया था। प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार केन्द्रीय सरकार के मंत्रालय/विभागों में अनुसूचित जाति के 5326 उम्मीदवारों को अनुसूचित जनजाति के 3945 उम्मीदवारों को नियुक्ति प्रस्ताव भेजे जा चुके हैं। इसी प्रकार सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, बैंकों, बीमा निगमों में 8960 उम्मीदवारों को नियुक्ति प्रस्ताव भेजे जा चुके हैं।

(ग) अभियान के तहत अभिज्ञात शेष रिक्तियां जो अभी मंत्रालयों/विभागों में भरी नहीं गई हैं, वे अनुसूचित जाति के मामले में 3908 तथा अनुसूचित जनजाति के मामले में 6862 हैं। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, बैंकों तथा बीमा निगमों के मामले में न भरी गई बकाया रिक्तियां 6235 हैं।

[हिन्दी]

उड़ीसा में बंद पड़े औद्योगिक एकक

162. **श्री श्रीकांत जेना:** क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) उड़ीसा में बंद पड़े औद्योगिक एककों के नाम क्या हैं और ये कहां-कहां स्थित हैं;

(ख) ये एकक कब से बंद हैं और इनके बंद होने के क्या कारण हैं;

(ग) इन औद्योगिक एककों को पुनः चालू करने हेतु क्या प्रयास किये गये हैं और इन प्रयासों के अभी तक क्या परिणाम प्राप्त हुए हैं;

(घ) इन एककों के कब तक चालू होने की संभावना है; और

(ङ) इन एककों के बंद होने से कितने कर्मचारी एवम् श्रमिक बेरोजगार हो गये?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही): (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार, उड़ीसा राज्य में सितम्बर 1990 के अंत तक लघु उद्योग क्षेत्र में 6,505 एकक तथा गैर-लघु उद्योग क्षेत्र में 33 एकक रुग्ण थे। सूचना मिली है कि सितम्बर 1990 के अंत तक गैर-लघु क्षेत्र में 13 रुग्ण/कमजोर एकक बंद हो गये थे।

जैसा कि बैंकों ने बताया है बंद होने के प्रमुख कारण वित्तीय समस्याएं, तकनीकी समस्याएं, श्रमिक समस्याएं, कच्चे माल की अनुपलब्धता और बिजली की कमी आदि थे।

(ग) लघु उद्योग क्षेत्र के 6505 रुग्ण एककों में से 274 एकक जीव्यक्षम और 6145 एकक अजीव्य पाए गए थे। बाकी 86 एककों की जीव्यता के बारे में अभी निर्णय होना है। लघु उद्योग क्षेत्र के 274 जीव्यक्षम रुग्ण एककों में से सितम्बर 1990 के अंत तक 227 एककों की परिचर्या का कार्यक्रम आरंभ कर दिया गया

था। गैर-लघु उद्योग क्षेत्र के 13 रुग्ण/कमजोर बंद एककों में से 4 एकक जीव्य माने गये थे। गैर लघु उद्योग क्षेत्र के एक कमजोर एकक हेतु परिचर्या कार्यक्रम आरंभ कर दिया गया है।

(घ) यह समय सीमा बता पाना असंभव है जिसके भीतर जीव्य एकक को पुनः चालू किया जा सकता है।

(ङ) केन्द्र द्वारा ऐसे आंकड़े नहीं रखे जाते।

समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम

163. **श्री काशीराम राणा:** क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत गुजरात सरकार को वर्ष 1991-92 में कितनी धनराशि का आवंटन किया गया और इसमें से कितनी धनराशि का उपयोग किया गया है;

(ख) क्या गुजरात में उक्त योजना में बैंकों की भूमिका और उनके कार्यों की समीक्षा की गई है; और

(ग) गुजरात को पूरी वित्तीय सहायता जारी न किये जाने के क्या कारण हैं?

ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री उत्तमभाई एच० पटेल): (क) समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अंतर्गत गुजरात सरकार को वर्ष 1991-92 के दौरान कुल 2132.11 लाख रुपये की धनराशि आवंटित की गई थी जिसके मुकाबले राज्य द्वारा 2770.44 लाख रुपये का उपयोग किया गया था।

(ख) इस कार्यक्रम के लिए ऋण का वितरण करने में बैंकों की भूमिका और उनके कार्यों की गुजरात सहित सभी राज्यों में केन्द्रीय स्तर पर ऋण संबंधी उच्चस्तरीय समिति राज्य स्तरीय बैंकर समिति, जिला स्तरीय परामर्शदात्री समिति, खण्ड स्तरीय परामर्शदात्री समिति तथा खण्ड स्तरीय बैंकर समिति द्वारा निरंतर समीक्षा की जाती है।

(ग) वास्तव में, गुजरात को 1991-92 में दी गई कुल 2395.59 लाख रुपये की वित्तीय सहायता राज्य को किए गए 2132.11 लाख रुपये के आवंटन से अधिक थी।

[अनुवाद]

रूस के उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल का दौरा

164. **श्री अन्ना जोशी:** क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रूस के किसी उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल ने मई, 1992 के दूसरे सप्ताह में भारत का दौरा किया था;

(ख) यदि हां, तो भारतीय नेताओं के साथ उनकी किन-किन द्विपक्षीय और बहुपक्षीय विषयों पर वार्ता हुई और उसके क्या परिणाम निकले;

(ग) क्या इस दौरे के दौरान दोनों देशों के बीच कोई समझौता हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो): (क) रूसी महासंघ के विदेश मंत्री डा० जी०

ई० बरबुलिस के नेतृत्व में एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल ने 3-6 मई, 1992 तक भारत की आधिकारिक यात्रा की थी।

(ख) बरबुलिस ने राष्ट्रपति, उप राष्ट्रपति और प्रधान मंत्री से मुलाकात की तथा उन्होंने वित्त मंत्री, रक्षा मंत्री, और विदेश, वाणिज्य, विद्युत एवं ऊर्जा तथा अंतरिक्ष विभाग के राज्य मंत्रियों के साथ विचार-विमर्श किया। यह बातचीत द्विपक्षीय और बहुपक्षीय दोनों ही प्रकार के मसलों पर हुई और उपयोगी रही। कई नजरियों से यह यात्रा राष्ट्रपति येल्तसिन की भारत यात्रा की तैयारी के सिलसिले में थी जो इस वर्ष बाद में होने वाली है।

(ग) और (घ) इस यात्रा के अन्त में निम्नलिखित दो करारों पर हस्ताक्षर किए गए:

(1) व्यापारिक, आर्थिक, वैज्ञानिक एवं प्रौद्योगिक सहयोग संबंधी एक अन्तर-सरकारी आयोग की स्थापना के बारे में; और (2) व्यापारिक एवं आर्थिक सहयोग के बारे में।

श्रीलंका के शरणार्थियों को वापस भेजना

165. **श्री ललित उरांव:** क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) श्रीलंका के कितने शरणार्थियों को अभी तक वापस उनके देश भेजा गया है; और

(ख) चालू वर्ष के दौरान कितने शरणार्थियों को उनके देश वापस भेजने का विचार है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो): (क) और (ख) भारत में रहने वाले श्रीलंका के सभी शरणार्थियों को देश प्रत्यावर्तित करने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है, लेकिन इसका आधार यह होगा कि वे वापस जाने के लिए तत्पर हों तथा उन्हें श्रीलंका की सरकार की ओर से उनकी हिफाजत, सुरक्षा और उनके पुनर्वास का समुचित आश्वासन मिले। 20 जनवरी से 15 मई, 1992 के बीच समुद्री तथा हवाई मार्ग से कुल मिलाकर 23,125 शरणार्थी प्रत्यावर्तित किए गए। मौसम जैसे ही ठीक होगा, प्रत्यावर्तन की यह प्रक्रिया पुनः शुरू हो जाएगी। मौजूदा वर्ष में कितने शरणार्थी प्रत्यावर्तित किए जाएंगे यह इस बात पर निर्भर करेगा कि वे स्वदेश लौटने को तत्पर हों जैसा कि इस तरह के मामलों में अन्तर्राष्ट्रीय मानदण्डों के अन्तर्गत अपेक्षित है।

जवाहर रोजगार योजना के कार्यान्वयन में अनियमिततायें

166. **श्री उद्धव बर्मन:**
श्री हरिकेवल प्रसाद:
श्री मृत्युंजय नायक:
श्री बी०एन० रेड्डी:

क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को असम, आंध्र प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश और कुछ अन्य राज्यों में जवाहर रोजगार योजना कोष का दुर्विनियोग करने अथवा अन्य कार्यों पर इसे व्यय करने के बारे में शिकायतें प्राप्त हुई है;

(ख) यदि हां, तो राज्य-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस मामले को कोई जांच की गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या उपचारात्मक कार्यवाही की गई; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री जी० वेंकटस्वामी): (क) और (ख) 1991-92 की अवधि के दौरान मंत्रालय में जवाहर रोजगार योजना की निधियों के दुर्विनियोग/दुरुपयोग के बारे में लगभग 47 शिकायतें प्राप्त हुई थी। इन प्राप्त हुई शिकायतों की राज्यवार संख्या विवरण-1 में दी गई है।

(ग) और (घ) जब भी निधियों के दुरुपयोग/दुर्विनियोग अथवा कार्यक्रम के कार्यान्वयन में अनियमितताओं के बारे में शिकायतें प्राप्त होती हैं, उन्हें जांच तथा उपयुक्त कार्रवाई हेतु संबंधित राज्य सरकार को भेज दिया जाता है। ऐसे नमूना मामले जिनके बारे में राज्य-सरकारों द्वारा कार्रवाई की गई है और उनकी सूचना ग्रामीण विकास मंत्रालय को भेजी गई है, वे विवरण-2 में दर्शाए गए हैं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण-1

क्र०सं०	राज्य/संघ शासित क्षेत्र का नाम	प्राप्त हुई रिपोर्टों की संख्या
1.	आन्ध्र प्रदेश	2
2.	अरुणाचल प्रदेश	1
3.	बिहार	17
4.	महाराष्ट्र	1
5.	मध्य प्रदेश	3
6.	उड़ीसा	3
7.	पंजाब	1
8.	तमिलनाडु	7
9.	उत्तर प्रदेश	12
	योग :	47

विवरण—2

श्री भवानी लाल वर्मा ने अपनी शिकायत में यह उल्लेख किया कि मध्य प्रदेश के बिलासपुर जिले में जवाहर रोजगार योजना की निधियों का उपयोग शहरी क्षेत्रों में किया गया है, जो कार्यक्रम की परिधि से बाहर है। जवाहर रोजगार योजना की निधियों का शहरी क्षेत्रों में प्रत्यावर्तन किए जाने की शिकायत मध्य प्रदेश सरकार को जांच और रिपोर्ट हेतु भेज दी गई है।

मध्य प्रदेश सरकार ने सूचित किया है कि शहरी क्षेत्रों को प्रत्यावर्तित 48.60 लाख रुपए की

आरोपित राशि में से केवल 5.06 लाख रुपए की राशि का प्रत्यावर्तन का मामला सही पाया गया है। राज्य सरकार द्वारा यह राशि जवाहर रोजगार योजना को वापिस लौटाने का आदेश दिया गया है।

श्री एस॰ सी॰ यादव, संसद सदस्य द्वारा मध्य प्रदेश के खरगांव जिले में दस लाख कुओं की योजना की निधियों के दुरुपयोग के बारे में की गई शिकायत की राज्य सरकार-द्वारा जांच की गई और यह सूचित किया गया कि जांच के दौरान इन्दिरा आवास योजना और दस लाख कुओं की योजना के कार्यान्वयन में अनियमितताएं पाई गई थीं इन अनियमितताओं के लिए कुछेक अधिकारियों को जिम्मेदार पाया गया और उनके विरूद्ध विभागीय कार्रवाई की जा रही है। राज्य सरकार ने यह भी सुनिश्चित किया है कि जब भी इस प्रकार का मामला उनके ध्यान में आएगा, तत्काल उपचारी कार्रवाई की जाएगी।

उड़ीसा सरकार ने सूचित किया है कि जाजपुर संसदीय चुनाव क्षेत्र में 58 ग्राम पंचायतों में जवाहर रोजगार योजना की निधियों के दुर्विनियोग / दुरुपयोग के संबंध में 19 लोक याचिकाएं प्राप्त हुई थीं। 56 ग्राम पंचायतों के वर्ष 1989-90 से संबंधित वार्षिक खातों की पहले ही लेखा-परीक्षा की गई है। लेखा परीक्षा रिपोर्ट में अधिकतर सरपंचों, प्रभारी सरपंचों और संबंधित ग्राम पंचायतों के सचिवों द्वारा ग्राम पंचायतों की 11,15,412.35 रुपए तक निधियों के दुर्विनियोग / दुरुपयोग किए जाने का पता चला है। 2,71,578.08 रुपए के संबंध में 9 लेखा परीक्षा रिपोर्टों के मामले में पहले ही अधिशुल्क लेने की कार्रवाई आरंभ कर दी गई है और 8,43,834.27 रुपए से संबंधित 47 लेखा परीक्षा रिपोर्टों के संबंध में संबंधित लोगों को कारण बताओ नोटिस जारी कर दिए गए हैं।

ग्राम पंचायत की 2,37,777.15 रुपए की निधियों के दुरुपयोग के लिए जिम्मेदार पाए गए 12 दोषी व्यक्तियों के विरूद्ध आपराधिक मामले दायर कर दिए गए हैं। पुलिस अधिकारियों से उनके विरूद्ध तत्काल कार्रवाई करने का अनुरोध किया गया है।

महाराष्ट्र द्वारा भेजी गई परियोजनायें

168. **श्री विलासराव नागनाथराव गूंडेवार:** क्या **योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या महाराष्ट्र सरकार ने आठवीं पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित करने हेतु कोई परियोजनायें / योजनायें भेजी हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) विश्व बैंक की सहायता से किन-किन परियोजनाओं / योजनाओं को अलग करने का विचार है?

योजना एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुखराम): (क) जी, हां।

(ख) आठवीं पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित किए जाने के लिए महाराष्ट्र सरकार द्वारा प्रस्तुत परियोजनाओं / स्कीमों के ब्यौरे राज्य के आठवीं योजना प्रारूप दस्तावेज (भाग-2) में पृष्ठ 2-323 पर विवरण सामान्य 2 में दिए गए हैं।

(ग) आठवीं योजना हेतु प्रस्तावित महाराष्ट्र में विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाओं के ब्यौरे राज्य के आठवीं योजना प्रारूप दस्तावेज (भाग-2) में पृष्ठ 476—497 पर विवरण ईएपी-1 में दिए गए हैं।

ग्रामीण विकास को राज्य सूची में शामिल करना

169. **श्री धर्मण्णा मोंडय्या सादुलः** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार ग्रामीण विकास को समवर्ती सूची से हटा कर राज्य सूची में शामिल करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार का विचार इस मामले पर शीघ्र ही राज्य सरकारों से विचार-विमर्श करने का है; और

(घ) यदि हां, तो कब?

ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री उत्तमभाई एच० पटेल): (क) से (घ) "ग्रामीण विकास" विषय भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची की समवर्ती सूची में शामिल नहीं है। अतः इस विषय को समवर्ती सूची से हटा कर राज्य सूची में हस्तान्तरित करने का प्रश्न नहीं उठता है।

[हिन्दी]

मध्य प्रदेश की विकास दर

170. **श्री महेन्द्र कुमार सिंह ठाकुरः** क्या **योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मध्य प्रदेश की विकास दर किसी अन्य राज्य से कम है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) गत तीन वित्तीय वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान राज्यों की समेकित विकास दर, राज्यवार दर क्या रही; और

(घ) मध्य प्रदेश की विकास दर बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

योजना एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुखराम): (क) से (ग) एक विवरण संलग्न है जिसमें वर्ष 1987-88, 1988-89 और 1989-90 के लिए स्थिर कीमतों पर नेट राज्य घरेलू उत्पाद की राज्यवार वार्षिक वृद्धि दरें दी गई हैं। राज्यों में वृद्धि की दरें विभिन्न कारणों से अलग-अलग हैं। जिनमें से कुछ हैं आधारभूत संरचना, उद्योग और उद्यमों का ऐतिहासिक रूप से असंतुलित विकास, और प्रतिवर्ष वर्षा होने की भिन्नता और इसके परिणामस्वरूप सूखा और बाढ़।

(घ) मध्य प्रदेश सरकार विकास दर बढ़ाने के लिए विकास योजनाएं लागू कर रही है। इन योजनाओं में कृषि, उद्योग, आधारभूत संरचना, सिंचाई, ग्रामीण विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि के विकास के लिए निदेश शामिल हैं। इसके अतिरिक्त गरीब लोगों के लिए प्रत्यक्ष रोजगार और आय जुटाने के लिए कुछ कार्यक्रम भी चालू किए जा रहे हैं। ऐसे विकास कार्यक्रमों को आठवीं पंचवर्षीय योजना (1992-97) के दौरान दुबारा लागू किया जाएगा। मध्य प्रदेश की आठवीं पंचवर्षीय योजना के लिए अनुमोदित परिव्यय रु० 11,100 करोड़ है।

विवरण

पिछले वर्षों के दौरान स्थिर कीमतों पर नेट राज्य घरेलू उत्पाद में प्रतिशत परिवर्तन

क्र० सं०	राज्य/केन्द्रशासित प्रदेश	1987-88	1988-89 (अनंतिम)	1989-90 (शीघ्र प्राक्कलन)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	आंध्र प्रदेश	9.19	17.25	2.91
2.	अरुणाचल प्रदेश	5.52	6.71	0.56
3.	असम	5.50	2.02	11.31
4.	बिहार	-6.10	11.49	-0.42
5.	गोवा	6.45	.21.7	2.62
6.	गुजरात	-11.88	43.16	1.70
7.	हरियाणा	-2.07	24.34	0.72
8.	हिमाचल प्रदेश	0.21	8.50	10.81
9.	जम्मू व कश्मीर*	-12.62	17.02	—
10.	कर्नाटक	7.40	7.94	5.85
11.	केरल	3.94	8.95	5.23
12.	मध्य प्रदेश*	15.90	9.34	0.99

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
13.	महाराष्ट्र	6.91	10.22	13.75
14.	मणिपुर	5.98	5.25	0.20
15.	मेघालय	9.05	4.21	8.00
16.	नागालैंड	10.77	9.72	9.76
17.	उड़ीसा	-1.44	14.95	7.53
18.	पंजाब	5.05	5.15	7.70
19.	राजस्थान	-6.93	38.57	-3.10
20.	सिक्किम	20.63	—	—
21.	तमिलनाडु	5.34	5.23	-0.01
22.	त्रिपुरा	5.35	6.41	7.30
23.	उत्तर प्रदेश	3.78	10.47	2.86
24.	पश्चिम बंगाल	3.08	4.39	4.82
25.	अंडमान-निकोबार द्वीप समूह	6.36	9.12	0.13
26.	दिल्ली	8.96	8.75	8.60
27.	पांडिचेरी	4.74	0.70	2.04

— : संबंधित राज्य सरकारों द्वारा उपलब्ध नहीं कराया गया।

नोट : मध्य प्रदेश जो (1970-71) की स्थिर कीमतों पर है के अतिरिक्त सभी राज्यों के लिए स्थिर कीमतों (1980-81) पर नेट राज्य घरेलू उत्पाद के प्राक्कलन से वृद्धि दरें निकाली जाती हैं। मध्य प्रदेश के प्राक्कलनों की अन्य राज्यों से कड़े रूप से तुलना नहीं की जा सकती।

[अनुवाद]

समन्वित आधारभूत योजनाओं के लिए परियोजना

171. श्री एम॰ वी॰ वी॰ एस॰ मूर्ति: क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आठवीं पंचवर्षीय योजना में पिछड़े जिलों में समन्वित आधारभूत योजनाओं के लिए एक परियोजना बनाने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस कार्य के लिए कितना धन नियत किया गया है;

(ग) क्या आंध्र प्रदेश में ऐसा कोई जिला चुना गया है;

(घ) या आंध्र प्रदेश में कोई विकास केन्द्र है जिसके दायरे में यह योजना नहीं आती; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उद्योग मंत्रालय (लघु उद्योग तथा कृषि एवं ग्रामीण उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (प्रो॰ पी॰ जे॰ कुरियन): (क) से (ङ) लघु, अति लघु तथा ग्राम्य उपक्रमों को प्रोत्साहन देने तथा उन्हें सुदृढ़ बनाने के लिए 6 अगस्त, 1991 को घोषित नीति संबंधी उपायों के अनुसरण में ग्रामीण तथा पिछड़े क्षेत्रों में लघु उद्योगों हेतु एक समन्वित आधारभूत योजना का मसौदा (प्रौद्योगिकी सहायता सेवाओं सहित) तैयार किया गया है तथा इसे आठवीं पंचवर्षीय योजना (1992—97) प्रस्तावों में शामिल किया गया है। योजना के मसौदे का केन्द्र तथा राज्य/संघ शासित क्षेत्र सरकारों में संबंधित प्राधिकारियों से परामर्श करके अंतिम रूप दिया जा रहा है।

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश में पेट्रोकेमिकल्स परियोजनायें

172. **डा॰ लाल बहादुर रावल:** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) उत्तर प्रदेश में इस समय चल रही पेट्रोकेमिकल्स परियोजनाओं की कुल संख्या कितनी है;

(ख) इस समय निर्माणाधीन अथवा निर्माण के लिये प्रस्तावित परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ग) उपर्युक्त परियोजनाओं के कब तक पूरा होने की संभावना है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा॰ चिन्ता मोहन): (क) और (ख) भारत में पेट्रो-रसायन उद्योग जिनमें उत्तर प्रदेश स्थित पेट्रो-रसायन उद्योग भी शामिल है, संगठित क्षेत्र और लघु/छोटे क्षेत्रों में फैला हुआ है। ऐसे एककों की संख्या अधिक है। इसके अलावा पेट्रो-रसायन उद्योग अब कुल मिला कर लाइसेंस मुक्त कर दिया गया है। कार्यरत ऐसे सभी एककों के आंकड़े संकलित नहीं किए जाते हैं। किन्तु इस समय निर्माणाधीन प्रमुख परियोजनाओं से संबंधित जानकारी संलग्न विवरण में दी जाती है।

(ग) पेट्रो-रसायन परियोजनाओं के पनपने की अवधि सामान्यतः 2 से 5 वर्षों तक होती है।

विवरण

परियोजना को कार्यान्वित करने वाली कंपनी का नाम	विनिर्माण की वस्तु	स्थापना स्थल
1. गैस अथारिटी ऑफ इंडिया लि॰	इथाइलीन, प्रोपिलीन और डाउनस्ट्रीम उत्पादों के विनिर्माण के लिए क्रैकर परियोजना	औरैया, उत्तर प्रदेश
2. प्रोलीप्रोपिलीन इंडिया लि॰	प्रोलीप्रोपिलीन	कोसीकलां, उत्तर प्रदेश
3. केबल कम्पाउंड्स इंडिया लि॰	क्रॉस लिंकेबल पालीइथाइलीन (एक्सएलपीई)	गजरौला, उत्तर प्रदेश
4. मे॰जे॰के॰ पेट्रोकेमिकल्स लि॰	बेंजीन, टीपीए, पीटीए	सलीमपुर

5. यूपीएसआईडीसी के पास उत्तर प्रदेश के बिना उद्योग वाले जिले में 20,000 टन प्रति वर्ष एक्रीलिक फाइबर के विनिर्माण के लिए आशय पत्र है। कंपनी ने पूंजीगत वस्तुओं और विदेशी सहयोग की मंजूरी ले ली है। परन्तु कार्यान्वयन अभी प्रारम्भ होना है।

[अनुवाद]

पंजाब में केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा दर्ज किए गए मामले

173. **श्री कमल चौधरी:** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान वर्ष-वार केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा पंजाब से संबंधित कितने मामले दर्ज किए गए; और

(ख) 31 मार्च, 1992 को ऐसे कितने मामले लम्बित पड़े थे?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मार्गरेट अल्वा): (क) गत तीन वर्षों के दौरान केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा दर्ज पंजाब से संबंधित मामलों की संख्या निम्न प्रकार है:—

1989	13
1990	12
1991	18
1992	5
(31.3.92 तक	48

(ख) 31.3.92 की स्थिति के अनुसार 23 मामलों की जांच लंबित है।

सरकारी उपक्रमों के प्रति नीतिगत मौलिक दृष्टिकोण

174. **श्री चित्त बसु:** क्या **योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आठवीं पंचवर्षीय योजना के सरकारी उपक्रमों के प्रति क्या नीतिगत मौलिक दृष्टिकोण अपनाया गया है;

(ख) इस योजनावधि में रोजगार की सम्भावनाएं क्या हैं; और

(ग) उक्त योजनावधि के दौरान कितना विदेशी निवेश होने का अनुमान है?

योजना एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुखराम): (क) सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के प्रति मूल नीति दृष्टिकोण जैसाकि राष्ट्रीय विकास परिषद् द्वारा अनुमोदित आठवीं पंचवर्षीय योजना दस्तावेज में निहित है, में यह निर्धारित किया गया है कि सार्वजनिक क्षेत्र को केवल उन क्षेत्रों में ही निवेश करना चाहिए जहां निवेश कुल मिलाकर संवृद्धि और विकास को बढ़ाने के लिए आवश्यक आधार संरचनात्मक प्रकृति का हो। इसे उन क्षेत्रों में अंतर्ग्रस्त किया जाना चाहिए जहां निवेश देश के आधारभूत संसाधनों जैसे भूमि, वन, जल तथा पारिस्थितिकी, विज्ञान और प्रौद्योगिकी की सुरक्षा और सुदृढ़ता के लिए आवश्यक हो। सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों को पुनर्संरचित और पुनर्जीवित किया जाना चाहिए ताकि वे कार्यकुशल और अधिशेष सृजन करने वाली इकाइयां बन सकें। बजट सहायता पर उनकी निर्भरता को, सामाजिक क्षेत्रों में अधिक बजट सहायता उपलब्ध कराकर, कम किया जाना चाहिए।

(ख) आठवीं योजना में सार्वजनिक क्षेत्र और गैर-सरकारी क्षेत्र में परिकल्पित विकास से प्रति वर्ष औसतन लगभग 80-90 लाख व्यक्तियों को अतिरिक्त रोजगार अवसर जुटाए जाने की आशा है।

(ग) आठवीं योजना के दौरान विदेशों से निवल संसाधन प्रवाह 1991-92 की कीमतों पर 21,300 करोड़ रु० की अन्य पूँजीगत प्राप्तियों सहित 55,000 करोड़ रु० होने का अनुमान है, जिसमें एक महत्वपूर्ण हिस्सा सीधा विदेशी निवेश का होगा।

डा० सतीश चन्द्र समिति की सिफारिशें

175. **श्री राम नरेश सिंह:** क्या प्रधान मंत्री 7 अगस्त, 1991 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1968 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने डा० सतीश चन्द्र समिति की सिफारिशों पर कोई निर्णय कर लिया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मार्गरेट अल्वा): (क) जी, हां।

(ख) सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

प्रोफेसर सतीश चन्द्र समिति की रिपोर्ट में की गई मुख्य सिफारिशों का सारांश तथा उन पर सरकार का निर्णय

क्रम सं०	सिफारिश का सारांश	सरकार का निर्णय
1.	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के ऐसे उम्मीदवार जो आयु छूट का लाभ तथा परीक्षा अवसरों से संबंधित छूट का लाभ उठाये बिना ही सामान्य योग्यता सूची में आ जाते हैं उन्हें सामान्य उम्मीदवारों के रूप में समझा जाना चाहिए और आरक्षण कोटे में नहीं रखना चाहिए।	सरकार ने सिफारिश स्वीकार कर ली है।
2.	समूह 'क' और समूह 'ख' की कुछ सेवाओं को सिविल सेवा परीक्षा से अलग कर दिया जाना चाहिए।	सरकार ने सिफारिश स्वीकार नहीं की और यथा स्थिति बनाए रखने का निर्णय लिया है।
3.	डाक्टरों और इंजीनियरों को सिविल सेवा परीक्षा में बैठने के लिए पात्र बने रहने देना चाहिए।	सरकार ने सिफारिश स्वीकार कर ली है।

क्रम सं॰	सिफारिश का सारांश	सरकार का निर्णय
4.	मुख्य परीक्षा में 200 अंकों का एक निबन्ध प्रश्न पत्र शुरू किया जाना चाहिए। उम्मीदवारों को यह अनुमति दी जा सकती है कि वे इस प्रश्न पत्र का अंग्रेजी अथवा संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भारतीय भाषाओं में से किसी एक भाषा में उत्तर दें।	सरकार ने सिफारिश स्वीकार कर ली है।
5.	मुख्य परीक्षा के पाठ्यक्रम में से निम्नलिखित वैकल्पिक विषयों को समाप्त कर दिया जाना चाहिए: फ्रेंच जर्मन रूसी तथा चीनी	सरकार ने सिफारिश स्वीकार कर ली है।

टेनरी एण्ड फुटवीयर कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड के उत्पादन का मूल्य

176. **श्री वी॰ श्रीनिवास प्रसाद:** क्या प्रधान मंत्री 1 अप्रैल, 1992 के अतारांकित प्रश्न सं॰ 5618 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) लेखा रखने के उस सिद्धांत (अकाउंटिंग प्रिंसिपल) का ब्यौरा क्या है जिसके आधार पर 884.33 लाख रुपये मूल्य के कुल उत्पादन में से 355.28 लाख रुपये मूल्य के उत्पादन को आन्तरिक खपत के नाम पर कम किया गया है जैसा कि भाग (क) और (ख) के उत्तर में उल्लिखित विवरण में दिखाया गया है;

(ग) पर्याप्त रक्षा क्रयादेश प्राप्त करने, पुरानी मशीनरी को बदलने, उत्पादकता को बढ़ाने के लिए कम्पनी द्वारा क्या प्रयास किये गये हैं और अगले तीन या चार वर्षों में बिक्री के सम्बन्ध में अपनाई जाने वाली योजना का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उत्पादकता की दर बढ़ाने के लिये कामगारों को पर्याप्त कच्चा माल और आदान उपलब्ध नहीं कराये जाते हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य और ब्यौरा क्या है तथा कार्यनिष्पादन में सुधार लाने के लिये क्या कदम उठाये जायेंगे?

उद्योग मंत्रालय (भारी उद्योग विभाग एवं सार्वजनिक उद्यम विभाग) में राज्य मंत्री (श्री पी॰ के॰ थुंगन): (क) आंतरिक खपत के रूप में उल्लिखित 355.28 लाख रुपये की राशि बार्क लेदर, क्रोम

लेदर इत्यादि का मूल्य है जिन्हें फुटवियर के उत्पादन में अंतर्वस्तु के रूप में पुनः उपयोग में लाया जाता है। चूंकि फुटवियर के कुल उत्पादन मूल्य अर्थात् 474.06 लाख रुपये में इन अर्द्धनिर्मित उत्पादों की लागत भी शामिल है, अतः निवल उत्पादन मूल्य निकालते समय इनका मूल्य (जो 355.28 लाख रुपये है) सकल उत्पादन से घटा दिया गया है।

(ख) रक्षा मंत्रालय से अनुरोध किया गया है कि वे फुटवियर की अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु टैपको की उत्पादन क्षमता का उपयोग करने पर विचार करें। मशीनरी के प्रतिस्थापन/आधुनिकीकरण हेतु मोल्डस् आदि की खरीद के लिए वर्ष 1991-92 के दौरान कारपोरेशन को 45 लाख रुपये की योजना निधियां जारी की गई थीं। कम्पनी अपनी क्रयादेश स्थिति और संपूर्ण निष्पादन में सुधार के प्रयास करती रही है।

(ग) और (घ) पिछले अनेक वर्षों में टैपको को लगातार घाटा होता रहा है। कम्पनी के पास पर्याप्त आदेशों की कमी और कम्पनी की रूग्णता को देखते हुए, इस समय प्रति कामगार कच्चे माल और अन्य अंतर्वस्तुओं की आपूर्ति इष्टतम स्तर तक नहीं है।

चाय बागान श्रमिकों का शोषण

177. **श्रीमती दिल कुमारी भंडारी:** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दार्जिलिंग में कितने बागान हैं और इनमें कितने व्यक्तियों को रोजगार मिला हुआ है;

(ख) क्या सरकार को निजी चाय बागान मालिकों द्वारा श्रमिकों का शोषण करने संबंधी शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस बारे में सरकार ने कौन से उपचारात्मक उपाय किये हैं?

श्रम मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पवन सिंह घटोवार): (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

राज्यों में कोयला भण्डारण बाड़े

178. **श्रीमती बसुन्धरा राजे:** क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेगें कि:

(क) कोयला भण्डारण बाड़े किन-किन राज्यों में स्थापित किए गए हैं;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार का विचार राज्य सरकारों को यह बाड़ा चलाने की अनुमति देने का है;

(ग) यदि हां, तो संबंधित राज्य सरकारों को यह काम कब से सौंपा जाएगा; और

(घ) इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

कोयला मंत्रालय में उपमंत्री (श्री एस॰बी॰ न्यामगौड): (क) कोल इंडिया लि॰ द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना के अनुसार विभिन्न राज्यों में 47 स्टाकयार्ड प्रचालन में हैं। ये स्टाकयार्ड पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, मध्य प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, आन्ध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और संघ शासित क्षेत्र में

स्थित है। इसके अलावा तीन सांकेतिक स्टाकयार्ड हैं जोकि मध्य प्रदेश, गुंजरात और कर्नाटक प्रत्येक राज्य में एक-एक स्टाकयार्ड स्थित है।

(ख) से (घ) वर्तमान स्टाकयार्ड नीति के अनुसार नए कोयला स्टाकयार्डों को स्थापित किए जाने की जिम्मेदारी संबद्ध राज्य सरकार को सौंप दी गई है। अब यह प्रत्येक राज्य सरकार पर निर्भर करता है कि वे कोयले की स्टाकयार्डों की आवश्यकता का मूल्यांकन करें और इस बात का भी निर्णय लें कि राज्य में कब और कितने नए स्टाकयार्ड स्थापित किए जाएं

शेयरों के पूंजीनिवेश कम करने संबंधी कृष्णामूर्ति समिति की रिपोर्ट

179. **श्री एन॰जे॰ राठवा:** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेगें कि:

(क) क्या सरकार को सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के शेयरों के पूंजीनिवेश कम करने के बारे में कृष्णामूर्ति समिति की रिपोर्ट प्राप्त हो गई है;

(ख) यदि नहीं, तो इस रिपोर्ट में क्या सिफारिशें की गई हैं; और

(ग) इस पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है?

उद्योग मंत्रालय (भारी उद्योग विभाग एवं सार्वजनिक उद्यम विभाग) में राज्य मंत्री (श्री पी॰के॰ थुंगन): (क) सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के शेयरों को बेचे जाने के संबंध में कृष्णामूर्ति समिति की रिपोर्ट अब तक सरकार को प्राप्त नहीं हुई है।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

एस्कार्ट्स द्वारा संयुक्त उद्यम लगाना

[अनुवाद]

180. **श्री गुरुदास कामत:** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या एस्कार्ट्स और जर्मनी की एच॰एम॰डब्ल्यू॰ कम्पनी का विचार देश में एक संयुक्त उद्योग परियोजना स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस परियोजना पर कुल कितनी धनराशि खर्च की जाएगी?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही): (क) एस्कार्ट्स और एच॰एम॰वी॰ के बीच संयुक्त उद्यम परियोजना लगाने के बारे में सरकार के पास कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

डिजिटल टेलीविजन

181. **श्री जार्ज फर्नान्डीज:** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत ने विश्व का पहला डिजिटल टेलीविजन तैयार कर लिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या विश्व के इलैक्ट्रानिक समुदाय ने भारत के साथ इसका निर्माण करार करने की स्वीकृति दी है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय (इलेक्ट्रानिकी तथा महासागर विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम): (क) से (ग) जी, नहीं। कुछ अन्तर्राष्ट्रीय कम्पनियों ने अंकीय टी वी एकीकृत परिपथ चिप सेटों पर आधारित विनिर्माण का कार्य पहले ही शुरु कर दिया है। इन एकीकृत परिपथों पर आधारित टी वी रिसीवर भारतीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में पहले ही उपलब्ध है। इलेक्ट्रांनिकी विभाग ने 'अंकीय टी वी रिसीवरों के लिए प्रणाली तथा बड़े पैमाने के एकीकृत परिपथों के डिजाइन' की परियोजना शुरु की है, जिसका कार्यान्वयन देश के अग्रणी शैक्षिक और अनुसंधान तथा विकास संस्थानों में किया जाएगा। इसका उद्देश्य स्वदेशी तथा निर्यात बाजार के लिए अंकीय टी वी रिसीवरों का विनिर्माण स्वदेश में ही करना है।

संवर्धित उपग्रह प्रक्षेपण यान का प्रक्षेपण

182. **श्री डी॰ वेंकटेश्वर राव:** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या संवर्धित उपग्रह प्रक्षेपण यान का प्रक्षेपण जिस उद्देश्य से किया गया था, वह पूर्णरूप से प्राप्त किया जा चुका है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसमें कितनी सफलता मिली है;

(ग) इस पर कितनी लागत आयी; और

(घ) दूसरे उपग्रह का प्रक्षेपण कब तक किये जाने की सम्भावना है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, (इलेक्ट्रानिकी तथा महासागर विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम): (क) जी, हां।

(ख) संवर्धित उपग्रह प्रमोचक राकेट-डी-3 (ए॰एस॰एल॰वी॰ डी-3) की तृतीय विकास उड़ान का मुख्य उद्देश्य निम्न भूकक्षा में 100-150 कि॰ग्रा॰ भार की श्रेणी के उपग्रह को प्रमोचित करने में सक्षम राकेट के कार्य निष्पादन का मूल्यांकन करना तथा विस्तृत रोहिणी उपग्रह श्रृंखला-सी (श्रोस-सी) का उपयोग करते हुए गामा किरण खगोलिकी तथा वायुविज्ञान के क्षेत्र में, मूल अन्तरिक्ष विज्ञान से संबंधित परीक्षण करना है। इस उड़ान ने उन्नत प्रौद्योगिकी जैसे-अंकीय ऑटोपायलट, बंद लूप मार्गदर्शन प्रणाली उड़ान अनुक्रम और चरणबद्धता के संबंध में ऑन-बोर्ड निर्णय लेने वाले तन्त्र, स्ट्रैप-ऑन प्रौद्योगिकी, धात्विक कंदीय ताप-कवच की अर्हता को सफलतापूर्वक सिद्ध किया है। श्रोस-सी उपग्रह में रखे दोनों परीक्षण सन्तोषप्रद रूप में कार्य कर रहे हैं तथा इन्होंने पहले ही प्रचुर वैज्ञानिक आंकड़े प्रदान किए हैं।

(ग) ए०एस०एल०वी०-डी-3 और डी 4 की स्वीकृत लागत 17.98 करोड़ रुपये है। श्रोस-सी उपग्रह परियोजना की लागत 0.93 करोड़ रुपये है।

(घ) ए०एस०एल०वी० उड़ान के अनुभव को ध्रुवीय उपग्रह प्रमोचक राकेट (पी०एस०एल०वी०) मिशन, जो मार्च 1993 में भारतीय सुदूर संवेदन (आई०आर०एस०) श्रेणी के उपग्रह को प्रमोचित करेगा, की सफल प्राप्ति के लिए पूर्णतः प्रयोग में लाया जायेगा।

राज्यों को केन्द्रीय निवेश सहायता

183. **श्री ई० अहमदः** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) केन्द्रीय निवेश सहायता के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रत्येक राज्य को अभी कितनी धनराशि दी जानी बाकी है;

(ख) इस संबंध में वर्ष 1989 से विभिन्न राज्य सरकारों के अनुरोध पर क्या कदम उठाये गए हैं; और

(ग) प्रत्येक राज्य को केन्द्रीय निवेश सहायता के अन्तर्गत दी जाने वाली सम्पूर्ण राशि का भुगतान कब तक किये जाने की संभावना है?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही): (क) से (ग) केन्द्रीय पूंजी निवेश राजसहायता योजना जिसे 30.9.1988 से बंद कर दिया गया था, के तहत 10.5 करोड़ रु० के अतिरिक्त लगभग सभी पात्र दावों की अदायगी कर दी गई है। इनके लिए जब कभी निधियां उपलब्ध होंगी इनकी अदायगी कर दी जायेगी।

भारत में बंगलादेशी

184. **श्री श्रवण कुमार पटेलः**
श्री राजनाथ सोनकर शास्त्रीः
श्री मदन लाल खुरानाः
श्री आनन्द रत्न मौर्यः

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार का ध्यान 28 मई, 1992 के इण्डियन एक्सप्रेस में यथा प्रकाशित बंगलादेशियों की भारत में वापसी संबंधी समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है;

(ख) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या बंगला देश के प्रधान मंत्री के हाल ही के भारत दौरे के दौरान बंगलादेशियों के भारी पैमाने पर भारत में घुसपैठ तथा उन लोगों के स्वदेश-प्रत्यावर्तन और अवैध रूप से सीमा-पार करने संबंधी मुद्दों पर बातचीत की गई थी; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले तथा उस पर सरकार द्वारा क्या अनुवर्ती कार्रवाई की गई है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो): (क) जी हां।

(ख) इस बयान से, जो इस समाचार के अनुसार बंगलादेश के प्रधान मंत्री का बयान है, दोनों देशों के संबद्ध प्राधिकारियों के इस समान दृष्टिकोण पर किसी तरह का प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ा है कि इस समस्या के समाधान के लिए समुचित उपाय किया जाना आवश्यक है।

(ग) और (घ) जी हां। इस अवसर पर जारी की गई संयुक्त विज्ञप्ति में दोनों प्रधान मंत्रियों ने अपना यह संकल्प व्यक्त किया था कि वे जैसे भी होगा सीमा के आर-पार बड़े पैमाने पर होने वाले गैर-कानूनी आप्रवासन को रोकेंगे। इसी के अनुरूप कई उपायों पर अमल करने का विचार किया जा रहा है जिसमें मौजूदा प्रबन्धों को और मजबूत करने तथा अतिरिक्त जांच और नियंत्रण लागू करना भी शामिल है।

ऋण और व्यय में कटौती करने संबंधी नीति

185. **श्री आर० सुरेन्द्र रेड्डी:** क्या योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या योजना आयोग ने आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान विदेशी ऋण और सरकारी फिजूलखर्च में भारी कटौती करने संबंधी कोई नीति तैयार की है जैसा कि दिनांक 14 अक्तूबर, 1991 के "इकानामिक टाइम्स" में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो योजना आयोग द्वारा तैयार की गई उक्त नीति की मुख्य विशेषताएं क्या है; और

(ग) विदेशी ऋण में कितनी कटौती की गई है और सरकारी फिजूलखर्च में कटौती करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

योजना एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुखराम): (क) से (ग) बढ़ती हुई सरकारी गैर-बचतों की हाल की प्रवृत्ति तथा सातवीं योजना में बाह्य ऋणों पर अत्यधिक निर्भरता के अनुभव कुछ महत्वपूर्ण चिंता के कारण हैं जिनको आठवीं पंचवर्षीय योजना में काबू करने की परिकल्पना है। सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान, विदेशों से राशि प्रवाह सकल घरेलू उत्पाद का 2.4 प्रतिशत बैठा था। आठवीं पंचवर्षीय योजना में विदेशों से निवल राशि प्रवाह की मात्रा को सकल घरेलू उत्पाद के 1.6 प्रतिशत तक रखने का लक्ष्य है। इस संबंध में मुख्य कार्यनीति होगी (क) 13.6 प्रतिशत की वार्षिक निर्यात संवृद्धि दर को प्राप्त करने के लिए औद्योगिक तथा व्यापार नीतियों के उदारीकरण के जरिए और अधिक निर्यात प्रोत्साहनों के माध्यम से व्यापार नीतियों के उदारीकरण के जरिए और अधिक निर्यात प्रोत्साहनों के माध्यम से व्यापार संतुलन में सुधार (ख) वाणिज्यिक कर्जों पर कम निर्भरता तथा (ग) सीधे विदेश निवेश को प्रोत्साहन।

सरकारी व्यय में आठवीं योजना में परिकल्पना है:—

(1) सब्सिडी को युक्तिसंगत बनाना तथा भुगतान में कटौती,

(2) कर्जों (बाह्य तथा आंतरिक दोनों) की मात्रा में सापेक्षिक कटौती के माध्यम से ब्याज भार में कमी लाना, तथा

(3) स्टाफ संख्या की वृद्धि को रोक कर, सरकारी संगठनों का युक्तियुक्तकरण प्रचालन दक्षता तथा रक्षा ब्याज में कटौती के द्वारा सरकारी खपत व्यय में कटौती करना।

राजकोषीय घाटे को एक सीमा के अंतर्गत रखने के लिए 1992-93 के वार्षिक बजट में मात्रात्मक तथा गुणात्मक दोनों रूप में सरकार द्वारा अपनाए गए उपाय आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान परिकल्पित कार्यनीतियों के अनुरूप हैं।

भूमि सुधार पर मुख्य मंत्रियों का सम्मेलन

186. **श्री मुकुल बालकृष्ण वासनिकः** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने नई दिल्ली में 4 और 5 अक्तूबर, 1991 को आयोजित मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन में लिए गए विभिन्न निर्णयों के राज्य-वार क्रियान्वयन की पुनरीक्षा कराई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार विभिन्न निर्णयों को शीघ्र लागू करने के लिए क्या कदम उठाने का विचार कर रही है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री जी० वैंकट स्वामी): (क) से (ग) 4-5 अक्तूबर, 1991 को नई दिल्ली में आयोजित हुए मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन में यह निर्णय लिया गया था कि अधिकतम भूमि सीमा कानूनों के तहत फालतू भूमि का वितरण 31 मार्च, 1992 तक पूरा हो जाना चाहिए।

प्रगति की समीक्षा करने और भूमि वितरण के कार्य को शीघ्र पूरा करने के लिए उठाये जाने वाले आगामी कदमों के बारे में विचार-विमर्श करने हेतु 14 मार्च, 1992 को राज्यों के राजस्व मंत्रियों की एक बैठक हुई थी। इस बैठक में, अक्तूबर-नवम्बर 1991 माह के दौरान भूमि के वितरण के बारे में संबंधित राज्य-सरकारों द्वारा अनुभव की गई कठिनाइयों को देखते हुए बाधाओं से मुक्त अधिकतम सीमा से फालतू भूमि के वितरण की समय-सीमा संशोधित करके 30 जून, 1992 कर दी गई थी। यह भी निर्णय लिया गया था कि राजस्व न्यायालयों में मुकदमे बाजी में फंसी 75 प्रतिशतभूमि को ऐसी मुकदमे बाजी से मुक्त कराया जाए ताकि उसे वितरण हेतु उपलब्ध कराया जा सके और 30 सितम्बर, 1992 तक उसका वितरण पूरा कर लिया जाना चाहिए। 1, अक्तूबर, 1991 और 31 मार्च, 1992 के बीच लाभार्थियों को वितरित की गई फालतू भूमि की राज्य-वार स्थिति को दशनि वाला एक वितरण सलंग्न है।

विवरण

विशेष अभियान के तहत (1.10.91 से 31.3.1992) तक लाभार्थियों को वितरित किए गए क्षेत्र की स्थिति को दशनि वाला विवरण

क्रमांक	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	वितरित किया गया कुल क्षेत्र	लाभार्थियों की कुल संख्या
1.	आन्ध्र प्रदेश	68080	28456
2.	असम	24190	19564

क्रमांक	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	वितरित किया गया कुल क्षेत्र	लाभार्थियों की कुल संख्या
3.	बिहार	6173	6977
4.	गुजरात	5492	169
5.	हरियाणा	77	34
6.	कर्नाटक	914	350
7.	केरल	535	3767
8.	मध्य प्रदेश	2329	—
9.	महाराष्ट्र	1262	479
10.	उड़ीसा	1901	865
11.	पंजाब	232	172
12.	राजस्थान	5048	448
13.	तमिलनाडु	3334	2983
14.	उत्तर प्रदेश	1022	1398
15.	पश्चिम बंगाल	9013	19670
16.	पाडिचेरी	1	3
	कुल	129603	85335

राज्यों के लिए केन्द्रीय सहायता का नियतन

187. श्री मेजर जनरल (रिटायर्ड)
भुवन चन्द्र खण्डूरी:

क्या योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विभिन्न राज्यों के लिए केन्द्रीय सहायता (योजना आवंटन) का नियतन करने के लिए क्या मानदंड अपनाये जाते हैं;

(ख) क्या केन्द्र सरकार उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश के आठ पहाड़ी जिलों) के लिए सीधे योजना निधि का आबंटन करती है;

(ग) यदि हां, तो हिमाचल प्रदेश और उत्तरांचल को छठी और सातवीं योजना तथा 1990-91. और 1991-92 के दौरान पृथक-पृथक कितनी केन्द्रीय सहायता प्रदान की गई थी;

(घ) क्या उत्तरांचल को किए गए आवंटन निर्धारित मानदंडों के अनुरूप है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

योजना एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुखराम): (क) एक विवरण संलग्न है।

(ख) से (घ) केन्द्र सरकार पहाड़ी क्षेत्र विकास कार्यक्रम के तहत् निर्दिष्ट पहाड़ी क्षेत्रों को, उन क्षेत्रों के तेजी से विकास में राज्य सरकारों के प्रयासों को सफल बनाने के लिए, विशेष, केन्द्रीय सहायता प्रदान करती है। विशेष केन्द्रीय सहायता, राजयों को उनकी वार्षिक तथा पंचवर्षीय योजनाओं के लिए दी गई सामान्य फार्मूला/मानदंड आधारित केन्द्रीय सहायता के अतिरिक्त है। संघटक राज्यों के बीच में पहाड़ी क्षेत्र विकास कार्यक्रम द्वारा कवर की गयी विशेष केन्द्रीय सहायता का पारस्परिक आवंटन एक फार्मूले पर आधारित है, जो क्षेत्र तथा जनसंख्या को समान प्रदान करता है। उत्तर प्रदेश के आठ पहाड़ी जिले इस कार्यक्रम में शामिल निर्दिष्ट पहाड़ी क्षेत्रों में आते हैं। निधियों का आवंटन सीधे राज्य सरकार को किया जाता है न कि सीधे उत्तर प्रदेश के आठ जिलों को।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

मुख्यमंत्रियों द्वारा किए गए सुझावों को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय विकास परिषद् ने दिसम्बर, 1991 में केन्द्रीय सहायता के वितरण के लिए फार्मूले का निम्नानुसार अनुमोदन किया।

1. कुल केन्द्रीय सहायता से, विदेश सहायता प्राप्त स्कीमों के लिए अपेक्षित निधियों को अलग रखते हुए, जैसाकि अब किया जा रहा है,

2. शेष में से विशेष क्षेत्र कार्यक्रमों के लिए उपयुक्त राशि मुहैय्या कराना, जैसेः

(क) पहाड़ी क्षेत्र

(ख) जनजातीय क्षेत्र,

(ग) सीमान्त क्षेत्र, और

(घ) एन०ई०सी०,

3. शेष में से 30% दस विशेष श्रेणी राज्यों के लिए अलग रखना, और

4. शेष का 15 गैर-विशेष श्रेणी राज्यों के बीच निम्नलिखित मानदंड के अनुसार आवंटन करना,

	मानदंड	अधिभार (%)
1.	जनसंख्या (1971)	60
2.	प्रति व्यक्ति आय जिसमें से	25
	(क) "विचलन" पद्धति के अनुसार राष्ट्रीय औसत से प्रतिव्यक्ति कम एसडीपी वाले राज्यों को शामिल करते हुए।	20
	(ख) "अन्तर" पद्धति के अनुसार सभी 15 राज्यों को शामिल करते हुए।	5

3. **निष्पादन** 7.5

जिसमें से:

(क) पूर्व गाडगिल फार्मूले में यथा-निर्दिष्ट "कर-प्रयास" के अनुसार 2.5

(ख) पूर्व संशोधित फार्मूले में यथा-निर्दिष्ट वित्तीय प्रबंधन के अनुसार, 2.5

और

(ग) राष्ट्रीय लक्ष्यों के संबंध में प्रगति के अनुसार 2.5

4. **विशेष समस्याएं** 7.5

राष्ट्रीय राथमिकता के कतिपय कार्यक्रमों के संबंध में निपादन के मानदंड के तहत् अनुमोदित फार्मूले में 4 लक्ष्य शामिल है अर्थात् (I) जनसंख्या नियंत्रण, (II) निरक्षरता उन्मूलन (III) विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाओं का समय से पूरा होना, और (IV) भूमि सुधारों में सफलता।

पाकिस्तान द्वारा भारत विरोधी अभियान

188. **श्री फूल चन्द वर्मा:**

श्री मोहन रावले:

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पाकिस्तान जनेवा में अन्तर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन और इस्लामी देशों के संगठनों सहित विभिन्न अन्तर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत-विरोधी अभियान चलाने का प्रयास कर रहा है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस्लामी देशों यूरोपीय देशों और अन्तर्राष्ट्रीय मंचों पर पाकिस्तान के अभियानों का मुकाबला करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं, उठाने का विचार किया गया है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो): (क) जी हां।

(ख) जम्मू और कश्मीर की स्थिति के बारे में तथा भारत के विरुद्ध चलाये जा रहे आतंकवाद को पाकिस्तान के समर्थन के बारे में अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय के सही तथ्यों की जानकारी देने के लिए सरकार ने समुचित उपाय किए हैं और करती रहेगी।

खादी तथा कुटीर उद्योगों के विकास की नई योजनाएं

189. **श्री श्रीकांत जेना:** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) खादी व कुटीर उद्योगों के विकास के लिए तैयार की गई नई-नई योजनाओं का ब्यौरा क्या है,

(ख) ग्रामीण क्षेत्रों में लघु उद्योग आरंभ करने की सुविधा मुहैया कराने के लिए किस प्रकार की सहायता दी जा रही है और इस प्रकार की वित्तीय सहायता किन-किन योजनाओं के लिए दी जायेगी; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान इन योजनाओं के अन्तर्गत उड़ीसा को कितनी धनराशि जारी की गई?

उद्योग मंत्रालय (लघु उद्योग तथा कृषि एवं ग्रामीण उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (प्रो॰ पी॰ जे॰ कुरियन): (क) से (ग) चालू वर्ष के दौरान खादी तथा ग्रामोद्योग के अधीन विभिन्न मौजूदा योजनाओं को के वी आई सी द्वारा कार्यान्वित किया जायेगा। खादी के अलावा के वी आई सी के कार्यक्षेत्र के अधीन

ग्रामोद्योगों/योजनाओं के सात बड़े समूह बनाए गए हैं। विकास के लिए प्रस्तावित नयी योजनाएं निम्न प्रकार है:—

1. **अनाज व दाल प्रसंस्करण उद्योग**
   (क) बहुत छोटी चावल मिल।
   (ख) दलिया बनाना
   (ग) पशु चारा/मुर्गी चारा।

2. **चमड़ा उद्योग**
   (क) जिला कच्चा माल बैंक
   (ख) चमड़ा पुनः कमाना एवं परिष्करण
   (गीली नीली पपड़ी के बाद)

3. **फल व वनस्पति प्रसंकरण एवं अनुरक्षण**
   (क) दूध पर आधारित उत्पाद।

4. **कयर को छोड़कर अन्य रेशा**
   क. सुतली रेशा उत्पादन एकक
   ख. बान उत्पादन एकक
   ग. फाइबर फैंसी वस्तु एकक
   घ. कोरा घास चटाई बुनाई एकक
   ड. केला रेशा उत्पादन एकक
   च. बटारा उत्पादन एकक
   छ. रस्सी उत्पादन एकक
   ज. टाट पट्टी बुनाई परिवार एकक

5. **अखाद्य तेल तथा साबुन उद्योग**
   क. आवश्यक तेल/अतर एकक
   ख. जर्वाध पावडर एकक

6. **ग्राण तेल**
   क. 6 पावर घानी सहित एक "4" बोल्ट एक्सपैलर यूनिट
   ख. रोटरी-कम-एक्सपैलर यूनिट (2+1)

7. **रबड़ पर आधारित उद्योग**
   क. हवाई चप्पल

2. के वी आई सी द्वारा उड़ीसा के कालाहांडी जिले में खादी के अधीन एक विशेष कार्यक्रम आरंभ किया जा रहा है।

3. के वी आई सी ने के वी आई कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए उड़ीसा राज्य में निधियां आबंटित की है, जो निम्न प्रकार है:—

(रु० लाख में)

	खादी		ग्रामोद्योग	
	अनुदान	ऋण	अनुदान	ऋण
1988-89	4.93	22.43	44.47	244.98
1989-90	18.28	3.71	70.64	387.69
1990-91	8.86	9.79	35.13	338.31

[अनुवाद]

पंजाब में विकास केन्द्र

190. **श्री कमल चौधरी:** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पंजाब में विकास केन्द्रों को उपलब्ध कराये जाने वाली प्रस्तावित सुविधाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या पंजाब में इन विकास केन्द्रों को अभी तक सुविधायें उपलब्ध नहीं कराई गई है जिसके परिणामस्वरूप ये केन्द्र ठीक से कार्य नहीं कर रहे हैं; और

(ग) पंजाब के किन-किन जिलों में अभी तक विकास केन्द्रों की स्थापना नहीं की गई है और इसके क्या कारण हैं?

उद्योग मंत्रालय (उद्योग विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही): (क) से (ग) 6 जून, 1988 में घोषित विकास केन्द्र योजना के तहत पंजाब को दो विकास केन्द्र आवंटित किये गये हैं और वे भटिंडा और गुरदासपुर जिले में हैं। इन दोनों विकास केन्द्रों की परियोजना रिपोर्टों का अनुमोदन कर दिया गया है और तीन करोड़ रु० की केन्द्रीय सहायता जारी कर दी गयी है। चुने गये विकास केन्द्रों को इन क्षेत्रों में उद्योगों को आकर्षित करने के लिए बुनियादी अवस्थापनापरक सुविधाएं मुहैया कराई जायेंगी जैसे बिजली, पानी, दूर संचार इत्यादि। यह योजना आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कार्यान्वित की जायेगी।

सिक्किम की लघु इकाइयों को लघु उद्योग विकास संगठन के पास पंजीकरण कराना

191. **श्रीमती दिल कुमारी भण्डारी:** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सिक्किम की 90 लघु इकाइयों को दिसम्बर, 1986 के अन्त तक लघु उद्योग विकास संगठन के [पास] पंजीकृत किया गया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सिक्किम में अभी तथा किसी भी मध्यम अथवा बड़े उद्योग की स्थापना नहीं की गई है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या सरकार का भविष्य में सिक्किम में लघु इकाइयों की संख्या में वृद्धि करने का विचार है;

(च) क्या सरकार को सिक्किम में बड़े अथवा मध्यम उद्योगों की इकाइयां स्थापित करने हेतु कुछ प्रस्ताव [मिले] हैं; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इन प्रस्तावों पर अभी तक क्या कार्यवाही की गई है?

उद्योग मंत्रालय (लघु उद्योग तथा कृषि एवं ग्रामीण उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (प्रो॰ पी॰जे॰ कुरियन): (क) जी, हां।

(ख) ये 90 लघु उद्योग एकक उद्योग निदेशालय में पंजीकृत हैं जो रसायन, खाद्य उत्पाद, लाइट इंजीनियरी, औषध भेषजीय, पेपर कन्वरटर्स, छपाई प्रेसों, लकड़ी पर आधारित तथा कृषि पर आधारित मदों से संबंधित हैं।

(ग) और (घ) इस समय की स्थिति के अनुसार सिक्किम में केवल पांच मध्यम उद्योग हैं।

(ङ) लघु, अति लघु एवं ग्राम्य उद्यमों को बढ़ावा देने तथा दृढ़ता प्रदान करने हेतु 6.8.1991 को संसद में रखे गये नीति संबंधी उपायों का प्राथमिक उद्देश्य लघु उद्योग क्षेत्र को और जीव्यता तथा विकास प्रोत्साहन देना है ताकि यह सिक्किम सहित सभी राज्यों/संघशासित क्षेत्रों की अर्थ-व्यवस्था में अपनी पूर्ण शक्ति से योगदान कर सके।

(च) तथा (छ) वर्ष 1992 के दौरान मॉडर्न फूड इंडस्ट्रीज (इंडिया) लि॰ को 5000 किलों लीटर बीयर बनाने के लिए उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम के प्रावधान के तहत एक आशय पत्र मंजूर किया गया है।

स्टैंडर्ड मोटर्स द्वारा उत्पादन

192. **श्री गुरुदास कामत:** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या लक्जरी स्टैंडर्ड मोटर्स 2000 का उत्पादन बन्द हो गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या स्टैंडर्ड मोटर्स ऑफ इंडिया द्वारा इस समय किसी कार का निर्माण किया जा रहा है; और

(घ) यदि हां, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही): (क) जी, हां।

(ख) स्टैंडर्ड 2000 कारों का उत्पादन बन्द कर दिया गया है, क्योंकि मै॰ स्टैंडर्ड मोटर्स 1989 में बन्द हो गई थी।

(ग) एकक ने कारों के उत्पादन की सूचना नहीं दी है।

(घ) ऊपर (क) और (ख) के संदर्भ में प्रश्न नहीं उठता।

अमरीका द्वारा प्रक्षेपास्त्र नियंत्रण संबंधी प्रतिबन्ध

193. **श्री जार्ज फर्नाण्डीज:**
श्री हरिकिशोर सिंह:
श्री गंगाधरा सानीपल्ली:
श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री:
श्री शरद यादव:
श्री मोहन सिंह (देवरिया):
श्रीमती गिरिजा देवी:
श्री बृजभूषण शरण सिंह:
श्री बापू हरि चौरे:
श्री पृथ्वी राज डी॰ चव्हाण:
श्री रवि राय:

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान 17 मई, 1992 के स्टेट्समैन में अमरीका की भारत के विरुद्ध प्रक्षेपास्त्र नियंत्रण संबंधी नए प्रतिबंधों की घोपणा के संबंध में प्रकाशित समाचार शीर्षक की ओर गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) देश के प्रक्षेपास्त्र कार्यक्रम पर इसका क्या प्रभाव पड़ने की संभावना है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री एडुआर्डो फैलीरो: (क) सरकार ने वह रिपोर्ट देखी है जो "फ्रेश यू एस मिसाइल कर्ब्ज आन इंडिया" शीर्षक से 17 जून, 1992 (17 मई, 1992 नहीं) के स्टेट्समैन छपी है।

(ख) और (ग) अमरीकी सरकार ने जून, 1992 में उन देशों की सूची अधिसूचित की थी जिन्हें कोई भी अमरीकी कम्पनी बिना लाइसेंस के कोई भी उत्पाद निर्यात नहीं कर सकती यदि उसे विश्वास हो कि उस उत्पाद का प्रयोग मिसाइल के डिजाइन, विकास, उत्पादन और उपयोग के लिए किया जाएगा। इस सूची में भारत का नाम शामिल है और विशेप रूप से निम्नलिखित परियोजनाओं का उल्लेख किया गया है:

अग्नि और पृथ्वी मिसाइलें
एस एल वी 3 सेटलाइट लांच व्हीकल
ऑगमेंटिड सेटलाइट लांच व्हीकल (ए एस एल वी)
पोलर सेटलाइट लांच व्हीकल (पी एस एल वी)
जिओ सिनक्रोनस सेटलाइट लांच व्हीकल (जी एस एल वी)

सूची में शामिल अन्य देश है — ब्राजील, चीन, ईरान, उत्तरी कोरिया, पाकिस्तान, दक्षिण अफ्रीका और मध्यपूर्व के देश।

सरकार को अमरीका के निर्णय पर खेद है। हमारे अंतरिक्ष और मिसाइल संबंधी कार्यक्रम हमारी अर्थव्यवस्था के विकास और राष्ट्रीय सुरक्षा की संरक्षा के लिए राष्ट्रीय दृष्टि से स्वीकृत नीतियां हैं। सरकार इन क्षेत्रों और उच्च प्रौद्योगिकी के अन्य क्षेत्रों में स्वावलम्बी बनने के प्रति दृढ़-संकल्प है।

(ग) अमरीका के इस निर्णय का हमारे मिसाइल कार्यक्रम पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ने की संभावना नहीं है क्योंकि यह स्वदेशी वैज्ञानिक प्रयासों पर आधारित है।

सार्वजनिक क्षेत्र के रूग्ण उपक्रम

194. **श्री ई॰ अहमदः** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) इस समय सार्वजनिक क्षेत्र के रूग्ण उपक्रमों का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ख) वर्ष 1990-91 तथा 1991-92 के दौरान इन उपक्रमों को कितना घाटा हुआ; और

(ग) कितने उपक्रमों की अन्तः शक्ति रूग्ण है और उनकी उत्पादन क्षमता में वृद्धि करने हेतु यदि कोई उपचारात्मक कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है तो वे क्या हैं?

उद्योग मंत्रालय (भारी उद्योग विभाग एवं सार्वजनिक उद्यम विभाग) में राज्य मंत्री (श्री पी॰के॰ थुंगन): (क) वर्ष 1990-91 तक के कार्यनिष्पादन के आधार पर रूग्ण औद्योगिक कंपनी (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 1985 के तहत केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के 54 उद्यम रूग्ण उद्यमों के रूप में अभिज्ञात किये गये हैं। राज्य-वार विवरण दर्शाते हुए एक एक सूची संलग्न है।

(ख) इन उपक्रमों ने वर्ष 1990-91 के दौरान केवल जिस अवधि की जानकारी उपलब्ध है, 1472.88 करोड़ रुपये का शुद्ध घाटा उठाया है।

(ग) रूग्ण औद्योगिक कंपनी अधिनियम के प्रावधानों के तहत 31.3.1991 तक 16 उपक्रम सम्भवतः रूग्ण उपक्रमों के रूप में अभिज्ञात किये गये हैं। उनके कार्यनिष्पादन को बेहतर बनाने के लिये उद्यम विशेष के बारे में सम्बद्ध उपक्रम और सम्बद्ध प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग द्वारा कार्रवाई की जाती है।

विवरण

क्रम सं॰	राज्य/सरकारी उद्यम का नाम
	आंध्र प्रदेश
1.	सदर्न पेस्टीसाइड्स लि॰
	असम
2.	उत्तर पूर्वी क्षेत्रीय कृषि विपणन निगम
	बिहार
3.	भारत रिफ्रैक्ट्रीज लि॰
4.	भारी इंजीनियरी निगम लि॰
	गुजरात
5.	नेटेका (गुजरात) लि॰

क्रम सं॰	राज्य/सरकारी उद्यम का नाम
	हरियाणा
6.	इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्युटिकल्स लि॰
	कर्नाटक
7.	भारत गोल्ड माइन्स लि॰
8.	विगनयन नेशनल पेपर मिल्स लि॰
9.	मण्डया नेशनल् पेपर मिल्स लि॰
10.	नेटेका (आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल एवं माहे) लि॰
	केरल
11.	कोचीन शिपयार्ड लि॰
	मध्य प्रदेश
12.	नेटेका (मध्य प्रदेश) लि॰
	महाराष्ट्र
13.	महाराष्ट्र एंटीबॉयोटिक्स लि॰
14.	रचर्डसन एंड क्रूडास (1972) लि॰
15.	भारतीय राष्ट्रीय बाइसाइकिल निगम लि॰
16.	नेटेका (महाराष्ट्र उत्तर) लि॰
17.	नेटेका (दक्षिण महाराष्ट्र) लि॰
	नागालैण्ड
18.	नागालैण्ड पल्प एण्ड पेपर मिल्स लि॰
	उड़ीसा
19.	उड़ीसा ड्रग्स एण्ड केमिकल्स लि॰
	उत्तर प्रदेश
20.	त्रिवेणी स्ट्रक्चरल्स लि॰
21.	भारत पम्पस एंड कम्प्रेशर्स लि॰
22.	स्कूटर्स इंडिया लि॰
23.	टेनरी एण्ड फुटवियर कारपो॰ लि॰
24.	ब्रिटिश इंडिया कारपो॰ लि॰
25.	कानपुर टेक्सटाइल लि॰
26.	एल्गिन मिल्स लि॰
27.	नेटेका (उत्तर प्रदेश) लि॰

क्रम सं०	राज्य/सरकारी उद्यम का नाम
28.	उत्तर प्रदेश ड्रग्स एण्ड फार्मास्युटिकल्स लि०
	पश्चिम बंगाल
29.	इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी लि०
30.	बंगाल केमिकल्स एण्ड फार्मास्युटिकल्स लि०
31.	स्मिथ स्टेनिस्ट्रीट एण्ड फार्मास्युटिकल्स लि०
32.	भारत प्रोसेस एण्ड मेकेनिकल इंजीनियर्स लि०
33.	ब्रेथवेट एंड कंपनी लि०
34.	माइनिंग एंड एलाइड मशीनरी कारपो० लि०
35.	वेबर्ड इंडिया लि०
36.	भारत ब्रेक्स एंड वाल्व्स लि०
37.	बीको लारी लि०
38.	भारतीय साइकिल निगम लि०
39.	हुगली डॉक एंड पोर्ट इंजीनियर्स लि०
40.	भारत ऑप्थैल्मिक ग्लास लि०
41.	नेशनल जूट मैन्युफेक्चरर्स कारपो० लि०
42.	उद्योग पुनर्स्थापन लि०
43.	बर्ड्स जूट एंड एक्सपोर्ट् लि०
44.	भारतीय टायर निगम लि०
45.	नेशनल इंस्ट्रूमेंट्स लि०
46.	नेटेका (पश्चिम बंगाल) लि०
47.	केन्द्रीय अन्तर्देशीय जल परिवहन निगम
48.	बंगाल इम्युनिटी लि०
	दिल्ली
49.	भारतीय उर्वरक निगम लि०
50.	हिन्दुस्तान शिपयार्ड निगम
51.	हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर निगम
52.	सैन्ट्रल इलैक्ट्रॉनिक्स लि०
53.	राष्ट्रीय बीज निगम लि०
54.	इंटेलीजेंट कम्युनिकेशन्स सिस्टम लि०

पश्चिम एशिया शांति प्रक्रिया

195. **श्री श्रवण कुमार पटेल:**

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत ने हाल ही में, शस्त्र नियंत्रण पश्चिम एशिया शांति प्रक्रिया संबंधी राष्ट्रीय सुरक्षा के बारे में हुई उप-समूह की बैठक में भाग लिया था;

(ख) यदि हां, तो भारत ने इसमें किस प्रकार की भूमिका निभाई और बैठक से क्या परिणाम प्राप्त हुए;

(ग) इस उप-समूह की अगली बैठक कब और कहां होगी; और

(घ) इस बैठक की कार्यसूची क्या है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एडुओर्डो फैलीरो): (क) जी हां।

(ख) इस बैठक में भाग लेने वाले अनेक गैर-क्षेत्रीय देशों में एक देश भारत था। भारतीय प्रतिनिधिमण्डल ने शस्त्र नियंत्रण तथा क्षेत्रीय सुरक्षा पर विचारों के आदान-प्रदान में योगदान दिया। इस बातचीत का अभिप्राय केवल सेमिनार जैसी संरचना में प्रारंभिक आदान-प्रदान का ही था। निष्कर्षों और सिफारिशों की न तो संभावना ही थी और न ही प्रकट की गई।

(ग) और (घ) अभी तक इन मुद्दों पर कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

जीवन रक्षक औषधियों की कमी

196. **श्रीमती वसुन्धरा राजे:**
श्री रविराय:
श्री हरिन पाठक:
श्री सनत कुमार मंडल:

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि देश में कैंसर, मिरगी और क्षयरोग के उपचार हेतु प्रयोग की जाने वाली जीवन रक्षक औषधियों की कमी है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) बाजार में इन औषधियों की समुचित उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए कौन से ठोस कदम उठाए जाने का विचार है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा॰ चिन्ता मोहन): (क) से (ग) कुछ स्थानिक क्षेत्रों में कुछ ब्रांडों के सूत्रयोगों की कमी के मामलों को छोड़कर, जिनके उपचारात्मक समतुल्य सामान्यतः उपलब्ध थे, इन औषधों में से किसी भी औषध की आम कमी की कोई सूचना सरकार को नहीं मिली है। जब भी ऐसी किसी कमी की सूचना मिलती है तो संबंधित कंपनियों को कमी वाले क्षेत्र में तुरन्त स्टॉक भेजने के लिए कहा जाता है।

भारतीयों को पाकिस्तानी वीजा

197. **श्री मोहन रावले:** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को भारतीय नागरिकों को वीजा जारी करने के सम्बन्ध में पाकिस्तान के हाल ही के निर्णय की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या सरकार ने पाकिस्तान के साथ यह मामला उठाया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो): (क) जी हां।

(ख) से (घ) भारतीय राष्ट्रिकों को वीजा देने के संबंध में पाकिस्तान की सरकार द्वारा हाल में लिए गए निर्णयों में पाकिस्तान में रहने वाले किसी रिश्तेदार से एक प्रायोजक शपथ-पत्र देने की शर्त, एक स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र देने की शर्त, जिसमें इस बात का उल्लेख हो कि वीजा के लिए आवेदन करने वाला व्यक्ति एचआईवी पाजिटिव नहीं है और वीजा जारी करने से पहले पूर्व-सत्यापन की शर्त शामिल की गई है। सरकार ने इस मामले को पाकिस्तान की सरकार के साथ उठाया है और उससे भारत-पाक वीजा करार, 1974 का पालन करने का अनुरोध किया है। स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र की शर्त 28 मई, 1992 को हटा ली गई है।

श्रीलंका द्वारा भारतीय पुलिस दल को अनुमति देने से इन्कार

198. **श्री शरत् चन्द्र पट्टनायक:** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या श्रीलंका सरकार ने एक भारतीय पुलिस दल को श्रीलंका का दौरा करने की अनुमति देने से इन्कार किया था; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया रही?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो): (क) और (ख) राजीव गांधी की हत्या के मामले में जांच-पड़ताल करने वाले भारतीय अधिकारियों को दिए जाने वाले सहयोग के अन्तर्गत श्रीलंका की सरकार ने जांच-पड़ताल करने वाले कई दलों को श्रीलंका की यात्रा की अनुमति दी है।

तथापि, 28 जून, 1992 को श्रीलंका की सरकार ने सी०बी०आई० के वकील को श्रीलंका की प्रस्तावित यात्रा के लिए स्वीकृति देने से इन्कार कर दिया जिनकी यात्रा का उद्देश्य एलटीटीई के उन नेताओं को भारत को प्रत्यार्पित करने के बारे में श्रीलंका के प्राधिकारियों के साथ विचार-विमर्श करना था जो राजीव गांधी की हत्या के मामले में मुख्य अभियुक्त हैं। श्रीलंका की सरकार ने अनुमति देने से पूर्व प्रत्यर्पण के मामले से सम्बद्ध कुछ अतिरिक्त सूचना और दस्तावेज मांगे थे। इसकी जांच-पड़ताल की जा रही है और उस पर विचार किया जा रहा है।

सौराष्ट्र और कच्छ क्षेत्र के लिए पासपोर्ट कार्यालय

199. **श्री चन्द्रेश पटेल:** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार गुजरात के सौराष्ट्र और कच्छ क्षेत्र के लिए कोई नया पासपोर्ट कार्यालय खोलने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो): (क) से (ग) नए पासपोर्ट कार्यालय खोले जाने का प्रस्ताव विचाराधीन है। इन कार्यालयों की संख्या, स्थान और समय वित्तीय तथा जनशक्ति संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करता है।

इन्द्रप्रस्थ ताप बिजलीघर, दिल्ली को कोयले की सप्लाई

200. **श्री अटल बिहारी वाजपेयी:**
श्री शंकर सिंह वाघेला:

क्या **कोयला** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को दिल्ली में इन्द्रप्रस्थ ताप बिजलीघर को घटिया किस्म के कोयले की सप्लाई के बारे में शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है;

(ग) उक्त बिजलीघर द्वारा मांगे गए और वस्तुत इसे सप्लाई किए गए कोयले की किस्म संबंधी विनिर्देशों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) उक्त बिजलीघर को अपेक्षित किस्म का कोयला सप्लाई न किए जाने के क्या कारण हैं?

कोयला मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एस०बी० न्यामगौड): (क) से (घ) दिल्ली के इन्द्रप्रस्थ ताप विद्युत गृह से कोयले के गुणवत्ता के संबंध में शिकायतें मिली हैं। बड़े आकार का कोयला, स्लेट और पत्थर मिश्रित कोयला और कोयले के ग्रेड में स्लिपंज संबंधी ये शिकायतें इस अवधि के दौरान प्राप्त हुई हैं।

कोल इंडिया लि० जिन्हें इन शिकायतों के बारे में जांच करने के निर्देश दिए गए थे, उन्होंने सूचित किया है कि इन्द्रप्रस्थ ताप विद्युत गृह को 4975 के०कैल०/कि०ग्रा० की औसत उपयोगी तापीदव क्षमता के साथ 3600-6350 के०कैल/कि०ग्रा० की रेंज के बीच की उपयोगी तापीय क्षमता के कोयले के उपयोग के लिए निर्मित किया गया था। वर्ष 1991-92 के दौरान संयंत्र को आपूर्ति कराए गए कोयले की औसत उपयोगी तापीय क्षमता 4790-5792 के०कैल०/कि०ग्रा० के रेंज के बीच थी। किन्तु सरकार ने कोयला कंपनियों को सलाह दी थी कि वे अपने गुणवत्ता नियंत्रण ढांचे को सुदृढ़ करें, कोयले का ग्रेड सही रखें और कोयला रख-रखाव संयंत्रों की स्थापना करें ताकि विद्युत गृहों को संपूर्ण कोयले का प्रेषण अंततः इन संयंत्रों के जरिए किया जा सके। कोयला कंपनियों ने राष्ट्रीय और क्षेत्रीय कोयला उपभोक्ता परिषदें भी स्थापित की है ताकि उपभोक्ताओं की शिकायतों/समस्याएं का प्रबोधन किया जा सके।

भारतीय मुसलमानों पर अफगानिस्तान के राष्ट्रपति की टिप्पणियां

201. **श्री परसराम भारद्वाजः**
डा० डी० वेंकटेश्वर रावः

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 19 मई, 1992 के हिन्दुस्तान टाइम्स में प्रकाशित भारतीय मुसलमानों के बारे में अफगानिस्तान के राष्ट्रपति की टिप्पणियों से संबंधित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या सरकार ने उक्त मामले को उपर्युक्त देश के समक्ष उठाया है; और

(घ) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो): (क) जी हां।

(ख) से (घ) सरकार ने काबुल स्थित अपने राजदूत के माध्यम से अफगानिस्तान की सरकार के साथ अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति की प्रकाशित टिप्पणियों से सम्बद्ध मामले को उठाया है। भारतीय मुस्लिमों और जम्मू और कश्मीर की स्थिति से संबंधित तथ्य अफगानी नेताओं को दे दिए हैं जिन्होंने यह स्पष्टीकरण दिया है कि भारत के अन्दरूनी मामलों में हस्तक्षेप करने की उनकी कोई इच्छा नहीं है। उन्होंने यह भी कहा है कि भारत के साथ घनिष्ठ संबंध बनाने की उनकी हार्दिक इच्छा है।

पासपोर्ट फार्मों पर हस्ताक्षर करने के लिए संसद सदस्यों को प्राधिकार देना

202. **श्री राधिका रंजन प्रमाणिकः** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार का विचार संसद सदस्यों को पासपोर्ट फार्मों में हस्ताक्षर करने का प्राधिकार देने की प्रणाली को पुनः शुरू करने का है; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर०एल० भाटिया): (क) और (ख) सत्यापन की प्रक्रिया की समीक्षा की जा रही है।

कोयले का निःशुल्क आयात

203. **श्री एम०वी० चन्द्रशेखर मूर्तिः** क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या भारतीय वाणिज्य और उद्योग मंडल ने सरकार से कोयले की निरन्तर कमी को दूर करने के लिए औद्योगिक एककों को कोयले का निःशुल्क आयात करने की अनुमति देने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या भारतीय वाणिज्य और उद्योग मंडल की मांगों पर विचार किए जाने की संभावना है; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं?

कोयला मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एस०बी० न्यामगौड): (क) जी, हां।

(ख) से (घ) इस संबंध में प्रस्ताव सरकार के जांचाधीन है।

पारपत्र कार्यालय, मंगलौर

204. **श्रीमती चन्द्रप्रभा अर्स:**
श्री ओस्कार फर्नान्डीज:

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि मंगलोर में नए पारपत्र कार्यालय खोले जाने के संबंध में इस समय कितनी प्रगति हुई है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री एडुआर्डो फैलीरो: अनेक स्थानों पर, जिनमें संभवतः मंगलौर शामिल है, नए पासपोर्ट कार्यालय खोले जाने का प्रस्ताव विचाराधीन है। उनकी संख्या और समय अतिरिक्त वित्तीय तथा जनशक्ति संसाधनों के उपलब्ध होने पर निर्भर करता है।

बेरोजगार शिक्षित युवकों के लिए स्वरोजगार योजना

205. **श्री हरिन पाठक:** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 1990, 1991 के दौरान और 1992 में अब तक स्व-रोजगार योजना के अन्तर्गत राज्यवार कितने बेरोजगार युवकों को लाभ पहुंचा है, और

(ख) यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाने का विचार है कि इस योजना के अन्तर्गत केवल गरीब और जरूरतमन्द युवकों को ही सहायता मिले?

उद्योग मंत्रालय (लघु उद्योग तथा कृषि एवं ग्रामीण उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (प्रो० पी०जे० कुरियन): (क) 1989-90, 90-91 तथा 91-92 के दौरान स्वरोजगार योजना के अंतर्गत लाभान्वित शिक्षित बेरोजगार युवकों की संख्या के संबंध में राज्यवार सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) बेरोजगार शिक्षित युवकों के लिए स्वरोजगार योजना का उद्देश्य उन शिक्षित बेरोजगार युवकों को सहायता प्रदान करना है जो अपनी पूंजी जुटाने में असमर्थ हैं। यह सुनिश्चित करने के लिए कि योजना के अंतर्गत केवल गरीब एवं जरूरतमन्द युवाओं को ही सहायता प्रदान की जाए, प्रति परिवार प्रति वर्ष 10,000 रू० की अधिकतम सीमा को पात्रता मानदंड के रूप में निर्धारित किया गया।

विवरण

शिक्षित बेरोजगार युवकों के लिए स्वरोजगार योजना

क्र०सं०	राज्य/संघ शासित ,क्षेत्र का नाम	शिक्षित बेरोजगार युवकों के लिए स्वरोजगार योजना के अंतर्गत ऋण प्राप्त करने वाले शिक्षित बेरोजगार युवाओं की संख्या (अनंतिम)		
		1989-90	1990-91	1991-92
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	7404	8047	6849
2.	असम	3141	3067	3480
3.	बिहार	9176	11545	8379
4.	गुजरात	5084	2419	1145
5.	हरियाणा	2418	2545	2502
6.	हिमाचल प्रदेश	769	870	937
7.	जम्मू एवं कश्मीर	223	236	0
8.	कर्नाटक	6010	5415	4771
9.	केरल	8430	6249	1800*
10.	मध्य प्रदेश	7936	6751	0
11.	महाराष्ट्र	8210	9027	10131
12.	मणिपुर	749	750	750
13.	मेघालय	90	24	0
14.	नागालैंड	57	57	0
15.	उड़ीसा	4347	4578	4291
16.	पंजाब	7690	7453	4766*
17.	राजस्थान	5127	5330	5744
18.	सिक्किम	17	28	55
19.	तमिलनाडु	8692	8015	8245
20.	त्रिपुरा	183	502	420
21.	उत्तर प्रदेश	13749	13201	10961
22.	पश्चिम बंगाल	6412	4203	4417
23.	अंडमान एवं निकोबार	20	23	16
24.	अरूणाचल प्रदेश	16	22	12
25.	चंडीगढ़	90	127	121
26.	दादरा तथा नगर हवेली	26	20	36
27.	गोवा	124	199	0

1	2	3	4	5
28.	मिजोरम	109	136	0*
29.	पांडिचेरी	230	305	299
30.	लक्षद्वीप	20	12	14
31.	दमन एवं दीव	12	12	0***
	कुल	106561	101168	76165

*— आंकड़े सूचित नहीं किये।

लिट्टे प्रमुख का प्रत्यर्पण

206. **श्री पवन कुमार बंसलः** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने श्रीलंका सरकार से पूर्व प्रधान मंत्री राजीव गांधी की हत्या के मामले के अभियुक्त लिट्टे नेताओं की प्रत्यर्पण करने हेतु अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या प्रगति हुई है?

विदेश मंत्रालय में (राज्य मंत्री श्री एडुआर्डो फैलीरो): (क) और (ख) भूतपूर्व प्रधान मंत्री श्री राजीव गांधी की हत्या में अभियुक्त लिट्टे नेताओं के प्रर्त्यपण के लिए श्रीलंका की सरकार से औपचारिक अनुरोध करने के प्रश्न पर सरकार सक्रियता से विचार कर रही है।

अमरीका द्वारा "कम्बाइंड एक्सीलरेशन, वाइब्रेशन क्लाइमेटिक टेस्ट सिस्टम" की बिक्री पर रोक लगाना

207. **श्री बी॰एन॰ रेड्डीः** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या अमरीका ने अग्नि प्रक्षेपास्त्र के प्रक्षेपण के परिप्रेक्ष्य में "कम्बाइंड एक्सीलरेशन वाइब्रेशन, क्लाइमेटिक टेस्ट सिस्टम" की प्रस्तावित बिक्री पर रोक लगा दिया है जैसा कि 25 अप्रैल, 1992 के हिन्दुस्तान टाइम्स में प्रकाशित हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री एडुआर्डो फैलीरोः (क) जी, हां। 1989 में अग्नि प्रक्षेपास्त्र छोड़े जाने के बाद अमरीकी सरकार ने कम्बाइन्ड एक्सीलरेशन वाइब्रेशन क्लाइमेट टैस्ट सिस्टम (सी ए वी सी टी एस) के लिए निर्यात लाइसेंस को पुनः वैध करने से इन्कार कर दिया था।

(ख) सी ए वी सी टी एस का निर्यात मना करने से संबद्ध अमरीकी सरकार ने निर्णय पर सरकार को खेद है और सरकार ने ऐसी प्रणाली का देश में ही डिजाइन तैयार करने तथा उसका विकास करने का निर्णय किया है।

छात्रों को पासपोर्ट

208. **डा॰ वसन्त पवारः** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार का विचार विदेशी विश्वविद्यालयों द्वारा आयोजित प्रतियोगिता-परीक्षाओं में भाग लेने वाले छात्रों को, पुलिस द्वारा जांच किए जाने तक, अस्थायी पासपोर्ट जारी करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) क्या सरकार का विचार पुराने पासपोर्टों के नवीकरण की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए कोई कदम उठाने का है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर॰ एल॰ भाटिया): (क) और (ख) जी हां। पासपोर्ट अधिकारियों को अपने विवेक से ऐसे छात्रों को थोड़ी अवधि की वैधता वाले पासपोर्ट जारी करने का अधिकार है जो विदेशी विश्वविद्यालयों द्वारा ली जाने वाली प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षाओं में बैठ रहे हों, लेकिन इसके लिए यह जरूरी है कि ऐसे छात्र अपने आवेदन पत्र के साथ समुचित दस्तावेज भी प्रस्तुत करें।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) सरकार पासपोर्ट जारी करने तथा पुराने पासपोर्टों का नवीकरण करने की प्रक्रिया की बराबर समीक्षा कर रही है ताकि उन्हें सरल बनाया जा सके। आजकल पासपोर्ट पांच वर्ष की अवधि के बाद बिना किसी पुलिस साक्ष्यांकन के पुनः नवीकृत किया जा सकता है। अगर पुराने पासपोर्ट की वैधता की 10 वर्ष की अवधि पूरी हो गई है तो एक साक्ष्यांकन प्रमाण-पत्र के आधार पर तथा पुराना पासपोर्ट प्रस्तुत करने पर भी नया पासपोर्ट जारी किया जा सकता है।

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के शेयरों के पूंजीनिवेश को कम करना

209. **श्री आर॰ सुरेन्द्र रेड्डीः** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने चुनिन्दा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के शेयरों के पूंजीनिवेश को म्युचुअल फंडों तथा वित्तीय संथाओं को आवंटित करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार इस वर्ष के अन्त तक फिर से सार्वजनिक क्षेत्र के शेयरों के पूंजीनिवेश में आंशिक कमी करने का है;

(घ) व्यापक जन सहभागिता तथा बृहत उत्तरदायित्व को बढ़ावा देने के संबंध में संसाधनों में वृद्धि करने हेतु उन अन्य योजनाओं का ब्यौरा क्या है जिन पर विचार किए जाने की संभावना है;

(ङ) क्या सरकार का विचार इन चुनिन्दा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के कर्मचारियों को इक्विटी का एक भाग देने का भी है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उद्योग मंत्रालय (भारी उद्योग विभाग एवं सार्वजनिक उद्यम विभाग) में राज्य (मंत्री श्री पी०के० थुंगन): (क) सरकार वर्ष 1991-92 में सरकारी क्षेत्र के चुनिंदा उद्यमों के शेयरों को पारस्परिक निधियों तथा वित्तीय संस्थाओं को बेच चुकी है।

(ख) पारस्परिक निधियों तथा वित्तीय संस्थाओं को हस्तान्तरित सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के शेयरों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) जैसा कि वर्ष 1992-93 के बजट भाषण में बताया जा चुका है, सरकार वर्ष 1992-93 के दौरान सरकारी क्षेत्र के एककों के शेयर के एक और भाग को बेचेगी जिसका मूल्य 3500 करोड़ रुपये होगा।

(घ) सरकारी शेयरों को बेचने के अतिरिक्त सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा आम जनता हेतु नए शेयर ऋणपत्रों, बंधपत्रों आदि का जारी किया जाना अन्य योजनाओं में शामिल है।

(ङ) जी हां।

(च) ब्यौरा तैयार किया जा रहा है।

विवरण

क्रम संख्या	संस्थान का नाम	शेयरों की संख्या
1.	यूनिट ट्रस्ट आॅफ इंडिया	57,44,16,900
2.	कैनबैंक सांझा कोष	3,07,14,300
3.	साधारण बीमा निगम	9,68,97,500
4.	जीवन बीमा निगम	7,74,08,000
5.	जीवन बीमा निगम सांझा कोष	1,11,21,600
6.	पंजाब नेशनल बैंक सांझा कोष	12,07,200
7.	भारतीय स्टेट बैंक सांझा कोष	2,85,19,500
8.	भारतीय स्टेट बैंक पूंजी बाजार	84,60,300
9.	इंडियन बैंक सांझा कोष	28,66,500
10.	बैंक आफ बड़ौदा	1,72,37,200
11.	इलाहाबाद बैंक	62,01,100
12.	कैनबैंक वित्तीय सेवायें	30,68,400
13.	कारपोरेशन बैंक	59,54,200
14.	बैंक ऑफ बड़ौदा सांझा कोष	80,54,400
	जोड़	87,21,27,100

12.00 मध्याह्न

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मैं अन्य मामला ले रहा हूं।

[हिन्दी]

श्रीमती सरोज दुबे (इलाहाबाद): अध्यक्ष महोदय, हमने आपको इसके बारे में नोटिस दिया है यह हमारे क्षेत्र का मामला है....हमें क्यों नहीं बोलने दिया जाता?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: आप इस प्रकार नहीं करें। प्रश्न काल समाप्त हो गया है। कृपया आप बैठे जाइए।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्रीमती सरोज दुबे: हम इलाहाबाद से हैं, हमें ज्यादा जानकारी है....

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मंत्री महोदया संपूर्ण जानकारी दे देंगी। कृपया आप उनसे संपर्क कीजिए। मैं आपको चैम्बर में यह बात स्पष्ट कर दूंगा।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: मैं आपकी तरह यहां से चिल्ला नहीं सकता हूं। कृपया बैठ जाइए।

12.02 म०प०

मंत्रिपरिषद में अविश्वास प्रस्ताव के बारे में घोषणा

अध्यक्ष महोदय: मैं सभा को यह जानकारी देता हूं कि मुझे नियम 198 के अंतर्गत मंत्रिपरिषद में अविश्वास के प्रस्ताव की 26 सूचनाएं सर्वश्री लाल कृष्ण आडवाणी, मदन लाल खुराना, अटल बिहारी वाजपेयी, सत्यनारायण जटिया, डा० लक्ष्मी नारायण पाण्डेय, देवेन्द्र प्रसाद यादव, राम विलास पासवान, श्रीकान्त जेना, जसवंत सिंह, सोमनाथ चटर्जी, पीयपू तीरकी, जार्ज फर्नान्डीज, इन्द्रजीत गुप्त, चित्त बसु, हरि किशोर सिंह, राम प्रसाद सिंह, श्रीमती सरोज दुबे, उपेन्द्र नाथ वर्मा, शरद यादव, रवि राय, बृशिण पटेल, प्रताप् सिंह, मोहम्मद अली अशरफ फातमी, राम सुन्दर दास, रोशन लाल और सैयद शाहाबुद्दीन से प्राप्त हुई हैं।

सभी प्रस्तावों को इकट्ठा करने के बाद बैलट किया गया। श्री जसवन्त सिंह को बैलट में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। बैलट में नामों का क्रम निम्न प्रकार से है:—

1. श्री जसवन्त सिंह
2. श्री राम सुन्दर दास
3. श्री सत्यनारायण जटिया
4. श्री श्रीकांत जेना
5. श्री प्रताप सिंह
6. श्री चित्त बसु
7. श्री सोमनाथ चटर्जी
8. श्री रोशन लाल
9. श्री इन्द्रजीत गुप्त

10. श्री बृशिण पटेल
11. श्री अटल बिहारी वाजेपयी
12. श्री उपेन्द्र नाथ वर्मा
13. श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी
14. श्री जार्ज फर्नान्डीज
15. श्री लाल कृष्ण आडवाणी
16. श्री सैयद शहाबुद्दीन
17. श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव
18. श्री मदन लाल खुराना
19. श्री पीयूष तीरकी
20. श्रीमती सरोज दुबे
21. श्री प्रसाद सिंह
22. श्री राम विलास पासवान
23. डा॰ लक्ष्मीनारायण पाण्डेय
24. श्री रवि राय
25. श्री शरद यादव
26. श्री हरि किशोर सिंह

प्रस्ताव का पाठ निन प्रकर से है:

"यह सभा मंत्रिपरिषद में अपना अविश्वास प्रकट करती है।"

अब मैं उन सदस्यों से अनुरोध करता हूं कि जो इस प्रस्ताव को अनुमति देने के पक्ष में हैं वह अपने स्थान पर खड़े हो जाएं।

अनेक माननीय सदस्य खड़े हो गए।

अध्यक्ष महोदय: चूंकि प्रस्ताव के समर्थन में खड़े होने वाले सदस्यों की संख्या पचास से अन्यून नहीं है इसलिए अनुमति दी जाती है। इस पर चर्चा 15 और 16 जुलाई, 1992 को होगी।

श्री पी॰ एम॰ सईद (लक्षद्वीप) तब तक उन्हें इस सरकार में विश्वास है।

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर): हमें अनेक बातें सहनी पड़ती है।

12.05 म॰प॰

उर्वरक मूल्य निर्धारण संबंधी समिति का कार्यकाल बढ़ाए जाने के बारे में घोषणा

अध्यक्ष महोदय: सदस्य गण 10 दिसम्बर, 1991 को मैंने सभा में लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 254 के अन्तर्गत उर्वरक मूल्य निर्धारण संबंधी समिति के गठन की घोषणा की थी। समिति को छह मास के भीतर अध्यक्ष को अपना प्रतिवेदन देना था। समिति के अनुरोध पर मैंने उनका

प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का समय बढ़ाकर अब लोक सभा के वर्तमान सत्र के अंतिम दिन या उससे पूर्व कर दिया है।

12.06 म०प०

कुम्हेर (राजस्थान) में हुई हत्याओं की घटनाएं

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान (रोसेड़ा): अध्यक्ष जी, मैंने अडजर्नमेंट मोशन का नोटिस दिया है कि आपकी कार्यसूची में जितना कार्य है.....

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मैंने स्थगन प्रस्ताव की अनुमति नहीं दी है। आप किसी और रूप में इस मामले पर चर्चा कर सकते हैं।

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान: उस कार्य को स्थगित करके कार्य स्थगन प्रस्ताव पर बहस चलावें वैसे तो पूरे देश में आप देखेंगे कि जो दलित वर्ग के लोग हैं, जो आदिवासी हैं, उनके ऊपर जुल्म और अत्याचार दिनों-दिन बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन यह कुम्हेर की घटना से देश का सिर शर्म से झुक जाता है।

अध्यक्ष जी, इसमें सबसे अहम पहलू यह है कि हम लोग प्रत्येक पार्टी के संसद सदस्य बीजेपी और रतिलाल वर्मा जी को खोज रहे थे। कांग्रेस के भी काफी सदस्य अभी नहीं हैं, अरविंद नेता जी और त्रिपुरा की महारानी और तमाम लोग गए थे और वहां जाने के बाद हम लोगों ने जो देखा, उससे ज्यादा हृदय विदारक घटना कुछ नहीं हो सकती है। अभी आप पता लगाएं तो 50 हजार से ज्यादा लोग बोट क्लब पर आए हुए हैं और ये सारे के सारे कुम्हेर के अगल-बगल के इलाकों के हैं। आज वहां स्थिति इतनी भयावह हो गई है कि एक नहीं, दो नहीं, 70 गांवों से लोग पलायन कर रहे हैं और इसका दुखद पहलू यह है कि जिस तरह से चुण्डूर की घटना घटी थी, उसी प्रकार सारी पार्टी की सीमाओं को तोड़कर ठीक उसी प्रकार की घटना घटी है। पहले पुलिस वहां जाती है और मेरा आरोप तो सीधा प्रशासन के ऊपर है। जाति के ऊपर मेरा चार्ज नहीं है। यदि दो जातियों के लोग आपस में लड़ना चाहते हैं तो मैं समझता हूं कि एकाध की मृत्यु हो जाती, कुछेक घायल हो जाते, लेकिन इतनी बड़ी घटना नहीं घटती। वहां घटना का सबसे बड़ा पहलू यह था कि वहां पुलिस जाती है और जाने के बाद पूरे गांव का सर्च करती है। जो दलित लोग हैं, उनको गांव से हटाती है। हम लोग वहां गए थे। बूटा सिंह जी ने पूछा कि क्यों गांव का सर्च किया। उन्होंने कहा कि हमें जानकारी मिली है कि इनके पास विस्फोटक हथियार हैं।....(व्यवधान).... हम लोगों ने पूछा कि हथियार कहां हैं, तो मालूम हुआ कि हथियार जब्त कर लिए गए। हमने कहा कि रिकॉर्ड पर कोई हथियार है, तो पता चला कि रिकॉर्ड पर कोई हथियार नहीं है। नतीजा यह हुआ कि पुलिस वहां जाती है, गांव के लोगों को गिरफ्तार करती है, लोगों को गांव से भगाती है। दिन में दो बजे वहां का एस०पी० कहता है कि वहां 10,000 लोग आए और मेरे पास सिर्फ 400 पुलिस थी। हम क्या कर सकते थे? और पूरे के पूरे गांव में आग लगाई गई, छोटे-छोटे बच्चों को उसमें जला दिया गया, लोगों को मार दिया गया। मैं पूछना चाहता हूं कि 6 तारीख की यह घटना है और 18 जून को हम लोग वहां गए थे। मैं बीजेपी के सदस्यो से पूछना चाहता हूं कि 18 जून को क्या वहां हड्डी जली हुई नहीं

थी? मैंने वहां शेखावत जी से बात की। उन्होंने कहा कि होम मिनिस्टर वहां गए हैं और दिग्विजय सिंह वहां गए हैं और हम लोग परसों वहां जा रहे हैं। दूसरे दिन लोग भागकर वहां से आए। फिर दिग्विजय सिंह जी से बात हुई। उन्होंने कहा कि हमने दोषी पदाधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की है। किसके खिलाफ कार्रवाई की गई है? मैं आडवाणी जी से आग्रह करूंगा कि इसका पता लगाएं। उस एस० पी० का नाम लेकर मैं इसकी महत्ता को नहीं बढ़ाना चाहता। सभी पार्टी के लोग मानते हैं कि उसका सीधा हाथ है, जो एडीशनल एसपी उसके पीछे था। उसको बीकानेर का एडिशनल एसपी बनाया गया। घटना के पीछे जिस एस० पी० का हाथ था, उस एस० पी० को जयपुर में ट्रांसपोर्ट का एस० पी० बना दिया गया कि तुम वहां खूब पैसा कमाने का काम करो।

अध्यक्ष जी, मैं कहना चाहता हूं कि यह कोई पार्टी का मामला नहीं है। आपने आडवाणी जी और अटल बिहारी वाजपेयी जी ने मर्यादा का सवाल उठाया उस दिन जब एक शब्द बोला था माधव राव सिंधिया जी ने, तो आपने दो दिन तक पार्लियामेंट को चलने नहीं दिया था। आपने हाउस को यहां दो दिन तक नहीं चलने दिया था। एक शब्द ही आपको कहा था जिसके कारण दो दिन तक, 7 और 8 अगस्त को पार्लियामेंट नहीं चला। जहां 50-50 दलितों की हत्या की गयी है, जिस तरीके से नरसंहार हुआ है, अभूतपूर्व हुआ है, आप जरा मुख्यमंत्री के जरिये पता लगाइये क्योंकि मुख्यमंत्री वहां गये थे जहां सारे का सारा षडयंत्र हुआ था, उसके घर में गये थे, जो एक भूतपूर्व एम० पी० हैं। मैं यहां किसी पार्टी का नाम लेकर नहीं कहना चाहता लेकिन अभी उन्होंने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा कर दिया है। उस राजा के महल में जाकर, मुख्यमंत्री की हिम्मत नहीं हुई कि उस राजा को बुलवा सकें और कुछ पूछें, वहां जाने पर, लोगों ने कहा कि उसने खाना खाया। उसके बाद मुख्यमंत्री का बयान आया कि कोई नरबलि नहीं दी गयी। मैं कहना चाहता हूं कि यदि हमारे साथ यहां के तमाम मैम्बर्स आॅफ पार्लियामेंट चलें। मन्दिर का पुजारी यहां आया हुआ है, बोट क्लब पर वह मौजूद है, पचासों हजार लोगों के बीच में, वहां आप हाथ उठवा कर पूछ लीजिये, (व्यवधान) मैं यहां किसी पार्टी का नाम नहीं ले रहा हूं मैंने किसी पार्टी का नाम नहीं लिया है। ....(व्यवधान) मैंने यहां किसी पार्टी का नाम नहीं लिया है, इसलिये जोशी जी को उत्तेजित नहीं होना चाहिये, लेकिन एक व्यक्ति की वहां नरबलि दी गयी और नरबलि देने के बाद, पूरे गांव पर हमला करने का काम किया गया।

अध्यक्ष जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि इस सदन में इससे बढ़कर कोई महत्वपूर्ण दूसरी चीज हो सकती है ....(व्यवधान)

अध्यक्ष जी, जब भी यहां पर गोरे और काले का सवाल उठता है, हम यहां से दक्षिण अफ्रीका को मदद देने का काम करते हैं। जब किसी काले व्यक्ति के ऊपर अत्याचार होता है, हम हर तरह से यहां उसके प्रति संवेदना व्यक्त करते हैं। प्रधानमंत्री जी, आजादी के 45 सालों के बाद भी। अमेरिका जैसे देश में जब एक काले व्यक्ति को सिर्फ पीटा जाता है तो उसके कारण पूरे के पूरे अमेरिका के लोग बगावत पर उतर आते हैं लेकिन जब यहां कुम्हेर से लेकर त्सुन्दूर तक, हम लोग जब इसी सदन में थे, मैं कहना चाहता हूं कि यह किसी पार्टी का मामला नहीं है, 1977 में मैं जीत कर आया था और चौधरी चरण सिंह जी हमारे नेता थे। उस समय बेलछी की घटना घटी थी। मैं उस समय ट्रैजरी बैंचेज पर बैठा हुआ था। हमें याद है, उस दिन हम हड्डी लाये थे। वहां से, हमने अपनी ही सरकार के सामने उस समय हठी पेश करने का काम किया था। कांग्रेस पार्टी के लोग, पूरे देश से, जीत कर नहीं आये थे और शायद उनको जानकारी भी नही थी। इसलिये ऐसे मामलों को हमने कभी पार्टी पौलिटिक्स के आधार पर नहीं लिया है।

मुझे खुशी होती, अगर बारा की घटना के पहले, आपने जिस तरीके से बारा की घटना को यहां पर उठाया

[श्री राम विलास पासवान]
था, उस घटना के पहले दस दलितों की हत्या हुई थी, जब आडवाणी जी कह रहे थे। यदि वे उस मामले को यहां उठाने का काम करते तो मैं उनका समर्थन करने का काम करता लेकिन उस घटना को आपने यहां नहीं उठाया। किस घटना को आपने उठाया जब दूसरे लोग मारे गये, उस घटना को आपने उठाने का यहां काम किया।

इसलिये अध्यक्ष जी, मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं और भरे दिल से आग्रह करना चाहता हूं कि मैं स्वयं वहां गया था, मैं आज आडवाणी जी से कहूंगा कि आप वहां जाकर अपने मुख्यमंत्री से, सी०आई०बी० की रिपोर्ट लगाकर पूछिये। वहां हमने एक शब्द भी नहीं बोला था। हमने एक शब्द भी नहीं कहा था कि जिस तरीके से जो जातीय उन्माद है, उसमें किसी तरीके से घी डालने का काम किया जाये। आप उनका मुंह बंद कर दो, बेचारे गरीब है, आदिवासी हैं, दलित हैं। उनका मुंह हजारों साल से बंद रहा है, आप फिर उनके मुंह को बंद कर दो।

बलराम जाखड़ जी यहां बैठे हुए हैं, नटवर सिंह जी वहां गये थे। ये दोनों लोग हैं, जिस सम्प्रदाय के लोगों ने हमला किया, उस सम्प्रदाय के नेता ने यदि हत्या की निन्दा की होती तो दूसरा सिगनल जाता। आज नतीजा क्या है कि उधर से कोई नहीं बोल रहा है। इधर से कौन बोल रहा है—राम विलास पासवान बोल रहा है। बूटा सिंह जी बोल रहे हैं कालका दास जी बोल रहे हैं। यदि इस तरह की बात होगी, तो दलितों की हत्या होगी और सिर्फ राम विलास पासवान, कालका दास, रतिलाल वर्मा और बूटा सिंह ही बोले तो समस्या का हल नहीं होगा।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आज हमको इस नेशनल फ्रण्ट और लैफ्ट फ्रण्ट की जो बैठक हुई उसमें अन्य अनेक महत्वपूर्ण घटनाओं के बावजूद तमाम लोगों ने यह अनुरोध किया कि कुम्हेर की घटना मानवता के ऊपर कलंक है और इसलिए इस मामले को सबसे पहले टेकअप करेंगे। इस बात के लिए मैं लैफ्ट फ्रण्ट के साथियों को धन्यवाद देना चाहता हूं।

मैं कहना चाहता हूं कि पार्टी पालिटिक्स से ऊपर ऊठकर हमको इसके बारे में बात करनी चाहिए। इसमें राजनीति नहीं करनी चाहिए। जो भी छोटे से छोटे और बड़े से बड़े अधिकारी इस घटना के लिए दोषी हैं, उनको सजा मिलनी चाहिए। जो भी नेता, चाहे जिस पार्टी का हो, उसको सजा मिलनी चाहिए। आज यहां सभी पार्टियों के लोग उपस्थित हैं, आज वे इस बात को सदन में कहें कि यदि उनकी पार्टी का कोई नेता इस काण्ड के लिए दोषी होगा, तो वे उसको अपनी पार्टी में नहीं रखेंगे।

अध्यक्ष जी, मुझे यह भी कहना है कि जो भी पदाधिकारी इस के लिए दोषी पाया जाए, उसको गिरफ्तार किया जाए और उनकी सम्पत्ति को जप्त कर के गरीब लोगों में बांटने का काम किया जाए। आप दलित वालंटियर्स की फोर्स बनाईए। दलितों को हथियार देने का काम कीजिए। आज अगर राजस्थान की सरकार न्यट्रल रहती, तो हमको कुछ नहीं कहना था, लेकिन राजस्थान की सरकार तो जो हत्यारे हैं, उनको बचाने का काम कर रही है। जो एडमिनिस्ट्रेशन में दोषी हैं, उनको बचाने का काम कर रही है। इसलिए राजस्थान सरकार के ऊपर मेरा चार्ज है कि उसको एक मिनट भी सत्ता में रहने का अधिकार नहीं है। इसलिए मैं मांग करता हूं कि मुख्य मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए और गृह मंत्री महोदय को भी इस्तीफा देना चाहिए।

प्रधान मंत्री यहां बैठे हैं, इस घटना की जांच सी०बी०आई० से करवाई है, हम जानते हैं कि वह क्या रिपोर्ट देती है। उस रिपोर्ट में क्या होता है, यह हमको मालूम है। इसी तरह की घटना चुंडूर में हुई थी, लेकिन आज तक एक भी दोषी को सजा नहीं दी गई। सारे के सारे लोग वहां छूट गए। हम लोग मौके पर गए,

सी॰बी॰आई॰ से जांच की मांग की। प्रधान मंत्री जी वहां आपकी पार्टी की सरकार का राज है। आपके राज में वहां दलितों की हत्या हुई, लेकिन एक आदमी को आज तक सजा नहीं हो पाई। इससे देश के लोगों के मन में क्या मैसेज जाएगा? क्या मैसेज हम संसार को देना चाहते हैं? जो आपने दलितों को राहत देने की बात कही थी, उसके विपरीत काम हो रहा है। उनको राहत नहीं मिल रही है, उनकी हत्या हो रही है। इसलिए मैं अध्यक्ष महोदय आपसे मांग करता हूं कि जो हमने एडजर्नमेंट मोशन दिया है, उसको स्वीकार कर के, उस के ऊपर बहस करवाएं।

कृषि मंत्री (श्री बलराम जाखड़): अध्यक्ष महोदय, श्री राम विलास पासवान जी ने कहा कि हम कुछ नहीं बोल रहे हैं, यह ठीक नही है। **(व्यवधान)**

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर): **क्या चर्चा प्रारंभ हो गई है (व्यवधान)**

श्री इन्द्रजीत गुप्त (मिदनापुर): क्या हम यह मान लें कि चर्चा प्रारंभ हो गई है **(व्यवधान)**

[हिन्दी]

कृषि मंत्री (श्री बलराम जाखड़): राम विलास जी जो कह रहे हैं, ऐसी बात हमारे दिल में कभी भी नहीं आ सकती। हम ऐसी दर्दनाक बात कभी सोच भी नहीं सकते हैं। हम वहां गए, हम वहां भी बोले, प्रैस कान्फरेंस में भी बोले। आज यदि हम मानव हैं, तो ऊंच-नीच की बात में हम कभी विश्वास नहीं करते। कोई भी मानव, जो अपने को मनुष्य कहलना चाहेगा, वह इस प्रकार की बातों मे विश्वास नहीं करेगा। वह ऊंच-नीच की भावना कभी मन में नहीं आने देगा।

श्री राम विलास पासवान: जाखड़ जी, आप वहां गए, आपने जो वहां देखा, वह बताईए।

श्री बलराम जाखड़: जो भी आदमी गलत काम करता है, चाहे वह किसी भी जाति से, किसी भी तपके से ताल्लुक रखता हो, वह गलत है और गरीब को दबाना, तो अति-जुल्म है। उसके लिए तो आवाज उठनी ही चाहिए। आप हमारी पार्टी का नाम लेते हैं, उसके लिए तो हम डटकर मुकाबला करेंगे।**(व्यवधान)**

श्री कालका दास (करोल बाग): अध्यक्ष महोदय, मैं भी वहां गया था, लेकिन यह कहना कि वहां की सरकार अपराधियों को संरक्षण दे रही है, बिलकुल गलत है। सबसे पहले राजस्थान के मुख्य मंत्री महोदय ने गृह मंत्री महोदय से सी॰बी॰आई॰ की जांच के लिए आवेदन किया और कहा कि जो भी अपराधी मिले, उसे सजा दी जाए। यह बात ठीक है, इससे कोई इंकार नहीं कर सकता कि जो दोषी हैं, उनको सजा मिलनी चाहिए। यह बात बिलकुल गलत है कि वहां की सरकार अपराधियों को संरक्षण दे रही है। ऐसी कोई बात नहीं है।

अध्यक्ष महोदय: चंद्राकर जी, यह ईशू डिस्कस हो जाए उसके बाद देखेंगे।

श्री जसवन्त सिंह (चित्तोड़गढ़): रामविलास जी ने जो कहा, यह बात सही है कि उनकी वेदना की अभिव्यक्ति यदि इस सदन में नहीं होगी तो कहां होगी। यह बात विपक्ष के नेता आडवाणी जी, वाजपेयी जी ने भी कही है। इस सदन में आप अपनी वेदना की अभिव्यक्ति नहीं करेंगे तो फिर यह सदन किसलिए है। परन्तु दूसरा तथ्य या पहलू भी सही है कि यह सदन वेदना या पीड़ा की राजनैतिक होड़ का सदन नहीं है। वास्तव में जिसकी जो पीड़ा है उसकी आपकी अनुमति से अभिव्यक्ति होनी चाहिए तभी यह सदन सार्थक है। पासवान जी बार-बार कह रहे हैं कि वे उसे राजनैतिक रूप नहीं देना चाहते हैं। मैं यह विश्वास नहीं करके चलता कि

[श्री जसवन्त सिंह]

रामविलास जी इसको कोई राजनैतिक रूप देना चाहते हैं। वे वास्तव में अपने मन की बात सदन में रखना चाहते हैं। परन्तु उस पीड़ा की अभिव्यक्ति के साथ-साथ उन्होंने जिन तथ्यों की या जिन निर्णयों की अभिव्यक्ति की, मैं उन तथ्यों को आपके सामने केवल इसलिए दे रहा हूं क्योंकि इसकी जानकारी भी सदन को होनी आवश्यक है यह सही बात है कि दंगा हुआ और जब दंगा होता है तो कहीं न कहीं कुछ तो होता है जब दंगा होता है। वह क्या हुआ। राजस्थान सरकार ने कहा जो कुछ भी हुआ उसकी जूडिशियल इन्क्वारी हो, जिसकी क्रिमिनल जिम्मेदारी है उसके लिए सी०बी०आई० की जांच हो। दोनों निर्णय 24 घंटे के भीतर किए गए।

वहां के अफसरों के बारे में रामविलास जी ने कहा। मैं अफसरों की जात में नहीं जाना चाहता। परन्तु यह भी सत्य है कि वहां के डिस्ट्रिक्ट मैजीस्ट्रेट शैडयूल कास्ट के हैं। उनको भी हटाया गया। ...(**व्यवधान**) मैं ज्यादा दूर नहीं जाना चाहता क्योंकि यह रास्ता ठीक नहीं है। हम कब तक अफसरों का विभाजन उनकी जात, धर्म से आंकते रहेंगे। यह नहीं होना चाहिए। पासवान जी को पूरा अधिकार है कि वह मांग करें कि राजस्थान सरकार भंग की जाए। जरूर मांग की जाए।

श्री राम विलास पासवान: मैंने मुख्यमंत्री के इस्तीफे की मांग की है, राजस्थान सरकार के भंग करने की मांग नहीं की है।

श्री जसवन्त सिंह: शायद मेरे सुनने में गलती हुई है। यह भी इनका अधिकार है कि मुख्यमंत्री का इस्तीफा मांगा जाए। परन्तु किस बुनियाद पर मांगा जाए? अगर हम इस रास्ते शुरू हो जाएंगे कि देश में जिस राज्य में जो घटना हो, किसी भी पीड़ा से प्रेरित हो, किसी भी राजनीति से प्रेरित हो, हम तुरन्त मांग करने लग जाएं कि वह मुख्यमंत्री हटाया जाए, वह राज्य सरकार भंग हो जाए तो क्या यह सदन अपना सही काम कर पाएगा?

वहां जितने लोगों की हत्या हुई है उनको 24 घंटे की भीतर एक-एक लाख रुपये आवंटित किए गए हैं। ...(**व्यवधान**) कुछ मित्रों की मांग है, सी०पी०आई० का एक दल गया, सी०पी०आई० के दल की एक मांग रखी गई कि एक लाख नहीं होना चाहिए पांच लाख होना चाहिए। इसमें मतभेद हो सकता है। मेरा निवेदन है कि यह सदन इस तरह से जान की कीमत लगाना शुरू नहीं करे कि राजस्थान सरकार एक लाख कहे, सी०पी०आई० पांच लाख कहे, दूसरे उसे आगे बढ़ाकर कहें। जान का इस तरह से मूल्यांकन नहीं होगा। वहां जो कुछ भी हुआ है बहुत गलत हुआ है। चूंकि बहुत गलत हुआ है इसलिए राजस्थान सरकार ने 24 घंटे के भीतर जो कदम उठाए हैं वह राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री के नेतृत्व में उठाए गए हैं। राम विलास जी अवश्य अपनी मांग कर सकते हैं लेकिन इतना अधिकार राम विलास जी मुझे भी अवश्य देंगे। मेरी पार्टी के बड़े नेता की 40 साल की पब्लिक सर्विस में उन पर आरोप लगाया जा रहा है कि ऐसी घटना के बाद वह वहां तरफदारी कर रहे हैं।

श्री राम विलास पासवान: क्या आपने पता लगाया है कि मुख्यमंत्री वहां गये थे जहां हत्या का षडयंत्र था ...(**व्यवधान**)...

श्री जसवन्त सिंह: मैं कुम्हेर गया था ...(**व्यवधान**)... राम विलास जी को आपत्ति है कि मुख्यमंत्री जब घटना स्थल पर गये ...(**व्यवधान**)...

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मेरे विचार से हमें संसद में मुख्य मंत्री के बारे में चर्चा नहीं करनी चाहिए। इस बात को यही छोड़ दीजिए।

[हिन्दी]

श्री जसवन्त सिंह: अध्यक्ष जी, क्योंकि बात आ गई थी इसलिये मैंने कहा और मेरा कर्तव्य बनता था। मेरे सीनियर हैं। मुझ से बड़े हैं। 40 साल की पब्लिक सर्विस में इस तरीके से पानी फेरा जाये, यह अच्छा नहीं है। मेरा क्या फर्क पड़ता है? यहां कहा गया, राम विलास जी ने कहा, मैं इसको बहुत गम्भीरता से लेता हूं। उन्होंने नर-बलि की बात कही। यह अपने आप में कितनी बड़ी बात है। राम विलास जी ने इसको सदन में कहा। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे पास और तथ्य हैं। मैं उन तथ्यों को रखूंगा तो राम विलास जी कहेंगे कि आपके तथ्य गलत हैं। मैं इस होड़ में नहीं लगना चाहता हूं कि राम विलास जी गलत कह रहे हैं या मैं गलत कह रहा हूं। राजस्थान सरकार ने जूडिशियल इनक्वायरी आर्डर की है। वह इनक्वायरी सब तथ्यों का पता करेगी। अगर सी०बी० आई० इनक्वायरी आर्डर की है, चाहे कोई भी हो, कांग्रेस पार्टी का हो, चाहे जनता दल से जुड़े हुए एम० एल० एज० हों और चाहे जनता दल अजीत सिंह ग्रुप से जुड़े हुए एम० एल० एज० हों, सब की बात आयेगी। मेरा निवेदन है कि इस पर चर्चा हो, पूर्ण रूप से चर्चा हो लेकिन मैं निवेदन करूंगा कि भारत सरकार राजस्थान सरकार से आफिशियल रिपोर्ट मांगे और फिर उस रिपोर्ट के आधार पर चर्चा हो तो तथ्यों के आधार पर चर्चा होगी, नहीं तो यहां केवल आरोप-प्रत्यारोप लगेंगे। मेरे मित्र या सहयोगी ऐसे में गुस्से में भी आ सकते हैं। हमारे दल की ऐसे में जिम्मेदारी भी बनती है कि आरोप लगने पर वे उनका जवाब दें।

भारतीय जनता पार्टी का डैलिगेशन वहां जाकर आया है। उन्होंने निष्पक्ष रूप से इतनी निष्पक्षता एक इन्सान के लिये सम्भव है, इस निष्पक्षता से अपने विचार रखें। जब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर आरोप लगेंगे तो क्या हमारे लोग चुपचाप बैठे रहेंगे। यह सम्भव नहीं है। आप इस पर चर्चा संयत् ढंग से कराइये, चर्चा को तथ्यों के आधार पर करवाइये, सरकार से मांग करिये कि इस पर वह रिपोर्ट पेश करे। जब कोई बहस होगी तो ही उसमें से कुछ निकलेगा क्योंकि जो बीच है, जो पीड़ा का बीज राम विलास जी का है, उसमें हम भी भागीदार हैं और वह हमारी भी पीड़ा है, लेकिन उस पीड़ा की अभिव्यक्ति एक राजनीतिक होड़ के रूप में होगी तो आप राजस्थान सरकार को आज यहां खींच लेंगे, पांच मिनट के लिये, आधे घंटे या एक घंटे भर के लिये या एक दिन के लिये, उसमें चाहे जितनी आलोचना राजस्थान सरकार की कर लीजिये लेकिन उससे किसी समस्या का हल नहीं निकलेगा।

श्री राम विलास पासवान: आप बिहार की तो रोज यहां आलोचना करते हैं।

श्री जसवन्त सिंह: यह सही बात है। उससे बिहार में क्या फायदा हो गया, क्या एचीवमेंट हो गया? हम को बहुत गम्भीरता से विचार करना होगा। आप इस चर्चा को अगर करवाना चाहते हैं तो सही ढंग से करवाइये। हम चर्चा चाहते हैं। मैं जानता हूं कि राजस्थान सरकार ने जो कुछ वहां किया है, वह सही किया है। आज तक राजस्थान सरकार ने जो किया है, भारत में किसी अन्य सरकार ने ऐसी घटना के बाद नहीं किया होगा।

श्री मुकुल बालकृष्ण वासनिक (बुलढाना): अध्यक्ष महोदय, प्रश्न काल के दौरान आडवाणी जी ने कुम्हेर की घटना पर अपनी राय देते हुए कहा कि राजस्थान की सरकार ने यह घटना होने के बाद तेजी से कदम उठाये और इसी तरह से जसवन्त सिंह जी ने भी राजस्थान सरकार ने कितना अच्छे से अच्छा काम किया, कितना पैसा बांटा, कितने अफसरों को वहां सस्पैंड किया, ट्रांसफर किया, इसके बारे में ब्यौरा यहां हमारे सामने रखा है। इतनी दर्दनाक घटना होने के बाद उस पर हम लोग आज सदन में जब भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ

[श्री मुकुल बालकृष्ण वासनिक]

नेताओं से यह सुन रहे हैं कि कितना पैसा दिया गया और कितने अफसरों का ट्रांसफर किया गया तो यह सुनकर बहुत दुख होता है। ....(**व्यवधान**)... रुक जाओं, सुन लो, भई। हमने भी आपकी बात सुनी है, आप भी सुन लो। ..(**व्यवधान**)... सबसे ज्यादा दुख की बात तो आज यह है कि वहां दलितों की हत्या हुई, वहां दलितों का खून गिरा और आज दलितों के खून को पैसों से तौलने की कोशिश हो रही है। आज सदन में मैं यह कहना चाहूंगा कि पिछले साल 4 और 5 अक्टूबर को प्रधान मंत्री ने सारे मुख्यमन्त्रियों का सम्मेलन यहां दिल्ली में बुलाया था। हमारी मांग थी कि सारे मुख्यमन्त्रियों को यहां बुलाया जाना चाहिए और जिस तरह से दलित, आदिवासियों पर अत्याचार हो रहे हैं, उन्हें रोकने के लिए तुरन्त कदम उठाने चाहिए। मुझे याद है, सारे मुख्यमन्त्रियों के सम्मेलन में बहुत से निर्णय लिये गये थे, यह सोचकर कि अगर इन निर्णयों पर सही रूप से अमल किया जाता है तो इस तरह से जो घटनाऐं होती हैं, वह घटनाऐं नहीं होंगी लेकिन आज दुख की बात तो यह है कि फिर दोबारा उसी तरह की बात हो रही है, घटनाऐं घटती चली जा रही हैं और उसके बाद कहा जाता है कि भई हमने उसके बाद यह कदम उठाये। हम उससे सन्तुष्ट नहीं हैं, इससे हमारा समाधान नहीं होगा।

जब जसवन्त सिंह जी ने कहा कि किस तरह से दलित, आदिवासियों को राजस्थान में सुरक्षा दी जा रही है, यह किस्सा, यह घटना में कहना नहीं चाहता था लेकिन पिछले लोक सभा सत्र के दौरान मैं माननीय आडवाणी जी से मिला, जसवन्त सिंह जी से भी बात की। एक आदिवासी अधिकारी, आई, ए० एस० आफिसर पिछले 23 महीने से सस्पैण्ड है। उसे 10 दिन तक उसे रिमाण्ड में रखा गया, 48 दिन तक ज्यूडिशियल, कस्टडी में रखा गया, अभी तक कोई एफ० आई० आर० नहीं, कोई चार्ज शीट नहीं। इस तरह की बात आज राजस्थान में हो रही है और ये दावा करते हैं कि राजस्थान में सुरक्षा दी जा रही है।

अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी बात समाप्त करने से पूर्व सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि हम राजस्थान सरकार की रिपोर्ट का इन्तजार नहीं करना चाहते। माननीय गृह राज्य मंत्री श्री एम० एम० जैकब ने कुम्हेर का दौरा किया है। मैं मांग करता हूं कि जैकब साहब अपने दौरे की सही रिपोर्ट यहां सदन में आज इसी वक्त रखनी चाहिए और जैकब साहब की रिपोर्ट पर आज यहां चर्चा होनी चाहिए।

इतना ही नहीं, राम विलास पासवान जी ने जो मांग की है कि राजस्थान सरकार को बर्खास्त कर देना चाहिए, मैं उसका पूरी तरह से समर्थन करता हूं मैं यह भी कहना चाहूंगा कि यह सिर्फ राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इसलिए उसे बर्खास्त नहीं करना चाहिए। इतनी दर्दनाक घटना किसी भी राज्य में हो, वहां किसी भी दल की सरकार हो, उस सरकार को बर्खास्त करने का निर्णय हो, फैसला हो, यह होना चाहिए, तभी इस तरह की घटनाऐं रूकेंगी।

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर): महोदय, एक भारतीय के रूप में मुझे इस बात से शरम आती है कि हमें देश में बार-बार ऐसी स्थितियों का सामना करना पड़ता है। स्वतंत्रता के इतने वर्षों बाद भी इस देश में ऐसे व्यक्ति हैं जो हमारे समाज के अत्यन्त संवेदनशील वर्गों के हैं उनको अभी भी उत्पीड़ित किया जा रहा है, उनके प्रति भेदभाव किया जा रहा है, उनकी हत्या की जा रही है तथा एक जाति विशेष, सरकार तथा प्रशासन द्वारा उनके विरुद्ध कार्यवाही की जा रही है। उन्हें सदैव यातनाएं भोगनी पड़ती है। यह अत्यंत चिंता का विषय है कि इस सभा के प्रत्येक सत्र में हम अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े व्यक्तियों के साथ घटने वाली ऐसी घटनाओं पर घंटो चर्चा करते हैं। ऐसा समय आ गया है जब हम सभा में यह कहते हैं कि हम इस एकपक्षीय मामला मानकर नहीं चल सकते हैं। लेकिन हम देखते है कि ऐसी घटनाएं बार-बार होती हैं। और अधिक से अधिक यह घटनाएं घटती हैं। ऐसी स्थिति से निपटने के लिए मूलतः हमारा रवैया तथा हमारे प्रयास

सही नहीं हैं। इन व्यक्तियों के साथ थोती सहानुभूति ही दर्शाई जाती है। ऐसी घटनाएं बार-बार बड़े पैमाने पर घटती हैं।

कुम्हेर के मामले में हमने यह देखा है कि श्री जैकब वहां गए थे। मैं यह समझता हूं कि भारत सरकार ने राज्य सरकार से अब तक रिपोर्ट प्राप्त कर ली होगी। इस पर कोई अर्थपूर्ण चर्चा करने से पहले हम श्री जैकब से यह जानना चाहते हैं कि स्थिति कैसी है। वह अभी यहां पर एक वक्तव्य दें हमे पता चलना चाहिये कि इन घटनाओं के बारे में राज्य सरकार की क्या रिपोर्ट है। इसे अभी हाल के समय में सबसे अधिक जघन्य घटना बताया गया है। ऐसा प्रतीत होता है कि वास्तविक घटना के कुछ दिन पहले वहां तनाव था। यह तनाव 18 मार्च होली के दिन सें था। 1 जून और 3 जून को फिर तनाव पैदा हो गया। इसके लिए क्या निवारक उपाय किए गए?

ऐसा प्रतीत होता है कि दो वर्गों के व्यक्ति जाति के आधार पर बैठकें कर रहे थे। वे एक-दूसरे को धमकी दे रहे थे। हम सदैव देखते हैं कि अनुसूचित जाति और दलित व्यक्तियों के साथ अन्याय होता है। एक समुदाय द्वारा 6 जून को एक पंचायत बुलाई गई थी जिसमें 10,000 से अधिक व्यक्ति एकत्र हुए थे। उन्होंने एक जुलूस निकाला। कुम्हेर गांव के बड़ा मोहल्ला में उन्होंने घरों पर पेट्रोल और मिट्टी का तेल छिड़क दिया और कुछ ही क्षणों में वहा पूरा क्षेत्र आग की चपेट में आ गया। 300 घर जल गए, 700 पशु आग में जल गए तथा अनेक व्यक्ति भी आग में झुलस गए। अब यह कहा जा हा है कि लगभग 50 व्यक्ति मारे गए हैं। बहुत से लोग लापता हैं। उन्होंने गांव छोड़ दिया है। क्या इस मामले को आम मामला माना जा सकता है?

प्रधान मंत्री महोदय यहां उपस्थित हैं। वह केवल यह कह रहे हैं कि इसकी न्यायिक जांच होगी? हम नहीं जानते कि रिपोर्ट कब आएगी। हम यह भी नहीं जानते कि क्या न्यायधीश के बारे में फैसला कर लिया गया है। एक मृत व्यक्ति को एक लाख रुपया नहीं दिया जा सकता है। उसके परिवार को पैसा दिया जा सकता है। आप एक व्यक्ति के जीवन का मूल्य नहीं आंक सकते हैं।

ऐसी दुर्घटनाएं क्यों होती है? इस बात के वावजूद कि इस बात की आशंका थी कि ऐसी घटनाएं घट सकती है, कोई कार्यवाही क्यों नहीं की गई? यह कहा गया है कि 6 और 7 जून के सप्ताहांत में दुर्घटना के स्थान से लगभग कुछ सौ मीटर दूर थाने में 300 पुलिसकर्मी उपस्थित थे। महोदय, इसमें क्या कोई संलिप्त था? दुर्भाग्यवश, जाति पर आधारित विभाजन ने पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों की मानसिकता को भी दूषित कर दिया है। साधारतया यदि लोगों के एक वर्ग को तंग किया जाता है और उनके साथ भेदभाव होता है अथवा उनका उत्पीड़न होता है तो वे अपनी जाति के पुलिस अधिकारियों को तैनात करने की मांग उठा देते हैं। इस प्रकार यह कैंसर हमारे राजनैतिक तंत्र तथा सामाजिक जीवन में घर कर गया है। इसलिए वे यह समझते हैं कि यदि उनकी जाति के प्रशासनिक तथा पुलिस अधिकारी होंगे तो उनकी बेहतर सुरक्षा होगी। अन्यथा उनकी सुरक्षा नहीं होगी। यदि प्रशासनिक तथा पुलिस अधिकारी किसी अन्य जाति के होंगे अथवा बहुसंख्यक जाति के होंगे तो वे उनका उत्पीड़न करते रहेंगे तथा उन्हे सुरक्षा नहीं मिल सकेगी। उनका यहीं कहना है।

महोदय, क्या इस मामले पर सबको गंभीरता से विचार नहीं करना चाहिए? क्या यह पर्याप्त है कि हम तभी ऐसी घटनाओं पर चर्चा करते हैं, जब ऐसी घटनाएँ वास्तव में घटित होती हैं। हम एक तरह का पोस्टमार्टम करते हैं तथा कुछ भाषण होते हैं। यह प्रक्रिया चलती रहती है तथा हम और ऐसी घटना होने तक प्रतीक्षा करते रहते हैं। तत्पश्चात् फिर उस पर चर्चा होती है। महोदय, संसद के प्रत्येक सत्र में हमें ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ता है। मैं यह नहीं कहना चाहता कि इस समय वहां की राज्य सरकार को क्या कार्यवाही करनी चाहिए। यह एक निर्वाचित सरकार है परन्तु मैं उन्हें इतना अवश्य कहूंगा कि वे कुछ आत्मनिरीक्षण करें। तनाव पैदा होने से

[श्री सोम नाथ चटर्जी]

संबंधित तीन स्पष्ट चेतावनियों के बावजूद क्या उन्होंने लोगों की सुरक्षा के लिए समुचित कदम उठाये। महोदय, पहले श्री शेखर सी०बी०आई० के प्रमुख थे। वर्तमान में वे पुलिस महानिदेशक हैं। उन्होंने भी शायद कुछ वक्तव्य दिए है जिसमें उन्होंने यह स्वीकार किया है कि लोगों में तनाव था तथा विभिन्न समुदायों के लोग उत्तेजित थे। सिनेमा हाल में कोई घटना हुई अथवा किसी खेत में हत्या जैसी कोई घटना हुई। इसलिए लोग घरों से बाहर आ गये थे। आग लगने के कारण काफी हानि हुई है और कई मामलों में लोग आश्रम-विहीन हो गये हैं। वे बहुत ही सामान्य और गरीब लोग हैं। इस सम्बन्ध में क्या किया जा रहा है? मैं केन्द्रीय सरकार से यह जानना चाहता हूं कि उन्हें उससे क्या सहायता मिली है। क्या उसने राज्य सरकार को इन लोगों को सहायता उपलब्ध करवाने के लिए राजी कर लिया है जो कि निर्दोष होते हुए भी दुख भोग रहे हैं। उनका एक मात्र अपराध यही है कि वे एक ऐसे वर्ग अथवा समाज से सम्बन्ध रखते हैं जिसे उनके जन्म अथवा धन्धे के कारण दूसरे अथवा तीसरे दर्जे के नागरिक माना जाता हैं। इस दृष्टिकोण को समाप्त किया जाना चाहिए। इसलिए, सदन के सभी वर्गों से मेरी अपील है कि जहां तक मानवीय जीवन का सम्बन्ध है, हमें पक्षपात पूर्ण दृष्टिकोण से ऊपर उठकर विचार करना चाहिए। इसे एक राजनैतिक संघर्ष का रूप नहीं दिया जाना चाहिए परन्तु जहां पर राजनैतिक संगठन तथा प्रशासन अपने कर्त्तव्य को पूरा करने में असफल हो रहे हों, उन मामलों में यहां पर बैठे हुए हम सदस्यों का यह परम कर्तव्य हो जाता है कि हम ऐसी प्रभावशाली कार्यवाही की मांग करें जिससे कि इस उत्पीड़न का शिकार लोगों की सुरक्षा ही न हो बल्कि दोषी लोगों को उचित दंड भी मिले। किसी के साथ भी कोई रियायत नहीं बरती जानी चाहिए तथा कोई भी बच कर नहीं जाना चाहिए। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि देश के नाम को कलंकित करने वाली ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो।

श्री बूटा सिंह (जालौर): अध्यक्ष महोदय, आज सदन की कार्यवाही राजस्थान के कुम्हेर तथा मध्यप्रदेश के अन्य स्थानों पर उत्पीड़न की घटनाओं पर चर्चा से आरम्भ हुई। हम केवल इस सदन की ओर से दलितों तथा शोषित वर्ग के उत्पीड़न सम्बन्धी घटनाओं पर गहरी चिन्ता व्यक्त करना चाहते हैं। महोदय, हम इस सदन की प्रक्रिया एंव नियमों से अवगत है हम केवल इतना चाहते हैं कि इसे सामान्य मामला न माना जाये। इसे पर्याप्त महत्व दिया जाये। इसे राष्ट्रीय प्रतिष्ठा का मामला माना जाये। दुर्भाग्य वश, विपक्ष के कुछ सदस्यों, विशेषकर भाजपा के सदस्यों को ऐसा लगा कि हम ऐसी स्थिति पैदा करना चाहते हैं जिसमें कि भा० ज० पा० सरकार की आलोचना की जायेगी।

महोदय, दोषी को दंड अवश्य मिलना चाहिए। मैं यह आशा कर रहा था कि विपक्ष के नेता श्री आडवाणी जी दलगत भावना से ऊपर उठ कर, इस सदन में आ कर इस जघन्य हत्याकाण्ड पर चिन्ता करेंगे। महिलाओं से बलात्कार किया गया, बच्चों को आग में फेंका गया। महोदया, परन्तु विपक्ष के माननीय नेता ने इसकी बजाय सरकार को उसके निर्दोष होने का प्रमाण पत्र देना आरम्भ कर दिया। हम यहां पर किसी मुख्यमंत्री अथवा किसी राज्य सरकार की आलोचना करने के लिए एकत्र नहीं हुए हैं। हम केवल इतना चाहते है कि इस सदन को कुम्हेर कांड पर गंभीरता पूर्वक विचार करना चाहिए। यह घटना एक दिन एक ही समय पर नहीं हुई। यह घटनाक्रमं पांच दिनों तक चलता रहा यह घटनाक्रम 1 जून को आरम्भ हुआ तथा 3,4 तथा 6 जून को भी यह घटनाक्रम जारी रहा। यह चार महत्वपूर्ण घटनाये बड़े-बडे पुलिस अधिकारियों के सामने हुई; पुलिस महानिरीक्षक, पुलिस उप-महानिरीक्षक, पुलिस अधीक्षक, अतिरिक्त पुलिस अधिक्षक तथा जिलान्यायाधीश सहित सभी अधिकारी वहां पर उपस्थित थे।

यदि आप समूचे घटनाक्रम पर नज़र डाले तो पहली जून को सिनेमा से सम्बधित घटना घटी। उसे पुलिस ने होने दिया। सिनेमा अधिकारियों से मिल कर उन्होंने उन्हीं लड़कों को दण्ड देना शुरू कर दिया, जिनके पास

टिकट थे। उन्हें बाहर निकाल दिया गया उन्हे अपमानित किया गया था पीटा गया और पुलिस मामला दर्ज करने लिए तैयार नहीं थी। इसी की यह प्रतिक्रिया हुई कि लोगों ने सड़क पर विरोध प्रकट करना शुरू कर दिया।

4 जून को पंचायत की गई तथा पंचायत में गांव के जाटव लोगों को सबक सिखाने का निर्णय लिया गया। जिन दिनों कुम्हेर में यह सब घटनाक्रम चल रहा था, जो कि जिला मुख्यालय से केवल 15 कि० मी० की दूरी पर है, उस समय एक बड़ी संख्या में सुरक्षा बल वहां पर उपस्थित थे। कुम्हेर कोई छोटा सा गांव नहीं है। यह सड़क और टैलिफोन सुविधा द्वारा अच्छी प्रकार जुड़ा हुआ कस्बा है।

अब जबकि हम 6 जून की घटना पर चर्चा कर रहे हैं तो हमें यह जान लेना चाहिए कि इसके लिए उत्तरदायी लोग कौन हैं। मैं अकस्मात यह आरोप नहीं लगाना चाहता कि मुख्यमंत्री महोदय इसके लिए उत्तरदायी हैं। उस क्षेत्र में कुछ ताकतें सक्रिय हैं। यह एक बहुत ही संवेदनशील क्षेत्र है, जिसने पिछले दस वर्षों में इतिहास बनाया है। गांव में बड़ी संख्या में सुरक्षा बल होने के बावजूद सरकार सोती रही। 6 जून को जो हुआ, वह बड़ा ही वीभत्स था। 6 जून को पुलिस ने जाटवों की बस्ती में गोली चलाई तथा सभी सक्षम व्यक्तियों को ले गई। जब पुलिस को पता था कि पांच-छः गांवों के लोग एकत्रित हो रहे हैं, वे ट्रैक्टर और ट्रलियां किराये पर ले रहे हैं तथा बस्ती को नष्ट करने के लिए पूरी तरह से हथियारों से लैस होकर आ रहे हैं तो भी पुलिस सभी सक्षम व्यक्तियों को ले गई और उन्हें थाने में बंद कर दिया। इसका परिणाम यह हुआ कि महिलाओं, बूढ़ों और बच्चों की रक्षा करने वाला कोई नहीं था। यहां तक कि मवेशियों को भी आग में फैंक दिया गया।

इस प्रकार, महोदय, यह एक बहुत ही समझ बूझ कर किया गया भयानक अपराध है, जो कि पांच दिनों तक चलता रहा। एक पार्टी नहीं बल्कि सभी पार्टियां वहां पर पहुंची हैं। अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति संसदीय मंच के रूप में हम 18 जून को वहां पर गये। इस सदन में प्रतिनिधित्व रखने वाले सभी दल उस शिष्टमण्डल में सम्मिलित थे। हमने कुछ जिलाधिकारियों से पूछताछ की तथा सारी कहानी स्पष्ट रूप से दूर्भावनापूर्ण लगती है। कोई भी अजनवी यह समझ जायेगा कि घटनाक्रम कैसे घटा। माननीय गृह राज्य मंत्री भी वहां पर गये थे तथा उन्होंने एक सार्वजनिक वक्तव्य दिया। क्या इस सदन को उस वक्तव्य को सुनने का भी अधिकार नहीं है? मैं यह आशा कर रहा था कि आज जब सदन की कार्यवाही आरम्भ होगी, माननीय गृह मंत्री अथवा कम से कम गृह राज्य मंत्री इस सदन में वक्तव्य देंगे। हम उनसे यह जानना चाहते हैं कि सी० बी० आई० जांच का क्या हुआ। क्या यह अभी भी चल रही है?

महोदय, ऐसी जानकारी मिली है कि सी० बी० आई० जांच में बाधा डाली जा रही है। **(व्यवधान)** अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य से नहीं बल्कि माननीय मंत्री महोदय से वहां की स्थिति की जानकारी प्राप्त करना चाहता हूं। मुझे बताया गया है कि वहां कुछ ताकतें सक्रिय हैं। कुछ बहुत ही प्रभावशाली ताकतें सक्रिय हैं जो कि सी० बी० आई० जांच को पूरा नहीं होने देना चाहती। हम सरकार से यह जानना चाहते हैं कि क्या यह वास्तविकता है या नहीं।

इसलिए, महोदय, मैं यह निवेदन करता हूं कि वे गृह मंत्री महोदय से एक पूर्ण तथा विस्तृत वक्तव्य के साथ तैयार हो कर आने के लिए कहें तथा वे अभी वक्तव्य दें।

ऐसा इसलिए क्योंकि यह एक बहुत ही गंभीर तथा जघन्य अपराध है। अब हम एक पल भी प्रतीक्षा नहीं कर सकते माननीय राज्य मंत्री महोदय यहां उपस्थित हैं। जो विस्तृत रिपोर्ट उन्होंने तैयार की है, वे उसे सदन के

[श्री बूटा सिंह]

समक्ष रखें तथा उस रिपोर्ट पर चर्चा की जानी चाहिए। हम यहां पर हार-जीत करने के लिए नहीं हैं। मैं जानता हूं कि वाजपेयी जी किसी को भी तर्क-वितर्क में हरा सकते हैं। हम यहां पर वाद-विवाद करने के लिए नही हैं। हम यहां पर समस्या का समाधान ढूंढने आये हैं।

आज सुबह माननीय प्रधान मंत्री महोदय ने बैठक में ठीक यह उल्लेख किया कि इस स्थिति से केवल प्रशासन या सरकार ही निबट नहीं सकती है बल्कि सारा समाज ही मिल कर इस समस्या से निबट सकता है। इसके लिए हमें सामाजिक कार्यवाही आरम्भ करनी होगी तथा सामाजिक कार्यवाही सभी दलों की भागीदारी से ही सुनिश्चित हो सकती है।

इसलिए, महोदय, मेरा प्रधान मंत्री महोदय से यह निवेदन है कि वह वक्तव्य सभा पटल पर रखा जाये और उसे सदस्यों को उपलब्ध कराया जाये तथा इस मुद्दे पर अभी चर्चा आरम्भ की जाये। यह चर्चा केवल कुम्हेर कांड तक ही सीमित नहीं रहनी चाहिए बल्कि उन ऐसी जघन्य घटनाओं पर चर्चा की जाये जो कि अन्य स्थानों पर घटी हैं। कार्यसूची में सम्मिलित किसी अन्य विषय से पहले, इस मुद्दे पर चर्चा की जानी चाहिए मेरा इतना ही निवेदन है। **(व्यवधान)**

श्री चन्दूलाल चन्द्राकर (दुर्ग): महोदय, मैं व्यवस्था सम्बन्धी प्रश्न उठाना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय: हम एक-एक करके मुद्दों पर चर्चा कर सकतें हैं। एक ही समय पर नहीं। अब व्यवस्था का कोई प्रश्न नहीं है क्योंकि इस समय कोई व्यवस्था है ही नहीं।

श्री रीत लाल वर्मा: (धन्धुका): अध्यक्ष महोदय, भारतीय जनता पार्टी का डैलीगेशन जो कम्हेर गया था उसमें सर्वश्री के०एल० शर्मा, सिकन्दर बख्त, उमा भारती कालका दास और मैं गया था। दुःख के साथ कहना पड़ रहा है कि हर राज्य में ऐसी घटना होती है और हम लोग उस पर बहस करते हैं। चिंदूर के अन्दर जो घटना घटी थी, जिन लोगों का उसमें हाथ था, जो हत्यारे थे, वे सब छूट गए। किसी को भी सजा नहीं हुई। उत्तर प्रदेश के कुण्डा जिले में 13 निर्दोष हरिजन और दलितों को ले जा कर पुलिस ने गोली से मार दिया। उस वक्त स्थानीय सरकार ने 25 हजार रुपये देने की वात कही थी।हमारे द्वारा विरोध करने पर उस समय के प्रधान मंत्री श्री चन्द्रशेखर ने एक लाख रुपया प्रत्येक मरने वाले के आश्रितों को देनी की बात कही थी। उस समय मैने कहा था कि रुपया देने से कुछ होने वाला नहीं है।

कुम्हेर के अन्दर जो घटना घटी, यह दुःखद है। दलितों की हत्याएं हुई हैं, यह बात भी सही है। वहां हम गए थे। लेकिन ये हत्याएं क्यों होती हैं? उसे समझना पड़ेगा। हत्याएं जब होती हैं तो पुलिस आफिसर का तबादला हो जाता है, मंत्री और मुख्य मंत्री को बदला जाता है या सरकार बदल जाती है। इन सब बातों से ये हत्याएं बन्द होने वाली नहीं हैं। इन घटनाओं को रोकने के लिए सारे हिन्दुस्तान में दलित विरोधियों का मानस बदलना पड़ेगा। जो दलितों के खिलाफ हैं, जिनके दिल ओर दिमाग में दलितों के खिलाफ भावनाएं बैठी हुई हैं, वे मौका पाते ही लोगों को भड़काते हैं और हत्याएं होती हैं। मैने परसनली कुम्हेर में पूछा कि ऐसा क्यों हुआ। श्रीमान, जब यह घटना घटी तो वहां चक्का जाम का कार्यक्रम किया गया। बसें रोकी गयी, लेकिन बसों में बैठी महिलाओं का अपमान नहीं हुआ। किसी के कपड़े नहीं उतारे गए। बस में किसी का बक्सा छूट गया था, उसमें से स्त्री के लेडीज कपड़े निकाल कर लोगों को दिखाए गए और अफवाह फैला दी कि महिलाओं की इज्जत लूटी गयी है, जाटवों के द्वारा महिलाओं को नंगा किया गया है। यह हवा चारों ओर फैलायी गयी। वहां के जनता दल और कांग्रेस के लोगों ने पंचायत बुलायी। इसमें कुछ लोग शान्ति स्थापित करने का प्रयत्न कर रहे

थे। लेकिन कुछ लोगों ने बहकाया कि सरकार कुछ नहीं करेगी, कानून हमें हाथ में लेना ही पड़ेगा, उन लोगों ने वहां जा कर ऐसी हवा फैलायी कि लोगों के अन्दर आग भड़क रही थी। लोगों ने कानून हाथ में लेने का प्रयत्न किया। आग लगाई गई। वहां हत्याएं हुई है, यह बात बिल्कुल सच है। अनेक राज्यों में हत्याएं होती आयी है। मैं राजस्थान सरकार की सराहना तो नहीं करता हूं, लेकिन तीव्र गति से जो कदम उठाने चाहिएं वह कदम राजस्थान सरकार ने उठाए हैं। वैसे कदम आज तक भारत के अन्य राज्यों के मुख्य मंत्रियों ने नहीं उठाये हैं। ......**(व्यवधान)**....... आगे कहा गया उसके मुताबिक..**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय: आप बहुत बोल चुके हैं।

श्री रीत लाल वर्मा: मैं इसलिये कह रहा हूं कि हम संतुष्ट नहीं है..**(व्यवधान)** सी॰बी॰आई॰ द्वारा वहां जांच की गई। अगर राज्य सरकार अपने हाथ में बात रखती तो किसी को बचाने के लिये प्रयत्न कर सकती थी। लेकिन, सी॰ सी॰ आई॰ को मामला सौंपकर उन्होंने न्यायिक कदम उठाया है। मैं यह कहता हूं कि जो गुनाहगार हैं, उन्हें सजा होनी चाहिये और ऐसी घटना दुबारा न घटे और ऐसी सर्वसम्मति से राह अपनायी जाये और लोगों का मोरल बदला जाये ताकि हिंदुस्तान में 44 वर्ष बाद दलित सुरक्षा से रह सकें.**(व्यवधान)**

श्री चन्द्र शेखर (बलिया): अध्यक्ष महोदय, यह बहस आधे घंटे से चल रही है। कुछ बातें राम विलास जी ने और कुछ बातें जसवंत सिंह जी ने कही। मामला अत्यंत चिंताजनक है। यह बात है कि जो हत्या हुई, वह नृशंस हत्या हुई लेकिन, दुख इस बात का है कि दोनों तरफ से आरोप प्रत्यारोप लगाये जा रहे हैं, इससे हालत और बिगड़ेगी। मैं, नहीं जानता हूं कि इस तरह की बहस से क्या लाभ होने वाला है। मैं, किसी की मंशा के ऊपर शंका नहीं करना चाहता। मुझे आश्चर्य इस बात पर है कि राज्य गृह मंत्री वहां गये और सी॰ बी॰ आई॰ को दिये हुये यह मामला। एक महीना हो गया। जो सी॰ बी॰ आई॰ का काम करने का तरीका है तो कोई न कोई प्रारंभिक रिपोर्ट सरकार को दी होगी। हर राज्य में इस तरह की घटनायें होती हैं तो इंटेलिजेंस ब्युरों के लोग इस तरह की घटना की रिपोर्ट 24 घंटे के अंदर देते हैं। कोई राज्य सरकार पर आरोप लगाता है और कोई पुलिस जाति के नाम पर बांटने का आरोप लगाता है, कोई सदस्य यह कहता है कि एक सरकारी अफसर को 23 महीने से निलंबित किया गया है, दूसरी तरफ से कहा जाता है कि उन पर रेप का आरोप है। मैं नहीं जानता कि इस तरह से क्या हम लोग इस हत्याओं को रोकने में समर्थ हो सकेंगे। इसलिए, मैं समझता हूं कि जो सवाल बूटा सिंह जी ने वासनिक जी ने उठाया है तो राज्य गृह मंत्री और केन्द्रीय गृह मंत्री को कोई एक रिपोर्ट देनी चाहिए कि उनकी जानकारी क्या है। यह बहुत दुखद बात कही गई है कि वहां कोई नरबलि दी गई। राम विलास जी कहते हैं कि उनके पास पक्का सूबूत है कि नरबलि दी गई। जसवन्त सिंह जी कहते हैं कि यह बात सही नहीं है। इस बात पर भारत सरकार कोई राय नहीं देगी तो इसका क्या असर सारे देश मे होगा। हमारे भाषण जगह-जगह हत्या होने से रोक नहीं सकतें। हम जितने भाषण यहां पर देते हैं तो हत्याओं का जोर उतना बढ़ता है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे करबद्ध निवेदन करूंगा कि दोनों पक्षों के लोगों को सदबुद्धि दी जाए और खास तौर से इस सरकार को कहिए कि कुछ जिम्मेदारियां इनकी हैं। केवल राज्य सरकारों की अवमानना, उनकी बेइज्जती, उनकी आलोचना सुनते रहना और चुपचाप बैठे रहने से देश की समस्याएं और जटिल होंगी इसलिए आप समय निश्चित कर दें और राज्य गृह मंत्री दो-तीन बातों पर ध्यान दें। नरबलि हुई कि नहीं और राज्य सरकार का उसमें हाथ था या नहीं था। यह भी सवाल उठाया गया कि जान की कीमत लगे। हम कहते हैं कि कोई मर गया तो उसको कंपनसेशन दीजिए।.....**(व्यवधान)** आप यह भी कहतें है कि जो थोड़ी मदद दी जा रही है, वह रोक दी जाए। क्या केवल भाषण देने से और जो समझ में आता है, वहँ भाषण हम देते हैं।

[श्री चन्द्र शेखर]
अध्यक्ष महोदय, आप इन भाषणों को रोकिए। यह संसद इन घावों पर मरहम नहीं लगायेगी, आग में घी डालने का काम करेगी। मैं, प्रधान मंत्री जी से करबद्ध निवेदन करूंगा कि प्रांरभिक रिपोर्ट आप दीजिए ताकि बहस एक दायरे के अंदर हो ताकि स्थिति को बचाने और सुधारने के लिए हो सके, यही मेरा निवेदन है।

अध्यक्ष महोदयः आपकी बात दुरूस्त है, ऐसा करने से कुछ निकल सकता है। सदस्यों ने अपनी भावनाएं वयक्त की हैं और उनको बोलने के लिए थोड़ा टाइम दिया गया। मुझे कहा गया कि उनको स्टेसमेंट तैयार है......**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी (दमदम): यदि हम बैंक घोटाले के बारे में चर्चा नहीं करते हैं तब हम अपना कर्तव्य पूरा नहीं कर रहे हैं। **(व्यवधान)**

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एम० जैकब): यदि सभा सहमत हो तो हम....**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदयः संसदीय कार्य मंत्री ने मुझे बताया है कि यदि आप चाहते हैं कि वित्त मंत्री कोई वक्तव्य दें तब वित्त मंत्री वक्तव्य दे सकतें हैं, उनका वक्तव्य तैयार है। अतः हम प्रक्रिया का पालन करें।

श्री चन्द्रशेखर ने ठीक ही कहा है कि आप पहले वक्तव्य सुनलें फिर उस पर चर्चा करें। यदि आपके सामने वक्तव्य नहीं है तब आप किस पर चर्चा करेगें।

श्री तरित तोपदार (बैरकपुर): हमें उनका वक्तव्य नहीं चाहिए उन्हें बर्खास्त कर देना चाहिए। वित्त मंत्री को बर्खास्त कर देना चाहिए।

1.00 म० प०

अध्यक्ष महोदयः हमें प्रक्रिया का पालन करना चाहिए अभी हम एक मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं अतः पहले इस पर चर्चा कर लें और यदि समय बच जाता है तब हम दूसरे मुद्दे पर चर्चा कर सकतें हैं। यदि इस पर चर्चा करने के लिए समय होगा तब हम इस पर अवश्य चर्चा करेगें। आप यह मत समझिये कि इस पर चर्चा नहीं की जाएगी। उनका वक्तव्य तैयार है। मुझे बताया गया है कि मंत्री महोदय वक्तव्य देना चाहते हैं और बाद में आप इस पर चर्चा कर सकते हैं।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जीः मैं आपसे पूर्णत सहमय हूं।

अध्यक्ष महोदयः अब कृपया यह बात मुझ पर छोड़ दीजिए मुझे कार्यवाही चलाने दीजिए यदि प्रत्येक सदस्य कुछ-न-कुछ बोलेगा तब में कार्यवाही नहीं चला पाऊंगा। मैं श्री चन्द्रशेखर द्वारा दिए गए सुझाव का पालन कर रहा हूं। यह एक अच्छा सुझाव है। जब आपके सामने कोई मुद्दा होगा तभी आप उस पर चर्चा कर पाएंगे। अतः अभी इस पर चर्चा नहीं करें।

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर): हम इससे सहमत हैं **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदयः हम ऐसा करेंगे लेकिन आप सब खड़े होकर मुझसे यह मत कहिए कि आप ऐसा कीजिए अथवा वैसा कीजिए श्री वसुदेव आचार्य कृपया मुझे अपनी बात समाप्त करने दीजिए।

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय (इलैक्ट्रोनिकी तथा महासागर विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री कुमारमंगलम रंगराजन): कुम्हेर घटना के बारे में अनेक

व्यक्तियों ने अपने विचार प्रकट किए हैं। हमारा वक्तव्य तैयार है। गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री वक्तव्य दे सकते है और उसके बाद हम उस पर चर्चा करना चाहते हैं। यदि वे नियम 193 के अंतर्गत चर्चा करना चाहते हैं तब वे ऐसा कर सकतें हैं।

अध्यक्ष महोदय: मैं इससे सहमत हूं कि वक्तव्य दिया जाए जब तक अनेक सदस्य इस पर बोल चुके हैं और केवल एक-दो सदस्यों को ही इस पर बोलना है। मैं चाहता हूं कि वे भी अपने विचार प्रकट कर लें। तब आप वक्तव्य दे दें और यदि उसके बाद हम इस बात को समाप्त करना चाहें तब हम इसे समाप्त समझ सकतें है।

श्री रंगराजन कुमारमंगलम: ठीक है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (मिदनापुर): अब एक बजे हमें यह बताया गया है कि गृह मंत्री वक्तव्य देने के लिए तैयार है।

अध्यक्ष महोदय: मैं जानता हूं।

श्री इन्द्रजीत गुप्त: हमने इस पर दो घंटे क्यों बेकार कर दिए? यह वक्तव्य पहले क्यों नहीं दिया गया? वे चुप रहे, उन्होंने एक शब्द भी नहीं बोला और अब दो घंटे के बाद वे कह रहे हैं कि उनका वक्तव्य तैयार है।

श्री सोमनाथ चटर्जी: हम चाहते हैं कि वे वक्तव्य दें।

अध्यक्ष महोदय: श्री इन्द्रजीत गुप्त, मैं यह जानता हूं।

श्री इन्द्रजीत गुप्त: जब हम चाहते थे कि वे वक्तव्य दें तब वे मौन रहे और अब वे कह रहे हैं कि उनका वक्तव्य तैयार हैं।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी: प्रतिभूति घोटाले के बारे में भी ऐसा ही किया गया है **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय: श्री बसुदेव आचार्य कृपया बीच में बाधा मत डालिए।

श्री इन्द्रजीत गुप्त: इससे पूरी चर्चा ही अस्त-व्यस्त हो जाएगी।

अध्यक्ष महोदय: ऐसा ही वास्तव में होना चाहिए था। आप हमें ठीक प्रकार से कार्य नहीं करने दे रहे हैं। हर कोई यह चाहता था कि प्रश्न काल को स्थगित कर दिया जाए।

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा): उसके बाद?

अध्यक्ष महोदय: उसके बाद भी कोई प्रक्रिया है। आप यह सब मुझ पर छोड़ दीजिए। मैं सुनिश्चित करूंगा कि आपको वह सब अवसर अवश्य मिले जो आप चाहते हैं। यदि आप एक बात अभी मनवाना चाहते हैं और कुछ समय बाद दूसरी बात मनवाना चाहते हैं तब ऐसा नहीं हो सकता। मैं दो या तीन सदस्यों को बोलने का मौका दूंगा और उसके बाद, मंत्री द्वारा वक्तव्य दिया जाएगा। यदि आप समझते है कि यह आवश्यक है तब हम इस पर चैम्बर में भी चर्चा कर सकते हैं। अभी आप ऐसा मत कीजिए।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी: मैं एक या दो मुद्दों पर बोलना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय: आप कैसे इस कार्यवाही में बाधा डाल सकते हैं? मैंने आपको स्थिति स्पष्ट कर दी है। क्या आपने कोई भी बात नहीं सुनी है।

श्री सैयद शहाबुद्दीन (किशनगंज): मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

अध्यक्ष महोदयः अभी कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री सैयद शहाबुद्दीनः जिन लोगों ने अलग से जीरो आॅवर के लिए कुछ और सबजेक्ट्स दिये हैं आप उनको मौका देंगे या नहीं?

جناب سید شہاب الدین: جن لوگوں نے الگ سے زیرو آور کیلئے کچھ اور سبجیکٹس دیئے ہیں آپ ان کو موقع دیں گے یا نہیں؟

अध्यक्ष महोदयः मैं सबको देने की कोशिश करूंगा, मगर आज ही नहीं। क्योंकि आज करेंगे तो वही दिन भर चलता रहेगा।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह (फतेहपुर): आपका आभार प्रकट करना चाहता हूं कि आपने कुम्हेर पर मौका दिया। यह कृतज्ञता प्रकट करते हुए एक और निवेदन है जहां आपका ध्यान आकर्षित करना है। आप जो समय दे रहे हैं उस पर चर्चा चल रही है, लेकिन एक चीज ऐसी है जो कल की बात नहीं हो सकती । एक ऐलान हो चुका है कि जो एन॰ आई॰ सी॰ का रिजोलुशन था, बहुत अच्छा हुआ, भारतीय जनता पार्टी ने भी उसका समर्थन किया था। वह यूनेनिमस देश में आया था। लेकिन कल उसका उलंघन होने जा रहा है और उस पर केन्द्र सरकार क्या कर रही है, आज ही बयान होना चाहिए कि वह क्या करने जा रही है। सबके मन में चिन्ता है, कुम्हेर की वजह से हमने नहीं उठाया था, लेकिन आज ही होम मिनिस्टर का बयान आना चाहिए कि अयोध्या के मामले पर जो एन॰आई॰सी॰ में रिजोलुशन पास हुआ था उसका उल्लंघन होने जा रहा है उस पर सरकार क्या कार्रवाई करने जा रही है, आप कार्रवाई नहीं करेंगे, यदि आप मौन रहेंगे तो हम समझते हैं कि आप अपने कर्तव्य का निर्वहन नहीं कर रहे हैं इसलिए आपको उस स्थान पर रहने की कोई जरूरत नहीं है।

श्री चन्द्रजीत यादव (आजमगढ़): ऐसे ही मामला बिगड़ जायेगा, उस पर क्या होगा?

अध्यक्ष महोदयः मेरे पर छोड़ दीजिये, मैने आपको सुन लिया है।

श्री चन्द्रजीत यादवः आप पर सब छोड़ दिया है।

अध्यक्ष महोदयः ऐसा करेंगे तो एक बोलेगा यह करो और दूसरा बोलेगा वह करो।

[अनुवाद]

मैंने यह बात सुन ली है। मैंने इसकी महत्ता भी समझ ली है।

[हिन्दी]

श्री चन्द्रजीत यादवः उस पर बयान दिलवाइये।

अध्यक्ष महोदयः देखिये, आप मुझे पहला मैटर कन्कलूड करने दीजिये....

श्री चन्द्रजीत यादवः सारे देश में तूफान मचेगा। अगर भारत सरकार चुपचाप बैठी तमाशा देखेगी। यह

ऐलान हो रहा है कि मस्जिद तोड़ी जायेगी, मन्दिर बनाया जा रहा है, खाई खोदी जा रही है और उसके बाद आप बतायेंगे कि कल क्या करने जा रहे हैं...यह बताना पड़ेगा...**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम॰ एम॰ जैकब): महोदय, मैं इस बारे में भी वक्तव्य दूंगा...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: कृपया इस बात को समझिए। आपके मन में अनेक बातें हैं। आप एक समय में सभी मुद्दे नहीं उठा सकते हैं और उनका उत्तर भी नहीं प्राप्त कर सकते हैं। मैनें कहा है कि मैनें मुद्दे, जिसे भूतपूर्व प्रधान मंत्री श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह ने उठाया है के महत्व का समझा है। इसे ठीक प्रकार से उठाया जा सकता है। जब हम एक विषय पर चर्चा कर रहे हैं तब आप खड़े होकर दूसरा मुद्दा उठाते हुए कहते हैं कि आप इस पर वक्तव्य चाहते है। कृपया इस बात को समझिए कि ऐसा नहीं हो सकता है।

श्री चन्द्रजीत यादव (अजमगढ़): उन्होंने कल की तारीख की घोषणा की है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि भारत सरकार यह अवश्य कहे कि उसने उसकी रक्षा के लिए आवश्यक कदम उठाए.....**(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री सैयद शहाबुद्दीन: आप उस पर जीरो ऑवर में डिसकस करेंगे....

अध्यक्ष महोदय: मैं उस पर कराऊंगा, आप बैठ जाइए।

श्री सैयद शहाबुद्दीन: आप हमें बोलने का मौका नहीं देते है...।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: यह आपकी ओर से अत्यंत अन्यायपूर्णबात है। आपके दल ने ही यह मुद्दा उठाया था।

[हिन्दी]

श्री सैयद शहाबुद्दीन: जो हो हमारी पार्टी ने नहीं कहा है....आप हमें बोलने का मौका नहीं देते हैं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: श्री सैयद शहाबुद्दीन मैं आपको चेतावनी देता हूं।

(व्यवधान)

श्री सैयद शहाबुद्दीन: महोदय, आप मुझे चेतावनी दे सकते हैं, मुझे सदन से निलंबित कर सकते हैं...

अध्यक्ष महोदय: सभा में इस प्रकार की धौंस देने की **(व्यवधान)** अनुमति नहीं है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: कृपया इस प्रकार चिल्लाइए मत।

(व्यवधान)

श्री ई॰ अहमद (मंजेरी): महोदय, कृपया मुझे भी बोलने का कुछ समय दीजिए। **(व्यवधान)** विनम्रतापूर्वक मैं आपसे अनुरोध करता हूं...**(व्यवधान)**

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: आप बैठ जाइए। मैं ले लूंगा। आपने अपनी ड्यूटी कर ली है। अब आप बैठ जाइए।

[अनुवाद]

श्री चन्द्र शेखर: इस अंतर-सत्र के दौरान भी गृह मंत्री तथा मुख्य मंत्री के बीच एक दूसरे पर आरोप लगाते हुए पत्राचार हुए। कभी गृह मंत्री ने उत्तर प्रदेश सरकार को धमकी दी। अब संसद का सत्र चल रहा है। अब गृह मंत्री मौन है...**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय: आपकी बात मानते हुए...

श्री चन्द्र शेखर: आदर के साथ मैं कहना चाहूंगा कि मुझे इसमें कोई रूचि नहीं है। लेकिन यह स्थिति अत्यंत महत्वपूर्ण है। लेकिन बात यह है कि उत्तर प्रदेश सरकार और गृह मंत्रालय के बीच पिछले एक वर्ष से पत्राचार चल रहा है और कुछ भी नहीं हुआ। हर बार स्थिति और बिगड़ रही है। श्री शहाबुद्दीन जैसे मेरे मित्र खिन्न हो जाते हैं और हमें उनकी संवेदनशीलता को समझना चाहिए। इस सभा में ऐसी भावनाएं प्रकट करने से पहले सरकार अपना मत क्यों नहीं प्रकट करती?...**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय: श्री चन्द्र शेखर, उस समय कौन सा अवसर था?

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: अब उन्होंने कह दिया है....उनसे बात मत कीजिये। मैं आपसे बोल रहा हूं...आप मेरी बात सुनिये, उसके बाद समझ में आ जायेगा। उन्होंने कहा है कि अयोध्या पर भी स्टेटमेंट करेंगे.....

श्री चन्द्रजीत यादव: आज?

अध्यक्ष महोदय: आज की बात नहीं है। मैं उनसे टाईम पूछ लूंगा...

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी: अयोध्या मामले पर भी वक्तव्य होना चाहिए...**(व्यवधान)**

श्री बसुदेव आचार्य: मंत्री महोदय सभा को यह बताएं कि वह अयोध्या मुद्दे पर वक्तव्य दे रहे हैं।

श्री एम० एम० जैकब: महोदय, आपके द्वारा नियत समय पर मैं वक्तव्य दे सकता हूं...**(व्यवधान)**

[हिन्दी]

प्रो० प्रेम धूमल (हमीरपुर): होम मिनिस्टर का तीन बीघा और अहमदाबाद पर स्टेटमेंट आना चाहिये....

श्री हरिन पाठक: गुजरात में बहुत से लोग मरे हैं.....

अध्यक्ष महोदय: प्लीज, आप बैठ जाईये......

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य: मंत्री महोदय ने जो कुछ कहा है वह हम सुन नहीं सके हैं...**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय: मंत्री महोदय ने कहा है कि यदि पीठासीन अधिकारी आज ही, समय नियत कर दें तब भी वह कुम्हेर तथा अयोध्या संबंधी मामलों पर वक्तव्य देने को तैयार है।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री हरिन पाठक: अध्यक्षजी, कृपया मुझे बोलने दीजिए। यह मेरी कांस्टीट्एंसी में हुआ है।...**(व्यवधान)** **[अनुवाद]** मेरी कांस्टीट्यूएंसी में 120 लोग घायल हुए हैं और 26 लोग मारे गये हैं। मैं इसके बारे में बोलना चाहता हूं। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय: सबसे पहले आप कृपया बैठ जाइए। मुझे स्थिति को नियंत्रित करने दीजिए। आज अगर आप यह बताना चाहते हैं कि प्रत्येक मुद्दे में आपकी रूचि है और प्रत्येक सदस्य ही अपनी अपनी बात करता रहेगा, तो मैं स्थिति को नियंत्रित नहीं रख सकता। कृपया मुझे स्थिति को नियंत्रित करने दें। मैंने कहा है कि सभी महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा अयोजित की जायेगी। परन्तु क्या आप एक ही समय में सभी मुद्दों पर चर्चा कर सकते हैं। आप कृपया शान्त रहिये। हम आपको एक के बाद दूसरा मुद्दा उठाने की अनुमति देंगे। अब क्या हो रहा कि एक व्यक्ति खड़ा होकर एक बात कहता है तो दूसरा सदस्य दूसरी बात कहने लग जाता है। यह सभी इस तरह से नहीं किया जा सकता।

[हिन्दी] वाजपेयी जी, मैंने कह दिया है कि ये सारे इश्यूज—भिलाई का इश्यू अहमदाबाद का इश्यू मैं एक बार में नहीं ले सकता। आज कुम्हेर का इश्यू हमने लिया है। कल हम एक के बाद एक इश्यू लेंगे।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (लखनऊ): कुम्हेर के मुद्दे पर बहस चल रही है। बीच में अयोध्या का मामला उठा दिया गया और आपने मान लिया कि अयोध्या पर वक्तव्य होना चाहिए। हमें कोई आपत्ति नहीं है। हम मांग कर रहे है कि स्टॉक स्कैम के ऊपर वक्तव्य हो।

अध्यक्ष महोदय: हां, हां, वह भी होगा।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी: आज होना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय: आज होने का टाइम मैं नहीं बता सकता। **[अनुवाद]** वे लोग इस पर वक्तव्य देने को तैयार हैं।

[हिन्दी]

श्री अटल बिहारी वाजपेयी: अहमदाबाद में इतना बड़ा दंगा हुआ है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: उसे भी देखते हैं।

(व्यवधान)

[हिनदी]

अध्यक्ष महोदय: लोकनाथ जी, आप बैठ जाइये।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: हर कोई अपनी मर्जी अनुसार करने की कोशिश कर रहा है लेकिन इसे इस तरह से नहीं चलने दिया जाएगा। कृपया हमें स्थिति को नियंत्रित करने दीजिए। मैंने कहा है कि सभी महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा आयोजित की जाएगी।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: मैं कह रहा हूं कि आप कृपया बैठ जाइये। मैं हर समय इतना अधिक अधीर नहीं रह सकता कृपया बैठ जाइए।

(यवधान)

श्री वी॰ धनंजय कुमार (मंगलौर): महोदय, मैंने सूचना दे रखी है।

अध्यक्ष महोदय: आपने सूचना दे रखी होगी।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री गुमानमल लोढा (पाली): अध्क्षक्ष जी, यह उचित नहीं है कि जो शाउट करे, उसको आप अलाऊ करें। तीन बीघा में सात व्यक्तियों को मारा गया और उनकी लाशें नहीं दी गई। हम शालीनता से कहते हैं सभ्यता से कहते हैं, शांत तरीके से कहते हैं और जो शाऊट करता है, उसको आप सुन लेते हैं।....**(व्यवधान)**

श्री छेदी पासवान (सासाराम): अध्यक्ष महोदय, कुम्हेर में जो घटना घटी है, इसको मैं भागलपुर की घटना की पुनरावृत्ति समझता हूं और इतनी बड़ी जो घटना घटी है इसका ताना-बाना पहले से बुना जा रहा था और पांच दिन पहले से इसकी तैयारी चल रही थी और यह घटना सुनियोजित तरीके से घटित हुई है। आस पास के गांवों से पांच हजार लोगों को बुलाया गया और उसके बाद नरबलि चढ़ाकर सामूहिक रूप से गांव पर आक्रमण करके वहां नर-संहार किया गया। माननीय जसवंत सिंह जी ने कहा कि राजस्थान की सरकार ने ऐक्शन लेकर वहां ज्यूडीशियल इनक्वायरी सेट अप की है और सीबीआई से जांच कराई है। मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि आजादी के बाद 45 वर्षों में जितनी ज्यूडीशियल इनक्वायरी सेट अप कराई गई हैं और सीबीआई से जांच कराई गई हैं, उनका कोई निष्कर्ष नहीं निकला है और जिनकी मृत्यु हुई है, उनके प्रति न्याय नहीं मिल सका है। माननीय प्रधान मंत्री जी बैठे हुए हैं। उन्होंने कहा कि मैं हरिजनों के प्रति अपनी सहानुभूति प्रकट करता हूं, लेकिन मुझे दुख है कि इतने बड़े नर-संहार के बाद भी प्रधान मंत्री जी ने एक शब्द भी इस सदन में बोलने का काम नहीं किया है और मैं मजबूती से इस बात को कह सकता हूं कि हरिजनों को सुरक्षा कांग्रेस एवं भा॰ज॰पा॰ से नहीं हो सकती। और मैं सरकार से मांग करता हूं कि देश भर के हरिजनों को हथियार मुहैया कराए जाएं ताकि वे अपने जान-माल की सुरक्षा स्वयं कर सकें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। ...**(व्यवधान)**...

श्री ब्रह्मानंद मंडल (मुंगेर): अध्यक्ष जी, 11 जून को भारतीय कम्यूनिस्ट पार्टी के प्रतिनिधिमंडल में मैं भी शामिल था और वहां जाने के बाद वहां के दलितों से बातचीत हुई और जो घटनाएं वहां घटीं, उन घटनाओं को मानवता के ऊपर एक कलंक कहा जा सकता है। यहां पर बैठे हुए जितने भी हमारे माननीय साथी हैं, वे सभी कहते हैं कि देश के गरीबों की जो पीड़ा है, दर्द है, उसे हम न सिर्फ

महसूस करते हैं बल्कि ऐसी घटनाएं अगर कहीं घटती है तो वह पीड़ा और दर्द उन्हें भी होता है। लेकिन लगातार ऐसी घटनाएं देश में घट रही हैं और इन घटनाओं के जड़ में क्या है, उस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है।

वहां पर 6 जून को जो घटना घटी, उससे पहले की सारी घटनाओं का वर्णन मैं नहीं करना चाहता हूं परन्तु जिस तरह से सुनियोजित ढंग से, 6 जून को घटना घटी, उसके बारे में बतलाना चाहता हूं। इससे पहले 5 जून को वहां 46 गांवों की एक सभा हुई, जिस सभा में वहां के पुलिस कप्तान भी थे और एस०पी० भी मौजूद थे। उस सभा में फैसला किया गया कि कुम्हेर पर हमला किया जायेगा। अतः 6 जून को प्रातः 5 बजे से ही, सबसे पहले वहां की पुलिस गांव में गयी और उसने 12 बजे दिन तक लगभग 250 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। वहां की औरतों को पीटा गया, वहां के मर्दों को पीटा गया और उन्हें जेल में बंद कर दिया गया।

इस घटना के बाद, 10 हजार लोग वहां पर हमला करते हैं। मेरा कहने का तात्पर्य है कि वहां के पुलिस प्रशासन और जो दंगाई थे, उन्होंने सुनियोजित ढंग से एक योजना बनाकर इस काम को किया। इसलिये मैं कम्युनिस्ट पार्टी की ओर से और अपनी ओर से मांग करता हूं, समय बहुत कम है, कि न सिर्फ इस घटना में जो लोग मरे हैं, उन्हें जो मुआवजा दिया गया है, उस मुआवजे की राशि को बढ़ाया जाये यह भी मांग करता हूं कि वहां जो गरीब लोग हैं, दलित लोग हैं, न सिर्फ उन्हें बल्कि पूरे देश में जहां भी ऐसे हमले होते हैं, उन हमलों का वे लोग कैसे मुकाबला करें क्योंकि पुलिस बाद में पहुंचती है, कार्यवाही बाद में की जाती है, सी०बी० आई० की जांच बाद में की जाती है, ज्युडीशियल इंक्वायरी की घोषणा बाद में की जाती है लेकिन जो ऐसी घटनाएं घटती हैं, उसका मुकाबला वे लोग कैसे करें, इस पर कोई विचार नहीं करता।

अतः सभापति जी, मैं अपनी ओर से कहना चाहता हूं कि रोज दलितों पर गरीबों पर जो हमले होते हैं, वे लोग उन हमलों का मुकाबला कर सकें, इसके लिये केन्द्र सरकार और राज्य सरकार को मिलकर एक ऐसा कार्यक्रम बनाना चाहिये जिससे कि दलित लोग ऐसे हमलों का मुकाबला कर सकें। इसके लिये उन्हें हथियार दिये जाने चाहिये और मुफ्त हथियार उपलब्ध कराये जाने चाहिये, तभी सही मायनों में रोज जो इस तरह की घटनाएं घटती हैं, उन्हें रोका जा सकता है।

दूसरा सवाल जो मैं कहना चाहता हूं वह यह है कि इन घटनाओं को रोकने के लिये, उनकी जो आर्थिक बनावट है, आर्थिक स्थिति है, वहां मुझे सुनने को मिला, लोगों ने बताया कि स्थानीय सिनेमाओं में जब दलित लोग जाते हैं तो वहां उन्हें कुर्सियों पर नहीं बैठने दिया जाता है बल्कि उन्हें नीचे बिठाया जाता है। दूसरी तरफ, उनसे बेगार ली जाती है, बेगार के काम लिये जाते हैं। इसीलिये वे लोग अब कहते हैं कि हम बेगार नहीं करेंगे।

अध्यक्ष महोदय: अब आप खत्म कीजिये।

श्री ब्रह्मानन्द मंडल: इसलिये मैं आपसे कहना चाहता हूं कि सख्ती से, चाहे ऐसी घटनाएं हरियाणा में हों या राजस्थान में हो, कड़ाई से भूमि सुधार लागू किया जाना चाहिये। इन घटनाओं में वहां के राजघरानों का हाथ है, उनके विरुद्ध भी कार्यवाही होनी चाहिये.....**(व्यवधान)**.....तभी सही मायनों में हरिजनों और दलितों की रक्षा हो सकेगी, उन्हें संरक्षण दिया जा सकता है और ऐसी घटनाओं को रोका जा सकता है।

[श्री ब्रह्मानन्द मंडल]

अध्यक्ष जी, मैं मांग करता हूं कि सरकार ऐसी घटनाओं को रोकने के लिये एक टास्क फोर्स बनाये ताकि इन दलित लोगों को अत्याचारों से बचाया जा सके। इन शब्दों के साथ, आपने जो मुझे समय दिया, उसके लिये में आपका धन्यवाद करता हूं।

श्री कालका दास (करौल बाग): अध्यक्ष जी, मैं भी दो शब्द कहना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदयः आपने स्टार्ट किया था, आप बोल तो चुके हैं। आप बैठ जाईये। मि० जैकब।

श्री कालका दासः थोड़ा सा समय दे दीजिये। इधर से इतने लोग बोले हैं।

अध्यक्ष महोदयः नहीं आप बैठ जाईये।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदयः कृपया महिला सदस्य को बोलने दीजिए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः तब उस समय आप क्यों बोले थे? आपने इन सभी विषयों के बारे में बात की थी।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्रीमती कृष्णेन्द्र कौर (दीपा) (भरतपुर): माननीय अध्यक्ष जी, यह जो 6 तारीख की घटना हुई थी, उससे पहले मैं 4, 5, 6 तारीख को जयपुर में थी लेकिन जिस समय यह घटना हुई, उस समय मैं भरतपुर में नहीं थी। एक तारीख को जो लड़ाई हुई, वह एक पिक्चर हॉल से शुरू हुई। 4 लड़के, जाटवों के, बिना टिकट पिक्चर देखने के लिए पिक्चर हॉल पहुंचे, वहां से यह लड़ाई शुरू हुई। जब वे गेट के अंदर बिना टिकट के जाने लगे, तो गेट कीपर ने उन्हें रोका कि बिना टिकट के हम अंदर नहीं जाने देंगे। उस समय गेट-कीपर में और उनमें हाथापाई हुई। उसके बाद 3 तारीख को 300-400 जाटवों ने एक ग्रुप बनाकर कुम्हेर कस्बे में तोड़-फोड़ की पेट्रोल पम्प लूटा, दुकानें लूटीं, राज्य पथ परिवहन की बस को तोड़ा एवं बस यात्रियों के साथ दुर्व्यवहार किया एवं बिजली बन्द कर के लूट-मार की। उसके बाद, हमने और लोगों ने भी प्रस्ताव रखा कि जो तोड़-फोड़ की है, उसके दोषियों को गिरफ्तार करना चाहिए, लेकिन 4 तारीख को एक गेट-कीपर को अरैस्ट किया गया। कुम्हेर के लिए जिस गांव पैंगोर से पानी आता है, उसको उन लोगों ने रोक दिया, जिससे स्थिति खराब हुई। मैं पैंगोर गांव में 7 तारीख को दोपहर बाद शांति के लिए गई थी, तो मुझे वहां के जाटवों ने बताया कि गांव से बाहर के लोगों ने यहां दंगा भड़काया है, बल्कि वहां के जाट तो उनकी रक्षा कर रहे हैं। उसके बाद वहां पुलिस ने तलाशी लेनी शुरू की जिसमें बड़ी मात्रा में हथगोले और अन्य हथियार मिले। उनमें से एक हथगोला किसी ने पुलिस के ऊपर फेंका जिससे 5 पुलिस वाले घायल हुए। उसके बाद जो बात यहां कह रहे हैं कि हमला करने की योजना बनाई, यह गलत है। दोषियों को सजा दी जानी चाहिए, अन्यथा इस प्रकार से उन्हें यदि सजा नहीं मिली, तो उनके हौसले और बढ़ जाएंगे।

राजस्थान के मुख्य मंत्री महोदय ने तुरन्त 7 तारीख को सी०बी०आई० को इसकी जांच सौंपने का निर्णय किया और 39 लाख रुपए पीड़ितों को देने के लिए सैंक्शन हुए और इसकी जुडीडियल इन्क्वायरी भी बैठाई गई।

अध्यक्ष महोदय, जो 26 डेलीगेशन वहां गई उन्होंने बात यहां पर इन्होंने कही, वह सिर्फ एक तरफ की

बात सुनी कही। दूसरी तरफ की बात नहीं कही है। मैं यहां पर यह कहना चाहती हूं कि राजस्थान के मुख्य मंत्री ने सबसे अच्छा काम यह किया कि इसकी जांच सी०बी०आई० से कराने का निर्णय लिया।

इन्हीं शब्दों के साथ, मैं आपसे प्रार्थना करना चाहती हूं कि जैसी यहां पर नर-बलि की बात कही गई है, यह बिलकुल गलत है, यह सरासर गलत है। इस बारे में सरकार की तरफ से स्टेटमेंट भी आया है।

मैं यह मांग भी करती हूं कि वहां पर जो गवर्नर साहब गए थे। उनकी रिपोर्ट भी यहां पर आए, जिससे उनकी बात भी यहां पर लोगों को पता लगे और समझ में आ जाए। अतः इस बात को और ज्यादा न बढ़ाकर यहीं समाप्त कर दिया जाए क्योंकि हम यह नहीं चाहते कि यहां पर इसके बारे में ज्यादा बातें की जाएंगी, तो कुछ इधर-उधर की बातें निकलेंगी, जो वहां पर आग में घी डालने का काम करेंगी, जिससे दंगा या वहां की स्थिति और भी भड़क सकती है। इसलिए मैं निवेदन करूंगी कि माननीय मंत्री अपना स्टेटमेंट दें।

1.23 म०प०

मंत्री द्वारा वक्तव्य

कुम्हेर (राजस्थान) में हुई हत्याओं की घटना

[अनुवाद]

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री और गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम०एम० जैकब): महोदय सबसे पहले मैं कुम्हेर में हुए हत्याकाण्ड संबंधी महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा में भाग लेने के लिये सभी सदस्यों का धन्यवाद करना चाहूंगा। वहां पर जो भी घटनायें हुई है, हम सभी उन घटनाओं से समान रूप से संबंधित हैं। मैं उन व्यक्तियों में हूं जिन्होंने घटना के तुरन्त बाद घटना स्थल का दौरा किया और उस समय तक आग नहीं बुझ पायी थी। मैं उचित समय रहते वहां गया था। मैंने गांव में बहुत से लोगों से भेंट की। उन्होंने पूरी घटना मुझे सुनायी। बहुत से ग्रामीण गांव से निकल गये थे। गलियारों में और दूरस्थः स्थानों पर कुछ ग्रामीण महिलायें नजर आयीं और मेरे वहां पहुंचने के बाद जिन जिन से मैं जानकारी प्राप्त करना चाहता था, जिनके पास इस तरह की जानकारी उपलब्ध थी, मैंने प्राप्त की। हमने राजस्थान राज्य सरकार को भी घटना पर अपनी रिपोर्ट देने को कहा। राजस्थान सरकार ने जो रिपोर्ट दी और उस रिपोर्ट के आधार पर गृह मंत्रालय से जो रिपोर्ट मिली है, वह इस समय मेरे पास है। इस सभा की यह परम्परा रही है कि जब किसी राज्य में कानून और व्यवस्था अथवा हत्याकाण्ड से संबंधित कोई घटना घटती है तो उस पर संबंधित राज्य सरकार से जो रिपोर्ट मिलती है, कुल मिला कर उसी पर ही यकीन किया जाता है। लेकिन मैंने उन स्थानों का दौरा किया, इस पर मेरी अपनी कुछ टिप्पणी है, मेरी अपनी कुछ प्रतिक्रिया है और मैंने भी अपनी टिप्पणी प्रस्तुत की है ताकि भविष्य में कारवाही के उद्देश्य से उसे भी ध्यान में रखा जा सके। इसके पीछे मेरा एक अनिवार्य उद्देश्य यह था कि उस क्षेत्र में इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति न हो सके क्योंकि इस घटना से कुछ दिन पूर्व, उस क्षेत्र में काफी तनाव व्याप्त था।

गृह मंत्री द्वारा सभी राज्यों के मुख्य मंत्रियों को जिसमें राजस्थान के मुख्य मंत्री भी शामिल है, एक परिपत्र जारी किया था जिसमें यह कहा गया था कि अनुसूचित जातियों और हरिजनों पर संभवतः बढ़ रहे अत्याचारों पर

निगरानी रखी जाये। तब उसके बाद भी जब यहां मुख्य मंत्रियों का सम्मेलन बुलाया गया था इस बात को फिर दौहराया गया था। लेकिन उसके बावजूद जब यह घटना घटी तो इस घटना पर हमें वास्तव में भारी दुख हुआ और इसी वजह से मुझे उस स्थल की ओर दौड़ना पड़ा। मेरी उन लोगों के साथ पूरी सहानुभूति है जिनकी इस घटना में जान चली गई; चाहे वे किसी भी दल अथवा जाति से संबंधित हों, लेकिन वास्ताव में यह मानव-जीवन की क्षति है। लेकिन महोदय, राज्य सरकार ने अपनी रिपोर्ट में पूरा इतिहास लिखा है। मैं उस इतिहास को यहां पर दौबारा पढ़कर आपका समय व्यर्थ नहीं गवाना चाहता जबकि आपमें से अधिकतर सदस्यों ने यह जानना चाहा है कि उस दिन क्या क्या हुआ।

महोदय, वहां पर एक अजीब बात से मुझे ठेस पहुंची और मैंने उस पर अपनी प्रतिक्रिया भी व्यक्त कर दी थी। मैं राजनीति में अथवा सार्वजनिक जीवन में बेईमानी से दूर रहा हूं। इसलिये जो कुछ मैंने देखा वह मुझे यहां पर कहना पड़ा लेकिन इसके साथ साथ यह कह कर मैं कोई स्वार्थ की बात नहीं कर रहा हूं। मैंने वहां पर मौजूद पुलिस अधिकारियों से एक साधारण सा प्रश्न किया कि जिस समय यह हत्याकाण्ड हुआ उस समय वहां पर कितने पुलिस कर्मी उपस्थित थे। मुझे बताया गया कि एक हजार पुलिस कर्मी मौजूद थे लेकिन पुलिस अधिकरी ने अपने कथन को सही करते हुए पुनः कहा कि केवल 300 पुलिस कर्मी मौजूद थे। फिर मैंने यह कहा कि हमें गम्भीरता से और सावधानी से इसकी जांच करनी होगी। उन्होंने मुझे यह भी बताया कि मुख्य मंत्री ने मामले की न्यायिक जांच के आदेश दिये हैं और राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा मुख्य न्यायाधीश के परामर्श पर एक वरिष्ठ न्यायाधोश को जांच के लिये नियुक्त किया गया है। इसलिये हम वास्तव में उस न्यायिक जांच निर्णय की प्रतीक्षा कर रहे हैं। उसके बाद जैसे ही यह बात हमारे ध्यान में लायी गई, तो मैं यह कहूंगा कि मुख्य मंत्री जी ने सी०बी०आई० द्वारा जांच कराये जाने के विषय में अपनी सहमति दर्शायी और सी०बी०आई० जांच भी चल रही है। सी०बी०आई० रिपोर्ट अभी तक प्राप्त नहीं हुई है। हम सी०बी०आई० की रिपोर्ट की प्रतीक्षा कर रहे हैं। जब तक सी०बी० आई० की रिपोर्ट और न्यायिक जांच की रिपोर्ट नहीं मिल जाती, तो मेरे लिये यह बताना उचित नहीं होगा कि सही अर्थों में वहां पर क्या-क्या घटनायें घटी हैं।

श्री राम विलास पासवान (रोसेड़ा): एक महीना बीत चुका है। वे लोग क्या कर रहे हैं? **(व्यवधान)**

श्री एम०एम० जैकब: जब मैं वहां गया था, तो लोगों ने दी गई राहत सामग्री के बारे में मुझे बताया। मैंने कलैक्टर पुलिस अधीक्षक और अन्य अधिकारियों से, जोकि वहां पर मौजूद थे भी पूछा और उन्होंने बताया कि राहत उपाय किये जा रहे हैं। लेकिन मैंने उनको इस बारे में संकेत किया कि मैंने तो कोई राहत कार्य नहीं देखे हैं। और फिर मैंने उनसे कहा कि राहत उपाय तत्काल किये जाने चाहिये। मुझे यह कहते हुए सन्तोष हो रहा है कि राहत उपाय तुरंत जुटाये गये और खाद्य सामग्री के पैकेट भी उपलब्ध कराये गये। डाक्टर भी वहां पर भेजे गये और राहत दी गई। लेकिन समय के बारे में सही जानकारी प्राप्त करनी अभी बाकी है। जब अंतिम रिपोर्ट मिल जायेगी तो हमें इस आश्य की सही जानकारी मिल सकेगी कि वहां पर राहत कब पहुंचायी गयी। लेकिन, मुझे तो यही जानकारी है कि मैंने राहत उपाय नहीं देखे। इसलिये मैंने इस पर जोरदार प्रतिक्रिया व्यक्त की कि यह राहत देने का उचित तरीका नहीं है। मैंने सभी मकान देखे, 157 मकान तो पूरी तरह से नष्ट हुए थे, 256 मकान आंशिक तौर पर नष्ट हुए थे। यह तो एक गांव में देखने को मिला। हत्याकाण्ड दो घन्टे तक चलता रहा और हम लोग इसे दबा नहीं पाये अथवा इसका हल नहीं खोज पाये। यहां से तुरन्त केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल की टुकड़ियां भेजी गयीं, और भी कई बलों की कंपनियां भेजी गयीं। सैना भी बुलाई गई। हम सभी को इस बात की चिंता है कि इस तरह की घटनायें फिर नहीं घटनी चाहियें। भले ही कई शिष्ट मंडल उस क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं, और भले ही सभी राजनैतिक दलों ने काफी प्रयास किया है, लेकिन अभी भी उस क्षेत्र में तनाव

व्याप्त है। केवल उसी गांव में ही नहीं बल्कि उस गांव के चारों और बसे गांवों में भी तनाव व्याप्त है। हम तो यह देखना चाहते हैं कि तनाव कम हो और यह बढ़ न सके। तनाव को कम करने के लिये हमें न्यायिक जांच की रिपोर्ट और सी०बी०आई० की रिपोर्ट प्रात करनी होगी। केवल तब ही मैं सही तरह से यह बता सकूंगा कि क्या राज्य सरकार ने सभी संभव प्रयास किए हैं। मैंने भी यह जांच कर ली है कि खाद्य सामग्री के पैकेट उपलब्ध कराये गये थे डाक्टरी सहायता भी दी गई थी और जांच भी गठित की गई थी। लोगों को मुआवजा भी दिया गया। लेकिन मुआवजा कितना दिया गया, इसकी राशि के बारे में काफी विवाद है। कुछ लोग कहते हैं कि यह बहुत ही अधिक है; कुछ लोग कहते हैं कि यह पर्याप्त है और कुछ लोग यह भी कहते हैं कि यह पांच लाख रुपये होनी चाहिये न कि एक लाख रुपये। इसके बारे में जो भी राय बनती है, हमें उसे व्यावहारिक रूप देना चाहिये और यह सुनिश्चित करना चाहिये कि राजस्थान के गांवों में, विशेषकर भरतपुर में तनाव को नहीं बढ़ने दिया जाना चाहिये क्योंकि यह जाति से जुड़ा झगड़ा है और पूरे भारत में इसके भयावह परिणाम सामने आ सकते हैं।

इसलिये मैं सभा से अपील करता हूं कि जो कुछ हुआ है, उस पर विचार करते समय इस बात को भी ध्यान में रखा जाये क्योंकि इससे उन गरीब लोगों, दलितों, अनुसूचित जातियों और हरिजनों की संरक्षा और सुरक्षा हो सकेगी जोकि उन अनेकों गांवों में दयनीय स्थिति में रह रहे हैं जहां पर इस तरह के हत्याकाण्ड हो रहे हैं।

मैं सभा के इस विचार का समर्थन करता हूं कि हमें और अधिक सतर्कता बरतनी चाहिये थी। राज्य सरकारों को भी ऐसे मामले में और अधिक सतर्क होना पड़ेगा। इसीलिए हम न केवल राजस्थान के मुख्य मंत्री को बल्कि सभी मुख्य मंत्रियों को समय समय पर परिपत्र, पत्र और अनुरोध भेज रहे हैं। यह बहुत ही महत्वपूर्ण बात है।

मैं इस समय पूरे विवरण को यहां पर नहीं पढ़ना चाहता क्योंकि मैं समझता हूं कि ऐसी घड़ी में इसको पढ़ा जाना सही नहीं है। आप लोगों ने पहले से ही बहुत सी बातों पर चर्चा कर ली है।

श्री राम विलास पासवान: लेकिन यह तो अवश्य ही परिचालित किया जाना चाहिये। यह विवरण तो अवश्य ही परिचालित किया जाना चाहिये।

अध्यक्ष महोदय: यदि आप इसे परिचालित करना चाहते हैं, तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

श्री इन्द्रजीत (दार्जिलिंग): सी०बी०आई० की रिपोर्ट कब मिलने की संभावना है? एक महीना तो पहले ही बीत चुका है।

श्री एम०एम० जैकब: हम इसे यथा शीघ्र प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। मैंने राजस्थान के मुख्यमंत्री से व्यक्तिगत तौर पर बातचीत की है और उनसे यह कहा है कि सी०बी०आई० के अधिकारियों को और स्थानीय अधिकारियों को सभी सुविधायें उपलब्ध करायी जायें और राज्य के पुलिस अधिकारियों का सहयोग भी उपलब्ध कराया जाये। मैंने उस समय इतनी बातें उनसे कही थीं। मुख्य मंत्री ने भी तत्परता के साथ इस बात के प्रति सहमति दिखाई कि पुलिस अधीक्षक, जांच सहायक और अन्य सभी सुविधायें उपलब्ध करायी जाएंगी और उनके लिए तमाम प्रावधानों की व्यवस्था की जाएगी। इसीलिये मैं सी०बी०आई० की ओर से रिपोर्ट आने की उम्मीद कर रहा हूं।

एक माननीय सदस्य: सभा में इस पर चर्चा होनी चाहिये। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: मैं अध्यक्ष के आसन पर बैठकर इस बारे में निर्णय नहीं ले सकता। यह तो हमें सदन में ही निर्णय करना होगा।

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान: अध्यक्ष जी, मंत्री जी ने अभी-अभी जो स्टेटमैंट दिया है, उस पर आपने डिस्कशन के लिये कहा था कि हम उसे रूल-आउट नहीं करते हैं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: यदि आवश्यक है तो हम सदन में इस बारे में निर्णय करेंगे।

श्री बूटा सिंह (जालौर) मुझे यह सूचना मिली है कि सी० बी० आई० को कोई भी सुविधा उपलब्ध नहीं कराई गई है। जांचकार्य अभी तक आरंभ भी नहीं हुआ है। सी०बी०आई को पूरा स्टाफ दिया जाना चाहिये। यदि राज्य सरकार उन्हें स्टाफ नहीं दे रही है तो भारत सरकार को स्टाफ उपलब्ध कराना चाहिये।

अध्यक्ष महोदय: अब वित्त मंत्री वक्तव्य देना चाहते हैं।

श्री जसवन्त सिंह (चितौड़गढ़) इससे पहले कि माननीय वित्त मंत्री वक्तव्य दें मैं समझता हूं कि वह प्रति भूति घोटाले के बारे में वक्तव्य दे रहे हैं जिसके बारे में निःसंदेह सारी सभा बहुत चिन्तित है। हमें सभा में किसी चीज की कमी खल रही है और हमें आपके मार्गदर्शन की आवश्यकता है।

यदि माननीय वित्त मंत्री यहां वक्तव्य देते हैं तो वह यही वक्तव्य दूसरे सदन में भी देंगे। हमने एक स्थगन प्रस्ताव दिया है। आपने अपनी बुद्धिमतता और निर्णय के जरिये प्रतिभूति घोटाले पर स्थगन प्रस्ताव को रद्द कर दिया है। फिर भी आपने इस संबंध में सरकार को वक्तव्य देने की इजाजत दी है लेकिन हमें स्पष्टीकरण मांगने की भी अनुमति नहीं दी है।

अध्यक्ष महोदय: फिर भी मैं आपको पूछुंगा। क्या वक्तव्य नहीं चाहते हैं? मैंने यह इसलिए कहा है क्योंकि जब अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा चलेगी तो इसी मुद्दे पर चर्चा की जायेगी।

एक माननीय सदस्य: हम इस पर अलग से चर्चा करना चाहते हैं।

श्री जसवन्त सिंह: यदि आप हम सबको अपनी चिन्ता व्यक्त नहीं करने देंगे और यदि आप केवल सरकार को ही वक्तव्य देने की अनुमति देंगे तो यह पूरी तरह से एक तरफा मामला होगा। हम एक वक्तव्य चाहते हैं क्योंकि हम चर्चा करना चाहते हैं, हम चर्चा करना चाहते थे। इसी वजह से हमने स्थगन प्रस्ताव प्रस्तुत करने पर जोर दिया। आपने अपनी समझ से स्थगन प्रस्ताव रद्द किया। आपने सरकार को, सत्तारूढ़ पक्ष को अपने विचार रखने की अनुमति दी है। हम सभा की प्रक्रिया के अन्तर्गत इस सरकार के संबंध में कुछ भी नहीं पूछ सकते है।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी (दमदम): चर्चा के लिए समय दिया जाना चाहिए।

श्री रूपचन्द पाल (हुगली): हमें इस पर चर्चा करनी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय: ठीक है, आप कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा): चर्चा होनी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय: श्री बसुदेव आचार्य वस्तुतः इसमें दो बातें हैं। यदि वक्तव्य दिया जाता है और यदि आप

इस के बावजूद इस पर चर्चा चाहते हैं कि आपको *अविश्वास प्रस्ताव पर की चर्चा करनी है तो हम कक्ष में* बैठेंगे और इस बात का फैसला करेंगे कि क्या हम इस पर अलग से चर्चा करें। यह एक बात है हम कक्ष में बैठेंगे। मैं अब अध्यक्षपीठ पर बैठे हुए कुछ भी नहीं कहूंगा। यदि आप चाहते हैं तो हम ऐसा कर कर सकते हैं।

दूसरी बात यह है कि यदि दूसरे सदन के सदस्य भी प्रन पूछेंगे तो यही सुविधा उन्हें मिलनी चाहिए, मैं समझता हूं कि हमें उनसे स्पर्धा नहीं करनी चाहिए। उन्हें भी ये सुविधायें दी जानी चाहिएं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: मैं केवल वित्त मंत्री को वक्तव्य देने की अनुमति दूंगा। आप वक्तव्य सुनिये। उसके बाद यदि आवश्यक हुआ तो हम कक्ष में मिलेंगे और यदि आप चर्चा चाहेंगे तो हम चर्चा करेंगे।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी: आप किस समय फैसला करेंगे?

अध्यक्ष महोदय: मैं आपको बताऊंगा।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी: हम कल चर्चा करेंगे।

श्री रूपचन्द पाल: हमारे पास काफी सामग्री है। (व्यवधान)

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी: हम वित्त मंत्री को सुनेंगे। हम आशा करते हैं कि वक्तव्य के अन्त में वह इसके ऐवज में सरकार के त्यागपत्र की घोषणा करेंगे और हम कल चर्चा करेंगे।

श्री रूप चन्द पाल: यह बहुत बड़ा कांड है। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: मैं चर्चा करवाने की कोशिश कर रहा हूं और आप अपने ही तरीके से बाधा पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: कृपया बैठ जायें। केवल इसी विषय पर हम चर्चा नहीं कर रहे हैं। अन्य विषय भी हैं।

श्री रूपचन्द पाल: यह काफी बड़ा कांड सामने आया है। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: आप बैठ जायें। जो कुछ श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह ने कहा था मैं उसके प्रत्युत्तर में कह रहा हूं। सरकार ने कहा था कि वह वक्तव्य के साथ तैयार है। मैं उनके साथ कक्ष में चर्चा करूंगा। हो सकता है कि हम आज इसके लिए समय निर्धारित करें। वक्तव्य देने दीजिए।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री जार्ज फर्नान्डीज़ (मुजफ्फरपुर): आप वित्त मंत्री को अपना ब्यान देने के लिए कहने जा रहे हैं लेकिन मैं किसी और मसले को यहां पर उठा रहा हूं। मैंने आपको 2 जून को एक प्रिवलेज मोशन भेजा था.....

अध्यक्ष महोदय: ऐसा नहीं। मुझे इसके ऊपर डील करने दीजिए। फिर बाद में उसके ऊपर मैं आ जाऊंगा।

श्री जार्ज फर्नान्डीज़: बाद में यानि कब?

अध्यक्ष महोदय: बाद में, जब टाइम मिलेगा तब।

श्री जार्ज फर्नान्डीज़: टाइम नहीं, क्योंकि, देखिये उसके नियम हैं। प्रिवलेज मोशन के यह नियम है....

अध्यक्ष महोदयः क्या?

[अनुवाद]

मैंने इसे सभा में उठाने की अनुमति नहीं दी है।

[हिन्दी]

उस नियम को तो आप ध्यान में रखियेगा।

श्री जार्ज फर्नान्डीज़ः मुझे आज सुबह सूचना मिली कि मैंने जो बोफोर्स के मामले पर प्रिवलेज मोशन आपके पास भेजा था, उसको अस्वीकार किया है।....

अध्यक्ष महोदयः हां।

श्री जार्ज फर्नान्डीज़ः अब जो आपने अस्वीकार किया है, मुझे उसपर आपत्ति उठाने का कितना अधिकार है....(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः नहीं, आप स्पीकर के डिसीजन पर इस तरह से आपत्ति नहीं उठा सकते।

श्री जार्ज फर्नान्डीज़ः मुझे उस पर आपत्ति उठाने का कितना अधिकार है या नहीं है, वह मैं जानता हूं....

अध्यक्ष महोदयः हां, फिर।

श्री जार्ज फर्नान्डीज़ः लेकिन मेरा अपना अधिकार है।

अध्यक्ष महोदयः फर्नान्डीस जी, मुझे पहले इसके ऊपर डील करने दीजिए, फिर बाद में मैं देखूंगा।

श्री जार्ज फर्नान्डीज़ः तो यह मसला आपके सामने विचाराधीन है कि नहीं है?

अध्यक्ष महोदयः आप सभी के हैं। सभी बहुत इम्पोर्टेंट मसले हैं।

श्री जार्ज फर्नान्डीज़ः यह इम्पोर्टेंट का सवाल नहीं है।

अध्यक्ष महोदयः यह अधिवेशन का पहला दिन है, आप सभी मसले 'एक ही दिन लेंगे?

श्री जार्ज फर्नान्डीज़ः मुझे इस सदन की गरिमा से मतलब है। इस सदन में 30 मार्च को....

अध्यक्ष महोदयः फर्नान्डीज़ जी, ऐसा नहीं। हमने आपको कभी डिसएलाऊ नहीं किया, कुछ बोलने के लिए। मगर ऐसा नहीं कि दूसरों की चीज आप सुनते ही नहीं, ऐसा कैसे होगा।

[अनुवाद]

इन सभी चीजों को कहने के लिए आपको उचित समय और अवसर मिलेगा।

[हिन्दी]

श्री जार्ज फर्नान्डीज़ः कब? (व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदयः मैं अध्यक्षपीठ पर बैठे हुए इस तरह से कोई भी वचन नहीं दूंगा। आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। हमें इस पर चर्चा करने दीजिए। यदि आवश्यक हुआ तो मैं आपको समय दूंगा।

[हिन्दी]

श्री जार्ज फर्नान्डीज़: नहीं, ऐसा नहीं है। अध्यक्ष जी, सवाल यह नहीं है, सवाल मेरा नहीं है....

अध्यक्ष महोदय: फिर?

श्री जार्ज फर्नान्डीज़: सवाल इस सदन की गरिमा का है। तत्कालीन विदेश मंत्री ने ** बोला है।

अध्यक्ष महोदय: नहीं-नहीं, ऐसा नहीं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: वित्त मंत्री अब वक्तव्य दे सकते हैं।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री जार्ज फर्नान्डीज़: अध्यक्ष जी, मैं फिर इसका क्या करूं?

अध्यक्ष महोदय: आप मेरे से चैम्बर में मिलिएगा। मैं आपसे बात करूंगा, टाइम के बारे में।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री रूपचन्द पाल: महोदय, कई स्थगन प्रस्ताव हैं। मैंने एक स्थगन प्रस्ताव के लिए नोटिस दिया है।

अध्यक्ष महोदय: मैंने आपके स्थगन प्रस्ताव को रद्द कर दिया है।

1.41 म॰प॰

(व्यवधान)

मंत्री द्वारा वक्तव्य

बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थाओं में अनियमितताओं और कपटपूर्ण लेन देन

वित्त मंत्री (श्री मनमोहन सिंह): अध्यक्ष महोदय जी मैंने पिछले सत्र में बैंकों के प्रतिभूति लेन देनों में पाई गयी कतिपय अनियमितताओं के संबंध में सदन को सूचित किया था और मैंने सदन को आवश्वासन दिया था कि इस मामले की पूरी तरह से जांच की जाएगी और कदाचारों में अंतर्ग्रस्त पाए जाने वाले सभी व्यक्तियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मैं सदन को तब से हुई प्रगति के बारे में अवगत कराना चाहूंगा।

2. भारतीय रिजर्व बैंक ने मामले की जांच करने के लिए उप गर्वनर श्री आर॰ जानकीरामन के अधीन एक समिति नियुक्त की थी। समिति ने पहली जून, 1992 को एक अंतरिम रिपोर्ट प्रस्तुत की और 6 जुलाई को दूसरी रिपोर्ट भी प्रस्तुत कर दी है। दोनों रिपोर्टों की सूचना उनके प्राप्त होते ही सार्वजनिक रूप से दे दी गई थी।

3. समिति के निष्कर्षों से इस बात की पुष्टि होती है कि बेईमान दलालों ने कतिपय बैंक अधिकारियों के

**अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृतान्त से निकाल दिया गया।

[श्री मन मोहन सिंह]

साथ साठगांठ करके अपने प्रयोजनों के लिए विभिन्न तरीकों से और स्थापित नियमों, मार्गनिर्देशों और विवेकपूर्ण कारोबार प्रथाओं का स्पष्ट रूप से उल्लंघन करके बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थाओं की प्रतिभूतियों के लेन देनों में हेर फेर किया है। बैंकों की निधियां, जो स्पष्टतः एक बैंक द्वारा दूसरे बैंक से सरकारी प्रतभूतियों, सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के बांडों, यूनिटों ट्रस्ट आफ इंडिया आदि की खरीद के प्रयोजन के लिए थीं और एक बैंक का दूसरे, बैंक से मांग मुद्रा ऋण दलालों के खातों में अंतरित कर दिये गये हैं। एक दूसरे प्रकार की हेराफेरी में, बिलों की भुनाई, बिलों की पुनर्भुनाई अथवा शेयरों के तैयार वायदा लेन देन दिखाकर दलालों को ऋण प्रदान किए गए हैं।

4. लेन देनों की कुल राशि, जिनके लिए अंतर्ग्रस्त बैंकों के पास प्रतिभूति समर्थ नहीं था, अब 3542 करोड़ पए आंकी गई है। इसमें से जानकीरामन समिति ने एक बैंक द्वारा धारित 350 करोड़ रुपए की प्रतिभूतियों का पता लगाया है और अब इस प्रकार समस्याजनक प्रतिभूतियों की निवल राशि 3192 करोड़ रुपए है। इस रकम का बैंकवार विवरण संलग्न अनुबंध में दिया गया है।

5. इन लेन देनों से इतने बड़े स्तर पर जो समस्याजनक एक्सपोज़र हुआ वह स्थापित नियमों और मार्गनिर्देशों के रूप से/और जानबूझकर उल्लंघन किए जाने के कारण हुआ है। इससे यह भी स्पष्ट है कि अन्तर्ग्रस्त बैंकों की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली भी गम्भीर रूप से असफल रही है। यदि ऐसा न होता तो बैंकों के वरिष्ठ प्रबंधन को इन लेन देनों संबंधी अनियमितताओं का बहुत पहले ही पता चल जाता। आंतरिक नियंत्रण की यह असफलता हमारे बैंकिंग क्षेत्र के तीनों भागों अर्थात राष्ट्रीयकृत बैंकों, गैर सरकारी क्षेत्र के बैंकों और विदेशी बैंकों में घटित हुई प्रतीत होती है।

6. मैं इन घटनाओं पर जिनसे हमारी बैंकिंग प्रणाली के परिचालनों में गम्भीर कमियों का पता चला है, माननीय सदस्यों के रोष और वेदना को महसूस कर रहा हूं। इस कपटपूर्ण हेरा फेरी के कारण, जिससे बैंक निधियों का बड़ पैमाने पर दुर्विनियोग किया गया है, तुरंत सुधारात्मक और दण्डात्मक कार्रवाई करना आवश्यक हो गया है। मैं माननीय सदस्यों को आश्ववस्त करना चाहता हूं कि सरकार रकमों की वसूली, दोषियों को दण्ड देने और वित्तीय प्रणाली में मूलभूत सत्यनिष्ठा बहाल करने के काम को उच्च प्राथमिकता दे रही है।

7. मैं इस मौके पर इस समस्या से निपटने के लिए उठाए गए कुछ कदमों की माननीय सदस्यों को जानकारी देना चाहता हूं:

(I) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत किए जाने से पहले ही सरकार ने यह मामला केन्द्रीय जांच ब्यूरो को दे दिया था। केन्द्रीय जांच ब्यूरो जांच कर रहा है और उसने 4 जून, 1992 से 5 प्रथम सूचना रिपोर्ट रजिस्टर की हैं, 135 स्थानों की तलाशी ली है तथा 25 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया जिसमें बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के 7 अधिकारी भी शामिल हैं। पन्द्रह व्यक्तियों को जमानत पर छोड़ा गया है।

(II) प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से शामिल कर्मचारियों या ऐसे कर्मचारियों, जिन्हें इसके लिए उत्तरदायी समझा गया, प्रारम्भिक जांच के बाद उनके विरूद्ध प्रशासनिक कार्रवाई की गई है। अध्यक्ष, राष्ट्रीय आवास बैंक ने त्यागपत्र दे दिया था, अध्यक्ष, यूको बैंक और अध्यक्ष, भारतीय स्टेट बैंक को छुट्टी पर जाने के लिए कहा गया जबकि उप प्रबंध निदेशक, भारतीय स्टेट बैंक और प्रबंध निदेशक, कैन बैंक फाइनान्शियल सर्विस लि०, अध्यक्ष, बैंक आफ कराड और उसके दो निदेशकों को हटा दिया गया है। मेट्रोपोलिटन कोआपरेटिव बैंक के निदेशक मण्डल का अधिक्रमण किया गया है। तदुपरांत, इन दो

बैंकों को परिसमपान के अन्तर्गत लिया गया है। यूको बैंक के अध्यक्ष की सेवाएं समाप्त कर दी गई है। विभिन्न बैंकों और अन्य संस्थानों के बारह कर्मचारियों को निलम्बित किय गया है।

(III) जानकीरामन समिति को पहली रिपोर्ट 2 जून, 1992 को सरकार को प्राप्त हुई। सरकार ने इन प्रतिभूति संव्यवहारों से संबंधित अपराधों की जांच के लिए विशेष न्यायालय की स्थापना करने हेतु एक अध्यादेश प्राख्यापित करने तथा व्यक्तियों और संगठनों की परिसम्पत्तियों की कुर्की के लिए अभिरक्षक की नियुक्ति के लिए शीघ्रातिशीघ्र कार्रवाई प्रारम्भ कर दी। यह अध्यादेश 6 जून, 1992 को प्राख्यापित किया गया था। विशेष न्यायालय ने कार्यारम्भ कर दिया है और अभिरक्षक की नियुक्ति कर दी गई है। अभिरक्षक ने अभी तक 39 व्यक्तियों/संगठनों की परिसम्पत्तियों की कुर्की अधिसूचित की है।

(IV) आयकर प्राधिकारी हर्षद मेहता ग्रुप के अपराधों की जांच कर रहे हैं। अनुवर्ती कार्रवाई के रूप में बड़ी संख्या में तलाशियां/सर्वेक्षण किए गए हैं। कुल मिलाकर 100 परिसरों की तलाशी ली गयी। सर्वेक्षण किया गया है। कुल मिलाकर लगभग 72.5 करोड़ रुपए की परिसम्पत्तियां जब्त की गयी हैं। लगभग 25 करोड़ रुपए के बाजार मूल्य की 37 अचल परिसम्पत्तियों और 28.2.92 की स्थिति के अनुसार लगभग 500 करोड़ रुपए के बाजार मूल्य के शेयरों के आयकर अधिनियम की धारा 281 (ख) के अन्तर्गत अनन्तिम रूप से कुर्की के आदेश दिए गए हैं। इन संपत्तियों के वर्तमान मूल्य का पता लगाया जाना है। भूपेन दलाल, ए०डी० नरोत्तम, हितेन दलाल के कुछ अन्य ग्रुपों और टी बी रुआ, धनराज मिल्स आदि जैसे कुछ संबंधित मामलों में विस्तृत छानबीन शुरू कर दी गयी है।

(V) इन कुछ दलालों द्वारा फेरा (एफ ई आर ए) का उल्लंघन करने की गतिविधियों की प्रवर्तन निदेशालय भी जांच कर रहा है। अपनी जांच में उन्होंने तीन व्यक्तियों को गिरफ्तार किया जो सभी तीन व्यक्ति इस समय पुलिस की हिरासत में हैं।

(VI) वित्त मंत्रालय ने भारतीय प्रतिभूति तथा एक्सचेंज बोर्ड के साथ स्टाक एक्सचेंज में हुई अनियमितताओं में दोषी पाये गये दलालों के विरुद्ध कार्रवाई करने का मसला उठाया था। तदन्तर, बम्बई शेयर बाजार बोर्ड ने इन अनियमितताओं में अन्तर्ग्रस्त प्रमुख शेयर दलालों को निलंबित कर दिया।

(VII) भारतीय रिजर्व बैंकों द्वारा प्रतिभूतियों में किये जाने वाले संव्यवहारों को नियमित करने के लिए गयी हिदायतें जारी की हैं। रोजकोप संबंधी लेन देनों में अब आंतरिक लेखापरीक्षकों द्वारा संगामी लेखापरीक्षा की जायेगी और उसके परिणाम महीने में एक बार अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक के सम्मुख रखे जायेंगे। भारतीय रिजर्व बैंक में एक विशेष कक्ष इन रिपोर्टों की जांच करेगा।

(VIII) भारतीय रिजर्व बैंक अपनी निरीक्षण प्रक्रियाओं को संशोधित कर रहा है और उसमें वित्तीय मूल्यांकन पर ध्यान केन्द्रित करके सभी बैंकों का विस्तृत वार्षिक निरीक्षण करने का प्रावधान किया गया है।

(IX) सार्वजनिक ऋण कार्यालय में कम्प्यूटरीकरण का अभाव और हाथ से काम करने पर निर्भरता एक ऐसा कारण है जिसकी वजह से बैंकों को सरकारी प्रतिभूतियों के संव्यवहार पर निगरानी रखने के लिए कारगर आंतरिक नियंत्रण प्रणाली स्थापित करने में कठिनाई हो रही है। सरकारी ऋण कार्यालय में कम्प्यूटरीकरण की प्रक्रिया आरंभ कर दी गयी है। सार्वजनिक ऋण कार्यालय के कुछ अधिकारियों को रिकार्ड में ओवर राइटिंग करते हुए पाया गया और उनको निलम्बित कर दिया गया है और मामले की जांच की जा रही है।

[श्री मन मोहन सिंह]

(X) उन बैंकों में जहां पर अनियमितताओं का पता चला है बैंकों के प्रबन्धन ने आंतरिक निरीक्षण मशीनरी को तेज करने तथा निधि प्रबन्धन परिचालनों को सरल बनाने के वास्ते उपचारी कदम उठाये हैं।

(XI) लेन दनों में और अधिक सुस्पष्टता सुनिश्चित करने और स्टाक कीमतों तथा आंतरिक कारोबार की हेराफेरी को दूर करने के उद्देश्य से स्टॉक एक्सचेंजों की व्यापार प्रक्रिया में सुधार करने के लिए भी कदम उठाए जा रहे हैं। इसके लिए भारतीय प्रतिभूतियां और एक्सचेंज बोर्ड (एस ई बी आई) को 30 जनवरी, 1992 से सांविधिक शक्तियां दी गई थीं। अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने में इसकी कारगरता में वृद्धि करने के उद्देश्य से एस ई बी आई को और अधिक मजबूत करने के लिए एस ई बी आई अधिनियम में इस समय संशोधन विचाराधीन हैं। सरकार ने न्यू बम्बई में नया स्टॉक एक्सचेंज भी स्थापित करने का निर्णय लिया है जो एक मॉडल एक्सचेंज के रूप में कार्य करेगा। यह व्यापार और बंदोबस्त प्रक्रियाओं के संदर्भ पूर्ण आटोमेटिक होगा और सारे देश के निवेशकों को पहुंच प्रदान करेगा। सरकार ने केन्द्रीय न्यासी ट्रस्ट और प्रतिभूति सुविधा समर्थन निगम सहित राष्ट्रीय समाशोधन और समझौता प्रणाली भी स्थापति करने का निर्णय लिया है, जिसे एक्सचेंजों में नेट वर्क स्थापित करने और उसका रखरखाव करने का काम सौंपा जाएगा।

8. यह पूछना सम्मत है कि क्या अधिक सतर्कता और बेहतर पर्यवेक्षण माध्यम से घोटाले को रोका जा सकता था। इसमें कोई शक नहीं कि आंतरिक नियंत्रण की बेहतर प्रणाली या वर्तमान प्रणाली के परिचालन में अधिक दक्षता से भी बैंकों को उच्च प्रबंधन दैनिक परिचालनों की बेहतर निगरानी के लिए सक्षम होते, जिससे अनियमितताओं का शुरू में ही पता चल जाता। बैंक की सांविधिक लेखा-परीक्षा से भी इन समस्याओं में से कुछ का पहले पता चल सकता था। वस्तुतः ऐसा न होना ही बैंकिंग प्रणाली और इसकी प्रक्रियाओं में पूर्ण सुधार और आधुनिकीकरण की आवश्यकता को रेखांकित करता है।

9. यह भी पूछा गया है कि क्या बैंकों के पर्यवेक्षण के लिए जिम्मेवार भारतीय रिजर्व बैंक और अधिक सतर्क हो सकता था। सिंहावलोकन में यह स्पष्ट है कि भारतीय रिजर्व बैंक का पर्यवेक्षण कार्य उतना प्रभावी नहीं था जितना कि इसे होना चाहिए था। तथापि, यह नोट किया जाना चाहिए कि भारतीय रिजर्व बैंक की जांचों से ही जो कि पिछले कई वर्षों से बनी है, बैंकों में व्याप्त इन अनियमित प्रथाओं का पता चला। जुलाई, 1991 में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी उस परिपत्र का प्रेस में हवाला दिया जाता रहा है, जिसमें प्रतिभूति संव्यवहार के लेन-देन करने वाले बैंकों के लिए कुछ नियम बनाये गए थे और प्रेस ने इस बात पर भी जोर दिया है कि भारतीय रिजर्व बैंक को इस परिपत्र का अनुपालन करवाने में और अधिक सतर्कता बरतनी चाहिए थी। वास्तव में भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों को अपनी अनुपालन रिपोर्ट भेजने का निर्देश किया था और परिणामस्वरूप अधिकांश बैंकों से अनुपालन रिपोर्ट प्राप्त हुई थीं जिसमें उन्होंने सूचित किया था कि उनकी प्रक्रियाएं जुलाई के परिपत्र के अनुरूप थीं। तदुपरान्त पता चला कि वस्तु स्थिति यह नहीं थी। भारतीय रिजर्व बैंक सभी मामलों में माइक्रो-प्रबंधन नहीं कर सकता है और केवल पता लगाए गए विवादास्पद मामलों में ही मौके पर निरीक्षण की सहायता से विस्तृत जांच की जाती है। तदुपरान्त, भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंक आफ कराड, आन्ध्रा बैंक और बैंक आफ मदुरा का निरीक्षण किया था और इन जांचों से प्रचलित अनियमितताओं के प्रमाण मिले थे। जब इन बैंकों के विरुद्ध कार्रवाई पर विचार किया जा रहा था तो व्यापक पैमाने पर घोटाले का पता चला। तथापि, यह सच है कि ये जांच भी बैंक आफ कराड की सम्पूर्ण समस्या को उजागर नहीं कर पाई जो बाद में उस समय उभर कर सामने आयी जब भारतीय रिजर्व बैंक ने अन्तर बैंक समाधान कार्य अपने हाथों में लिया।

10. एक स्तर पर, बैंकिंग अनियमितताएं और कपटपूर्ण लेन-देन को, ऐसे लोगों द्वारा किए गए विस्तृत

आधार पर जानबूझकर की गई धोखाधड़ी के रूप में माना जाना चाहिए जिन लोगों ने खुले रूप में कानून का उल्घन किया है। इन लोगों से सख्ती से निपटा जाना चाहिए और सरकार ने ऐसा करने का दृढ़ निशचय किया है। मुझे आशा है माननीय सदस्य इस बात से सहमत होंगे कि सरकार ने आपराधिक जांच-पड़ताल प्रक्रियाओं के शुरू करने और विशेष न्यायालय गठित करने में शीघ्र कार्रवाई की है। दोषी के विरुद्ध कार्रवाई करने में कोई ढील नहीं नहीं दी जाएगी तथा इसमें तेजी से कार्रवाई की जाएगी। दूसरे स्तर पर अनियमितताओं ने पद्धति की बहुत सी कमजोरियों को प्रदर्शित किया है, जो हमारी बैंकिंग पद्धति में एक समय से विकसित हुई थी और जो केवल पूर्ण सुधारों और पद्धति के आधुनिकीकरण द्वारा ही ठीक हो सकती हैं।

11. भारतीय बैंकिंग की आधुनिक अर्थव्यवस्था की अपेक्षाओं को कारगर ढंग से पुरा करने के लिए सरकार बैंकिंग पद्धति और इसकी प्रक्रियाओं के पूर्ण सुधार की आवश्यकता से अवगत है। यही कारण है कि सरकार ने कार्यभार सम्भालने के पहले कुछ सप्ताहों में ही, वित्तीय पद्धति के विभिन्न पहलुओं की जांच करने के लिए जिसमें सुधार की आवश्यकाता थी, नरसिंहम समिति की नियुक्ति की थी।

12. अधिक सक्षम बैंकिंग प्रणाली तैयार करने के उद्देश्य से नरसिंहम समिति ने बैंकिंग प्रणाली में नीति और प्रक्रियाओं में सुधार करने के लिए कई सिफारिशें की हैं जो बढ़ती हुई आधुनिक अर्थव्यवस्था की आवश्यकताओं को पूरा करेंगी। उसने भारतीय रिजर्व बैंक के नियंत्रण में एक पृथक पर्यवेक्षी प्राधिकरण के गठन की सिफारिश की है। सरकार का इन सिफारिशों पर शीघ्रता से कार्रवाई करने का प्रस्ताव है।

13. सरकार वित्तीय क्षेत्र में सुधारों से संबंधित नरसिंहम समिति की विभिन्न सिफारिशों के कार्यान्वयन को उच्च प्राथमिकता दे रही है। अनियमितताएं और धोखाधड़ियां, जिनका पता चला है वे किसी भी तरह से वित्तीय उदारीकरण का परिणाम नहीं हैं। इसके विपरीत, स्पष्ट रूप से यह बैंकिंग कार्यकलापों के कड़े विनियमों के दौरान हुई हैं। बैंक ब्याज दरों का अधिक विनियमन तथा निम्न ब्याज परिसम्पत्तियों में निवेश के लिए बैंक स्रोतों का अत्यधिक भाग पहले ही अलग रखने से बैंक लाभप्रदता को बढ़ाने के लिए बैंक प्रबन्धन द्वारा गैर पारम्परिक बैंकिंग कार्यकलाप की खोज कुछ हद तक इसके लिए उत्तरदायी है। ब्याज दर को युक्तियुक्त करने और सांविधिक नकदी अनुपात को कम करने के लिए सरकार द्वारा हाल ही में उठाए गए कदम इन विपमताओं को दूर करने में सहायक होंगी।

14. बैंकों और वित्तीय संस्थाओं पर पर्यवेक्षण को मजबूत करने की भी आवश्यकता है। इस प्रयोजन के लिए सरकार 4 से 5 पूर्णकालिक सदस्यों की एक उच्च स्तरीय पर्यवेक्षी बोर्ड के गठन पर विचार कर रही है जिसके अध्यक्ष, भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर होंगे। बोर्ड में एक परामर्शदात्री काउंसिल होगा जिसमें बैंकिंग, लेखापरीक्षा, विधि, अर्थशास्त्र और प्रबन्धन के क्षेत्र के प्रतिष्ठित व्यक्ति होंगे। यह बोर्ड देश के बैंकों, वित्तीय संस्थाओं और अन्य वित्तीय अभिकरणों के पर्यवेक्षण के कार्य का समन्वय करेंगे। यह परिचालन मार्गनिर्देशों का निर्धारण, पर्यवेक्षण की देख-रेख और अनुपालन को लागू करेगा। आकस्मिक निरीक्षण बोर्ड के परिचालनों का ही एक भाग होगा। भारतीय रिजर्व बैंक का एक उप गवर्नर, इसका उपाध्यक्ष होगा जो केवल पर्यवेक्षण, अनुवर्ती कार्रवाई और अनुपालना संबंधी कार्य ही करेगा।

15. बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थाओं में गंभीर धोखाधड़ियों से निपटने के लिए सरकार अलग से एक विशेप धोखाधड़ी ब्यूरो स्थापित करने पर भी विचार कर रही है। ऐसी एजेंसियां कुछ अन्य देशों में विद्यमान

[श्री मन मोहन सिंह]

है और इनमें पुलिस और जांचकर्त्ता एजेंसियों के प्रतिनिधियों सहित लेखा तथा कानून सहित कई क्षेत्रों के विशेषज्ञता प्राप्त व्यक्ति हैं।

16. भारतीय बैंकिंग प्रणाली की अपनी पर्याप्त शक्ति और उपलब्धियां हैं। प्रणाली में सुधार के लिए उपयुक्त उपाय करने से यह प्रणाली वर्तमान स्थिति से उभर कर एक अधिक सशक्त स्थिति में आ सकती है। सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक उपाय करने का दृढ़ निश्चिय किया है कि बैंकिंग प्रणाली की सत्यनिठा को बरकरार रखा जाए और यह प्रणाली सुदृढ़ हो ताकि यह हमारे आर्थिक विकास में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सके।

विवरण

प्रतिभूतियों के लेन-देन में समस्या एक्सपोजर्स का कुल आकार

		(करोड़ रुपये)
(i) बैंकों और संस्थाओं द्वारा किए गए निवेशों का कुल मूल्य जिसके लिए उनके पास कोई प्रतिभूतियां, एस जी एल ट्रांस्फर फार्म या बैंक रसीद नहीं हैं	राष्ट्रीय आवास बैंक	1271.20
	स्टेट बैंक आफ सौराष्ट्र	174.93
	एस बी आई कैप	121.36
	स्टैन्डर्ड चार्टर्ड	400.35
		1967.84
(ii) बैंक आफ कराड या मेट्रोपोलिटन को-आपरेटिव बैंक द्वारा जारी बैंक रसीदें/एस जी एल ट्रांस्फर फार्मों के बदले कुल एक्सपोजर्स	कैन-फिना	435.31
	कैन बैंक म्यूचूअल फण्ड	102.97
	स्टैन्डर्ड चार्टर्ड	931.84
		1470.12
(iii) ए बी एस एफ एल द्वारा धारित प्रतिभूतियों में अनुमानित कमी		104.83
		3542.79
घटा : स्टैन्डर्ड चार्टर्ड बैंक द्वारा मैसर्स हितेन पी० दलाल से जब्त की गई प्रतिभूतियों की रकम		350.00
		3192.79

(व्यवधान)

श्री चन्द्रशेखर (बलिया): अध्यक्ष महोदय, सर्वप्रथम तो मैं आपसे यह जानने का आग्रह करूंगा कि क्या आप इतने गंभीर विषय पर इस तरह के वक्तव्य से संतुष्ट हैं। दूसरी बात जो मैं माननीय वित्त मंत्री से जानना चाहता हूं यह है कि उन्होंने इस देश में विदेशी बैंकों के बारे में एक भी शब्द क्यों नहीं कहा। वे बहुत आधुनिक बैंक हैं। उनकी क्या भूमिका रही? क्या यहां इनका इस वक्तव्य में उल्लेख नहीं करने के पीछे कोई विशेष विचार था? इससे इस सरकार की धारणा का पता चलता है तथा इस व्यवस्था के पीछे जो ताकतें हैं उनके इरादों का भी पता चलता है।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी (दम-दम): मुझे उद्धृत करने दीजिए, उनका कहना है:

> "प्रतिभूतियों के बगैर उनके एस० जी० एल० खातों में प्रर्याप्त शेष के बगैर बैंक रसीदें/एस० जी० एल० जारी करके बिक्री सौदों का किया जाना।"

उन्हें इसका एक वर्ष पहले पता था।

अध्यक्ष महोदय: जी नहीं, आप इसकी गहराई में जा रहे हैं।

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर): यह बहुत गंभीर विषय है। यह अलग मुद्दा है कि इतने बड़े घोटाले के लिए कौन जिम्मेदार है। हमारे अपने विचार है उनकी अपनी व्याख्या है। लेकिन इस मुद्दे पर हमें चर्चा करनी चाहिए। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय: ठीक है, हम इस पर चर्चा करेंगे।

(व्यवधान)

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह (फतेहपुर): महोदय, मैं इसके विस्तार में नहीं जाना चाहता हूं क्योंकि मैं समझता हूं कि आप इस पर चर्चा करने के लिए पर्याप्त समय देंगे। अतः मैं टिप्पणियां करके इसके विस्तार में नहीं जाऊंगा। जो कुछ श्री चन्द्रशेखर ने कहा था वह बहुत महत्वपूर्ण पहलू है। लेकिन मैं एक बात कहना चाहूंगा। अब चूंकि वित्त मंत्री ने वचन दिया है कि वह जांच करायेंगे तो क्या वह संयुक्त संसदीय समिति के लिए सहमत हैं? यह विपक्ष की लगातार मांग रही है। क्या वह यह बात स्पष्ट करेंगे कि क्या वह इससे सहमत है या नहीं? **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय: आपको यह करने की आवश्यकता नहीं है। मैंने कहा था कि वक्तव्य देने के बाद हम कक्ष में बैठेंगे और फैसला करेंगे कि क्या आप चर्चा चाहते हैं। ऐसा लगता है कि आप चर्चा चाहते है। हम इसका फैसला करेंगे।

(व्यवधान)

श्री जॉर्ज फर्नान्डीज (मुजफ्फरपुर): अब क्या मैं एक निवेदन कर सकता हूं? **(वयवधान)** महोदय, कृपया मुझे सुनें। **(व्यवधान)**

2.00 म० प०

अध्यक्ष महोदय: आज के लिए यह काफी है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: मैंने कहा था कि मैं चर्चा की अनुमति दूंगा लेकिन अब नहीं। इस तरह से नहीं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: इस तरह नहीं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: यह आज नहीं होगा।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: अब सभा 3 म॰ प॰ पर पुनः समवेत होने के लिए स्थापित होती है।

2.01 म॰ प॰

तत्पश्चात लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए 3 म॰ प॰ तक के लिए स्थगित हुई।

3.04 म॰ प॰

मध्याह्न भोजन के पश्चात लोक सभा 3.04 म॰ प॰ पर पुनः समवेत हुई।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

सभा पटल पर रखे गये पत्र

विदेश व्यापार (विकास और विनियमन) अध्यादेश, 1992 द्वारा तुरन्त विधान बनाये जाने के कारण बताने वाला व्याख्यात्मक विवरण

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी॰ चिदम्बरम): मैं लोक सभा के प्रक्रिया और कार्य संचालन नियमों के नियम 71(2) के अंतर्गत विदेश व्यापार (विकास और विनियमन) अध्यादेश, 1992 द्वारा तुरन्त विधान बनाये जाने के कारण बताने वाला एक व्याख्यात्मक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल॰ टी॰ 2111/92]

विदेशी मुद्रा संरक्षण (यात्रा) कर उत्सादन अध्यादेश, 1992 (1992 का संख्या 8), पूंजी निर्गमन (नियंत्रण) निरसन अध्यादेश 1992 (1992 का संख्या 9) आदि

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय (इलैक्ट्रोनिकी तथा महासागर विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री रंग राजन कुमार मंगलम): मैं संविधान के अनुच्छेद 123(2)(क) के अंतर्गत निम्नलिखित अध्यादेशों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं:

(1) राष्ट्रपति द्वारा 29 मई, 1992 को प्रख्यापित विदेशी मुद्रा संरक्षण (यात्रा) कर उत्सादन अध्यादेश, 1992 (1992 का संख्या 8)

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल॰ टी॰ 2112/92]

(2) राष्ट्रपति द्वारा 29 मई, 1992 को प्रख्यापित पूंजी निर्गमन (नियंत्रण) निरसन अध्यादेश, 1992 (1992 का संख्या 9)

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 2113/92]

(3) राष्ट्रपति द्वारा 6 अप्रैल, 1992 को प्रख्यापित विशेष न्यायालय (प्रतिभूतियों की संव्यवहार से संबंधित अपराधों का विचारण) अध्यादेश, 1992 (1992 का संख्या 10)

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 2114/92]

(4) राष्ट्रपति द्वारा 19 जून, 1992 को प्रख्यापित विदेशी व्यापार (विकास और विनियमन) अध्यादेश, 1992 (1992 का संख्या 11)

[ग्रन्थालय में रखा गया देखिए संख्या एल० टी० 2115/92]

पारादीप फोस्फेट्स लिमिटेड, भुवनेश्वर के वर्ष 1990-91 का वार्षिक प्रतिवेदन तथा कार्यकरण समीक्षा और इन पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण।

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० चिन्ता मोहन): मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:—

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) पारादीप फोस्फेट्स लिमिटेड, भुवनेश्वर के वर्ष 1990-91 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) पारादीप फोस्फेट्स लिमिटेड, भुवनेश्वर का वर्ष 1990-91 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी० 2116/92]

वित्त आयोग के गठन के बारे में राष्ट्रपति द्वारा जारी आदेश के बारे में संविधान के अनुच्छेद 280 के अंतर्गत अधिसूचना

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह): मैं संविधान के अनुच्छेद 280 के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या का०आ० 431(अ), जो 15 जून, 1992 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसमें वित्त आयोग, जिसके सभापति श्री कृष्ण चन्द्र पंत और चार अन्य सदस्य होंगे, जैसाकि अधिसूचना में उल्लिखित है, के गठन के बारे में राष्ट्रपति का आदेश दिया हुआ है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 2117/92]

शिक्षु अधिनियम, 1961 के अंतर्गत अधिसूचनाएं

श्रम मंत्रालय में उपमंत्री (श्री पवन सिंह घाटोवार): मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं

(1) शिशु अधिनियम, 1961 की धारा 2 के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या का०आ० 405(अ), जो 2 फरवरी, 1991 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसमें उक्त अधिनियम के प्रयोजनार्थ स्नातक और तकनीकी, शिक्षुओं के लिए अभिहित व्यवसाय के रूप में विषय क्षेत्र विनिर्दिष्ट किये गये हैं, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) शिशु अधिनियम, 1961 की धारा 8 के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या का०आ० 2961, जो 30 नवम्बर, 1991 के भारत के राजपत्र में रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा 10 जुलाई, 1979 की अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 1011 और 22 दिसम्बर, 1980 की अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 50 में कतिपय संशोधन किये गये हैं ताकि कर्मकारों के व्यवसाय शिक्षुओं के अनुपात को प्रतिस्थापित किया जा सके, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 2118/92]

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: देव गौड़ा, यदि आपको वास्तव में इस मुद्दे पर कोई शिकायत है तो आप इसे कल या परसों उठा सकते हैं।

श्री एच० डी० देव गौड़ा (हसन): मैंने पहले ही अध्यक्ष महोदय से मुलाकात करली है। मैंने उनसे प्रातः 10.00 बजे मुलाकात की थी और उनसे निवेदन किया है।

उपाध्यक्ष महोदय: शून्य काल समाप्त हो गया। शून्य काल के दौरान कई महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए गए। अब हम दूसरा मुद्दा उठा रहे हैं।

श्री एच० डी० देव गौड़ा: क्या मैं एक बात कह सकता हूं? आजादी के 45 वर्षों के इतिहास में किसी भी मंत्री ने किसी आम नागरिक की हत्या नहीं की थी। धारा 302 के तहत एक मुकदमा दर्ज किया गया है लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। यह आपके ही निर्वाचन क्षेत्र में घटित हुआ है।

उपाध्यक्ष महोदय: आप यह मुद्दा कल उठा सकते हैं।

श्री एच० डी० देवगौड़ा: मेरी समझ में नहीं आता कि इस सभा में और कौन सा महत्वपूर्ण मुद्दा है जिस पर चर्चा हो सकती है।

उपाध्यक्ष महोदय: आप यह मुद्दा स्थिति के अनुसार कल या परसों उठा सकते हैं।

श्री एच० डी० देवगौड़ा: यदि कल तक की बात है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय: अब हम दूसरे मुद्दे पर चर्चा शुरू करें। हम ध्यानाकर्षण प्रस्ताव शुरू कर रहे हैं। श्रीमती गीता मुखर्जी।

3.07 म॰ प॰

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यानाकर्षण

राष्ट्रव्यापी परिवहन हड़ताल से उत्पन्न स्थिति

श्रीमती गीता मुखर्जी (पंसकुरा): महोदय, मैं जल-भूतल परिवहन मंत्री का निम्नलिखित अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान आकृष्ट करती हूं और निवेदन करती हूं कि वह उस पर अपना वक्तव्य दें:

> "राष्ट्रव्यापी हड़ताल से उत्पन्न स्थिति के परिणामस्वरूप आवश्यक वस्तुओं की कमी और उनकी कीमतों में वृद्धि के संबंध में सरकार द्वारा उठाए गए कदम।"

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर): महोदय, माननीय सदस्य के लिये अच्छा समाचार है। पहली बार ऐसा हुआ है कि इस पर लाए गए ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर चर्चा करने से पूर्व ही हड़ताल समाप्त हो गई। लेकिन, अब भी मैं यह चाहता हूं। कि......

[हिन्दी]

श्री मदन लाल खुराना (दक्षिण दिल्ली): ऐसी न्यूज़ है कि महाराष्ट्र में और बम्बई में स्ट्राईक नहीं तोड़ी गयी है....

श्री जगदीश टाईटलर: कई ऐसी न्यूज़ आई हुई थीं जो मोटिवेटिड न्यूज़ है और हमारे सामने है....शायद आपने अपनी यूनियन से कहा है कि वह स्ट्राईक नहीं तोड़े, नहीं तो तकरीबन सारे देश की जो जिम्मेदार यूनियन्स है और उन्होंने जो डिमांड्स रखी थीं, उन्होंने कल अनकंडीशनल अपनी स्ट्राईक बातचीत करने के बाद विदड्रा कर ली है और उन्होंने कहा है कि हम विदड्रा करते है और अपना ऐजीटेशन सस्पेंड किया है मगर हमने कहा कि इनकी जितनी भी बातें है, हम जारी रखेंगे और आज सुबह भी यहां दुबारा बातें हुई है। जो फेसले उनके साथ किये हैं, वह मैं आपको बताऊंगा....

अखिल भारतीय मोटर परिवहन कांग्रेस ने 31 मार्च, 1992 को एक ज्ञापन तथा मांग पत्र प्रस्तुत किया था और यह धमकी दी थी कि यदि उनकी मांगें पूरी नहीं की गई तो वे। जुलाई, 1992 से अनिश्चितकालीन हड़ताल कर देंगे।

दिनांक 18.5.92, 24.6.92 ओर 29.6.92 को अखिल भारतीय मोटर परिवहन कांग्रेस के साथ विचार विमर्श किया गया था। मैंने भी दिनांक 29.6.92 को ए॰ आई॰ एम॰ टी॰ सी॰ के अध्यक्ष और अन्य पदाधिकारियों के साथ बातचीत की थी। ए॰ आई॰ एम॰ टी॰ सी॰ द्वारा की गई विभिन्न मांगों के संबंध में केन्द्र सरकार के रुख की उनको स्पष्ट रूप से जानकारी दे दी गई थी और उनकी अनेक मांगों का संतोषजनक समाधान कर दिया गया था। तथापि, ए॰ आई॰ एम॰ टी॰ सी॰ संतुष्ट नहीं हुई और उन्होंने 1 जुलाई, 1992 से अनिश्चितकालीन हड़ताल कर दी।

केन्द्र सरकार ने हड़ताल से निपटने और आवश्यक वस्तुओं की निर्बाध आपूर्ति को सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त उपाय करने हेतु राज्य सरकारों को 24.6.92 को ही सचेत कर दिया था और इसके बाद दिनांक 2.7.92, 3.7.92। 4.7.92 और 5.7.92 को टैलेक्स संदेश भेजे गए थे।

हड़ताल के फलस्वरूप देश के कुछ भागों से कुछ आवश्यक वस्तुओं की कमी होने की सूचना दी गई

[श्री जगदीश टाईटलर]

थी। स्थिति पर कड़ी निगरानी रखी गई थी। आपूर्ति जारी रखने और आवश्यक वस्तुओं की कमी को दूर करने के लिए आवश्यक कदम उठाने हेतु संबंधित केन्द्रीय मंत्री जैसे कृषि, रसायन और उर्वरक, नागरिक आपूर्ति, कोयला, खाद्य, पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस, स्टील और राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया था।

अखिल भारतीय मोटर परिवहन कांग्रेस की मांगों पर विचार विमर्श करने और राज्यों में स्थिति की समीक्षा करने के लिए दिनांक 4.7.92 को राज्य के परिवहन मंत्रियों की एक बैठक आयोजित की गई थी। मैंने दिनांक 4 तथा 5 जुलाई 1992 को अखिल भारतीय मोटर परिवहन कांग्रेस के प्रतिनिधियों के साथ पुनः विचार विमर्श किया।

केन्द्रीय गृहमंत्री ने दिनांक 7.7.92 को हरियाणा, महाराष्ट्र, गुजरात, उड़ीसा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल और राजस्थान के मुख्यमंत्रियों की एक बैठक आयोजित की।

मुझे सदन को यह सूचित करते हुए हर्ष है कि उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए अखिल भारतीय मोटर परिवहन कांग्रेस ने दिनांक 7.7.92 की शाम को सरकार को सूचना दी है कि उन्होंने बगैर किसी शर्त के अपनी हड़ताल समाप्त करने का निर्णय लिया है।

[अनुवाद]

श्रीमती गीता मुखर्जी: मंत्री जी जो दावा कर रहे हैं वह सत्य नहीं है, ऐसा नहीं है। उन्होंने कहा है कि अखिल भारतीय मोटर परिवहन कांग्रेस (अ०भा०मो०प०कां०) बिना शर्त अपनी हड़ताल वापस लेने पर सहमत हो गई है। मैं आज के 'इंडियन एक्सप्रेस' से उद्धृत कर रही हूं:

> "अ०भा०मो०प०कां० के महासचिव जितरंजन दास ने यह स्पष्ट किया है कि हड़ताल को केवल 'तीन माह के लिये इस निर्णय के आधार पर स्थगित किया है' कि शिकायतों पर ध्यान देने के लिये एक समिति बनाई जाएगी।"

मैं माननीय मंत्री से यह जानना चाहती हूं कि या यह सत्य है। उनके द्वारा दिया गया वक्तव्य कि यह हड़ताल केवल तीन महीने के लिये स्थगित की गई है, इसका तात्पर्य यह है कि बिना शर्त हड़ताल वापस नहीं ली गई है। यह सशर्त वापसी है। यह पहला प्रश्न है और मैं यह जानना चाहती हूं कि चूंकि उन्होंने स्पष्ट रूप से यह कहा है कि वह हड़ताल को केवल तीन महीने के लिये स्थगित कर रहे हैं उनकी शिकायतों की सुनवाई के लिये एक समिति गठित की गई है।

मेरी समस्या बहुआयामी है। सबसे पहले यह नोटिस 31 मार्च, 1992 को दिया गया था। मंत्री जी ने यह कहा है कि '18.5.92, 24.6.92 और 29.6.92 को बातचीत की गई थी'। उन्होंने यह नहीं बताया कि किस से बातचीत हुई थी। स्पष्ट है कि उनसे बातचीत नहीं हुई क्योंकि अपने वक्तव्य के अगले ही वाक्य में उन्होंने कहा है: 'मैंने भी अखिल भारतीय मोटर परिवहन कांग्रेस के अध्यक्ष और अन्य पदाधिकारियों से 29.6.92 को बातचीत की थी।'

उन्होंने 29.6.92 को बातचीत की थी जबकि उन्होंने 31 मार्च को नोटिस दिया था। अखिल भारतीय मोटर परिवहन कांग्रेस द्वारा किया गयी हड़ताल कोई साधारण बात नहीं है। प्रभावित लोगों का जिस तरह आपने उल्लेख वह बहुत ही बचकाना है। मेरे इस कथन को अन्यथा न लें, क्योंकि आप एक समझदार

व्यक्ति है। स्थिति बहुत बुरी थी और कई क्षेत्रों में स्थिति अब भी खराब है। इन तीन महीनों में क्या होगा और यह समिति क्या करेगी?

अब मैं यह समझती हूं कि अ०भा०मो०प०कां० ने 15 मांगें रखी थीं जिनमें से दस मांगों का संबंध केन्द्र सरकार से है और केवल पांच मांगों का संबंध राज्य सरकारों से है। केन्द्र सरकार से संबंधित दस में से छह मांगें वित्तीय मामलों से संबंधित हैं जब केवल एक मुद्दा जो राज्यों से जुड़ा है उनमें वित्तीय अड़चन हैं। यदि यही परिस्थिति है तो स्वभाविक ही है कि इस मामले का अधिकांश भाग निस्संदेह केन्द्र के जुड़ा है। चूंकि आपका उनसे अत्यंत संतोषजनक विचार-विमर्श हुआ, मैं यह जानना चाहती हूं कि 16 में से कितनी मांगों के संबंध में वास्तव में सरकार ने अपनी सहमति व्यक्त की है।

दूसरा, मुझे चुंगी के बारे में कुछ कहना है। जहां तक चुंगी का संबंध है मेरे विचार में पश्चिम बंगाल सरकार ने अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी है। लेकिन मुझे यह कहना है कि केवल पश्चिम बंगाल सरकार ही नहीं बल्कि अन्य राज्य सरकारों ने भी इस संबंध में उदासीनता नहीं दिखाई है। पश्चिम बंगाल की क्या स्थिति है? चुंगी से वार्षिक 60 करोड़ रूपये मिलते हैं जो कि राज्य के बजट का एक चौथाई है। माननीय मंत्री यह चाहते हैं कि हम राज्य के एक चौथाई बजट को छोड़कर संसाधन हीन हो जाएं। जैसी कि स्थिति है हम कठिनाई में पड़े हैं। इसके अलावा अगले वित्त आयोग में आपने एक प्रावधान किया है ताकि हम कुल राजस्व जितना एकत्र करते हैं वह प्रतिशत के आधार पर अधिक हो। यदि यही स्थिति है तो निश्चय ही राज्य सरकारों की ओर से चुंगी को समाप्त किया जाना सही दृष्टिकोण नहीं होगा। आप कुछ लोगों को कुछ समय के लिये संतुष्ट कर सकते हैं लेकिन सभी को हमेशा संतुष्ट नहीं किया जा सकता है। अतः, महोदय, समस्या बड़ी उलझी हुई है।

यदि अभी से ही चुंगी के मुद्दे को छोड़ दिया जाए और राज्य के लिये केन्द्र कोई अन्य संसाधन का पता न लगाया गया तो मुझे भय है कि स्थगित हड़ताल तीन माह बाद फिर शुरू हो जाएगी। मैं इन विशेष मुद्दों पर सरकार की प्रतिक्रिया जानना चाहती हूं।

श्री चित्त बसु (बारासाट): महोदय, मुझे खुशी है कि ट्रकवालों की हड़ताल थोड़े समय के लिये स्थगित हो गई है। मुझे खुशी है कि हमें एक बड़ी चिंता से मुक्त हो गए हैं। स्वभाविक है कि हम इस स्थिति में खुश हैं। लेकिन इसका यह तात्पर्य नहीं कि श्री टाइटलर या भारत सरकार या गृह मंत्री को इसका श्रेय मिलना चाहिये। हमें परिवहन के महत्व को समझना चाहिए। इसके प्रभाव की गंभीरता को समझें जो एक सप्ताह के हड़ताल से उत्पन्न हुआ है।

जो जानकारी मुझे मिली है, उसमें कुछ सुधार हो सकता है, इस हड़ताल में करीब 13 लाख वाहन पूरे देश में रुक गए। ये वाहन पूरे देश में 18,000 सामान की बुकिंग और डिलीवरी स्थानों पर कार्यरत हैं जिससे यह पता चलता है कि उनकी सेवा कितनी आवश्यक है जो ठप्प कर दी गई। इससे पूरे देश में 15.6 टन कच्चे मालों की आवाजाही और तैयार मालों के परिवहन ठप्प पड़ गए। इसके कारण आवश्यक सामान की काफी कमी और मूल्य वृद्धि हुई है।

महोदय, भारत सरकार की इसमें क्या भूमिका रही है। जब यह सब नतीजे आने वाले होते हैं, स्पष्ट होते हैं, केन्द्रीय सरकार सदैव राज्य सरकारों को यह फतवा देकर कि हड़ताल को रोका जाय और सेवाओं को आवश्यक घोषित कर दिया जाये संतोष धारण कर लेती है। आवश्यक सेवाएं बनाए रखना अधिनियम के अन्तर्गत जितने भी व्यक्तियों को गिरफ्तार किया जा सकता है। भारत सरकार ने इस बात को समझे बिना कि यह हड़ताल किस कारण हुई राज्य सरकारों को इसी हल का सुझाव दिया।

[श्री चित्त बसु]

महोदय आप इस बात को समझेंगे कि परिवहन कर्मचारियों की मांग अब दो मुद्दों से संबंधित है। पहला है चुंगी को समाप्त करना और दूसरा है सड़क कर को समाप्त करना। यह सड़क कर कुछ राज्यों में हाल ही में लगाया गया है। महोदय, चुंगी वसूल करना, मैंने स्वयं यह देखा है और मुझे यकीन है कि इस सदन में भी सभी ने यह देखा होगा, परेशानी पैदा करने और भ्रष्टाचार का औजार बन चुका है। हर शहर के प्रवेश के रास्तों पर चुंगी वसूल करने की चौकियां परेशानी पैदा करने और भ्रष्टाचार के केन्द्र बन चुके हैं। मंत्री महोदय यह बात आप भली भांति जानते हैं। इससे कोई भी इन्कार नहीं कर सकता।

श्री जगदीश टाईटलर: मैं इसे समाप्त करना चाहता हूं।

श्री चित्त बसु: महोदय, उस वजह से, उसे समाप्त किया जाना चाहिए। इसमें कोई विचारों का मतभेद नही है। परन्तु बम्बई निगम का क्या होगा? मैं श्री देवरा से यह पूछना चाहूंगा। मेरे विचार में वहां से बहुत बड़ी रकम आती है।

श्री जगदीश टाईटलर: 925 करोड़।

श्री चित्त बसु: मेरे विचार में यह राशि 1,000 करोड़ है। यह राशि बम्बई जैसी निगमों को चुंगी कर से आती है। मुझे इस बारे में पूरी जानकारी नही है बंगलौर निगम को भी शायद यह 600 या 700 करोड़ मिलते हैं। इस तरह निगमों, स्थानीय निकायों आदि के लिए राजस्व अर्जित करने का बहुत बड़ा तरीका है।

राज्य सरकारों के आगे यही समस्या है। यह केवल पश्चिम बंगाल का ही नहीं परन्तु सभी राज्य सरकारों की समस्या है। यह नौ राज्य सरकारों की समस्या है। इस राजस्व हानि को किस तरह से पूरा किया जा सकता है? आप किसी हल तक नहीं पहुंच रहे हैं। आप कुछ नहीं कह रहे हैं। महाराष्ट्र का उदाहरण लें। महाराष्ट्र को एक हजार करोड़ रुपये का हर साल नुकसान होता है। इससे ज्यादा भी हो सकता है। मैं आपके आंकड़े मान सकता हूं फिर महाराष्ट्र सरकार इसे किस तरह से पूरा करेगी वह इस हानि को किस प्रकार पूरा करेगी? अतिरिक्त संसाधन किस प्रकार जुटाए जाएंगे? कलकत्ता को इस राजस्व की बहुत हानि हो रही है। बंगलौर भी बहुत से राजस्व को गंवाता है। सभी नगर पालिकाऐं और नगर निगमों को राजस्व प्राप्ति के इस साधन को खोना पड़ रहा है। आप इसकी भरपाई कैसे करेंगे।

जैसे की श्री टाईटलर जानते हैं, चुंगी हमेशा से राजस्व कमाने का एक बहुत अच्छा तरीका रहा है। इसे बढ़ाया जा सकता है। जैसे जैसे आर्थिक गतिविधियों में वृद्धि होती है, राजस्व भी बढ़ जाता है। इस वजह से, साधनों की बढ़ोतरी बहुत जरूरी है। अब, मुझे बताया गया है कि केन्द्र सरकार एक ऐसा फार्मूला बना रही है जिसके अनुसार चुंगी को समाप्त करने से होने वाली हानि को पूरा करने के लिए राज्यों को कुछ निश्चित राशि दी जायेगी। परन्तु वह निश्चित होगी। परन्तु बढ़ोतरी एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। चुंगी से होने वाली आय को आर्थिक गतिविधियों के साथ बढ़ाया जा सकता है इसलिए राज्य सरकारें इस कोशिश में हैं कि राजस्व का कोई तरीका निकल आये जिससे राजस्व में इसी तरह वृद्धि होती रहे जिस तरह चुंगी में होती है। महोदय, मैं मंत्री महोदय से इस बारे में जानकारी चाहता हूं यह सिर्फ ट्रक वालों की हड़ताल का ही प्रश्न नही है अन्ततः यह केन्द्र-राज्य आर्थिक संबंधों के इस मौलिक प्रश्न से संबंधित है कि केन्द्र राज्य सरकारों को और आर्थिक सहायता किस प्रकार से देगी। आप राज्य सरकारों को पर्याप्त संसाधनों का अंतरन नहीं कर रहे हैं। आप राजस्व कमाने वाले सभी संसाधनों को अपने ही हाथ में रख रहे हैं। आप चुंगी को समाप्त कर रहे हैं, जो कि आय का एक बहुत मुख्य स्रोत है। यह आप कैसे मान सकते हैं कि राज्य सरकारें चुंगी को समाप्त करने के प्रस्ताव को मान

लेंगी? मैं इस बात से भलि भांति परिचित हूं कि वित्त मंत्री राज्य सरकारों को सदैव भाषण देते रहते हैं। राज्य सरकारों को क्या भाषण दिया जा रहा है। उनको कहा जा रहा है कि केन्द्र सरकार पर निर्भर नहीं रहें। वह यह उम्मीद नहीं रखें कि केन्द्र सरकार उन्हें आर्थिक कठिनाइयों से ऊपर उठने में सहायता देगी।

3.25 म०प०

[श्री शरद दिघे पीठासीन हुए]

अब एक ओर केन्द्र के राजस्व को बढ़ाने की ओर जोर दिया जा रहा है दूसरी ओर आप राज्य सरकारों को आप राजस्व के चुंगी जैसे उस स्रोत से वंचित कर रहे हैं जिसमें आय में बराबर वृद्धि होती है और साथ ही केन्द्रीय वित्त मंत्री यह कहते हैं कि आप राज्यों के वित्त के लिए केन्द्र से किसी प्रकार की उम्मीद न करें। मंत्री महोदय मेरे विचार से समस्या की मूल जड यही है।

इस मामले में, मैं यह जानना चाहता हूं कि राज्य के मुख्य मंत्रियों और परिवहन मंत्रियों की गृह मंत्री की अध्यक्षता में हुई बैठक में क्या उद्धारित हुआ था। क्या चुंगी समाप्त करने के बाद केन्द्र से राज्यों को संसाधन स्थानांतरित करने से सम्बन्धित मूल समस्या का कोई सफल समाधान निकला?

महोदय, अब मैं दूसरे महत्वपूर्ण मुद्दे अर्थात पथकर को लेता हूं। कुछ सरकारों ने पथकर को अतिरिक्त संसाधन जुटाने के एक साधन के रूप में लागू किया हुआ है। सर्वोच्च न्यायालय के सम्मुख एक मुकदमा लम्बित है जिसे कल लेंगे। हमारी सरकार के महा-अधिवक्ता को सलाह दी गई है कि वह यह रुख अपनाये कि भारत सरकार पथकर लगाने के विरूद्ध है। अब आप एक तरफ तो चुंगी कर समाप्त करना चाहते हैं, आपने संघ शासित प्रदेशों दिल्ली और अन्य स्थानों से चुंगी कर समाप्त करने का निर्णय पहले ही ले लिया है, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि आप भी पथकर लगाने के खिलाफ हैं। यह मात्र एक भ्रांति है। मैं यह जानना चाहता हूं कि पथकर का विरोध करने का रुख अपनाने का मूलाधार क्या है।

अन्त में, महोदय, मंत्री महोदय जानते हैं कि 1988 में एक हड़ताल होने वाली थी। किसी तरह से, किसी समझौते पर पहुंचा गया था। ट्रक मालिकों की यह शिकायत थी कि पिछले चार वर्षों के दौरान जो समझौते किये गये थे, अंतिम समझौता 1988 में किया गया था, उनको गम्भीरता से लागू नहीं किया गया और यह कि उन समझौतों के लागू न करने से ही ट्रक-मालिकों की वर्तमान समस्या बढ़ी है। यदि ऐसा ही है, तो वह समस्याएं कौन-सी हैं, जो 1988 के समझौते के समाप्त होने के बाद भी समाधान किये बिना रह गई और सरकार इन विवादों को कैसे सुलझाना चाहती है। कुछेक विवाद मैं उनके ध्यान में लाना चाहूंगा।

श्री जगदीश टाईटलर: मेरे पास पूर्ण विवरण है। मैं आपको वे विवरण दूंगा। (व्यवधान)

श्री चित्त बसुः पुनः आपकी सरकार का ही मामला आता है। कोई कहता है कि ए०आई०एम०टी०सी० के उपाध्यक्ष ओ०पी० अग्रवाल स्मरण करवाते हैं कि श्री चव्हाण और श्री शरद पवार दोनों ही ने महाराष्ट्र के मुख्य मंत्री के उनके कार्यकाल के दौरान चुंगीकर को समाप्त कर देने का वायदा किया था। वह वायदा, हालांकि, कभी भी सिरे नहीं चढ़ा और वह वायदा सिरे चढ़ भी नहीं सकता। मेरे विचार से आप इसका समर्थन नहीं करेंगे। मैं समझता हूं कि महाराष्ट्र से किसी भी सदस्य ने चुंगीकर समाप्त करने के विचार का समर्थन नहीं किया है क्योंकि उससे महाराष्ट्र के संसाधनों में कमी आयेगी, जिसे कोई भी राज्य-सरकार स्वीकार करने के लिए सहमत नहीं हो सकती। आप इन कठिनाइयों से न केवल महाराष्ट्र सरकार बल्कि पश्चिम बंगाल और उड़ीसा सरकारों तथा अन्य राज्यों को भी किस सीमा तक राहत पहुंचाने जा रहे हैं? चुंगीकर समाप्ति से होने वाली हानि की आप किस विधि से पूर्ति करने का विचार रखते हैं?

[श्री चित्त बसु]

अनेक कच्चे मालों की कीमतों में वृद्धि हुई है। उदाहरण के तौर पर पिछले पांच वर्षों के दौरान टायरों के एक जोड़े की कीमत 6,500 रुपये से बढ़कर 16,500 रुपये हो गयी है।

सभापति महोदय: यह समान्य चर्चा नहीं हो रही है। आप स्पष्टीकरण मांग सकते हैं।

श्री चित्त बसु: टायरों की कीमतें कई गुणा बढ़ गई हैं। टायरों की कीमतें कम करना उनकी एक मुख्य मांग है।

श्री जगदीश टाईटलर: जब मैं उत्तर दूंगा, तो मैं आपको सारा विवरण दूंगा।

श्री चित्त बसु: क्या सरकार एक प्रस्ताव पर विधिवतः विचार करेगी कि टायरों और अतिरिक्त पुर्जों की कीमतें औद्योगिक लागत एवं मूल्य ब्यूरो (बी० आई० सी० पी०) द्वारा नियंत्रित की जायें? क्या इन्हें बी०आई०सी०पी० के अंतर्गत लाया जायेगा?

खाड़ी युद्ध के दौरान, डीजल और पेट्रोल पर उपकर लगाया गया था। यह अभी भी चल रहा है। क्या आप इसे वापिस लेने जा रहे हैं क्योंकि खाड़ी युद्ध समाप्त हो चुका है?

श्री जगदीश टाईटलर: तब आप हमसे देश चलाने की उम्मीद कैसे कर सकते हैं?

श्री चित्त बसु: मैंने इसको स्पष्ट किया है। यदि आप इसकी व्याख्या नहीं करते हैं, यदि आप ये राहतें प्रदान नहीं करते हैं, फिर हम कैसे आशा कर सकते हैं कि परिवहन कार्यकर्ता दोबारा हड़ताल नहीं करेंगे? अतः, मैं चाहता हूं कि सरकार को इन मुद्दों को स्पष्ट करना चाहिये और कारगर एवं सही कदम उठाने चाहिये, ताकि जैसा कि ए०आई०एम०टी०सी० ने कहा है और इसके उपाध्यक्ष एवं अध्यक्ष ने हाल ही में घोषणा की है, तीन महीने के बाद हड़ताल पुनः आरम्भ न हो।

[हिन्दी]

श्री मदन लाल खुराना: सभापति जी, माननीय मंत्री जी ने जो बयान दिया है, वह बहुत भोलेपन में दिया है। उन्होंने कहा कि स्ट्राइक खत्म हो गई है और मामला सब ठीक हो गया है लेकिन जो कुछ पिछले 7-8 दिनों में हुआ, उससे आम जनता को बहुत परेशानी उठानी पड़ी। अभी गीता दीदी ने भी कहा कि हड़ताल अनकंडिशनली खत्म नहीं हुई है। महाराष्ट्र में यह स्ट्राइक अभी चल रही है। इस हड़ताल से जहां देश भर में जगह जगह आवश्यक वस्तुओं का अभाव पैदा हुआ, महंगाई बढ़ी वहीं आर्थिक संसाधनों की अर्थव्यवस्था में केन्द्र और राज्यों में एक तरह की टकराव की स्थिति पैदा हो गई। मुझे यह कहते हुए बहुत खेद है कि इस सारी हड़ताल में केन्द्रीय सरकार का रोल राजनीति से प्रेरित और दोमुंहा था। मैं डबल टॉक इसलिये कहता हूं कि एक तरफ हमारे मिनिस्टर यह जवाब दे रहे हैं कि **(व्यवधान)**......सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने बयान जो दिया है वह ट्रक मालिकों के पक्ष में और राज्यों के खिलाफ दिया और कहा कि रोड टैक्स राज्य सरकारों ने अनकांस्टीट्यूशनली लगाया है। एक तरफ ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री की तरफ से यह बयान दिया जाता है और दूसरी तरफ कल की मुख्यमंत्रियों की बैठक में वित्त मंत्री फरमाते हैं कि ऐसे नाजुक आर्थिक दौर में चुंगी हटाने और दूसरे आमदनी के किसी स्रोत को समाप्त करने के मैं खिलाफ हूं।

श्री जगदीश टाईटलर: किसने बोला?

श्री मदन लाल खुराना: आपके फाइनेंस मिनिस्टर ने कल कहा। चीफ मिनिस्टर्स की मीटिंग के अन्दर कहा, ये पेपर्स में आया है। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि इस समय जो नुकसान हुआ, चुंगी

हटाने, आक्ट्राय हटाने या किसी और में, उसकी भरपाई करने की स्थिति में केन्द्र सरकार नहीं है, यह आपके फाइनेंस मिनिस्टर कह रहे है।

मैं एक बात बहुत स्पष्ट कर दूं, अभी आपने सी॰पी॰एम॰ से पूछा और हमसे पूछा कि क्या भारतीय जनता पार्टी आक्ट्राय को समाप्त करना चाहती है? हमारे मैनीफेस्टो के अन्दर भी यह है और हमारे जो चार राज्य हैं, उनमें से तीन में आक्ट्राय नहीं है, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश में। राजस्थान में आक्ट्राय को कैसे खम किया जाय, इसके लिये सरकार ने एक कमेटी बनाई है। एक बात यहां मैं स्पष्ट कर दूं कि जब हम सेल्स टैक्स या आक्ट्राय को एबोलिश करने की बात करते हैं तो सिम्पलीफिकेशन कैसे हो, लोगों का कष्ट कम कैसे हो, उसके साथ यह भी हो कि सरकार की आमदनी भी कम नहीं होनी चाहिए, उसका आल्टरनेटिव क्या हो, इसलिए राजस्थान सरकार ने एक कमेटी बनाई है कि अगर आक्ट्राय को खत्म किया जाय, हम सिद्धान्ततः इस पक्ष में हैं, तो हमारे पास आल्टरनेटिव साधन क्या हैं, इस पर विचार करने के लिए।

मेरा यह कहना है कि केन्द्रीय परिवहन मंत्री जी ने दिल्ली के बारे में एक तरफा निर्णय किया। मेरी जानकारी यह है कि आपने दिल्ली प्रशासन से, जैसा अभी कहा गया कि कारपोरेशन की आय का मेन साधन आज चुंगी की प्राप्ति है, उस की भरपाई कैसे होगी? आपने तो उसको समाप्त कर दिया, यह मैं जानना चाहता हूं, आप इसका जवाब दें कि दिल्ली के अन्दर या और केन्द्र शासित प्रदेशों के अन्दर आक्ट्राय समाप्त करने का जो एक तरफा फैसला किया, उसके बारे में क्या आपने फाइनेंस मिनिस्टर से पूछा? क्या फाइनेंस मिनिस्टर से उसकी स्वीकृति ली गई है? अगर स्वीकृति ली गई है तो मैं यह जनना चाहता हूं कि इतने करोड़ रुपया दिल्ली को आल्टरनेटिव के रूप में कैसे मुहैया कराया जायेगा? दिल्ली के खर्चे कहां से आयेंगे? क्योंकि, वित्त मंत्री तो कह रहे हैं, मैं उनके शब्द कोट कर रहा हूं: ''इस नाजुक आर्थिक दौर में चुंगी हटाने और आमदनी के स्रोतों को समाप्त करने के वे खिलाफ हैं'' राज्यों के नुकसान की भरपाई करने में भी उन्होंने अपनी असमर्थता प्रकट की है। अगर यह बात है तो दिल्ली भी तो राज्य बनने वाला है, अगर फाइनेंस मिनिस्टर उसकी भरपाई नहीं करेगी तो दिल्ली को एकसट्रा आमदनी कहां से आयेगी?

दूसरा इसमें एण्ट्री टैक्स है, जिसको रोड टैक्स कहते हैं, उसके लिए भी आप ने कहा कि अनकांस्टीट्यूशनल है इसलिए मैंने कहा कि आपने यह प्राब्लम पैदा की है, केवल बी॰जे॰पी॰ या विरोधी दल के खिलाफ नहीं बल्कि आपके अपने जो कांग्रेस शासित प्रदेश हैं, कर्नाटक और महाराष्ट्र उनके लिए भी है। सबसे पहले हरियाणा ने इसको लगाया, वही आपके खिलाफ है, वही इसको विथड्रा नहीं करना चाहते, क्योंकि, नोर्थ इंडिया में पहले हरियाणा ने और बाद में राजस्थान ने इसको लगाया। अभी हिमाचल प्रदेश में रोड टैक्स नहीं है लेकिन वहां के ट्रक मालिक मुख्य मंत्री से कह रहे हैं जब हरियाणा और राजस्थान में यह है तो आप भी लगायें। आपने दिल्ली और केन्द्र शासित प्रदेशों का फैसला किया, स्टेटमैन के नाते लेकिन मैं कहना चाहता था कि अगर एक दिन बाद आप मिनिस्टरों की मीटिंग बुलाने जा रहे थे तो आपको उनसे राय करने के बाद दिल्ली और केन्द्र शासित प्रदेशों का टैक्स हटाना चाहिए था, चुंगी समाप्त करनी चाहिए थी लेकिन एकतरफा फैसला करके आपने समझा कि बस मालिकों की सहानुभूति मैं ले लूंगा। ऐसा करके आपने सभी राज्यों को डॉक में खड़ा करने की कोशिश की और यह किया कि आप तो उनके बड़े भारी हितचिन्तक हैं...मैं कहना चाहता हूं कि कांग्रेस सरकार की नीति क्या है, उसको सरकार को स्पष्ट करना चाहिए। अगर आपकी नीति आक्ट्राय को समाप्त करने की नीति है और जितने भी कांग्रेस शासित प्रदेश हैं, उनमें भी आक्ट्राय खत्म किया जाएगा, तो आपको इसकी घोषणा यहां करनी चाहिए।

श्री मुरली देवरा (मुम्बई दक्षिण): उसकी घोषणा दिल्ली के इलैक्शन में करेंगे।

श्री मदन लाल खुराना: अगर आपकी उनके साथ सहानुभूति है, अगर आप उनको राहत देना चाहते थे, तो युद्ध के समय जो डीज़ल और डायरों पर अतिरिक्त ड्यूटी लगाई थी, उसको आपने क्यों खत्म नहीं किया, उसको भी आपको खत्म करना चाहिए था। उनकी एक मांग यह भी थी, इस मांग को आपने पूरा क्यों नहीं किया? जैसा कि आपने कहा है, ट्रक मालिकों ने मांग-पत्र 31 मार्च को दिया था। उनके साथ एकाध मीटिंग हो गई और अब उनकी हड़ताल के बाद आपने राज्यों कें मंत्रियों के साथ यह मीटिंग की है। मुख्य मंत्रियों की मीटिंग आपने बाद में की है। मैं यह कहना चाहता हूं, यह मीटिंग आप पहले भी कर सकते थे। जिस समय हड़ताल हो गई, सारे देश के अन्दर हा-हाकार मच गया, तब आपने यह मीटिंग की है। मेरा कहना है कि 31 मार्च से लेकर एक जुलाई तक आपने एक तरफा कदम उठाए हैं और तीन माह तक आप चुप्पी साधे रहे। इस हड़ताल का एक कारण यह भी रहा है।

आखिर में, मैं एक बात और कहना चाहता हूं, सुझाव के रूप में या प्रश्न के रूप में। जैसा मैंने कहा, इस हड़ताल से राज्यों और केन्द्र में संबंधों में टकराव आया है, चाहे राज्य में अपोजीशन की सरकार हो या कांग्रेस की सरकार हो। कर्नाटक में तो कांग्रेस की सरकार है, उस सरकार ने राज्य में 'एसमा' लगा दिया और लोगों को गिरफ्तार किया गया।

श्री जगदीश टाईटलर: "एसमा" देश में कहीं नहीं है।

श्री मदन लाल खुराना: मैं उस दिन बंगलौर में था। अखबार में आया कि कर्नाटक सरकार ने इस स्थिति से निपटने के लिए "एसमा" लगाया है।

श्री जगदीश टाईटलर: इस देश से "एसमा" खत्म हो चुका है। एसैंशियल कमोडिटीज एक्ट लगाया है।

श्री मदन लाल खुराना: एसैंशियल कमोडिटीज एक्ट लगाया है, यह कानून भी मिनी मीसा की तरह है। एक तरफ केन्द्र सरकार सुप्रीम कोर्ट के अन्दर हड़ताल के बारे में उनके पक्ष में बयान दे रही है और दूसरी तरफ उन्हीं की कांग्रेस सरकार एक राज्य में लोगों को गिरफ्तार करने के लिए कदम उठा रही है। इसलिए मैं सरकार से आपके माध्यम से जानना चाहता हूं- क्या सरकार इस संबंध में किसी समन्वित नीति के बारे में, को-ओर्डिनेटेड पॉलिसी के बारे में, विचार कर रही है? सरकार जानती है कि राज्यों के साधन सीमित हैं, अगर चुंगी और रोड टैक्स हटाया जाता है, तो क्या सरकार उनकी भरपाई करेगी? क्या दिल्ली में चुंगी हटाने के कारण आर्थिक नुकसान हुआ है, उस की भरपाई सरकार करेगी? ये कुछ प्रश्न हैं, मैं चाहता हूं कि जब मंत्री जी जवाब दें तो वे इनका उत्तर दें।

[अनुवाद]

मेजर जनरल (रिटायर्ड) भुवन चन्द्र खन्डूरी (गढ़वाल): महोदय, स्थगित परिवहन हड़ताल से संबद्ध अधिकतर समस्याएं सामने लाई जा चुकी हैं।

इस बारे में मुझे एक बात, जिस प्रकार का संदेश आप इन हड़तालों से निबटने के लिए देश भर में भिजवाते रहे हैं, से चिन्ता होती है। राष्ट्र को इस सरकार की उदासीनता, अक्षमता और दूरदर्शिता की पूर्णतयः कमी के कारण ही सात दिन तक भारी कठिनाई का सामना करना पड़ा था। ऐसा प्रतीत होता है कि सरकार लगातार अपंग और निष्क्रिय होती जा रही है तथा हर बार इसे अहिंसक कार्यकलापों द्वारा अथवा धमकियां देकर अथवा घेराव करके अथवा ऐसे ही क्रियाकलापों से अभद्र तरीके से झकझोरने की आवश्यकता पड़ती

है ताकि सरकार प्रतिक्रिया कर सके। यह कार्य करती बिल्कुल प्रतीत नहीं होती। यह केवल तब प्रतिक्रिया करती है जब संकट इनके सिर पर मंडराता है।

मंत्री महोदय ने हमें सूचित किया है कि पूर्व सूचना 31 मार्च को दी गई थी। उनके वक्तव्य के अनुसार, 18 मई को पहला दिन था जबकि कोई कार्यवाही शुरू की गई थी। जैसा कि स्पष्टीकरण दिया गया है—मैं नहीं जानता यह सही है अथवा नहीं, 26 जून को ट्रांसपोर्टरों से बातचीत शुरू हुई थी। जब हम लोगों को यह कहते है कि जब आप हड़ताल करेंगे तभी हम विभिन्न विकल्पों पर विचार करना आरम्भ करेंगे, तो हम देश को किस प्रकार का संदेश देना चाहते हैं? मैं मंत्री महोदय अथवा सरकार से जानना चाहता हूं कि 31 मार्च से, अप्रैल और मई के पूरे महीनों के दौरान तथा 26 जून तक सरकार क्या करती रही थी? एक बार हड़ताल शुरू हुई तो घटनाक्रम बड़ी तेजी से चला। परिवहन मंत्रियों की बैठक हुई थी, रातों-रात मुख्य मंत्रियों को बुलाया गया, सरकार ने संघ शासित क्षेत्रों से चुंगीकर वापिस लेने की घोषणा की। मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि ये सभी बातें अप्रैल के महीने में ही करने से उन्हें किसने रोका था? आखिरकार, ये निर्णय केन्द्र द्वारा ही लिये गये और उन्हें किसी अन्य से परामर्श नहीं करना था। हम इन बातों पर सही समय पर निर्णय क्यों नहीं ले सके और सही संदेश क्यों नहीं दे सके। फिलहाल, हर समय चाहे यह हड़ताल हो अथवा वह हड़ताल, यह संदेश ही मिलता है कि जब तक आप हिंसा पर उतारू नहीं होंगे कुछ भी नहीं होगा चाहे यह ट्रांसपोर्टरस की हड़ताल हो अथवा झारखण्ड के लिए मांग हो अथवा उत्तरांचल के लिए मांग हो। आप चाहते हैं कि लोग सड़कों पर आ जायें। आप चाहते हैं कि लोग आयें और हड़ताल करे। आप चाहते हैं कि लोग हिंसक हो जायें और फिर आप उनकी मांगों पर विचार करेंगे। मैं समझता हूं यह एक बहुत गलत प्रवृत्ति है और इससे राष्ट्र को अत्यधिक नुकसान हो रहा है। वर्षों से चल रही इस प्रवृत्ति को दृढ़तापूर्वक दबाने का सही समय है। आप निष्पक्ष और न्यायोचित रहें और जो सही वह उन्हें दें तथा एकबार जब आप यह निर्णय कर ले कि न्यायोचित एवं सही क्या है, तो आप हड़ताल और अन्य बातों के सामने न झुकें। यह राष्ट्र के लिए सही नहीं कि आप लोगों को केवल तभी रियायतें देना चाहते हैं, जब वे हड़ताल करें। इस प्रकार का संदेश राष्ट्र को बहुत अधिक नुकसान पहुंचा रहा है। अतः, मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि अप्रैल के महीने में क्या घटित हुआ था, 18 मई से 26 जून तक क्या घटित हुआ है। जबकि तीन महीने की समय अवधि लगभग समाप्त होने वाली थी, सरकार ने ट्रांसपोर्टरस के साथ बातचीत क्यों नहीं की।

ट्रक-मालिकों की 15 अथवा 16 मांगें थी जिनमें से 10 केन्द्र सरकार से संबंधित थी और वित्तीय मांगों में से 6 केन्द्र से संबद्ध थी और एक राज्यों से सम्बद्ध थी। मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि केन्द्र से संबद्ध इस सभी समस्याओं के बारे में क्या किया गया है। प्रचार-माध्यमों के द्वारा यह प्रभाव पैदा किया गया था कि सभी समस्याएं और उनका समाधान करना राज्यों की जिम्मेदारी है और जहां तक केन्द्र का संबंध है, सब कुछ किया जा रहा है। मैं सुस्पष्ट तौर पर यह जानना चाहता हूं कि केन्द्र के पास जो ये 10 अथवा 11 समस्याएं थीं—जिनमें से 6 वित्तीय समस्याएं थीं—केन्द्र सरकार द्वारा इन पर क्या कार्रवाई की गई है? क्या कोई दृष्टिकोण अपनाया गया है? क्या ट्रांसपोर्टरों को यह बताया गया है कि इतना आगे जा रहे हैं और इससे आगे नहीं जायेंगे? अथवा आप इसे तब तक लम्बित करने जा रहे हैं, जब तक कि स्थिति बदत्तर न हो जाये; जब तक स्थिति हिंसक न हो जाये; जब तक लोग और अधिक दुःखी न हो जायें और केवल तभी हम उन्हें राहत देंगे? अतः, मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि इन सभी मामलों में वास्तव में क्या किया गया है।

जहां तक चुंगी की समस्या का प्रश्न है, अक्सर यह कहा जाता रहा है कि राजस्व की हानि हुई है। यदि राजस्व एकत्रित किया जा रहा है, तो पैसा तो प्राप्त हो ही रहा है, चाहे जैसे भी आ रहा हो? लेकिन, यह चाहे

[मेजर जनरल (रिटायर्ड) भुवन चन्द्र खण्डूरी]

नगर-पालिका हो अथवा राज्य सरकार यह पैसा विभिन्न अभिकरणों को प्रदान किया जा रहा है। मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि वह एक ईमानदार समन्वयक और एक आज्ञाकारी समन्वयक के रूप में कार्य करें तथा एक ऐसी विधि तैयार करें, जिससे पैसा बिना किसी परेशानी के एकत्रित किया जा सके एवं इस पैसे को जिन लोगों को यह वर्तमान में मिल रहा है, उन्हें दे दें। मैं यह नहीं समझता कि यह पैसा उन्हें देने में कोई परेशानी हो, यदि केन्द्र सरकार पहल करे। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि क्या उन्होंने राज्यों को चुंगी-कर तथा अन्य करों को एकत्रित करने की इस समस्या को सुलझाने के लिए कोई सरल एवं ठोस सुझाव दिया है जिससे कि विभिन्न लोगों को कोई क्षति न हो तथा भ्रष्टाचार समाप्त हो जाये?

अंत में, मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि ट्रांसपोर्टरों के लिए क्या-क्या प्रस्ताव रखे गए हैं। मैं यह भी पूछना चाहता हूं कि तीन महीनों के बाद भी क्या हम पुनः उसी स्थिति में होंगे जिसमें हम आज हैं अथवा क्या मंत्री महोदय हमें आश्वासन देंगे कि चाहे जो भी दृष्टिकोण हो अथवा जो भी निर्णय सरकार लेना चाहती है, कम से कम उन मुद्दों पर जो कि केन्द्र से संबद्ध हैं, वह अब इस अवधि के दौरान ले लिया जाये। उसके पश्चात्, जब सरकार एक बार वह निर्णय ले ले, तो मुझे उम्मीद है कि सरकार के पास उन निर्णयों पर डटे रहने का साहस है और वह अनावश्यक दबाव के आगे नहीं झुकेगी।

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान (रोसेड़ा): सभापति जी, मैं मंत्री जी का दो-तीन बातों की ओर ध्यान खींचना चाहता हूं। इन्होंने अपने जवाब में कहा है कि सात तारीख को मुख्य मंत्रियों की बैठक आयोजित की गयी। मुख्यमंत्रियों का क्या सुझाव था, इस संबंध में हम लोगों को नहीं बतलाया गया है। मैं पहले जानना चाहता हूं कि जो विभिन्न राज्यों के मुख्य मंत्री आए थे—हरियाणा, महाराष्ट्र, गुजरात, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, पंजाब और उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश के मुख्य मंत्री आए थे, हम देखते हैं कि हर पार्टी के मुख्य मंत्री उपस्थित थे। मुख्य मंत्रियों ने क्या राय दी है? इन्होंने कहा कि 5 जुलाई, 92 को अखिल भारतीय मोटर परिवहन कांग्रेस के प्रतिनिधियों के साथ भी विचार किया गया। जो ट्रक मालिक हैं उनकी क्या शिकायतें हैं? क्योंकि जब तक सदन को और हम लोगों को यह मालूम न हो कि उनकी क्या मांगें थी और मुख्यमंत्रियों की क्या प्रतिक्रिया थी तब तक हम अपनी प्रतिक्रिया देते रहेंगे, लेकिन समस्या का निदान होने वाला नहीं है। इसलिए मुख्यमंत्रियों ने क्या सुझाव दिए और ट्रक मालिकों की शिकायतें क्या थी, यह मालूम होना चाहिए।

हम लोगों को कुछ दिन पहले की घटना याद है। हमारे साथी को भी याद होगा, गाजियाबाद में ट्रक मालिक को थाने में मार दिया गया। हम लोग वहां गए थे। उसका कहना था ट्रक को थाने में रोक लिया गया। ट्रक को रोक लेने के बाद ट्रक मालिक थाने में यह कहने के लिए आया कि हमारा हफ्ता बंधा हुआ है, फिर आपने हमारे ट्रक को क्यों रोक लिया। उसी पर बात बढ़ गयी और उसको गोली मार दी। उसने कहा था कि मैं मंथली पैसा देता हूं, वीकली पैसा देता हूं। इसलिए दोनों चीजें हैं। एक तो जो राज्य सरकार का मामला है उसमें यदि आप देखेंगे, मंत्री जी मुझे करेक्ट करेंगे, पश्चिम बंगाल में सालाना 165 करोड़ रुपया चुंगी से आता है, 1/4 टोटल आय चुंगी से आती है। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा पैसा चुंगी से आता है। यह पैसा लगभग 925 करोड़ है। 925 करोड़ जो चुंगी से आता है, 50 परसेंट टोटल आय है, वह चुंगी से आती है। ...व्यवधान... जनसत्ता जो कल का है इसमें आंकड़ा निकला है, वह आंकड़ा हो सकता है गलत हो। मेरा कहना यह है कि जो सरकार का पैसा है, राज्य सरकारों की आय का बहुत बड़ा स्रोत चुंगी है। यह भावना भी बढ़ती जा रही है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि सरकार और ट्रक मालिकों में कोई आर्थिक समझौता हो गया हो

जिसके कारण हड़ताल का षड़यंत्र रचा गया है। क्योंकि जब सरकार को पहले से धमकी मिल चुकी थी कि हमारी ये मांगें हैं, इनको पूरा करो, नहीं तो हम हड़ताल पर जायेंगे, तो सरकार ने पहले मुख्यमंत्रियों की बैठक क्यों नहीं बुलायी। मुख्यमंत्रियों की बैठक बुलाने से पहले आपने क्यों जो संघशासित प्रदेश हैं, दिल्ली है, उसको चुंगी से मुक्त कर दिया? इसका नतीजा हुआ कि जो दूसरे राज्य हैं, वहां की राज्य सरकारों पर दबाव पड़ना शुरू हो गया। इसके दो तरीके हो सकते हैं। मैं इससे सहमत नहीं हूं कि वहां चुंगी की प्रथा खत्म कर दो, सरकार उसको कम्पनसेट करे और राज्य सरकार केन्द्र सरकार की तरफ मुंह बाए खड़ी रहे, प्रत्येक चीज के लिए केन्द्र की ओर देखने का काम करे। तो दोनों चीजें हैं। जो ट्रक मालिकों की शिकायत है उसको भी आपको देखना चाहिए। ट्रक के दाम बढ़ गए हैं, अभी उसको आपने असेंशियल सर्विस घोषित कर दिया। एक तरफ टायर के दाम बढ़ रहे हैं, दूसरी तरफ आप असेंशियल सर्विस घोषित कर रहे हैं, तीसरी तरफ सात दिन तक लोग परेशान हो गए हैं। एक चीज का दाम जब मार्किट में बढ़ जाता है तो वह घटने वाला नहीं है। किस को फायदा हो रहा है? कुल मिला कर ट्रकों की जो हड़ताल हुई उसके कारण देश की जनता मारी गयी, गरीब और मिडिल क्लास के लोग इसमें कुचले गए।

इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि जो ट्रक मालिक हैं उनकी जो जायज शिकायतें हैं उनको भी देखिए। दस जगह पर चुंगी का पैसा उनको न देना पड़े, पुलिस को रिश्वत ने देनी पड़े, टायर्स उनको रिजनेबल रेट्स पर मिलें। प्राईवेट टायर मैन्यूफैक्चरर हैं उन पर कंट्रोल लगाने की बात है। दूसरी तरफ मैं यह भी कहना चाहूंगा कि ट्रक के जो मालिक हैं अननसैसरली उनके सामने घुटने टेकने की भी आवश्यकता नहीं है। इसलिए केन्द्र सरकार का बैलेंसड व्यू रहना चाहिए। राज्य सरकार के हितों की रक्षा भी करनी चाहिए कि उसको पैसा कहां से आएगा। केन्द्र सरकार कोई ऐसी नीति न बनाए जिससे राज्य सरकार को मालूम पड़े कि केन्द्र सरकार बहुत प्रोग्रैसिव हो गयी है, राज्य सरकार बहुत प्रतिक्रियावादी है नतीजा हो कि राज्य सरकार यदि उसको लागू करे तो पूरा का पूरा फाइनेंशियल ढांचा बिगड़ जाए। अभी जो विभिन्न राज्यों की हालत है वह किसी से छिपी हुई नहीं है।

ट्रक ओनर्स की शिकायतों पर गहराई से विचार करना चाहिए। हम यह कहना चाहेंगे कि राज्य सरकारों और जनता के हितों को सरकार को ध्यान में रखना चाहिए। जो दो-तीन सवाल मैंने उठाए हैं, उन पर विचार कीजिए। यह देखा जाए कि ट्रक ओनर्स की क्या शिकायतें थीं और फिर मुख्य मंत्रियों का सम्मेलन बाद में क्यों बुलाया। वह नोटिस आपको पहले मिल गया था तो उस समय आपने क्यों नहीं बुलाया और सम्मेलन के बाद चुंगी प्रथा को समाप्त करने के पीछे क्या कारण थे। यही कहकर मैं समाप्त करता हूं।

श्री जगदीश टाइटलर: सभापति महोदय, मुझे हर्ष है कि अधिकतर माननीय सदस्यों ने अपना मत और विचार अभिव्यक्त किए हैं। किसी न किसी तरीके से कई मुद्दे उठाये गये। मैं आप सब के साथ हूं। मैं एक बात स्पष्ट करना चाहूंगा कि यह हड़ताल टल सकती थी। मैं राजनीति की बात नहीं कर रहा। मैं राज्यों पर भी आरोप नहीं लगा रहा। जैसे ही इन ट्रक आप्रेटरों ने हड़ताल का नोटिस दिया था, यह नोटिस केन्द्रीय सरकार के साथ-साथ राज्य सरकारों के मुख्य मंत्रियों तथा परिवहन मंत्रियों को भी दिया गया था, तथा मैं यह कहना चाहूंगा कि जहां तक केन्द्र सरकार का सम्बन्ध है, हमने एक महीने के भीतर ही बातचीत आरम्भ कर दी थी। किसी भी सरकार को, चाहे वह भा०ज०पा० की हो या कांग्रेस की, अथवा किसी अन्य दल की, उसे इससे बाहर नहीं रखा गया। मैंने उनसे बातचीत की तथा उन्हें बातचीत के लिए आमंत्रित किया। आप मुझ पर यह आरोप न लगायें कि मैं इन लोगों से बातचीत कर रहा हूं। मैं मुख्य मंत्रियों तथा राज्यों के मंत्रियों से इसलिए बातचीत कर रहा हूं क्योंकि ट्रक आप्रेटरों द्वारा हड़ताल की गई।

मैं सदन को यह बताना चाहूंगा कि जल भूतल परिवहन मंत्रालय से सम्बन्धित सभी मुद्दों को हड़ताल से

[श्री जगदीश टाइटलर]

पहले मैंने सुलझा लिया है। क्योंकि आपने पूछा है, इसलिए मैं सभी 16 मांगों के सम्बन्ध में एक दो पंक्तियां कहना चाहूंगा। मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि ये लोग एक पल के लिए भी हड़ताल पर इस कारण नहीं गये कि वे मेरे साथ अथवा मेरे अधिकारियों के साथ हड़ताल से पहले हुई मेरे मंत्रालय से सम्बन्धित मुद्दों पर बातचीत से असंतुष्ट थे। बेशक उद्योग मंत्रालय तथा वित्त मंत्रालय से सम्बन्धित उनकी मांगें थीं। जो प्रश्न आपने उठाया है, वह उन्होंने भी उठाया था। परन्तु जहां तक मेरे मंत्रालय का सम्बन्ध है, मैंने सभी समस्याओं को सुलझा लिया था। मैं आपको बताना चाहूंगा कि वे इससे काफी संतुष्ट थे। मैंने उन्हें बताया था कि अधिभार को हटाना संभव नहीं है, तथा उन्होंने मेरे तर्क को सुना और इस पर जोर नहीं दिया। मैंने उन्हें बता दिया था कि टायरों की कीमत कम करना मेरे लिए संभव नहीं। इस बात को भी उन्होंने सुना और उन्होंने इस मुद्दे पर जोर नहीं दिया। परन्तु उन्होंने केवल दो बातों पर जोर दिया—चुंगी, पथ कर अथवा प्रवेश कर को समाप्त कराने में उनकी कोई रूचि अधिक नहीं है, और यह सरकार का काम है—उनकी शिकायत यह है कि उन्हें सारे देश में पुलिस तथा दूसरे लोगों को करोड़ों रूपए रिश्वत के रूप में देने पड़ते हैं, जो कि उन्हें चैक पोस्ट पर रोके रखते हैं। मैंने अनुमान लगाया है कि केन्द्रीय सरकार को 3000 करोड़ रूपए से भी अधिक की हानि उठानी पड़ती है। क्योंकि 2 से तीन घण्टे तक बेकार ही इंजिन चलते रहते हैं। सीमा पर ट्रक बेकार ही खड़े रहते हैं। हमें उस के कारण आर्थिक हानि उठानी पड़ती है। दस्तावेजों की जांच, बीमा कागजातों की जांच तथा अन्य दस्तावेजों की जांच के दौरान उन्हें तंग किया जाता है। उन्हें हर उस तरीके से तंग किया जाता है जिससे कि उनसे पैसा बटोरा जा सके।

इस सम्बन्ध में मैं आपके समक्ष एक उदाहरण प्रस्तुत करना चाहता हूं। जैसे ही दिल्ली में चुंगी समाप्त करने की घोषणा हुई, मेरे कुछ जानने वाले लोग मेरे पास आये और बोले''टाईटलर जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। पहले हमें दिल्ली से गुजरने वाले हर ट्रक के लिए 1000 रूपए देने पड़ते थे, जो कि अब नहीं देने पड़ेंगे। इस में जितना धन का लेन-देन होता है, क्या आप उसकी कल्पना कर सकते है? कितना धन इन लोगों के द्वारा प्राप्त होता है, इसकी कल्पना आप कर सकते हैं जबकि इतनी बड़ी संख्या में ट्रक विभिन्न राज्यों तथा विभिन्न सड़कों से हो कर गुजरते हैं। हमने इन लोगों से बातचीत क्यों की जब कि हड़ताल की घोषणा की जा चुकी थी? यह बातचीत इसलिए नहीं की गई कि उन लोगों ने हमें ब्लैक मेल किया अथवा हम पर दबाव डाला। जब स्थिति बिगड़नी शुरू हो गई तब दबाव पड़ना शुरू हुआ।

4.00 म०प०

हर रोज़ लोगों को पहुंचने वाला सामान उन्हें नहीं पहुंच रहा था उर्वरकों की ढुलाई नहीं हो पा रही थी, तेल शोधक कारखानों से तेल नहीं उठाया जा रहा था, और यह जब मैंने अपनी आंखों से देखा है, तथा कुछ हद तक मैं इस पर सहमत हूं। हम इन सब बातों से प्रसन्न बिल्कुल नहीं हैं, तथा मैं श्री खुराना को यह बताना चाहता हूं कि दिल्ली नगर निगम के लिए चुंगी ही एकमात्र आय का स्रोत नहीं है; सम्पत्ति कर से सबसे अधिक आय होती है, तथा मैं यह बताना चाहता हूं कि यह कहना कि वित्त मंत्री ने कहा है कि मैं चुंगी के विरुद्ध हूं, ऐसा नहीं है। उन्होंने कहा है कि मैं केन्द्र द्वारा राज्यों को धन दिए जाने के विरुद्ध हूं। राज्यों को आय के वैकल्पिक साधन ढूंढने होंगे। आपके राज्य ने ऐसा किया है। तीन राज्यों ने ऐसा किया है। उन्होंने ऐसा कैसे किया? मैं तो यह कहना चाहता हूं कि मुख्य मंत्रियों की बैठक में तथा परिवहन मंत्रियों की बैठक में, राजस्थान

द्वारा एक बहुत ही अच्छा प्रस्ताव दिया गया, तथा उन्होंने कहा, हमने चुंगी समाप्त करने का निर्णय लिया है, परन्तु हम इस की प्रतिपूर्ति करने का विकल्प ढूंढ रहे हैं। मैंने देखा है कि दिल्ली प्रशासन ने भी आय के वैकल्पिक स्रोत ढूंढने के सम्बन्ध में एक प्रस्ताव भेजा है। इसलिए, ऐसा नहीं है कि निगम को घाटा उठाना पड़ेगा राजस्थान अथवा उड़ीसा को भी कोई हानि नहीं उठानी पड़ेगी। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री महोदय ने पिछले चार वर्षों से यह निर्णय कर रखा है कि हम चुंगी को समाप्त करेंगे। परन्तु आज उन्हें आय का वैकल्पिक साधन नहीं मिल रहा है, तथा जब उन्हें यह वैकल्पिक स्रोत मिल जायेगा तो मेरे विचार में उनका कोई दूसरा वर्ग हड़ताल कर देगा जिससे सरकार पर पुनः दबाव आ जायेगा। यहां तक कि रोज़गार के अवसर गंवा कर भी राज्य सरकार को यह सुनिश्चित करना होगा कि कितनी अच्छी तरह से वे ऐसा कर सकते हैं क्योंकि धन तो आयेगा ही। ऐसा नहीं है कि धन प्राप्त नहीं होगा। जहां तक केन्द्र का सम्बन्ध है, मेरा यह कहना है कि जब से मैंने कार्यभार संभाला है, यह कोई नई बात नहीं है। हम चुंगी तथा प्रवेश कर के विरुद्ध हैं। कल को हम सड़कों को निजीकरण करने वाले हैं। ऐसे सैकड़ों लोग हैं जो कि विदेशों से आ कर यह कहते हैं कि टाइटलर जी, हम एक्सप्रैस रास्तों से आना चाहते हैं। हम अन्य देशों जैसी सड़के बनाना चाहते हैं। कोई भी यह नहीं करेगा कि प्रत्येक राज्य में रस्सी से रास्ता रोक कर यह लिख दिया जाये "कृपया रुकिए तथा पथ कर दीजिए"। परन्तु मैं यह नहीं चाहता कि राज्यों को हानि उठानी पड़े क्योंकि उनकी सीमाओं का मुझे ज्ञान है। दिल्ली और पश्चिम बंगाल के सम्बन्ध में मैं यह समझ सकता हूं क्योंकि राज्यों के मंत्रियों की बैठक में तथा मुख्य मंत्रियों की बैठक में भी पश्चिम बंगाल के अतिरिक्त अन्य सभी मुख्य मंत्रियों ने यह कहा था, अगर केन्द्र धन का प्रबन्ध कर दे। अन्ततः यहां तक कि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ने भी यह कहा था कि , आप हमारे लिए धन का प्रबन्ध करवा दीजिए। हम इस प्रस्ताव पर विचार आरम्भ कर देंगे। इस पर वित्त मंत्री महोदय ने कहा था कि राज्य इसका प्रबन्ध नहीं कर सकता, परन्तु आपको इसके लिए वैकल्पिक साधन ढूंढने होंगे जैसा कि उत्तर प्रदेश ने किया है। 60 प्रतिशत राज्य पहले ही इसका प्रबन्ध कर चुके हैं तथा 60 प्रतिशत राज्यों में कोई चुंगी कर नहीं है। बाकी राज्यों के मामले में मैं टिप्पणी नहीं करना चाहता क्योंकि मामला सर्वोच्च न्यायालय के पास है तथा इन आप्रेटरों ने भी इसका निर्णय स्वीकार किया है, तथा जो भी इस सम्बन्ध में निर्णय होगा, वह हम सबको मान्य होगा। परन्तु अन्त में मैं यह बात कहना चाहूंगा जिससे कि शायद सभी माननीय सदस्यों की मांग का उत्तर मिल जायेगा, कहां तक मैं सहमत हुआ हूं, तथा इस सम्बन्ध में क्या होने वाला है क्योंकि जैसा कि आपने कहा है कि उन्होंने अस्थायी तौर पर इसे वापस लिया है। यह सत्य है। जब मैंने उनसे बातचीत की तो उन्होंने कहा, टाईटलर जी, हम बिना शर्त इसे वापस लेते हैं। तब मैंने पूछा, क्या आपको विश्वास है कि आप इसे वापस ले रहे हैं। फिर उन्होंने कहा, हम इसे स्थगित कर रहे हैं। ऐसा उन्होंने कहा इसलिए मुझे इस सम्बन्ध में कोई संका नहीं है। आपने उनकी 16 मांगों के बारे में भी मुझ से सुना। वे संतुष्ट थे तथा वे इसलिए संतुष्ट थे क्योंकि मुख्यमंत्रियों की बैठक में प्रत्येक व्यक्ति सहमत था। इस का अन्तिम भाग क्या था। उसमें कहा गया:

> "सरकार एक ऐसी समिति का गठन करने के लिए तैयार है जिसमें कि केन्द्र तथा राज्य सरकारों के प्रतिनिधि सम्मिलित होंगे तथा जो कि चुंगी और पथ कर से सम्बन्धित सभी मुद्दों पर विचार करेगी।"

इस लिए इसका तात्पर्य यह कदापि नहीं कि उन्होंने चुंगी समाप्त कर दी है हमने ऐसा नहीं कहा, कि हमने इसे समाप्त कर दिया है। हम ऐसा करने नहीं जा रहे हैं। हमने ऐसा नहीं कहा कि हम चुंगी समाप्त करने जा रहे हैं। यह पूछा कि हम चुंगी समाप्त करेंगे या नहीं, इसका उन्हें कोई अधिकार नहीं। वे केवल इतना ही कहना चाहते हैं कि, कृपया चुंगी समाप्त मत कीजिए हमें पुलिस को रिश्वत देने के लिए मत कहिए। उनके ऐसे दस्तावेजों की जांच मत करवाईए, जिसका उन्हें अधिकार नहीं। इसलिए, इसी आधार पर उन्होंने 16 मांगें प्रस्तुत

[श्री जगदीश टाइटलर]

की है। इन 16 मांगों में से 9 केन्द्र के पास हैं और 7 राज्य सरकारों के पास। पथ कर तथा चुंगी के बारे में हमने उनसे बातचीत की है। अन्य मुद्दों के साथ-साथ इस मुद्दे पर भी चर्चा हुई। उन्होंने कहा, ठीक है, आप दिल्ली में हैं तो दिल्ली में इसे समाप्त करके उस सम्बन्ध में पहले क्यों नहीं करते। यह प्रस्ताव हमारी कांग्रेस पार्टी के घोषणा पत्र में भी सम्मिलित था, तथा हमने सोचा कि इस के कार्यान्वयन का यही उचित अवसर है, तथा ऐसा करना इसलिए भी जरुरी था क्योंकि हमारी पार्टी ने दिल्ली में चुंगी समाप्त करने का स्पष्ट आश्वासन दिया गया था। वैसे मदन लाल खुराना जी, आपके सहयोगी श्री विजय कुमार मल्होत्रा ने इसका स्वागत किया है। बेशक उन्होंने मुझे सरकार से निकालने की मांग की है, परन्तु उन्होंने दिल्ली में चुंगी समाप्त करने का स्वागत किया है।

इसलिए, हम सब इस बात के लिए वचनबद्ध हैं कि पथ कर तथा चुंगी समाप्त की जानी चाहिए। परन्तु इसके साथ-साथ इस हानि की प्रतिपूर्ति के लिए आप के वैकल्पिक स्रोत ढूंढने होंगे तथा इसीलिए इस समिति का गठन किया गया। तीसरा पक्ष बीमा के सम्बन्ध में है। इसे भी सर्वोच्च न्यायालय के विचारार्थ भेजा गया है। मैं इसके विस्तार में नहीं जाना चाहता। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्देश जारी किए हैं तथा बीमा अधिकारियों ने पहले ही इस महीने के अन्त में तथा अगले महीने के प्रथम सप्ताह में बैठक बुलाई हुई है। चौथी मांग बहुसंख्यक कार्यान्वयन ऐजेंसियों के बारे में है। मैंने कहा है कि छः मांगे मेरे मंत्रालय के अन्तर्गत आती हैं तथा उन पर मैं कार्यवाही करूंगा क्योंकि मेरे विचार में यह भ्रष्टाचार का एक सबसे बड़ा कारण है तथा इसके कारण ट्रक आप्रेटरों को जांच अधिकारियों को काफी पैसा देना पड़ता है। इसलिए मेरा यह कहना है कि क्षमता से अधिक लदान की जांच, परमिट जांच, परमिट शर्तों की जांच, बीमा प्रमाण पत्रों की जांच, कंडकटरों के लाईसेंस तथा फिटनेस प्रमाण-पत्र की जांच पुलिस द्वारा नहीं की जानी चाहिए क्योंकि इन सब की जांच राज्य सरकार द्वारा की जानी चाहिए। इन सब का पुलिस से कोई सम्बन्ध नहीं। इसलिए मेरे मंत्रालय द्वारा यह निर्देश जारी किए गए हैं, जिससे कि ट्रक आप्रेटर काफी प्रसन्न हैं। मोटर वाहन अधिनियम में संशोधन के सम्बन्ध में मैंने कहा है कि सम्भवतः यह संशोधन मैं संसद के इस सत्र में प्रस्तुत कर दूंगा क्योंकि मैं यह अनुभव करता हूं कि उन्हें यह राहत मिलनी ही चाहिए।

फिर अब अतिरिक्त भार लादने के लिए दण्ड भी निर्धारित कर दिया गया है। कुछ राज्य सरकारें इसे लागू नहीं कर रही हैं परन्तु हम इसे सुनिश्चित करने के लिए निर्देश जारी करने वाले हैं ताकि टायरों का जीवन बढ़ाया जा सके, ईंधन की बचत हो सके तथा भ्रष्टाचार को भी समाप्त किया जा सके। फिर ड्राईविंग लाईसैंस के सम्बन्ध में वे मोटर वाहन अधिनियम की धारा 7 में उचित संशोधन करवाना चाहते हैं जिसके अनुसार "लर्नर लाईसैंस " प्राप्त करने के लिए कम से कम एक वर्ष तक लाईट अथवा मीडियम मोटर वाहन ड्राइविंग लाईसैंस होना चाहिए मैं इस शर्त को समाप्त करवाना चाहता हूं। इसके लिए उन्होंने इन्कार किया है। पहले यह अवधि तीन वर्ष थी। अब देश में चालकों की काफी कमी है क्यों कि एक बड़ी संख्या में ड्राइवर खाड़ी देशों को चले गये हैं। मैंने यह कहा है कि मैं इस अवधि को घटा कर एक साल करने को तैयार हूं, परन्तु उन्हें भी प्रशिक्षण स्कूलों में जाने के लिए सहमत होना पड़ेगा मैंने राज्य सरकारों को प्रशिक्षण स्कूलों के लिए लाईसैंस देते हुए, विद्यमान स्थितियों को देखते हुए, उदार दृष्टिकोण अपनाने का निदेश दिया है।

करों तथा शुल्कों के सम्बन्ध में जल भूतल परिवहन मंत्रालय की ओर से यह स्पष्ट किया गया था

कि करों को युक्तिसंगत बनाने सम्बन्धी समिति की सिफारिशों के आधार पर अन्तर्राज्यीय परिषद के विचारार्थ एक दस्तावेज तैयार प्रस्तुत किया गया था जहां तक सड़क परिवहन पर कराधान सम्बन्धी सिद्धांतों को निर्धारित करने को केन्द्रीय सरकार की शक्तियों को लागू करने का प्रश्न है, इस सम्बन्ध में सड़क परिवहन के व्यवसाय में लगे लोगों के सुधार सरकार के ध्यानार्थ तथा विचारार्थ उपबलब्ध किये जायें, तथा इस सम्बन्ध में उन्होंने अपनी सहमति दी थी।

तत्पश्चात् राजमार्गों पर लूट-पाट का मामला आता है। यह आठवां मुद्दा है। मैंने बताया था कि यह केन्द्र का विषय नहीं है, परन्तु राज्यों के मुख्यमंत्री तथा परिवहन मंत्री इस बात पर सहमत हो गये थे कि गश्त बढ़ा दी जायेगी ताकि ट्रक चलाने वालों को राजमार्गों पर लूटा न जाये इस सम्बन्ध में भी वे काफी चिन्तित थे। उसके बाद परमिट की आवश्यकता का मुद्दा है उस सम्बन्ध में उन्हें अगली बैठक में विचार करने का आश्वासन दिया गया, और वे सहमत हो गये। तत्पश्चात् वाहनों की वर्तमान कार्य अवधि का संबंध है वह चाहते थे कि इसे 9 वर्ष से आगे बढ़ाया जाये। मैंने उन्हें बताया कि इस सम्बन्ध में मैं एक तकनीकी समिति गठित करूंगा क्यों कि अधिकारियों की कोई समिति इसका फैसला नहीं कर सकती, और इसके लिए तकनीकी क्षेत्र के लोगों को ही विचार करके निर्णय लेना होगा। मैंने उन्हें यह भी बताया कि तीन महीनों के भीतर वे सुझाव दे देगी तथा हम यह कार्यकाल 9 वर्ष से आगे बढ़ा सकते हैं, जिस पर वे काफी प्रसन्न थे। जहां तक कैरियर अधिनियम का संबंध है जब यह संशोधन लाया जायेगा तो इसे अधतन रुप दिया जायेगा। डीज़ल के मूल्यों से खाड़ी अधिभार हटाने के सम्बन्ध में हमने उन्हें स्पष्ट कर दिया है कि सरकार इस मांग को स्वीकार करने की स्थिति में नही है तथा इस पर उन्होंने जोर नहीं दिया।

उन्होंने यह भी कहा कि एसोसियेशन के सहकारी संघों को वरीयता के आधार पर डीजल बिक्री केन्द्र आवंटित किए जाने चाहियें, जो कि एक बहुत अच्छा विचार है। मैंने पहले ही इस मामले को पैट्रोलियम मंत्रालय के साथ उठाया है तथा मेरे विचार में इससे भी वे संतुष्ट थे।

पुलों पर पथकर 14 वां मुद्दा था। ट्रक मालिकों का यह विचार था कि पुल की निर्माण लागत वसूल हो जाने के पश्चात् भी पथकर लिया जा रहा है। उनका यह कहना था कि हम उन्हें पुलों पर आई निर्माण लागत तथा अभी तक वसूली गई राशि के ब्योरे की सूची उपलब्ध करवायें ताकि वे यह जान सकें तथा एसोसिएशन को यह बता सकें कि कब तक निर्माण लागत वसूल हो जायेगी तथा पथकर देने की जरूरत नहीं रहेगी। मैंने उन्हें बताया कि हम इसके लिए तैयार है।

एक अन्य मुद्दा टायरों तथा वाहनों की कीमतों के सम्बन्ध में था। जहां तक टायरों और वाहनों का सम्बन्ध है, मैंने उन्हें बता दिया है कि इस सम्बन्ध में, कोई मूल्य नियंत्रण लागू करना सरकार के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता। परन्तु टायरों की कीमतों का मामला मैं उठाऊंगा तथा इस सम्बन्ध में निर्णय वित्त मंत्रालय ही लेगा। उन्हें यह बात भी स्वीकार थी।

हल्के कणिज्यिक वाहनों पर उत्पाद शुल्क कम करने सम्बन्धी कदम पहले ही उठायें जा चुके हैं जबकि पिछली बार वित्त मंत्री ने कुछ रियायतों की घोषणा की थी।

सभी 16 मांगों के सम्बन्ध में मैंने बातचीत की। मैं यह स्पष्ट करना चाहूंगा कि मुख्य मंत्रियों ने बैठक में क्या कहा। मुख्य मंत्रियों ने स्पष्ट कहा "टाईटलर जी तथा गृहमंत्री जी, वर्तमान स्थिति में अगर आप चुंगी समाप्त करने के लिए कहेंगे, तो हम एक समय इसे समाप्त नहीं कर सकते हैं— हमने प्रवेश कर पर चर्चा नहीं की

[श्री जगदीश टाइटलर]

क्योंकि यह मामला सर्वोच्च न्यायालय के विचाराधीन है। या तो केन्द्र सरकार इस वसूली की प्रतिपूर्ति करे अन्यथा हमें वैकल्पिक उपाय ढूंढने होंगे। इस लिए उस आधार पर एक समिति का गठन किया गया था जो इस मुद्दे पर विचार करेगी तथा मुझे आशा है कि इन सबसे उन्हें संतुष्टि मिलेगी। हमने मुख्य मंत्रियों के सम्मलेन में भी इन बातों पर चर्चा की थी। तत्पश्चात् अन्ततः ऐसोसिएशन के लोग आये और मुझ से बोले," श्री टाईटलर जी, हम अपनी हड़ताल बिना शर्त वापस लेना चाहते हैं।" यह उनका एक अच्छा कदम था क्योंकि उन्हें मैंने यह अहसास करवा दिया था कि देश बुरे समय से गुजर रहा है। इसका तात्पर्य यह नहीं कि केवल मैं अथवा केन्द्रीय सरकार इसका श्रेय लेना चाहती हैं। श्रेय तो ट्रक मालिकों को भी जाता है जिन्होंने यह अनुभव कियां कि उनकी समस्याओं के सामाधान के लिए पर्याप्त कदम उठाये गये है तथा उन्हें अपने दृष्टिकोण को प्रस्तुत करने का अवसर मिला है तथा उन्होंने हड़ताल वापस ले ली। मैं उनका धन्यवाद करना चाहता हूं तथा इस सदन में उनका धन्यवाद करना चाहूंगा।

मुझे आशा है कि मैं इस बातचीत के क्रम को जारी रख पाऊंगा ताकि तीन महीनों के पश्चात् ऐसी स्थिति उत्पन्न न हो जिससे उन्हें फिर हड़ताल पर जाना पड़े और देश के लिए विकट समस्या उत्पन्न हो जाये। परन्तु हम सब तैयार हैं। राज्य सरकारें तैयार हैं। सब बातों की ओर ध्यान दिया जा रहा है। आवश्यक वस्तुओं सम्बन्धी अधिनियम लागू किया गया है। आप राष्ट्र को समस्या में नहीं डाल सकते। मूल्य बढ़ रहे हैं। आप जानते हैं कि कुछ तत्व आर्थिक व्यवस्था से खिलवाड़ कर रहे हैं। हमने उनसे बातचीत करने का प्रयास किया। उनके साथ कभी भी मेरा टकराव नहीं रहा। अन्तिम दिन तक मैंने उनसे बातचीत की कुछ दिन पूर्व जब वे 5 बजे तक भी नहीं आये, यद्यपि मिलने का समय इससे पहले तय हुआ था, तो भी मैंने बुरा नहीं माना। शायद वे अपने सहगियों से विचार-विमर्श करना चाहते थे। परन्तु इन सब बातों से अर्थ व्यवस्था तथा लोगों पर कुठाराघात होने की संभावना पैदा हुई, तो हमें यह कदम उठाना पड़ा। मैं नहीं समझता कि कोई भी ऐसा व्यक्ति जो आप लोगों के हित की बात सोचता है। आवश्यक वस्तुओं सम्बन्धी अधिनियम का सहयोग लिये जाने पर आपत्ति उठायेगा। हम उड़ीसा के लोगों से इस बात के लिए प्रसन्न हैं कि उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि सामान अपने गन्तव्य तक पुहंचे। हम पश्चिम बंगाल के लोगों से भी बड़े प्रसन्न हैं जिन्होंने यह सुनिश्चित किया कि वस्तुऐं निश्चित जगहों पर पहुंचे। कुछ राज्य हैं जिन्होंने इस सम्बन्ध में काफी अच्छा कार्य किया। मैं विश्वास के साथ यह कह सकता हूं कि रेल विभाग ने बहुत अच्छा कार्य किया, नागरिक पूर्ति विभाग ने भी अच्छा कार्य किया। प्रत्येक इस बात की तैयारी कर रहा था कि अगर हड़ताल जारी रहती है तो कम से कम आवश्यक वस्तुओं की ढुलाई जारी रहे।

मैं उन सभी सदस्यों का धन्यवाद करता हूं जिन्होंने इस चर्चा को उठाया। मुझे आशा है कि मैंने सभी बातों का उत्तर दे दिया है।

सभापति महोदयः हम अगले विषय-विधायी कार्यवाही पर आते हैं।

श्री अमल दत्त (डायमंड हार्बर): मैं आपका ध्यान चाहता हूं। कल बैंक घोटाले पर चर्चा होने वाली है। परन्तु जानकीरमन समिति के दो प्रतिवदेन अभी तक सदस्यों में बांटे नहीं गए हैं। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि मंत्री महोदय को हिदायत जारी की जाये कि पर्याप्त संख्या में दोनों प्रतिवेदनों की प्रतिभा सदस्यों को समय रहते उपलब्ध करवाई जायें। अब कल इस पर चर्चा होने वाली है।

सभापति महोदयः संसदीय कार्य मंत्री यहां उपस्थित है। वह इस ओर ध्यान देंगे।

एक माननीय सदस्यः दोनों प्रतिवेदन समाचार पत्रों में प्रकाशित हो चुके हैं।

श्री अमल दत्त: परन्तु इन्हें सदस्यों को उपलब्ध भी करवाया जाना चाहिए।

संसदीय कार्य मंत्रालय ने राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय (इलैक्ट्रोनिकी तथा महासागर विकास विभाग) में राज्य मंत्री श्री रंगराजन कुमार मंगलम: हम प्रतियां उपलब्ध करवाने का पूरा प्रयत्न करेंगे।

श्री अमल दत्त: यह क्या है।

सभापति महोदय: कृपया इस बात पर कोई चर्चा मत कीजिए।

श्री रंगराजन कुमार मंगलम: इस समय में प्रतियां ग्रंथालय में उपलब्ध है।

श्री अमल दत्त: सदस्यों को प्रतियां उपलब्ध करवाई जानी चाहियें।

श्री रंगराजन कुमार मंगलम: मैं इससे इकार नहीं कर रहा। हम उन्हें प्रकाशित करवा रहे हैं। हम यह प्रयत्न करेंगे कि सभी सदस्यों को प्रतियां उपलब्ध करवाई जायें।

4.17 म० प०

जम्मू-कश्मीर राज्य विधान-मंडल (शक्तियों का प्रत्यायोजन) विधेयक

*संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम०एम० जैकब) श्री एस०बी० चव्हाण की ओर से मैं प्रस्ताव करता हूं कि राष्ट्रपति को जम्मू-कश्मीर राज्य के विधान मंडल की विधि बनाने की शक्ति प्रदान करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

सभापति महोदय: प्रश्न यह है कि: "राष्ट्रपति को जम्मू-कश्मीर राज्य के विधान मंडल की विधि बनाने की शक्ति प्रदान करने वाले विधेयक को पुनः स्थापित करने की अनुमति दी जांये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री एम० एम० जैकब: मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

सभापति महोदय: अब सदन नियम 377 के अन्तर्गत उठाये गये मामलों पर चर्चा करेगा। श्री विजय कृष्ण हान्डिक।

4.19 म०प०

नियम 377 के अधीन मामले

(एक) देश के सामरिक महत्व के क्षेत्रों को सी०आई०ए० द्वारा कथित निगरानी से बचाने के लिए पर्याप्त कदम उठाए जाने की आवश्यकता

श्री विजय कृष्ण हान्डिक (जोरहट): तीसरे विश्व के देश अपने पारम्परिक तथा गैर-पारम्परिक क्षेत्रों में रक्षा हथियार कार्यक्रम के बारे में सी० आई० ए० की बढ़ती गुप्तचरी से बहुत चिंतित हैं।

---

*दिनांक 8.7.92 के भारत के राजपत्र असाधारण, भाग 2, खण्ड दो में प्रकाशित

[श्री विजय कृष्ण हान्डिक]

जैसा कि लॉस एंजल्स टाईम्स के 21 जून, 1992 के अंक में प्रकाशित हुआ है कि अमरीकी प्रशासन ने इस प्रकार के आदेश सी॰ आई॰ ए॰ को दिए हैं इनका उद्देश्य बड़े पैमाने पर विनाश करने वाले तथा उन्नत पारम्परिक हथियारों के उत्पादन प्रौद्योगिकी, डिजाइन कल पुर्जों के बारे में जानकारी अदा करना है। इसके लिए अमरीका तीसरी दुनिया के देशों के हथियार विकास में लगे वैज्ञानिकों की नियुक्ति करता है ताकि उन देशों के हथियार अनुसंधान पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े।

अमरीकी प्रशासन के इस कदम को एक सामान्य कार्यवाही नहीं समझना चाहिए। यह तो अन्य देशों को विशेषकर उन विकासशील देशों को दबा कर जो कि उसकी सर्वोच्चता को चुनौती दे सकने में सक्षम हैं अमरीकी एक छत्रवाद को और सुदृढ़ करने की ओर उठाये जा रहे उनके निरन्तर कदमों का एक हिस्सा है।

परमाणु अप्रसार संधि परिधि से बाहर की बराबरी के आधार पर निरस्त्रीकरण तथा वास्तविक परमाणु अप्रसार, के प्रति सभी शांति प्रिय देश वचनबद्ध हैं, परन्तु अमरीकी प्रशासन की कार्यवाही इन प्रभुसत्ता सम्पन्न देशों के आन्तरिक मामले में हस्तक्षेप हैं।

क्योंकि सी॰ आई॰ ए॰ का लक्ष्य भारत भी है, अतः यह बहुत आवश्यक है कि सरकार इस मामले को न केवल कूटनीतिक स्तर पर बल्कि संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद् में विशेष रूप से उठाये। इसके साथ-साथ सरकार को रक्षा अनुसंधान से सम्बन्धित संवेदनशील क्षेत्रों तथा उनमें कार्यरत वैज्ञानिकों की सुरक्षा के पर्याप्त कदम उठाने चाहिये।

(दो) क्षेत्रीय पारपत्र कार्यालयों की आपात पारपत्र जारी करने की शक्ति बहाल किए जाने की आवश्यकता

*श्री वी॰ एस॰ विजयराघवन (पालघाट): महोदय, सरकार ने हाल ही में क्षेत्रीय पारपत्र कार्यालयों की आपात पारपत्र जारी करने की शक्ति अपने हाथ में ले ली है। यह शक्ति जो क्षेत्रीय पारपत्र कार्यालयों को मिली हुई थी वह एक मई से मुख्य पारपत्र अधिकारी के पास रहेगी।

इसकी वजह से आवेदक को अपना पारपत्र प्राप्त करने में अब लम्बे समय तक इन्तजार करना पड़ेगा। विदेश मंत्री ने पहले कहा था कि आवेदक को आवेदन भेजने के 30 दिन के अन्दर एक पारपत्र जारी किया जायेगा। यह वर्तमान आदेश मंत्री के वक्तव्य के विपरीत है। इस नियम से केरल के लोग अन्य लोगों से ज्यादा बुरी तरह से प्रभावित होंगे, क्योंकि उन्हें कई बार पारपत्र प्राप्त करने के लिए दिल्ली आना पड़ेगा। दस वर्ष से कम आयु के बच्चों के मामले में भी पुलिस जांच अनिवार्य कर दी गयी है। यदि फोटू, हस्ताक्षर आदि में परिवर्तन होने पर या पारपत्र के गुम जाने अथवा क्षतिग्रस्त होने पर 100 दिन की अवधि के लिए इन्तजार करना पड़ता है।

अतः निवेदन है कि जितनी जल्दी हो सके क्षेत्रीय पारपत्र कार्यालयों की आपात पारपत्र जारी करने की शक्ति बहाल की जाए।

(तीन) गांवों को सुरक्षित पेयजल प्रदान करने के लिए राज्य सरकारों को पर्याप्त धनराशि आबंटित किये जाने की आवश्यकता

श्री अंकुशराव टोपे (जालना): महोदय, मैं यह मामला नियम 377 के अन्तर्गत उठाऊंगा।

स्वतंत्रता प्राप्ति के 45 वर्षों के बाद भी हम बहुत से गांवों में पीने का पानी उपलब्ध नहीं कर पाये हैं।

*मूलतः मलयालम में उठाये गये मामले के अंग्रेजी अनुवाद का हिंदी रूपान्तर।

जबकि केन्द्र और राज्य सरकारों दोनों ने विभिन्न योजनाओं पर करोड़ों रुपये खर्च किये हैं। ऐसा लगता है कि इस लक्ष्य को प्राप्त करने ही वाले हैं, जिसके अन्तर्गत हम समाज के उस काफी बड़े वर्ग की जीवन की आधारभूत आवश्यकता की पूर्ति करेंगे, जिसने हरित क्रांति की सफलता के लिए कोई प्रयास नहीं छोड़ा है और इसी की वजह से देश की खाद्य समस्या हल हो सकी है। राष्ट्रीय जल मिशन जो मुख्यतः इस कार्य को पूरा करने के लिए स्थापित किया गया था अभी तक अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में संघर्षरत है।

यह आशा की जाती है कि आठवीं योजना दस्तावेज में इस कार्य को प्राथमिकता दी जायेगी और इसका लाभ मार्च 1993 तक मिल पायेगा जबकि सभी गांवों में स्वच्छ पीने का पानी उपलब्ध हो जायेगा।

मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि पर्याप्त धन उपलब्ध करें और यदि आवश्यक हो तो अन्य प्रयोजनों तथा कार्यक्रमों के लिए निर्धारित धन को भी इसमें लगायें। यदि इसके लिए तकनीकी जानकारी मांगी जाये तो राज्य सरकारों को यह भी उपलब्ध की जाये, ताकि लक्ष्य में किसी प्रकार की कमी नहीं आये।

(चार) अखिल भारतीय केन्द्रीय विद्यालय शिक्षक संघ की मांगों पर ध्यान दिए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

डा० लक्ष्मी नारायण पांडेय (मंदसौर): अखिल भारतीय केन्द्रीय विद्यालय के शिक्षक संघ ने अपनी मांगों को लेकर सरकार के समक्ष कई बार अपना निवेदन प्रस्तुत किया है जिसमें चट्टोपाध्याय कमीशन की रिपोर्ट के क्रियान्वयन, केन्द्रीय विद्यालय के बोर्ड आफ गवर्नर्स में प्रतिनिधित्व, स्थानांतरण हेतु बनाई गई समिति का पुनर्गठन, पदोन्नति व नियुक्ति संबंधी नियमों को अद्यतन बनाना, प्रयोगशाला सहायकों के वर्ग का पुनरावलोकन तथा 600 से अधिक शिक्षकों को अतिरिक्त मानकर स्थानांतरण के संबंध में विचार आदि प्रमुख समस्याएं हैं जो लंबित हैं। संघ द्वारा यह भी निश्चय किया गया है कि यदि उनकी मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक कदम नहीं उठाया गया तो देश भर के केन्द्रीय विद्यालय के शिक्षक अनिश्चितकालीन हड़ताल करेंगे।

अतः केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि अखिल भारतीय केन्द्रीय विद्यालय शिक्षक संघ की मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार कर समस्याओं को हल किया जाए।

(पांच) उत्तर प्रदेश में आगरा में यमुना नदी पर बैराज का शीघ्र निर्माण कराए जाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार को वित्तीय सहायता प्रदान किए जाने की आवश्यकता

श्री भगवान शंकर रावत (आगरा): राजस्थान से सटा हुआ होने के कारण आगरा नगर व जिले में भूगर्भ जल स्तर निरन्तर गिरता जा रहा है। गर्मी के मौसम में तो दो मीटर से भी अधिक की गिरावट हो जाती है। भूगर्भ जल स्तर को गिरने से अगर नहीं रोका गया तो आगरा तो रेगिस्तान बन ही जाएगा, दक्षिणी-पश्चिमी उत्तर प्रदेश को भी रेगिस्तान अपने पार्श्व में जकड़ लेगा। आगरा में पेयजल हेतु लगाए जाने वाले हैंड पम्प व कुएं भी गिरते जल स्तर के कारण कुछ अवधि के बाद सूख जाते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने भूगर्भ जल स्तर को गिरने से रोकने तथा पर्याप्त जल उपलब्धता बनाए रखने के लिए आगरा में यमुना नदी पर बैराज बनाने का निर्णय लिया था। बैराज के निर्माण से आगरा नगर की पेयजल संकट की समस्या का निराकरण भी होगा। मगर अभी तक प्रदेश सरकार को बैराज के निर्माण के लिए आवश्यक धन न तो विश्व बैंक से और न ही किसी अन्य वित्तीय संस्था से मिल सका है।

अतः मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि आगरा में यमुना नदी पर बैराज निर्माण हेतु उत्तर प्रदेश सरकार को

[श्री भगवान शंकर रावत]
विश्व बैंक सहित किसी भी वित्तीय संस्थान से वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराएं तथा केन्द्र सरकार स्वयं भी इस परियोजना में आर्थिक सहायता प्रदान करे ताकि बैराज के निर्माण से आगरा को पेयजल हेतु कच्चे पानी के अभाव तथा भूगर्भ के निरन्तर गिरते जल स्तर की समस्या का निराकरण हो सके।

[अनुवाद]

(छः) पश्चिम बंगाल में जलपाईगुड़ी और कूच बिहार में कतिपय रेल सुविधायें बहाल किये जाने की आवश्यकता

श्री जितेन्द्र नाथ दास (जलपाईगुड़ी): महोदय, मैं सरकार का ध्यान इस बात पर दिलाना चाहता हूं कि उत्तरी बंगाल के जिले के लोग विशेषरूप से कूच बिहार और जलपाईगुड़ी के लोगों ने इस नई सप्ताह में तीन बार चलने वाली तीस्ता-तोरसा एक्सप्रेस को शुरू किये जाने का स्वागत किया है। लेकिन इस गाड़ी से जुड़े डिब्बे बहुत खराब स्थिति में हैं। हल्दीबनी से सियालदा के मध्य चलने वाली रेलगाड़ियों में कोई भी प्रथम श्रेणी के डिब्बे और टू-टियर वातानुकूलित शयनयान नहीं हैं। अतः यह जरूरी है कि ये डिब्बे शीघ्र बदले जायें और इस रेलगाड़ी के साथ प्रथम श्रेणी के डिब्बे और टू-टियर वातानुकूलित शयनयान लगाये जायें तथा रेलगाड़ी हर रोज चले।

दूसरे, इस रेलगाड़ी को शुरू करने के बाद रेल प्राधिकारियों ने उत्तरी बंगाल जिले के लोगों को दी गई कुछ सुविधायें खत्म कर दी हैं। कुछ रेलगाड़ियों का कुछ स्टेशनों पर रुकना बंद किया गया है, आरक्षण कोटा कम करने आदि कुछ पाबन्दियां लगा दी हैं। इन मुद्दों पर जलपाईगुड़ी और कूच बिहार के जिले के लोगों में रोष व्याप्त है और उन्होंने एक आन्दोलन शुरू किया है। मेरा केन्द्रीय सरकार से अनुरोध है कि वह तत्काल आवश्यक कदम उठाये ताकि जलपाईगुड़ी और कूच बिहार के लोगों को जो रेलगाड़ी के रुकने और आरक्षण कोटा की सुविधा मिली थी उन्हें बहाल किया जाय।

(सात) बिहार के नवादा, जहानाबाद और औरंगाबाद जिलों में आतंकवाद के बढ़ते प्रकोप को रोकने के लिए इन क्षेत्रों का संतुलित विकास करने हेतु कदम उठाये जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह (जहानाबाद): सभापति महोदय, आज देश में आतंकवाद जिस तरह से सर उठा रहा है, उससे देश का लोकतंत्र खतरे में पड़ गया है। बिहार का पुराना गया जिला, जो कि विश्व में बौद्ध धर्म एवं शांति के लिये प्रसिद्ध था और जहां पर भगवान बुद्ध को ज्ञान, शांति मिली, आज आतंकवाद की चपेट में है। नवादा, जहानाबाद एवं औरंगाबाद तीनों नये जिले आतंकवाद की गहरी चपेट में हैं। इसका कारण इस क्षेत्र में संतुलित विकास की कमी रही है।

अतः यदि इस क्षेत्र से आतंकवाद को समूल नाश करना है तो विकास कार्यों को कमजोर, पिछड़े हरिजनों के गांव की ओर मोड़ना होगा। उनके लिये सबसे पहले एक हजार पांच सौ आबादी वाले गांवों में शिक्षा की व्यवस्था करनी होगी। उनके गांवों में स्वच्छ पानी की व्यवस्था शीघ्रातिशीघ्र युद्ध स्तर पर करनी होगी। भूमि हदबंदी कानून को कड़ाई से लागू करना होगा क्योंकि सारे झगड़ों का मूल जमीन ही होता है। चिकित्सा सुविधा को इन्हीं गांवों में इनके लिये उपलब्ध कराना होगा।

अतः मैं केन्द्र सरकार से मांग करता हूं कि इन क्षेत्रों में आतंकवाद का समूल नाश करने के लिये इन सब उपायों पर तुरन्त कार्यवाही की जाये ताकि आतंकवाद और आगे नहीं बढ़ सके।

(आठ) देश में भूमि सुधार करने और अनुसूचित जातियों को आबंटित भूमि पर उन्हीं को कब्ज़ा दिलाया जाना सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता

श्री रामबदन (लालगंज): सभापति महोदय, देश की आजादी के समय यानी 45 वर्ष पूर्व ही भूमिहीन लोगों, विशेषकर हरिजनों को भूमि आवंटित करने का लक्ष्य सर्वोच्च प्राथमिकता के साथ राष्ट्र के पुनर्निर्माण कार्यक्रम में शामिल किया गया परन्तु कुछेक राज्यों को छोड़ कर अन्य राज्यों में कुछ खास उपलब्धि नहीं हो सकी। भूमि का असमान वितरण कृषि संबंधों को नया रूप देने में बाधक है। अतः भूमि सुधार कारगर ढंग से लागू कर भूमि संबंधों में शोषण खत्म किया जाना चाहिए। अभी तक कुल अधिगृहीत लगभग 56 लाख हजार एकड़ भूमि में से 48 लाख हजार एकड़ भूमि का ही आवंटन किया जा सका है। इसमें से 50 प्रतिशत भूमि अनुसूचित जातियों/जन जातियों को आवंटित की गई परन्तु वास्तविकता कुछ और ही है। इन जातियों को आवंटित भूमि से आधी से ज्यादा पर कब्जा ही नहीं मिल सका है।

अतः केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि काश्तकारों को स्वामित्व प्रदान कर एवं ऐसे लोगों को शेष भूमि का आवंटन कर, जिन्हें आज तक आवंटन योग्य होते हुए भी भूमि का आवंटन नहीं किया जा सका है, कृषि क्षेत्र में ऊपर उठाने का अवसर दिया जाना चाहिये। **(व्यवधान)**

4.30 म०प०

मंत्री द्वारा वक्तव्य

राम जन्म-भूमि-बाबरी मस्जिद का मामला

[अनुवाद]

गृह मंत्री (श्री एस० बी० चव्हाण): राम जन्म-भूमि-बाबरी मस्जिद मामले के बारे में हाल ही में कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं घटी हैं।

दिसम्बर, 1991 के बाद, राम जन्म-भूमि-बाबरी मस्जिद परिसर में अनेक सुरक्षा इन्सटालेशनों को गिरा दिया गया है और बताया गया है कि कुछ अन्य सुरक्षा प्रबन्ध भी सन्तोषजनक ढंग से नहीं चल रहे हैं। इन घटनाओं का, राम जन्म-भूमि-बाबरी मस्जिद ढांचे की सुरक्षा पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव के बारे में समय-समय पर राज्य सरकार को बताया गया है। राज्य सरकार से यह भी अनुरोध किया गया है कि केन्द्रीय विशेषज्ञों के एक दल द्वारा तैयार की गई एक विस्तृत सुरक्षा योजना में निहित सिफारिशों को लागू करने पर विचार किया जाए। मुख्य मंत्री ने हाल ही में मुझे सुरक्षा व्यवस्था की पर्याप्तता के बारे में आश्वासन दिया है।

राज्य प्राधिकारियों ने राम जन्म-भूमि-बाबरी मस्जिद के इर्द-गिर्द एक बड़े क्षेत्र को घेरते हुए एक दीवार का निर्माण किया है। मुख्य मंत्री ने सूचित किया है कि दीवार का निर्माण केन्द्रीय विशेषज्ञ दल द्वारा की गई सिफारिश के अनुसार किया जा रहा है। तथापि, केन्द्रीय दल द्वारा सिफारिश की गई दीवार की तुलना में निर्मित दीवार विवादित ढांचे से काफी दूर है और अब तक इस बात का कोई साक्ष्य नहीं है कि अतिरिक्त सुरक्षा व्यवस्था भी की जा रही है।

मार्च, 1992 में, राज्य सरकार ने सीताकूप, शिलान्यास स्थल, विश्व हिन्दू परिषद कीर्तन चबूतरा और साक्षी

[श्री एस॰ बी॰ चव्हाण]

गोपाल मंदिर के एक भाग को छोड़कर राम जन्म-भूमि-बाबरी मस्जिद परिसर में अतिरिक्त ढांचों को गिराने का कार्य हाथ में लिया। ढांचों को गिराने के साथ-साथ बड़े पैमाने पर खुदाई और समतलीकरण का कार्य भी शुरू हुआ। इन अभियानों से अनेक लोगों के दिमाग में विवादित ढांचे की मजबूती और सुरक्षा पर पड़ने वाले सम्भावित प्रभाव के बारे में आशंकाएं उत्पन्न हुई हैं। हम ने राज्य सरकार के साथ मामला उठाया और राज्य सरकार ने आश्वासन दिया कि ढांचे पर इसका कोई प्रतिकूल असर नहीं पड़ेगा। बताया जाता है कि खुदाई, समतलीकरण और अन्य कार्य अभी भी जारी हैं।

2 नवम्बर, 1991 को हुई राष्ट्रीय एकता परिषद की बैठक में उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री द्वारा दिए गए निमंत्रण के अनुसरण में राष्ट्रीय एकता परिषद की स्थायी समिति तथा संसद सदसयों के एक प्रतिनिधि मंडल को अयोध्या का दौरा करने के लिए भेजने का निर्णय लिया गया। इस प्रतिनिधि मंडल ने 7 अप्रैल, 1992 को अयोध्या का दौरा किया और इसकी रिपोर्ट माननीय संसद सदस्यों को परिचालित की गई है।

राम जन्म-भूमि-बाबरी मस्जिद मामले के बारे में इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ खण्डपीठ के समक्ष अनेक न्यायिक मामले लम्बित पड़े हुए हैं। इनमें, मूल अधिकार मुकदमा, राज्य सरकार द्वारा भूमि अधिग्रहण को चुनौती देने के बारे में रिट याचिकाएं, कुछ सिविल मिसलेनियस एप्लीकेशन्स और विवादित ढांचे के लिए संभावित खतरे को ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अधिग्रहित की गई भूमि पर खुदाई को रोकने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार को निदेश देने हेतु हाल में दायर की गई याचिका शामिल है। इसके अलावा, उच्चतम न्यायालय में दो अवमानना याचिकाएं तथा एक लोकहित मुकदमा दायर किया गया है, इन तीनों याचिकाओं को जुलाई, 1992 तक स्थगित कर दिया गया है। एक अवमानना याचिका में आरोप लागाया गया है कि अयोध्या में स्थित ढांचों को गिराने तथा मलबे को साफ करने से उच्चतम न्यायालय के 15 नवम्बर, 1991 के आदेश का उल्लंघन होता है। दूसरी अवमानना याचिका में आरोप लगाया गया है कि अयोध्या में भूमि का अधिग्रहण, भूमि का कब्जा, राम जन्म-भूमि न्यास को सौंपना, ढांचे को गिराना तथा दीवार का निर्माण करना, उच्चतम न्यायालय के 15 नवम्बर, 1991 के आदेश का उल्लंघन करना है। इस विषय पर होने वाली किसी भी चर्चा में इस पहलू को ध्यान में रखा जाना चाहिए। मैं आशा करता हूं कि किसी भी पक्ष द्वारा ऐसी कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी, जिससे राम जन्म भूमि-बाबरी मस्जिद मामले के संबंध में न्यायालय द्वारा दिए गए विभिन्न आदेशों की मूल भावनाओं का उल्लंघन होता है।

राम जन्म-भूमि-बाबरी मस्जिद संबंधी साम्प्रदायिक सद्भाव के विषय पर राष्ट्रीय एकता परिषद की स्थाई समिति द्वारा अपनी दिनांक 23.6.1992 की बैठक में विचार किया गया। विचारों के आदान-प्रदान के बाद स्थाई समिति ने निर्णय किया कि इस विषय पर विचार करने के लिए सम्पूर्ण राष्ट्रीय एकता परिषद की बैठक आयोजित की जाए। तद्नुसार, यह प्रस्तावित किया जाता है कि दिनांक 18 जुलाई, 1992 को राष्ट्रीय एकता परिषद की बैठक बुलाई जाए।

अयोध्या में राम जन्म-भूमि-बाबरी मस्जिद परिसर में कुछ नया विकास और निर्माण कार्य करने की योजना बनाए जाने की रिपोर्टों से गम्भीर स्थिति पैदा हो गयी है। रिपोर्ट के अनुसार इस योजना में एक आधार या चबूतरा बनाने, शिलान्यास स्थल पर खम्बे बनाने और पुलिस कन्ट्रोल रूम को गिराए जाने का कार्य शामिल है। समझा जाता है कि प्रस्तावित मन्दिर के निर्माण की योजना से संबंधित कुछ संगठनों की बैठकें और सम्मेलन भी अयोध्या में होने लगे हैं। सूचना के अनुसार मन्दिर निर्माण समिति का नाम बदलकर "मन्दिर जीर्णोद्धार समिति" रखने का निर्णय लिया गया है, जिसे विवादित ढांचे में हेरफेर करने का रास्ता खोलने के प्रयास के रूप में देखा जा रहा है। अयोध्या में दिनांक 15 जुलाई, 1992 से "चातुर्मास" मनाए जाने की अपेक्षा है और राम जन्म

भूमि-बाबरी मस्जिद परिसर में धार्मिक प्रतिनिधियों की एक बहुत बड़ी सभा होने की संभावना है। इन सूचनाओं की गम्भीर प्रकृति को ध्यान में रखते हुए, मैंने उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री को दिनांक 7 जुलाई, 1992 को पत्र लिखकर आशा व्यक्त की है कि राज्य सरकार विवादित ढांचे की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए और किसी अशोभनीय घटना को रोकने के लिए पर्याप्त सुरक्षा और अन्य प्रबन्ध करेगी। आगे, मैंने आशा व्यक्त की है कि ऐसा कोई काम नहीं किया जाएगा जिससे राम जन्म भूमि-बाबरी मस्जिद मामले के संबंध में पारित किए गए न्यायालय के आदेशों की भावना का उल्लंघन हो।

श्री चन्द्रजीत यादव (आजमगढ़): राज्य सरकार इन सब बातों में मिली हुई है। यह सब राज्य सरकार की मिलीभगत से हुआ है। हम जानना चाहते है....

सभापति महोदय: कोई प्रश्न नहीं पूछा जा सकता है।

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा): गृह मंत्री ने हमें कोई पक्का आश्वासन नहीं दिया है। (व्यवधान)

सभापति महोदय: यदि मैं एक सदस्य को अनुमति देता हूं तो मुझे सभी को अनुमति देनी पड़ेगी। लेकिन कोई भी प्रश्न नहीं पूछा जा सकता है।

(व्यवधान)

सभापति महोदय: अब हम सावंधिक संकल्प पर चर्चा शुरू करेंगे। मंत्री के वक्तव्य पर हम किसी भी प्रश्न की अनुमति नहीं देते हैं। इस संबंध में नियम 372 स्पष्ट है।

(व्यवधान)

सभापति महोदय: अब हम अगला विषय लेते हैं। आप नियमों के अन्तर्गत चर्चा के लिए कह सकते हैं। किसी प्रश्न की अनुमति नहीं है।

(व्यवधान)

सभापति महोदय: यदि मैं एक को अनुमति दूंगा तो मुझे सभी को अनुमति देनी पड़ेगी। मैं नियमों का पालन कर रहा हूं। मैंने किसी भी प्रश्न की अनुमति नहीं दी है।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी (दरभंगा): सभापति महोदय, यदि स्टेट गवर्नमेंट कोई गड़बड़ी करेगी तो क्या केन्द्र सरकार कोई एक्शन नहीं लेगी? वहां पर ला एण्ड आर्डर की स्थिति खराब हो रही है। यह चीज इस तरह से लाइटली नहीं ली जानी चाहिए।

श्री तेज नारायण सिंह (बक्सर): सभापति महोदय, इस मामले में केन्द्र सरकार क्या एक्शन लेने जा रही है, इसको स्पष्ट किया जाना चाहिए। स्थिति बहुत गंभीर है। (व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री ई० अहमद (मंजेरी): महोदय, आप गृह मंत्री को स्थिति स्पष्ट करने के लिए कहें। (व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य: हम गृह मंत्री से आश्वासन चाहते हैं। (व्यवधान)

4.41 म ० प०

(इस समय श्री तेजनारायण सिंह और कुछ अन्य माननीय सदस्य आये और सभा पटल के निकट फर्श पर बैठ गये)।

सभापति महोदय: आप कल पूरी चर्चा के लिए कह सकते हैं।

(व्यवधान)

सभापति महोदय: कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

(व्यवधान)

सभापति महोदय: गृह मंत्री जी वे केवल यह जानना चाहते हैं कि क्या यथास्थिति बरकरार रखी जायेगी। क्या यह गृह मंत्री का आश्वासन है?

श्री एस० बी० चव्हाण: ये उच्च न्यायालय के साथ-साथ उच्चतम न्यायालय के आदेश हैं। इसी वजह से अवमानना प्रक्रियायें भी दोनों न्यायालयों में लम्बित हैं। इस समय मैं नहीं समझता कि मैं इससे कुछ ज्यादा कह सकता हूं। **(व्यवधान)**

सभापति महोदय: कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

श्री एस० बी० चव्हाण: मुझे न्यायालय के आदेश की प्रतीक्षा करनी है। जब मामले न्यायालय में लम्बित पड़े हैं और ये मुद्दे उनके समक्ष पेश हैं तो मेरा यह कहना उचित नहीं होगा कि सरकार ऐसा करेगी या वैसा करेगी। मैं न्यायालय के आदेशों का इन्तजार करूंगा। यदि न्यायालय कोई कार्यवाही नहीं करना चाहता है तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूं। **(व्यवधान)**

सभापति महोदय: कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। मेरा आपसे अनुरोध है कि आप अपना स्थान ग्रहण करें।

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य: उन्हें सभा के बीच में नहीं खड़ा होना चाहिए। कृपया उन्हें हटने के लिए कहें।

सभापति महोदय: मेरा आपसे अनुरोध है कि आप सब अपना स्थान ग्रहण करें।

(व्यवधान)

सभापति महोदय: मैं दस मिनट के लिए सभा स्थगित करता हूं।

4.49 म०प०

ततपश्चात् लोक सभा 4.50 म०प० तक के लिए स्थगित हुई।

5.00 म०प०

लोक सभा 5.00 म०प० पर पुनः समवेत हुई।

[श्री शरद दिघे पीठासीन हुए]

[हिन्दी]

श्री मदन लाल खुराना (दक्षिण दिल्ली): सरकार और लेफ्टीस्ट पार्टी के अंदर ....**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

सभापति महोदय: कुछ भी कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

(व्यवधान)*

सभापति महोदय: अब हम नया विषय लेंगे।

5.01 म०प०

(इस समय श्री अनिलबसु और कुछ अन्य माननीय सदस्य आये और सभा-पटल के निकट फर्श पर बैठ गये।)

5.01 म० प०

विदेशी व्यापार (विकास और विनियमन) अध्यादेश का निरनुमोदन किये जाने के बारे में सांविधिक संकल्प

[हिन्दी]

डा० लक्ष्मी नारायण पाण्डेय (मंदसौर): सभापति महोदय, मैं प्रताव करता हूं—

"कि यह सभा 19 जून, 1992 को राष्ट्रपति द्वारा प्राख्यापित विदेशी व्यापार (विकास और विनियमन) अध्यादेश, 1992 (1992 का अध्यादेश संख्या 11) का निरनुमोदन करती है।"

(व्यवधान)

[अनुवाद]

सभापति महोदय: सभा आधे घंटे के लिए स्थगित होती है।

5.02 म०प०

तत्पश्चात् लोक सभा 7.30 म०प० तक के लिए स्थगित हुई।

0———

5.31 म० प०

लोक सभा 7.31 म० प० पर पुनः समवेत हुई।

[श्री शरद दिघे पीठासीन हुए]

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी (दम दम): महोदय, सरकार की कार्यवाही का प्रश्न कहां है? सरकार द्वारा इस मुद्दे विशेष पर कार्यवाही किये बगैर यह सभा जारी नहीं रह सकती है। केवल आशा करने से कुछ नहीं होगा।

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा): महोदय, मुझे एक निवदेन करने की अनुमति दें। गृह मंत्री ने एक वक्तव्य दिया है। उन्होंने तथ्यों के संबंध में वक्तव्य दिया है।

सभापति महोदय: अब हमें कार्य सूची को लेना चाहिए। नेता माननीय अध्यक्ष महोदय के साथ कक्ष में चर्चा कर रहे हैं।

श्री ई० अहमद (मंजेरी): पहले चर्चा होने दीजिए **(व्यवधान)**।

श्री बसुदेव आचार्य: महोदय, गृह मंत्री ने अपने वक्तव्य में ऐसा कोई पक्का आश्वासन नहीं दिया है कि न्यायालय के आदेश के अनुसार यथास्थिति बरकरार रखी जानी चाहिए। उन्होंने ऐसा कोई पक्का आश्वासन या वचन नहीं दिया जो इस सभा के सदस्य चाहते हैं। सदस्य चाहते हैं कि सरकार बाबरी मस्जिद-राम मंदिर और भूमि की यथा स्थिति बनाये रखने के लिए प्रत्येक कदम उठाये। अतः हम यह आश्वासन चाहते हैं।

सभापति महोदय: मैं अब किसी को भी अनुमति नहीं दूंगा क्योंकि सभी नेता अध्यक्ष महोदय से चर्चा कर रहे हैं। अब हमें कार्य सूची को आगे बढ़ाना चाहिए।

(व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य: वे न्यायालय के आदेश का उल्लंघन कर रहे है।

श्री राम नाईक (मुम्बई उत्तर): महोदय वे लोक सभा का उलंघन कर रहे है।

श्री बसुदेव आचार्य: केन्द्र सरकार असहाय है। वे कुछ भी नहीं कर सकते हैं। वे राज्य सरकार को ऐसा करने से नहीं रोक सकते है।

सभापति महोदय: अब सभा शेप दिन के लिए स्थगित। हम कल 11.00 म० पू० मिलेंगे।

5.34 म० प०

तत्पश्चात् लोक सभा गुरुवार 9 जुलाई, 1992/18 आषाढ़ 1914 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।